रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2014/फाल्गुन 20, 1935
No. 127] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2014/PHALGUNA 20, 1935

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

(रक्षोपाय महानिदेशक का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च 2014

(सीमाशुल्क एवं उत्पाद कर)

विषय:- लोहा, अलाय या गैर-अलाय स्टील (ढलवां लोहा और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) के ट्यूब्स, पाइप्स और हालो प्रोफाइल सीमलेस का भारत में आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच

अंतिम जांच परिणाम

सा.का.नि.180 (अ).— सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम,1975 और उसकी सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 को ध्यान में रखते हुए।

प्रक्रिया

1. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 (जिसे एतद्पश्चात 'रक्षोपाय नियमावली' कहा गया है) के नियम अंतर्गत मैसर्स जिंदल सा लिमिटेड जिंदल सेंटर, 12 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 और मैसर्स आईएसएमटी लिमिटेड, लुंकाड टावर्स, विमान नगर, पुणे 411014 ने यह दावा करते हुए कि लौह, अलाय या गैर अलाय स्टील (ढलवां लोहा और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) के बने ट्यूब्स, पाइप्स और हालो प्रोफाइल्स, सीमलेस के संबर्धित आयात भारत में लौह अलाय या गैर अलाय स्टील (ढलवा लोहा और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) के बने ट्यूब्स, पाइप्स औ हालो प्रोफाइल, सीमलेस के घरेलू उत्पादकों को क्षति कारित कर रहे है और/या गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन कर रहे हैं और लोहा, अलाय या गैर अलाय स्टील (ढलवां लोका एवं स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) के ट्यूब्स, पाइप्स और हालो प्रोफाइल्स, सीमलेस के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की मांग करते हुए एक आवेदन

दायर किया है। इस याचिका का मैसर्स महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड (एमएसएल), जिंदल कारपोरेट सेंटर, प्लांट सं.30, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर-44 गुड़गांव-5122001 द्वारा भी समर्थन किया गया है

2. उक्त रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से आवेदनकर्ता से प्रदान कराई गई सूचना का घरेलू उत्पादकों के संयंत्र का आवश्यक समझी गई सीमा तक स्थल सत्यापन किया गया। सत्यापन रिपोर्ट के अगोपनीय पाठको सार्वजनिक फाइल में रखा गया। इस तथ्य से संतुष्ट होते हुए कि नियम 5 के संबंध में रक्षोपाय जांच शुरु करने का नोटिस लोहा, अलाय या गैर अलाय स्टील (ढलवां लोका एवं स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) के ट्यूब्स, पाइप्स और हालो प्रोफाइल्स, सीमलेस के भारत में आयात के संबंध में रक्षोपाय जांच शुरु करने का नोटिस सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को जारी किया गया तथा उसे उसी दिन भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया।

3. 22 अप्रैल,2013 के जांच शुरुआत नोटिस की प्रति तथा घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन पत्र के अगोपनीय पाठ की प्रति सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6(2) और 6(3) के अनुसार देशों की सरकारों को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए और निम्नलिखित सूचीबद्ध अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रेषित की गई:

क. घरेलू उत्पादक

(i) मैसर्स आईएसएमटी लिमिटेड, लुन्काड टावर्स, विमान नगर, पुणे 411014 (आवेदक)

(ii) मैसर्स जिंदल सा लिमिटेड, जिंदल सेण्टर, 12 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिलली-110066 (आवेदक)

(iii) मैसर्स महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, जिंदल कापोरेट सेंटर,प्लाट संख्या 30,इंस्टीटयूशनल सेक्टर-44 गुड़गांव-122001 (समर्थनकर्ता)

(iv) मैसर्स इंडियन सुगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कारपोरेशन (आईएसजीईसी) राडौर रोड, यमुनानगर

(v) मैसर्स रतनदीप मेटल एंड ट्यूब्स लिमिटेड, सर्वे संख्या 1015/2, गांव राजपुर, मेहसाणा हाईवे, तल कढ़ी, पिन-382715

(vi) मैसर्स पीटीसी आलियन्स प्रिसीजन प्रोडक्अ्स (एशिया) प्राइवेट लिमिटेड, 77 चैमियर्स रोड राजा अन्नामलाईपुरम, चेन्नै

(vii) मैसर्स तमिलाडु बायलर्स एंड कमेनेन्ट्स मैन्यूफैक्चरर्स एंड यूजर्स एसोसिएशन, डी-99, विकसित प्लाट एस्टेट, थुवाकुडी त्रिचिरापल्ली, तमिलनाडु-620015

(vii) मैसर्स रेमी मेटल्स गुजरात लिमिटेड, वेलस्पन हाउस, चौथा तल, कमला मिल्स कमउंड सेनापति बापर मार्गलोअर परेल, (पश्चिम) मुम्बई

(ix) मैसर्स आयल कंट्री टयूबलर लिमिटेड, कामिनेनी, तृतीय तल, किंग कोठी, हैदराबाद

ख. आयातकर्ता/उपभोक्ता उद्योग

(i) मैसर्स मारुति कोट्सु सिलिन्डर्स लिमिटेड, 307, स्वास्तिक चैमबर, तृतीय तल, चैम्बूर, सीएसटी रोड चैम्बूर, मुम्बई-400071

(ii) मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली

(iii) मैसर्स ओएनजीसी, तेल भवन, देहरादून उत्तराखंड

(iv) मैसर्स मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेन्ट्स एसोसिएशन,63 जमनदास बिल्डिंग , 10वीं खेतवाडी लेन, मुम्बई-400004

(v) मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड 9/1, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता

(vi) मैसर्स एवरग्रीन सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स, एवरग्रीन हाउस, सं.77/78 II मुख्य चिक्कालक्ष्मैय्या लेआउट, डीआरसी पोस्ट, होसुर रोड, बंगलौर

(vii) मैसर्स वालचन्द्रनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 3 वालचंद टैरेसेस, ताड़देव रोड, मुम्बई-400034

ग. निर्यातकर्ता

(i) मैसर्स पेन्गांग ग्रुप चेन्डु स्टील एंड वैनेडियम कंपनी लिमिटेड, संख्या 268, तौन्जी साउथ रोड, विवंगबैजियांग जिला, आईएसटी 610303 चेन्डु, चीन

(ii) मैसर्स झिगैन्ग सीमलेस स्टील पाइप कंपनी लिमिटेड, 124 तंगनान रोड, वुक्सी सिटी, जियांग्सु प्रान्त, चीन

(iii) मैसर्स यान्टेलुबाओ स्टील पाइप कंपनी सं.185 जिंग्फ मिडल रोड, यन्ताई, चीन, चीन

(iv) मैसर्स टुबोस, बैरियो डिस गारी बाई 201470 अमुरिओ (अल्वा) स्पेन, स्पेन

(v) मैसर्स मर्सिगागिला, वाया ब्रेस्सियानी-16, जैगोल्डोडि गिलप्पोलिटिमान्टोवा, इटली

(vi) आर्सिलोरमित्तल, 20 वेलिकाझिटोमिर्सका स्ट्रीट, कीव, 01025 उक्रैन

(vii) मैसर्स टेनारिस, 29 एवेन्यू डि ला पोर्ट न्यूव, तृतीय तल, एल-2227, लक्जमबर्ग

(viii) मैसर्स टिमकेन, 1835, डुइबेर एवेन्यू, एस डब्ल्यू कैन्टन, ओहियों

(ix) मैसर्स ओवाको एबी, एसई-19405 उप्पलैण्ड्स कस्बी, स्वीडन

(x) मैसर्स बेन्टिलर 2650 बीएन, ओप्डाइके रोड-48326, औबर्न हिल्स, मिशिगन, यूएसए

(xi) डेलीगेशन आफ दि यूरोपियन यूनियन आफ इंडिया, 65 गोल्फ लिन्क्स, नई दिल्ली

(xii) मैसर्स टेनारिस सिल्कोटब 93 मिहाई विटीजुल बीएलवीडी, 450131 जलाऊ (सलज काउंटी) रोमानिया।

(xiii) मैसर्स आर्किलोर मिटाल, स्टीफेन सेल मारी, 15ए11, रोकन 611038 एनटी, रोकमानिया

(xiv) मैसर्स टेनारिस, पेसाजिमा, डेल्टा पाओलिरा299, पिसो 18 सीपी 1001 ब्यूनस आयर्स अजेन्टीना

(xv) मिस्र अरब गणराज्य, उद्योग एवं विदेश व्यापार मंत्रालय, अल-मालेया टावर्स-6, फ्लोर-9 रामसिस स्ट्रीट, एक्सटेशन, नासर सिटी

(xvi) मैसर्स वैलोरेक एंड मन्नेसमान सीडेक्स, 27 एवेन्यू डी जनरल लेक्लेर्क, 92660 बूगोग् बिलानकोर्ट सीडेक्स, फ्रांस, फ्रांस

(xvii) मैसर्स ओवाको एबी, एसई-19405 उप्पलैंण्डस वास्बी स्वीडन

(xviii) मैसर्स मर्टेक्स यू के लिमिटेड

(xix) यूरोपियन स्टील ट्यूब एसोसिएशन, 79 बिस रियु मार्शल डसाल्ट एफ-92 100 बो लोग्-बिलानकोर्ट फ्रान्स

(xx) मैसर्स ओएओ टीमके 40 बिल्डिंग 2ए पोकरोव्का स्ट्रीट मास्को

(xxi) मैसर्स डालमिन एसपीए पिआजा काडुटी 6 लुगिलो 1944, एन1 24044 डालमिन (बीजी) इटली

(xxii) चीन आयरन एंड स्टील एसोसिएशन,लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन,5, जंगपुरा एक्सटेंशन, लिंक रोड, नई दिल्ली - 110014 द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

(xxiii) जापान आयरन एंड स्टील फेडरेशन, 3-2-10 निहानबाशी-कायाबाचो, चुओ-कु-टोकयो 103-0025 जापान

(xxiv) मैसर्स बाओ स्टील ग्रुप कार्प चीन, कक्ष सं.2005, बाओस्टील टावर, 370 पुडैन रोड, शंधाई, पीआरसी

(xxv) मैसर्स जेएफई स्टील कारपोरेशन जापान जिसका प्रतिनिधित्व लूथरा एंड लूथरा 9वां तल एवं 103 अशोका एस्टेट, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा किया गया।

(xxvi) मैसर्स निप्पन स्टील एंड सुमिन्टोलो मेटल कार्प जापान जिसका प्रतिनिधित्व लूथरा एंड लूथरा 9वां तल एंड 103 अशोका एस्टेट बाराखंभा रोड, नई दिल्ली द्वारा किया गया।

(xxvii) मैसर्स सैन्यो स्पेशनल स्टील कंपनी लिमिटेड जिसका प्रतिनिधित्व लूथरा एंड लूथरा, 9वां एवं 103 अशोका एस्टेट बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001

(xxviii) मैसर्स स्लैजगिटर मानेस्मान प्रिसीजन, जर्मनी

घ. निर्यातक राष्ट्रों की सरकार

(i) चीन जनवादी गणराज्य का राजदूतावास

(ii) इटली राजदूतावास

(iii) मिस्र का राजदूतावास

(iv) जर्मन राजदूतावास

(v) संयुक्त अरब अमीरात का राजदूतावास

(vi) इंडोनेशिया राजदूतावास

(vii) यूएस राजदूतावास

(viii) बिटिश उच्चायुक्त

(ix) जापान का राजदूतावास

(x) व्यापार उपायुक्त, रुसी परिसंघ का व्यापार प्रतिनिधिमंडल

(xi) मिस्र अरब गणराज्य, उद्योग एवं विदेश व्यापार मंत्रालय

(xii) यूरोपियन यूनियन आफ इंडिया का प्रतिनिधिमंडल

4. उसी दिन सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों और आयातकों एवं निर्यातकों को भी प्रश्नावलियां भेजी गई और उनसे कहा गया कि वे अपने उत्तर 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत करें।

5. निम्नलिखित पक्षकारों से उन्हें हितबद्ध पक्षकार के रुप में विचार करने का अनुरोध प्राप्त हुआ।

(i) मैसर्स ओएओ टीएम के मास्कों

(ii) मैसर्स मर्टेक्स यूके लिमिटेड, जिसका प्रतिनिधित्व अमर चंद मंगलदास, नई दिल्ली द्वारा किया गया।

(iii) मैसर्स डालमाइन एसपीए, इटली

(iv) यूरोपियन स्टील ट्यूब एसोसिएशन, फ्रांस

(v) मैसर्स टेनारिश अर्जेन्टीना

(vi) चीन आयरन एंड स्टील एसोसिएशन जिसका प्रतिनिधित्व लक्ष्मी कुमारन एवं श्रीधरन द्वारा किया गया।

(vii) (क) मैसर्स साल्जगिटर मनेसमान प्रिसीजन जीएमबीएच (ख) मैसर्स साल्जगियर मनेसमान प्रिसीजन इटिरागे एसएएस द्वारा डा. अल्राइक होपिंग, विधि विभागाध्यक्ष, मल्हीम, जर्मनी

(viii) जापान आयरन एंड स्ट्रील फेडरेशन, जापान

(ix) डायरेक्टर आफ ट्रेड डिफेन्स, जकार्ता

(x) बाओ स्टील ग्रुप कार्फ चीन शंघाई

(xi) व्यापार उपायुक्त, ट्रेड रिप्रजेन्टेशन आफ दि रिशयन फेडरेशन, नई दिल्ली

(xii) मैसर्स वैलोरेक एवं मानेषमान

(xiii) जेएफई स्टील कारपोरेशन, जापान जिसका प्रतिनिधित्व लूथरा एंड लूथरा द्वारा किया गया।

(xiv) निप्पन स्टील एंड सुमिन्टोमों मेटल कार्प जापान जिसका प्रतिनिधित्व लूथरा एंड लूथरा द्वारा किया गया।

(xv) सैनयो स्पेशल स्टील कंपनी लिमिटेड जिसका प्रतिनिधित्व लूथरा एंड लूथरा द्वारा किया गया

(xvi) नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोलकाता

सभी अनुरोध स्वीकार कर लिए गए।

6. हितबद्ध पक्षकार के रुप में विचार करने का अनुरोध निम्निलखित पक्षकारों से भी प्राप्त हुआ परंतु यह अनुरोध जांच शुरुआत का नोटिस प्राप्त होने के निर्धारित 21 दिनों के पश्चात प्राप्त हुआ।

(i) मैसर्स एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, महात्मा गांधी रोड, पुणे

(ii) मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज, थाणे-बेलापुर रोड, नवी मुम्बई

(iii) कीर्तिनलाल इंटरनेशनल पीएमसीसी, दुबई

(iv) बाल एंड रोलर वियरिंग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, कनाट प्लेस, नई दिल्ली

(v) मैसर्स यांगझाऊ लोन्ट्रिन स्ट्रीट ट्यूब कंपनी लिमिटेड, जियांग्सु प्राविन्स, चीन जन.गण

चूंकि यह आवेदनपत्र निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं प्राप्त हुए थे इसलिए यह सभी अनुरोध नामंजूर कर दिए गए।

7. इनके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकार बनने के लिए बिना किसी विशिष्ट अनुरोध के निम्नलिखित से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए:

(i) मैसर्स आनंद ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड मिठाखली सिक्स रोड्स, अहमदाबाद

(ii) मैसर्स एलायड टयूब्स, हौजकाजी, दिल्ली

(iii) मैसर्स पंजाब डिस्ट्रीब्यूशन प्रा. लिमिटेड, हौज काजी दिल्ली

(iv) मैसर्स अनिराज डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लिमिटेड, हौज काजी दिल्ली

(v) बाली स्टील ट्यूबज, कार्नक बंदर मुम्बई

(vi) टयूब्ज इंडिया, कुम्भरवाड़ा, 5वीं गली, मुम्बई

(vii) आल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेल्फेयर एसोसिएशन झंडेवालान, नई दिल्ली

(viii) पटले एयरफ्लो लिमिटेड, वत्वा अहमदाबाद

(ix) मैसर्स एस.एन. ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड मेहषाणा गुजरात

(x) मैसर्स जेट रोड लाइन्स कार्प, पहाड़गंज, नई दिल्ली

(xi) मैसर्स विनायक ट्यूब्स बोट क्लब रोड, पुणे

(xii) मैसर्स विजय सेल्स कारपोरेशन हौज काजी दिल्ली

(xiii) मैसर्स स्टेण्डर्ड ट्यूब्स, हौज काजी दिल्ली

(xiv) मैसर्स शिवदास एंड सन्स हौज काजी दिल्ली

(xv) मैसर्स रासी ट्रेडर्स सेलम

(xvi) मैसर्स पाइप्स हाउस, प्रताप नगर रोड, वडोदरा

(xvii) मैसर्स ट्यूब प्रोडक्ट इन्कारपोरेट, वड़ोदरा

(xviii) मैसर्स निमित्ता ट्रेडिंग, वासी, नवी मुम्बई

(xix) मैसर्स हैवी मेरल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड मेहसाणा गुजरात

(xx) मैसर्स रायगढ़ पलास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, खारघर, नवीं मुम्बई

(xxi) मैसर्स विभोर स्टील टयूब्स प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़ महाराष्ट्र

(xxii) मैसर्स बाम्बे हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई

(xxiii) मैसर्स आरआर रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, कल्याण स्ट्रीट मुम्बई

(xxiv) मैसर्स स्टील ट्यूब्स कंपनी, शंभू दास स्ट्रीट, चेन्नै

(xxv) मैसर्स श्री महावीर कंपनी, शंभू दास स्ट्रीट, चेन्नै

(xxvi) मैसर्स सालासार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, रानीगंज, सिकन्दराबाद

(xxvii) मैसर्स भूषण ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, मांजिद बंदर (पूर्व) मुम्बई

(xxviii)मैसर्स गजानन ट्यूब्स, कारनिक बंदर, मुम्बई

(xxix) मैसर्स ग्रतिक ट्यूब्स, अहमदाबाद, गुजरात

(xxx) मैसर्स महालक्ष्मी सीमलेस्स, गोरेगों,मुम्बई

(xxxi) मैसर्स एवरेस्ट कान्तो सिलिण्डर लिमिटेड, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई

(xxxii) मैसर्स सर्विका टयूबुलर कंसेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अल्वर पेट, चेन्नै

8. उनके द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दे अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए प्रस्तुतिकरणों के समान ही थे। उन पर उपयुक्त स्थानों पर तदनुसार विचार किया गया है।

9. जांच शुरुआत पश्चात निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण सार्वजनिक सुनवाई से पहले प्राप्त हुए:

क. चीन आयरन एंड स्टील कारपोरेशन (सीआईएसए)

i. विचाराधीन उत्पाद का दायरा बहुत व्यापक है। सीमलेस पाइप्स ट्यूब्स और लोहा या गैर अलाय स्टील (एसपीटीएच) के हालो प्रोफाइल्स एक एकल समान उत्पाद समूह नही है।

ii. याचिकाकर्ता कतिपय उत्पाद बनाने में अक्षम हैं या वे विचाराधीन उत्पाद के कतिपय ग्रेड बनाने के लिए भी सक्षम नहीं है।

iii. याचिकाकर्ताओं ने ओएनजीसी का (जो भारत में सीमलेस पाइप्स का सबसे बड़ा ग्राहक है) न तो कोई परीक्षण और विकास आर्डर लिया है और न ही ओएनजीसी द्वारा निकाली गई किसी निविदा पर बोली ही लगाई है।

iv. उच्च दाव सीमलेस स्टील सिलिन्डर्स बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टयूब्ज एवं पाइप्स का उत्पादन भारत में किया ही नहीं जाता है और यह कि भारत के प्रयोगकर्ता, अन्य के साथ-साथ, चीन से आयातों पर भरोसा करते है।

v. कोई भी भारतीय सीमलेस पाइपमिल मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (सीसीओई) या पेट्रोलियम विस्फोटक एवं सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से अनुमोदन प्राप्त करने में अभी तक सक्षम नहीं हुआ है जिससे यह संकेत मिलता है कि कोई भी भारतीय सीमलेस पाइप विनिर्माता हाई प्रेसर गैस सिलिण्डर के लिए उपयुक्त एसपीटी की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है।

vi. आवेदक क्राइटेरिया के अधिकांश अनुपात को पूरा नहीं करते हैं और इसके परिणामस्वरुप, जांच की यह शुरुआत एओएस के अनुच्छेद 4.1 (ग) का और सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 8ख (6) (ख) का उल्लंघन है।

vii. यह जांच शुरुआत नोटिस और घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका इस तथ्य के संबंध में बिल्कुल शांत है कि कुछ ''अप्रत्याशित परिस्थितियां'' मौजूद है।

viii. सीआईएसए ने डीएस 178 यूएल-लैम्ब से संबंधित डब्ल्यूटीओ विवाद पर भरोसा किया है जिसमें अपीलीय निकाय ने पाया कि 'अप्रत्याशित विकास' की मौजूदगी रक्षोपाय करारों के अनुच्छेद 3.1 के अंतर्गत तथ्य एवं विधि का एक संगत मुद्दा है।

ix. आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2012-13 में वृद्धि को आयातों में उद्रेक के रुप में नही माना जा सकता है।

x. ऐसा लगता है कि घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को समायोजन योजना का गोपनीय रुपान्तर प्रदान करा दिया है तथापि उसने समायोजन योजना का अगोपनीय पाठ इस संदर्भ के अंतर्गत उपलब्ध नहीं कराया है कि इसमें कारेबार के संवदनशील आंकड़े है।

xi. जब आयात जो वर्ष 2010-11 में 3,44,829 मी.टन में थे में वृद्धि होकर वर्ष 2011-12 में 425194 एमटी हो गए तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में 76 अनुक्रमित बिन्दुओं से वृद्धि होकर 102 अनुक्रमित बिन्दु हो गई जबकि जब आयात, जो वर्ष 2011-12 में 425194 एमटी थे घटकर वर्ष 2012-13 (दिसम्बर) में 280333 एमटी रह गए तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदायता 102 से घटकर 23 रह गयी। आयातों एवं घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

xii. घरेलू उद्योग के उत्पादन, आयात और बिक्री में नकारात्मक सह संबंध दृष्टिगोची है। आयात जो वर्ष 2010-11 में 344829 एमटी थे बढ़कर वर्ष 2011-12 में 425194 एमटी हो गए तो घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में 126 अनुक्रमित बिन्दुओं से सुधार होकर 142 अनुक्रमित बिन्दु हो गया और 118 अनुक्रमित बिन्दु से 120 अनुक्रमित बिन्दु हो गया। इसके अतिरिक्त जब आयातों में वर्ष 2011-12 के 425194 एमटी से घटकर 2012-13 (दिसम्बर) में 280333 एमटी हो गया तो भी घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में 126 अनुक्रमित बिन्दुओं से कम होकर 71 अनुक्रमित बिन्दु हो गया। स्पष्टत: कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है।

xiii. मैसर्स आई एसएमटी की वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट में सीआईएसए ने उल्लेख किया है कि इसके ट्यूब प्रभाग की क्षमता वित्त वर्ष 2009-2010 की (158000 टन की) क्षमता से बढ़कर अगले वर्ष 2010-11 में (465000 टन) हो गई। जबकि कंपनी के ट्यूब का उत्पादन लगभग स्थिर बना रहा। इससे इसका क्षमता उपयोग 85.9 प्रतिशत से घटकर 38.5 प्रतिशत हो गया।

ख. मैसर्स वेल्लोर्स एंड मन्नेसमान ट्यूब्स, फ्रांस

i. अपतटीय अनुप्रयोग (प्रोजेक्ट लाइन पाइप) के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्टील पाइप का जांच के दायरे से अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए क्योंकि भारत में इन पाइप्स का आयात केवल अस्थायी रुप से किया जा रहा है और इसका प्रयोग व्यापार रक्षा साधन के रुप में नहीं किया जाना चाहिए।

ii. भारतीय ग्राहक के विदेशी अर्हता प्राप्त प्रदायकों को आर्डर दे रहे हैं।

iii. वेल्लोर्स ने भारतीय उद्योग की न तो कीमतों में और न ही मात्रा में कोई कमी की है और यह कि रक्षोपाय का प्रयोग चीन की बेशी क्षमताओं और आयात को नियंत्रित करने का समुचित साधन नहीं है।

iv. वेल्लोर्स यूरोपियन स्टील ट्यूब एसोसिएशन द्वारा की गई टिप्पणियां पर भरोसा करता है।

ग. मैसर्स टयूबोस रियूनिडास इंडस्ट्रियल एसएलयू, स्पेन

i. स्पैनिश बाजार से आयातों का कुल हिस्सा 0.13 प्रतिशत से 1.14 प्रतिशत है और इसका पिछले चार वर्षों का औसत 0.53 प्रतिशत है। तथापि, स्पैनिश आपूर्ति के लिए भारतीय सीमाशुल्क के आंकड़ों में 3 अलग-अलग मिलों अर्थात टयूबोस रियूनिडास, प्रोडक्टर्स ट्यूब लाटेस, टयूआसेस और दायरे से बाहर (स्क्वेआर, प्रोफाइल) के आंकड़े शामिल हैं अत: प्यूबोस का उपर्युक्त स्तर से कम है।

ii. इस याचिका में विभिन्न प्रकार के ट्यूब्स एंड पाइप्स ओसीटीजी ट्यूब उत्पादन ट्यूबिंग तथा कई अन्य ओसीटीजी उत्पादों को शामिल किया गया है जो हमारे उतपादन कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते है।

iii. भारतीय पाइप एवं ट्यूब उद्योग की गंभीर क्षति की वास्तविक न्यायसंगतता ग्रेडवार आकारवार, उत्पादवार स्पष्टीकरण और पहचान उपलब्ध न होने तक नहीं की जा सकती है।

iv. वित्त वर्ष 2008 जून से सितम्बर आर्थिक रुप से पीक अवधि थी और संपूर्ण विश्व की गई अर्थव्यवस्थाएं उस समय अपनी क्षमता एवं बिक्री की चरम पर थी। वर्ष 2008 के मध्य में अर्थव्यवस्था की चरम स्थिति के कारण कई भारतीय

पाइप और ट्यूब उत्पादकों ने बाजार मांग के गलत आकलन के कारण अपनी क्षमता का पर्याप्त विस्तार कर लिया, जिसके कारण अंततोगत्वा सीमित मांग और अत्यधिक क्षमता की स्थिति उत्पन्न हो गई।

v. मांग कम होने से उनकी क्षमता का कम उपयोग हुआ। इसलिए स्पैनिस ट्यूब्ज एवं पाइप इंडस्ट्री ने भारतीय उत्पादकों को कोई गंभीर क्षति कारित नहीं की है।

vi. ट्यूबोस रियूनीडोस एक आधारभूत नीति के रुप में अपने उत्पाद की बिक्री घाटे पर या लागत कीमत से कम पर नहीं करता है क्योंकि टयूबोस रियूनिडोस को स्पैनिस सरकार या यूरोपियन यूनियन से कोई सहायता प्राप्त नहीं है।

vii. यदि समुद्रपारीय प्रदायकों ने लागत कीमत से कम कीमत उद्घृत की है और इससे उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई हो इससे अंतत: संपूर्ण उद्योग को गंभीर क्षति या अशेध्य ऋण की समस्या होती है जिससे उन्हें या तो अपना संयंत्र बंद करना पड़ता है या बिक्री बंद कर देनी पड़ती है या उत्पादन कम कर देना होता है या उन्हें प्रचलित बाजार कीमतों पर बिक्री करके घाटा उठाना पड़ता है परंतु ऐसा है नहीं

viii. मैसर्स आईएसएमटी लिमिटेड के 4 वर्षों में बिक्री कारोबार में वृद्धि हुई है। उन्होंने 4 वर्षों में अपनी ट्यूब्स डिवीजन की मात्रा में वृद्धि की है। वे उक्त 4 वर्षों की अवधि में लाभ के आंकड़े प्रदर्शित कर रहे है। यही हाल एमएसएल तथा अन्यों का है। यह सभी तथ्य और आंकड़ों भारत में पाइप्स एवं ट्यूब्स उद्योग को गंभीर क्षति के सिद्धांत के विरुद्ध है।

ix. टयूबोस रियूनिडोस स्पेन द्वारा स्पैनिश मूल की सामग्री की नगण्य प्रतिशत प्रदाय द्वारा भारतीय ट्यूब एवं पाइप उद्योग को किसी गंभीर क्षति का मामला नहीं है।

घ. मैसर्स मर्टेक्स यू.के. लिमिटेड, यू.के

i. रक्षोपाय साधन विशेष और आपवादिक परिस्थितियों में आपातकालीन कार्रवाई के रुप में अधिरोपित किया जाता है। याचिका या जांच शुरुआत करने का नोटिस ऐसे किसी आधार का प्रकटन नहीं कर पाया है जिससे विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना जरुरी हो गया हो।

ii. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान कराए गए आयात आंकड़ों के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में प्रतिवर्ष प्रतिशत वृद्धि 7.65 प्रतिशत, 20.14 प्रतिशत और 3.365 प्रतिशत है। वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 के आयातों में केवल 3.65 प्रतिशत की वृद्धि रजिस्टर हुई है। इसी तरह वित्त वर्ष 2010-11 के लिए आयात में वृद्धि वर्ष 2009-10 की तुलना में केवल 7.65 प्रतिशत थी।

iii. इस विचाराधीन उत्पादन के लिए वर्ष 2005-06 (140032 एमटी) 2006-07 (147638 एमटी), 2007-08 (132696 एमटी) और 2008-09 (262432एमटी), उसी समयावधि के साथ संयोजन के रुप में आयात आंकड़ों दर्शाते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद के आयात में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और यह नहीं कहा जा सकता है कि यह वृद्धि अचानक और अनपेक्षित है।

iv. इन्ही याचिकाकर्ताओं ने इस विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की मांग करते हुए दायर की गई याचिका में वित्त वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 के लिए अपनी याचिका में यह उल्लेख किया है कि चीन के अलावा अन्य देशों से आयात या तो न्यूनतम या उच्चतर कीमतों पर हैं। इसके परिणमस्वरुप पाटनरोधी महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने यह याचिका खारिज कर दी। इन्हीं याचिकाकर्ताओं द्वारा डीजीएडी के समक्ष की गई स्वीकृति/निवेदन के आलोक में यह समझ से बाहर है कि याचिकाकर्तागण इसके उत्तरवर्ती रुप से इस विचाराधी उत्पादन के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की मांग क्यों कर रहे हैं।

v. इस विचाराधीन उत्पाद की व्यापक परिभाषा की गई है जिससे कि इसमें वे उत्पाद भी शामिल हो सके जिनका विनिर्माण याचिकाकर्ताओं द्वारा नहीं किया जाता है।

vi. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने कुछ ग्रेडों का प्रस्ताव नहीं किया है क्योंकि वे उनका उत्पादन नहीं करते हैं और यदि उन्होंने प्रस्ताव किया भी हो तो वह भी प्रदाय के लिए कतिपय वास्तविक प्रस्तावों के आलवा केवल विकास आदेश के लिए प्रतीत होते है।

vii. ओएनजीसी द्वारा निकाली गई निविदाओं के लिए बोली करते समय भी याचिकाकर्ता निविदाकर्ताओं द्वारा यथानिर्धारित जरुरतों को पूरा नहीं कर पाया है।

viii. ओएनजीसी की अपेक्षाओं के अनुरुप ग्रेड प्रस्तुत करने में या याचिकाकर्ताओं की अक्षमता की स्थिति को रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के आधार के रुप में नहीं लिया जा सकता है जिसका बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के रुप में घातक प्रभाव पड़ेगा।

ix. सकारात्मक समायोजन योजना प्रदान नहीं कराई गई है और उसका गोपनीय के रुप में दावा किया गया है। सार्थक अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने का प्रयोजन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना और/या आंकड़ों उपलब्ध कराना/सूचित करना होता है जिससे कि वे याचिका में लगाए गए आरोपों और उसके समर्थन में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की बेहतर समझ बना सके ताकि उनका सार्थक तर्क प्रस्तुत कर सके।

x. याचिकाकर्ताओं ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों की सूची को बहुत कम कर दिया है।

xi. घरेलू बिक्री में वित्त वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए 100-106-112-96 तक वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2012-13 में बिक्री में गिरावट उक्त वित्त वर्ष में आयातों में गिरावट के अनुरुप है।

xii. याचिकाकर्ताओं के लिए मांग में बाजार हिस्सा वित्त वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में 47-46-43-38 के रुप में कमोबेश एक जैसा ही बना रहा।

xiii. बाजार हिस्से में हल्की सी गिरावट इस तथ्य के कारण आई कि विकासात्मक आदेश स्थापित किए जा रहे है और यह कि याचिकाकर्ता उप-स्टैण्डर्ड माल बना रहे हैं जो ओएनजीसी तथा अन्य जैसे निविदाकर्ताओं की जरुरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। याचिकाकर्ता पीयूसी के कतिपय ग्रेडों की मांग को पूरा करने में असमर्थ है और प्राकृतिक है कि आयात इस अंतराल को पूरा कर रहे है।

xiv. मालसूची का संग्रह इस तथ्य के कारण है कि विकासात्मक आदेश स्थापित किए जा रहे है और यह कि याचिकाकर्ता उप-स्टैण्डर्ड माल बना रहे हैं जो ओएनजीसी तथा अन्य जैसे निविदाकर्ताओं की जरुरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है।

xv. याचिकाकर्ताओं ने घरेलू बाजार में मांग से अधिक क्षमता संस्थापित कर ली है और इस तरह उनके द्वारा किए जा रहे निर्यात का विखंडन किया जा रहा है, इस तरह मालसूची संग्रह होना प्राकृतिक ही है।

xvi. याचिकाकर्ताओं का रोजगार वित्त वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए (3588-410-4380-4884) के अनुक्रम में बढ़ा है। नए कर्मचारियों की नियुक्ति करना इस तथ्य का संकेतक है कि याचिकाकर्ता का काम अच्छा चल रहा है।

xvii. महाराष्ट्र सीमा लेस लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन स्पष्ट करता है कि कंपनी को 341.66 करोड़ रुपये क फायदा हुआ है।

xviii. भारत को न्यून निर्यात कीमत के संबंध में निर्यात बिक्रियां भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली से की गई। समुद्रपारीय प्रदायक और घरेलू उत्पादक अपनी प्रक्रिया मुक्त प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली में निर्धारित करने के लिए स्वविवेक का प्रयोग नहीं करते हैं परतु प्रदायकों द्वारा मुक्त बाजार में अपनाई जा रही कीमत निर्धारण नीति का अनुपालन करते हैं।

xix. याचिका को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यह मामला रक्षोपाय शुल्क लगाने के बजाय पाटन के लिए किया जा रहा है।

xx. आईएसटीएम और एसएसएल की वार्षिक रिर्पोटे सुझाती है कि चीन से पाटन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है जिसके लिए याचिकाकर्ताओं के पास उपचार है।

xxi. याचिकाकर्ता की बिक्री में गिरावट का एक बड़ा कारण वैश्विक मंदी भी है जिसे आईएसटीएम ने अपनी 2009-10 की वार्षिक रिर्पोट में स्वीकार किया है।

xxii. यह कारण कि घरेलू उद्योग के दावे कथित क्षति के लिए उत्तरदायी है जो पाटनरोधी जांच के दायरे के अंतर्गत आते है।

xxiii. वर्ष 2000 से 2004 तक सीमलेस पाइप्स और ट्यूब्स पर पाटनरोधी शुल्क लगाया। घरेलू उद्योग ने उस अवधि के लिए कृत्रिम संरक्षण अपनाया और वे अपनी उत्पाद श्रृंखला का विस्तार करने में अक्षम रहे क्योंकि उन्हें प्रतिस्पर्धा होने के कारण आदेश आसानी से मिल रहे थे।

xxiv. याचिकाकर्ताओं को हुई क्षति घरेलू उद्योग की खुद की कीमत प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है।

xxv. यह आरोप कि याचिकाकर्ता विदेशी विनिर्माताओं/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की जा रही कीमतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है सही नही है क्योंकि यह एक परम्परा रही है कि जिंदल रुप ने एमएसएल या आईएसएमटी द्वारा उद्धृत कीमतों से कम करके ही कीमतें प्रस्तुत की है।

xxvi. हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा ओएनजीसी जैसी तेल एवं गैस कंपनियों को सीमलेस पाइप्स एवं टयूब्स आयात करने की अनुमति है जिस पर विशिष्ट क्षेत्र में आयात करने पर 'शून्य' सीमा शुल्क लगता है।

xxvii. यदि ओएनजीसी तथा अन्य तेल एवं गैस अन्वेषण कंपनियों द्वारा आयातित टयूब्स एवं पाइप्स पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो इसका प्रभाव यह होगा कि अंतिम प्रयोक्ता की लागत पर प्रभाव पड़ेगा और इन उत्पादों की कमी हो जाएगी।

xxviii. चूंकि गैस और तेल अन्वेषन कंपनियाँ लोगों की जरूरतों को व्यापक रूप से पूरा कर रहीं हैं, अतः रक्षोपाय शुल्क का आरोपण जनहित के विरुद्ध होगा।

ड. मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोलकाता

i. कंपनी बियरिंग्स की एक घरेलू विनिर्माता तथा सीमलेस ट्यूब्स की (114.03 एमएम ब्यास तक) आयातक है।

ii. कंपनी एसएई 52100, एसएई 8720 और एसयूजे3 बियरिंग ग्रेड अलाय स्टील टयूब्स का आायत करती है या बाल एवं रेालर बाल वियरिंग का विनिर्माण करती है।

iii. जांच की शुरु इस उत्पाद की व्यापक परिभाषा पर है और जांच का दायरा केवल उन उत्पादों तक सीमित होना चाहिए जो आवेदनकर्ताओं से संबंधित है।

iv. एसएई 52100, एसएई 8720 और एसयूजे 3 बियरिंग ग्रेड एसपीटी, जिनका इस समय एनईआइएल द्वारा आयात किया जा रहा है नानएपीआई ग्रेड के है और वे वर्तमान जांच के दायरे से अलग है और इसलिए नान एपीआई होने के कारण यदि उसे वर्तमान जांच से बाहर निकाल दिया जाता है तो यह कंपनी वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार नहीं रहेगा।

v. आवेदन में सभी तरह के एसपीटी को एक इकलौती मद के रुप में समूहबद्ध किया गया है। बियरिंग टयूब्स अन्य अनुप्रयोगों के लिए एसपीटी के समान वस्तु नहीं है। ओसीटीजी ट्यूब्स का प्रयोग बियरिंग ट्यूब्स के रुप में नहीं किया जा सकता है।

vi. बियरिंग ट्यूब्स अधिक महंगे हैं। यदि यह मानइ भी लिया जाए कि बियरिंग टयूब्स और ओसीटीजी/बायलर ट्यूब्स की एक समान रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म् होते हैं तो भी बियरिंग टयूब्स की लागत जांचाधीन ट्यूब्स की औसत लागत से काफी अधिक होगी और इसलिए यह ट्यूब ओसीटीजी/बायलर ट्यूब्स के साथ प्रतिस्थापनीय नहीं है।

vii. मैसर्स जिंदल सा केवल ओसीटीजी के लिए एक हितबद्ध पक्षकार है। यह बियरिंग ट्यूब्स के लिए घरेलू विनिर्माता नहीं है।

viii. मैसर्स आईएसएमटी कई ग्रेडों में सीमलेस ट्यूब का विनिर्माण करती है एपीआई 5 एल ग्रेड वी/x42/ x46/ x52/ x65/ x70, एनएसीई एमआर 01-75, एसएलआर/ डीआरएल/ ईएल, एएसटीएमए106 ग्रेड/ए/बी/सी आदि।

ix. यद्यपि मैसर्स एमएलएल एसएईग्रेड 52100 का उत्पादन करता है, तथापि यह बियरिंग ट्यूब्स का ज्ञात प्रदायक नहीं है।

x. मैसर्स जिंदल सा और मैसर्स एमएसएल के ग्राहक आयल एवं गैस ढांचे, सिविल कन्स्ट्रक्शन, जल उपयोगिता और इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं और बियरिंग इंडस्ट्री से उनका कोई ग्राहक नहीं है।

xi. एमएसएमई विकास संस्थान द्वारा बियरिंग उद्योग के संबंध में तैयार की गई प्रौद्योगिकी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत में बियरिंग का कोई बड़ा विनिर्माता मैसर्स जिंदल सा के ग्राहकों की सूची में नहीं है उसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बियरिंग ट्यूब्स का घरेलू प्रदायक केवल आई एसएमटी है।

xii. दो आवेदकों एवं एक समर्थनकर्ता में से केवल एक आवेदक ही बियरिंग ट्यूब्स का विनिर्माण करता है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह आवेदनपत्र बियरिंग ट्यूब्स के घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई है।

xiii. कंपनी ने प्राधिकारियों को संस्थापित क्षमता के संबंध में भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

xiv. नोटिस के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान एसपीटी का घरेलू उत्पादन 318968 एमटी था एसपीटी के रिपोर्ट किए उत्पादन आंकड़ों, जिनका निर्धारण (घरेलू और निर्यात दोनो) बिक्रियों के आधार पर किया गया है।

xv. नोटिस की सूचना व्यक्त करती है कि आयातों की मात्रा में समग्र रुप से वर्ष 2012-13 में कमी आई।

xvi. मैसर्स आईएसएमटी एसएई 52100 बियरिंग ग्रेड एसपीटी का एक मात्र घरेलू विनिर्माता है।

xvii. बियरिंग ग्रेड एसएई 52100 के आयात की मात्रा उस मात्रा से नगण्य है जिस पर आवेदकों ने रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

xviii. आईएसएमटी का एसपीटी सेगमेट वर्ष 2011-12 सहित पिछले तीन वर्षों से फायदे में रहा है। संस्थापित क्षमता में भारी वृद्धि से कंपनी की लागभ प्रदायकता घटी नही है।

xix. कुल बिक्रियों के प्रतिशत के रुप में निर्यात में वृद्धि हुई है। यह विनिर्माता उन विदेशी बाजारों से आयात करने में सक्षम रहे जहां से भारतीय निर्यात किए जा रहे थे, वही अब घरेलू बाजार में संरक्षण की मांग कर रहे हैं।

xx. दोनों ही आवेदक अपतटीय बिक्रेताओं भारी मात्रा में कच्चे माल का आयात किया है। जांच अवधि के दौरान वोलैटाइल फोरेक्स माहौल के कारण दोनों आवेदकों की कीमतों में वृद्धि का नुकसान हुआ है।

xxi. चूंकि पाइप एवं सीमलेस ट्यूब्स इंडस्ट्री ऊर्जा उन्मुखी उद्योग है इससे ऊर्जा लगात में वृद्धि ने भी इस पर प्रभाव डाला है।

xxii. लागत में वृद्धि की तुलना बिक्री में वृद्धि से करने पर यह स्पष्ट करेगी कि निवल बिक्री में वित्त वर्ष 2010-11 और वित्त वर्ष 2011-12 में 16.45 प्रतिशत वृद्धि हुई वही ऊर्जा लागत में 22.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

xxiii. दोनों आवेदकों ने अपनी वित्त वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट में इंगित किया है कि उन्होंने पूंजी आस्तियों में भारी धन निवेश किया है। इसका वित्तीय लागत पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।

xxiv. शिकायतकर्ताओं की लाभप्रदायकता में गिरावट का संबंध आयात की बढ़ती प्रमात्रा से नहीं है परंतु क्षमता में भारी वृद्धि के कारण हुआ है जिसके कारण उच्चतर अवक्षयण और वित्तीय प्रभार एवं ईधन लागत में वृद्धि हुई है।

च. डालमाइन एसपीए, इटली

i. सीमलेस ट्यूब की भारतीय बाजार में उच्च गुणवत्तायोग्य उत्पादों के कारण कई वर्षों से मौजूद है।

ii. बाजार में मुख्य समस्या चीन के सीमलेस ट्यूब निर्यातकों से उत्पन्न हुई जिन्होंने कम कीमतों में बिक्री में भारी वृद्धि की है।

iii. चीन के सीमलेस ट्यूब्स के निर्यातक अनन्य रुप से भारत में स्टाक होल्डरों को बेंचते है जिससे कीमत का सामान्य स्तर काफी प्रभावित हुआ है।

iv. पिछले तीन वर्षों में डालामाइन एसपीए ने अपने उत्पाद की भारत में बिक्री 7000 टन से घटाकर 2900 टन कर दील जिससे इसमें 59 प्रतिशत कमी आई।

v. भारतीय सीमलेस ट्यूब्स उत्पादक उनके द्वारा प्रदत्त उच्च क्वालिटी के हाइड्रोलिक सिलिन्डर्स का अपेक्षित गुणवत्ता स्तर की गारंटी देने में अभी भी सक्षम नहीं हैं

vi. बिक्री की प्रवृत्ति बाजार की स्थिति से जुड़ी होती है और पिछले वर्ष बिक्री में आई गिरावट मांग में कमी के कारण आई है।

vii. बायलर सेक्टर में डालमिन एसपीए ने भारतीय सीमलेस ट्यूब्स इंडस्ट्री को कोई क्षति नहीं पहुचाई परंतु उसे तो चीन के आयतातों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।

viii. सभी निर्यातक देशों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के बजाय चीन के आयतों पर भारी पाटनरोधी कार्रवाई करके प्रतिबंध लगाना चाहिए।

छ. निप्पन स्टील एंड सुमिटोमो मेटल कार्प, जापान (ख) जेएफई स्टील कार्प, जापान (ग) सैन्यो स्पेशल स्टील कंपनी, जापान

i. जांच शुरुआत अधिसूचना या घरेलू उद्योग की याचिका किसी में भी उन अनपेक्षित परिस्थितियों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है जिनके कारण आयातों में इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि हुई हो जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर सके या क्षतिकारित करने की चुनौती उत्पन्न कर सके।

ii. ऐसी समायोजन योजना का अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को टिप्पणी हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है।

iii. कुछ विचाराधीन उत्पाद जैसे क्रेन ट्यूब, यांत्रिक ट्यूब, नीलल रोलर बियरिंग के लिए, और यांत्रिक ट्यूब (बीयरिंग ट्यूब के लिए) का विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है। यदि किसी उत्पादन का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है तो वह विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं हो सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग उस उत्पाद पर क्षति का दावा नहीं कर सकता है जिसका वह उत्पादन नहीं करता है।

iv. इनमें से कुछ उत्पाद जिनका प्रयोग अत्यधिक प्रौद्योगिकीय सेक्टर में किया जाता है जैसे आटोमोटिव उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले एनआरबी ट्यूब, विद्युत संयंत्रों में प्रयोग किए जाने वाले बायलर ट्यूब्स और तेल एवं गैस का परिवहन करने के लिए लाइन पाइप ने इन उत्पादों की खरीद भारतीय विनिर्माताओं से करने का अनुमोदन नहीं दिया है और जापान से निर्यात सहित केवल विदेशी विनिर्माताओं को ही अनुमोदन दिया है।

v. आयातों में कोई अचानक तीव्र एवं भारी वृद्धि नहीं हुई है।

vi. आवेदकों की बिक्री वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2012-13 में बढ़ी है जबकि समर्थनकर्ता कंपनी की बिक्री में कुछ गिरावट आई है।

vii. आवेदनकर्ता की बिक्री में वृद्धि तथा समर्थनकर्ता की बिक्री में कमी स्पष्टत: दर्शाती है कि बिक्री में किसी भी कमी के लिए आयातों में वद्धि को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि आवेदक एवं समर्थक दोनो ही एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे है।

viii. आयात कीमतों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार पीओआई में आयात कीमतों में 11 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

ix. आवेदको के बाजार हिस्से में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में 0.87 प्रतिशत की मामूली सी गिरावट आई है जिसे आवेदक को गंभीर क्षति नहीं कहा जा सकता है।

x. आयातों में समग्र रुप से गिरावट आई है और संगत रुप से इसमें केवल 1 प्रतिशत मामूली सी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों की घरेलू बिक्री में वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2012-13 में घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। आवेदको के बाजार हिस्से में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में 0.87 प्रतिशत की मामूली सी गिरावट आई है जिसे आवेदक को गंभीर क्षति नहीं कहा जा सकता है।

xi. डीआई ने ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि निविदाओं में घाटा संवर्धित आयातों के कारण हुआ। इसके अतिरिक्त डीआई ने विदेशी उत्पादकों की भारी क्षमता में संदर्भ में भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।

ज. यूरोपियन कमीशन

i. आयोग ने आवेदन तथा जांच शुरुआत नोटिस में आयात, बिक्रियों उत्पादन और क्षमता के संदर्भ में कुछ विसंगतियां नोट की है।

ii. आयातो में वित्त वर्ष 2011-12 में कुछ वृद्धि परंतु उत्तरवर्ती अवधि में कमी आई।

iii. रक्षोपाय साधन केवल तभी अपनाया जा सकता है जब अन्य घटकों के साथ-साथ आयातों में यकायक, अभिनव एवं तीव्र वृद्धि हुई हो।

iv. आयातों में वृद्धि के लिए केवल एक देश अर्थात चीन को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। शिकायत का खंड-3 जो सम्वर्धित आयात कारित करने वाले कारकों से सम्बंधित है में भी अनन्यत: चीन से निर्यातों का ही उल्लेख किया गया है।

v. ऐसा कोई संकेत नहीं है कि घरेलू उद्योग को कोई ऐसी क्षति हो रही है जिसे गंभीर कहा जा सकता हो। विचार किए गए समग्र अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में केवल 5 प्रतिशत की कमी आई जिसके कारण उसके बाजार हिस्से में नकारात्मक रुप से 3 प्रतिशत की क्षति हुई, उत्पादन में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई, रोजगार में 10 प्रतिशत की वृद्धि और उत्पादकता में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

vi. भारत में रक्षोपाय जांच शुरु करने का निश्चय किया जिससे इस उपाय का उपयोग उद्गम के सभी देशों के विरुद्ध किया जा सकता है जबकि समस्या के स्रोत को केवल आयात के एक स्रोत के रुप में पहचाना गया है।

vii. क्षमता उपयोग में कमी इस कारण आई वर्ष 2010-11 में संस्थापित क्षमता 375000एमटी से लगभग दो गुनी बढ़कर 685000 एमटी हो गई।

viii. संस्थापित क्षमता वास्तव में भारतीय बाजार में कुल मांग के स्तर से अधिक है।

ix. भारी निवेश के बावजूद घरेलू उद्योग अपना लाभ वर्ष 2011-12 में 25 प्रतिशत तक बढ़ाने में सक्षम हो गया और यह तब घटित हुआ जब आयातों में वृद्धि हुई। उत्तरवर्ती अवधि में लाभप्रदायकता में भारी कमी आई। परंतु उसी अवधि के दौरान आयातों में कमी आई।

x. आंकड़ों से सुझाव मिलता है कि यदि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही थी तो वह आयातों के अलावा किसी अन्य कारण से हुई होगी।

xi. न्यून क्षमता उपयोग दर दो कारणों के संयोजन से हुई अर्थात क्षमता में अधिकता और मांग में गिरावट, न कि आयातों से।

xii. यदि उत्पादन क्षमता वर्ष 2009-10 के स्तर पर स्थिर बनी रहती (375000 एमटी) तो वर्ष 2012-13 में उपयोग दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई होती।

xiii. आयातों में अभिनव अवधि में गिरावट आई है। गंभीर क्षति का कोई संकेत नहीं है और यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग स्वयं उद्योग द्वारा सृजित की गई भारी क्षमता से प्रभावित हुआ है और मांग में कमी आई है।

झ. मैसर्स रत्नदीप मैटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड

(i) एसएमई सेक्टर में सीमलेस कोल्ड ड्रान कार्बन स्टील/अलाय स्टील ट्यूब्स का विनिर्माता

(ii) उनका उत्पाद आकार 6एमएम ओडी से 168 ओडी है।

(iii) उनके आकार के लिए याचिकाकर्ता से प्रदाय पूरी तरह से अनिश्चित है ।

(iv) यदि 42 एमएमओडी से कम के आयात पर रक्षोपाय शुल्क पर विचार किया जाता है तो उस प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति पूरी तरह से रुक जायेगी जिससे क्षति और उसकी चुनौती उत्पन्न होगी।

(v) यदि वे कच्चे माल के लिए भारतीय स्रोत (आईएसएमटी, जिंदल सा और एमएसएल) पर निर्भर होते है तो उच्च प्रदाय समय के कारण उनकी मालसूची में भारी वृद्धि होगी।

(vi) आवेदन में विहित सभी एचएस कोडों में 42एमएम ओडी से कम सभी आकार को जांच की परिधि से हटा दिया जाना चाहिए।

झ. यूरोपियन ट्यूब्स स्टील एसोसिएशन (ईएसटीए)

(i) ईयू में उद्भवित आयात को याचिका में उल्लिखित क्षति के लिए प्रासंगिक रुप से नहीं माना जा सकता है।

(ii) ईयू से आयातों में पिछले वर्ष वृद्धि हुई थी तथापि यह बढ़ोतरी अपतटीय पाइप लाइनों के लिए प्रदत्त स्टील पाइप, वह उत्पाद जिसका आदेश योग्य विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को ही दिया जाता है, के कारण हुई।

(iii) जिस उत्पाद का आर्डर ओएनजी द्वारा योग्य विदेशी प्रदायकों को दिया जाता है उसको पीयूसी से हटा दिया जाना चाहिए।

(iv) ईयू से आयात घरेलू कीमतों का अधोरदन नहीं कर रहे है।

(v) चीन घरेलू कीमतों का अधोरदन कर रहा है। ईयू के आयात कीमतें बाजार में अन्य सभी निर्यातकों से ज्यादा है।

(vi) ईयू के निर्यात कीमतों की पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते है क्योंकि अधोरदन मार्जिन बिल्कुल नहीं है। भारतीय उत्पादकों को अपनी लागत बचाने या कारोबार/परियोजना को हुए घाटे को दूर करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने में दिक्कतों को ईयू आयातो के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जो मुख्यत: बाजार में भारी कीमतो के कारण हो रही है।

(vii) याचिका के अनुबंध-12 में खोयी हुई निविदाओं में केवल चीन के प्रतिस्पधियों और आयातों का ही उल्लेख है।

(viii) सामान्यत: अभितटीय योग्य के लिए प्रदान की गई वस्तु व्यापार रक्षा यंत्र के अध्यधीन नहीं होती।

(ix) अभितटीय अनुप्रयोग पाइप जिनका आदेश ओएनजीसी द्वारा दिया जाता है केवल विदेशी योग्यता प्राप्त पाइप होते है।

ट. आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड

(i) घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त टयूब्स की गुणवत्ता की गंभीर समस्या है।

(ii) भारत के किसी भी विनिर्माता को उच्च अलाय स्टील जैसे एसए 213, टी 91/92, एसए 213 टी 92 और पी 92 एसए 213 टी 13 एसए 213 टी पी 347 एच का विनिर्माण करने का अनुभव नहीं है इसलिए अलाय स्टील टयूब्स को इस जांच से हटा दिया जाना चाहिए।

(iii) भारतीय विनिर्माता भारी बोर और मोटाई के पाइप बनाने में अक्षम है।

(iv) भारत में विनिर्मित टयूब्स और पाइप्स के आकार में भारी अंतर है जो उनके संघटकों का विनिर्माण करने में भारी समस्या सृजित करता है।

(v) संविदाकृत प्रदाय तारीख के बाद प्रदाय में विलम्ब हुआ है जो यदि घरेलू उद्योग के पास आर्डर की कमी होती तो नहीं हुआ होता।

ठ. ईईपीसी इंडिया (इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद)

उनके सदस्यों में एक मैसर्स एवरेस्ट कैटो सिलेण्डर लिमिटेड ने सूचित किया है कि वे ऐसे सीमलेस पाइप्स और टयूब्स का आयात करते है जो सामान्य स्टील टयूब्स से बिल्कुल अलग होता है। यह श्रेणी भारत में उपलब्ध नहीं होती है। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ने इस जांच में ऐसे ढंग से समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है जिससे उच्च दाव वाले सीमलेस गैस सिलेण्डरों के विनिर्माताओं के लिए उपयोक्ता उद्योग को बाधा न पहुंचे।

ड. मैसर्स टीएमके रुस

(i) इस याचिका में वर्ष 2009 से पहले की बाजार परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं किया गया है और इसलिए डीजी रक्षोपाय भारतीय उद्योग के बढ़ते हुए आयातों के संबंध में आरोप की पर्याप्त एवं उद्देश्यपरक जांच नहीं कर सकते है।

(ii) याचिकाकर्ताओं ने यह दर्शाते हुए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात अनपेक्षित विकास के कारण इतनी अधिक मात्रा में किया गया कि उससे घरेलू उद्योग को क्षति/गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गयी है।

(iii) वर्तमान कार्रवाई में याचिकाकर्ता गंभीर क्षति सहन नहीं कर रहे है और न ही कथित आयातों में वृद्धि से क्षति की कोई चुनौती उत्पन्न हो रही है।

(iv) याचिकाकर्ताओं की वर्ष 2009-13 की अवधि का विकल्प पक्षपात पूर्ण है और इसका चयन एक विशिष्ट परिणाम दर्शाने के लिए किया गया है। इस कारण जांच की प्रस्तावित अवधि के दौरान रक्षोपाय का अधिरोपण करने के लिए कारको एवं स्थितियों का विश्लेषण, जिसमें यह उल्लेख हो की आयातों में वृद्धि हुई या नहीं, कोई उद्देश्य नहीं हो

सकता क्योंकि इसमें उस अवधि और खास कर वर्ष 2008-09 के वैश्विक आर्थिक संकट की अवधि की नाजुक परिस्थितियों की अनदेखी की गई है।

(v) याचिकाकर्ताओं ने यह दर्शाते हुए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात समग्र रुप से इतनी अधिक मात्रा में किया गया कि उससे अचानक भारी एवं तीव्र वृद्धि हुई हो।

(vi) घरेलू उद्योग की उत्पादन मात्रा में संदर्भ अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

(vii) भारी सफल निर्यात निष्पादन करने वाला उद्योग ना कि गंभीर क्षति से पीड़ित उद्योग।

(viii) वर्ष 2009-10 और 2010-11 में क्षमता में भारी वृद्धि हुई । ऐसे परिवर्तन के लिए अर्थात एक ऐसा परिवर्तन जिसमें क्षमता लगभग दो गुनी बढ़ गई हो, लागत में भारी वृद्धि होना अनिवार्य है और उसका उद्योग के क्षति संकेतकों पर हमेशा भारी प्रभाव पड़ता है।

(ix) संदर्भ अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बिक्री मात्रा में भारी वृद्धि हुई। बिक्री मात्रा में यह भारी वृद्धि नहीं हो सकती है जबकि तक की घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती हो रही हो।

(x) संदर्भ अवधि के दौरान रोजगार और वेतन के स्तर में कोई भारी परिवर्तन नहीं आई।

(xi) संदर्भ अवधि के दौरान वर्ष दर वर्ष आधार पर कार्यबल संख्या और वेतन में भारी वृद्धि हुई है। अगर उद्योग को गंभीर क्षति अथवा क्षति की चुनौती हुई होती तो याचिकाकर्ता रोजगार में वृद्धि नहीं करती।

(xii) याचिकाकर्ता और घरेलू उद्योग दोनों ने अपनी संस्थापित क्षमता वर्ष 2010-11 में लगभग दोगुनी कर ली जिसके कारण स्टॉक का ढेर हो गया।

(xiii) लाभप्रदायकता में गिरावट के संबंध में उद्योग की लाभप्रदायकता का उद्देश्य परक आकलन उस उद्योग के व्यवसाय निर्णयों की अनदेखी नहीं कर सकता है विशेष रुप से तब जब उत्पादन क्षमता दुगुना करने से उद्योग की नियत लागत अनिवार्यत: प्रभावित होती हो।

(xiv) याचिकाकर्ता और गंभीर क्षति सहन कर रहा या गंभीर क्षति की चुनौती सहन कर रहा उद्योग संदर्भ अवधि के दौरान अपनी संस्थापित क्षमता में वृद्धि नहीं करते।

(xv) याचिकाकर्ताओं ने यह असत्य ही कहा है कि आयात की कीमतों में वृद्धि इनपुट की कीमतों में बढ़ोतरी के अनुपात नहीं हुई। इसके विपरीत इस विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों में वर्ष 2011-12 में वर्ष 2010-11 की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। याचिका में उत्पाद में आयातों के कारण कीमत निग्रहन/अवमंदन का कोई विश्वसनिय साक्ष्य नहीं है।

(xvi) यह स्पष्ट नहीं है कि उत्पादन क्षमता में अन्यत्र वृद्धि से भारतीय उद्योग को गंभीर क्षति उन परिस्थितियों में कैसे हुई जब भारतीय उद्योग स्वयं घरेलू बाजार में मांग में वृद्धि के कारण अपनी क्षमता में वृद्धि कर रहा हो । इन दोनों के बीच संबंध भारतीय बाजार में चीन की भारी उपस्थिति और भारत की चीन से भौगोलिक निकटता को ध्यान में रखते हुए संदेहास्पद हो जाती है।

(xvii) विश्व इस्पात बाजार में कतिपय स्तर की स्थिरिता रहती है। यदि बाजार की अस्थिरिता चिंता का मुद्दा होता तो भारतीय उद्योग अपनी लागत में वृद्धि करने, जैसे क्षमता में 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने के बजाय अपना भंडार घटाने और उत्पादकों की समग्र क्षमता में सुधार करने का प्रयास करता।

(xviii) क्षमता में वृद्धि करने से भारतीय उद्योग की नियत लागत में अपने आप ही वृद्धि हो गयी और इससे लाभप्रदायकता में कमी आयी और निवेश पर अल्प अर्जन हुआ।

(xix) यदि भारतीय उद्योग ने संदर्भ अवधि के दौरान 100 के शुरुआती क्षमता स्तर पर अपनी क्षमता अनुरक्षित रखी होती तो उसे क्षति के किसी भी देशनांक से क्षति कारक ने उसपर विपरीत प्रभाव नहीं डाला होता जो इस समय बढ़ते हुए आयातो के लिए दोषी ठहराया जाता है।

(xx) विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों में वर्ष 2009-10 में चीन के आयातों का हिस्सा

51 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2010-11 में यह हिस्सा बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया। अगले वर्ष चीन के आयातों का हिस्सा बढ़कर 61 प्रतिशत हो गया। सभी आयातों की तुलना में चीन के आयातों की कीमतों में गिरावट आयी है और औसत रुप से चीन की कीमतें प्रति टन आधार पर 1000 अमरीकी डालर से कम है। याचिकाकर्ता के लिए समस्या का सबसे प्रमुख कारण भारतीय बाजार में चीन से सीमलेस पाइप्स और टयूब्स का आयात मौजूद होना है।

(xxi) अनुबंध-10 के क्षति विवरण में आकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय उद्योग को संदर्भ अवधि के दौरान आयातों से क्षति नहीं हुई है याचिकाकर्ता इस तथ्य को ध्यान में रखने में असमर्थ रहे कि घरेलू उद्योग ने संदर्भ अवधि की शुरुआत में ही अपने उत्पादन को दोगुना कर दिया जिससे उद्योग की उत्पादकता, बाजार हिस्सा, वेतन और पारिश्रमिक में वृद्धि हो गयी।

(xxii) संदर्भ अवधि के दौरान गिरावट का कोई पहलू उसी अवधि के दौरान समग्र स्थितियों से असंगत प्रतीत होता है जिससे यह संकेत मिलता है कि यह सब केवल क्षमता में वृद्धि और इस कारण नियत लागत में वृद्धि की बजह से हुआ है। अत: भारतीय घरेलू बाजार को गंभीर क्षति की कोई चुनौती नहीं है।

(xxiii) विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने से भारतीय प्रयोगकर्ता उद्योग, इन उत्पादों के अभारतीय उत्पादकों के लाभ के लिए अधोगामी उत्पादों के उत्पादक नाट्कीय रुप से प्रभावित होते जिससे परिशकृत उत्पादों के आयातिकरण से भारतीय उपयोगकर्ता उद्योग के बीच लागत प्रभावकारिता और प्रतिस्पर्धात्मकता का प्रशमन हुआ होता।

ढ. सिलकोटव एसए, रोमानियां

(i) सिलकोटव ने जांच की अवधि के दौरान भारी मात्रा (भारत में कुल आयातों का 3 प्रतिशत से कम) का निर्यात नहीं किया है।

(ii) भारतीय आयातों में रोमानियां का हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है इसलिए एक विकासशील देश होने के नाते इसपर रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

ण. तमशा मैक्सिकों

(i) तमशा ने जांच की अवधि के दौरान भारी मात्रा (भारत में कुल आयातों का 3 प्रतिशत से कम) का निर्यात नहीं किया है।

(ii) भारतीय आयातों में मैक्सिकों का हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है इसलिए एक विकासशील देश होने के नाते इसपर रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

त. सिडेरका (टेनारिस एस ए) अर्जेंटिना

(i) सिडेरका ने जांच की अवधि के दौरान भारी मात्रा (भारत में कुल आयातों का 3 प्रतिशत से कम) का निर्यात नहीं किया है।

(ii) भारतीय आयातों में अर्जेंटिना का हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है इसलिए एक विकासशील देश होने के नाते इसपर रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

थ. टिमकेन, यूएसए

(i) बिक्रियां बियरिंग कंपनियों और ऑटोमोटिव और ट्रक, फोरजिंग, संनिर्माण उपकरण औद्योगिक उपकरण, एयर क्राफ्ट और तेल एवं गैस खुदाई उद्योग तथा स्टील सेवा केन्द्रों को की जाती है।

(ii) टिमकेन के पास भारत में सीमलेस टयूब्स के लिए इस समय कोई आर्डर नहीं है। तथापि वे बीईएमएल तथा भारत में अन्य ग्राहकों को, घरेलू स्टील उद्योग द्वारा उत्पादित न किये जाने वाले सीमलेस टयूबलर को अपनी सेवाएं जारी रखेगे।

द. मैसर्स ओएनजीसी लिमिटेड

(i) ओएनजीसी हाइड्रो कार्बन्स का अन्वेषण एवं खोज करने में लगा हुआ है। इसका उद्देश्य है कि देश की ऊर्जा आवश्यकता को सुरक्षित बनाया जाए।

(ii) अपनी प्रचालनात्मक जरुरतों को पूरा करने के लिए ओएनजीसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए सीमलेस पाइप्स और टयूब्स का अधिप्रापण करता है क्योंकि घरेलू रुप से आपूर्ति के सीमित संसाधन उपलब्ध है।

(iii) यह सच नहीं है कि सीमलेस लाइन पाइप्स और टयूब्स के भारतीय विनिर्माता बोली लगाने के योग्य नहीं होते क्योंकि वे ओएनजीसी द्वारा निर्धारित जरुरतों को पूरा नहीं करते और यह कि ओएनजीसी केवल विदेशी उच्च कोटि के प्रदायकों से ही उच्च ग्रेड के सीमलेस पाइप्स और टयूब्स की खरीद करता है।

(iv) ओएनजीसी अपने सीमलेस लाइन पाइपों और टयूबों की खरीद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली से करता है और घरेलू तथा विदेशी बोलीकर्ताओं पर प्रतिबंध नहीं है। ओएनजीसी द्वारा निकाले गये लगभग सभी निविदाओं में कुछ न कुछ घरेलू बोली दाता सफल अवश्य होते है। इन बोलीकर्ताओं को टीए/सीए के रुप में सूचीबद्ध किया जाता है अत: देय कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता के कारण निविदा प्राप्त नहीं कर पाते है। अत: घरेलू उद्योग के दावे में कोई दम नहीं है।

(v) कई बार घरेलू बोली दाता किसी मद या ओएनजीसी की निविदा के किसी समूह की संपूर्ण मात्रा के लिए बोली नहीं लगाते है और उनका मूल्यांकन तथा उनपर विचार केवल कुछ विशिष्टि मदों/समूहों जिसके लिए उन्होंने बोली लगाई है, हेतु ही किया जाता है। ओएनजीसी की जरुरतों या सभी मदों/समूहों के लिए बोली ना लगाने का कारण तो घरेलू उद्योग ही बेहतर जानता होगा परंतु निश्चित रुप से यह ओएनजीसी द्वारा अधिरोपित किसी प्रतिबंध के कारण नहीं होता है।

(vi) पात्र पेट्रोलियम अनुवेषण लाइसेंस/खनन पट्टा (पीईएल/एमएल) क्षेत्रों के अंतर्गत प्रयोग के लिए आयातित वस्तु पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार शून्य सीमाशुल्क लगता है।

(vii) सीमलेस पाइप और टयूब्स पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से उनकी निविदाओं पर वित्तीय प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ओएनजीसी की निविदाओं में विदेशी बोलीदाताओं द्वारा प्रतिभागिता काफी कम हो जाएगी और कुछ मामलों में ओएनजीसी घरेलू बोलीदाताओं द्वारा उदधृत की गई कीमतों की तुलना विदेशी बोलीदाताओं की कीमत से करने में असमर्थ रहेगा।

(viii) सीमलेस पाइपों और टयूब पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से ओएनजीसी पर अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ेगा जिससे ओएनजीसी प्रचालनों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।

ध. जापान का राजदूतावास, नई दिल्ली

यदि सीमलेस पाइपों और टयूब के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो भारतीय एवं जापानी विनिर्माता उद्योग जो अपनी प्रक्रियाओं में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का प्रयोग करते है, पर भारी मात्रा में विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

न. मैक्सिको का राजदूतावास

यह अनुरोध किया गया था कि भारत को सीमलेस पाइपों और टयूबों तथा लोहा एवं गैर अलाय स्टील के हालो प्रोफाइल्स के मैक्सिकन निर्यातों पर रक्षोपाय का अनुप्रयोग अपवर्जित कर दिया जाए क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के मैक्सिको से आयात विश्व व्यापार संगठन के रक्षोपाय करार के अनुच्छेद-9.1 के अनुसार भारत को कुल आयातों का 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

प. अर्थव्यवस्था मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात

इसने यह निर्धारित करने का अनुरोध किया है कि क्या संयुक्त अरब अमीरात से भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात रक्षोपाय करार के अनुच्छेद-9.1 निर्धारित स्तर से कम है या अधिक है।

फ. ताइपेई आर्थिक एवं संस्कृति केन्द्र नई दिल्ली

ताइवान (चीन ताइपेई) से आयातों की कुल मात्रा 3 प्रतिशत से कम है। इसलिए ताइवान (चीन ताइपेई) से आयातों का अपवर्जन कर देने का अनुरोध है।

ब. रोमानियां सरकार

न्यूनतम आयात

(i) सिल्कोटब एसए रोमानियां आधारित एक स्टील पाइप विनिर्माता है जो टेनारिस्ट ग्रुप के नियंत्रणाधीन है।

(ii) सिल्कोटब ऐसे भारत को सीमलेस पाइपों का निर्यात नियमित आधार पर नहीं करता है और न ही भारी मात्रा में करता है। इसका निर्यात कुल भारतीय आयातों का 3 प्रतिशत से कम है।

(iii) डब्ल्यूटीओ विनियम के रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 के अनुसार इस उपाय का प्रयोग विकासशील देश सदस्य में उद्भवित उत्पाद के लिए नहीं किया जा सकता है जब तक कि आयात का हिस्सा 3 प्रतिशत से अधिक न हो ।

(iv) रोमानियां एक विकासशील देश है इसलिए रोमानियां की कंपनी से होने वाले आयातों को रक्षोपाय शुल्क से छूट दी जानी चाहिए।

भ. मिस्र का राजदूतावास

न्यूनतम आयात

मिस्र से निर्यात पीओआई के दौरान भारत को हुए कुल निर्यातों का 3 प्रतिशत से कम है। इसलिए मिस्र के निर्यातों को रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से छूट दी जानी चाहिए।

10. दिनांक 2.9.2013 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया जिसके लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 14.8.2013 को नोटिस भेजा गया। इस नोटिस के जवाब में हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया और लिखित प्रस्तुतिकरण किये जिन्हें अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के बीच इस उद्देश्य से साथ परिचालित किया गया कि वे उसका प्रत्युत्तर यदि कोई हो, प्रस्तुत करें। तथापि याचिकाकर्ताओं ने 21.10.2013 को एक अन्य प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया। इन अतिरिक्त प्रस्तुतिकरणों को सभी हितबद्ध पक्षकारों के बीच परिचालित किया गया और उनसे कहा गया कि वे 27.10.2013 तक अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियां घरेलू उद्योग को 4.11.2013 तक अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए भेजी गई इनमें से सभी को रिकार्ड पर ले लिया गया और उनका अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल के रुप में रखा गया।

तथापि निर्दिष्ट प्राधिकारी अर्थात महानिदेशक (रक्षोपाय) में परिवर्तन होने के कारण और प्राकृतिक न्याय की जरुरतों तथा विधिक औचित्य को पूरा करने के उद्देश्य से नये डीजी (रक्षोपाय) के समक्ष 12.।2.2013 को एक द्वितीय सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया जिसके लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को 2.12.2013 को नोटिस भेजा गया। इस सार्वजनिक सुनवाई में प्रतिभागिता करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रुप से अभिव्यक्त अपने विचारों को सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के उपनियम 6 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लिखित रुप से प्रस्तुत करें और घरेलू उद्योग द्वारा 20.12.2013 तक प्रस्तुत अद्यतन आंकड़ों के संबंध में अपने प्रस्तुतिकरण दायर करें। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किये गये लिखित प्रस्तुतिकरणों की प्रतियां सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करा दी गई । हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित प्रस्तुतिकरणों के प्रत्युत्तर 31.12.2013 तक दायर करने का अवसर प्रदान किया गया।

घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहली सावर्जनिक सुनवाई के पश्चात किये गये व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरणों को समेकित रुप से रिकार्ड किया गया इसके साथ-साथ द्वितीय सुनवाई के के बाद अंतिम जांच परिणाम के संबंध में किये गये लिखित प्रस्तुतिकरणों को संक्षेप में अलग-अलग रखा गया। तथापि प्रथम और /या द्वितीय सार्वजनिक सुनवाई के दौरान लिखित प्रस्तुतिकरण दायर करने वाले हितबद्ध पक्षकारों के लिखित प्रस्तुतिकरणों को रिकार्ड में ले लिया गया और उनपर निम्नलिखित ढंग से निपटारा किया जा रहा है।

11. पहली सुनवाई के दौरान निर्यातकर्ता देश की सरकार के विचार

क. चीन सरकार

(i) उत्पाद का दायरा

विचाराधीन उत्पाद का दायरा बहुत व्यापक है याचिकाकर्ता कतिपय उत्पादों का विनिर्माण करने में अक्षम है अथवा उन्होंने विचाराधीन उत्पाद के कुछ ग्रेडों का विनिर्माण करने की योग्यता भी प्राप्त नहीं की है।

(ii) संवर्धित आयात

वर्ष 2011-12 और 2012-13 के बीच कुल आयातों के अनुसार अभिनव सांख्यिकी आयातों में समग्र रुप से घटने की प्रवृत्ति दर्शाती है।

(iii) अनपेक्षित विकास
याचिका अथवा जांच शुरुआत के नोटिस में कोई ऐसा साक्ष्य स्पष्टीकरण नहीं किया गया है जिससे यह अभिव्यक्त होता हो कि कुछ अनपेक्षित विकास के कारण विचाराधीन उत्पाद के आयातों में बढ़ोत्तरी हुई।

(iv) उपयोगकर्ता उद्योग के हित

रक्षोपाय साधन भारतीय अधोगामी प्रयोगकर्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालेंगे।

ख यूरोपियन आयोग

आंकड़ों में विसंगति

(i) शिकायत के आंकड़ों और जांच शुरुआत नोटिस के आंकड़ों में भारी अंतर है।

(ii) उत्पादन, संस्थापित क्षमता, लाभप्रदायकता, रोगजार या मालसूची आंकड़ों के संबंध में जांच शुरुआत नोटिस में केवल दो आवेदनकर्ता कंपनियों के आंकड़ों पर विचार किया गया है और समर्थनकर्ता कंपनी के आंकड़ों की अवहेलना की गई है।

संवर्धित आयात

(iii) वित्त वर्ष 2011-12 में आयातों में भारी वृद्धि हुई परंतु तदोपरांत तथा अत्यधिक अभिनव अवधि में उसमें गिरावट आई। अत: आयातों में वृद्धि न तो अभिनव है, और न अचानक हुई है और न ही इतने अधिक है कि वह सर्वाधिक अनिवार्य डब्ल्यू टी मानकों को पूरा करती है।

(iv) वर्ष 2011-12 तक आयातों में वृद्धि के लिए केवल एक ही देश उत्तरदायी है जिसका भारत में आयात का कुल हिस्सा 2011-12 में 73 प्रतिशत था।

(v) ऐसा कोई संकेत नहीं है कि जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र गिरावट आ रही थी।

क्षति एवं कारणात्मकता

(vi) विचार किये गये समग्र अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में केवल 5 प्रतिशत गिरावट आयी है जबकि इसके बाजार हिस्से में मामूली सी गिरावट हुई है जो 3 प्रतिशत भी नहीं है, उत्पादन में 16 प्रतिशत वृद्धि हुई, रोजगार में 10 की वृद्धि हुई और उत्पादकता में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(vii) भारी निवेश, उत्पादन क्षमता का लगभग 2 गुना, करने के पश्चात घरेलू उद्योग विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में लाभ प्रदायकता में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने में सक्षम रहा ।

(viii) लाभप्रदायकता में यह भारी वृद्धि ठीक उस समय हुई आयातों में बढ़ोतरी हुई। लाभप्रदायकता में उसके पश्चातवर्ती अवधि में गिरावट आयी परंतु इसके साथ-साथ आयातों में गिरावट आयी।

(ix) ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू मांग (-25 प्रतिशत) में भारी कमी और अत्यधिक क्षमता निर्माण, जो घरेलू मांग से बहुत अधिक है ही वित्त वर्ष 2012-13 में घरेलू उद्योग को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी।

(x) न्यून क्षमता उपयोग दर बेसी क्षमता संयोग से आती है जब आयातों में बढ़ोतरी के बजाय मांग में कमी होने लगती है।

(xi) यदि उत्पादन क्षमता वर्ष 2009-10 में स्थिर बनी रहती तो उपयोगिता दर में वर्ष 2012-13 में 60 प्रतिशत से वृद्धि होकर 70 प्रतिशत हो जाती।

ग. इटली का राजदूतावास

उन्होंने कहा कि वे अपना प्रस्तुतिकरण 6.9.2013 तक प्रस्तुत कर देंगे परंतु वे कोई प्रस्तुतिकरण नहीं कर सके।

घ. व्यापार रक्षा निदेशक इंडोनेशिया

न्यूनतम आयात

इंडोनेशिया, डब्ल्यू टी ओ के विकासशील देशों का सदस्य होने के नाते, को रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से अपवर्जन करने का विशेषाअधिकार है यदि निर्यात हिस्सा 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।

ड. विदेशी अर्थव्यवस्था क्रियाकलाप का समन्वय विकास एवं विनियम, मास्को

आयात मात्रा

(i) डब्ल्यू टी ओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 के अंतर्गत विशेष रक्षोपाय साधनों का क्रियान्वयन केवल इस शर्त के अंतर्गत किया जा सकता है जब किसी भू-भाग में किसी उत्पाद का आयात इतनी अधिक मात्रा में किया जा रहा हो कि उससे घरेलू उद्योग को, जो समान उत्पाद या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धात्मक उत्पाद का उत्पादन करती हो, गंभीर क्षति हो रही हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही हो।

(ii) अधिसूचना में आयात मात्रा में गिरावट दर्शायी गई है। अर्जेंटिना फूटवियर तर्क (ईसी) में अपीलीय निकाय का निर्णय कहता है कि जांच के अंतर्गत वर्ष के दौरान आयातों में गिरावट, न कि बढ़ोतरी, होने पर भी यदि अनिवार्यत: प्राथमिक वृद्धि के बावजूद आयातों में गिरावट आयी हो।

मुख्यत: चीन से आयात

(iii) सीमलेस ट्यूब, पाइप हालो का देशवार आयात यह दर्शाता है कि इस वस्तु के आयातों का बहुत बड़ा और भारी हिस्सा चीन का है। यह स्पष्ट है कि विनिर्दिष्ट अवधि में जांचाधीन वस्तु के आयातों में भारी वृद्धि हुई है और यह वृद्धि केवल चीन के आयातकों के मामले में ही हुई है। यत:, अन्य देशों से आयात को अचानक हुई वृद्धि या वृद्धि के रुप में नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह नोट किये जाने की जरुरत है कि आयात मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि को अचानक या तीव्र वृद्धि के रुप में नहीं माना जा सकता है।

(iv) भारतीय राष्ट्रीय विनिर्माताओं द्वारा बाजार पर अपनी पहुंच खोने को चीन से भारी आयात मात्रा द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है जिसने ना केवल राष्ट्रीय विनिर्माताओं के बाजार हिस्से पर अपना आधिपत्य कर लिया बल्कि इसने उस बाजार को अपने नियंत्रण में कर लिया जो पहले अन्य देशों के आयातकों के नियंत्रण में थी ।

गंभीर क्षति का कोई प्रमाण नहीं

(v) विशिष्ट रक्षोपाय जांच के दौरान राष्ट्रीय उद्योग की इस शाखा को होने वाली गंभीर क्षति को सिद्ध करने की जरुरत है जबकि पाटनरोधी जांच में वित्तीय क्षति को सिद्ध करने की जरुरत होती है। रुस के पक्ष ने राष्ट्रीय उद्योग की इस शाखा को गंभीर क्षति के पर्याप्त प्रमाण नहीं देखे है।

(vi) रुस ने भारत ने सीमलेस टयूब्स, पाइप और हालो के विनिर्माताओं का भारी सकारात्मक विकास देखा है। यह बिक्री मात्रा में वृद्धि (वर्ष 2010-11 में 18 प्रतिशत तक, 2011-12 में 1.2 प्रतिशत), रोजगार (वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2012-13 में इसमें 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई) और लाभ (विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में इसमें 25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई) के रुप में देखा जा सकता है।

(vii) राष्ट्रीय शाखा के कुछ वित्तीय संकेतक और वर्ष 2012-13 में उत्पादन स्तर में गिरावट की स्थिति में आयात मात्रा (जांच के अधीन) में भी वर्ष 2012-13 में 12 प्रतिशत तक कमी आई। अत: यह निष्कर्ष की संवर्धित आयातों ने राष्ट्रीय उद्योग को क्षति पहुंचाई है पूर्णतया सही नहीं है।

भारी क्षमता के कारण क्षति

(viii) रुसी पक्ष का विचार है भारतीय राष्ट्रीय उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति बढ़ते हुए आयातों द्वारा कारित न की जा कर भारी क्षमता के कारण हुई है। यही कारण है कि राष्ट्रीय विनिर्माताओं की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका।

12. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने द्वितीय सुनवाई के दौरान निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किये जिनपर निम्नलिखित चर्चा की जा रही है:

घरेलू उद्योग

क. मैसर्स आईएसएमटी लिमिटेड और मैसर्स जिंदल सा (घरेलू उद्योग) और मैसर्स महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड (समर्थनकर्ता) (जिसका प्रतिनिधित्व मैसर्स ईएलपी द्वारा किया गया)

आयात आंकड़े क्रियापद्धति

(i) याचिका में विचार की गई आयात मात्रा और मूल्य कोलकाता स्थित वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय से संग्रहित लेनदेनवार आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया था। इन आंकड़ों को पहले आईटीसी-एचएस वर्गीकरण, विवरण और बाह्य व्यास (ओडी) आकार पैरामीटरों के आधार पर अभिज्ञात किया गया। आयात आंकड़ों से निम्नलिखित विवरणों को हटा दिया गया और विचाराधीन उत्पाद के शेष संव्यवहारों को उपपादित किया गया।

क. 273.1 एमएम से अधिक ओडी व्यास आकार (आईटीसी-एचएस सहित)

ख. स्टेनलेस स्टील, एएसटीएम ए213/एएसएमई एसए213 और एएसटीएम ए335/एएसएमई, एसए 335 (या समरुप पीआईएस/डीआईएन/बीएस/ईएन या कोई अनय समकक्ष वर्गीकरण।

ग. ड्रिल कालर्स

घ. 13 क्रोमियम ग्रेड और प्रीमियम केसिग्स और टूयबिंग

(ii) यूनिट जैसे संख्या, टुकड़े, बैग्स के अंतर्गत किये गये आयातों को संगत आयात आंकड़ों के अंतर्गत विचार किये जाने के लिए अपवर्जन कर दिया गया। उन प्रविष्टियों के लिए जहां ओडी आकार मद विवरण में प्रदान किया गया, एमटी में मात्रा निर्धारण के लिए निम्नलिखित क्रियापद्धति अपनाई गई: [(ओडी-टीएचके)* टीएचके*0.02467)] मात्रा मीटर में/1000=एमटी

(iii) याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन के अनुबंध-5 में विचाराधीन उत्पाद के आयात आंकड़ों के भाग के रुप में संव्यवहारों के विचारार्थ प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए क्रियापद्धति तथा प्रतिरुप संव्यवहारों का पूर्ण प्रकटन किया है।

(iv) मैसर्स एनईआई और सीआईएसए ने सार्वजनिक सुनवाई में दावा किया कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों में अध्याय शीर्षक 73.04, 73.06 और 98.01 में त्रुटिपूर्ण आंकड़ें प्रस्तुत किये है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संवद्ध वस्तुओं के आयातों की प्रविष्टियों को त्रुटिपूर्ण अध्यायों के अंतर्गत देखा गया और उनका डीजीसीआईएस आंकड़ों से निर्धारित ढंग से समामेलन किय गया। इसका प्रावधान याचिका के अनुबंध-6 में किया गया है।
विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

(v) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद का दायता बहुत व्यापक है। डोमनिक रिपब्लिक-बैग एंड फैबरिक सैफगार्ड (डब्ल्यू टी/डीएस 415/आर, डब्ल्यू टी/डीएस416, डब्ल्यू टी/डीएस417/दिनांक 31 जनवरी, 2012) में डब्ल्यू टी ओ पैनल ने यह धारित किया कि रक्षोपाय करार में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो विचाराधीन उत्पाद का चयन, वर्णन, विश्लेषण या निर्धारण करने का अधिदेश देता हो या शासित करता हो।

(vi) संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग द्वारा कतिपय तेल देशों से टूयबलर समान का आयात करने के संबंध में शुरु की गई जांच में (जांच संख्या 701-टीए-499-500 और 731-टीए-1215-1223) विचाराधीन उत्पाद को निम्नवत परिभाषित किया है।

जांच द्वारा कवर की गई वस्तु कतिपय आयल कंट्री टूयबलर गुड्स है जो वृत्तीय क्रास-सेक्शन का हालो स्टील उत्पाद होता है जिसमें तेल कूप केसिंग और ढलवा लोहे के अलावा लोहे की टयूबिंग, या स्टील (कार्बन और अलाय दोनों), चाहे सिमलेस हो या बेलडेड, एंड फिनिश पर ध्यान दिये बिना (उदाहरणार्थ प्लेन, थ्रेडेड या थ्रेडेड कपल्ड) अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्ट्रीटयूट से संतुष्ट हो या नहीं अथवा गैर एपीआई विनिर्देशन युक्त फिनिश्ड या अन फिनिश्ड उसमें थ्रेड प्रोटेक्टर संलग्न हो या नहीं इस जांच के दायरे में ओसीटीजी कंपलिंग स्टाक भी शामिल है। जांच के दायरे से अपवर्जित वस्तुएं है क्रोमियम के बजन की 10.5 प्रतिशत या उससे अधिक की केसिंग या टयूबिंग, ड्रिल पाइप, असंबद्ध कपलिंग और असंबद्ध थ्रेड प्रोटेकटर।

एचटीएसयूएस उपशीर्षकों को केवल सुविधा और सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ ही उपबंधित किया गया है जांच के दायरे का लिखित विवरण डिशपोजेटिव है।

विचाराधीन उत्पाद को '' ऑयल कंट्री टयूबलर गुडस" के रुप परिभाषित किया गया हैं जिन्हें एकल विशिष्ट एचएस वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता ।

(vii) विचाराधीन उत्पाद का दायरा विशिष्ट रुप से उन उत्पादों और समान वस्तुओं को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है जो याचिकाकर्ताओं द्वारा विनिर्मित है और यह अप्रचलित नहीं है तथा यह जांच में शामिल किये जाने वाले उत्पादकों की श्रृंखल को कवर करता है।

(viii) जांच शुरुआत नोटिस और याचिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को स्पष्टत: परिभाषित किया है और जांच शुरुआत के नोटिस में प्रदान कराये गये विभिन्न अध्याय शीर्षक विभिन्न शीर्षकों के संकेतक है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का आयात किया जा सकता है।

(ix) अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो यह सिद्ध करता हो कि संबद्ध वस्तु आयात किये जाने योग्य नहीं है।

व्यापक दायरा परिभाषा का आरोप जिससे उत्पाद की गलत परिभाषा मिलती है

(x) घरेलू उद्योग इस विचाराधीन उत्पाद की व्यापक श्रृंखला का विनिर्माण करने और बिक्री करने में सक्षम नहीं है कि बल्कि इसने वास्तव में सभी वस्तुओं का विनिर्माण एवं बिक्री की है जिनके लिए हितबद्ध पक्षकारों ने अनुचित रुप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने समान या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी वस्तु के मुद्दे पर निम्नलिखित पर भरोसा किया है।

(क) संयुक्त राज्य- पाकिस्तान से काम्ब्ड सूती धागे संबंधि परिवर्ती रक्षोपाय साधन (डब्लयूटी/डीएस192/एबी/आर)

(ख) यूएस-लैम्ड रक्षोपाय (डब्लयूटी/डीएस 177/एबी/आर और डब्लयूटी/डीएस/178/एबी/आर)

(ग) चीन जनवादी गणराज्य से भारत को इलैक्टिकल इंसुलेटर के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच- अंतिम जांच परिणाम दिनांक 27 सितम्बर, 2012 ।

(xi) क्षमता, उत्पादन, बिक्री के विवरण का सत्यापन रक्षोपाय महानिदेशक द्वारा किया गया है और विभिन्न प्रकारों तथा ग्रेडों का विनिर्माण करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का सत्यापन किया गया है और संबंद्ध वस्तु का विनिर्माण एक ही संयंत्र में किया जाता है।

(xii) घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा आयातित उत्पाद सभी अनिवार्य तथ्यों के रुप में समान उत्पाद है। आयातों के लिए निर्धारित मानक तथा घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु दोनों समान है।

(xiii) याचिकाकर्ताओं ने घरेलू उद्योग की विनिर्माण प्रक्रिया का प्रावधान किया है और यह दावा किया है कि यह समान है। घरेलू उद्योग के एपीआई लाइसेंस भी यह सिद्ध करने के लिए प्रदान किये गये कि निर्यातकों द्वारा विनिर्मित सभी ग्रेडों का विनिर्माण घरेलू उद्योगों द्वारा भी किया जाता है।

(xiv) घरेलू उद्योग तथा अन्य देशों के विदेशी निर्यातक भारत आधारित सामान्य ग्राहक जैसे ओएजीसी, भेल, एनईआई के लिए प्रतिस्पर्धा करते है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी और उपकरण अत्याधुनिक किस्म के होते है तथा उन्हें उच्च वैश्विक मानकों के समान माना जाता है। घरेलू उद्योग भारतीय उपयोगकर्ता उद्योग के लिए उच्च गुणवत्ता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करके अग्रणी रहा है और उसने भारतीय उपयोग कर्ता उद्योग को उच्च क्वालिटी का आउटपुट दिया है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये निकृष्ठ क्वालिटी का दावा निराधार है और उसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दिया गया है इसलिए उसकी अवहेलना की जा सकती है।

(xv) आयातों को तकनीकी रुप से और वाणिज्यिक रुप से घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु से प्रतिस्थापित किया जा सकता है तथा वे घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संवद्ध वस्तु के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे है।

कुछ ग्रेडों का जांच के दायरे से अपवर्जन करने का दावा

(xvi) घरेलू उद्योग ने कुछ ग्रेडों का अपवर्जन करने के लिए किये गये दावे का निषेध कर दिया है और प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग सभी ग्रेडों का उत्पादन करने में लगा हुआ है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बनाये गये सभी ग्रेडों का विनिर्माण कर सकता है।

(xvii) घरेलू उद्योग ने अधोलिखित ग्रेडों का उत्पादन और बिक्री करने से संबंधित जानकारी प्ररुप बिक्री के लिए वीजक के फार्म में संगत साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराई है जिससे की घरेलू उद्योग की उत्पादन और बिक्री क्षमता की जांच की जा सके।

- 34सीआरमोड
- एसएई52100
- एसएई8720
- एसयूजे3
- सी-95
- जे-55/के-55
- एल-80
- एन-80
- पी-110
- क्यू-125
- 9-5/8''ओडी कैसिंग
- 9-5/8'' केसिंग पाइपों के उच्चतर ग्रेड
- अपतटीय एवं अभितटीय अनुप्रयोग
- नीडल रोलर बेरिंग (एनआरबी टयूब) 42एमएमओडी वाले ग्रेड जेआईएसजी-3441, एससीएम415टीके के यांत्रिक ट्यूब
- 42एमएमओडी
- ओसीटीजी ट्यूब
- 4-1/2 टयूबिंग
- 9-5/8 ओडी या 7 इंच के एन80क्यू और एलएटी युक्त ओसीटीजी ग्रेड
- 273.1एमएम के ब्यालर ट्यूब
- क्रेन के लिए यांत्रिक ट्यूब
- नीडल रोलर बियरिंग के लिए यांत्रिक ट्यूब
- बेरिंग ट्यूब के लिए यांत्रिक ट्यूब
- राइफल ट्यूब
- हाई प्रेसर सलेण्डर ट्यूब

हाई प्रेसर सिलेण्डरों के विनिर्माता

(xviii) घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि भारतीय उद्योग उच्च दाव स्टील गैस सिलेण्डर पाइप और ट्यूब बनाने की क्षमता रखता है। हाई प्रेसर गैसर सिलेण्डरों का विनिर्माण करने के लिए प्रयोग किये जाने वाले सीमलेस ट्यूब का मानक आकार (ओडीटीएचके): 1083.2, 139.84.2, 165.14.4, 2325.4, 2676/7.5, 273.76

(xix) घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग की उच्च दाव सिलेण्डरों का विनिर्माण करने की उत्पादन क्षमता को सिद्ध करने के लिए हाई प्रेसर सिलेण्डर ट्यूब की आपूर्ति के लिए भारतीय उद्योग के एक संघटक द्वारा क्रय आदेश का साक्ष्य दिया है।

(xx) घरेलू उद्योग ने कहा है कि उच्च दाव सीमलेस स्टील गैस सिलेण्डर पाइप और ट्यूब की आयात कीमत भारतीय उद्योग की प्रत्याशित बिक्री कीमत से बहुत कम है और उद्योग कम आयात कीमतों के दवाब के कारण अपनी लागत वसूल करने में भी सक्षम नहीं है।

(xxi) घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि हाई प्रेसर सीमलेस गैस सिलेण्डर पाइप और ट्यूब की भारत में कम कीमत के आयातों के कारण कीमत अधोरदन हुआ है, आयातित कीमतों ने याचिकाकर्ताओं को हाई प्रेसर सीमलेस स्टील गैस सिलेण्डर पाइप और ट्यूब का गैस सिलेण्डर के विनिर्माताओं को वाणिज्यिक बिक्री करने से निषेध कर दिया है।

(xxii) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया है कि हाई प्रेसर सीमलेस स्टील गैस सिलेण्डर पाइप और ट्यूब का उत्पादन करना वाणिज्यिक रुप से अर्थक्षम नहीं रहा इसलिए याचिकाकर्ता को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से अपेक्षित अनुमोदनों की मांग करना उचित नहीं लगा। एक बार रक्षोपाय शुल्क लगा दिये जाने के बाद याचिकाकर्ता गैस सिलेण्डर विनिर्माताओं को लाभदायक कीमतों पर बिक्री करने और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में सक्षम होगा।

राइफल्ड ट्यूबों का अपवर्जन

(xxiii) घरेलू उद्योग ने मना किया है कि मैसर्स आईएसएमटी लिमिटेड राइफल्ड टयूबों का विनिर्माण नहीं करता है।

(xxiv) घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि राइफल्ड ट्यूब एक प्रकार ब्यालर ट्यूब होते है जिनका निर्माण और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं की जाती है। बीएचईएल ने मैसर्स आईएसएमटी द्वारा विनिर्मित और बेचे गये राइफल्ड टयूब का 2010-11 में 1200 टन के आसपास न केवल खरीद की है बल्कि उसका प्रयोग भी किया है और वर्ष 2009-10 से 2013-14 की पहली तिमाही तक संपूर्ण क्षति अवधि में 2741 टन का प्रयोग किया है। इसने अभी अस्थाई रुप से कुछ प्रौद्योगिकी –वाणिज्यिक कारणों से अधिप्रापण रोक दिया है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि मैसर्स भेल द्वारा मैसर्स आईएसएमटी लिमिटेड से राइफल्ड ट्यूबों के खरीद के बीजक प्रस्तुत किये जा सकते है।

(xxv) घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि देश के ब्यालर विनिर्माता घरेलू उद्योग से राइफल्ड ट्यूबों की खरीद करते रहे है। मैसर्स आईएसएमटी ने 2009-10 से 2013-14 की प्रथम तिमाही की संपूर्ण क्षति अवधि में लगभग 3354 टन राइफल्स टयूबों की बिक्री की है।

(xxvi) घरेलू उद्योग ने अन्य ब्यालर विनिर्माताओं को की गई बिक्री के अभिनव वीजक प्रस्तुत किये है।

एनईआई लिमिटेड को आपूर्ति

(xxvii) मैसर्स एनईआई लिमिटेड को कथित आपूर्ति और गुणवत्ता अवरोधों के संबंध में घरेलू उद्योग ने मना किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त संबद्ध वस्तु की नियमित सप्लाई या गुणवत्ता में कोई अवरोध है।

(xxviii) मैसर्स एनईआई लिमिटेड घरेलू उद्योग से संबद्ध वस्तु की नियमित खरीद कर रहा है और वर्ष 2012- 13 में 190 लाख रुपये मूल्य के 219 एमटी का अधिप्रापण किया है तथा 2013-14 की पहली तिमाही में 144 लाख रुपये मूल्य के 175 एमटी का प्रापण किया है।

(xxix) बेरिंग के कई अन्य घरेलू विनिर्माता है जिनका मैसर्स एनईआई से अधिक घरेलू हिस्सा है और मैसर्स एनईआई संपूर्ण भारतीय बेरिंग उद्योग का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकती है। घरेलू उद्योग ने अन्य बेरिंग विनिर्माताओं द्वारा हाल में की गई बिक्री के बीजक प्रस्तुत किये है।

(xxx) संबद्ध वस्तु के प्रदाय के गुणवत्ता मुद्दे के संबंध में मैसर्स एनईआई ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त की गई संबद्ध वस्तु की गुणवत्ता से संबंधित टेस्ट रिपोर्ट के रुप में साक्ष्यों का पुलंदा प्रस्तुत नहीं किया है। मैसर्स एनईआई ने

घरेलू उद्योग द्वारा डिफेकटिव सप्लाई का कोई रिकार्ड नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि सभी आरोपों के बावजूद मैसर्स एनईआई लिमिटेड ने घरेलू उद्योग से खरीद जारी रखी है जो यह सिद्ध करता है कि मैसर्स एनईआई द्वारा किया दावा काल्पनिक है।

जापान के निर्यातकों की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण

(xxxi) जापान के निर्यातकों ने भी प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा भारत से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु समान वस्तु नहीं है और इसलिए उसका अपवर्जन किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि यह सिद्ध करने के लिए कोई रिकार्ड नहीं है कि जापान के निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यात किये गये संबद्ध वस्तु बेहतर गुणवत्ता वाले या घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु से बेमेल है।

(xxxii) निर्यातकों द्वारा प्रिसाइज मानक या विनिर्माण प्रक्रिया का कोई प्रकटन नहीं किया है और इसका प्रकटन ना करना यह सिद्ध करता है कि कोई विशेष अंतर नहीं है और जापान के निर्यातकों द्वारा किया गया दावा गलत है।

(xxxiii) घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वर्तमान मामला रक्षोपाय जांच का है न कि पाटनरोधी जांच का जिसके द्वारा सभी उत्पादों के आयातों पर शुल्क लगाया जाता है। जापान से निर्यातों का गुणवत्ता के आधारों का अपवर्जन रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ में उल्लिखित गैर विभेदकारी सिद्धांतों के विपरीत है।

(xxxiv) जापान के निर्यातकों ने 'कटिंग ऐज प्रौद्योगिकी' के संबंध में दावा किया है। कार्बन प्लेट के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच के मामले में 21 जुलाई, 2012 के अंतिम जांच परिणाम में जो कोलतार आयल से भिन्न था और भारतीय उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया की तुलना में कम महंगा था, महानिदेशक रक्षोपाय ने कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक को समान उत्पाद माना और रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया।

(xxxv) घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि केवल उच्च दर कीमत का तथ्य मद का अपवर्जन करने का निरधारक कारक नहीं हो सकता है और कथित उच्चतर कीमतें कई कारणों से हो सकती है जिसमें परिवहन की बढ़ी हुई लागत भी शामिल है।

(xxxvi) घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के दायरे में संपूर्ण उत्पादों का विनिर्माण करता है और जापान से किये जाने वाले आयात तकनीकी और वाणिज्यिक रुप से घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु से प्रतिस्थापनीय हैं और वे घरेलू उद्योग के ग्राहकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे है।

(xxxvii) जहां तक इस तथ्य का संबंध है कि कीमत क्षति का समाधान पाटनरोधी जांच द्वारा ही किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि यह दावा निराधार है और उस आधारभूत सिद्धांत के विपरीत है कि पाटनरोधी और रक्षोपाय शुल्क बिना किसी पूर्वाग्रह के अधिरोपित किये जा सकते है और रक्षोपाय शुल्क तथा पाटनरोधी शुल्क एक साथ अनुप्रयोग करने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है।

(xxxviii) जापान के निर्यातकों ने यह दावा किया है कि संबंध वस्तु के संबंधित आंकड़े अंतिम प्रयोक्ता या ग्रेड के आधार पर अलग-अलग किया जा सकता है और इसलिए उस ढंग पर प्रश्न खड़ा किया है जिस ढंग से घरेलू उद्योग ने आंकड़े प्रस्तुत किये है। स्पष्टत: निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली में ग्रेड या प्रयोग के अनुसार भारत को अपने निर्यात से संबंधित अलग आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये।

गैर सीमलेस पाइपों और ट्यूबों का अपवर्जन

(xxxix) इलैक्टिकल अवरोध वेल्डिंग का प्रयोग करके वेलडेड पाइप और टयूबों का समावेशन किये जाने से संबंधित विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के दावे के संबंध में घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं ही यह उल्लेख किया है कि उत्पाद का दायरा बहुत ज्यादा है और इसलिए कि ईआरडब्ल्यू पाइपों का समावेशन विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बढ़ा देगा और यह विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के प्रस्तुतिकरणों के विरुद्ध होगा।

(xl) घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों का दावा ऑयल कंट्री ट्यूबलर वस्तु से संबंधित यूएसआईटीसी जांच परिणाम पर आधारित है जिसमें उत्पाद के दायरे में ईआरडब्ल्यू पाइपों और ट्यूब को ऑयल कंट्री टयूबलर गुडस के रुप में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त यूएसआईटी ने निर्धारित

किया है कि बेलडेड और सीमलेस उत्पाद तेल अन्वेषण अनुप्रयोग के लिए प्रतिस्थापनीय है। विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने ईआरडब्ल्यू और सीमलेस पाइपों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किये जाने की बात माना है। ईआरडब्ल्यू पाइपों और सीमलेस पाइपों से संबंधित यूएसआईटीसी जांच परिणाम में समान वस्तु के रुप में की गई जांच इस आधार पर है कि इस वस्तु को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया गया। तथा विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इतने विलंब से विस्तारन को औचित्यपूर्ण नहीं माना गया। इसके लिए (क) यूनाइटेड स्टेट्स –कनांडा से साफ्टवेयर लूम्बर से संबंधित अंतिम जांच परिणाम निर्धारण (ख) कोरिया-अल्कोहलिक पेयो पर कर के मामलों पर भरोसा किया गया है।

(xli) घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय उपयोग कर्ताओं द्वारा की गई सभी निविदाएं सीमलेस पाइपों या ईआरडब्ल्यू पाइपों का स्पष्ट रुप से अलग-अलग विनिर्देशन करती है। अखिल भारतीय प्रयोगकर्ताओं जैसे ओएनजीसी, गेल आईओसीएल, वीपीसीएल द्वारा निकाले गये निविदाएं और बोलियां या ईआरडब्ल्यू के स्थान पर सीमलेस पाइपों की आपूर्ति का विकल्प नहीं देती है और भारत में केवल सीमलेस या केवल ईआरडब्ल्यू के रुप में स्पष्ट परिभाषा की गई है जिसका क्षेत्राधिकार एक दूसरे से अलग है।

(xlii) घरेलू उद्योग द्वारा ओएनजीसी द्वारा निकाली गई निविदा की एक प्रति प्रस्तुत की गई है जो यह दर्शाती है कि निविदा विनिर्देशन बिल्कुल स्पष्ट है और केवल सीमलेस पाइपों का अधिप्रापण करने के लिए है और वैकल्पिक रुप से बेलडेड या ईआरडब्ल्यू पाइपों की आपूर्ति करने का कोई विकल्प नहीं है।

(xliii) भारतीय उपयोगकर्ता उद्योग सीमलेस पाइपों और ईआरडब्ल्यू पाइपों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता है और वह समान वस्तुएं नहीं है। अत: ईआरडब्ल्यू पाइपों का जांच के दायरे के अंतर्गत शामिल किया जाना त्रुटिपूर्ण है।

गोपनीयता तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन

(xliv) याचिकाकर्ताओं ने इस बात की मनाही की है कि घरेलू उद्योग ने समायोजन योजना तथा प्रश्नावली प्रत्युत्तर सार्वजनिक सुनवाई के बाद तक दायर नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग ने दिनांक 29 अगस्त, 2013 के पत्राचार के जरिए सार्वजनिक सुनवाई के पहले से ही प्रत्येक कंपनी के लिए समायोजन योजना दायर कर दी है।

(xlv) ऐसा प्रतीत होता है कि यह हितबद्ध पक्षकार माननीय उच्चतम न्यायालय के आटोमोटिव टायर विनिर्माता एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में दिये गये निर्णय ईएलटी 481 (एससी) पर भरोसा किया है जो पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के निर्दिष्ट प्राधिकारी के संबंध में है और इसका संबंध पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से है और उसका संबंध महानिदेशक रक्षोपाय से नहीं है।

(xlvi) गोपनीयता के प्रावधानों के अनुरुप गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उसकी अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करें और ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की राय में यदि उस सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो वह पक्षकार उसके कारणों का विवरण प्रस्तुत करेगा कि उस सूचना का सार प्रस्तुत क्यों नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग ने महानिदेशक रक्षोपाय को सभी जानकारी देती है और अनुरोध किया है जो जानकारी सार्वजनिक रुप से उपलब्ध नहीं है उसका प्रकटन करना कंपनी के हित में नहीं होगा। घरेलू उद्योग ने सभी अधिदेशित अतिरिक्त सूचना संगत अगोपनीय सार सहित महानिदेशक रक्षोपाय को उपलब्ध करा दी है।

समर्थनकर्ता के आकड़ों का प्रावधान न होना

(xlvii) महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड जो संबद्ध वस्तु का उत्पादक है ने इस याचिका का समर्थन किया है। याचिका के अनुबंध-10 में स्पष्टता प्रावधान है कि समर्थनकर्ता के क्षति आंकड़ों की जांच शुरुआत के समय प्रस्तुत किये जाने पर स्वीकार किया जायेगा।

(xlviii) मैसर्स आईएसएमटी लिमिटेड, मैसर्स जिंदल सा लिमिटेड घरेलू उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत बहुलता में आते है और इसलिए वे अधिनियम की धारा 8ख (6)(ख) को पूरा करते है।

(xlix) मैसर्स महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड ने समर्थनकर्ता होने का चयन किया है और इसलिए महानिदेशक रक्षोपाय के कार्यालय की परंपरा के अनुसार उन्होंने ने भी अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत किये है जो उन्हें प्रदान कराने चाहिए।

(l) मैसर्स महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड ने महानिदेशक रक्षोपाय के साथ पूर्ण सहयोग किया है और जांच शुरुआत पक्षपात घरेलू उत्पादक प्रश्नावली प्रत्युत्तर महानिदेशक रक्षोपाय को निर्धारित समय सीमा के अंदर दायर कर दी। घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका, लिखित प्रस्तुतिकरण और प्रत्युत्तर में भी उद्योग के आंकड़ों का समग्र विश्लेषण करने का प्रावधान है।

(li) हितबद्ध पक्षकारों के इस प्रस्तुतिकरण के संबंध में की यदि मैसर्स महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड के लागत आंकड़ों पर विचार किया जाता है तो कोई क्षति नहीं होगी, गलत और गैर प्रमाणित है । घरेलू उद्योग ने पुन: उल्लेख किया है कि संवर्धित आयातों का क्षतिकारी प्रभाव घरेलू उद्योग के साथ-साथ विचाराधीन उत्पाद के अन्य बड़े उत्पादकों द्वारा भी महसूस किया जाता है।

भारत में संबद्ध वस्तु का बढ़ता आयात

(lii) आयातों में क्षति अवधि के दौरान उत्पादन बिक्री और मांग के संबंध में समग्र रुप से वृद्धि हुई है

(क) अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु आधार पर आयातों में वर्ष 2009-10 की तुलना में अप्रैल, 2012 से जून, 2013 में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि सर्वाधिक वृद्धि 2011-12 में 38 प्रतिशत हुई थी।

(ख) इसके अतिरिक्त आयातों में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में देश में मांग के अनुपात में भी वृद्धि हुई।

(ग) घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में आयातों में अप्रैल, 2012 से जून, 2013 में माह 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(liii) आयातों में 2009-10 से 2011-12 में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है जो 38 प्रतिशत बढ़ गई और रक्षोपाय जांच की शुरुआत के समय इसमें मामूली सी गिरावट आई घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित मामलों पर भरोसा किया है। (क) अर्जेंटिना-फूटवियर (डब्ल्यूटी/डीएस121/एबी/आर दिनांक 14 दिसम्बर,1999) (ख) यूएस-लाइन पाइप (डब्ल्यूटी/डीएस 202/आर दिनांक 29 अक्तूबर, 2001 (ग) अर्जेंटिना फूटवियर (ईसी) (डब्लयूटी/डीएस121/आर दिनांक 25 जून, 1999 इसमें उन्होंने यह सिद्ध किया है कि आयातों में अचानक एकाएक अभी हाल की अवधि में तीव्र वृद्धि हुई जिससे घरेलू उद्योग को न केवल क्षति हुई बल्कि गंभीर क्षति चुनौती भी उत्पन्न हो गई।

(liv) घरेलू उद्योग ने नवम्बर, 2012 में आवेदन दायर किया था जो ऐसे अवधि थी जिसमें आयातों में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई। घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन पत्र दायर किये जाने के पश्चात ही आयातों में मामूली सी गिरावट आई परंतु वे उत्पादन बिक्री और मांग के संबंध में अभी भी समग्र एवं संगत रुप से अधिक ही बने रहे। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि यह स्पष्ट है कि निर्यातक जांच को गलत सूचना प्रदान कराने के उद्देश्य से पोत लदान में विलंब करते रहे है ।

अन्य स्रोतों से आयात

(lv) अप्रैल, 2012 से जून, 2013 (वार्षिकीकृत) में यूरोपियन यूनियन से आयातों में चीन से आयातों की तुलना में अधिक तेजी से दर्शायी गई है और यूरोपियन यूनियन से आयात निरंतर बढ़ते रहे है जो वर्ष 2009-10 की तुलना में अप्रैल, 2012-जून,2013 में 51 प्रतिशत तक बढ़ गये जब कि चीन जन.गण से आयातों में वर्ष 2009-10 की तुलना में अप्रैल, 2012-13 में केवल 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(lvi) पूरे विश्व में प्रमुख प्रयोगकर्ता देशों द्वारा विभिन्न उपचारी कार्रवाई करने के आलोक में भारतीय बाजार में विभिन्न अन्य स्रोतों से आयात भी बढ़े जैसे ईयू यूएस इंडोनेशिया और मेक्सिकों।

अनपेक्षित विकास

(lvii) घरेलू उद्योग ने विभिनन देशों द्वारा किये गये व्यापार उपचारी कार्यो की सूची

उपलब्ध की है जो या तो जांच के अधीन है या जिनपर उपाय प्रभावी है।

व्यापार उपचारी साधन	अधिरोपणकर्ता देश	प्रभावित देश	शुल्क की रेंज
पाटनरोधी	यूएस	चीन	48.99% – 98.74%
सब्सिडी	यूएस	चीन	13.66% – 53.65%
पाटनरोधी	कनाडा	चीन	39.00% – 166.9%
		यूएसए	13.85%
सब्सिडी	कनाडा	चीन	91.26 – 4,070.00 आरएमबी/मी.टन
पाटनरोधी	ईयू	चीन (अब समाप्त)	48.3% – 71.9%
पाटनरोधी	चीन	ईयू और जपान	9.2% – 14.4%
रक्षोपाय (4 वर्ष)	इंडोनेशिया	वैश्विक साधन (विकासशील देशों के अपवाद को छोड़कर)	आरपी 28,429 प्रति कि.ग्रा – आरपी 27,126 प्रति किग्रा (वर्षदर वर्ष घटे हुए पैमाने पर)
पाटनरोधी	यूएस	भारत कोरिया, फिलिपिंस, सऊदी अरबिया, ताइवान, थाईलैंड, तुर्की उक्रेन और वियेतनाम	सतत जांच
सब्सिडी	यूएस	भारत और तुर्की	सतत जांच

(lviii) यूएस और ईयू जैसे बढ़े उपभोगकर्ता स्रोतों द्वारा आयातों पर अनपेक्षित व्यापार उपचारी कार्रवाई के कारण यह आयात भारत की ओर विपथित हो गये जिससे भारत में आयातों में बढ़ोतरी हुई।

(क) यूएसए के होने वाले चीन के निर्यात 65 प्रतिशत कम हो गये और उसी समय भारत को चीन के निर्यातों में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई । इसका प्रमुख कारण चीन जन.गण से निर्यातों पर उपचारी उपाय थे।

(ख) चीन के विरुद्ध ईयू द्वारा किये गये उपचारी कार्य से भारत के निर्यातों में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

यूएसए को चीन के निर्यात

तालिका

अवधि	निवल भार(एमटी)	अनुक्रमिक मात्रा	वृद्धि/कमी (एमटी में)
2009	4,06,502	100.00	
2010	1,09,362	26.90	(2,97,140)
2011	1,52,576	37.53	(2,53,927)
2012	1,41,026	34.69	(2,65,477)

भारत को चीन के निर्यात

अवधि	निवल भार(एमटी)	अनुक्रमिक मात्रा	वृद्धि/कमी (एमटी में)
2009	2,73,612	100.00	
2010	4,48,586	163.95	1,74,974
2011	5,35,140	195.58	2,61,528
2012	4,32,113	157.93	1,58,501

ईयू से चीन को निर्यात

अवधि	निवल भार(एमटी)	अनुक्रमिक मात्रा	वृद्धि/कमी (एमटी में)
2009	1,20,301	100.00	
2010	86,411	71.83	(33,890)
2011	1,03,499	86.03	(16,802)
2012	78,159	64.97	(42,142)

भारत को ईयू के निर्यात

अवधि	निवल भार(एमटी)	अनुक्रमिक मात्रा	वृद्धि/कमी (एमटी में)
2009	49,230	100.00	
2010	60,005	121.89	10,775

2011	63,153	128.28	13,923
2012	71,988	146.23	22,758

(lix) घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि विभिन्न बाजारों में किये गये उपचारी उपायों को इंडोनेशिया के रक्षोपाय प्राधिकारी द्वारा अनपेक्षित विकास के रुप में माना गया। एक समान उत्पाद पर रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 12.1 (ख) के अंतर्गत शुल्क अधिरोपित करने के प्रस्ताव की अधिसूचना का संगत सार (जी/एसजी/एन 8/आईडीएन/14, जी/एसजी/एन/10/आईडीएन/14), जो 19 मार्च, 2013 को संवर्धित आयातों के कारण गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती के लिए दिया गया था, निम्नलिखित है।

"विश्व स्टील एसोसिएशन-सांख्यिकीय वार्षिकी 2011 के अनुसार संबद्ध वस्तु के वैश्विक उत्पादन में मांग के अनुरुप वृद्धि हुई है। तथापि विभिन्न बाजारों में किये गये व्यापार उपायो से जो अनपेक्षित थे, व्यापार में परिवर्तन आया जिसके परिणामस्वरुप इंडोनेशिया को होने वाले आयातों में भारी वृद्धि हुई। "

यूरोपिय बाजारों में खपत में अप्रत्याशित कमी

(lx) यूरोपिय बाजार में विदेशों में संबद्ध वस्तु की भारी क्षमता के परिणाम स्वरुप मांग में अप्रत्याशित गिरावट और भारत को बढ़ते निर्यात की सूचना दी है ।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पाया गया कि यूनियन खपत वर्ष 2008 तथा आरआईपी (अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011) के बीच 34 प्रतिशत की कमी 2597 110 टन से घटकर 1724 743 टन हुई।

(lxi) घरेलू उद्योग ने 16 दिसम्बर, 2013 की पीआर वेबसाइट रिपोर्ट और मेटल बुलेटिन अनुसंधान रिपोर्ट जनवरी, 2012 को ईयू बाजारों में कमी दर्शाने के लिए कोट किया है ।

(lxii) यूरोजोन वर्ष 2012 और वर्ष 2013 की पहली तिमाही में मंदी की स्थिति रही।

यूरोजोन जीडीपी (स्रोत यूरोस्टेट)



(lxiii) घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि ईयू बाजार में अप्रत्याशित मंदी के कारण ईयू में खपत में कमी आयी और ईयू के उत्पादक निर्यातक केन्द्रीत हो गये और भारत तथा चीन जैसे बढ़ती बाजारों में भारी मात्रा में निर्यात करने लगे।

चीन जन.गण में अतिरिक्त क्षमताएं संयुक्त राज्य में नियोजित नई क्षमताएं

(lxiv) घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विभिन्न बाजारों से प्रतिबंधों के बावजूद चीन अपनी क्षमता में वृद्धि कर रहा है जिसके कारण भारत को आयातों में वृद्धि हो रही है। मैसर्स एसएमएस मिर जर्मनी ने 20 तक के व्यास वाले सीमलेस ट्यूब्स के विश्व के सबसे बड़े पीक्यूएफ संयंत्र की आपूर्ति चीन के एक संघ मैसर्स टियान जिंग पाइप कारपोरेशन और मैसर्स जियांगशु संगैग ग्रुप, मैसर्स हुआईगैंग स्पेशल स्टील कंपनी को प्रेषित किया है और इसमें 2012 की शुरुआत में उत्पादन प्रारंभ होना था। चीन के इस नये पीक्यूएफ संयंत्र की क्षमता

प्रतिवर्ष 5 लाख टन सीमलेस ट्यूब्स की है और ऐसा कहा जाता है कि यह परियोजना सीमलेस ट्यूब्स की चीन की सबसे बड़ी उत्पादन परियोजना है।

(lxv) मैसर्स वैलोरेक द्वारा संयुक्त राष्ट्र में एक नया प्लांट स्थापित किया जा रहा है जिसकी शुरुआती क्षमता 3 लाख 50 हजार एमटी होगी (जिसके 5 लाख एमटी तक बढ़ने की संभावना है) इसमें नवम्बर, 2012 में उत्पादन शुरु कर दिया ।

(lxvi) सऊदी अरब में मैसर्स वैलोरेक ने मैसर्स जामिल पाइप का अधिग्रहण कर लिया जिसमें रेडी टू रन ताप उपचार क्षमता और प्रतिवर्ष 100 केटी तक थैडिंग सुविधा हैं।

(lxvii) जर्मन कंपनी मैसर्स वेंटीलर स्टील ट्यूब ने संयुक्त राज्य में एक नया प्लांट स्थापित करने के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डालर का निवेश किया है यह संयंत्र 2015 में चालू हो जाएगा।

कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोत्तरी होने के बावजूद आयात की अनपेक्षित रुप से कम कीमत निर्धारण

(lxviii) यह प्रस्तुत किया गया कि संपूर्ण जांच अवधि के दौरान कच्चे माल की कीमतों में सब जगह बढ़ोतरी हो रही थी तथापि कच्चे माल की कीमतों में वैश्विक वृद्धि के बावजूद आयात कीमतों में वृद्धि के अनुरुप बढ़ोतरी नहीं हुई।

	2009-10	**2010-11**	**2011-12**	**21012-13**	अप्रैल **12-**जून**13(**वार्षिकीकृत**)**
बिक्री की अनुक्रमित लागत	100.0	107.2	116.8	122.5	124.0
अनुक्रमित आयात कीमत	100.0	90.0	99.1	104.4	104.5

गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की चुनौती

उत्पादन

(lxix) बढ़ते आयातों के कारण घरेलू के उत्पादन पर संबद्ध वस्तु के आयातों द्वारा विपरीत प्रभाव डाला गया। वर्ष 2009-10 में घरेलू उद्योग का उत्पादन 224216 एमटी था जो बढ़कर 2011-12 में 318968 एमटी हो गया। तथापि वर्ष 2012-13 में इसमें गिरावट आयी और यह 254316 एमटी हो गया और अप्रैल 2012-जून,13 में (वार्षिकीकृत) इसमें 2011-12 की तुलना में 20 प्रतिशत की कमी हुई और यह 247827 एमटी रह गया।

क्षमता उपयोग

(lxx) बढ़ते आयातों के कारण क्षमता उपयोग में भारी गिरावट आई। घरेलूउद्योग का क्षमता उपयोग वर्ष 2009-10 में 60 प्रतिशत था जो वर्ष 2012-13 में घटकर 37 प्रतिशत रह गया। घरेलू उद्योग की निरर्थक क्षमता में यह वृद्धि मांग में वृद्धि के बावजूद आई है।

घरेलू बिक्री

(lxxi) भारत में आयातों के कारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री पर सकल रुप से प्रभाव पड़ा है। वर्ष2009-10 में घरेलू उद्योग की बिक्री 143017 एमटी थी जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 170826 एमटी हो गई तथापि इसमें वर्ष 2012-13 में गिरावट आईऔर यह 141588 एमटी हो गई और अप्रैल, 12-जून, 13 (वार्षिकीकृत) में यह और भी कम होकर 138726 एमटी हो गई।

मांग में बाजार हिस्सा

(lxxii) जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु की मांग में 24 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री में केवल 16 प्रतिशत तक गिरावट आई जबकि आयातों में 28 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। अत: आयातों में यह वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक है। वर्ष दर वर्ष आधार पर वर्ष 2012-13 में मांग में 13 प्रतिशत तक वृद्धि हुई तथापि घरेलू उद्योग की बिक्री में 24 प्रतिशत तक गिरावट आई और आयातों में 42 प्रतिशत वृद्धि हुई।

समर्थनकर्ता सहित घरेलू उद्योग को क्षति

(lxxiii) समर्थनकर्ता सहित घरेलू उद्योग के सभी बड़े पैरामीटर जिसमें उत्पादन क्षमता उपयोग और बिक्रियां शामिल है, किए गए वे घरेलू उद्योग की तरह ही समान प्रवृत्तियां प्रदर्शित करते हैं।

लाभ एवं हानि

(lxxiv) भारत में अत्यधिक कम कीमत पर संवर्धित आयात से घरेलू उद्योग के लाभ में गिरवाट आई, कि यह लगाई गई पूंजी पर तर्कसंगत मार्जिन प्राप्त नहीं कर पाया। यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वर्ष 2012-13 में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में केवल 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह स्थिति वर्ष 2013-14 में और भी अधिक खराब होने वाली है क्योंकि अभी हाल ही में विदेशी प्रदायकों को दी गई निविदाएं बहुत ही कम कीमत पर प्रदान की गई हैं। जो घरेलू उद्योग की लागत से भी कम है।

विवरण	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	अप्रैल **12** – जून**13(**वार्षिकीकृत**)**
आवेदक की बिक्री कीमत (रुपये/एमटी)	****	****	****	****	****
आवेदक की बिक्री कीमत की प्रवृत्ति	100	106	114	118	117
बिक्री लागत (रुपये/एमटी)	****	****	****	****	****
बिक्री लागत की प्रवृत्तियां (रुपये/एमटी)	100	107	117	123	124
आयातों की अवसारित कीमत (रुपये/एमटी)	66,580	59,934	65,964	69,503	69,632
अवसारित कीमत की सूची	100	90	99	104	105
आयातों की अवसारित कीमत (अमरीकी डालर/एमटी)	1378	1297	1369	1271	1262
अवसारित कीमत की प्रवृत्ति	100	94	99	92	92
लाभ/हानि(रुपये/एमटी)	****	****	****	****	****
लाभ/हानि की प्रवृत्ति (रुपये/एमटी)	100	86	64	43	51
अधोबिक्रयण %					25-35%

कीमत प्रभाव

(lxxv) कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के अनुरुप जांच की अवधि में बिक्री लागत में 24 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। आयातों की निग्रहित अवसारित कीमत के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत केवल 17 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। अमरिकी डालर के रुप में अवसारित मूल्य का विश्लेषण स्पष्टत: दर्शाता है कि लागत में 24 प्रतिशत वृद्धि होने के बावजूद आयात कीमत में 10 प्रतिशत की भारी कमी आई है।

(lxxvi) यद्यपि नाममात्र का अधोरदन हुआ है परंतु अधोबिक्रयण भारी हुआ है और घरेलू उद्योग को अपना माल कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट

(lxxvii) आईएसएमटी लिमिटेड और महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड की वित्तवर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि चीन और अन्य देशों से होने वाले कम कीमत पर भारी आयातों के कारण उनके प्रचालनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

गंभीर क्षति की चुनौती

बड़े उपयोगकर्ता बाजारो में व्यापार उपचारी उपाय

(lxxviii) घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि चीन, ईयू, मैक्सिको, यूएस और इंडोनेशिया सहित संपूर्ण विश्व की बड़ी बाजारों में व्यापार उपचारी उपाय किये गये जिससे कि उनके घरेलू उद्योग की रक्षा की जा सके। इस कारण निर्यातक राष्ट्रों जैसे चीन ईयू, यूएस और रुस के लिए बाजार बंद हो गयी जबकि भारत एक आकर्षक बाजार बना रहा। इसलिए भारत में संवद्ध वस्तु के आयातों की स्पष्ट और आसन्न चुनौती बनी हुई है।

(lxxix) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में संबद्ध वस्तु के बढ़ते आयातों द्वारा पहले ही कमी आ गई है। संबद्ध वस्तु के अवाधित आयात के आलोक में बहुत कुछ संभव है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में और अधिक गिरावट आ जाए।

यूएसआईटीसी द्वारा पार्टनरोधी और प्रतिबलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत

(lxxx) यूएसआईटीसी ने कतिपय ऑयल कंट्री टयूब्लर्स गुडस (जिसमें कुछ संबद्ध वस्तु भी शामिल है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच प्रारंभ की है और यूएसआईटीसी की जांच में संबद्ध देश हैं भारत, कोरिया, फिलिपिंस, सऊदी अरेबिया, ताइवान, थाइलैंड, तुर्की और उक्रेन तथा वियतनाम। घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि घरेलू उद्योग की रक्षा करने के लिए किसी रक्षोपाय शुल्क के अभाव में यह निश्चित है कि इन देशों से आयात भारत की ओर होने लगे और बाद में उसको क्षति होने लगे।

अभी हाल ही की निविदाएं प्राप्त न होना

(lxxxi) घरेलू उद्योग ने अभी हाल ही में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया द्वारा निकाली गई निविदाओं में भारी मात्रा में विदेशी प्रदायकों की तुलना में भारी मात्रा होने के कारण निविदाएं प्राप्त करने में असफल रहे। विदेशी प्रदायकों को ओएनजीसी की निविदाओं में से 80 प्रतिशत से अधिक निविदाएं तथा ऑयल इंडिया की निविदाओं में से 57 प्रतिशत से अधिक निविदाएं प्राप्त हुई। संबद्ध वस्तु का यह आवाधिक आयात घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग को समग्र रुप से क्षति कारित कर रहा है।

नई क्षमताओं में वृद्धि

(lxxxii) चीन जन.गण तथा यूएस और ब्राजील में नई क्षमताएं संस्थापित की गई। इसके अलावा ईयू में भारी अप्रयुक्त क्षमता है। अत: घरेलू उद्योग को किसी रक्षोपाय शुल्क के अभाव में इन स्रोतों से निर्यातों में और अधिक वृद्धि होने की स्पष्ट चुनौती है जिससे घरेलू उद्योग को सतत क्षति होगी।

कारणात्मक संबंध

(lxxxiii) संवर्धित आयात तथा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध है। आयातों का अवसारित मूल्य तर्कसंगत लागत से बहुत कम है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत का निर्धारण आयात कीमतों द्वारा किया

जाता है। परिणामत: उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, लाभ, निवेश पर अर्जन तथा नकदी प्रवाह में कम कीमत के आयातों की उपस्थिति के कारण भारी कमी आ रही है।

(lxxxiv) विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत कम कीमतों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश की जा रही कम कीमतों के बावजूद आयातों में वृद्धि हो रही है। घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बिक्री लागत से भी कम करने को मजबूर किया गया। संवर्धित आयातों के कारण आयातों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई।

(lxxxv) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट ने घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग पर विपरीत प्रभाव डाला है। अत: यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को क्षति बढ़ते आयातों के कारण ही हुई है।

(lxxxvi) घरेलू उद्योग ने अर्जेनटिना –फुअवियर (ईसी) में डब्ल्यूटीओ पैनल और ग्लूटेन (डब्ल्यूटी)/डीएस 166/एबी/आर दिनांक 22 दिसम्बर, 2000) में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

समायोजन योजना

(lxxxvii) घरेलू उद्योग ने याचिका के साथ एक समायोजन योजना प्रस्तुत की जिसमें आयात प्रतिस्पर्धा का सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों, जिन्हें घरेलू उद्योग 2-3 वर्षों की अवधि में करना चाहता है, का विस्तृत वर्णन है। घरेलू उद्योग ने सकारात्मक समायोजन को सुलभ बनाए जाने के लिए किए जाने वाले विशिष्ट लागत कटौती प्रस्तावों के संबंध में विशिष्ट प्रयासों का उल्लेख किया है और उसने अधिनियम और रक्षोपाय नियमावली के अंतर्गत सभी अपेक्षाओं का विधिवत अनुपालन किया है।

जनहित

(lxxxviii) घरेलू उद्योग ने घरेलू प्रयोक्ता सेक्टर को सहायता देने की क्षमता विकसित कर ली है और यह तकनीकी उन्नयन में भारी निवेश एवं मानव संसाधन विकास में भारी निवेश से संभव हुआ है। घरेलू उद्योग इस समय संवेदनशील स्तर पर है और विदेशी उत्पादकों द्वारा कम कीमतों के आयात एवं आक्रामक विपणन के कारण पतन से बचने के लिए तत्काल राहत की आवश्यकता है।

(lxxxix) कम कीमत के आयातों में वद्धि से घरेलू उद्योग को निम्नलिखित अपूरणीय क्षति होगी।

(क) रोजगार में नुकसान: घरेलू उउत्पादक, निर्यातों की तुलना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का रोजगार प्रदान कराते हैं। यदि घरेलू उद्योग को रक्षोपाय शुल्क का संरक्षण प्रदान नहीं कराया जाता है तो घरेलू उद्योग के पास बड़े पैमाने पर छटनी करने के अलावा और कोई विकल्प ही शेष नहीं रह जाएगा।

(ख) करो के कारण सरकार को राजस्व का घाटा: घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में गिरावट और कम वित्तीय निष्पादन, जो सम्बद्ध वस्तु के बढ़ते आयातों के कारण हुआ, के कारण कंपनियों द्वारा संदत्त करों में कमी आई है जिसके परिणामस्वरुप सरकारी राजस्व में कमी आई।

(ग) बहुमूल्य विदेशी विनिमय का संवर्धित बर्हिप्रवाह: सरकार को राजस्व का घाटा और विदेशी मुद्रा का बर्हिप्रवाह जिसका अन्ततोगत्वा भारत के जनहित पर प्रभाव पड़ेगा।

(xc) घरेलू उद्योग विद्युत एवं तेल अन्वेषण में भारत के कार्यनीतिक विकास के लिए एक बड़ा स्तम्भ है।

ओएनजीसी पर प्रभाव

(ci) सीमलेस उत्पादों का वार्षिक आधार पर आयात ओएनजीसी के कुल आयातों का केवल 2.3 प्रतिशत है और इसका इसके प्रचालनों पर समग्र प्रभाव नगण्य रहेगा खासकर इसकी लाभप्रदायकता पर जो 209 बिलियन है।

विवरण	मूल्य मिलियन रुपयों में	स्रोत
नियमित केसिंग	4890.08	आरटीआई उत्तर
ईयूई टयूबिंग	1789.51	आरटीआई उत्तर
18 माह के लिए अधिप्रापण (अप्रैल11-सितम्बर, 12)	6679.59	आरटीआई उत्तर
सीमलेस उत्पादों का वार्षिकीकृत आयात	4453.06	संगणित
ओएनजीसी का कुल आयात (वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट)	193863.19	वार्षिक रिपोर्ट का पेज 104
	%	
ओएनजीसी द्वारा समग्र आयातों में सीमलेस उत्पादों का प्रतिशत	2.30	संगणित

बेयरिंग उद्योग पर प्रभाव

(xcii) बेयरिंग उद्योग पर कम से कम प्रभाव पर है-प्रतिदर्श के रुप में एस के एफ को लिया जा सकता है जो भारत में एक सबसे बड़ी कंपनी है। यह नोट किया जाना चाहिए कि बेयरिंग उद्योग लाभप्रदायक (एसकेएफ की टैकस पूर्व निवल लाभप्रदायकता वर्ष 2012 में 13 प्रतिशत थी) है और रक्षोपाय शुल्क के कारण सम्वर्धनात्मक लागत ग्रहण कर सकता है जो इसके उत्पादों को प्रभावित नहीं करेगा-इसके ग्राहकों पर प्रभाव डाले बिना।

बेयरिंग सिम्बल	रिंग टाइप	इनपुट बजन	चालू टयूब कीमत	रिंग टाइप	बेयरिंग कीमत*	35% रक्षोपाय शुल्क पर बेयरिंग कीमत के % के रुप में अंतर (वर्ष 1)	25% रक्षोपाय शुल्क पर बेयरिंग कीमत के रुप में % अंतर (वर्ष 2)	15% रक्षोपाय शुल्क की दर से बेयरिंग कीमत के % के रुप में अंतर (वर्ष 3)
		किग्रा.	रु./ग्रा.	रु./सं.	रु./सं.	%	%	%
6205	बाह्य	0.103	91.85	9.46				
	आंत-रिक	0.074	91.85	6.80				
	कुल			16.26	294.00	1.94	1.38	0.83
6206	बाह्य	0.17	91.85	15.71				
	आंत-रिक	0.11	91.85	9.92				

	कुल			25.63	441.00	2.03	1.45	0.87
6304	बाह्य	0.13	91.85	11.48				
	आंत-रिक	0.07	100.67	6.85				
	कुल			18.33	295.00	2.17	1.55	0.93
6305	बाह्य	0.18	91.85	16.81				
	आंत-रिक	0.10	91.85	9.37				
	कुल			26.18	336.00	2.73	1.95	1.17

(xciii) भारत में सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना जनहित में होगा और यह नवजा घरेलू उद्योग को तत्काल संरक्षण प्रदान करेगा और यह रक्षोपय घरेलू उद्योग द्वारा सृजित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों में वृद्धि करेगा।

ख. मैसर्स वैलोरेक ट्यूब्स, मैसर्स टयूबोस रियूनिडास औद्योगिक एसएलयू, स्पेन और मै. मर्टेक्स यू.के लिमिटेड (जिसका प्रतिनिधित्व अमरचन्द एवं मंगलदास एवं सुरेश ए.श्राफ एंड कंपनी द्वारा किया जाता है)

याचिकाकर्ता रक्षोपय साधनों के उपबंधों का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं।

i. यह प्रस्तुत किया जाता है रक्षोपाय अधिरोपण का आश्रय केवल आयातकाल स्थिति विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही लिया जा सकता है क्योंकि इसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को आयातों से अस्थायी एवं अल्पावधिक संरक्षण प्रदान करना है क्योंकि यह अपने को संवर्धित आयातों के अनुरुप ढाल सके। प्रतिवादियों ने पदत्राण आयातों पर अजेन्टीना रक्षोपाय साधनों के मामले में अपीलीय निकाय के निर्णय पर भरोसा किया है।

ii. सीमलेस पाइप्स, ट्यूब्स और लौह एवं गैर अलाय के हालो प्रोकाइल का भारत को संवर्धित आयात ऐसी परिस्थितियों में होता है कि इसका घरेलू उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा अर्थात यह घरेलू उद्योग की स्थिति को समग्र रुप से क्षति पहुंचाएगा और गंभीर क्षति अर्थात आयातों द्वारा किए जा रहे स्पष्ट एवं आसन्न खतारों की चुनौती उत्पन्न करेगा।

iii. यह प्रस्तुत किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क के विपरीत, जिसका अधिरोपण पाटन की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाओं को रोकने तथा मुक्त व्यापार की स्थिति पुन सृजित करने के लिए किया जाता है, रक्षोपाय साधन उचित व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है और इसलिए इसका प्रयोग दुर्लभ एवं असामान्य परिस्थितियों में किया जाना चाहिए।

iv. याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका में उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़ों तथा सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात डीजीएस के अनुदेशों के अनुरुप जून, 2013 तक की अद्यतन सांख्यिकी के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में प्रति वर्ष प्रतिशत वृद्धि या घटौती निम्नवत है: 7.65 प्रतिशत, 20.14 प्रतिशत और (-20.23 प्रतिशत) अत:, उपर्युक्त विश्लेषण का अध्ययन यह व्यक्त करेगा कि यद्यपि वित्त वर्ष 2010-11 की तुलना में वित्त वर्ष 2011-12 में तथा वित्त वर्ष 2009-10 की तुलना में वित्त वर्ष 2010-11 में केवल 20.14 प्रतिशत और 7.65 प्रतिशत वृद्धि हुई तथापि वित्त वर्ष 2012-13 में वित्त वर्ष 2011-12 की तुलना में 20.23 प्रतिशत की कमी हुई। आंकड़ों का विश्लेषण यह व्यक्त करता है कि चालू वर्ष आयातों में कमी की प्रवृत्ति हुई परंतु आयातों में वृद्धि या भारी या गंभीर वृद्धि हुई।

v. यह पुन: प्रस्तुत किय जाता है कि वित्त वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए इन्हीं याचिकाकर्ताओं ने पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की मांग करते हुए एक याचिका यह उल्लेख करते हुए दायर की कि चीन जन.गण के अलावा अन्य देशों से पीयूसी का आयात या तो न्यूनतम से अधिक या उच्चतर कीमतों पर है। डीजीएडी ने उक्त जांच निरस्त कर दी।

vi. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता आयातों के क्रमिक विकास के प्रति जागरुक नहीं होते तो उन्होंने रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की मांग करते हुए एक याचिका पहले ही दायर कर दी होती, नकि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की मांग की होती। अत: यह स्पष्ट है कि आयात न तो अचानक हुए और न ही अनपेक्षित थे।

vii. घरेलू उद्योग का स्वयं का अभिकथन दर्शाता है कि अधिकांश देशों में जहां यह विचाराधीन उत्पाद पाटनरोधी कार्रवाई जैसी व्यापार उपचारी कार्रवाई या इम्दाद कार्रवाई जो स्रोत विशिष्ट है और न कि रक्षोपाय जांच की तरह विश्व के विपरीत है।

viii. याचिकाकर्ता द्वारा 21.10.2013 के पत्र में अनपेक्षित व्यापार उपचारी उपायों के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़े तथ्यों का बिल्कुल भिन्न प्रस्तुतिकरण करता है क्योंकि यह नोट किया जा सकता है कि अधिकांश मामलों में वेल्डेड या सीमलेस ओसीटीसी का बहुत ही संकुचित दायरा लिया जाता है और यह कि अधिकांश सब्सिडी मामले एडी जांच से जुड़े होते हैं और उन्हें प्रथक से नहीं देखा जाना चाहिए। यह भी उल्लेख किया जाता है कि दो मामलों को छोड़कर यह केवल एडी और चीन के विरुद्ध सीवीडी जांच से संबंधित है।

ix. निम्नलिखित जांच में अंतर्ग्रस्त उत्पादों का डीजीएस के समक्ष लम्बित मौजूदा जांच पर कम प्रभाव है:

व्यापार उपचारी साधन	अधिरोपणकर्ता देश	प्रभावित देश	शुल्क की रेंज	उत्पाद दायरा	टिप्पणियां
पाटनरोधी	संयुक्त राष्ट्र	चीन	48.99% – 98.74%	वर्ष 2009 से स्टैंडर्ड लाइन और प्रेसर पाइप का मामला	पुराना मामला इसका इस जांच से अधिक समान दायरा है
सब्सिडी	यूएस	चीन	13.66% – 53.65%		
पाटनरोधी	कनाडा	चीन	39.00% – 166.9%	वर्ष 2009 से वेल्डेड और सीमलेस कार्बन तथा अलाय ओसीटीजी माला	पुराना मामला इसका इस जांच से अधिक समान दायरा है
सब्सिडी	कनाडा	चीन	91.26 – 4,070.00 आरएमबी/मीटन		
पाटनरोधी	यूरोपियन यूनियन (ईयू)	चीन	48.3% – 71.9%	स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप 2011 से मामला	दायरा जांच से बिल्कुल भिन्न है
पाटनरोधी	ईयू	रुस उक्रेन	12.3% – 35.8%	वर्ष 2006 से मामला 4064एमएम तक की ओडी का रिव्यू मामला	बहुत पुराना मामला दायर बिल्कुल भिन्न
पाटनरोधी	चीन	ईयू और जपान	9.2% – 14.4%	उच्च निष्पादन स्टेनलेस स्टील	दायरा इस जांच से पूर्णतया भिन्न

रक्षोपाय (4 वर्ष)	इंडोनेशिया	विकासशील देश के अपवाद को छोड़कर (वैश्विक मामला)	आरपी 28,429 प्रति किग्रा. –आरपी 27,126 प्रति किग्रा. (वर्ष दर वर्ष घटती दर पर)	मामला वर्ष 2012 से ओसीटीजी 14" तक जिसकी उत्पादन क्षमता 750000पीएसआई के समान या उससे अधिक होगी	इस जांच के रुप में बहुत सीमित आइडेन्टिकल दायरा
पाटनरोधी	यूएस	भारत, कोरिया, फिलीपीन्स, सऊदी अरेबिया, ताइवान, थाईलैंड, तुर्की, उक्रेन और वियतनाम	सतत जांच	वेल्डेड और सीमलेस ओटीजी वर्ष 2013 से नया मामला	यह मामला वर्तमान जांच प्रारंभ होने के पश्चात शुरु किया गया और इस जांच के रुप में बहुत सीमित आइडेल्न्टिकल दायरे है
सब्सिडी	यूएस	भारत और तुर्की	सतत जांच		

x. याचिकाकर्ता का "अनपेक्षित व्यापार उपचारी कार्रवाई" संबंधी तर्क ही भ्रामक है क्योंकि अधिकांश उपाय वर्ष 2008-09 से प्रभावी है। पुन: यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इंडोनेशिया रक्षोपाय मामले नए हैं और नौ देशों (भारत कोरिया फिलिपीन्स, सऊदी अरेबिया, ताईवान, थाईलैंड, तुर्की, उक्रैन और वियतनाम) के विरुद्ध यूएस पाटनरोधी जांच तथा दो देशों (भारत और तुर्की) के विरुद्ध प्रतिवलनकारी जांच वर्तमान जांच प्रारंभ होने के पश्चात अगस्त, 2013 में प्रारंभ की गई थी।

xi. ईयू से भारत को आंकड़े सकल रुप से त्रुटिपूर्ण हैं।

मात्रा में त्रुटि: याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराए गए 'आयात आंकड़े-जनवरी से मार्च, 2013 (डीजीसीआई एंड एस) अनुबंध के अनुसार आयात मात्रा का 30 प्रतिशत टैव पीयूसी कैट लाइन से 73041910 ट्यूब्स स्पेन के मल से (27315 केटी,(93.51 केटी) है। परंतु यूरोपियन सीमाशुल्क डाटाबेस के अनुसार वर्ष 2012 की चौथी तिमाही और 2013 की पहली तिमाही में कैट 73041910 के भारत को कुल निर्यात 109 टी के ही थे।

कीमत में त्रुटि: इस 27.3 केटी कपलिंग की यूनिट कीमत रुपये 655 होगी (जो~ 10 $ टी के समरुप होगी)। यूरोपियन यूनियन के मूल के कैट 873041990 ट्यूब्स के आयातों के लिए 900 से 1300$ टी के बीच की कीमत पर 4.3 केटी मात्रा रिपोर्ट की गई। परंतु यूरोपियन सीमा शुल्क डाटाबेस के अनुसार कैट 73041990 के भारत को निर्यात वर्ष 2012 की चौथी तिमाही+2013 की पहली तिमाही में 500$टी की औसत कीमत पर हुए।

वर्गीकरण के संबंध में त्रुटि: याचिकाकर्ता ने पीयूसी के अंतर्गत कुछ शीर्षों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया है। इस संबंध में वैलोरेक उल्लेख करता है कि श्रृंखला 7341910 और श्रृंखला 7341990 को केवल लाइन पाइप्स में शामिल करना चाहिए। परंतु घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार उन श्रेणियों में से कुछ मदों का वर्णन लाइन पाइप से संबंधित बिल्कुल नहीं है। उदाहरण: ड्रिल ट्यूब, अलाय स्टील, बेयरिंग के लिए ट्यूब्स)

xii. याचिकाकर्ता ने केवल वही जानकारी प्रस्तुत की है जो उसकी जरुरत के अनुकूल है और शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए विश्वास करने योग्य परिदृश्य प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित वस्तु 2009 वैश्विक मंदी का वर्ष था।

xiii. यदि संदर्भ वर्ष 2008 से 2010 को लिया जाता है तो यह स्पष्ट होगा कि ईयू से भारत को निर्यात में कोई वृद्धि हुई ही नहीं है। चीन द्वारा उद्ग्रहित पाटनरोधी उपाय केवल उच्च निष्पादन वाले स्टेनलेस स्टील उत्पादों से संबंधित हैं जो बहुत सीमित टनेज (क्रोम 16 प्रतिशत से अधिक) के है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चीन में शुल्क के अधीन उत्पादों को डीजीएस के समक्ष न केवल वर्तमान जांच के दायरे में शामिल किया गया है और इस प्रकार याचिकाकर्ता का यह कथन कि चीन की बाजार से भारत को आयात का पाटनरोधी शुल्क के कारण विपथन हुआ भी भ्रामक है।

xiv. यूरोस्टेट सांख्यिकी के अनुसार ईयू से कुल आयात में निरंतर कमी हुई है और वर्ष 2013 के पहले छह माह में यह बहुत न्यून स्तर पर पहुंच गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीएलपी के बिना (वेल्कोरेक दावा करता है कि पाइपलाइन अभितटीय को पीयूसी से हटा दिया जाए) ई यू से भारत को निर्यात, घरेलू उद्योग द्वारा इंगित किए जा रहे के विपरीत ''संकट के वर्षो'' के पश्चात, में लगातार कमी आई।

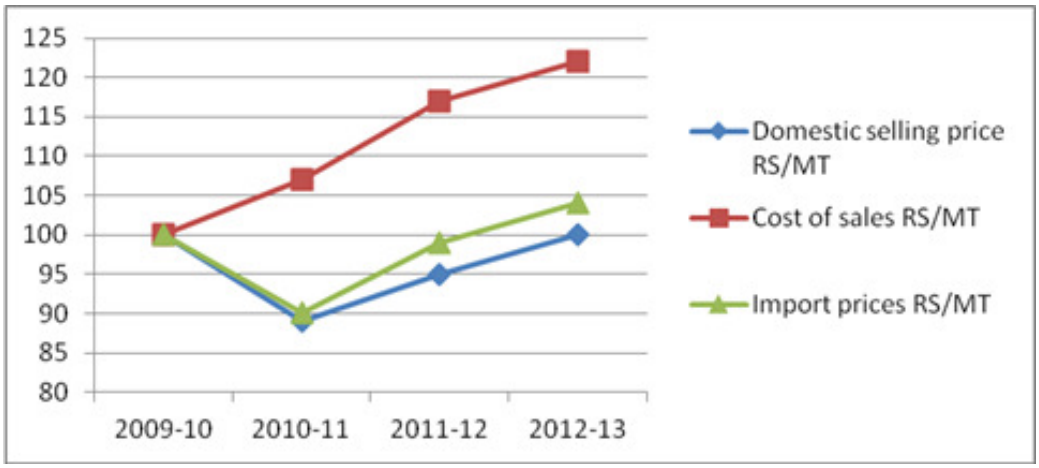
निर्यात ईयू-भारत

मीट्रिक टन में	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (जनवरी से मई)	2013 वार्षिकीकृत
कुल निर्यात यूई-भारत	130132	86079	136665	120435	98510	21593	51823
पाइप लाइन के बिना	84286	53840	107598	96977	66812	15817	37961

स्रोत: यूरोस्टेट

xv. याचिकाकर्ता का यह निवेदन कि यूएसए में नियोजित नई क्षमताओं का वर्तमान जांच में बिना किसी गुणावगुण के कोई प्रभाव है क्योंकि यह निवेश शाले गैस का विकास करने के लिए केवल यूएस बाजार के लिए थे। यूएसए में विस्तार की योजना के संबंध में यह यूएस बाजार में मांग को पूरा करने के लिए है। चीन की बेशी क्षमता के संबंध में वैलोरेक ने उल्लेख किया कि घरेलू उद्योग की वही चिन्ता यह भी दर्शाती है कि चीन के विरुद्ध पाटन का मामला बनाया जा सकता है जिसके लिए डीजीएस एक उपयुक्त प्राधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त, जमील पाइप्स वेल्लोरेक द्वारा इसके अधिग्रहण से पहले मौजूद था और इस प्रकार याचिकाकर्ता के लिए यह प्रस्तुत करना असत्य है कि इस संव्यवहार से अतिरिक्त द्वामता का सृजन किया गया क्योंकि संव्यवहार का प्रयोजन सऊदी अरब की कंपनियों को स्थानीय प्रस्ताव सुदृढ़ करने के लिए था।

xvi. जहां तक कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि बावजूद आयात की न्यून कीमतों के आरोप के संबंध में वेलोरेक/ट्यूबोस ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने मूल प्रस्तुतिकरण में प्रदान कराए गए आंकड़ों और अपने दिनांक 21.10.2013 के पत्र में प्रदान कराए गए ग्राफिक प्रस्तुतिकरण को एक साथ रखकर देखने से निम्नलिखित स्थिति बनती है:



xvii. भारतीय उद्योग, यद्यपि इसकी लागत में बढ़ोत्तरी हो रही थी, ने वर्ष 2010-11 में अपनी कीमतों में आयात की कीमतों से भी कम कीमत निर्धारण किया था। याचिकाकर्ता ने आयातों की तुलना में अपनी कीमतों में वर्ष 2011-12 और 2012-13 में कम वृद्धि की है जो एक बार पुन: यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति स्वयं द्वारा सृजित की गई है।

xviii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदर्शित आयातकों द्वारा कीमत में कमी वर्ष 2009 की तीसरी तिमाही तक पूरे विश्व में कच्चे माल की लागत में कमी के अनुरुप है जिसका वर्ष 2010-11 में उत्पादित पाइपो की लागत पर भी प्रभाव पण है। इसके परिणामस्वरुप ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे भारतीय लागत में उसी अवधि में बढ़ोतरी हुई होती और इसके अतिरिक्त यह कि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण भी नहीं हुआ।

विचाराधीन उत्पाद की बहुत व्यापक परिभाषा दी गई है जिससे कि इसमें उन उत्पादों को भी शामिल किया जा सके जिनका विनिर्माण याचिकाकर्ता द्वारा नहीं किया जाता है।

xix. यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ पीयूसी को बहुत व्यापक रुप से परिभाषित किया गया है और अधोलिखित कतिपय उत्पादों को जांच के दायरे से अलग कर दिया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता उनका विनिर्माण करने में सक्षम नहीं है और/ या विनिर्मित उत्पाद इस पीयूसी/निविदाकर्ताओं के भारतीय ग्राहकों के तकनीकी विनिर्देशनों को पूरा नहीं करते है:

- आयल कंट्री ट्यूबलर सामान जैसे लाइन पाइप्स, केसिंग पाइप्स उत्पादन ट्यूबिंग आदि क्योंकि घरेलू उद्योग ने उनकरा ओएनजीसी को आपूर्ति करने की निविदा प्राप्त कर ली है।
- हाई प्रेसर सिलिण्डर पाइप्स क्योंकि वे विस्फोटक निदेशक द्वारा अनुमोदित नहीं है।
- पीयूसी की वह मात्रा जिसका भेल द्वारा अपने विद्युत संयंत्रों के लिए आयात किया जाता है जहां भारतीय उत्पादकों ने या तो अर्हता ही प्राप्त नहीं की है या बायलर्स के लिए राइफल ट्यूब्स की गुणवत्ता की समस्या के कारण उन्हें होल्ड पर रखा गया है।

xx. वैलोरेक ट्यूबोस ने उल्लेख किया है कि अभितटीय अनुप्रयोग (परियोजना लाइन पाइप) के लिए प्रयोग किए जाने वाले सीमले स्टील पाइप को वर्तमान जांचद के दायरे से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इस उत्पाद का उत्पादन या तो विनिर्माता द्वारा किया ही नहीं जाता है या वे निविदार्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते है।

xxi. भारतीय ग्राहक इन पाइप्स का आर्डर केवल विदेशी क्वालीफाइड ग्राहकों को ही दे रहे हैं क्योंकि कोई भी स्थानीय प्रदायक इन उत्पादों के तकनीकी विनिर्देशनों को पूरा नहीं करता है और उनको ग्राहक वेण्डर सूची में सूचीबद्ध नहीं किया जाता है।

xxii. जिंदल एसएडब्ल्यू केवल एसएडब्ल्यू पाइप्स की ही आपूर्ति कर सकता है और मुख्य उद्योगों का सीमलेस पाइप्स का उत्पादन करने वाला को संयंत्र नहीं है।

''एसएडब्ल्यू का आशय सबमर्जड आर्क वेल्डेड से होता है और इसका आशय है कि लाइन पाइप के अनुमोदन प्राप्त उत्पादकों की सूची में केवल दो भारतीय उत्पादकों का नाम है (एनएसीई एवं गैर एनएसीई)-(एपीआई मोनोग्राम) जिंदल और मान इंडस्ट्री केवल वेल्डेड पाइप्स के लिए क्वालीफाइड है न कि सीमलेस पाइप्स के लिए।

भारतीय उत्पादक सीमलेस पाइपिंग कार्बन स्टील गैर एनएसीई (अप्रिय गैस के लिए गैर अवरोधक) के लिए क्वालीफाइड हैं देखें पेज 5 मद 13 और वे सीमलेस पाइपिंग कार्बन स्टील एनएसीई के लिए क्वालीफाइड नहीं है(पृष्ठ 3 मद सं.17 देखें)

xxiii. भारतीय उत्पादक प्रीमियम पाइप्स जैसे x52क्यू की आपूर्ति करने के पात्र नहीं है और वे उच्चतर ग्रेड जैसे एक्स 60क्यू का उत्पादन नहीं कर सकते हैं और यही ग्रेड अभितटीय लाइन पाइप कारोबार में सबसे ज्यादा अपेक्षित है और इसलिए उपर्युक्त उत्पादों को वर्तमान जांच के दायरे से हटा दिया जाना चाहिए।

xxiv. यह भी उल्लेख किया जाता है कि अभितटीय अनुप्रयोग के लिए लाइन पाइपों को भी हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी सामान्यत: आपूर्ति भारतीय भूभागीय जल से बाहर होती है।

xxv. यदि भारतीय कंपनियों द्वारा आयातित ट्यूब्स एवं पाइप्स पर रक्षोपाय शुल्क व वसूल किया जाता है तो इसका इन उत्पादों के अंतिम प्रयोक्ता की लागत वृद्धि होने का प्रभाव पड़ेगा और इन उत्पादों की कमी हो जाएगी। अत: यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तेल एवं गैस कंपनियों जैसी कंपनियां जनता की सेवा कर रही हैं तो उस पर रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा।

xxvi. ट्यूबोस ने उल्लेख किय कि हीट एक्सचेंजर पाइपों और पैट्रोकैमिकल ट्यूब्स (कार्बन और अलाय सामग्री) के लिए कोल्ड ड्रान बायलर्स के आयात को वर्तमान जांच के दायरे से अलग कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उक्त उत्पाद के आयातों का प्रभाव भारतीय विनिर्माताओं पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यूरोपियन बाजार हिस्सा न्यूनतम का नगण्य है।

xxvii. मर्टेक्स ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान जांच के विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल उत्पाद में से याचिकाकर्ता निम्नलिखित का विनिर्माण करने में सक्षम नहीं है:

4-1/2 टयूबिंग: ट्यूबिंग केसिंग की तुलना में कम ब्यास का पाइप होता है जो 1.050 और 4.500 के बीच होता है। ट्यूबिंग को केसिंग के अंदर संस्थापित किया जाता है और इसका प्रयोग तल तक तेल या गैस ले जाने के लिए किया जाता है।

ड्रिल पाइप: आई एसएमटी सहित कोई भी याचिकाकर्ता/समर्थाकर्ता इस उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए तकनीकी रुप से क्वालीफाइड नहीं है।

ग्रेड एन-80 और जे-55 के अलावा 9-5/8 ग्रेड के केसिंग पाइप: आईएसएमटी उच्चत ग्रेडों का निर्माण करने में सक्षम नहीं है इसके अतिरिक्त, आईएसएमटी एल-80, पी-10, सी-95, क्यू-125 ग्रेड का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है।

ट्यूविंग्स: आईएसएमटी लिमिटेड ने विकास/परीक्षण आदेश के लिए अनुरोध किया है।

xxviii. पीयूसी के दायरे के अंतर्गत आने वाले और निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए को आईएसएमटी, निविदा सं. जेडएनसीआर सी 12004 दिनांक 18.12.2012, ओएनजीसी द्वारा दायर, द्वारा विकास आदेश के रुप में प्रकट हुआ है।

मद सं.	विवरण
09	9-5/8",एल-8047#,बीटीसी
10	9-5/8",पी-110, 47पीपीएफबीटीसी
11	9-5/8",क्यू-125, 53.5 पीपीएफबीटीसी
12	7",एल-80,26 पीपीएफबीटीसी
13	7" 29पीपीएफ एल-80 बीटीसी

14	7"पी-110,29पीपीएफ बीटीसी
17	5-1/2"20पीपीएफ पी-110 बीटीसी
18	5-1/2"17पीपीएफ एल-80 बीटीसी
24	9-5/8" एल-8047# बीटीसी
26	9-5/8" पी-110, 47 पीपीएफ बीटीसी
27	7" एल-80,26 पीपीएफ बीटीसी
28	7" 29पीपीएफ एल-80 बीटीसी
31	5-1/2" 20पीपीएफ पी-110 बीटीसी

xxix. मर्टेक्स ने प्रस्तुत किया है कि उक्त निविदा में आईएसएमटी ने 31248.56 एमटी का विकास/परीक्षण आदेश के लिए प्लेस किया था। जब याचिकाकर्ता इतने विलम्ब से आदेश प्रस्तुत करते हैं तो मर्टेक्स को क्षति के दावे के लिए दोषी किस तरह ठहरा सकते है।

xxx. यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने कतिपय ग्रेडों का प्रस्ताव किया है क्योंकि वे उनका निर्माण नहीं करते हैं और यदि उन्होंने उसका प्रस्ताव किया है तो वह केवल विकास आदेश के रुप में प्रतीत होता है।

xxxi. याचिकाकर्ता ओएनजीसी द्वारा निकाले गए टेंडर में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने के कारण क्वालीफाई नहीं कर पाया। ओएनजीसी की जरुरतों के अनुरुप पीयूसी का उत्पादन करने में याचिकाकर्ता की अक्षमता से रक्षोपाय शुल्क लगाने की मांग नहीं की जा सकती है।

अपर्याप्त साक्ष्य, सूचना और याचिका के अगोपनीय सार से संबंधित प्रकार्यात्मक मुद्दों के संबंध में

xxxii. याचिकाकर्ता अपनी याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा सकारात्मक समायोजन करने के संबंध में किए जा रहे प्रयासों संबंधी किसी सूचना का प्रकटन नहीं किया है।

xxxiii. आयात, घरेलू उत्पादन, घरेलू बिक्रियों और बाजार हिस्सा के संबंध में याचिका तथा जांच शुरुआत नोटिस में अंतर याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत जानकारी की विश्वसनीयता और यथार्थता पर प्रश्न चिह्न लगा देता है।

xxxiv. उत्तरोतर उदारीकरण सहित सकारात्मक समायोजन करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए जा रहे प्रयासों और उपायों के संबंध में सूचना का प्रकटन न कर पाना रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 5(2) (ख) का उल्लंघन है:

''किए जा रहे या किए जाने के लिए योजना के प्रयासों या दोनों का विवरण आयात प्रतिस्पर्धा के साथ सकरात्मक समायोजन करने हेतु''

xxxv. ऐसी सूचना के प्रावधान के अभाव तथा डीजीएस के समक्ष सार्वजनिक सुनवाई के दौरान किए गए अभ्यावेदन पर डीजीएस ने याचिकाकर्ताओं को अनुदेश दिया कि वे सभी हितबद्ध पक्षकारों को 6.09.2013 तक अगोपनीय पाठ प्रदान कराएं। डीजीएस के उक्त आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं ने अपनी-अपनी कंपनियों के लिए पुनर्गठन योजना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

xxxvi. वेल्लोरेक, ट्यूबोस और मर्टेक्स ने प्रस्तुत किया है कि सकारात्मक समायोजन के लिए उठाए जा रहे कदम में ऐसे किसी आंकड़ों का प्रकटन नहीं किया गया है जिसमें किसी 'व्यवसाय प्रापरीटरी सूचना, जिसका सार तैयार न किया जा सकता हो' का दावा नहीं किया गया। अत: यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता सकारात्मक समायोजन के लिए किए जाने वाले प्रयासों से संबंधित सूचना का प्रभावी प्रकटन करने में अक्षम रहे।

xxxvii. वेल्लोरेक, टयूबोस और मर्टेक्स ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंयिा लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। अधिनियम की धारा 9क तथा पाटनरोधी संबंधी नियमों का निपटान करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि गोपनीय सूचना के साथ-साथ उसका अगोपनीय पाठ अवश्य दिया जाए।

xxxviii. याचिकाकर्ताओं द्वारा आंकड़ों का किसी प्रभावी प्रकटन के अभाव में वेल्लोरेक ट्यूबोस और मर्टेक्स की अपने हितों की समुचित रक्षा करने की विधायी प्रक्रिया धीरे-धीरे कम हो गयी।

याचिकाकर्ताओं ने अर्थक्षम समायोजन योजना प्रकटन नहीं किया

xxxix. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित पुनर्गठन योजना सीमित प्रकटन विवरण यह दर्शाता है कि वह घरेलू उद्योग द्वारा संसाधनों जैसे कच्चे माल का बेहतर उपयोग, विद्युत और ऊर्जा तथा कार्मिकों एवं मालसूची प्रबंधन, उत्पादन एवं प्रसंस्करण लागत में कमी आदि के कार्यकुाश्ल प्रबंधन पर आधारित है।

xl. प्रस्तावित पुनर्गठन योजना उस तरीके का प्रकटन नहीं करती है जिसक प्रयोग करके याचिकाकर्ता अपने लक्ष्य प्राप्त करेगा। इस क्रियाप्रणाली का प्रकटन के अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि कार्यकुशलता बढ़ाने वाले इन योजनाओं को कार्यरुप में किस तरह परिणत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित पुनसमायोजन के अनुरुप आंकड़ों का दावा करके और उपर्युक्त क्रियापद्धति का प्रकटन न करके याचिकाकर्ताओं ने वेल्लोरेक और ट्यूबोस वर्तमान याचिका में खुद को रक्षित रखने में असमर्थ रहा।

याचिकाकर्ताओं को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई और क्षति (यदि कोई) अन्य कारकों के कारण हुई है।

xli. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसर घरेलू बिक्रियों में वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में 100-106-12-96 की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2012-13 में बिक्री में गिरावट उक्त वित्त वर्ष में आयातों में गिरावट के अनुरुप है।

xlii. मांग में याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से के संबंध में वह वित्त वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में 47-46-43-38 के रुप में रहा।

xliii. बाजार हिस्से में थोड़ी सी गिरावट इस तथ्य के कारण आई कि याचिकाकर्ता पीयूसी के कतिपय ग्रेडों के लिए मांग को पूरा करने में अक्षम रहा और इस जरुरत के लिए आयातों ने रिक्त स्थान को भरा है। इन उत्पादों का अपवर्जन करने के लिए आयात आंकड़ों को अपनाया जाना चाहिए।

xliv. याचिकाकर्ताओं के रोजगार में वित्त वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में निम्नलिखित सीक्वेन्स (3588-4010-4380-4884) में वृद्धि हुई। नए कर्मचारियों की भर्ती यह दर्शाती है कि याचिकाकर्ता अच्छा व्यवसाय कर रहे है।

xlv. मर्टेक्स ने प्रस्तुत किया है कि मालसूची का संग्रह इस तथ्य के आधार पर है कि विकासात्मक आर्डर दिए जा रहे हैं और यह कि याचिकाकर्ता उप-स्टैण्डर्ड उत्पादों का विनिर्माण करते हैं जो ओएनजीसी जैसे निविदाकर्ताओं की जरुरतें पूरा करने में अक्षम हैं।

xlvi. याचिकाकर्ताओं ने घरेलू बाजार में मांग से अधिक क्षमता संस्थापित कर रखी है इसलिए मालसूची का संग्रह होना आवश्यक है।

xlvii. महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 में उल्लेख है कि कंपनी ने 341.66 करोड़ रुपये का निवल लाभ प्राप्त किया।

xlviii. भारत को कम निर्यात कीमत के संबंध में यह कहा जा सकता है कि भारतीय बाजार में निर्यात संव्यवहार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा होता है। इसका आशय यह है सभी निविदा बोली दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों के अनुरुप बोली लगाते हैं।

xlix. किसी उत्पाद जिसके लिए निविदाएं/प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सीलबद्ध निविदा में प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा डिक्टेट किया जाता है। सभी प्रदायक अपनी कीमत बोली अपनी कीमत निर्धारण और मार्जिन पर लगाते हैं ओर निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी न्यूनतम कीमत को स्वीकार करता है।

l. आईसीबी प्रक्रिया क्रेताओं के हितों की रक्षा करता है और 'क्रेता बाजार' स्थापित करता है जिसमें क्रेतागण एकाधिकार क्रेता की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार क्रेतागण आईसीवी प्रक्रिया का प्रयोग सर्वोत्तम कीमतें प्राप्त करने के लिए करते है और सफल बोलीदाता वह व्यक्ति होता है जो प्रतिस्पर्धात्मक कीमत बोलियों के बीच न्यूनतम बोली लगाता है।

li. याचिका का संहत पाठ यह सुझाता है कि रक्षोपाय साधन का अधिरोपण करने के बजाय पाटन के लिए एक मामला बनाया जा रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित उद्धरण के प्रति याचिका में डीजीएस का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है:

- 'कच्चे माल की वैश्विक कीमतों में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हो रही है जिसकी बजह से विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में वैश्विक वृद्धि हुई। तथापि विदेशी उत्पादकों ने कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के अनुरुप वृद्धि नहीं की इसलिए सम्बद्ध वस्तु घरेलू उद्योग तथा अन्य देशों की तुलना में कम रही।'
- आयातों तथा घरेलू उद्योग की बिक्री के बीच कीमतों का अंतर बहुत अधिक है और इसके बढ़ने की संभावना है। अत: सम्बद्ध वस्तु का आयात बहुत आकर्षक बने रहने की संभावना है।''

lii. प्रतिवादियों ने आईएसएमटी की वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 से निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत किया।

'उपभोक्ता सेक्टर में किसी मंदी और चीन के विनिर्माताओं से पाटन के स्तर में वृद्धि आपकी कंपनी के मार्जिन को चुनौती उत्पन्न कर सकती है। आपकी कंपनी भारत सरकार से सतत लम्बी बनाए रखेगी जिससे चीन द्वारा पाटन से घरेलू बाजार की रक्षा की जा सके।'

liii. आई एसएमटी की वर्ष 2009-10 की वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है

''.. विकसित राष्ट्रों की बाजारों में बढ़ते शुल्क का सामना करके चीन अब विश्व के शेष भागों जैसे मध्यपूर्व, उत्तर अफ्रीका, दक्षिण पूर्व भारत में सीमलेस ट्यूब्स का पाटन कर रहा है।''

liv. प्रतिवादियों ने एमएलएस की वर्ष 2009-10 और 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट का भी उल्लेख किाय है जिससे यह सुझाव मिलता है कि रक्षोपाय साधन के अलावा पाटनरोधी का मामला तैयार किया जा रहा है।

lv. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क का आकलन एवं पहचान) नियमावली, 1997 ('रक्षोपाय नियम') के नियम 8 के अनुबंध के अनुसार जब सम्वर्धित आयातों के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति कारित हो रही हो तो (उदाहरार्थ पाटन) ऐसी क्षति के लिए बढ़ते आयातों को जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता है तदनुसार महानिदेशक को यह मामला पाटनरोधी प्राधिकारी या प्रतिवलनकारी शुल्क प्राधिकारी को अंतरित कर देना चाहिए।

lvi. याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के अंतर्गत दावाकृत, रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की मांग करते हुए कथित क्षति निम्नवत है:

- घरेलू उद्योग के हिस्से में कमी आई है
- आयातित उत्पाद की कीमतें स्थानीय उद्योग की कीमतों से कम हैं
- घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में कमी आती है।
- घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में कमी आई है।
- घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।

lvii. प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया है कि इन कारकों पर डीजीएडी द्वारा नियम 8 के अनुबंध में उल्लिखित पाटनरोधी जांच के दायरे में विचार करना चाहिए।

lviii. कथित पाटन द्वारा की गई क्षति, जैसा कि वार्षिक रिपोर्टों और याचिका में की गई स्वीकारोक्तियों से स्पष्ट है, को आयातों द्वारा कारित की जा रही क्षति से प्रथक करके नहीं देखा जा सकता है और इसलिए रक्षोपाय शुल्क के लिए यह आवेदन बनाए नहीं रखा जा सकता है।

lix. स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़ से संबंधित रक्षेपाय जांच, जिसे 26.02.1998 को रोक दिया गया और अंतत: 1.05.1998 को, डीजीएडी द्वारा 7.04.98 को पाटनरोधी जांच प्रारंभ कर दिए जाने से कारण बंद कर देना पड़ा।

lx. प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं को कारित क्षति स्वयं स्फूत है और यह कि कभी कभार हुई क्षति ओएनजीसी जैसी कंपनियों द्वारा निकाली गयी विभिन्न निविदाओं के लिए बोली के दौरान घरेलू उद्योग के संघटकों के बीच कीमत प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है।

lxi. याचिकाकर्ता विदेशी विनिर्माताओं/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत कीमत को पूरा करने में सक्षम नहीं है यह तर्क सही नहीं है क्योंकि यह एक ऐसी प्रवृत्ति रही है जिसमें जिंदल एसएडब्यलू एमएसएल या आईएसएमटी द्वारा उदधृत कीमतों का मुकाबला करने के लिए अक्सर अपनी कीमतें कम कर देता है।

lxii. बोली प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि याचिकाकर्ताओं तथा घरेलू उद्योग ने अधिकांश विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों से कम कीमतें प्रस्तुत की है जो क्षति के दावे को नकार देता है। उदारहण के लिए ओएनजीसी द्वारा आमंत्रित दिनांक 1.2.2008 की निविदा संख्या एनओजेडएनसीजेसी07008 बीटीसी केसिंग के मामले में यह देखा गया कि मर्टेक्स यूके द्वारा प्रस्तुत कीमतें एल1 और एल2 द्वारा प्रस्तुत कीमतों से 276 रुपये अतिरिक्त थी जिसमें आईएसएमटी द्वितीय बोलीदाता था।

कारणत्व का कोई साक्ष्य नहीं

lxiii. जब तक इस तथ्य का कोई साक्ष्य न हो कि आयातों की बढ़ी हुई मात्रा घरेलू उद्योग जो समान या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी उत्पादों का उत्पादन करता है, को गंभीर क्षति की गई हो या गंभीर क्षति करने की चुनौती दी गई हो, तब तक रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित या उसमें वृद्धि नहीं की जा सकती है।

lxiv. प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि कथित वर्धित आयातों और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद होना चाहिए। वर्तमान जांच में कथित क्षति घरेलू उद्योग के हिस्से में कमी, स्थानीय उद्योग की कीमतों की तुलना में आयातित उत्पाद की कम कीमतें, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में कथित कमी, घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में कथित गिरावट तथा घरेलू उद्योग की मालसूची में बढ़ोतरी के संकेतक मौजूद है। यह प्रस्तुत किया गया कि घरेलू उद्योग को क्षति और आयातों के बीच कारणात्मक संबंध टूट गया है क्योंकि कथित क्षति के लिए उपर्युक्त कारणों को पाटन के साथ जोड़ा जा सकता है जिसके लिए डीजीएडी द्वारा समुचित जांच की जानी चाहिए।

घरेलू उद्योग का आधार

lxv. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के 'बड़े भाग' का प्रतिनिधित्व करने की अपेक्षा को पूरा नहीं करते है। किसी व्यापार उपचार जांच में केवल 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन होने पर कुल उत्पादन के बड़े भाग का दावा करने और तद्वारा घरेलू उद्योग के रुप में याचिका दायर करने का हम नहीं बन जाता है। वैलोरेक और ट्यूब्स ने पाटनरोधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 4.1 का निर्वचन करने के लिए 397-ईसी स्टील फासेनर्स में अपीलीय निकाय के निर्णय पर भरोसा किया है।

ग. नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोलकाता

i. नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनबीसी) बाल एवं रोलर बेयरिंग का अग्रणी विनिर्माता और 1000 से अधिक आकार के प्रति वर्ष 100 मिलियन बेरिंग का उत्पादन करता है और 5 उपमहाद्वीपों के भारत तथा 21 अन्य देशों के ग्राहकों की सेवा करता है।

ii. बेरिंग उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल टैरिफ मद 73045110 (एसएई 52100, एसएई 8720 और एसयूजेड) की बेरिंग ग्रेड का सीमलेस स्टील ट्यूब और स्टील बाल्स है।

iii. कंपनी बेरिंग ग्रेड सीमलेस स्टील ट्यूब्स की लगभग संपूर्ण जरुरत का आयात करती है।

iv. आईएसएमटी दायरे विनिर्देशनों के अनुरुप (मोटाई) के ट्यूब्स की आपूर्ति करने में अक्षम है जिससे 7 प्रतिशत तक माल बेकार चला जाता है और इस मोटाई को कम करने के लिए अतिरिक्त प्रोसेसिंग लागत लगती है।

v. आईएसएमटी के गंभीर सुपुर्दगी मुद्दे भी है। निर्धारित समय के अंतर्गत आर्डर पूरे नहीं किए जाते हैं।

vi. अभी हाल ही में आईएसएमटी ने दिनांक 30 सितम्बर, 2013 के बीजक संख्या डीएएल-1304509 के तहत टीएमबी 6007 आउटर और टीएमवी 6306/25 इनर बेरिंग ट्यूब की आपूर्ति की है। यह ट्यूब कठोर गुणवत्ता

मानको को पूरा करने में असफल रहे और कंपनी ने अक्तूबर, 2013 को शिकायत सं. सीएमपीएल 001929 दर्ज की है।

vii. आईएसएमटी के उत्पाद अवमानक गुणवत्ता के हैं इसलिएहमें आयात का आश्रय लेना पड़ता है।

viii. सार्वजनिक सुनवाई के समय घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक विवाद के रुप में गुणवत्ता का मुद्दा उठाया था और इसलिए यह वर्तमान जांच के लिए अनादरयुक्त है। एनईआई द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'समान वस्तु या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी वस्तु' का निर्धारण करने का सर्वाधिक मान्य मापदंड 'ग्राहक अववोधन' है और यदि ग्राहक अववोधन में घरेलू वस्तु की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरुप नहीं है तो उसे आयातित वस्तु के समान वस्तु या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी वस्तु के रुप में नहीं माना जा सकता है।

ix. बेरिंग ग्रेड स्टील ट्यूब पर रक्षोपाय शुल्क की उगाही का बेरिंग उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

x. शिकायकर्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में सभी अनुप्रयोगों के लिए सभी ग्रेडों के सभी प्रकार के सीमलेस स्टील ट्यूब को शामिल कर लिया है।

xi. प्रथम दृष्टया बैरिंग ग्रेड के सीमलेस ट्यूब (एसएई 52100 एसएई 8720 और एसयूजे 3) को पीयूसी के दायरे में शामिल किया गया है।

xii. डीजीएस ने 'एल्युमिनियम फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स और एल्युमिनियम फ्वाइल-पीआरसी' में समान वस्तु या प्रतयक्षत: प्रतिस्पर्धी वस्तु का मूलयांकन करने के लिए निम्नलिखित पैरामीटर्स निर्धारित किए हैं-

- 'समान वस्तु' के मामले में क्या तुलना के अधीन दो मदें सभी तरह से बिल्कुल समान या सुदृश हैं
- तकनीक गुणधर्म
- अन्त:परिवर्तनीयता एवं प्रयोग
- संभावित प्रयोग
- विपणन सरणी
- कीमत आदि

xiii. डीजीएस ने उन मामलों में रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने से मना कर दिया जहां 'समान या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी' का दावा तथ्यों एवं विधि के अनुरुप विवादाधीन होता है। एनईआई ने महानिदेशक (रक्षोपाय) एवं डब्लयूटीओ अपीलीय जांच परिणाम में निम्नलिखित पाया है:-

- प्लेन पार्टिकल बोर्ड (पैरा 57-60)
- हाट रोल्ड क्वाइल्स/शीट्स/स्ट्रिप्स (पैरा 66-69)
- आक्सो अल्कोहल
- कारबन ब्लैक
- यूएसए लैम्ब
- यूएसए स्टील उत्पाद (पैरा 319)
- कोरिया-अल्कोहलिक पेय (पैरा 142-145)

xiv. सभी सीमलेस ट्यूब्स एक जैसे नहीं है। विभिन्न वर्गीकरणों के बीच भारी कीमत अंतर है जो स्पष्टत: यह सिद्ध करता है कि विभिन्न शीर्षकों के टयूब्स प्रतिस्थापनीय नही है। यही तर्क वित्त वर्ष 210314 के प्रथम पांच महीनों के लिए किए गए आयातों पर भी लागू होता है-

	एचएस 73045110 (अप्रैल –अगस्त,2013)		
वर्ष	आयात (एमटी)	आयातों का मूल्य (लाख	दर प्रति एमटी

		रुपयें में)	(रुपये)
चीन पीआरपी	3630.10	2547.2998	70172
फिनलैंड	5500	8.75982	159269
जर्मनी	9.949	15.75368	158344
इटली	4.14	19.55856	472429
जापान	3.862	16.52759	427954
स्पेन	34.269	82.39855	240446
स्वीडन	1.871	19.25848	1029315
ताइवान	5.440	13.78522	253405
थाइलैंड	6.116	25.05924	409733
यूएसए	0.520	0.55026	105819
कुल	3701.770	2748.9512	74260

xv शिकायकर्ताओं के अंतिम प्रयोक्ता मुख्यत: ओसीटीजी का प्रयोग करने वाले ऊर्जा सेक्टर, संनिर्माण एवं इंजीनियरिंग ग्राहक जोस्ट्रक्चरल एवं बायलर पाइपों का प्रयोग करते हैं। शिकायतकर्ता को जो निविदा प्राप्त नहीं हुई वह ओएनजीसी, ओआईएल और बीएचईएल की है जो ओसीटीजी एवं बायलर पाइप्स का प्रयोग करते है।

xvi बेरिंग ग्रेड ट्यूब्स केलाइन, बायलर और अन्य ट्यूबों की तुलना में भिन्न भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं। इन टयूबों का प्रयोग कन्यूट आफ लिक्विड या गैस के रुप में नहीं किया जाता है और इसलिए उन्हें ओसीटीजी या बायलर पाइप्स के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जासकता है।

xvii डीआई बैरिंग ग्रेड स्टील ट्यूबों के आयात के कारण क्षति की कोई चुनौती सिद्ध करने में असमर्थ रहा है।

xviii सभी तीन शिकायकर्ता की ओसीटीजी एवं बायलर सेगमेंट में भारी उपस्थिति है। आईएसएमटी केवल एकमात्र और सुस्थापित घरेलू विनिर्माता है परंतु वह कुछ गंभीर मुद्दों से पीड़ित है।

xix अलग-अलग उत्पादों की जांच पर पूर्णतया विभिन्न परिणाम प्राप्त होंगे और इसलिए उत्पादों के त्रुटिपूर्ण समूहीकरण पर आधारित वर्तमान जांच के त्रुटिपूर्ण परिणाम होंगे जिससे बैयरिंग उद्योग को क्षति होगी।

xx. वर्ष 2009-10 और 2010-11 के आधार पर प्रवृत्तियों का विश्लेषण विपरीत परिणाम प्रदर्शित करेगा। सूचीकरण करने के लिए वर्ष 2010-11 को आधार वर्ष के रुप में लिया जाना चाहिए, न कि 2009-10 जिसे जांच शुरुआत नोटिस के समय लिया गया था।

कंपनी के उत्पाद अर्थात बैयरिंग को एचएस 73045110 में शामिल किया जाता है और इसलिए विवरण एचएस 73045110 के आधार पर अलग-अलग और एचएस 73.04 के कुल आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं।

वर्ष 2009-10 वार्षिकीकृत में आयातों के आधार पर वर्ष 2013-14 के दौरान चालू आयात केवल 77.31 प्रतिशत है जो 6.23 प्रतिशत की ऋणात्मक वार्षिक मिश्रित वृद्धि है।

वर्ष 2010-11 वार्षिकीकृत के आधार पर वर्ष 2013-14 के दौरान चालू आयात 64.15 प्रतिशत है जो 13.76 प्रतिशत की ऋणात्मक वार्षिक मिश्रित वृद्धि है। सभी वर्षों के आयात आधार वर्ष 2010-11 के आयातों से कम है।

	एचएस 7304		
वर्ष	आयात (एमटी)	अनुक्रमित आधार 2009-10	अनुक्रमित आधार 2010-11
2009-10	329606	100	
2010-11	354821	107.65	100
2011-12	426290	129.33	1201.14
2012-13	408324	123.88	115.08
2013-14			
अप्रैल-अगस्त,2013	107876.275		
वार्षिकीकृत	258903.06	78.55	72.97

वर्ष 2009-10 वार्षिकीकृत आयातों के आधार पर वर्ष 2013-14 के दौरान चालू आयात केवल 78.55 प्रतिशत है जो 5.86 प्रतिशत की ऋणात्मक वार्षिक मिश्रित वृद्धि है।

वर्ष 2010-11 वार्षिकीकृत आयातों के आधार पर वर्ष 2013-14 के दौरान चालू आयात केवल 72.97 प्रतिशत है, जो 9.97 प्रतिशत की ऋणात्मक वार्षिक मिश्रित वृद्धि है।

xxi. शिकायतकर्ता असदृश सीमलेस स्टील पाइप्स और वेल्डेड पाइप्स डक्टाइल पाइप्स, स्टील इन्गाट्स, बार्स और प्रोफाइल्स का विनिर्माण बिक्री करते है।

xxii. बैरिंग ग्रेड सीमलेस स्टील ट्यूब्स के लिए लेखापरीक्षित निष्पादन और वित्तीय आंकेड़ों उपलब्ध नही है और इसलिए आयात प्रवृत्ति और कारणात्मक क्षति का कोई विश्लेषण, बैरिंग ग्रेड सीमलेस स्टील टयूब के आयातों में उद्रेक के कारण उपलब्ध नहीं है।

xxiii. प्रत्येक उत्पाद की जांच करना आवश्यक है जैसाकि आन्ध्रा पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में माननीय अधिकरण ने उत्पादित किया है।

xxiv डीआई द्वारा प्रस्तुत आयातों के विवरण में वेल्डेड तथा सीमलेस ट्यूब के अलावा अन्य के आयात आंकड़े भी उपलब्ध है जो विश्वसनीय नहीं है।

xxv. सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स के आयातों में कोई उद्रेक नहीं है मात्रात्मक वृद्धि घरेलू उत्पादन में वृद्धि के अनुरुप है। यह वृद्धि धीरे-धीरे हुई है, न कि एकाएक, तीव्र औ बहुत अधिक जिस कारण रक्षोपाय शुल्क लगाना आवश्यक लगे।

xxvi बैरिंग ग्रेड ट्यूब्स के आयातों में अभी हाल में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि रुपये का अवमूल्यन होने के कारण उसमें तीव्र गिरावट आई है।

xxvii ऐसा कहा गया है कि अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरुप आयात में वृद्धि के कारण पाटनरोधी शुल्क या रक्षोपाय शुल्क लगायाजाए। ईयू ने सीमलेस स्टील पाइप्स और टयूब्स के आयातों पर 1997 से पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित कर रखा है और इसलिए इसे अनपेक्षित विकास नहीं कहा जा सकताहै।

xxviii विश्व का कोई भी देश बैयरिंग ट्यूब्स पर संरक्षात्मक शुल्क नहीं लगाता है।

xxix. फारेक्स क्षति के कारण भारी क्षति के लिए आयातों में काल्पनिक वृद्धि को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

xxx. रक्षोपाय शुल्क अवमानक वस्तु का विनिर्माण करने वाले घरेलू उद्योग को संरक्षा प्रदान करने के लिए एक साधन नही होना चाहिए।

xxxi. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग ने कहा कि रक्षोपाय शुल्क का प्रथम वर्ष 35 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 25 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 15 प्रतिशत प्रभाव होगा जो बैयरिंग की कीमतों के लिए नगण्य होगा।

xxxii घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई कीमतें उत्पाद की प्रचलित कीमतें नहीं हैं। इस कीमत के स्रोत का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और इसलिए आंकड़ों का सत्यापन करना संभव नहीं है।

xxxiii. कंपनी का 98 प्रतिशत उत्पाद मूल उपकरण विनिर्माताओं को बेचा जाता है और प्रतिस्थापन बाजार में बिक्री केवल 2 प्रतिशत है।

xxxiv. कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों से कीमत ली लाती है और रक्षोपाय शुल्क लगाने का निम्नलिखित प्रभाव होगा।

बैंयरिंग सिम्बल	रिंग कीमत (रुपये./सं.)	ग्राहकों की वैयरिंग कीमत	रक्षोपय शुल्क का अंतर (वर्ष1)	रक्षोपय शुल्क का अंतर (वर्ष 2)	रक्षोपय शुल्क का अंतर (वर्ष 3)
		(रुपये./सं.)	35%	25%	15%
6205	14.28	67.00	7.46%	5.33%	3.20%
6206	22.22	94.00	8.27%	5.91%	3.55%
6304	15.47	41.53	13.04%	9.31%	5.59%
6305	25.41	69.00	12.89%	9.21%	5.52%

रक्षोपाय शुल्क का यह प्रभाव 7.5 प्रतिशत से 13.1 प्रतिशत के बीच है।

बैयरिंग की बिक्री कीमत के प्रतिशत के रुप में प्रभाव अंतर घरेलू उद्योग द्वारा वास्तविक कीमत की तुलना में उत्पाद की दर्शायी गई कीमतें अंतर होने के कारण आया है।

बैंयरिंग सिम्बल	डीआई के अनुसार ग्राहक की बैयरिंग कीमत	एनईआई की ग्राहक बैंयरिंग कीमत
	(रुपये./सं.)	(रुपये./सं.)
6205	294.00	67.00
6206	441.00	94.00
6304	295.00	41.53
6305	336.00	69.00

एनईआई ने अपनी कीमत के समर्थन में बीजक प्रस्तुत किए हैं और उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग की कीमतों के स्रोत की सूचना नहीं दी गई है और इसलिए उस पर चर्चा करना उनके लिए संभव नहीं है।

xxxv. बैरिंग ग्रेड टयूबस पर रक्षोपाय शुलक लगाना जनहित के विरुद्ध होगा। घरेलू यह कहकर बैयरिंग टयूब्स पर रक्षोपाय शुल्क लगाने को न्यायोचित ठहराया है कि रक्षोपाय शुल्क लगाने से भिन्नात्मक रुप से बैयरिंग की लागत में वृद्धि होगी। बैयरिंग की लागत वृद्धि कने से हमारे प्रचालन वाणिजियक रुप से अर्थक्षम नहीं रहेंगे और उससे हमें गंभीर क्षति होगी।

xxxvi ऐसे समय तक गुणवत्ता संबंधी मुद्दे जो उच्च प्रिसीजन उत्पादों के लिए आधारभूत है, पूर्णतया हल हो जाएंगे इसलिए अनुप्रयोक्त उत्पाद को रक्षोपाय साधन द्वारा संरक्षण प्रदान करने का प्रश्न ही नही उठता है।

(च) यूरोपिय यूनियन

(i) रक्षोपाय साधन का प्रयोग वास्तव में अपवादात्मक परिस्थितियों में ही लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह उद्गम के देश पर ध्यान दिए बिना और इस तथ्य पर विचार किए बिना कि क्या वह घरेलू उद्योग की क्षति पहुंचाते हैं या नहीं आयात को प्रभावित करता है । इसी कारणसे डबलयूटीओ न्यायविज्ञान ने स्पष्टत: इस साधन का अनुप्रयोग करने के लिए बड़े ऊचे मानदंड निर्धारित किए हैं।

(ii) शिकायत और जांच शुरुआत नोटिस के आंकड़ों में भारी अंतर है। उदाहरणार्थ वर्ष2012-13 के आयात आंकड़ों में लगभग 20 प्रतिशत का अंतर है (शिकायत में 441 किलोटन तथाजांच शुरुआत नोटिस में 373 किलोटन)। इसके अतिरिक्त, जांच शुरुआत नोटिस में दर्शायी गई घरेलू उद्योग की बिक्री उद्योग द्वारादी गई बिक्री से मेल नहीं खाती है (वर्ष 2012-13 में 100 प्रतिशत से अधिक का अंतर है)। उत्पादन, संस्थापित क्षमता, लाभप्रदायकता, रोजगार या मालसूची आंकड़ों के संबंध में जांच शुरुआत नोटिस में केवल दो आवेदक कंपनियों के आंकड़ों (कुल उत्पादन के 53 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाली) पर विचार किया गया है और इसमें आवेदन में संलग्न समर्थकनकर्ता कंपनी के आंकड़ों (जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन के लगभग 87 प्रतिशत को कवर करती है) की बिना किसी स्पष्टीकरण के अवहेलना की गई है।

(iii) स्पष्ट न की गई विसंगतियों पर ध्यान देते हुए अधोलिखित विश्लेषण जांच शुरुआत नोटिस पर आधारित है।

सम्वर्धित आयात

(iv) जांच शुरुआत नोटिस के अनुसर आयातों में वित्त वर्ष 2011-12 में भारी वृद्धि हुई परंतु इसमें उत्तरवर्ती वर्षों में एवं अभी हाल की अवधि में कमी आई। इसके परिणामस्वरुप यह आयोग इस मामले में डब्ल्यूटीओ के अति अनिवार्य मानदंडों को पूरा करने पर प्रश्न चिन्ह लगाती है।

(v) वर्ष 2011-12 तक आयातों में वृद्धि के लिए केवल एक देश को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिसका वर्ष 2011-12 में भारत में हुए आयातों में 73 प्रतिशत हिस्सा था। इसके अतिरिक्त, उद्योग के आवेदन में अन्य रुप से विशिष्ट देश से निर्यातों को एककारक के रुप में उल्लेख किया गया जिसके कारण आयातों में वृद्धि हुई और कुछ अन्य देशों के उदाहरण दिए गए है जिन्होंने इन आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क/प्रतिवलनकारी शुल्क लगा रखा है। इन परिस्थितियों के अंतर्गत पाटनरोधी जांच प्रारंभ करना अधिक उपयुक्त रहता।

क्षति एवं कारणात्मकता

(vi) यह आयोग जांच अधिकारी को यह बताना चाहेगी कि रक्षोपाय में गंभीर क्षति के संबंध में (या गंभीर क्षति की चुनौती) यह निरुपण करना अपेक्षित होता है, जैसा कि डब्लयूटीओ और न्यायविज्ञान द्वारा संपुष्ट होता (अपीलीय निकाय रिपोर्ट, यूएस-लैम्ब, पैरा 124) है, पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने के लिए अपेक्षित ''वास्तविक क्षति'' से उच्चतर होना चाहिए। अत: विभिन्न क्षति कारकों द्वारा यह सिद्ध करने की आवश्यकता होती है कि घरेलू उद्योग आयातों की वृद्धि के कारण भारी समग्र नुकसान की स्थिति में है।

(vii) यह निष्कर्ष निकालने का कोई संकेत नहीं है कि घरेलू उद्योग ''भारी समग्र क्षति'' (न कि यह कि यह स्थिति आसन्न है),की स्थिति में है, न कि वह अपने को गंभीर क्षति या क्षति की चुनौती में प्राप्त कर रहा है। विचारे गए समग्र अवधि में घरेलू उद्योग को किक्री मात्रा में केवल 5 प्रतिशत की कमी हुई है जिसके अनुरुप बाजार हिस्से की क्षति बिल्कुल नगण्य अर्थात मात्र 3 प्रतिशत है, उत्पादन में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई रोजगार में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उत्पादकता 5 प्रतिशत बढ़ गई। उत्पादन क्षमता से दो लगभग दो गुना निवेश करने के बाद भी घरेलू उद्योग पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में 25 प्रतिशत से अधिक लाभप्रदायकता में वृद्धि करने में सक्षम रहा।

(viii) लाभप्रदायकता में भारी वृद्धि तब हुई जब आयातों में वृद्धि हुई। उत्तरवर्ती वर्षों में लाभप्रदायकता में वास्तव में गिरावट आई, परंतु यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब आयातों में भी कमी आ गई। दूसरे शब्दों में सभी यह सुझाव देता हुआ प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति और आयातों में वृद्धि के बीच कोई कारणत्व नहीं है।

(ix) ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त वर्ष 2012-13 में उद्योग की स्थिति को आयातों में वृद्धि के बजाय निम्नलिखित कारकों ने अधिक प्रभावित किया।

- घरेलू मांग में भारी कमी (-25 प्रतिशत) और

- अतिरिक्त क्षमता निर्माण, जो घरेलू मांग से भी अधिक है।

जहां तक दूसरे तत्व का संबंध है, याचिकाकर्ता यह दावा कर रहा है कि रक्षोपाय शुल्क की मांग करने का मुख्य उद्देश्य उद्योग को अपना क्षमता उपयोग सुधारना है। तथापि यह स्पष्ट है कि न्यून क्षमता उपयोग दर उस समय क्षमता में वृद्धि करने के कारण हुई जब कि आयातों में वृद्धि होने के बजाय (जो अभी हाल ही के वर्षों में वास्तव में कम हुए) मांग में कमी हो रही थी। यदि उत्पादन क्षमता वर्ष 2009-10 के स्त (अर्थत 375000 एमटी) पर स्थिर बनी रहती तो उपयोगिता दर वर्ष 2012-13 में 60 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई होती। इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि रक्षोपाय साधन न्यायोचित नहीं है।

(ड.) भारत में रुसी परिसंघ का व्यापार अभ्यावेदन

बाजार का संरक्षण करने के अनपेक्षित साधानों का अनुपयोग

(i) ईयू ने ट्यूब उतपादन से संबंधित पाटन रोधी उपाय 1979 से और यूएसए ने 1981 से लागू करना शुरु कर दिए थे। वर्तमान स्थिति में यह उपाय कई देशों पर लागू है इसलिए ''व्यापार संरक्षण के अनपेक्षित साधनों'' के बारे में तर्क प्रस्तुत करना ठीक नहीं है।

चीन में अनपेक्षित अतिरिक्त क्षमता तथा यूएसए में नियोजित क्षमता

(ii) भारतीय उत्पादको द्वारा संदर्भ के लिए प्रयेग की गई इंटरनेट साइट से सूचना मिलती है कि चीन में नया संयंत्र 508 एमएम के बाह्य ब्यास का उत्पादन करने के लिए लगाया गया है, यद्यपि विशेष रक्षोपाय जांच का विषय 273.1 एमएम से अनधिक ब्यास के बाह्य डाई मीटर वाले ट्यूब है यह संयंत्र उस उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है जो रक्षोपाय जांच का विषय है क्योंकि इन ट्यूबों का ब्यास अलग है।

(iii) अमेरिकन संयंत्र के संबंध में भारतीय उत्पादकों ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि अमेरिकन संयंत्र ने नवम्बर, 2012 में ट्यूब का उत्पादन शुरु कर दिया है और वे इस उत्पाद का भारत को निर्यात करने जा रहे है।

(iv) भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकों (खंड 4.घ) की याचिका में आयात में वृद्धि के लिए चीन तथा ईयू में उत्पादन क्षमताओं में बढ़ोतरी को एक कारक बताया है न कि यूएसए

आयात सांख्यिकी के स्रोत का परिवर्तन

(v) आयात सांख्यिकी प्रस्तुत करते समय भारतीय राष्ट्रीय विनिर्माता विभिन्न सांख्यिकी एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग करते है। याचिका में डीजीसीआईएस के आंकड़ों का प्रयोग किया गया जब कि अतिरिक्त टिप्पणियों में अनकामट्रेड आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

(vi) दोनों सांख्यिकी संसाधनों के निर्यात आंकड़े चीन और भारत दोनों के लिए भिन्न है। एक सांख्यिकी के अनुसार चीन से भारत को सीमलेस पाइपों की प्रदायगी बढ़ रही है वहीं दूसरी सांख्यिकी के अनुसार यह घट रही है।

(vii) अतिरिक्त टिप्पणियों में प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार वर्ष 2012 में चीन से भारत को किये गये निर्यात वर्ष 2011 की तुलना में 19.3 प्रतिशत कम हुए और वर्ष 2010 के स्तर से नीचे थे। यूरोपियन उत्पादन के आयातों के संबंध में इसमें वर्ष 2011 में 5.2 प्रतिशत और 2012 में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोनों देशों से यह प्रदाय के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वे भारतीय राष्ट्रीय ट्यूब उद्योग को क्षति पहुंचाने की चुनौती उत्पन्न कर रही है।

(viii) रशियन परिसंघ ने वर्तमान आयातों की जांच करने के लिए डब्ल्यू टी ओ के विशेष संरक्षात्मक साधन करार के अनुच्छेद 2.1 के निर्वचन संबंधी अर्जेंटिना फूटवियर के मामले में अपीलीय निकाय के निर्णय को उदधृत किया है।

(ix) चीन, यूरोपीय, भारत को कुल आयात अपीलीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट मापदंडों को पूरा नहीं करते है। डब्लयूटीओ के विशेष संरक्षात्मक साधन करार के अनुच्छेद 2.1, जो विशेष संरक्षात्मक उपाय करने के लिए आवश्यक है, की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है।

आयातों की अनपेक्षित कम कीमत

(x) भारतीय उत्पादन की न्यून कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता नयी प्रौद्योगिकी और कार्मिक प्रबंधन के विकास में किये गये निवेश के कारण हुई है। ऐसे निर्णय उत्पादन की बिक्री लागत की वृद्धि को प्रभावित करते है और उसके परिणाम स्वरुप राष्ट्रीय उत्पादन कीमत मापदंड के बिंदु से कम आकर्षक हो जाता है।

(xi) यदि भारतीय उद्योग आयातकों द्वारा कीमतों की समझ के तथ्यों पर बल देता है तो उस मामले पर पाटनरोधी या क्षतिपूर्ति जांच के दायरे में विचार करना चाहिए।

च. जेएफई स्टील कारपोशन; निप्पन स्टील और सुमीटोमो मेटल कारपोशन; तथा सैन्यो स्पेशल स्टील कंपनी लिमिटेड (जिसका प्रतिनिधित्व लूथरा एंड लूथरा द्वारा किया गया)

यह याचिका अनुरक्षणीय नहीं है

i. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (अधिनियम) के खंड-8ख में प्रावधान है कि एसजी शुल्क का अधिरोपण तभी किया जा सकता है जब किसी जांच से केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो कि किसी वस्तु का इतनी अधिक मात्रा में आयात किया जा रहा है जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित कर रहा है या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर रहा है। तथापि जांच शुरुआत अधिसूचना और घरेलू उद्योग की याचिका दोनों स्पष्ट प्रावधान करते है कि वर्ष 2012-13 में आयातों में कमी आई है।

ii. सार्वजनिक सुनवाई में यह उल्लेख किया गया कि कीमत अधोरदन भी एक मुद्दा है जिस पर एसजी जांच में विचार किया जाता है। यद्यपि कीमत अधोरदन के मुद्दे का विश्लेषण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के व्यापक संदर्भ में किया जाता है। तथापि कीमत अधोरदन का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर रक्षोपाय जांच प्रारंभ की जा सके।

iii. घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया तर्क पाटनरोधी जांच में संगत है जहां मुख्य मुद्दा कम कीमत वाले आयात होता है न कि आयात की मात्रा।

iv. यह जांच रक्षोपाय जांच के लिए निर्धारित प्रक्रिया को पूरा नहीं करती है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत मामला कम कीमतों के आयात पर आधारित न कि आयात मात्रा पर

v. घरेलू उद्योग ने आज तक और सार्वजनिक सुनवाई में स्पष्टत: यह उल्लेख किया कि कम कीमत के आयातों में वृद्धि ही चिंता का मुख्य विषय है। यह उनके इस अभिकथन से स्पष्ट हो जाता है जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि कई निविदाए जो भारत में अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा कम कीमत के कारण विदेशी विनिर्माताओं को दी गई है और घरेलू उद्योग उनका मुकाबला नहीं कर सकता है।

vi. माननीय डीजीएस के समक्ष कम कीमत के आयातों का मुद्दा है न कि आयात की मात्रा में बढ़ोतरी का। तथापि निर्यातकों का प्रस्तुतिकरण है कि ऐसी परिदृश्य में उचित मंच डीजीएडी है न कि डीजीएस।

vii. घरेलू उद्योग ने सतत यह तर्क दिया है कि कम कीमत वाले आयात, खासकर चीन जन.गण और ईयू से, उनकी चिंता का विषय है। तथापि उन्होंने सभी देशों से सीमलेस पाइपों और ट्यूब के आयात का लक्ष्य करके रक्षोपाय जांच दायर की है जबकि कम कीमत के आयातों का मुद्दा केवल चीन जन.गण और ईयू से है।

viii. यह तथ्य कि घरेलू उद्योग में समान पीयूसी के लिए चीन जन.गण से आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए डीजीएडी के समक्ष याचिका दायर की है जो 2010 में शुरु हुई। तथापि डीजीएडी ने इस जांच को बाद में आवेदकों द्वारा आंकड़े प्रस्तुत न करने के कारण समाप्त कर दिया। अत: डीजीएडी से अपने पक्ष में आदेश न मिलने पर उसी डीआई ने अब डीजीएस के समक्ष याचिका दायर की है यद्यपि आधार कम कीमत के आयात ही है।

जापान से आयात समग्र आयातों का एक छोटा सा हिस्सा है और इसलिए उसे वर्तमान जांच के दायरे से हटा दिया जाना चाहिए

ix. निर्यातकों ने प्रस्तुत किया कि उत्पादों के आयात जो जापान से पीयूसी के भाग है भारत को इस पीयूसी के कुल आयातों का केवल 1.19 प्रतिशत है और इसलिए भारत को इन उत्पादों के समग्र आयात का एक छोटा सा हिस्सा

है और वह कीमत जिसपर जापान से यह आयात किये जा रहे है घरेलू उद्योग की कीमतों से बहुत अधिक है और यह मामला वर्ष 2011 से है।

x. माननीय डीजीएस एसजी जांच के दायरे से किसी देश से आयातित उत्पाद को हटा देने के लिए प्राधिकृत है। धारा 8ख (1) में निम्नलिखित प्रावधान है।

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत में किसी देश या भू-भाग से आयातित किसी मद की ऐसी मात्रा को उस पर लगे रक्षोपाय शुल्क के किसी एक भाग अथवा संपूर्ण का भुगतान करने से छूट प्रदान कर सकती है जैसा अधिसूचना में निर्दिष्ट हो।

xi. निर्यातक यह विश्वास करते है कि जापान से इस उत्पाद का आयात घरेलू उद्योग के उत्पादों से ना तो प्रतिस्पर्धा करता है और न ही यह घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह उत्पाद संपूर्ण आयात आंकड़ों का छोटा सा भाग है और इनकी कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों से अधिक है और इसलिए उन्हें वर्तमान जांच के दायरे से निकाल दिया जाना चाहिए।

xii. घरेलू उद्योग द्वारा दूसरी सार्वजनिक सुनवाई में किया गया यह अभिकथन कि आयात मात्रा में कमी आई है और याचिका दायर करने के पश्चात आयात कीमत में वृद्धि हुई है, केवल तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण है।

xiii. घरेलू उद्योग ने यह आवेदन नवम्बर, 2012 में दायर किया। यह नोट किया जाना चाहिए कि हितबद्ध पक्षकार इस याचिका को दायर किये जाने के संबंध में जांच शुरुआत तक परिचित नहीं थे। अगर यह मान लिया जाए कि हितबद्ध पक्षकारों को याचिका दायर करने की जानकारी नवम्बर, 2012 में थी तथापि माननीय डीजीएस को यह नोट करना चाहिए कि घरेलू उद्योग की याचिका के अनुबंध-4 के अनुसार आयात मात्रा में कमी और आयात कीमत में बढ़ोतरी अप्रैल, 2012 से प्रारंभ होना शुरु हुई थी।

xiv. अनुबंध-4 स्पष्टत: स्थापित करता है कि आयात मात्रा में गिरावट अप्रैल, 2012 से प्रारंभ हुई जो घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका से सात माह पहले है। इसके अतिरिक्त निर्यातकों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण की तालिका-2 में स्पष्टत स्थापित होता है कि जापान से आयात कीमतें वर्ष 2011 से ही बढ़ रही थी यह बात घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका से 2 वर्ष पहले की है। इसलिए आयात मात्रा में कमी होने और आयात कीमत में वृद्धि होने का प्रश्न घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका से उठता ही नही है।

प्रत्येक श्रेणी के उत्पाद के लिए क्षति विश्लेषण किया जाए

xv. विचाराधीन उत्पाद में कई प्रकार के सीमलेस पाइप और ट्यूब शामिल है जिनका कार्य एवं प्रयोग एक दूसरे से अलग-अलग है और एक उत्पाद के लिए दूसरे को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। चूंकि पीयूसी में शामिल प्रत्येक उत्पाद का भिन्न प्रयोग होता है और उसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है इसलिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल प्रत्येक उत्पाद के लिए गंभीर क्षति स्थापित करने का अनुरोध सिद्ध नहीं होता है।

xvi. निर्यातकों ने चीन जन.गण, जापान, कोरिया, यूरोपियन यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान (चीनी ताइपेई), थाईलैंड और यूएसए से स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच पर भरोसा किया है जिसमें वास्तविक क्षति स्थापित करने के लिए कोल्ड रोल्ड स्टील की प्रत्येक श्रेणी का पृथक विश्लेषण किया गया था।

xvii. चीन जन.गण से आयातित कतिपय रबड़ रसायनों अर्थात एमबीटी, सीबीएस, टीडीक्यू, पीवीआई और टीएमटी तथा चीन जन.गण और कोरिया गणराज्य से आयातित पीएक्स 13 (6पीपीडी) के आयात के विरुद्ध निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत में डीजीएडी सभी उत्पादों के लिए पृथक सामग्री क्षति विश्लेषण कर रहा है। इसलिए मात्रा एवं मूल्य की जरुरत का प्रभाव एडी नियमावली के अनुसार सभी उत्पादों के लिए किया जा रहा है।

घरेलू उद्योग के पास कतिपय उत्पादों का विनिर्माण करने की क्षमता नहीं है

xviii. निर्यातकों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग कई उत्पाद ग्रेडों और आकारों तथा विचाराधी उत्पाद के दायरे के अंतर्गत शामिल कई उत्पादों का विनिर्माण करने में सक्षम नहीं है इसलिए डीआई को अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा वेंडर के रुप में नहीं माना गया है।

xix. निर्यातकों ने एनबीसी बेरिंग और भेल द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण को दर्शाया है जो इस पीयूसी का उपयोगकर्ता उपयोग है। एनबीसी बेरिंग ने सार्वजनिक सुनवाई में स्पष्टत: यह उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त विचाराधीन उत्पाद में कई दोष थे और किसी भी भारतीय उत्पादक ने एनबीसी बेरिंग की मोटाई के अनुरुप वस्तु का विनिर्माण करने की क्षमता नहीं है। इसी तरह भेल ने भी उल्लेख किया है कि घरेलू विनिर्माताओं के पास विभिन्न उत्पादों का विनिर्माण करने की क्षमता नहीं है और इसलिए भेल अपनी जरुरत का लगभग 90प्रतिशत का विदेशी उत्पादकों से प्रापण करता है।

xx. घरेलू उद्योग द्वारा सार्वजनिक सुनवाई में किये गये इस दावे को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने कुछ ऐसे उत्पादों की बिक्री की है जिनका अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विरोध किया है इसलिए निर्यातकों ने घरेलू उद्योग की उत्पादन सुविधा का स्थल सत्यापन करने का अनुरोध किया। यह सत्यापन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्थापित करेगा कि क्या घरेलू उद्योग उन उत्पादों का विनिर्माण कर सकता है जिसका हितबद्ध पक्षकारों ने विरोध किया है और क्या यह भारतीय प्रयोगकर्ता उद्योग की उत्पाद विशिष्टि जरुरतों को पूरा कर सकता है। इस सत्यापन के आधार पर इन उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग किया जा सकता है जिनका विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा सकता है परंतु जिन्हें भूलवश विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल कर लिया गया है।

xxi. उन उत्पादों की सूची इन्हें विचाराधीन उत्पाद से हटाया गया है अंतिम जांच परिणाम में स्पष्ट रुप से दिखाई देनी चाहिए। इस तथ्य पर विचार करते हुए विचाराधीन उत्पाद में कई अलग-अलग उत्पाद है जिनका समान प्रशुल्क वर्गीकरण के अंतर्गत आयात किया जाता है। यदि अंतिम जांच परिणाम में उन उत्पादों का स्पष्ट रुप से उल्लेख नहीं होता है जिन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से हटाया गया है तो इससे संभ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और सीमाशुल्क द्वारा गलत रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर दिया जाएगा।

अनपेक्षित परिस्थितियों की जरुरतों को पूरा नहीं किया गया है

xxii. रक्षोपाय शुल्क जांच प्रारंभ करने के पहले जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद-19 की जरुरतों को पूरा करना एक पूर्वापेक्षा है और उसे रक्षोपाय जांच शुरु करते समय पूरा नहीं किया गया है। इस संबंध में अपीलीय निकाय ने पाया है कि ''डब्ल्यू टीओ करार प्रभावी होने के पश्चात अधिरोपित किसी भी रक्षोपाय साधन द्वारा रक्षोपाय करार और जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद-19 के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए"।

xxiii. घरेलू उद्योग इस जरुरत को पूरा करने में सक्षम नहीं हुआ है न तो जांच शुरुआत अधिसूचना में न ही घरेलू उद्योग की याचिका में अनपेक्षित परिस्थितियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अत: घरेलू उद्योग द्वारा उस आधार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया जिसमें आयातों में वृद्धि का आरोप लगाया गया था। तथापि जब हितबद्ध पक्षकारों ने यह मुद्दा उठाया तो घरेलू उद्योग ने 2 सितम्बर, 2013 की सार्वजनिक सुनवाई में यह अभिकथन किया जिसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विरोध किया।

xxiv. मिथाइल एसीटोएसीटेट के आयातों के संबंध में जारी अंतिम जांच परिणाम में महानिदेशक रक्षोपाय ने घरेलू उद्योग के अनपेक्षित विकास के संबंध में दिये गये तर्को को नकार दिया और इसलिए डीजीएस ने एसजी शुल्क यह जानते हुए कि आयात और गंभीर क्षति में वृद्धि हो रही है, नहीं लगाया।

xxv. नया प्रस्तुतिकरण घरेलू उद्योग की ओर से तथ्योपरांत दिये गये तर्क का यह अनुभव है कि उनकी याचिका अनपेक्षित विकास की जरुरत को पूरा नहीं करती है और यह घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका को औचित्य पूर्ण ठहराने का एक प्रयास है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस नये प्रस्तुतिकरण में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराये गये कारणों का कोई आधार नहीं है और उसका निर्यातकों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण से प्रभावकारी ढंग से खंडन कर दिया गया है।

xxvi. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल प्रत्येक उत्पाद के लिए अनपेक्षित विकास की जरुरत को पूरा करने के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है। यह तर्क यूएस स्टील उत्पाद के मामले में एबी की रुलिंग द्वारा

समर्थित है जिसमें एबी ने पाया कि प्रत्येक उत्पाद के लिए अनपेक्षित विकास रक्षोपाय साधन के अध्यधीन निष्पादित किया जाना चाहिए।

यह कारणात्मक संबंधों में एक विराम है

xxvii. विचाराधीन उत्पाद के आयात और गंभीर क्षति के दावे के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित कारकों से टूट गया है:-

क. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराये गये आंकड़ों के अनुसार घरेलू उद्योग ने लगभग सभी आर्थिक पैरामीटरों के संबंध में बिल्कुल सही निष्पादन किया जब आयातों में वृद्धि हो रही थी और उत्पादन में हल्की सी गिरावट आ रही थी, और घरेलू बिक्रियां वर्ष 2012-13 में तब हुई जब आयातों में गिरावट आ गई और आयात कीमत बढ़ गई। अत: वर्ष 2012-13 में उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में गिरावट के लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आयात कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ आयात मात्रा में भी कमी आई।

ख. आयात और घरेलू उद्योग को क्षति (यदि कोई) के बीच कारणात्मक संबंध इस कारण से टूट गया कि घरेलू उद्योग को चीन जन.गण से पाटन के कारण क्षति हो रही थी। इसको घरेलू उद्योग ने भी स्वीकार किया

xxviii. भारतीय रक्षोपाय नियमावली के अनुबंध के अनुसार जब संवर्धित आयातों के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हो तो उस क्षति के लिए बढ़े हुए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अत: घरेलू उद्योग को क्षति यदि पाटन के कारण हुई है तो घरेलू उद्योग का यह उत्तरदायी है कि वह पाटन के कारण हुई क्षति और क्षति के कारण हुई क्षति को अलग-अलग करें। तथापि घरेलू उद्योग ने इस दायित्व को पूरा नहीं किया है।

xxix. चीन से फ्रंट एक्सेल बीम के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच के अंतिम जांच परिणाम दिनांक 23 सितम्बर, 2009 में डीजीएस ने एसजी शुल्क इस आधार पर अधिरोपित करने से मना कर दिया था कि घरेलू उद्योग द्वारा, पाटित आयातों के कारण हुई क्षति और बढ़ते आयातों के कारण हुई क्षति को अलग-अलग नहीं दर्शाया गया था। चूंकि क्षति को अलग-अलग न दर्शाने से बढ़े हुए आयातों और बाजार विकृति के बीच कारणात्मक संबंध टूट गया।

xxx. घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों और आयातों में वृद्धि के कारण हुई क्षति के बीच कोई पृथककरण नहीं किया है। इस गैर पृथककरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय रक्षोपाय नियमावली के अनुबंध के अंतर्गत अपेक्षित उत्तरदायित्व को पूरा नही किया है और इसलिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं किया जा सकता है।

जनहित की जरुरत को पूरा नहीं किया गया है

xxxi. रक्षोपाय करार के अनुश्छेद-3 (1) में प्रावधान है कि रक्षोपाय शुल्क जनहित में होना चाहिए। इस संबंध में निर्यातकों का यह प्रस्तुतिकरण है कि वर्तमान जांच में जापान से उत्पादों के निर्यात पर रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा।

xxxii. मिथाइल एसीटोएसीटेट जांच में प्राधिकारी ने जनहित के मुद्दें पर विचार किया और यह नोट किया कि भेषज उद्योग संबद्ध उत्पाद का एक महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता है। यह निष्कर्ष निकालते समय कि शुल्क अधिरोपित करना जनहित में नहीं होगा यह पाया गया कि घरेलू उद्योग यह साक्ष्य देने में समर्थ नहीं हो सका कि विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से उन उपभोक्ताओं पर प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा जिनमें से कुछ संवेदनशील फार्मा सेक्टर में है और यह कि यह प्रभाव इतना कम होगा कि यह जनहित में होगा।

xxxiii. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद ऐसे कई सेक्टरों के लिए महत्वपूर्ण है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के प्रयोजनार्थ संवेदनशील होते है। घरेलू उद्योग ने यह स्थापित नहीं किया है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का इन सेक्टरों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा और इससे परियोजना लागत में वृद्धि नहीं होगी।

xxxiv. निर्यातकों ने प्रस्तुत किया है कि रक्षोपाय शुल्क इस कारण से भी जनहित में नहीं होगा कि विचाराधीन उत्पाद के विशेषीकृत ग्रेडों का घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्माण नहीं किया जाता है और यदि घरेलू उद्योग उनका विनिर्माण करता भी है तो गुणवत्ता से परिपूर्ण नहीं होते है जिसके कारण उपयोगकर्ता के पास उच्च किस्म में विशेषीकृत उत्पादों का विनिर्माण करने में कुशल देशों से आयात करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

छ. टीएमके ग्रुप रुस (जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्री एम एन झा ने किया)

i. यह याचिका जीएटीटी के अनुच्छेद-19 और रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करती है क्योंकि यह उनके अनुच्छेद-2,4 और 6 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पायी है

क. याचिकाकर्ता ने यह दर्शाते हुए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि अनपेक्षित विकास के कारण जांचाधीन उत्पाद का इतनी अधिक मात्रा में आयात हुआ जिससे भारतीय उद्योग को भारी क्षति होनी लगी या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गयी ।

ख. इस मामले पर याचिकाकर्ताओं के अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में दिये गये साक्ष्य अनपेक्षित विकास दर्शाने में असंगत रहे है, तथ्यपरक रुप से अवास्तविक और भ्रामक रहे है।

ग. याचिकाकर्ता न तो गंभीर क्षति सहन कर रहे है और न ही उन्हें बढ़ते आयातों के कारण गंभीर क्षति की चुनौती मिल रही है। यदि याचिकाकर्ताओं को क्षति हो रही है तो उनको यह क्षति आयातों की मौजूदगी के अलावा अन्य कारणों से हो रही है।

घ. उपर्युक्त तथा अन्य कारणों से रक्षोपाय शुल्क लगाना और उसे अनुरक्षित करना व्यापक जनहित में नहीं होगा।

ii. देशों को उनकी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) के अनुसार विकसित और विकासशील देशों में विभाजित किया जाता है। वह देश जिनकी जीएनआई 11905 अमेरिकी डालर उससे कम होती है, जैसे रुसी परिसंघ, उसे विश्व बैंक द्वारा विकासशील राष्ट्र के रुप में परिभाषित किया जाता है।

iii. रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद-9 के अनुरुप और आयातों की कम मात्रा को ध्यान में रखते हुए रुसी परिसंघ को, विकासशील देश होने के नाते, रक्षोपाय शुल्क के अनुप्रयोग के दायरे से अलग कर दिया जाना चाहिए क्योंकि रुस से आयात संबंधित उत्पाद के कुल आयातों का 3 प्रतिशत से अधिक आयात नहीं होता है और विकासशील देशों से सामूहिक आयात सभी आयातों का 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।

वर्धित आयातों का आकलन

iv. समग्र रुप में वर्धित आयात को दर्शाने वाला कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि यह आयात अचानक, भारी और तीव्र मात्रा में हुए। आयातों में यह वृद्धि धीरे-धीरे हुई।

v. इसके अतिरिक्त चीन को ईयू व्यापार प्रवाह और दूसरी ओर भारत को होने वाले व्यापार प्रवाह के बीच कोई संबंध नहीं है। यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में यह सुझाव दिया कि ''तालिका से यह स्पष्ट है कि ईयू से चीन को होने वाले आयात अब भारत की ओर मुड़ गये है परंतु आंकड़े इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करते है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012 में चीन को ईयू के निर्यातों में 25340 एमटी की कमी का भारत को ईयू के निर्यातों में 8835 एमटी वृद्धि का कोई संबंध नहीं है।

vi. याचिकाकर्ता यह स्पष्ट नहीं कर सके कि वर्ष 2009 और 2012 के बीच ईयू से चीन को प्रदाय में 25 प्रतिशत की गिरावट ने बिक्री मूल्य में 78 प्रतिशत की कमी कैसे कर दी। इन आंकड़ों के बीच कोई संबंध नहीं है जिनके स्रोत (प्रासंगिक रुप से) अज्ञात है। इसके अतिरिक्त ईयू से होने वाले आयातों पर चीन द्वारा लगाये गये पाटनरोधी शुल्क 9.2 प्रतिशत से 14.4 प्रतिशत के बीच है परंतु वे चीन के बाजार में 25340 एमटी उत्पादों को विस्थापित नहीं कर सके।

vii. जहां तक चीन से आयातों का संबंध है याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान कराये गये आंकड़े आयातों में अचानक वृद्धि के समभिकथन को समर्थित नहीं करते है। वर्ष 2012 में चीन से भारत को निर्यातों में वस्तुत वर्ष 2011 की तुलना में 19.3 प्रतिशत की गिरावट आयी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012 के निर्यात वर्ष 2010 के निर्यातों से कम थे।

क्षति का आकलन

viii. भारतीय घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादन मात्रा में ठोस वृद्धि हासिल की है। घरेलू और निर्यात बाजारों में बिक्री मात्रा में संदर्भ अवधि के दौरान भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त आंकड़े यह भी दर्शाते है कि संदर्भ अवधि के दौरान इस उत्पाद की घरेलू बाजार की मात्रा में भी वृद्धि हुई है।

ix. वर्ष 2009-10 और 2010-11 के बीच क्षमता में 42.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और इसका उद्योग के क्षति संकेतकों पर अनिवार्यत: कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा।

x. क्षति संकेतक के रुप में मालसूची का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस पर अन्य क्षति कारकों खासकर संस्थापित क्षमता और उत्पादित आंकड़ों से अलग करके नहीं देखा जा सकता है।

xi. याचिकाकर्ताओं ने भारी स्टाक के कारण निर्यात बिक्रियों में वृद्धि की ओर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है।

xii. संदर्भ अवधि के प्रारंभ में न्यू माल सूची अवसर नहीं रह सका क्योंकि याचिकाकर्ता तथा घरेलू उद्योग ने समग्र रुप से अपनी संस्थापित क्षमता में 2010-11 में लगभग दो गुने स्तर की वृद्धि कर ली जिसके कारण भंडार संचय हुआ।

xiii. रोजगार में कोई क्षति नहीं हुई और यह कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण कीमत निग्रहण/अवमंदन का कोई भरोसे मंद साक्ष्य नहीं है।

xiv. याचिकाकर्ताओं ने निराधार साक्ष्य और तर्क जैसे भारत में सरकारी निविदाएं प्राप्त न होना, अन्यत्र पाटनरोधी और प्रतिबलन प्रभावी होना, विदेशों में संबद्ध वस्तु की भारी क्षमता, कीमत अंतर, कथित अधोरदन और लाभप्रदायकता में कमी, प्रस्तुत किये है जिनसे गंभीर क्षति की चुनौती दर्शायी गयी है। वास्तव में याचिकाकर्ताओं ने घरेलू प्रतिस्पर्धियों के बीच भी अपना बाजार हिस्सा खो दिया।

अनपेक्षित विकास

xv. अपीलीय निकाय रिपोर्ट, कोरिया-डेरी, पैरा 8, रक्षोपाय करार के साथ संचयी रुप से पठित जीएटीटी अनुच्छेद-19:1(क) के प्रावधानों में यह निर्वचन किया गया है कि जब तक घरेलू उद्योग को क्षति उन विकासों द्वारा कारित न की जाए जो अद्यतन व्यापार वार्ताओं के समय अनपेक्षित हो तब तक रक्षोपाय शुल्क का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

xvi. यूनाईटेड स्टेट्स-लैम्ब रक्षोपाय पैरा 72 में अपीलीय निकाय ने अनपेक्षित विकास को उन परिस्थितियों के रुप में दर्शाया जिनमें आयातों में तीव्र वृद्धि ऐसी हो रही हो जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई हो। पुन: यह निष्कर्ष निकाला गया कि जांचकर्ता अधिकारी के लिए यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक है कि क्या अनपेक्षित विकास मौजूद है और यह कि अनुच्छेद-19:1(क) में निर्धारित शर्त और अनपेक्षित विकास जैसी परिस्थितियों के बीच तर्कसंगत संबंध मौजूद है।

xvii. मैसर्स टीएमके ने यह प्रस्तुत किया कि आयातों में वृद्धि होते हुए भी आयातों में यह वृद्धि अनपेक्षित विकास द्वारा कारित न की गई हो।

xviii. याचिकाकर्ताओं का अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित आधार पर अनपेक्षित विकास स्थापित करने के लिए डब्ल्यू टीओ मानदंडों को पूरा करने से असफल रहा:

- याचिकाकर्ताओं ने ऐसा कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया कि उदधृत व्यापार उपचार साधन किसी तरह और क्यों अनपेक्षित है।
- याचिकाकर्ताओं ने आयातों में परिणामी वृद्धि प्रदर्शित नहीं की है।
- याचिकाकर्ता यह दर्शाने में असफल रहे वर्तमान रक्षोपाय जांच का प्रत्येक उत्पाद अनपेक्षित विकास से प्रभावित हुआ है।
- याचिकाकर्ताओं ने यूरोपीय बाजार में खपत के बारे में जानबूझकर त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाले है।
- याचिकाकर्ताओं ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि चीन में अतिरिक्त क्षमताएं और यूएस में नयी क्षमताएं किस तरह और क्यों अनपेक्षित नहीं है।
- याचिकाकर्ताओं ने कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद आयात की अनपेक्षित रुप से कम कीमत के बारे में दिये गये अपने तर्क को अनपेक्षित विकास से किस तरह जोड़ा है।

xix. उदधृत व्यापार उपचारी साधन उनकी अनपेक्षितता को संपुष्ट नहीं कर सके। याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित कुछ पाटनरोधी और प्रतिबलनकारी उपाय 20 वर्षों से प्रचलित है यह परिस्थिति बाजार में वैश्विक विनियामक

स्थिति सृजित करती है जिसमें नियमतिता और पूर्वापेक्षता होती है। इस प्रकार अनपेक्षित विकास उसके बाद होना चाहिए।

xx. याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित इंडोनेशिया और कनाडा द्वारा लगाए गए कतिपय रक्षा उपाय अपेक्षित विकास की मौजूदगी के बारे में उनके तर्क का समर्थन नहीं करते है क्योंकि इंडोनेशियाई और कनाडियन जांच क्रमश: एक और तीन उत्पाद कोडों से संबंधित है जबकि वर्तमान का दायरा 26 उत्पाद कोडों को कवर करता है।

xxi. टीएमके ग्रुप यह देखने में असमर्थ रहा कि उक्रैन या रुस के विरुद्ध ईयू व्यपार उपचार जो 1990 से प्रभावकारी ढंग से लगे है, के कारण वर्ष 2013 में भारत में आयातों में अचानक वृद्धि आई। उसी तरह कनाडियन उपाय वर्ष 2008 से पहले से ही लगे हुए है जबकि याचिकाकर्ता वर्ष 2010 की जांच में उनका उल्लेख करते है। इसी तरह ईयू में यह उपाय 2009 से लगे हुए है जबकि याचिकाकर्ता बड़ी आसानी से इनका उल्लेख 2011 के जांच में करते है। अंतत: यूएस में यह उपाय वर्ष 2009 से लगे हुए है जबकि याचिकाकर्ता इनका उल्लेख वर्ष 2010 की जांच में करते है।

xxii. याचिकाकर्ता इस मामले में यह स्पष्ट करने में असफल रहे कि अनपेक्षित विकास और भारत में संबद्ध उत्पाद के आयातों में मौजूद अचानक वृद्धि के बीच हुई संबंध है।

xxiii. याचिकाकर्ताओं ने व्यापार उपचारी उपायों और उसके परिणामस्वरुप चीन और ईयू से भारत को आयातों में हुई वृद्धि का उल्लेख करते है। यह जांच प्रश्नाधीन उत्पादों की घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता की रक्षा करते है और ईयू और यूएस बाजारों में चीन और ईयू के उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सुधार करती है। यह ही वह कारण हो सकता है जिससे आयात आंकड़े दर्शाते है कि भारत को पिछले वर्ष की तुलना में कम आयात हो रहा है। इसी तरह एक 10 अंकीय कोड, जो इंडोनेशिया में रक्षोपाय जांच के अध्यधीन था भारत में रिपोर्ट किये गये 4 अंकीय आधारों पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं डाल सका।

xxiv. ईयू से आयातों के संबंध में याचिकाकर्ता उनके द्वारा प्रदान किये गये आंकड़ों से त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष प्रदान करते हुए प्रतीत होते है।

- चीन को ईयू व्यापार प्रवाह की मात्रा और दूसरी ओर भारत को व्यापार प्रवाह के बीच कोई संबंध प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि ईयू से चीन को निर्यात अब भारत की ओर विपथित हो गये है परंतु आंकड़ों से इसका समर्थन नहीं होता है। वर्ष 2012 में चीन को ईयू के निर्यातों में 25340 एमटी की कमी का भारत को ईयू के निर्यातों में 8835 एमटी की वृद्धि से कोई संबंध नहीं है।
- याचिकाकर्ता यह स्पष्ट नहीं कर सके कि उनके आरोप का आधार क्या है और ना ही वे सूचना के उस स्रोत का संदर्भ प्रदान कर सके कि ईयू से चीन को निर्यात में वर्ष 2012 के अंत में 90 मिलियन से कमी होकर 20 मिलियन ईयूआर किस तरह हो गया। वर्ष 2009 और 2012 के बीच आपूर्ति ने उद्देश्यपूर्ण गिरावट से बिक्रय मूल्य 78 प्रतिशत तक की गिरावट नहीं आ सकती है।
- ईयू से आयातों पर चीन द्वारा लगाया गया पाटनरोधी शुल्क 9.2 प्रतिशत से 14.4 प्रतिशत के बीच है। यह उल्लेखिनीय है यह मूल्य मामूली है और यह चीन की बाजारों में ईयू के 25340 एमटी माल का विस्थापन नहीं कर सकता है।

xxv. चीन से आयातों के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान कराये गये आंकड़े आयातों में अचानक वृद्धि की मौजूदगी संबंधी उनके समभिकथन का समर्थन नहीं करते है। विशेष रुप से, वर्ष 2012 में चीन से भारत को निर्यातों में वस्तुत: वर्ष 2011 की तुलना में 19.3 प्रतिशत की गिरावट आयी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012 में निर्यात वर्ष 2010 के निर्यातों से कम थे।

xxvi. इस याचिका में दर्शाये गये साक्ष्य यह स्पष्ट नहीं कर सके वर्तमान रक्षोपाय जांच के अध्यधीन सभी उत्पाद अनपेक्षित विकास से प्रभावित है।

xxvii. इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि वर्तमान जांच के दायरे के अंतर्गत सीमलेस पाइप और ट्यूब की व्यापक श्रृंखला आती है, डब्ल्यूटीओ न्याय विज्ञान में यह अपेक्षा है कि डीजी रक्षोपाय न केवल यह प्रदर्शित करें कि अनपेक्षित विकास के परिणाम स्वरुप सीमलेस पाइप और ट्यूब की व्यापक श्रृंखला के आयातों में वृद्धि हुई परंतु यह कि

अनपेक्षित विकास के परिणाम स्वरुप वर्तमान जांच में याचिकाकर्ता द्वारा परिभाषित उत्पाद में शामिल विशिष्ट उत्पादों के आयातों में वृद्धि हुई है।

xxviii. याचिकाकर्ताओं ने भारत को संबद्ध उत्पाद के आयातों का विपथन प्रदर्शित करने के लिए 10 व्यापार उपचारी उपाय सूचीबद्ध किये है। तथापि सूचीबद्ध व्यापार उपचारी उपायों का उत्पाद दायरा वर्तमान रक्षोपाय जांच के उत्पाद दायरे से मेल नहीं खाता है।

xxix. याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित सभी मामलों की समीक्षा यह दर्शाती है कि:-

- याचिकाकर्ताओं द्वारा इस मामले में उल्लिखित 6 अंकीय स्तर के 8 उत्पादों में से 5 उत्पाद कोडों को यूएस पाटनरोधी और सीवीडी जांच में शामिल किया गया है।
- याचिकाकर्ताओं द्वारा इस मामले में उल्लिखित 6 अंकीय स्तर के 8 उत्पादों में से 1-3 उत्पाद कोडों को यूएस ओसीटीजी मामला (8 में उल्लिखित परंतु याचिकाकर्ताओं की तालिका में इसका उल्लेख नहीं किया गया) में शामिल किया गया है।
- याचिकाकर्ताओं द्वारा इस मामले में उल्लिखित 6 अंकीय स्तर के 8 उत्पादों में से 3 उत्पाद कोडों (जिनमें से दो में केवल एक 10 अंकीय कोड है) को कनाडियन मामले में शामिल किया गया है।
- ईयू जांच में से एक में याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान मामले में उल्लिखित 6 अंकीय स्तर के 8 उत्पाद कोडों में से 1 को शामिल किया गया है जबकि एक अन्य जांच में याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित 6 अंकीय स्तर के 8 उत्पाद कोडों में से 7 को शामिल किया गया है।
- इंडोनेशियाई जांच में केवल एक कोड को शामिल किया गया है।

xxx. ईयू विनियम संख्या 585/2012 ने रुस और उक्रेन के मूल के आयरन और स्टील के कुछ सीमलेस पाइप और ट्यूब के आयातों पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है। वर्ष 2008 में खपत में अस्थायी वृद्धि के विश्लेषण में ईयू जांचकर्ता प्राधिकारी ने बाजार की चक्रीय प्रवृत्ति और ईयू में खपत में नियमित उतार-चढ़ाव की संपुष्टि की।

xxxi. याचिकाकर्ता न तो चर्चा करते है और न ही कोई स्पष्टीकरण देते है कि ईयू में खपत में उतार-चढ़ाव को भारत ने संवद्ध उत्पाद के आयातों में वृद्धि से किस तरह और क्यों जोड़ा गया है।

xxxii. याचिकाकर्ताओं ने चीन और यूएस ने नई क्षमताओं का उल्लेख किया है जोकि निम्नलिखित तीन कारणों से असंगत है, पहला, इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं है कि चीन के संयंत्र का उत्पादन वर्तमान जांच के अधीन उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करेगा, दूसरे, याचिकाकर्ताओं द्वारा उदधृत यूएस प्रेस विज्ञप्ति में यह सुझाव मिलता है कि नई क्षमताएं घरेलू बाजार और यूएस में बिक्री सेवा करेगी और तीसरे, समय के साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में क्षमता विस्तार करना सामान्य व्यवसाय का हिस्सा है और इसे रक्षोपाय साधन संबंधी डब्ल्यूटीओ के आशय के अंतर्गत अनपेक्षित विकास के रुप में नहीं माना जा सकता है।

xxxiii. याचिकाकर्ताओं ने कच्चे माल की लागत में वृद्धि के बावजूद आयातों की कम कीमत निर्धारण के बारे में अपने तर्क को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान कराये गये आंकड़ों के खंड-घ से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय बिक्री लागत में वर्ष 2012-13 में पांच इंडेक्स बिंदु वृद्धि हुई जबकि रद्दी माल की लागत में 13.5 प्रतिशत की कमी आई।

xxxiv. अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में याचिकाकर्ताओं में तर्क दिया कि आयात सस्ते है इसलिए उनकी अधिक खरीद हो रही है। तथापि याचिकाकर्ता यह स्पष्ट नहीं कर पाये कि अप्रत्याशित घटना क्या है जिससे कच्चे माल की कीमतों में वैश्विक वृद्धि से अन्य सभी आयातक अप्रभावित रहे जबकि भारतीय उत्पादकों पर इसका प्रभाव पड़ा।

राष्ट्रहित

xxxv. इस मामले में रक्षोपाय शुल्क लगाना नाटकीय रुप से भारतीय प्रयोगकर्ता उद्योग द्वारा उत्पादित अधोगामी उत्पाद प्रभावित होगा जिससे इन उत्पादों के गैर भारतीय उत्पादकों को लाभ होगा। इससे लागत प्रभावोत्पादकता और भारतीय प्रयोगकर्ता उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता, परिशिष्कृत उत्पादों के आयातों की तुलना में, समाप्त होगी।

कारणात्मक संबंध

xxxvi. कथित संवर्धित आयातों के अतिरिक्त भारतीय घरेलू उद्योग मिश्रित, समानांतर और स्वतंत्र प्रभाव के निम्नलिखित संगत कारणों से अधीन रही है: (क) भारतीय उद्योग की क्षमता वृद्धि और वेतन वृद्धि का प्रभाव (ख) चीन से आयात (ग) भारतीय उद्योग की उत्पादन लागत और कच्चे माल की कीमत में वृद्धि। इन कारकों ने एकल रुप से या एक साथ मिलकर भारी बाजार हिस्से को प्राप्त करने में भारतीय उद्योग की अक्षमता उसकी लाभदायकता में क्षति कारित की जिसे हमारे क्लाइंट देख नहीं पाये।

प्रकार्यात्मक अधिकार

xxxvii. हमारे ग्राहक अपना विरोध दोहराना चाहेगे कि डीजी रक्षोपाय ने सुनवाई के पश्चात के तथ्यों को याचिकाकर्ताओं के अतिरिक्त प्रस्तुतिकरणों पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने के लिए केवल 4 कार्यदिवसीय दिनों का समय प्रदान किया। इससे प्रक्रिया भंग स्पष्ट प्रतीत होती है। टीएम के ग्रुप के इस संबंध में सभी अधिकार सुरक्षित है।

xxxviii. रक्षोपाय जांच की जांच शुरुआत नोटिस के प्रत्युत्तर में 29 मई, 2013 को प्रस्तुत अपनी टिप्पणियों तथा नई दिल्ली में 2 सितम्बर और 12 दिसम्बर,2013 को मौखिक सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों और दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के सुनवाई पश्चात सारांश तथा याचिकाकर्ताओं के अतिरिक्त प्रस्तुतीकरणों पर टिप्पणियां। इन सभी दस्तावेजों में क्षति और सार्वजनिक हित के संबंध में की गई टिप्पणियां वर्तमान दस्तावेज के प्रयोजनार्थ समान रुप से वैध टिप्पणियां है उसी तरह क्षति और जन हित के संबंध में यहां की गई सभी टिप्पणियां वर्तमान कार्रवाई में आज तक की तारीख तक किये गये सभी प्रस्तुतिकरणों के लिए समान रुप से वैध है।

ज. रसायन एवं पेट्रोरसायन विनिर्माता एसोसिएशन (सीपीएमए) (इसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सुश्री रीना खेर द्वारा किया गया)

जांच शुरुआत या शुल्क उद्ग्रहण के लिए पूर्वापेक्षा का अभाव

i. अधिनियम की धारा 8ख के अंतर्गत आयात वर्धित मात्रा में होना चाहिए आयात की स्थिति ऐसी हो की उन आयातों के परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही हो।

ii. जांच शुरुआत अधिसूचना स्वयं यह प्रदर्शित करती है कि वर्ष 2012-13 में विगत वर्ष की तुलना में आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई। आयातों में तथाकथित वृद्धि अभिनव नहीं है परंतु यह वृद्धि धीरे-धीरे 3-4 वर्षों की अवधि में हुई। यह वृद्धि अचानक, तीव्र या भारी नहीं है समग्र रुप से आयातों समग्र वृद्धि नहीं हुई।

iii. जांच शुरुआत नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2009-2010 की तुलना वर्ष 2012-13 से करने पर आयातों में वृद्धि हुई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह वृद्धि मामूली है और यह वृद्धि 4 वर्षों की अवधि में हुई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयातों में इस वृद्धि को अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच तुलना के लिए ही प्रयोग नहीं करना चाहिए इसमें अभिनव प्रवृत्ति को भी नहीं छोड़ना चाहिए जो आयातों में गिरावट प्रदर्शित करती है।

iv. सीपीएमए ने अर्जेंटिना फूटवीयर मामले पर अपना भरोसा जताया है ''यदि आयातों में वास्तव में वृद्धि है तो यह अंतिम बिन्दु से अंतिम बिंदु दोनों के बीच तुलना और अवधि के दौरान हस्तक्षेपी प्रवृत्तियों के विश्लेषण का साक्ष्य होना चाहिए। यह कि दो विश्लेषण एक साथ प्रदर्शित होने चाहिए।

खपत की तुलना में आयातों में भारी वृद्धि ना होना

v. खपत से संबंधित आयात भी ऐसे आयातों में वृद्धि को प्रदर्शित नहीं करते है जो अचानक बहुत अधिक तीव्र और अनपेक्षित रुप से हो रहे हो।

vi. जांच शुरुआत नोटिस में प्रदान कराये गये आंकड़ों के अनुसार आयातों के बाजार हिस्सा वर्ष 2009-10 में 55 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2012-13 में 64 प्रतिशत हो गया। 4 वर्षों की अवधि में बाजार हिस्से में 9 प्रतिशत की वृद्धि ना तो अचानक है, न ही बहुत अधिक और न ही इसे तीव्र कहा जा सकता है। यह केवल बाजार हिस्से में एक क्रमिक परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। यह अन्य कारण जैसे भारत में विशेष अनुप्रयोगों के लिए विशेषीकृत ग्रेडों की अनुपलब्धता या घरेलू उत्पाद की गुणवत्ता असंगतता के कारण भी आ सकती है।

vii. वर्ष 2012-13 में तत्काल विगत वर्ष से तुलना करने पर बाजार हिस्से में परिवर्तन केवल 2 प्रतिशत वृद्धि ही दर्शाता है अर्थात 62 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है।

viii. अत्यधिक अभिनव अवधि में आयातों में समग्र रुप से कमी और बाजार हिस्से में नगण्य वृद्धि प्रदर्शित होती है।

घरेलू उद्योग को क्षति का अभाव

ix. नियम और धाराएं यह अपेक्षा करती है कि घरेलू उद्योग को भारत में संवद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरुप गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न होनी चाहिए।

x. संबद्ध वस्तु के बड़े उत्पादकों में से एक ने डीजी रक्षोपाय को आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये है जिससे क्षति विश्लेषण सार्थक ढंग से नहीं किया जा सकता है।

xi. पाटनरोधी विधियों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा रक्षोपाय उपबंधों में सार्थक नहीं है चीन से आयातित सीमलेस ट्यूब और हालो प्रोफाइल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने महाराष्ट्रा सीमलेस लिमिटेड (एमएसएल) को बड़ा उत्पादक माना है और एमएसएल से पूरी जानकारी के अभाव में ऐसा धारित किया गया कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ क्षति विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। वर्तमान जांच में एमएसएल ने न तो पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है और न ही घरेलू उद्योग के लिए प्रश्नावली प्रत्युत्तर फाइल किया है। अधूरी सूचना के आधार पर क्षति पैरामीटरों का विश्लेषण भारतीय इतिहास की सच्ची घटना प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के जांच परिणाम बाम्बे हाई कोर्ट द्वारा संपुष्ट किये गये है।

xii. यदि किसी पाटनरोधी जांच में क्षति का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ एमएसएल के आंकड़े संवेदनशील है और जिनके बिना क्षति का निर्धारण कर पाना संभव नहीं है, उनके लिए समान निर्धारण किया जा सकता है जब तक कि एमएसएल द्वारा पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

एमएसएल के आंकड़े क्षति प्रदर्शित नहीं करते है

xiii. एमएसएल की वार्षिक रिपोर्ट यह उल्लेख करती है कि संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करने की कुल क्षमता 200000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष बढ़ी है जिससे यह संकेत मिलता है कि एमएसएल की नजर में सीमलेस पाइप का उज्जवल भविष्य है और इसने इसकी वृद्धि में बेशी निधियां निवेश की है।

xiv. अध्यक्ष का विवरण यह दर्शाता है कि क्षति, यदि कोई हो अवसरंचना परियोजनाओं में विलम्ब और चीन की कंपनियों द्वारा पाटन के कारण हुआ है। सीपीएमए ने यह प्रस्तुत किया है कि 70 प्रतिशत से अधिक आयात चीन से होती है और वह कीमत जिसपर यह आयात किये जा रहे है अन्य देशों से किये जाने वाले आयातों की कीमत से कम है। ऐसे परिदृष्य में यह याचिकाकर्ता पर निर्भर करता है कि वह पाटनरोधी निदेशालय में यह जांच करने के लिए आवेदन करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने का मामला बनता है।

xv. घरेलू उत्पादक एमएसएल से संबंधित जानकारी जानबूझकर रोके है क्योंकि यह एमएसएल की स्थिति में सुधार दर्शाती है और अन्य उत्पादकों द्वारा दावा की गई क्षति आयातों के अलावा अन्य कारकों जिसमें बेशी क्षमताओं का सृजन होने के कारण विभिन्न उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा शामिल है, के कारण हुई है।

आईएसएमटी या जिंदल एसएडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा कोई क्षति नहीं उठाई गई है

xvi. आईएसएमटी की वार्षिक रिपोर्ट, जो यह दर्शाती है कि आईएसएमटी के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है अर्थात वर्ष 2008-09 में 145429 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 185976 मीट्रिक टन। उसी अवधि में बिक्री में भी भारी वृद्धि प्रदर्शित हुई है। सीईओ के अभिकथन में यह उल्लेख किया गया है कि कंपनी की बिक्री में 17 प्रतिशत वृद्धि हुई और ट्यूब की बिक्री में भी 21.5 प्रतिशत वृद्धि हुई।

xvii. जिंदल एसएडब्ल्यू की वार्षिक रिपोर्ट उन विभिन्न कारकों पर प्रकाश डालती है जिनके कारण कंपनी दिक्कत उठा रही है। कंपनी की वितीय स्थिति पर विभिन्न कारकों जिसमें इनपुट कीमत में वृद्धि मन्थर घरेलू मांग और मंद वैश्विक अर्थव्यवस्था शामिल है, के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा न कि आयातों के कारण।

कार्य-करण संबंध

xviii. उस अवधि के दौरान जब आयातों में वृद्धि हो रही थी क्षति कारकों में सुधार प्रदर्शित हुआ जो यह दर्शाता है कि आयातों की प्रमात्रा और घरेलू उत्पादकों की क्षति, यदि कोई, के बीच कार्यकरण संबंध नहीं है।

क. क्षमता वृद्धि: यदि क्षति हुई होती तो क्षमता में वृद्धि नहीं होती।

i. याचिकाकर्ता की क्षमता 3.75 लाख एमटी से बढ़कर 6.85 लाख एमटी हो गई।

ii. एमएसएल की क्षमता 3.5 लाख एमटी से बढ़कर 5.5 लाख एमटी हो गई।

ख. याचिकाकर्ता का उत्पादन 2.24 लाख एमटी से बढ़कर 2.93 लाख एमटी हो गया जो लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।

i. समर्थनकर्ता का उत्पादन भी 1.41 लाख एमटी से बढ़कर 1.5 लाख एमटी हो गया

ग. क्षमता उपयोग में गिरावट

i. यह गिरावट क्षमता में असमान्य वृद्धि के कारण हुई। मांग में केवल 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि याचिकाकर्ताओं की क्षमता में 80 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

ii. एमएसएल की क्षमता भी मांग में 2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 55 प्रतिशत तक बढ़ गई।

iii. वास्तव में आवेदनकर्ता एवं समर्थक अपनी पूर्व क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे अत: क्षमता में की गई वृद्धि अपेक्षित नहीं थी।

iv. क्षमता उपयोग में कमी क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण आयी।

घ. घरेलू बिक्री में मांग में वृद्धि के अनुरुप ही 1.97 लाख एमटी से वृद्धि होकर 2.2 लाख एमटी हो गई।

i. आवेदक के इस संभावित दावे के संबंध में वर्ष 2011-12 की तुलना में बिक्री में गिरावट आयी, यह गिरावट वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में मांग में गिरावट के कारण आयी।

ii. समर्थनकर्ता की बिक्री में गिरावट आयी तथापि यह विचार करते हुए कि आधार वर्ष में समर्थक की क्षमता 3.5 लाख एमटी थी, उसका उत्पादन केवल 1.4 लाख एमटी था, घरेलू बिक्रियां 1 लाख एमटी से कम थी। एमएसएल को क्षति होने के यह कुछ अन्य कारण हैं।

ड. बिक्री कीमत में गिरावट नहीं आयी।

च. मालसूची में वृद्धि हुई तथापि मालसूची की स्थिति को इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखा जा सकता है कि इस उत्पाद के कई ग्रेड, आकार और प्रकार है तथा एक ग्रेड साइज, प्रकार को अन्य ग्रेडों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि उत्पादक विभिन्न बाजार खंडों ने बिक्री कर रहा है तो उसे न्यूनतम मालसूची स्तर बनाये रखना होता है।

छ. रोजगार स्तर में वृद्धि हुई

ज. आवेदक का बाजार हिस्सा लगभग वही बना रहा-1 प्रतिशत से कम गिरावट को गिरावट नहीं कहा जा सकता है।

झ. क्षति यूएस और यूरोप में मंदी के कारण

ञ. क्षमता आधिक्य : याचिकाकर्ता ने 7.91 लाख एमटी की निष्किय क्षमता का दावा किया है। भारत में 12.35 लाख एमटी क्षमता का दावा किया गया है जबकि मांग 7.7लाख एमटी है। भारत में 5 लाख एमटी की वेशी क्षमता है। स्पष्टत: निर्यात बाजार को ध्यान में रखते हुए क्षमता बढ़ायी गयी। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि चूंकि पिछले वर्ष यूएस और यूरोपीय अर्थव्यवस्था काफी बुरे हलात से गुजरी (जो उनकी मुख्य बाजारें है- जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि इन दो क्षेत्रों में एक याचिकाकर्ता के पास उस बाजार की मांग को पूरा करने के लिए एक सहायक कंपनी है) अत: निष्किय क्षमता का उपयोग करके वे इस उत्पाद की निर्यात बिक्री करने में सक्षम नहीं थे।

ट. कोई अधोरदन नहीं

i. सीमलेस पाइप/टयूब के लिए अधोरदन का निर्धारण समग्र रूप से किया जाता है। इस उत्पाद का उत्पादन विभिन्न ग्रेडों, आकार, प्रकार में किया जाता है। एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड का कीमत अंतर बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त डिर्ल पाइप, लाइन पाइप, केसिंग, टयूबिंग (तेल अन्वेषण में प्रयुक्त) बेरिंग ग्रेड पाइप, आटोमोबाइल ग्रेट पाइप, हाई प्रीसिजन पाइप आदि हो सकते हैं। विभिन्न ग्रेडों की कीमत में भारी अंतर हो सकता है।

ii. यह इस तथ्य के आलोक में भी महत्वपूर्ण है कि अधिकांश आयात तेल खोज सेक्टर में किये जाते हैं ।

ठ. कोई क्षति नहीं यह उल्लेख किया जाता है कि कंपनियों को भारी वित्तीय घाटा हो रहा है। यह गलत है। याचिकाकर्ता फायदे में है जो क्षति विवरण से स्पष्ट है।

ड. विभिन्न तालिकाओं में विभिन्न आंकड़े दिये गये है:

i. तालिका 5 में दिये गये आयात क्षति विवरण से मेल नहीं खाते।

ii. तालिका 5 में मांग 741117 है, क्षति विवरण में यह 767398 है।

iii. बाजार हिस्सा विभिन्न तालिकाओं में मेल नहीं खाता है।

iv. तालिका 5 में किये गये आयात और संलग्न कीमत अधोरदन तालिका।

आयातों में गिरावट के साथ-साथ याचिकाकर्ता की स्थिति में खराबी

xix. वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में आयातों में गिरावट आयी है। क्षति पैरामीटर भी स्थिति में गिरावट प्रदर्शित करते हैं । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब आयातों में वृद्धि हुई तो घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ और जब आयातों में गिरावट आयी तो उनके निष्पादन में भी गिरावट आयी।

xx. यह क्षति मुख्यत: भारत में क्षमता आधिक्य सृजित करने, भारत में उत्पाद की मांग से अधिक उत्पादन होना जिसके कारण आंतरिक प्रतिस्पर्धा हो गयी।

पुनर्वास योजना

xxi. रक्षोपाय नियमावली के अनुसार यदि घरेलू उत्पादकों की पुनर्गठन योजना हो तो शुल्क को 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लगाया जा सकता है। प्रस्तावित पुनर्गठन योजना के संबंध में हम यह प्रस्तुत करते हैं कि अगोपनीय पाठ यह सुझाता है कि इस समय आईएसएमटी द्वारा कच्चे माल को प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर क्रय नहीं किया जाता है जिसके लिए यह भविष्य में यह प्रयास करेगा। अन्य उपाय भी यह सुझाव देता है कि कंपनी अकार्यकुशल ढंग से प्रचालन कर रही है और पुनर्वास योजना मूलत: इस अकार्यकुशलता को कम करने के लिए। जिंदल एसएडब्ल्यू लिमिटेड पुनर्गठन योजना भी इसी तरह की स्थिति प्रदर्शित करती है। यह प्रस्तुत किया जाता कि यदि घरेलू उत्पादक कार्यकुशल ढंग से प्रचालन नहीं कर रहे हैं तो निश्चय ही इस अक्षमता के प्रभाव को कम करने के लिए शुल्क अधिरोपित करने का कोई कारण नहीं बनता है और लागत को उचित विश्लेषण के लिए मानकीय किया जाना चाहिए।

झ. चीन आयरन एवं स्टील एसोसिएशन (सीआईएसए) और मैसर्स रामा सिलेण्डर्स (जिसका प्रतिनिधित्व लक्ष्मी कुमारन और श्रीधरन द्वारा किया गया)

अधिदेशित सूचना प्रदान कराने में असमर्थता

i. घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के समय पूर्ण यथार्थ और उपयुक्त जानकारी प्रदान नहीं करायी है परंतु यह जांच के दौरान भी आवश्यक जानकारी (समायोजन योजना सहित) दर्ज करने से भी पीछे हटता रहा है।

ii. प्रदान करायी गई सूचना के अगोपनीय पाठ में वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा टिप्पणियां किये जाने के लिए कुछ भी नहीं था। समीक्षा करते समय पर्याप्त सूचना के अभाव में प्रतिवादी ने अपने हित की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के अपने अधिकार की मनाही कर दी। ऐसा कार्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है ।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु की गलत परिभाषा

iii. महानिदेशक रक्षोपाय यह विचार करते हुए कि सीमलेस ट्यूब के सभी प्रकार एक एकल उत्पाद हैं विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु की परिभाषा नहीं दे सके। महानिदेशक रक्षोपाय ने यह जांच करने का भी प्रयास नहीं किया कि क्या विचाराधीन उत्पाद में शामिल किये गये ग्रेडों का उत्पादन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया जाता है, क्या विभिन्न ग्रेडों के उत्पाद उनके प्रयोग, गुणधर्म और कीमतों के संबंध में समान हैं। इसके अतिरिक्त जांच शुरुआत के समय कोई जांच नहीं की गई कि क्या ईआरडब्ल्यू ट्यूब और पाइप समान उत्पाद है क्योंकि यह ट्यूब और पाइप सीमलेस ट्यूब और पाइप के या तो समान है या उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

अनपेक्षित परिस्थितियों और आयात में वृद्धि की जांच न करना

iv. न तो जांच शुरुआत नोटिस और न ही घरेलू उद्योग की याचिका में अनपेक्षित विकास की मौजूदगी का कोई उल्लेख किया है जिसके वजह से आयातों में वृद्धि हुई है। आवेदन और जांच शुरुआत नोटिस में प्रदान कराये गये आयात आंकड़े आयातों की वृद्धि का भी उल्लेख नहीं करते है, अप्रत्याशित विकास के कारण आयातों में अचानक तीव्र अभिनव और भारी वृद्धि की तो बात ही नहीं है।

जीएटीटी 1994 के अंतर्गत दायित्व का अभिज्ञान न करना

v. जीएटीटी 1994 के अंतर्गत उल्लिखित दायित्व का अभिज्ञान करने के लिए जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद 19: 1(ख) के अंतर्गत अतिरिक्त दायित्व तथा इस दायित्व का घरेलू उद्योग द्वारा लगाये गये आरोप के अनुसार आयात में वृद्धि से संबंध होना है। वर्तमान जांच में याचिकाकर्ताओं ने ऐसे किसी दायित्व और किसी संबंध की पहचान नहीं की है।

vi. आयात शुल्क (आधारभूत सीमाशुल्क) की निर्धारित दर भारत में 1994 में निर्धारित एक दायित्व है। आयात शुल्क में कमी होने पर आयातों में वृद्धि करना अपने आप में ही एक उल्लंघन है और 10 प्रतिशत की दर की वर्तमान स्थिति पर अलग से विचार करना चाहिए और इस वृद्धि के लिए 1994 में निर्धारित दायित्व के कारण आयातों में वर्तमान वृद्धि को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

घरेलू उद्योग का आधार

vii. भारत में कई उत्पादकों में से केवल उत्पादकों ने रक्षोपाय शुल्क के लिए याचिका दायर की है। इस याचिका के समर्थक निर्धारित प्रश्नावली में अधिदेशित संगत सूचना प्रदान कराने में अक्षम रहे। रक्षोपाय महानिदेशक द्वारा क्षति निर्धारण का कार्य घरेलू उत्पादकों के लिए समग्र रूप से किया जाना चाहिए।

याचिका में कई अयथार्थताएं और असंगतताएं

viii. याचिकाकर्ताओं द्वारा यथाप्रदत्त आंकड़े वित्त वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही तक अर्थात जून, 2012 तक, के लिए अद्यतन किये गये थे। तथापि वर्तमान जांच अप्रैल, 2013 में शुरु की गई थी यह स्पष्ट है कि याचिका में प्रदान कराये गये आंकड़े अद्यतन नहीं है।

ix. आयात आंकड़ों के संबंध याचिका और जांचशुरुआत नोटिस के बीच गंभीर विसंगतियां, अयथार्थताएं, असंगतताएं हैं।

x. अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक की अवधि को शामिल करते हुए अद्यतन आयात आंकड़ों का विश्लेषण भारी विसंगतियां व्यक्त करता है। मूल सांख्यिकी के आंकड़ों की तुलना अद्यतन पाठ से करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रैल, 2012 से जून, 2012 की अतिच्छादी अवधि के आंकड़े संगत नहीं है। नये आंकड़े दर्शाते हैं कि संबंधित उत्पाद का चीन से भारत में आयात 20 प्रतिशत से कम था।

कोई अनपेक्षित विकास नहीं

xi. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका और जांच शुरुआत नोटिस उन अनपेक्षित विकास की मौजूदी के संबंध में पूर्णतया चुप है जिसके परिणामस्वरुप आयातों में बढ़ोत्तरी हुई।

अनपेक्षित विकास दर्शाना अनिवार्य है

xii. डीएस 178 यूएस-लैम्ब से संबंधित डब्ल्यूटीओ विवाद में अपीलीय निकाय में पाया कि अनपेक्षित विकास की मौजूदगी रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3.1 के अंतर्गत तथ्य एवं विधि का एक संगत मुद्दा है।

xiii. अनपेक्षित विकास ऐसी परिस्थिति या परिस्थितियों के एक सेट का वर्णन करता है जिन्हें एक ऐसे तथ्य के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई जो रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने को न्यायोचित ठहराता है।

xiv. आयातों की बढ़ी हुई मात्रा को अनपेक्षित विकास से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिवादियों ने डीएस-238-अर्जेंटिना-परिरक्षित पीच में पैनल रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

xv. आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादन ने बाद में एक पत्र दायर किया जिसमें उसने कुछ घटनाओं को अनपेक्षित विकास के रूप में दर्शाया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ घटनाओं का अनपेक्षित विकास के रुप में संगणना कर देना ही अनुच्छेद-19:1(ख) की जरूरतों के आलोक में पर्याप्त नहीं है। वास्तविक अपेक्षा यह है कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्यों प्रश्नाधीन विकास अनपेक्षित है और इससे आयातों में वृद्धि किस तरह हुई।

आयातों में वृद्धि पर किये गये दायित्व के प्रभाव का संधान

xvi. जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद-19:1(क) जांचकर्ता प्राधिकारी पर दोहरी जरूरतें स्थापित करता है। यह अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं:

(क) वास्तव में संबद्ध उत्पाद से संबंधित जीएटीटी 1994 के अंतर्गत प्रशुल्क रियायतों सहित विशिष्ट दायित्व की पहचान करना; और

(ख) उस दायित्व का संबद्ध उत्पाद के आयातों में वृद्धि से संबद्ध स्थापित करना।

xvii. पोलीप्रोपीलीन बैग्स और ट्यूब्लर फैब्रिक्स के आयातों पर लगाये गये रक्षोपाय साधन- डोमिनिकन गणराज्य में डब्ल्यूटी/डीएस415/आर, डब्ल्यूटी/डीएस416आर, डब्ल्यू टी/डीएस417/आर, डब्ल्यूटी/डीएस418/आर (23 फरवरी, 2012) पैनल ने यह धारित किया कि प्रशुल्क रियायतों सहित इस करार के अंतर्गत सदस्य द्वारा लगाये गये दायित्वों के प्रभाव का आशय यह है कि ''आयातक सदस्य के पास जीएटीटी 1994, उदाहरण के लिए प्रशुल्क रियायतें, के अंतर्गत प्रश्नाधीन उत्पाद के संबंध में कुछ दायित्व होना चाहिए।

xviii. कतिपय दुग्ध उत्पादों के आयातों पर निर्णायक रक्षोपाय शुल्क-कोरिया, डब्ल्यूटी/डीएस 98/एबी/आर (12 जनवरी, 2000) की अपीलीय निकाय रिपोर्ट, अर्जेंटिना-फूटवियर आयातों पर रक्षोपाय साधन, डब्ल्यूटी/डीएस 121/एबी/आर (12 जनवरी, 2000) की अपीलीय निकाय रिपोर्ट में यह संधान किया गया कि सदस्य को अनपेक्षित विकास के अलावा जीएटीटी 1994 के अंतर्गत दिये गये दायित्व को प्रदर्शित करना और उस दायित्व तथा आयातों में वृद्धि के बीच संबंध स्थापित करना अपेक्षित होता है।

xix. जीएटीटी 1994 के अंतर्गत विहित दायित्व के प्रभाव को स्थापित किये बिना किया गया कोई दावा और अनुच्छेद-19:1(क) में उल्लिखित अपेक्षाओं पर विधिपूर्वक विचार किये बिना जांचकर्ता अधिकारी द्वारा रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना अनुच्छेद-19:1(क) का स्पष्ट उल्लंघन है।

आयात शुल्क (बीसीडी) में कमी के कारण आयातों में वृद्धि होना

xx. सदस्यगण प्रशुल्क रियायतों के द्वारा एक दायित्व ग्रहण करते है अर्थात विशिष्ट सदस्य यह दायित्व लेता है कि वह एक विशिष्ट दर से ज्यादा आयात शुल्क (बीसीडी) में बढ़ोतरी नहीं करेगा। इस दर को बाउंड दर कहा जाता है। जांचाधीन उत्पाद के लिए भारत वर्ष 1994 में बाउंड दर के रूप में 40 प्रतिशत पर सहमत हुआ था। तत्पश्चात भारत ने स्वयं अपने जोखिम पर बाउंड दर से कम आयात शुल्क दर निर्धारित की और वर्तमान आयात शुल्क दर 10 प्रतिशत है। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण केवल तभी किया जा सकता है जब आयात शुल्क में कमी के कारण आयातों में वृद्धि बाउंड दर तक हो जाए। बाउंड दर से कम आयात शुल्क की कटौती के कारण आयातों में हुई वृद्धि के लिए रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए आयात शुल्क में स्वयं अपने जोखिम पर और अधिक कमी करने के कारण आयातों में हुई किसी वृद्धि, वर्तमान स्तर 10 प्रतिशत है, पर अलग से विचार किया जाना चाहिए और उस

वृद्धि के लिए वर्ष 1994 में ग्रहण किये गये भारत के दायित्व के कारण आयातों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

अत्यधिक गोपनीयता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन

xxi. घरेलू उद्योग द्वारा दायर समायोजन योजना (अगोपनीय पाठ) और प्रश्नावली का व्यक्तिगत प्रत्युत्तर 2 सितम्बर, 2013 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई तक नहीं दिया गया था। पहली सार्वजनिक सुनवाई के बाद भी आवेदक घरेलू उत्पादकों ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर और समायोजन योजना का अगोपनीय पाठ प्रस्तुत किया।

xxii. परिमाणात्मक आंकड़ों को, चाहे वह समग्र हो या मासिक, प्रकटन किया जाना अपेक्षित होता है। यद्यपि कई पैरामीटरों के लिए कुल परिमाणात्मक आंकड़ों का प्रकटन कर दिया गया तथापि मासिक आंकड़ों को गोपनीय रखा गया। यह दावा सही नहीं है और उसे नामंजूर कर दिया जाना चाहिए।

xxiii. घरेलू उत्पादकों के लिए प्रश्नावली प्रत्युत्तर में संस्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग का गोपनीय के रूप में दावा, गोपनीयता के लिए दावा करने के कारण का उल्लेख किये बिना, किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संस्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग का गोपनीयता का दावा करने के लिए कोई कारण नहीं है।

xxiv. उनके द्वारा बंदी का विवरण (अनुबंध-5) प्रदान नहीं किया गया है। यदि वे यह दावा कर रहे हैं कि संदर्भ अवधि के दौरान उन्हें अपना संयंत्र बंद करना पड़ा तो वे विगत 3 वर्षों के बंद के आंकड़े प्रदान करायेंगे।

xxv. उनके द्वारा सब्सिडी का कोई विवरण यह दावा करते हुए प्रदान नहीं कराया गया है कि यह एक कारोबार सूचना है जो सार्वजनिक रुप से उपलब्ध नहीं होनी चाहिए।

उत्पाद की गलत परिभाषा

कवर किये गये उत्पाद एक समान नहीं हैं

xxvi. विचाराधीन उत्पाद का दायरा बहुत व्यापक है। सीमलेस पाइप, लोहा या गैर अलौह इस्पात (एसपीटीएच), के ट्यूब्स और हालो प्रोफाइल एकल उत्पाद समूह नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एसपीटीएच के कई प्रकार और/या ग्रेड होते हैं जो एक दूसरे से बहुत अधिक भिन्न होते हैं।

प्रयोग में भारी अंतर

xxvii. सीमलेस पाइप और ट्यूब का भारी भिन्न प्रयोग- विभिन्न प्रयोगकर्ता उद्योगो में सीमलेस पाइप और ट्यूब का अलग-अलग प्रयोग होता है-

i. तेल एवं गैस खोज

ii. रिफाइनरी और पेट्रोरसायन

iii. उर्वरक संयंत्र

iv. स्टील संयंत्र

v. बेरिंग उद्योग

vi. आटोमोबाइल उद्योग

vii. रेलवे सेक्टर

viii. रक्षा सेक्टर

ix. विद्युत सेक्टर

xxviii. डीजीएडी ने जांचाधीन उत्पाद के संबंध में 19 मई, 2000 को अपने अंतिम जांच परिणाम में यह पाया कि पीयूसी ग्रेडों का विश्लेषण निम्नलिखित जांच करके किया जाना चाहिए

- आधारभूत विनिर्माण प्रक्रिया

- भौतिक गुणधर्म
- रसायनिक संघटन
- आतनन शक्ति
- उत्पत्ति अवरोध
- विशिष्ट प्रचालन (अर्थात ताप उपचार)
- अंतिम प्रयोग
- उत्पाद की अंतरपरिवर्तनीयता
- ग्राहकों का अवबोधन
- प्रशुल्क वर्गीकरण

xxix. प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि संबंधित उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों की लागत, बिक्री कीमत, प्रयोग, विपणन आदि में भारी अंतर है। उत्पाद दायरे में इस व्यापक अंतर के कारण आवेदक घरेलू उत्पादकों पर आयात के प्रभाव का निर्धारण करना अशुद्ध होगा।

उत्पाद दायरे में उत्पादों की बंडलिंग करना त्रुटिपूर्ण है

xxx. विचाराधीन उतपाद एक वस्तु अर्थात एकल उत्पाद होना चाहिए। इसी तरह समान उत्पाद भी एकल उत्पाद होता है। विचाराधीन उत्पाद की तुलना समान वस्तु से करते समय उत्पाद से उत्पाद आधार पर करना चाहिए न कि उत्पादों के एक समूह से उत्पादों के दूसरे समूह से। प्रतिवादियों ने इंडोनेशिया-आटोमोबाइल उद्योग को प्रभावित करने वले कतिपय उपाय डीएस-54/55/59/64 में डब्ल्यूटीओ डीएसबी पैनल रिपोर्ट पर भरोसा किया है जिसमें डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय ने समान वस्तु के आशय को स्पष्ट किया है।

उत्पाद के दायरे में उन उत्पादों, समान वस्तु को शामिल नहीं किया जा सकता है जिनका उत्पादन आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा नहीं किया जाता है

xxxi. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान आवेदक घरेलू उत्पादकों ने यह स्वीकार किया कि उत्पाद दायरे में शामिल कई उत्पादकों का उनके द्वारा अथवा उनमें से कुछ का विनिर्माण नहीं किया जाता है, इसलिए वे ओएनजीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरुप बोली में प्रतिभागिता करने के लिए योग्य नहीं होते है। अत: उन उत्पादों को उत्पाद के दायरे से हटा दिया जाना चाहिए।

xxxii. पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के मैसर्स रामा सिलेण्डर्स प्रा. लिमिटेड, संबद्ध वस्तु का एक आयातक को सम्बोधित दिनांक 23.5.2013 के पत्र में यह उल्लेख किया गया कि कार्यालय रिकार्ड के अनुसार कोई भी भारतीय सीमलेस स्टील पाइप/ट्यूब का विनिर्माता गैस सिलेण्डर नियमावली, 2004 के अंतर्गत अनुमोदित उच्च दाव सीमलेस स्टील गैस सिलेण्डरों का विनिर्माण करने के लिए पात्र नहीं है।

xxxiii. आवेदक घरेलू उत्पादकों में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया कि एक आवेदक घरेलू उत्पादक ने अपनी पात्रता की जांच करने के लिए अपने समान की जांच करने का आवेदन किया है। यह इस बिंदु को सिद्ध करता है कि आवेदक घरेलू उत्पादकों को इस तरह के उत्पादों का विनिर्माण करना निषेध है और इसके कारण सिलेण्डर के विनिर्माताओं को इन उत्पादों का आयात भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विनिर्माताओं से करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब आवेदक घरेलू उत्पादक इन उत्पादों का विनिर्माण नहीं कर रहे थे तो जांच की अवधि के दौरान उनका आयात उन्हें क्षति कारित नहीं कर सकता था।

कीमतों में भारी अंतर या वैकल्पिक रूप से अशुद्ध आयात आंकड़े और मूल्य

xxxiv. आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रदान कराये गये आयात आंकड़े पीयूसी के विभिन्न ग्रेडों की कीमतों में भारी अंतर प्रदर्शित करते है।

सीएन कोड	औसत कीमत (रुपये/एमटी)
73069011	24,376
73043129	29,416
73045930	169,841
73041120	170,318

सीएन कोड 73069011 की प्रति टन न्यूनतम औसत कीमत 24376 रुपये है और सीएन कोड 73041120 की अधिकतम औसत कीमत 170318 रुपये प्रति टन हैं इस प्रकार अधिकतम औसत कीमत न्यूतम औसत कीमत से 7 गुनी अधिक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभन्न उत्पाद ग्रेडों की कीमत में भारी अंतर है। वैकल्पिक रूप से यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित उत्पाद कोड 73069011 और 73041120 विभिन्न उत्पादों को दर्शाते है परंतु उन्हें गलती से आयात सांख्यिकी में शामिल कर लिया गया है।

समान वस्तु और याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों का घरेलू उद्योग के रूप में आधार: बेल्डेड टयूब और पाइप (ईआरडब्ल्यू)

xxxv. संपूर्ण विश्व में इलैक्ट्रिकल अवरोध बेल्डिंग का प्रयोग करके बने बेल्डेड टयूब और पाइप का प्रयोग सीमलेस ट्यूब और पाइप के साथ अंतरपरिवर्तनीय रूप से ऑयल और गैस खोज एवं परिवहन में किया जाता है।

xxxvi. भारत तथा अन्य देशों के विरुद्ध संयुक्त राज्य द्वारा शुरु की गई जांच [जांच सं. 701-टीए-428 और 731-टीए-992-994 और 996-1105 (प्रारंभिक)] में यूएस ने बेल्डेड ट्यूब और पाइपों को सीमलेस ट्यूब और पाइपों के समान वस्तु के रुप में माना है। प्रतिवादियों ने जांच शुरुआत नोटिस की प्रति संलग्न की है।

xxxvii. यह तर्क कि केवल उत्पादन प्रक्रिया का शुरुआती स्तर दो उत्पाद बनाता है से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों समान अंतिम प्रयोग का उद्देश्य पूरा करते है। इसलिए बेल्डेड ट्यूब और पाइप (ईआरडब्ल्यू) ना केवल प्रतिस्पर्धी उत्पाद है बल्कि वे सीमलेस ट्यूब और पाइपों के प्रत्येक मापदंड के अनुसार समान उत्पाद भी है।

xxxviii. प्रतिवादियों ने ऐसे उत्पादों की सूची प्रस्तुत की है जिन्हें इस जांच में शामिल नहीं किया गया है और उल्लेख किया है कि भारत में घरेलू उत्पादकों के अलावा कई अन्य घरेलू उत्पादक भी है जो संपूर्ण विश्व में समान अंतिम प्रयोग के लिए प्रयोग होने वाले बेल्डेड ट्यूब और पाइप का निर्माण करते है। इसलिए इन घरेलू उत्पादकों के उत्पाद को आवेदक घरेलू उत्पादकों का आधार निश्चित करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन किया है।

xxxix. चीन जनवादी गणराज्य से भारत में एल्यूमिनियम फ्लैट रोल्ड उत्पादों और एल्यूमिनियम फाइल के आयातों के विरुद्ध रक्षोपाय जांच के दिनांक 29 मई, 2009 की अंतिम जांच परिणाम में रक्षोपाय महानिदेशक ने घरेलू उद्योग द्वारा निर्माण ना किये जाने वाले उत्पादों का अपवर्जन करने के लिए निम्नलिखित सूचीबद्ध कारकों की जांच की थी:

i. तकनीकी गुणधर्म

ii. अंतरपरिवर्तनीयता और प्रयोग

iii. संभावित प्रयोग

iv. विपड़न सरणी

v. कीमत आदि

xl. सभी घरेलू उत्पादकों के कुल उत्पादन (उनके सहित जो बेल्डेड ट्यूब और पाइप का उत्पादन ईआरडब्ल्यू विधि से करते है) और आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादन के कुल उत्पादन पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादन समान वस्तु के कुल उत्पादन का अधिकांश अनुपात का उत्पादन नहीं करते है और इसलिए आवेदक घरेलू उत्पादक का घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन करने का आधार नहीं है।

क्या याचिकाकर्ता संपूर्ण भारतीय घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते है

xli. व्यापार उपचारी जांच जैसे रक्षोपाय जांच या पाटन जांच में कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन होना ही एओएस के अनुच्छेद 4.1 (ग) के अनुसार कुल उत्पादन का अधिकांश भाग होने का दावा नहीं बन जाता है।

xlii. प्रतिवादियों ने भारत में सीमलेस ट्यूब और पाइप के 50 से अधिक घरेलू उत्पादकों का विवरण प्रस्तुत किया है और घरेलू उद्योग की परिभाषा के लिए डीएस 397-ईसी स्टील फासनर्स में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए उल्लेख किया है कि डीजी रक्षोपाय अन्य घरेलू उत्पादकों से सूचना प्राप्त करने के लिए बाध्य है और उनसे क्षति के संबंध में भी सूचना प्राप्त करें। यदि डीजी रक्षोपाय ऐसे अन्य घरेलू उत्पादक पर (महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड) भरोसा करते है जिसमें अपना निर्धारण करने के लिए पूरी सूचना नहीं दी है।

xliii. चीन जनवादी गणराज्य से भारत को एल्यूमिनियम फ्लैट रोल्ड उत्पादों और एल्यूमिनियम फ्वाइल के आयातों के विरुद्ध रक्षोपाय शुल्क जांच के अंतिम जांच परिणाम दिनांक 29 मई, 2009 में डीजी रक्षोपाय ने यह धारित किया कि घरेलू उद्योग की परिभाषा उत्पाद उन्मुखी होनी चाहिए ना कि उत्पादक उन्मुखी और यह कि यह उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद पर आधारित होना चाहिए जिसकी तुलना समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी के रूप में आयातित उत्पाद से की जाती है।

xliv. आवेदक घरेलू उत्पादकों ने प्रथम सार्वजनिक सुनवाई के अनुसरण में अपने लिखित प्रस्तुतिकरण के पैरा 19 में भेल और ओसीएल का अपवर्जन करने का औचित्य इस आधार पर दर्शाने का प्रयास किया है कि इन उत्पादकों ने उत्पाद का आयात किया है।

xlv. प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग को एओएस तथा भारतीय रक्षोपाय विधिक उपबंधों की तुलना में पाटनरोधी करार और भारतीय नियमों में अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। जब कि पाटनरोधी प्रावधान प्राधिकारी को ऐसे उत्पादकों का अपवर्जन करने का विवेक प्रदान करते है जो आयातकर्ता है या आयातकों या निर्यातकों से संबंधित है, परंतु डीजी रक्षोपाय को यह विवेक प्रदान नहीं किया गया है।

xlvi. इस जांच में निम्नलिखित उत्पादकों पर विचार नहीं किया गया है जो विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादक है। इन उत्पादकों को भी वर्तमान जांच में शामिल किया जाना चाहिए:

- महालक्ष्मी सीमलेस लिमिटेड
- रतनदीप मेटल और ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड
- हेवी मेटल्स एंड टयूब्स लिमिटेड
- गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड
- आनंद सीमलेस ट्यूब्स प्रा. लिमिटेड
- सैनेस्ट ट्यूब्स प्रा. लिमिटेड
- पटेल्स एयर फ्लो लिमिटेड
- भाटिया स्टील ट्यूब्स

xlvii. यदि इन उत्पादकों को प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच में विचार किया जाता है तो घरेलू उद्योग द्वारा धारित कुल उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा भारी कम हो जायेगा। इससे घरेलू उद्योग का आधार प्रभावित होगा।

आयातों में कोई उद्रेक नहीं

xlviii. वर्तमान मामले के तथ्य यह संकेत करते है कि विगत वर्ष की तुलना में आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आयात जो वर्ष 2011-12 में 425194 एमटी थे घटकर वर्ष 2012-13 (वार्षिकीकृत) में 373777 एमटी हो गये। प्रतिवादियों ने फूटवियर का आयात के संबंध में डीएस 121-अर्जेटिना सेफगार्ड में डब्ल्यूटीओ विवाद पर भरोसा किया है।

xlix. प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या आयात किसी देश में इतनी अधिक मात्रा में हुए और यह आयात बहुत अधिक पर्याप्त अचानक तीव्र और भारी मात्रा में हुए है। आयातों में वृद्धि की जांच और उपयुक्त

निर्धारण पर विचार किये बिना कोई निर्णय देना एओएस के अनुच्छेद 2.1 और सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8 ख(1) का उल्लंघन होगा।

क्षति विश्लेषण

I. प्रारंभ में प्रतिवादियों ने अपने क्षति प्रस्तुतिकरणों में क्षति कारको से संबंधित सभी प्रस्तुतिकरणों को दोहराया है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री के संबंध में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान उत्पादन और बिक्री दोनों में मामूली सी कमी आयी है। निष्पादन में यह कमी पिछले 4 वर्षों की क्षति अवधि में स्पष्ट नहीं है परंतु जांच की अवधि के दौरान यह एक बड़ी घटना है। फिर भी आधार वर्ष से तुलना करने पर घरेलू उद्योग के उत्पादन में 13 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि हुई है जबकि बिक्री में एक इंडेक्स बिंदु भी कमी आई। अत: संदर्भ अवधि के दौरान घरेलू बिक्रियों के स्तर में भारी गिरावट नहीं आयी है।

Ii. बोली में विदेशी प्रदायकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और निविदा में प्रभावकारी ढंग से बोली लगाने में घरेलू उद्योग की अक्षमता के लिए विदेशी प्रदायकों को दोषी ठहराना उचित नहीं है । रक्षोपाय जांच का आधारभूत पहलू यह है कि भारत में आयात उचित कीमतों पर आये है ।

Iii. आवेदन करते समय घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि वे अपने ही समस्या से पीड़ित है। यह बोली प्रक्रिया में विदेशी प्रदायकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अक्षमता से स्पष्ट है जिसमें उनकी बोलियां उत्पादन न होने अथवा अन्य तकनीकी कारणों से निरस्त की जाती है।

Iiii. रोजगार में कथित नुकसान के संबंध में प्रतिवादी यह नोटिस करते है कि रोजगार और वेतन के स्तर में संदर्भ अवधि के दौरान भारी नुकसान नही हुआ है। इसके विपरीत कार्य बल सं. और वेतन दोनों में संदर्भ अवधि के दौरान वर्ष दर वर्ष औसतन 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारतीय घरेलू उद्योग और याचिकाकर्ता अपना रोजगार नहीं बढ़ाते यदि उनको कोई क्षति हुई होती।

Iiv. कुछ अपवर्जित उत्पादों एसए335, एसए 213, एल-80 विनिर्देशनों के एसटीपी को क्षति विश्लेषण में शामिल किया जाना चाहिए। यह अपवर्जित उपाय कुल आयातों का लगभग 6 प्रतिशत है। प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण से इन अपवर्जित उत्पादों का अपवर्जन कर दिया।

कारणात्मक संबंध का अभाव

Iv. घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत तथ्यों के अनुरुप आयात और घरेलू उद्योग के निष्पादन के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

Ivi. जब आयात वर्ष 2010-11 में 344829 से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 425194 एमटी हो गये तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में 76 अंकों से वृद्धि होकर 102 अंक हो गयी जबकि आयात जो वर्ष 2011-12 में 425194 एमटी थे घटकर वर्ष 2012-13 में 280333 एमटी हो गये तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता भी 102 बिंदु से घटकर 23 बिंदु हो गयी। घरेलू उद्योग के लाभ और आयात के बीच कारणात्मक संबंध का पूर्ण अभाव है।

Ivii. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री तथा आयातों के बीच ऋणात्मक सह संबंध स्पष्ट है। जब आयात 2010-11 में 344829 एमटी से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 425194 एमटी हो गये तो घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में भी 126 बिंदु से वृद्धि होकर 142 बिंदु और 118 बिंदु से वृद्धि होकर 120 बिंदु हो गई। जबकि आयात जो वर्ष 2011-12 में 425194 एमटी से घटकर वर्ष 2012-13 में 280333 एमटी हो गये तो घरेलू उद्योग उत्पादन और बिक्री में भी 142 बिंदुओं से कमी होकर 87 बिंदु और 120 बिंदुओं से घटकर 71 इंडेक्स बिंदु रह गयी। अत: कारणात्मक संबंध बिल्कुल भी नहीं है ।

Iviii. वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आईएसएमटी ट्यूब प्रभाग की क्षमता वर्ष 2009-10 (158000 टन) से लगभग तिगुनी बढ़कर वर्ष 2010-11 में (465000 टन) हो गई । जबकि कंपनी का ट्यूब उत्पादन संगत रूप से स्थिर बना रहा, इसका तत्काल प्रभाव यह हुआ कि क्षमता उपयोग 85.9 प्रतिशत से घटकर 38.5 प्रतिशत हो गया। यह स्पष्ट है कि कथित क्षति का मुख्य कारण आईएसएमटी उत्पादन क्षमता में अचानक वृद्धि होना है। यह आयातों और कथित क्षति के बीच नकारात्मक संबंध समाप्त कर देती है।

lix. वर्तमान मामले के साथ पठित कोरिया-डेरी, डब्ल्यू टी/डीएस 98/आर संबंधित पैनल रिपोर्ट यह दर्शाती है कि आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन के बीच कोई संबंध नहीं है। अत: यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है और आयातों तथा घरेलू उद्योग पर उनके विपरीत प्रभाव के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित किये बिना शुल्क की सिफारिश करना एओएस के अनुच्छेद 4.2 (ख) तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख (1) का उल्लंघन होगा।

lx. आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादकों ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया की उत्पाद दायरे में शामिल किये गये कई उत्पादों का उनके द्वारा विनिर्माण नहीं किया जाता है या उनमें से कुछ के लिए वे ओएनजीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरुप बोली में प्रतिभागिता करने के लिए योग्य नहीं है। इस अनर्हता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादकों को उत्पाद का प्रदाय करते हुए नहीं माना जाता है क्योंकि वे इसका अन्य देशों को प्रदाय अन्य नाम पर करते है। यदि इस कारण से वे सामग्री की आपूर्ति नहीं कर सके और इसका उत्पादन किया गया तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि घरेलू उत्पादकों को आयातित वस्तु के कारण क्षति हुई है।

lxi. आवेदक घरेलू उत्पादकों ने अपनी समायोजन योजना में संक्षेप में यह उल्लेख किया कि वे ऐसी विधियों को अपना रहे है जिससे उत्पादन लागत कम हो जाएगी जैसे (i) कच्चे माल की कार्यकुशलता में सुधार करना (ii) ऊर्जा का कार्यकुशल प्रयोग करके विद्युत और ईंधन लागत को कम करने की योजना बनाना (iii) उच्चतर प्राइम ग्रेड उत्पादन प्राप्त करने और उत्पाद में सुधार करने के लिए स्टील ग्रेडों का यौक्तिकीकरण करने का प्रयास करना (iviv) लागत में भारी कमी करना। आवेदक घरेलू उत्पादकों का समायोजन योजना यह दर्शाता है कि क्षति का कारण उत्पादन विधि की अकार्यकुशलता है जो उनकी समायोजन योजना से स्पष्ट हो जाता है। अत: क्षति का कारण आयातित उत्पाद नहीं है।

समायोजन योजना

lxii. प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि रक्षोपाय शुल्क गैर प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग के लिए अस्थायी राहत है और रक्षोपाय के अंतर्गत व्यापार उपचार घरेलू उद्योग को अस्थायी अवधि के लिए संरक्षित करना है जिससे कि यह विदेशी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके और समायोजन कर सके। एओएस के अनुच्छेद 5 में यह भी प्रावधान है कि कोई सदस्य रक्षोपाय साधन का प्रयोग गंभीर क्षति से बचने या उसका उपचार करने और समायोजन सुलभ बनाने के लिए आवश्यक सीमा तक कर सकता है।

lxiii. ढांचागत समायोजन एओएस के अंतर्गत रक्षोपाय जांच का प्रमुख साधन बनता है जैसा एओएस की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है इस साधन का उपयोग आवेदक घरेलू उत्पादक ढांचागत परिवर्तन करने के रुप में नहीं कर सकते है। उदाहरण के लिए आईएसएमटी ने उल्लेख किया है कि प्रमुख सामग्री को प्रतिस्पर्धी कीमत निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करना। इसका आशय यह है कि आईएसएमटी इस समय अन-अर्थक्षम स्रोत से कच्चा माल प्राप्त कर रहा है जिससे कच्चे माल की लागत और उसके परिणामस्वरुप उसे कारित क्षति अपने ही कारणों से हो रही है। प्रस्तावित योजना को ढांचागत परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है और उससे समायोजन योजना की जरुरतें पूरी नहीं होती। चूंकि आवेदक घरेलू उत्पादक कोई अर्थक्षम समायोजन योजना प्रदान कराने में असमर्थ रहे जिससे वह आयातों से प्रतिस्पर्धी बन सकते है, इसलिए इस जांच को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए।

जनहित

lxiv. एक घरेलू उत्पादक और संबद्ध वस्तु का आयातक भेल ने रक्षोपाय शुल्क लगाने का विरोध किया है। भेल ने यह प्रस्तुत किया है कि उसकी वार्षिक जरुरत 50000-60000 (एमटी) है जिसमें से 40-50 प्रतिशत की पूर्ति उसके इन हाऊस उत्पादन से की जाती है शेष 50-60 प्रतिशत मात्रा का एल के रजिस्टर प्रदायकों के बीच प्रतिस्पर्धी बोली से प्राप्त की जाती है। विदेशी प्रदायकों को लगभग 30000 एमटी (160 करोड़ रुपये और 8500 एमटी (50करोड़ रुपये) के ऑडर प्राप्त होते है।

lxv. भेल ने इस तथ्य का विशेष रुप से उल्लेख किया है कि विदेशी प्रदायकों को भारतीय प्रदायकों की तुलना में अधिक ऑडर मिलते है क्योंकि उनके पास संपूर्ण रेंज उपलब्ध होती है ।

lxvi. भेल द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि स्वदेशी प्रदायकों का हाइड्रोलिक परीक्षण में ट्यूब में लीकेज सहित गंभीर क्वालटी मुद्दा होता है। इस तरह की लीकेज दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती है जिससे जनहित प्रभावित हो सकता है।

lxvii. भेल के अनुसार एक भारतीय प्रदायक को अभी भी होल्ड पर रखा गया है। घरेलू उत्पादक द्वारा सीमित गुणवत्ता और मात्रा की आपूर्ति के कारण यह संभावना है कि रक्षोपाय शुल्क उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को समाप्त कर देगा और उनकी संस्थापित विनिर्माण क्षमता का उपयोग प्रभावित होगा।

lxviii. घरेलू उद्योग द्वारा अपने लिखित प्रस्तुतिकरण के पैरा 72(ख) द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि कर के कारण भारत सरकार को राजस्व क्षति होगी क्योंकि घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता कम हो जाएगी।

lxix. प्रतिवादियों ने यह प्रस्तुत किया है कि रक्षोपाय शुल्क या किसी व्यापार उपचारी साधन का लक्ष्य सरकार का राजस्व बढ़ाना नहीं होता है। इसके बजाय घरेलू उद्योग के लिए समान स्तर प्राप्त करना होता है ताकि यह विदेशी प्रदायकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। सरकार को संबद्ध वस्तु के आयातों पर भुगतान किये जा रहे सीमाशुल्क के कारण राजस्व प्राप्त होता रहेगा। अत: सरकार का राजस्व सुरक्षित है।

lxx. प्रथम लिखित प्रस्तुतीकरण के पैरा 74 में घरेलू उद्योग ने दावा किया कि वह अभी नवजात उद्योग है। प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व मैसर्स आईएसएमटी द्वारा किया गया है जो 1977 में शुरु हुई थी और मैसर्स जेएसडब्ल्यू लिमिटेड 1984 में शुरु हुई थी।

lxxi. घरेलू उद्योग ने अपने प्रस्तुतिकरण के पैरा 72 (ग) में यह उल्लेख किया है कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भारत से बाहर जा रही है जिसका भारत के जन हित पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया है कि विदेशी मुद्रा बाहर जाने के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा बिल्कुल निरर्थक है।

ञ. मैसर्स बीएचईएल

मैसर्स बीएचईएल ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान अपना मौखिक प्रस्तुतिकरण किया जिसमें उन्होंने पहली सार्वजनिक सुनवाई के दौरान किये गये अपने प्रस्तुतिकरण को ही दोहराया है:

i. मैसर्स बीएचईएल की जरुरतें अत्यधिक संवेदनशील है क्योंकि इन ट्यूब और पाइपों का प्रयोग उच्च दाब बायलर अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।

ii. गुणवत्ता और परीक्षण अपेक्षाएं बहुत कठोर है क्योंकि विद्युत संयंत्र की सुरक्षा मुख्य मुद्दा है।

iii. भेल की वार्षिक जरुरतें बहुत अधिक है अर्थात 50-60000 एम टी । 40-50 प्रतिशत जरुरत को इन हाऊस उत्पादन से पूरा किया जाता है। शेष 50 से 60 प्रतिशत मात्रा का अधिप्रापण भेल के पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धी दर से किया जाता है।

iv. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को अधिक आडर मिल रहे है क्योंकि उनके पास संपूण श्रृंखला उपलब्ध होती है जबकि भारतीय प्रदायों के पास सीमित श्रृंखला होती है।

v. मैसर्स भेल उन्हीं पंजीकृत प्रदायकों से अभिप्रापण करता है जो गुणवत्ता जरुरत को पूरा करते है।

vi. मैसर्स भेल के इस श्रेणी में 23 पंजीकृत प्रदायक (4 स्वदेशी प्रदायकों सहित) हैं।

vii. केवल एक स्वदेशी प्रदायक पूरी श्रृंखला को पूरा करता है। भारतीय उत्पादकों में अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं है। अधिकांश विदेशी प्रदायक पूरी रेंज प्रदान करते है।

viii. दो स्वदेशी प्रदायकों के गुणवत्ता संबंधी गंभीर मुद्दे है जिसमें हाइड्रोलिक परीक्षण के समय ट्यूब में लिकेज होना भी शामिल है। एक स्वदेशी प्रदायक को होल्ड किया हुआ है।

ix. राइफल्ड ट्यूब के लिए मैसर्स आईएसएमटी लिमिटेड के अलावा कोई अन्य स्वदेशी प्रदायक नहीं है। राइफल्ड ट्यूब के लिए इस समय पूरी तरह से आयातों पर निर्भरता है।

x. एक विदेशी प्रदायक का सैम्पल अध्ययन दर्शाता है कि प्रति मीट्रिक टन लागत और प्रापण में अंतर है।

xi. ईंधन और ऊर्जा, रोजगार लागत विनिर्माण व्यय स्वदेशी उत्पादकों के बढ़ गये है। उन्हें उत्पादकता बढ़ाने और लागत में नियंत्रण करने की जरुरत है।

xii. स्वदेशी प्रदायकों की कम गुणवत्ता वाले न्यून उत्पादकता उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को समाप्त कर देती है।

xiii. स्वदेशी प्रदायकों को अपने गुणवत्ता में सुधार करने और बेंचमार्क उत्पादकता और कार्यकुशलता को विदेशी प्रदायकों के अनुरुप बनाने की आवश्यकता है।

xiv. भेल जैसी कंपनियों को घरेलू वरीयता के बजाय कठोर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अत: कोई रक्षोपाय शुल्क प्रतिस्पर्धात्मकता को समाप्त कर देगा और इसकी संस्थापित विनिर्माण क्षमता को कम कर देगा।

xv. मैसर्स भेल प्रति वर्ष 160 करोड़ रुपये का आयात करता है और इन मदों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से भेल के प्रचालनों को गंभीर क्षति पहुंचेगी ।

xvi. इन उत्पादों पर किसी भी तरह का रक्षोपाय शुल्क लगाने से पावर उपकरण विनिर्माताओं जैसे भेल को प्रतिस्पर्धात्मकता के ऋणात्मक प्रभाव से गंभीर क्षति होगी और उसकी कारोबार पर प्रभाव पड़ेगा ।

ट. डलमाइन एसपीए, इटली (जिसका प्रतिनिधित्व सेठ और दुआ एसोसिएट्स द्वारा किया गया)

डलमाइन एसपीए ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतिकरण किया था परंतु वे लिखित प्रस्तुतिकरण नहीं कर सके।

ठ. जापान आयरन एंड स्टील फेडरेशन

उन्होंने द्वितीय सार्वजनिक सुनवाई में भाग नहीं लिया परंतु अपना लिखित प्रस्तुतिकरण किया जो निम्नलिखित है:

i. विचाराधीन उत्पाद का दायरा बहुत अधिक है जापान के स्टील विनिर्माताओं द्वारा निर्यातित उत्पाद भारतीय स्टील विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित उत्पादों के समान या प्रतिस्पर्धी उत्पाद नहीं है।

ii. जापान के स्टील विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित उत्पाद घरेलू उत्पादकों के उत्पादों से तकनीकी रुप से बहुत अच्छे है।

iii. जापान के स्टील विनिर्माताओं के पास अधोगामी एवं उपरीगामी विनिर्माण प्रक्रिया होती है जबकि भारतीय स्टील विनिर्माताओं के पास यह प्रक्रिया नहीं है। इससे जापान के स्टील विनिर्माता अपनी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता बनाये रखते है।

iv. जापान के स्टील विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं करना चाहिए।

v. उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता के कारण भारतीय अंतिम प्रयोगकर्ताओं ने जापान के स्टील विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित उत्पादों को प्रौद्योगिकीय रुप से संवेदनशील सेक्टर के रुप में अनुमोदित किया है जैसे आटोमोबाइल, तेल और गैस अन्वेषण, तेल एवं गैस ढुलाई, ताप ऊर्जा संयंत्र एवं रसायन उद्योग ।

vi. जापान से इस पीयूसी का आयात 1.19 प्रतिशत से 3 प्रतिशत रहा है । यह स्पष्टत: सिद्ध करता है कि पीयूसी का जापान से आयात एक ऐसी बाजार को होता है जिसे उच्च प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण अनुप्रयोग अपेक्षित होता है।

vii. डीआई याचिका के अनुसार जापान से आयात कीमत अधोरदन नहीं कर रहे है।

viii. जापान से आयात कीमत घरेलू बिक्री कीमत से 27 प्रतिशत से 84 प्रतिशत से अधिक रही है।

ix. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3.1 में यह आकलन करना अपेक्षित होता है कि रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में होगा या नहीं।

x. जापान आयरन एंड स्टील फेडरेशन ने प्रस्तुत किया है कि इस रक्षोपाय जांच की शुरुआत करना जनहित में नहीं है क्योंकि रक्षोपाय जांच भारत में अंतिम प्रयोगकर्ता के हित में होगी।

xi. चूंकि जापान के स्टील विनिर्माता भारतीय अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा विभिन्न संवेदनशील सेक्टरों में प्रदायक के रुप में अनुमोदित है इसलिए भारतीय अंतिम प्रयोगकर्ता प्रभावित होगे। चूंकि प्रौद्योगिकी संवेदनशील सेक्टर ऐसे है जहां अंतिम प्रयोगकर्ता इनपुट उत्पाद की गुणवत्ता और टेक्नोलॉजी से समझौता नहीं कर सकते है, यदि इन उत्पादों पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो यह भारतीय अंतिम प्रयोगकर्ता को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध नहीं होगी और उसे आयात की उच्च लागत वहन करने होगी।

xii. कारणात्मक संबंध नहीं है। जब वर्ष 2011-12 में आयातों में मामूली सी वृद्धि हुई थी तो घरेलू उद्योग का निष्पादन बहुत अच्छा हुआ था तथापि जब आयातों में गिरावट और वर्ष 2012-13 में आयात कीमत में वृद्धि हुई तो घरेलू उद्योग के उत्पादन और लाभ में कमी आ गयी।

xiii. मांग में कमी हुई है। मांग में कमी और उपयुक्त कारक गंभीर क्षति के दावे और आयातों के बीच कारणात्मक संबंध का दावा करते है। यदि डीजीएस रक्षोपाय शुल्क लगाने का निर्णय लेते है तो डीजीएस जापान से आयातित पीयूसी पर एसजी नहीं लगाएंगे।

13. **निम्नलिखित प्रत्युक्ति प्राप्त हुई है जिनमें हितबद्ध पक्षकारों ने अन्य बातों के साथ उल्लेख किया है कि:**

(क) टीएमके ग्रुप रुस (श्री एम एन झा, अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व)

i. टीएमके ने रक्षोपाय जांच शुरुआत नोटिस के प्रत्युत्तर में दिनांक 29 मई, 2013 तथा 2 सितम्बर और 12 दिसम्बर, 2013 को मौखिक सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी और 13 सितम्बर एवं 16 दिसम्बर, 2013 को सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात प्रस्तुत संक्षिप्त विवरण तथा 27 अक्तूबर, 2013 को अनपेक्षित क्षति और जनहित के संबंध में वर्तमान दस्तावेज के प्रयोजनार्थ समान रुप से वैध हैं।

आयातों में वृद्धि

ii. वर्ष 2012-13 की अभिनव अवधि में आयातों में 16 बिंदुओं की गिरावट आई। यह मांग में 19 बिंदुओं की गिरावट के कारण हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने आयात में 42 प्रतिशत वृद्धि के परिणामस्वरुप 16 प्रतिशत गिरावट की कल्पना की है। आयातों में 16 प्रतिशत की गिरावट रक्षोपाय प्रक्रिया प्रारंभ करने की जरुरत के विपरीत है अर्थात आयातों का आयात ऐसी वर्धित मात्रा में किया जा रहा है।

घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का अभाव

याचिकाकर्ताओं का उत्पादन बढ़ा है

iii. घरेलू उद्योग का उत्पादन वर्ष 2009-10 और 2011-12 की अवधि में 42 प्रतिशत बढ़ा है जबकि वर्ष 2012-13 में 20 प्रतिशत की गिरावट आयी है अंतत: घरेलू उत्पादन में भारी स्थिरीकरण हुआ है। उतार-चढ़ाव की यह प्रवृत्ति आयातों के अलावा अन्य कारकों से अधिक हुई है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

संदर्भ अवधि के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी संस्थापित क्षमता में वृद्धि कर ली

iv. क्षमता उपयोग में कमी तथा भारतीय बाजार में आयातों की उपस्थिति के बीच कोई संबंध नहीं है क्षमता उपयोग वर्ष 2010-11 में 60 प्रतिशत से कम होकर 41 प्रतिशत हो गया यह उसी अवधि के दौरान क्षमता में 83 प्रतिशत की वृद्धि का परिणाम था। यद्यपि याचिकाकर्ताओं का क्षमता उपयोग 1 वर्ष (2010-11) में 19 प्रतिशत कम हो गया वही उसी वर्ष के दौरान उनके उत्पादन में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसी वर्ष के दौरान आयातों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

घरेलू बिक्री प्रवृत्ति का याचिकाकर्ता का आकलन अपूर्ण एवं अयथार्थ है

v. याचिकाकर्ता ने पाया कि उनकी घरेलू बिक्रियां वर्ष 2012-13 के बीच 170826 एमटी से कम होकर 141588 एमटी हो गई । तथापि टीएमके ने प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2012-13 में घरेलू बिक्रियां वर्ष 2009-10 में घरेलू बिक्रियों के स्तर के अनुरुप थी। तथापि वर्ष 2012-13 की अवधि के पश्चात घरेलू बिक्रियां स्थिर बनी रही। टीएमके ग्रुप ने प्रस्तुत किया है कि 4 वर्षों की अवधि के दौरान घरेलू बिक्रियों में 1 प्रतिशत गिरावट वर्तमान मामले में रक्षोपाय शुल्क लगाने को न्यायोचित नहीं ठहराती है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा मांग के स्तर और बाजार हिस्से का त्रुटिपूर्ण विश्लेषण

vi. संदर्भ अवधि के दौरान बाजार हिस्सा और मांग के स्तर के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि वर्ष 2009-10 और वर्ष 2011-12 में घरेलू बिक्री में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

याचिकाकर्ताओं ने उन आंकड़ों पर भरोसा किया है जो याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान करायी गई तालिका से ही सिद्ध नहीं होता है। उदाहरणार्थ याचिकाकताओं ने प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2012-13 में मांग में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग की बिक्री में 24 प्रतिशत की कमी आयी और आयातों में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वास्तव में याचिकाकर्ताओं के निजी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में मांग में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब घरेलू उद्योग की बिक्रियों में भी बढ़ोतरी हुई। अत: 24 प्रतिशत की गिरावट नहीं आई है।

आयातों में भी वृद्धि (26 प्रतिशत तक) हुई परंतु 42 प्रतिशत नहीं, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने सुझाव दिया है। वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान मांग में 19 बिंदुओं की कमी आई और आयातों में कमी आई जिसमें 16 बिंदुओं तक गिरावट हुई। यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने 16 प्रतिशत की गिरावट को आयातों में 42 प्रतिशत की वृद्धि के रुप में देखा है जिससे यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता रक्षोपाय शुल्क का सतत अधिरोपण करना चाहते है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित आंकड़े भी यह संकेत करते है कि वर्ष 2012-13 में घरेलू बिक्रियों के हिस्से के रुप में आयातों में 4 वर्षों की अवधि के दौरान 2.1 प्रतिशत प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि के अनुरुप वृद्धि हुई है जिसे क्रमिक विकास कहा जा सकता है।

घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में केवल मामूली सी गिरावट आयी है जो उनके पिछले 4 वर्षों के हिस्से की तुलना में 2 प्रतिशत कम है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग का वर्ष 2012-13 में बाजार हिस्सा जांच अवधि के दौरान रहे बाजार हिस्से से 3 प्रतिशत कम था। वर्ष 2011-12 और 2012-13 में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 1 प्रतिशत की गिरावट आयी है।

क्षति का यह स्तर पाटनरोधी जांच के संदर्भ में वास्तविक क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ सही है परंतु यह रक्षोपाय जांच में गंभीर क्षति मानको को पूरा नहीं करती है।

कारणत्व का अभाव

आयातों और घरेलू उद्योग की बिक्रियों के बीच कथित सह संबंध स्थापित नहीं होता है।

vii. याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण यह संपुष्ट करता है कि संवर्धित आयातों और घटी हुई घरेलू बिक्रियों के बीच कोई संबंध नहीं है आंकड़े दर्शाते है कि आयात और घरेलू बिक्रियां दोनों समान बाजार संकेतक प्रदान कर रहे है। आयातों में तीव्र वृद्धि और घरेलू बिक्रियों में तीव्र गिरावट दर्शाने के बजाय आंकड़े दर्शाते है कि आयातों और घरेलू बिक्रियों में उतार एवं चढ़ाव समानांतर रुप से हुआ है और बाजार प्रवृत्तियां भी इसी तरह हुई है। घरेलू उद्योग के समक्ष उपस्थित परेशानियां आयातों में वृद्धि के अलावा अन्य कारकों से हुई है।

अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पाद के संबंध में किये गये तर्क का समाधान नहीं किया गया है

viii. दो याचिकाकर्ताओं के आंकड़े जो केवल 54 प्रतिशत है, घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व नहीं करते है क्योंकि इसने अन्य भारतीय उत्पादकों के आंकड़ों पर विचार नहीं किया है।

घरेलू उद्योग को लाभ और कीमत प्रभाव के संबंध में याचिकाकर्ताओं के तर्क यथार्थ नहीं है

ix. याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण लाभ और हानि के ऐसे आंकड़ों का उल्लेख करता है जो जांच शुरुआत नोटिस में प्रदत्त सूचना से असंगत है।

x. वर्ष 2011-12 के लिए रिपोर्ट किया गया लाभ इंडेक्स 64 इंडेक्स बिंदु है जबकि जांच शुरुआत नोटिस में यह 102 इंडेक्स बिंदु है ।

xi. याचिकाकर्ता अपनी बिक्री कीमत वर्ष 2012-13 में 4 बिंदुओं तक बढ़ाने में सक्षम रहे बही आयातों की अवसारित कीमत की वृद्धि 5 बिंदु तक अधिक रही है। वर्ष 2012-13 की अवधि के पश्चात भी यह प्रवृत्ति बनी रही और दूसरे शब्दों में आयात कीमत ने उत्पाद की घरेलू कीमतों को कम नहीं किया।

xii. यदि याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री कीमत कम करने के लिए आयात कीमतें उत्तरदायी है तो याचिकाकर्ताओं के लिए अपनी घरेलू कीमतें बढ़ाना असंभव होता।

xiii. याचिकाकर्ताओं की बिक्री कीमत में 4 वर्षों की अवधि में 18 प्रतिशत की वृद्धि यह सुझाती है कि याचिकाकर्ताओं के लिए आयात से प्रतिस्पर्धा कोई समस्या नहीं है और उनकी कीमतें आयात से प्रभावित नहीं है।

xiv. आयातकर्ता की बिक्री लागत में 4 वर्षों की अवधि में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी याचिकाकर्ताओं की समस्या को स्वयं ही दर्शाती है।

xv. टीएम के प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं का यह आकलन कि गंभीर क्षति की चुनौती मौजूद है केवल काल्पनिक है और यह रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4 (1) का उल्लंघन है।

xvi. टीएमके ने अपने द्वितीय सार में पाया कि याचिकाकर्ता में इस तर्क में कोई प्रगति नहीं कर सके कि अन्य देशों में व्यापार सुरक्षा उपायों से आयातों में भारी वृद्धि हुई (अथवा उनसे गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गयी)। उल्लिखित कुछ व्यापार उपचार जांच के संबंध में, जिनमें से कुछ शुल्क अधिरोपण किये बिना ही पूरी हो जायेगी और कुछ का संबंध वर्तमान प्रक्रिया में उत्पाद के दायरे से है कि नहीं, दिये गये संदर्भो से याचिकाकर्ताओं के मामले को बल नहीं मिलता है परंतु यह उसे और कमजोर बनाता है।

xvii. अभी हाल ही में निविदा न प्राप्त होने के संबंध में याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि आयातों में अनपेक्षित विकास भारतीय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदान कराये गये आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि कम से कम एक निविदा प्राप्त न होना अन्य भारतीय उत्पादक को क्षति होना है।

xviii. टीमएमके ग्रुप ने यह प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता यह स्पष्ट करने में असफल रहे कि चीन, यूनाइटेड स्टेट्स और अन्यत्र क्षमता वृद्धि किस तरह भारतीय घरेलू उद्योग पर प्रभाव डालेगी अथवा यह क्षमताएं याचिकाकर्ताओं को गंभीर क्षति की चुनौती जिस तरह उत्पन्न कर रहा है।

कारणात्मकता

xix. आयातों के स्तर और घरेलू उद्योग के निष्पादन के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग का निष्पादन क्षमता, निवेश और रोजगार में वृद्धि तथा बिक्री लागत में बढ़ोतरी और मांग में गिरावट से प्रभावित है। इन

क्षतिकारकों की पृष्ठभूमि में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा अपरिवर्तित बना रहा जब कि उनकी कीमतों में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। याचिकाकर्ता यह स्पष्ट करने में असफल रहे कि इन कारकों का उद्योग की स्थिति पर प्रभाव क्यों नहीं है और न ही वे आयातों में गिरावट तथा इस गिरावट ने भारतीय घरेलू उद्योग को यह क्षति किस तरह पहुंचाई, स्पष्ट करने में असमर्थ रहे, जो इतना अधिक क्षतिग्रस्त हुए कि उन्होंने अपनी संस्थापित क्षमता दुगुनी कर ली, कीमतें और बिक्री लागत में वृद्धि कर ली फिर भी उन्हें संदर्भ अवधि के दौरान 1 प्रतिशत का घाटा हुआ। अत: याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधिक घरेलू उद्योग यह दर्शाने में असफल रहा कि इसे समग्र नुकसान कैसे हुआ है इससे भारत में सीमलेस पाइप और ट्यूब के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाना आवश्यक हो गया।

xx. इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि याचिकाकर्ताओं की क्षमता में 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि तकनीकी उन्नयन और मानक संसाधन विकास में भारी निवेश और उसकी सामग्री गैर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर प्राप्त करने से याचिकाकर्ताओं को हुई क्षति स्वयं ही की गई है।

ख. जेएफई स्टील कारपोरेशन, निप्पन स्टील और सुमीटोमो मेटल कारपोरेशन और सेन्यो स्पेशल स्टील कंपनी लिमिटेड (जिसका प्रतिनिधित्व लूथरा एंड लूथरा द्वारा किया गया)

यह याचिका अनुरक्षणीय नहीं है

i. घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात किये गये लिखित प्रस्तुतिकरण में निर्यातकों द्वारा उठाये गये इस मुद्दे का समाधान नहीं किया कि घरेलू उद्योग आयातों में अभिनव, अचानक, तीव्र और भारी वृद्धि के महत्वपूर्ण मुद्दे को पूरा नहीं कर सका है।

ii. घरेलू उद्योग का यह प्रस्तुतिकरण कि जापान के निर्यातकों ने तर्क दिया है कि रक्षोपाय जांच में कीमत प्रभाव संगत नहीं है और कीमत क्षति का समाधान पाटनरोधी जांच करके किया जा सकता है, गलत एवं भ्रामक है।

iii. निर्यातकों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के संदर्भ में कीमत अधोरदन के मुद्दे का विश्लेषण किया जाना चाहिए परंतु कीमत अधोरदन का आशय यह नहीं है कि एसजी जांच शुरु कर दी जाए क्योंकि एसजी जांच के लिए आयातों में अभिनव, अचानक, तीव्र और भारी वृद्धि होना अनिवार्य है। घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात दिये गये अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में इस मुद्दे का समाधान नहीं किया है।

iv. जांच की अवधि के सर्वाधिक अभिनव अवधि में अर्थात 2012-13 में पीयूसी के आयात में विगत वर्ष की तुलना में 51346 एमटी तक कमी आयी है। आयातों में यह गिरावट आयातों में अभिनव अचानक तीव्र एवं भारी वृद्धि की परिकल्पना का खंडन करती है।

v. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि याचिका दायर करने पश्चात आयातों में गिरावट आयी है, निर्यातकों द्वारा इसका खंडन किया गया है। निर्यातकों ने प्रस्तुत किया है कि डीआई ने याचिका नवम्बर, 2012 में दायर की थी आयात आंकड़े यह स्थापित करते है कि याचिका दायर करते समय भी पीयूसी के आयातों में गिरावट थी। अत: घरेलू उद्योग का यह तर्क याचिका दायर करने के पश्चात आयात में गिरावट आयी गलत है इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

vi. निर्यातकों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अभ्यावेदन के आधार पर घरेलू उद्योग को क्षति यूरोपिय यूनियन और चीन जन.गण से पीयूसी के आयातों के कारण आयी न कि अन्य देशों से आयातों के कारण।

vii. घरेलू उद्योग को यूरोपियन यूनियन और चीन जन.गण से आयातों के कारण हुई क्षति की जांच घरेलू उद्योग द्वारा किये गये इस प्रस्तुतिकरण के आलोक में की जानी चाहिए कि यह कम कीमतों वाले आयात में वृद्धि है जो उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अत: इसका आशय यह हुआ कि घरेलू उद्योग को क्षति कम कीमत वाले आयातों के कारण हो रही है जो मुख्यत: यूरोपियन यूनियन और चीन जन.गण से हो रहे। अत: ऐसी परिस्थितियों में मुख्य उपचार डीजीएडी के पास होता है न कि डीजीएस के पास।

viii. निर्यातकों ने तर्क दिया है कि जापान से आयात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे है क्योंकि जापान का आयात हिस्सा बहुत कम है और जापान से आयात कीमत घरेलू उद्योग की कीमत से 84 प्रतिशत ज्यादा है इसलिए डीजीएस रक्षोपाय शुल्क के दायरे से जापान से पीयूसी के आयातों का अपवर्जन करने के लिए अधिकार प्राप्त है।

ix. घरेलू उद्योग ने डीजीएस को धारा 8ख के अंतर्गत दायरे के रुप में नहीं प्रदान कराया है बल्कि की सामान्यत: यह उल्लेख कर दिया है कि आयात कीमत अधिक है जिसे एसडी शुल्क के दायरे से पीयूसी के आयात का अपवर्जन नहीं किया जा सकता है।

x. निर्यातकों ने उल्लेख किया कि पीयूसी के व्यापक श्रृंखला को देखते हुए और उनके कार्यो और प्रकार्यो की भिन्नता और किसी उत्पाद की अन्य उत्पाद से प्रतिस्थापनियता को देखते हुए पीयूसी में शामिल प्रत्येक उत्पाद के लिए गंभीर क्षति स्थापित की जानी चाहिए।

xi. घरेलू उद्योग ने निर्यातकों के तर्क का विरोध नहीं किया है बल्कि केवल यह कहा है कि चूंकि निर्यातकों ने वस्तु का पृथकरण अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर में दिये गये के अनुरुप नहीं किया है इसीलिए वे घरेलू उद्योग से ऐसे पृथककरण की मांग नहीं कर सकते है। यह तर्क निराधार है। पीयूसी के दायरे का निर्धारण घरेलू उद्योग ने किया है और वह ही गंभीर क्षति का दावा कर रहा है।

डीआई ने पीयूसी के व्यापक दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्को का खंडन नहीं किया है।

xii. निर्यातकों की कच्चे माल जैसे बिलेट के लिए उपरीगामी विनिर्माण प्रक्रिया है और इससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्यातकों के पास कुल गुणवत्ता नियंत्रण और अपने उपरीगामी एवं अधोगामी विनिर्माण प्रक्रिया पर पूरा प्रबंधन है।

xiii. घरेलू उद्योग ने दूसरी सार्वजनिक सुनवाई तक निर्यातकों के उपर्युक्त दावे के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया। दूसरी सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात पहली बार प्रस्तुत किये गये 1क प्रदर्श जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा अपनायी गयी विनिर्माण प्रक्रिया का प्रावधान है, यह सिद्ध नहीं करता है कि डीआई का निर्यातकों की उपरीगामी एवं अधोगामी विनिर्माण प्रक्रिया पर नियंत्रण है।

xiv. घरेलू उद्योग की उपरीगामी एवं अधोगामी विनिर्माण प्रक्रिया पर पूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण की कमी स्पष्टत: दर्शाती है कि निर्यातकों और घरेलू उद्योग की विनिर्माण प्रक्रिया में अंतर है यह घरेलू उद्योग को भारतीय प्रयोगकर्ता उद्योग की सूची में शामिल न किये जाने के लिए उत्तरदायी है जबकि निर्यातकों को उस सूची में शामिल किया गया है।

xv. निर्यातकों ने अपने विगत प्रस्तुतिकरण में पीयूसी के व्यापक दायरे और इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि डीआई कुछ ग्रेडों और आकार के उत्पादों का विनिर्माण करने में सक्षम नहीं है। घरेलू उद्योग का यह तर्क कि निर्यातकों ने अपने तर्क के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है गलत है और इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

xvi. निर्यातकों ने यह साक्ष्य भी दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित कुछ उत्पाद भारत में प्रयोगकर्ता प्रयोग द्वारा स्वीकार नहीं किये जाते है। भारतीय उपयोगकर्ता उद्योग ने भी यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग कुछ ग्रेडों आकार और मुटाई के उत्पादों का विनिर्माण करने में सक्षम नहीं है।

xvii. घरेलू उद्योग ने पीयूसी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि पीयूसी के दायरे के अंतर्गत कवर किये गये उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों के समान है।

xviii. घरेलू उद्योग ने अपने इस तर्क के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि इसने भारत में उपयोगकर्ता उद्योग के लिए इस उत्पाद का वाणिज्यिक प्रमात्रा में विनिर्माण एवं प्रतिदाय किया है।

xix. घरेलू उद्योग ने यह तर्क देकर कि पीयूसी के दायरे की परिभाषा के संबंध में कोई कानून नहीं है, मुद्दों को उलझाने का प्रयास किया है । यह तर्क भ्रामक है जबकि वास्तविक मुद्दा यह है कि क्या पीयूसी के दायरे के अंतर्गत आने वाले उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों के समान उत्पाद है।

xx. डीजीएस और पाटनरोधी महानिदेशक के पिछले निर्णयों में उन कारकों को आउटलाइन किया गया है जिनपर समान वस्तु का निर्धारण करते समय विचार किया जाना चाहिए।

xxi. निर्यातकों ने प्रस्तुत किया है कि पीयूसी में निहित उन विभिन्न उत्पादों जिनका आयात एक ही प्रशुल्क वर्गीकरण के अंतर्गत किया जाता है, को ध्यान में रखते हुए यदि अंतिम जांच परिणाम में उन उत्पादों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता है जिन्हें पीयूसी के दायरे से हटा दिया गया है तो उससे संभ्रम उत्पन्न होगा और सीमाशुल्क द्वारा गलत एसजी शुल्क लगा दिया जायेगा।

अनपेक्षित परिस्थितियों के मापदंड को पूरा नहीं किया गया

xxii. घरेलू उद्योग यह सिद्ध करने में सफल नहीं हो पाया है कि आयात में वृद्धि अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण हुई है।

xxiii. घरेलू उद्योग ने अनपेक्षित परिस्थितियों के बारे में पहली सुनवाई तक कोई तर्क या साक्ष्य नहीं दिया है।

xxiv. मिथाइल एसीटोएसीटेट के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच के अंतिम जांच परिणाम में डीजीएस ने अनपेक्षित विकास के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क को नामंजूर कर दिया और जनहित में घरेलू उद्योग को अनपेक्षित विकास के संबंध में अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण करने को कहा जो घरेलू उद्योग की ओर से तथ्यों के पश्चात प्रस्तुतीकरण के अलावा और कुछ नहीं है।

xxv. निर्यातकों ने अनपेक्षित विकास के संबंध में घरेलू उद्योग की 29 अक्तूबर, 2013 की टिप्पणियों में अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण को खंडित कर दिया है और उस पर भरोसा किया है क्योंकि घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात 20 दिसम्बर, 2013 को लिखित प्रस्तुतिकरण में कोई नया तर्क नहीं दिया गया है।

xxvi. घरेलू उद्योग ने पीयूसी के अंतर्गत शामिल प्रत्येक उत्पाद के लिए अनपेक्षित विकास की जरुरत को पूरा करने के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है। यह तर्क यूएस स्टील उत्पाद डब्ल्यूटी/डीएस 248/एबी/आर के मामले में अपीलीय निकार्य के निर्णय के पैरा 319 द्वारा समर्थित है जिसमें निम्नलिखित कहा गया है।

इस कारण से यदि कोई आयातक सदस्य कई उत्पादों के आयात पर रक्षोपाय साधन लागू करना चाहता है तो केवल यह प्रदर्शित करना पर्याप्त नहीं है कि अनपेक्षित विकास के कारण उत्पादों की व्यापक श्रेणी के आयात बढ़े है जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित निर्धारण के अध्यधीन विशिष्ट उत्पाद भी शामिल है। यदि ऐसा किया जाता है तो कोई सदस्य निर्धारण कर सकता है और उत्पादों की व्यापक श्रेणी पर रक्षोपाय शुल्क लगा सकता है चाहे एक या अधिक उत्पाद के आयात ना भी बढ़े हो और वे अनपेक्षित विकास का परिणाम न हो तथानुसार हम पैनल से सहमत है कि यह अधिगम अनुच्छेद 19:1(ख) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है और <u>अनपेक्षित विकास का प्रदर्शन रक्षोपाय शुल्क के अधीन प्रत्येक उत्पाद के लिए निष्पादित होना चाहिए</u>

घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती नहीं है

xxvii. आवेदकों के उत्पादन और घरेलू बिक्री में 2010-11 की तुलना में 2011-12 में वृद्धि हुई है। तथापि उसी अवधि में उन्हीं बाजार परिस्थितियों के अंतर्गत समर्थनकर्ताओं की घरेलू बिक्री में 2010-11 की तुलना में 2011-12 में गिरावट आयी है। समर्थनकर्ता कंपनी की बिक्री में 2010-11 में कमी होना और आवेदनकर्ताओं की बिक्री और उत्पादन में उसी अवधि के दौरान वृद्धि होना यह दर्शाता है कि समर्थनकर्ता की घरेलू बिक्री में गिरावट के लिए आयातों में बढ़ोतरी को उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आवेदनकर्ता और समर्थक कंपनियां दोनों ही एक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रही है।

xxviii. आवेदनकर्ताओं का उत्पादन और बिक्री 2011-12 की तुलना में 2012-13 में मामूली सी कम हुई है जबकि समर्थनकर्ता की घरेलू बिक्री में 2012-13 में भी गिरावट जारी रहेगी। तथापि आवेदनकर्ता के उत्पादन और घरेलू बिक्री में 2011-12 की तुलना में 2012-13 में वृद्धि हुई है। इस मामले में आवेदक को 2012-13 में क्षति हो सकती है परंतु उसके लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि एओएस के अनुच्छेद 2.1 की जरुरत को पूरा नहीं किया गया है।

xxix. आयात कीमत में वृद्धि- निर्यातकों यह प्रस्तुतिकरण कि डीआई को क्षति आयातों में वृद्धि के कारण नहीं हुई है इस तथ्य से भी प्रमाणित हो जाता है कि आयात कीमतें बढ़ी है। इस प्रकार जहां जांच की अवधि और उसकी समसामयिक अवधि में आयात कीमतों में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वही आयातो में समग्र रुप से कमी आयी है। उपयुक्त को देखते हुए घरेलू उद्योग का यह दावा कि क्षति आयातों के कारण हुई है, स्पष्ट नहीं होता है।

xxx. बाजार हिस्सा- आवेदक के बाजार हिस्से में 2009-10 की तुलना में 2012-13 में 0.87 प्रतिशत की मामूली सी कमी हुई है जिसे गंभीर क्षति नहीं कहा जा सकता है। आयातों में समग्र आधार पर कमी आई है और संगत रुप से उसमें 1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है। आवेदकों की घरेलू बिक्री में 2009-10 की तुलनामें 2012-13 में वृद्धि हुई है। आवेदकों के बाजार हिस्से में 2009-10 की तुलना में 2012-13 में 0.87 प्रतिशत की कमी आयी है। यह सभी कारक दर्शाते है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति नहीं हुई है।

xxxi. डीआई लाभ में है- अपनी याचिका में डीआई ने कहा है कि उसकी लाभप्रदायकता में 2012-13 में कमी आई है। ईबीआई टीडीए का विश्लेषण यह व्यक्त करता है कि लाभ में कुछ कमी आयी है जो फोरेक्स बाजार में उतार चढ़ाव के कारण हुआ है।

xxxii. आईएसएमटी की 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख है कि कंपनी का ईबीआई टीडीए जो वर्ष 2011-12 में 265 करोड़ रुपये था 2012-13 में आईएनआर 172 करोड़ हो गया। अत: आईएसएमटी को अभी भी लाभ है तथापि लाभ में कमी फोरेक्स में आईएनआर 77 करोड़ के घाटे के कारण आई है और उसके लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता है।

xxxiii. आईएसएमटी की वित्त लागत बढ़ी है। 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ब्याज लागत में वृद्धि 40 एमडब्ल्यू ग्राहित विद्युत संयंत्र का पूंजीकरण करने के कारण हुआ है।

xxxiv. फोरेक्स घाटे के कारण लाभ में कमी 2012-13 तक ही सीमित नहीं है परंतु यह पिछले वर्ष भी मौजूद रही। 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट में लिखा है कि ''चुनौती पूर्ण आर्थिक माहौल के बावजूद कंपनी ईबीआईटीडीए बनाये रखने में सक्षम रही जिसमें मामूली सी कमी होकर 265 करोड़ रुपये रह गयी तथापि लाभप्रदायकता पर एफसीसीबी का प्रभाव पड़ा है।

xxxv. यही स्थिति अन्य आवेदक जिंदल एसएडब्ल्यू पर भी लागू होती है। 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 के करपूर्व लाभ आईएनआर 322.97 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2012-13 में आईएनआर 264.92 करोड़ रुपये हुआ। इस प्रकार लाभ में 18 प्रतिशत की कमी आयी। तथापि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी द्वारा ब्याज का भुगतान जो वर्ष 2011-12 में 113.93 करोड़ रुपये था बढ़कर 2012-13 में 150.08 करोड़ रुपये हो गया। यह 31 प्रतिशत वृद्धि है।

xxxvi. निर्यातकों ने यह भी उल्लेख किया है कि वर्ष 2012-13 के उपलब्ध वित्तीय परिणामों के अनुसार जिंदल को फोरेक्स के कारण घाटा हुआ और कंपनी का दीर्घावधि ऋण जो 2011-12 में 969 करोड़ रुपये था बढ़कर 1481 करोड़ रुपये हो गया यह 33 प्रतिशत वृद्धि है। अत: स्पष्ट है कि आयातों के अलावा अन्य कारक भी है जिनकी बजह से आवेदनकर्ताओं को घाटा हुआ।

कारणात्मक संबंध भंग हुए और घरेलू उद्योग द्वारा जनहित स्थापित नहीं किया गया

xxxvii. निर्यातकों ने उल्लेख किया है कि कारणात्मक संबंधों के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा सावर्जनिक सुनवाई के पश्चात किया गया प्रस्तुतिकरण वही है जो पिछला था और इसलिए उसने संक्षिप्त को देखते हुए अपने तर्क को दोहराया नहीं है और उन्होंने सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात निर्यातकों के 13 सितम्बर, 2013 के प्रस्तुतिकरण के पेज 24 से 26 और निर्यातकों के सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात 20 दिसम्बर,2013 के लिखित प्रस्तुतिकरण पेज 9-10 पर किये गये प्रस्तुतिकरणों पर भरोसा करते है।

xxxviii. डीआई आयातों में वृद्धि के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। डीआई ने आयातों में वृद्धि में काफी अच्छा निष्पादन किया परंतु 2012-13 में घरेलू बिक्रियों और उत्पादन में थोड़ी गिरावट आयी जब आयातों में कमी हो रही थी और आयात कीमत में वृद्धि हो रही थी। तब ईआई को आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है।

xxxix. आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध टूट गया है क्योंकि डीआई को क्षति चीन से पाटन के कारण हुई है।

xl. पिछले 4 वर्षों के लिए आईएसएमटी की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख है कि चीन से विचाराधीन उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है। न कि पीयूसी के आयातों में अचानक वृद्धि।

xli. जनहित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा सुनवाई के पश्चात किये गये लिखित प्रस्तुतिकरण में वही है जो पिछले प्रस्तुतितकरण में किया गया था और इसलिए निर्यातकों ने अपने तर्क को दोहराया नहीं है और अपने दिनांक 29 अक्तूबर, 2013 तथा 20 दिसम्बर, 2013 के निर्यातक लिखित प्रस्तुतिकरण पृष्ठ10-11 पर भरोसा किया है।

ग. मैसर्स बेलोरेक ट्यूब, मैसर्स मर्टेक्स यूके और मैसर्स टुबास रीयूनीडास इंडस्ट्रीयल, स्पेन (जिसका प्रतिनिधित्व अमर चंद्र मंगल, वीएस द्वारा किया गया)

i. निर्यातकों की प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में उनके द्वारा प्रस्तुत सभी तर्को, और 13.9.2013 को दायर लिखित प्रस्तुतिकरणों, 20.9.2013 को दायर प्रोक्ति प्रस्तुतिकरणों, 29.10.2013 के अतिरिक्त प्रस्तुतिकरणों और 20.12.13 के लिखित प्रस्तुतिकरणों, जिन्हें वर्तमान प्रस्तुतिकरणों का अभिन्न अंग माना गया है पर भरोसा किया गया है।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा अपने द्वितीय लिखित प्रस्तुतिकरण में उठाये गये अधिकांश मुद्दों का मैसर्स बेलोरेक मर्टेक्स और टुबास ने अपने दिनांक 13.9.2013 और 20.9.2013 के लिखित प्रस्तुतिकरणों और प्रोक्ति प्रस्तुकरणों में उठाया है और इसलिए इन मुद्दों को इसके पश्चात सुरक्षित करने के लिए किसी अन्य प्रत्युत्तर की जरूरत नही है तथापि बेलोरेक मर्टेक्स टुबोस ने अपने विगत प्रस्तुतिकरणों पर भरोसा किया है जिन्हें वर्तमान प्रोक्ति प्रस्तुतिकरणों का अभिन्न अंग माना जा सकता है।

प्रारंभिक आपत्ति

iii. बेलोरेक मर्टेक्स और टुबास ने प्रस्तुत किया है कि उन्हें अथवा भारत स्थित उनके विधिक प्रतिनिधि ने केन्द्र सरकार द्वारा किसी विस्तार के संबंध में डीजीएस से कोई पत्र नहीं मिला है।

iv. प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया है कि केन्द्र सरकार द्वारा 8 माह की अवधि के अंतर्गत 8 माह के समय के लिए समय विस्तार के अभाव में वर्तमान याचिका समयबाद्धित नहीं है।

v. विधिक प्रत्याशित को रक्षोपाय जांच से संबंधित समयबद्ध जांच का महत्व होता है और उसने 'शैल' शब्द का प्रयोग किया है जो किसी ही संदेह से परे है कि जांच शुरुआत की तारीख से 8 माह के अंदर एक समयबद्ध अंतिम जांच परिणाम प्रदान करना अनिवार्य है और उसमें ढील नहीं दी जा सकती।

याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतिकरणों के संबंध में प्रोक्ति

vi. प्रारंभिक आपत्तियों पर पूर्वाग्रह और पहले कही गई बात को दोहराने के बिना वर्तमान प्रोक्ति प्रस्तुतिकरणों में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतिकरणों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त होगे।

विचारधीन उत्पाद और समान वस्तु

vii. प्रतिवादियों ने उल्लेख किया है कि विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है और इसको उन उत्पादों का अपवर्जन करने के लिए पुन:परिभाषित किया जाना चाहिए जिनका विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में प्रतिवादियों ने पहले किये गये प्रस्तुतिकरणों पर बल दिया है और उन्हें संक्षिप्त की दृष्टि से दोहराया नहीं है।

viii. प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया है कि कुछ उत्पाद जिनका उनके द्वारा 20.12.2013 को दायर लिखित प्रस्तुतिकरणों में विस्तार से उल्लेख किया गया है को जांच के दायरे से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग उनका विनिर्माण करने में सक्षम नहीं है और/या विनिर्मित उत्पाद इस पीयूसी के भारतीय ग्राहकों/निविदाताओं के तकनीकी विनिर्दिशनों को पूरा नहीं करता है।

ix. प्रतिवादियों ने पाकिस्तान से काम्बड सूती धागे से संबंधित संयुक्त राज्य-परिवर्ती रक्षोपाय साधन(डब्ल्यूटी/डीएस192/एबी/आर) पर भरोसा किया है जिसमें अपीलीय निकाय ने यह धारित किया है कि घरेलू उद्योग की परिभाषा उत्पाद उन्मुखी होनी चाहिए ना कि उत्पादक उन्मुखी और यह कि यह परिभाषा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उन उत्पादों पर आधारित होनी चाहिए जिनकी तुलना समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी के रूप में आयातित उत्पाद से की जानी है।

x. घरेलू उद्योग कतिपय उत्पादों का पीयूसी के दायरे से अपवर्जन करने के संबंध में प्रतिवादियों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण का खंडन करने के लिए कोई डाटा रिकार्ड में उपलब्ध नहीं करा सके। इसलिए इस उत्पाद को पीयूसी के दायरे से हटा दिया जाना चाहिए।

xi. घरेलू उद्योग ने कुछ ऑयल कंट्री टिब्यूलर गुडस के संबंध में यूएसआईपीसी की जांच पर भरोसा किया है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि उक्त जांच भारत में डीजीएस द्वारा की जांच से किसी भी तरह से संबंधित नहीं है।

xii. घरेलू उद्योग का डोमोनिकन रिपब्लिक-बैग एंड फैबरिक रक्षोपाय मामले में पैनल रिपोर्ट पर भरोसा किया है जो प्रतिवादियों के इस तर्क का समर्थन करता है कि उक्त पैनल रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित करें।

xiii. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब घरेलू उद्योग ऐसा उत्पाद विर्निमित करने, जिसका आयात किया जा रहा है में अक्षम है या विनिर्मित उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशन भिन्न होते है तो उस उत्पाद को समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद के रूप में नहीं कहा सकता है इसलिए उसे पीयूसी के दायरे से हटा दिया जाना चाहिए।

xiv. याचिकाकर्ताओं का यह प्रस्तुतिकरण की उनके द्वारा उत्पाद का उत्पादन करने की उनकी क्षमता के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य अपने प्रस्तुतिकरण के पृष्ठ 13 पर दिये है वे अस्पष्ट एवं भ्रामक है क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों को उनका कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

xv. विनिर्माण प्रक्रिया का प्रकटन याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतिकरण के अनुबंध-1 (गोपनीय) में दिया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा किये गये विपरीत तर्को को देखते हुए प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई आंकड़ों की निष्ठा पर संदेह किया है।

xvi. प्रतिवादी गण याचिकाकर्ताओं के इस प्रस्तुतीकरण से सहमत नहीं है कि उनके द्वारा अपनाई गई विनिर्माण प्रक्रिया निर्यातकों द्वारा अपनाई गई निर्माण प्रक्रिया के अनुरुप है। उत्पादक की व्यापक श्रृंखला को न्यायोचित ठहराने की इस प्रक्रिया के प्रयोग के याचिकाकर्ता के प्रयास पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण और प्रतिस्थापन, अस्वीकृति दर, आंकड़ा मूल्यांकन, संदर्भ, कार्मिको की योग्यता भी महत्वपूर्ण भाग है

जिन्हें ऑयल एवं गैस व्यवसाय में सीमलेस पाइप और ट्यूब के कस्टमरों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है खासकर अभितटीय अनुप्रयोगों में।

xvii. एपीआई लाइसेंस के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं का तर्क भी उनका समर्थन नहीं करता है प्रतिवादियों ने उल्लेख किया है कि ग्राहकों के पास योग्यता प्राप्त आपूर्तिकर्ताओं की अपनी सूची होती है इसलिए याचिकाकर्ता अर्ह नहीं होते है और/या वे 20.12.2013 के लिखित प्रस्तुतिकरण के पैरा 36 से 39 में वर्णित उत्पाद के लिए अनुरोध करने के लिए क्वालीफाई नहीं होते है।

घरेलू उद्योग का गठन

xviii. वर्तमान जांच में याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के अधिकांश भाग का प्रतिनिधित्व करने की जरुरत को पूरा नहीं करते है। रक्षोपाय जांच या पाटनरोधी जांच जैसी व्यापार उपचारी जांच में केवल कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक रखना ही कुल उत्पादन के अधिकांश भाग का दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है और वह घरेलू उद्योग के रुप में याचिकाकर्ताओं को दावा करने का हकदार नहीं बना देता है।

xix. प्रतिवादियों ने पहले किये गये लिखित प्रस्तुतिकरणों पर भरोसा किया है और संक्षिप्तता के कारण उन्हें दोहराया नहीं है।

xx. प्रतिवादियों ने पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 4.1, जो रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 4.1(ग) के अनुरुप है का निवचन करते समय डीएस 397-ईसी स्टील फासनर्स में अपीलीय निकाय के निर्णय पर भरोसा किया है जिसमें यह धारित किया गया है कि किसी विशिष्ट अनुपात की अनुपस्थिति का आशय यह नहीं होता है कि कोई प्रतिशत, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, स्वत: अधिकांश भाग को क्वालीफाई नहीं करता है। बल्कि वह संदर्भ जिसमें वाक्यांश अधिकांश भाग का प्रयोग किया गया है यह दर्शाता हो कि अधिकांश भाग को कुल घरेलू उत्पादन के संगत उच्च अनुपात के रुप में माना जाए।

xxi. यूरोपियन कमेटी- चीन से कतिपय लोहा एवं इस्पात फास्नर्स संबंधी निर्णायक पाटनरोधी उपाय मामले में निर्णय पर घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किये जाने से प्रतिवादियों के प्रस्तुतिकरण के अनुकूल है। घरेलू उद्योग द्वारा उद्धत भाग यह दर्शाता है कि अधिकांश अनुपात को कुल घरेलू उत्पादन के संगत उच्च अनुपात के रुप में माना जाय।

गोपनीयता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन

xxii. प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि आटोमोटिव टायर विनिर्माता एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में पाटनरोधी और रक्षोपाय जांच के लिए संगत प्राधिकारी नवीन सार्वजनिक सुनवाई के लिए प्रावधान करेंगे। इसलिए याचिकाकर्ताओं का यह प्रस्तुतिकरण कि इस निर्णय का वर्तमान जांच के संबंध में कोई अनुप्रयोज्यता नहीं है, इस तथ्य के कारण स्वत: विपरीत है कि द्वितीय सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया है और इसलिए इस पर विचार करने की कोई जरुरत नहीं है।

भारत को संवर्धित आयात

xxiii. प्रतिवादियों ने अपने दिनांक 13.9.2013 और 20.12.2013 के लिखित प्रस्तुतिकरणों में किये गये प्रस्तुतिकरणों को दोहराया है और इसका उल्लेख चालू वर्ष के लिए आयातों में कमी की प्रवृत्ति के संदर्भ में 29.10.2013 के अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण का भी उल्लेख किया है।

xxiv. याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराये गये सूचीकरण के अनुसार यह स्पष्ट है कि वर्ष (2009-10::2010-11::2011-12::2012-13::वर्ष अप्रैल, 2012-जून, 2013) है कि आयात के आंकड़े (100-112-138-122-119) है इसलिए लिखित प्रस्तुतिकरणों में किये गये याचिकाकर्ता के अपने निजी आंकड़े दर्शाते है कि आयातों में समग्र रुप से कमी हुई है।

xxv. मांग के प्रतिशत के रुप में आयात से संबंधित घरेलू उद्योग के आंकड़े 62 प्रतिशत से 64 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते है अर्थात केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि, जिसे रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए एक शर्त नहीं माना जा सकता है।

xxvi. वित्त 2013-14 के लिए वार्षिकीकृत आंकड़े दर्शाते है कि आयातों में और कमी होने की संभावना है यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयातों में कमी की प्रवृत्ति दर्शायी गयी है इससे रक्षोपाय शुल्क लगाने का आधार नहीं बनता है।

xxvii. प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया है याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों केवल शिकायतकर्ता के भारतीय उत्पादन के आंकड़े है और यह कि समर्थनकर्ता के आकड़े नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतिकरण के पैरा 5 (पेज 44) और पैरा 6 (पेज 21) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। संपूर्ण आंकड़ों पर विचार करने से एक अलग तस्वीर सामने आयेगी और दर्शायगी कि भारतीय उत्पादन के प्रतिशत के रुप में आयात घटे है।

xxviii. प्रतिवादियों द्वारा यह प्रस्तुत किया है कि प्रतिशत उत्पादन के रुप में आयात में भी वर्ष 2011-12 और 2012-13 से तुलना करने पर कमी आयी है। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि 2013-14 के आयात भी कम हुए है उत्पादन के प्रतिशत के रुप में आयात कमी आयेगी ।

xxix. ईयू से आयात में वृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग का आरोप त्रुटिपूर्ण है। प्रतिवादियों ने इंगित किया है कि उनके लिखित प्रस्तुतिकरण में मात्रा कीमत वर्गीकरण के आंकड़ों में गलतियां है।

xxx. प्रतिवादियों ने उल्लेख किया है कि यूरो एस्टेट सांख्यिकी के अनुसार ईयू से कुल आयातों में लगातार कमी हो रही है और वे वर्ष 2013 के पहले 6 महीनों में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गये है।

xxxi. प्रतिवादियों ने नोट किया है कि याचिकाकर्ताओं ने भारतीय और यूरोपिय सांख्यिकी के बीच असंगतता के संबंध में प्रतिवादियों के दावे के पश्चात उसी सांख्यिकी के संदर्भ का प्रयोग जारी रखा है।

xxxii. वैलोरेक और टूबोस में उल्लेख किया है कि भारत में घरेलू उद्योग के रुप में याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा प्रदान कराये गये आंकड़ों पर तथ्य के रुप में विचार करना चाहिए और उन्हें यह स्वीकार कर कर लेना चाहिए कि इन मात्राओं के लिए टन और कीमत संभव नहीं हो सकती है। उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार किये बिना या प्रत्युत्तर के बिना यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता तथ्यों का समाधान करने के लिए तत्पर नहीं है।

कच्चे माल की कीमत में वृद्धि के बावजूद आयातों की न्यून कीमत

xxxiii. जहां तक कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद आयात की कीमतों में कमी होने का संबंध है प्रतिवादियों ने सुनवाई पश्चात किये गये अपने प्रस्तुतिकरणों और 29.10.2013 के अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में इस तथ्य को पुन: दोहराया है।

xxxiv. प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया है कि इस तथ्य का कोई कारण नहीं है कि उसी अवधि में भारत की लागत में बढ़ोतरी हुई यह कि यह कच्चे माल उदभवन का परिणाम नहीं है।

xxxv. भारत को न्यून निर्यात कीमत के संबंध में यह कहा जा सकता है कि भारतीय उत्पादकों को निर्यात बिक्री अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पधात्मक बोली की प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। इसका आशय यह हुआ कि बोली के अंतर्गत सभी प्रतिभागी कठोर शर्तो एवं निबंधनो के अधीन प्रयोजना के लिए बोली लगाते है जिनका विनिर्धारण निविदा बोली दस्तावेजों में होता है। समुद्रपारीय प्रदायक और घरेलू उत्पादक मुक्त प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली में अपनी कीमतें निर्धारित करने के लिए स्वविवेक का प्रयोग नहीं करते है बल्कि मुक्त बाजार में प्रदायकों द्वारा अनुसरण किये जाने वाली किसी कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार न्यून कीमत प्रस्तुत करने के लिए क्रेयताओं द्वारा मुख्यत: मजबूर किया जाता है। इसलिए ओएनजीसी जैसे ग्राहक के लिए आपूर्ति एवं निर्यात उत्पाद और मात्रा उस वस्तु की मांग द्वारा निर्धारित होते है।

अनपेक्षित विकास

xxxvi. प्रतिवादियों ने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग किसी अनपेक्षित विकास को दर्शाने में असफल रहा है जिसके कारण रक्षोपाय शुल्क लगाना आवश्यक हो गया हो।

गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की चुनौती

xxxvii. प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई और उनहोंने अपने पिछले प्रस्तुतिकरणों पर भरोसा किया है जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के चुनौती के दावे का समाधान किया गया।

xxxviii. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार घरेलू बिक्रियों में वित्त वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में 100-106-112-96 तक वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2012-13 में बिक्रियों में गिरावट उस वित्त वर्षकेलिए आयात में गिरावट के अनुरुप है।

xxxix. याचिकाकर्ताओं के लिए मांग में बाजार हिस्से के संबंध में वह वित्त वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए 47-46-43-38 के रुप में कमोवेश एक जैसी बनी रही। बाजार हिस्से में क्षणीक कमी इस तथ्य के कारण हुई है याचिकाकर्ता कुछ ग्रेड के पीयूसी की मांग को पूरा करने में असमथ रहे और यह स्वभाविक है कि इस अंतराल को पूरा करने के लिए पूरा किया गया।

xl. अनुबंध-10 का अध्ययन यह व्यक्त करता है कि याचिकाकर्ताओं के रोजगार में वित्त वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में (3588-4010-4380-4884) के अनुक्रम में वृद्धि हुई है। नये कर्मचारियों की भर्ती इस तथ्य के बड़े संकेतक है कि याचिकाकर्ता का व्यवसाय ठीक चल रहा है।

xli. महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड की वित्त वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक रिपोर्ट यह व्यक्त करती है कि कंपनी ने 341.66 करोड़ रुपये का निवल लाभ प्राप्त किया।

xlii. याचिका का संयत पाठन यह सुझाव देता है कि रक्षोपाय साधन का अधिरोपण करने के बजाय पाटन के लिए मामला तैयार किया जा रहा है।

xliii. आईएसएमटी और एमएसएल की वित्त वर्ष 2009-10 और 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट यह व्यक्त करती है कि चीन से कम कीमतों पर वस्तु का पाटन किया गया।

xliv. रक्षोपाय नियमावली के नियम 8 के अनुबंध के अनुसार जब संवर्धित आयातों के अलावा अन्य कारक क्षतिकारित कर रहे हो जैसे पाटन, तो उस क्षति के लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और तदनुसार महानिदेशक को यह मामला पाटनरोधी या प्रतिबलनकारी शुल्क प्राधिकारी के समक्ष भेज देना चाहिए।

कारणात्मक संबंध

xlv. प्रतिवादियों ने अपनी सावजनिक सुनवाई के पश्चात लिखित प्रस्तुतिकरणों को दोहराया है।

समायोजन योजना

xlvi. याचिकाकर्ता अपनी याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा क्रमिक उदारीकरण के साथ-साथ सकारात्मक समायोजन करने के उपायों एवं प्रयासों के संबंध में सूचना का प्रकटन करने से सह कहते हुए असफल रहे कि यह व्यवसाय अनुकूल सूचना है न कि संशोधनीय सारांश।

xlvii. घरेलू उद्योग द्वारा क्रमिक उदारीकरण के साथ सकारात्मक समायोजन करने के लिए किये जा रहे प्रयासों एवं उपायों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहना रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 5 (2) (ख) का उल्लंघन है।

xlviii. रक्षोपाय महानिदेशक के अनुदेश पर याचिकाकर्ताओं ने पुनरगठन योजना प्रदान की। इस पुनरगठन योजना में किसी सांख्यिकी का प्रकटन यह दावा करते हुए नहीं किया गया कि यह करोबार प्रापराइटरी सूचना है न कि संशोधनीय सारांश।

xlix. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्तावित पुनरगठन योजना का सीमित प्रकटन यह दर्शाता है कि वह घरेलू उद्योग द्वारा कुशल प्रबंधन पर आधारित है जैसे कच्चे माल, ऊर्जा और विद्युत, कार्मिक का बेहतर उपयोग मालसूची प्रबंधन उत्पादन एवं प्रसंस्करण लागत में कमी पर आधारित है न कि वास्तविक ढांचागत समायोजन सुनिश्चित करने पर।

l. प्रस्तावित पुनर्गठन ढांचा उस तरीके का प्रकटन नहीं करता है जिसका प्रयोग याचिकाकर्ताओं द्वारा उसमें उल्लिखित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। ऐसी क्रियापद्धति के प्रकटन के अभाव में यह कहना मुश्किल है कि कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इन योजनाओं के कार्य रुप में किस तरह परिणत किया जायेगा।

जनहित

li. याचिकाकर्ताओं ने माना है कि कम कीमत के आयात कथित क्षति का मुख्य कारण है और महानिदेशक रक्षोपाय सक्षम प्राधिकारी नहीं है।

lii. रोजगार में गिरावट संबंधी दावा भी उचित नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं का याचिका में आंकड़े रोजगार स्तर में वृद्धि दर्शाते है।

liii. जनहित के संबंध में बार-बार दोहराये गये समाभीकथन यह दर्शाते है कि याचिकाकर्ताओं ने कोई ऐसे नये तथ्य अथवा आंकड़े प्रदान नहीं किये है जो शुल्क लगाने के दावा का समर्थन करते है।

घ. चाईना आयरन एंड स्टील एसोसिएशन (सीआईएसए) तथा मैसर्स रामा सिलेण्डर्स प्रा. लिमिटेड (जिसका प्रतिनिधित्व लक्ष्मी कुमारन और श्रीधरन द्वारा किया गया)

i. प्रारंभिक क्षति प्रस्तुतिकरण, अतिरिक्त क्षति प्रस्तुतिकरण, प्रथम या द्वितीय सार्वजनिक सुनवाई या प्रोक्ति के पश्चात किया गया प्रस्तुतिकरण को दोहराया गया है और संक्षिप्त के कारण उसे फिर से नहीं प्रस्तुत किया गया है।

ii. प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया है कि कई अवसर प्राप्त होने के बावजूद आवेदक घरेलू उत्पादक यह स्पष्ट करने से असफल रहे कि प्रतिवादियों द्वारा उल्लिखित विशिष्ट उदाहरणों के बावजूद उन्होंने अपवर्जित ग्रेड से संबंधित आयात आंकड़े क्यों शामिल किये है।

iii. आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा कुछ ग्रेडों का अपवर्जन कर दिये जाने के बावजूद संशोधित आयात आंकड़ों में उनका पुन: उल्लेख किया गया है। कुछ उत्पाद ग्रेडों की सूची निम्नलिखित है:

i. एएसएमई एसए 213

ii. एएसएमई ए213
iii. एल-80

इन अपवर्जित उत्पाद प्रकारों को शामिल करने से संपूर्ण क्षति विश्लेषण को नुकसान हुआ है जब तक सही आयात आंकड़े और संशोधित क्षतिकारक हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं करा दिये जाते है तब तक प्रभावकारी प्रोक्ति दायर करना और टिप्पणी करना संभव नहीं होगा।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

iv. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु रक्षोपाय जांच के दो अलग पहलू है। आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादकों द्वारा जांचाधीन उत्पाद से अपवर्जित मदों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अपवर्जन के कारण ज्ञात नहीं है कि क्या इनका अपवर्जन इस कारण किया गया कि घरेलू उद्योग द्वारा उनका विनिर्माण नहीं किया जाता है या इस कारण किया गया कि आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा समान उत्पादों का आयात किया जाता है या इस ग्रेड का आयात होता ही नहीं है। अपवर्जन का विरोध करना अवांछित नहीं है बल्कि यह तर्क संगत है।

v. प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया है कि केवल इस कारण से घरेलू उद्योग व्यापक श्रृंखला के असमान उत्पादों का उत्पादन कर सकता है, इसका आशय यह नही है कि उन सभी उत्पादों को इक्कठा कर दिया जाए।

vi. आवेदककर्ता घरेलू उद्योग से तेल एवं गैस अन्वेषण में प्रयोग किये जाने वाले पाइपों और बाल बैयरिंग उद्योग में प्रयोग किये जाने वाले पाइपों को शामिल करने की मांग की गई थी। यह अविवादित तथ्य है कि इन उत्पादों का प्रयोग अंतरपरिवर्तनीय ढंग से नहीं किया जा सकता है। इनमें टेनसाइल शक्ति, विशेष प्रचालन, अंतिम प्रयोग, ग्राहकों का अववोधन आदि के संबंध में दोनों उत्पादों के बीच अंतर है। अत: उनको इक्कठा करना वांछित नहीं है।

vii. प्रतिवादियों ने डब्लयूटीओ डीएसबी पैनल डीएस-54/55/59/64 इंडोनेशिया-आटोमोबाइल उद्योग को प्रभावित करने वाले कतिपय उपाय पर भरोसा किया है जिसमें पैनल ने सभी उत्पादों को इक्कठा करने से मना कर दिया जिनमें विभिन्नताएं थी।

viii. रक्षोपाय साधन का प्रयोग केवल उन उत्पादों के बारे में किया जा सकता है जिनका आयात किया जाता है और जो घरेलू उद्योग को क्षति कर रहे हो। यूएस-लैम्ब रक्षोपाय जांच में अपीलीय निकाय रिपोर्ट ने, जिसपर घरेलू उद्योग ने अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में भरोसा किया है, यह धारित किया है कि रक्षोपाय शुल्क लगाने का कानूनी आधार तभी होता है जब विशिष्ट उत्पादों के उत्पाद घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव डालते हो जो समान या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी उपाय हो।

ix. रक्षोपाय साधन का प्रयोग केवल ऐसी स्थिति में किया जाता है जहां विशिष्ट उत्पादों का समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों को पूर्वाग्रही प्रभाव पड़ता हो। प्रतिवादियों ने उल्लेख किया है कि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग कुछ उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है अथवा तकनीकी कारणों से इन उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते है जिसकी वजह से वह ओएनजीसी निविदा प्रक्रिया को क्वालिफाई नहीं कर पाये।

x. पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन का दिनांक 23.5.2013 का पत्र सं. जी3(42)515/6 यह सिद्ध करता है कि उच्च दाव सीमलेस स्टील गैस सिलेण्डरों के लिए कोई भी भारतीय उत्पादक नहीं है।

xi. भारत सरकार द्वारा इस तथ्य की संपुष्टि कर दिये जाने पर कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए विधि के अंतर्गत यह माना जाये कि कोई भारतीय विनिर्माता भारत में इस वस्तु का निर्माण या आपूर्ति नहीं करता है।

xii. आवेदक घरेलू उत्पादकों ने स्वीकार किया है कि उनके पास उच्च दाव गैस सिलेण्डरों के लिए टयूब और पाइपों का विनिर्माण करने का अपेक्षित अनुमोदन नहीं है। पुन: यह उल्लेख किया गया कि कम कीमत के आयातों के कारण उनके लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करना संभव नहीं है। घरेलू उत्पादकों का यह प्रस्तुतिकरण तर्कहीन है।

xiii. संबंधित सरकारी एजेंसी से अनुमोदन प्राप्त करना वस्तु की कीमत निर्धारण पर निर्भर नहीं होता है बल्कि यह उसकी क्षमता और ऐसे टयूब एवं पाइप विनिर्माण करने की उत्पादक की सक्षमता पर निर्भर होता है। घरेलू उत्पादकों की अक्षमता के कारण वे इन वस्तुओं का विनिर्माण करने का अनुमोदन प्राप्त नहीं कर सके।

xiv. जहां कहीं किसी उत्पाद का पीयूसी से अपवर्जन किया जाता है वहां उसकी मात्रा और मूल्य को भी आयातों की मात्रा और मूल्य से हटा दिया जाता है जिससे की पीयूसी के सही-सही मात्रा और मूल्य का निर्धारण किया जा सके।

समान वस्तु

xv. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि कुछ आयल कंट्री गुड्स के आयातों के संबंध में जांच में यूनाईटेड स्टेट्स इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन ने (जांच सं. 701-टीए-499-500 और 731-टीए-1215-1223) की जांच परिणाम में

प्रस्तुत किया है कि ईआरडब्ल्यू पाइप और सीमलेस पाइप विचाराधीन उत्पाद के दायरे में विशेष रुप से शामिल की जारी वस्तु के कारण समान वस्तु है। यह एक गलत दावा है। यूएसआईटीसी ने विशेष रुप से की गई एक जांच में कि क्या ईआरडब्ल्यू पाइप्स और ट्यूब्स सीमलेस पाइप और ट्यूब्स के समान वस्तुएं है। यह जांच इस तथ्य पर आधारित नहीं थी कि ईआरडब्ल्यू पाइप और सीमलेस पाइप को विचाराधीन उत्पाद में शामिल किया गया था परंतु यह जांच समान वस्तु का निराधन करने के लिए एक स्वतंत्र जांच थी।

xvi. किसी वस्तु को समान वस्तु में तब भी शामिल किया जा सकता है जब घरेलू उद्योग में किसी कारण से उसे विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं किया हो जैसे उस पीयूसी का आयात नहीं होता है और वह पीयूसी तथा समान वस्तु जांच में विभिन्न वस्तुएं है।

xvii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 19 मार्च, 1998 की पाटनरोधी जांच अंतिम परिणाम सं. 14/1/96/पाटनरोधी शुल्क में यह धारित किया कि पीयूसी प्योर टेरेफैथालिक एसीड है तथापि समान वस्तु को डीएमटी में भी शामिल किया गया था।

xviii. यह दावा कि इतनी विलम्ब से उत्पाद और जांच के दायरे को बढ़ाया नहीं जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया कि हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पाद दायरे को बढ़ाने का दावा नहीं किया है। उत्पाद दायरे को उस उत्पाद की आयात मात्रा और कीमत के आधार पर परिभाषित किया गया। उत्पाद दायरे के आधार पर हितबद्ध पक्षकार जैसे आयातक/निर्यातक/प्रयोगकर्ता जांच में भाग ले सकते है।

xix. यह कभी जरुरी नहीं है कि समान वस्तु जांचाधीन उत्पाद के बराबर या तक सीमित हो। यदि दोनों एक है तो समान वस्तु की कोई परिभाषा देने और पीयूसी तथा समान वस्तु के लिए पृथक निर्धारण करने की कोई जरुरत नहीं है। सभी वस्तुएं जो समान वस्तु के मानदंड को पूरा करती है उन्हें घरेलू उत्पादकों की क्षति का निर्धारण करने के लिए जांच में शामिल किया जा सकता है।

xx. जांच एक सतत प्रक्रिया है। डीजी रक्षोपाय को जांच के दौरान जांच की समाप्ति पर समान वस्तु के बारे में निर्धारण करना अपेक्षित होता है। यह विधि की अपेक्षा नहीं है कि यदि डीजी रक्षोपाय घरेलू उद्योग के प्रस्तुतिकरण के आधार पर समान वस्तु का गलत निर्धारण करते है तो अंतिम जांच के समय उसे बदला नहीं जा सकता। डीजी रक्षोपाय समान वस्तु के संबंध में अंतिम निर्णय अंतिम जांच परिणाम में ही ले सकते है।

xxi. घरेलू उद्योग के लिखित प्रस्तुतिकरण के पैरा ख.6 के दावा कि घरेलू उद्योग अद्यतन प्रौद्योगिकी प्रदान कराने में और घरेलू प्रयोगकर्ता उद्योग को उच्चतम गुणवत्ता का आउटपुट देने में अग्रणी रहा है, गलत है। वास्तव में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान भेल ने यह प्रस्तुतिकरण किया कि उसकी घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराये गये उत्पादों के संबंध में गुणवत्ता संबंधी गंभीर चिंता है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग में विदेशी प्रदायर्कों द्वारा प्रदत्त अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों की तुलना में कम गुणवत्ता के उत्पाद की आपूर्ति करने के कारण विदेशी प्रदायकों से निविदा बोली खो दी और उन आवेदकों को अपवर्जित उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के रुप में नहीं माना।

xxii. एल्युमिनियम फ्लैट रोल्ड उत्पादों और एल्युमिनियम फ्वइल के भारत में आयातों के विरुद्ध रक्षोपाय जांच के अंतिम जांच परिणाम दिनांक 29 मई, 2009 में डीजी रक्षोपाय ने घरेलू उद्योग की परिभाषा करते समय यह पाया कि घरेलू उद्योग उत्पाद आधारित होना चाहिए न कि उत्पादक आधारित, विभिन्न उत्पादों का अपवर्जन कर दिया जिनका आवेदक द्वारा विनिर्माण नहीं किया जाता था और ऐसे आवेदकों को अपवर्जित उत्पादों के लिए घरेलू उद्योग के रुप में नहीं माना।

xxiii. घरेलू उद्योग के लिखित प्रस्तुतिकरण के पैरा ख.5 में किये गये दावा के अनुसार की भारतीय प्रयोगकर्ताओं द्वारा सभी निविदाएं स्पष्टत: विनिर्दिष्ट करती है कि सीमलेस पाइप और ईआरडब्ल्यू पाइप की जरुरतें अलग-अलग है। सभी भारतीय प्रयोगकर्ताओं जैसे ओएनजीसी गेल, आईओसीएल, वीपीसीएल द्वारा निकाली गई निवादाएं और बोलियां सीमलेस पाइप के स्थान पर ईआरडब्ल्यू पाइप की वैकल्पिक आपूर्ति करने का अनुमोदन नहीं देती है और उनके अनुप्रयोग को भारत में स्पष्टत: केवल सीमलेस या केवल ईआरडब्ल्यू के रुप में परिभाषित किया है जो एक दूसरे के क्षेत्राधिकार से अलग है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग का दावा तर्क संगत नहीं है। केवल इस कारण से निविदाएं भारतीय प्रयोगकर्ताओं जैसे ओएनजीसी गेल आईओसीएल, वीपीसीएल द्वारा सीमलेस पाइप या इआरडब्ल्यू पाइप का अलग-अलग आपूर्ति करने के लिए निविदाएं निकाली जाती है, इसका आश्य किसी भी तरह से यह नहीं है कि दोनों उत्पाद समान उत्पाद है। इसके अतिरिक्त यह इस तथ्य का समर्थन करता है कि अन्य देशों ने ईआरडब्ल्यू और सीमलेस पाइप और टयूब को समान वस्तु नहीं माना जाता है। तथापि यह नोट किया जाता है कि यदि यद्यपि अलग-अलग निविदाएं निकाली जाती है परंतु उनका अनुप्रयोग समान होता है। यह आवेदक घरेलू उत्पादकों का प्रस्तुतिकरण नहीं हो सकता है कि वस्तु का उपयोग अलग-अलग किया जाता है। डीजी रक्षोपाय से अनुरोध किया जाता है कि वे उन क्रेताओं से जानकारी मंगाये जो केवल केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

है जैसे ओएनजीसी भेल आईओसीएल बीपीसीएल। ईआरडब्ल्यू सीमलेस ट्यूब और पाइपों के लिए पृथक निविदाओं की मांग करने के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक विचार सप्रमाण होने चाहिए।

xxiv. सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों द्वारा यह उठाया गया कि आवेदक घरेलू उत्पादकों ने उस विशिष्ट दायित्व के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया कि भारत में 1994 में संबद्ध वस्तु के आयात किस तरह बढ़े थे। आवेदक घरेलू उत्पादकों की चूप्पी इस बात का प्रतीक है कि वह उस मोर्चे पर असफल रहे।

xxv. प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि किसी अनपेक्षित विकास की मौजूदगी और 1994 के दौरान भारत के दायित्व के कारण आयातों में वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए संबंधित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है जो कि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने से पहले एक पूर्वापेक्षा होती है। इसके अतिरिक्त रक्षोपाय लगाना जनहित में नहीं होगा क्योंकि घरेलू उद्योग के पास उपयोगकर्ता उद्योग की जरुरत को पूरा करने के लिए न तो क्षमता है और न ही वे अच्छे गुणवत्ता के उत्पाद की बिक्री कर पायेगे।

14. घरेलू उद्योग द्वारा प्रोक्ति प्रस्तुतिकरण

क. मैसर्स आईएसएमटी लिमिटेड, मैसर्स जिंदल एसएडब्ल्यू लिमिटेड (मैसर्स महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड समर्थनकर्ता)

अधिदेशित सूचना प्रदान कराने में असफलता

i. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग ने महानिदेशक रक्षोपाय के निदेशों का पूर्ण अनुपालन किया है और महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा निर्धारित प्ररुप में अभिनव अवधि, वित्त वर्ष 2013-14 की प्रथम तिमाही तक के अपेक्षित आकड़े दायर किये है और वर्ष 2013-14 की प्रथम तिमाही के लिए आयात आकड़े भी उपलब्ध कराये है।

ii. आंकड़ों का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल के रुप में रखने के लिए न केवल डीजीएस को उपलब्ध कराया गया है बल्कि सभी ज्ञात विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों को महानिदेशक द्वारा निर्धारित मर्यादाओं के अंतर्गत 9 सितम्बर, 2013 को दिनांक 29 अगस्त, 2013 के पत्र के तहत परिचालित किया गया। विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों को उसपर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया और उसके विरुद्ध किसी दावे को न्यायोचित नहीं ठहराया गया।

अनपेक्षित विकास

iii. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्थापित करने के लिए कि जांच शुरुआत करने के पहले अनपेक्षित परिस्थितियों की जरुरत एक अनिवार्य अपेक्ष है कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है।

iv. डब्ल्यूटी ओ या भारतीय विधान के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें जांच शुरुआत के अवसर पर अनपेक्षित विकास की जरुरत हो और वास्तव में महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा निर्धारित प्रश्नावली प्रपत्र भी यह अपेक्षा नहीं करता है कि उसे प्रदान किया जाए।

v. अर्जेंटिना-फूटवियर (डब्ल्यूटी/डीएस121/एबी/आर दिनांक 14 दिसम्बर, 1999) में डब्ल्यूटी ओ अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि अनपेक्षित विकास की जरुरत रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए एक अतिरिक्त शर्त नहीं है। परंतु उसने परिस्थितियों के एक निश्चित सेट का वर्णन किया है।

vi. अनपेक्षित विकास के संबंध में न्याय विज्ञान यह कहता है कि यह शुल्क अधिरोपण के समय एक अपेक्षित मापदंड है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा विगत जांच में जारी किसी भी जांच शुरुआत अधिसूचना में अनपेक्षित विकास पर अधिक बल नहीं दिया और महानिदेशक रक्षोपाय के इस विचार को चुनौती भी नहीं दी गई।

vii. घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका के पेज सं.13-14 पर अनपेक्षित विकास के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य दिये है। अत: विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा निराधार है कि अनपेक्षित परिस्थितियों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है तथा यह वस्तुत: गलत है।

viii. दिनांक 21 अक्तूबर, 2013 के एक अतिरिक्त पत्र में घरेलू उद्योग द्वारा अनपेक्षित विकास और जनहित के संबंध में उल्लेख किया गया जो कि ना केवल हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया बल्कि उस पर हितबद्ध पक्षकारों ने अनपेक्षित विकास और जनहित के संबंध में अपनी टिप्पणियां भी दी है।

अनपेक्षित व्यापार उपचारी कार्य

ix. घरेलू उद्योग ने उस ढंग को अभिव्यक्त किया है जिसमें आयातों पर अनपेक्षित व्यापार उपचारी कार्रवाई के परिणाम स्वरुप यूएस और ईयू जैसे उपभोक्ताओं ने चीन से आयातों के विरुद्ध शुल्क अधिरोपित किये है जिसके परिणामस्वरुप इन आयातों का भारत की ओर विपथन हुआ जिससे भारत में आयातों की वृद्धि हुई।

x. विभिन्न बाजारों में व्यापार उपचारी उपाय को इंडोनेशियाई रक्षोपाय प्राधिकारी (जी/एसजी/एन/8/आईडीएन/14, जी/एसजी/एन/10/डीएन/14) द्वारा अनपेक्षित विकास के प्रतिरोधक के रुप में माना गया है।

यूरोप की बाजारों में खपत में अप्रत्याशित कमी

xi. ईयू बाजारों में खपत में गिरावट अप्रत्याशित थी और ईयू बाजारों में इस अप्रत्याशित मंदी के परिणामस्वरुप ईयू में खपत कम हो गयी और ईयू के उत्पादक निर्यात केन्द्रीत हो गये और उन्होंने भारत और चीन जैसी बढ़ती हुई बाजारों में भारी पैमाने पर निर्यात करना प्रारंभ कर दिया।

चीन जनगण में अतिरिक्त क्षमताएं और ईयू में योजित नवीन क्षमता

xii. चीन विभिन्न बड़ी बाजारों से प्रतिबंध के बावजूद अपनी क्षमता बढ़ा रहा है जिससे आयातों का भारत की ओर विपथन हो रहा है।

xiii. ईयू जैसी बड़ी बाजारों में खपत में अचानक कमी तथा बड़ी खपतकर्ता बाजारों में व्यापार उपचारी कार्रवाई अनपेक्षित थी और क्षमताओं में वृद्धि का उपयोग निर्यात के लिए किया गया जिसके कारण भारत को संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि हुई। इसका उल्लेख 12 दिसम्बर, 2013 के लिखित प्रस्तुतिकरण के पैराग्राफ च (9-19) में किया गया।

xiv. यह उल्लेख नयी क्षमताएं विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है तथापि हितबद्ध पक्षकारों ने इस दावे के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिया है।

कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद आयात की अनपेक्षित रुप से कम कीमते

xv. जांच की अवधि के दौरान कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो रही थी तथापि कच्चे माल की कीमतों में वैश्विक वृद्धि के बावजूद आयात कीमतों में भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने और उसकी बिक्री करने में हुई लागत वृद्धि के अनुरुप आयात कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई। चूंकि भारत एक कीमत संवेदी बाजार है इसलिए उपभोक्ताओं कम कीमत के आयातों की ओर झुकना प्रारंभ कर दिया।

प्राकृतिक न्याय और गोपनीयता के सिद्धांतों का उल्लंघन

xvi. घरेलू उद्योग द्वारा इस तथ्य की मनाही की गई है की उन्होंने कोई समायोजन योजना प्रस्तुत नहीं की है और सार्वजनिक सुनवाई के बाद तक प्रश्नावली प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

xvii. घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक सुनवाई से पहले दिनांक 23 अगस्त, 2013 के पत्र के तहत प्रत्येक कंपनी के लिए अलग-अलग समायोजन योजना दायर की थी।

xviii. रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत गोपनीयता के प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग ने संपूर्ण जानकारी प्रदान की और उस प्रोपराइटरी सूचना को गुप्त रखने का अनुरोध किया जो सार्वजनिक रुप से उपलब्ध नहीं थी जिसका प्रकटन कंपनी के हित में अलाभकर होता।

आयात आंकड़े क्रियापद्धति और अंतर

xix. याचिका में विचारित आयात मात्रा और मूल्य वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय कोलकाता से प्राप्त संव्यवहारवार आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किये गये थे। घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन पत्र के अनुबंध-5 में विचाराधीन उत्पाद के आयात आंकड़ों के एक भाग के रुप में संव्यवहार पर विचार करने के लिए क्रियापद्धति का पूर्णप्रकटन किया तथा प्रतिमान संव्यवहार को स्पष्ट किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयात आंकड़े यथार्थ रुप से एकत्र किये गये थे।

xx. ईयू आंकड़ों के संबंध में चिंता महानिदेशक रक्षोपाय के पास उपलब्ध लेनदेन वार आयात आंकड़ों के आलोक में नहीं हुई और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों की अनदेखी की जा सकती है।

xxi. मैसर्स एनईआई ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये आयात आंकड़े अध्याय शीर्षक 73.04, 73.06 और 98.08 के अंतर्गत बाह्य आंकड़े है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के आयात से संबंधित बाह्य अध्याय सं.73.04, 73.06 और 98.01 में प्रदान कराये गये आंकड़े डीजीसीआईएस आंकड़ों के अनुरुप है।

xxii. याचिका और सत्यापन रिपोर्ट में बिक्री आंकड़ों में अंतर के संबंध में महानिदेशक रक्षोपाय ने उचित ही घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर विचार किया है और बिक्री का मूल्यांकन संगत परम्परा के अनुरुप किया है। उसे जांच शुरुआत नोटिस में भी स्पष्टत: प्रदान कराया गया है और उसे सभी विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों को भी प्रेषित किया गया। अत: आंकड़ों में विसंगति के संबंध में विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों का दावा अनुचित है और विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों को इसका स्पष्ट स्पष्टीकरण दे दिया गया है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

xxiii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि डोमोनिकन रिपब्लिक-बैग एंड फेबरिक सेफगार्ड (डब्ल्यूटी/डीएस415/आर,डब्ल्यूटी/डीएस416/आर,डब्ल्यूटी/डीएस 417/आर, डब्ल्यूटी/ डीएस 418/आर, दिनांक 31 जनवरी, 2012) के मामले में डब्ल्यूटी पैनल ने यह धारित किया है कि रक्षोपाय करार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण, चयन, विवरण या विश्लेषण करना शासित या अधिदेशित करता हो।

xxiv. कतिपय ऑयल कंट्री टूबलर गुड्स के आयातों के संबंध में संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग द्वारा अभी हाल में शुरु की गई जांच में विचाराधीन उत्पाद को 'ऑयल कंट्री टूबलर गुड्स' के रुप में परिभाषित किया गया था परंतु यह एकल विशिष्ट एचएस-वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं था।

xxv. वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को विशेष रुप से याचिकाकर्ताओं द्वारा विनिर्मित उत्पाद और उनके समान वस्तु को शामिल करने के लिए विशेष रुप से परिभाषित किया गया है और यह किसी भी ढंग से अस्पष्ट नहीं है और यह जांच में शामिल किये जाने के लिए अपेक्षित उत्पादों की समस्त श्रृंखला को शामिल करता है।

xxvi. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे को परिभाषित करने की क्रियापद्धति का विस्तृत विवरण स्वयं याचिका में दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच शुरुआत नोटिस और याचिका स्पष्टत: एवं परिभाषित तौर पर विचाराधीन उत्पाद के दायरे को स्पष्ट करते है और जांच शुरुआत नोटिस में उल्लिखित विभिन्न अध्याय शीर्षक उन विभिन्न शीर्षकों के केवल संकेतात्मक है जिनके अंतर्गत उस वस्तु का आयात किया जा सकता है तथापि इसे केवल इस आधार पर पृथक या भिन्न उत्पाद नहीं कहा जा सकता है कि इसके विभिन्न प्रकार एवं प्रयोग है, जैसा कि विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है।

xxvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया कि संबद्ध वस्तु जांच शुरुआत नोटिस में उल्लिखित विभिन्न अध्याय शीर्षकों के अंतर्गत एक साथ आयात किये जाने के योग्य है।

व्यापक दायरे की परिभाषा जिससे गलत उत्पाद परिभाषा प्राप्त हुई

xxviii. यह एक सुस्थापित तथ्य है कि घरेलू उद्योग के पास विचाराधीन उत्पाद की संपूर्ण श्रृंखला का विनिर्माण करने और उसकी बिक्री करने की क्षमता है बल्कि इसने उन सभी वस्तुओं का विनिर्माण और बिक्री भी की है जिसके लिए हितबद्ध पक्षकारों ने गलत ढंग से विचारधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन कराने की मांग की थी।

xxix. विभिन्न प्रकार और ग्रेडो के उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया समान है और संबद्ध वस्तु का एक ही संयंत्र में उत्पादन किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा यह निवेदन किया गया है कि विभिन्न ग्रेडों के लिए अध्याय शीर्षक पाइप और ट्यूब के ग्रेड या अनुप्रयोग के कारण पृथक या अलग नहीं है।

जांच के दायरे से कतिपय ग्रेडों का अपवर्जन करने का दावा

xxx. घरेलू उद्योग ने उक्त ग्रेडो के उत्पादन और उनकी बिक्री से संबंधित स्पष्ट जानकारी प्रदान करायी है तथा प्रतिरुप बिक्री के लिए बीजक के रुप में संगत साक्ष्य भी यह जांच करने के लिए प्रदान कराये है कि घरेलू उद्योग की उत्पादन और बिक्री क्षमता क्या है।

उच्च दाव सिलेण्डरों का विनिर्माण

xxxi. यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास उच्च दाव सीमलेस स्टील-सिलेण्डर पाइपों और टयूब विनिर्माण करने की क्षमता है। उच्च दाब गैस सिलेण्डरों का विनिर्माण करने के लिए प्रयोग किये जाने वाले सीमलेस टयूब की मानक आकार (ओडीxटीएचके) 1083.2,139.84.2, 165.14.4, 2325.4, 2676/7.5, 2737.6 घरेलू उद्योग ने यह स्थापित करने के लिए कि भारतीय उद्योग की उक्त उच्च दाब सिलेण्डरों का विनिर्माण करने की उत्पादन क्षमता है पर्याप्त साक्ष्य जैसे उत्पादक द्वारा प्रदान किये गये क्रय आदेश के लिए परीक्षण प्रमाण प्रत्र संलग्न किया जो अनुबंध-1-गोपनीय में संलग्न है।

राइफल्ड ट्यूब का अपवर्जन

xxxii. राइफल्ड टयूब एक प्रकार बायलर टयूब होते है जिनका निर्माण और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा की जाती है। मैसर्स भेल ने मैसर्स आईएसएमटी द्वारा विनिर्मित और बेचे गये राइफल्ड टयूब की वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही तक की संपूर्ण क्षति अवधि में लगभग 2741 टन और 2010-11 में 1200 टन की खरीद की और उनका उपयोग भी किया।

xxxiii. इसने कुछ तकनीकी वाणिज्यिक कारणों से कुछ समय के लिए इस प्रापण को बंद दिया मैसर्स भेल द्वारा राइफल्ड टयूब की मैसर्स आईएसएमटी लिमिटेड और देश के अन्य भरोसेमंद बायलर विनिर्माताओं से खरीद के बीजक घरेलू

उद्योग से लगातार खरीद करते रहे जो 20 सितम्बर, 2013 के प्रोक्ति प्रस्तुतीकरण के तहत महानिदेशक रक्षोपाय को दिये गये है।

एनईआई लिमिटेड को आपूर्ति

xxxiv. यह स्पष्ट नहीं है कि घरेलू उद्योग द्वारा संदत संबद्ध वस्तु की नियमित आपूर्ति या गुणवत्ता संबंधी कोई अवरोध है मैसर्स एनईआई लिमिटेड घरेलू उद्योग से संबद्ध वस्तु की नियमित खरीद करता आ रहा है और इसने वर्ष 2012-13 में लगभग 190 लाख रुपये मूल्य के 219 एमटी का अधिप्रापण किया तथा वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में लगभग 175 एमटी का अधिप्रापण किया जिसका कुल मूल्य 144 लाख रुपये है। कुल अधिप्रापण में से एनईआई लिमिटेड ने लगभग 8 लाख रुपये मूल्य की मात्रा की वापसी की है जो मैसर्स एनईआई द्वारा किये गये कुल प्रापण का लगभग 1.2 प्रतिशत है।

xxxv. बैरिंग के कई अन्य घरेलू विनिर्माता भी है जिनका मैसर्स एनईआई के अलावा भारी घरेलू हिस्सा है और मैसर्स एनईआई लिमिटेड संपूर्ण भारतीय बैरिंग उद्योग का प्रतिनिधि होने का दावा नहीं कर सकता है। अन्य विनिर्माताओं को की गई बिक्री के अद्यतन बीजक दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 के लिखित प्रस्तुतिकरण के तहत महानिदेशक रक्षोपाय को प्रदान कराये गये है।

xxxvi. मैसर्स एनईआई द्वारा प्रदान करायी गई जानकारी से घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा की गई ग्रेडों/प्रतीको के लिए कथीत कम कीमतों के प्रभाव के संबंध में जानकारी मिलती है । यह प्रस्तुत किया गया कि घरेलू उद्योग ने एसकेएफ की मूल्य सूची पर भरोसा किया और इस संबंध में साक्ष्य महानिदेशक रक्षोपाय को प्रस्तुत किया जा चुका है।

xxxvii. कीमत सूची बाजार में उपलब्ध कीमतों से तैयार की गई है जो प्रतिस्पर्धात्मक कीमत निर्धारण को प्रदर्शित करती है। जहां तक मैसर्स एनईआई के बीजक का संबंध है उक्त पक्षकारों और एनईआई के बीच वाणिज्यिक समझ ज्ञात नहीं है इसलिए उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

xxxviii. यह अनुत्तरित है कि मैसर्स एनईआई इतने कम कीमते क्यों प्राप्त कर रहा है जबकि अन्य घरेलू उत्पादक समान ग्रेडों के लिए उच्चतर कीमतें रिपोर्ट कर रहे है। स्पष्टत: मैसर्स एनईआई द्वारा प्रदान करायी गई सूचना भरोसेमंद नहीं है और उसकी अवहेलना की जा सकती है।

जापान की कथित बेहतर गुणवत्ता के संबंध में निर्यातकों की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण

xxxix. रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह स्पष्ट करता हो कि भारत को जापान के निर्यातकों द्वारा निर्यात की गई संवद्ध वस्तु बेहतर गुणवत्ता की है या घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु से अलग है।

xl. निर्यातकों द्वारा प्रीसाइज मानक या विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित कोई प्रकटन नहीं किया गया है और ऐसे प्रकटन के अभाव में यह स्पष्टत: स्थापित होता है कि कोई विशेष अंतर नहीं है और जापान के निर्यातकों का दावा गलत एवं असंबद्ध है।

उच्चतर कीमत और गुणवत्ता के आधार पर अपवर्जन

xli. वर्तमान मामला रक्षोपाय जांच का है, न कि पाटनरोधी जांच का जिसके द्वारा सभी उत्पादों के आयातों पर शुल्क लगाया जाता है, जापान से निर्यातों का गुणवत्ता के आधार पर अपवर्जन करना, जैसाकि निर्यातकों ने दावा किया है, रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ विधि में उल्लिखित गैर विभेदकारी आधारभूत सिद्धांत के विपरीत है।

xlii. जापान के निर्यातकों ने कुछ उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी का दावा किया है। कार्बन ब्लैक के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच के दिनांक 31 जुलाई, 2012 के अंतिम जांच परिणाम में महानिदेशक रक्षोपाय ने जांच कि कार्बन ब्लैक का विनिर्माण करने के लिए चीन की उत्पादन प्रक्रिया, जो कोलतार आयल पर निर्भर थी, भिन्न थी और भारतीय उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया की तुलना में कम महंगी थी जो कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक पर भरोसा करता है तथापि महानिदेशक रक्षोपाय ने समान वस्तु के रुप में माना और उस पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया।

xliii. उच्चतर कीमतों का तथ्य ही वस्तु का अपवर्जन करने के लिए एक मात्र प्रतिरोधक कारक नहीं होता है और यह उच्च कीमत विभिन्न कारणों से हो सकती है जिसमें अनुकूल संविदा या परिवर्तन के लिए उच्च भाड़ा लागत शामिल है।

xliv. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के दायरे में उत्पादों की समस्त श्रृंखला का उत्पादन करता है और जापान से किये गये आयात तकनीकी एवं वाणिज्यिक रुप से घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु से प्रतिस्थापनीय है और वे घरेलू उद्योग के उपभोक्ताओं के साथ प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा कर रहे है।

xlv. जहां तक मैसर्स भेल और मैसर्स एनईआई द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरणों पर भरोसा किये जाने का संबंध है घरेलू उद्योग ने उसके संबंध में अपनी प्रोक्ति वर्तमान प्रस्तुतीकरण के उपयुक्त खंडों में पहले ही कर दी है और जापान के निर्यातकों का मैसर्स भेल और मैसर्स एनईआई के मुद्दों के संबंध में प्रस्तुतिकरण करने का कोई औचित्य ही नहीं है।

रक्षोपाय में संगत कीमत प्रभाव

xlvi. जापान के निर्यातकों का यह प्रस्तुतिकरण कि घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव रक्षोपाय जांच से संगत नहीं है, प्रत्यक्षत: उनके पिछले प्रस्तुतिकरण से विपरीत है जिसमें उन्होंने जापान के निर्यातों का अपवर्जन करने का दावा इस आधार पर किया था उनके आयातों की कीमतें बहुत अधिक है।

xlvii. यह दावा कि कीमत क्षति का समाधान केवल पाटनरोधी जांच में ही किया जा सकता है यह उस मौलिक सिद्धांत के विपरीत है कि पाटनरोधी और रक्षोपाय साधनों का प्रयोग बिना किसी पूर्वाग्रह के एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है और रक्षोपाय तथा पाटनरोधी शुल्क दोनों एक साथ लगाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है।

अनुप्रयोग/अंतिम प्रयोग के संबंध में पीयूसी का पृथक्करण करने के लिए दावा

xlviii. निर्यातकों ने भारत को अपने निर्यात से संबंधित आंकड़ों का पृथक्करण महानिदेशक रक्षोपाय को प्रस्तुत निर्यातक प्रश्नावली में अंतिम प्रयोग या ग्रेडों के आधार पर नहीं किया है। विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि जो इक्विटी की मांग करता है उसे इक्विटी करनी चाहिए और निर्यातक महानिदेशक रक्षोपाय के पास निर्बाध रुप से नहीं पहुंचे है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को त्रुटिपूर्ण बताने का प्रयास कर रहे है।

जापान के निर्यातों का उद्ग्रहण से अपवर्जन

xlix. हितबद्ध पक्षकार जिसमें जापान के निर्यातक भी शामिल है, ने बार-बार धारा 8ख(1) के आधार पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से आयातों का अपवर्जन करने की मांग की है।

l. यह प्रस्तुत किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों का तर्क पूर्णतया असंधारणीय है और रक्षोपाय के उन आधारभूत सिद्धांतों के विपरीत है जिनका उल्लेख डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद-2 में किया गया है जो अधिदेशित करता है कि स्रोत पर विचार किये बिना रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना चाहिए।

li. रक्षोपाय शुल्क के उद्ग्रहण से छूट केवल विकासशील देशों के मामलें में दी जा सकती है और यह जापान जैसे विकसित देश के लिए उपलब्ध नहीं है ।

lii. इतनी अधिक मात्रा को शुल्क के उद्ग्रहण से छूट देना केवल कोटा के आधार पर रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश करने अथवा अधिरोपण के मामले में लागू है।

गैर सीमलेस पाइप और टयूब का समावेशन

liii. इलेक्टिकल अवरोधक बेल्डिंग (ईआरडब्लू पाइप) का प्रयोग करके बेलडेड पाइपों और टयूब का समावेशन विचाराधीन जांच के दायरे के अंतर्गत समान वस्तु के रुप में करने का दावा निराधार और काल्पनिक होने के कारण अस्वीकार किया जा सकता है।

liv. हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं ही यह प्रस्तुत किया है कि उत्पाद का दायरा बहुत व्यापक और ईआरडब्ल्यू पाइपों को शामिल कर दिये जाने से विचाराधीन उत्पाद का दायरा और भी अधिक व्यापक हो जाएगा तथा वह विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण के विपरीत है।

lv. यूनाईटेड स्टेट-साफट वुड लम्बर फाम कनाडा पर अंतिम पाटन निर्धारण (डब्ल्यूटी/डीएस 264/आर) में पाटनरोधी जांच के संबंध में डब्ल्यूटीओ पैनल में विचार किया कि विचाराधीन उत्पाद के समान उत्पाद का निर्धारण अनुच्छेद 2.6 के आधार पर किया जा सकता है परंतु इस प्रावधान में उस तरीके का कोई मार्ग दर्शन नहीं किया गया है जिससे जांचाधीन उत्पाद का निर्धारन किया जा सकता है।

lvi. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों का दावा ऑयल कंट्री टूबलर गुड्स से संबंधित यूएसआईटीसी जांच परिणाम पर आधारित है। उक्त जांच में उत्पाद दायरे में विशेष रुप से ईआरडब्ल्यू पाइपों और टयूब को ऑयल कंट्री टूबलर गुड्स के रुप में शामिल किया गया था।

lvii. यूएसआईटीसी ने यह आधरित किया है कि बेलडेड और सीमलेस उत्पाद तेल अन्वेषण अनुप्रयोगों के लिए अंतरपरिवर्तनीय है। विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार आरडब्ल्यू और सीमलेस पाइपों की सीमित सामान्य अंतरपरिवर्तनीयता को भी माना है और सीमलेस पाइपों को समान उत्पाद के रुप में नहीं माना गया है।

lviii. ईआरडब्ल्यू पाइपों और सीमलेस पाइपों के लिए उक्त जांच में यूएसआईटीसी के जांच परिणाम में उन्हें समान वस्तु के रुप में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में विशेष रुप से शामिल किया गया जो वर्तमान मामले में सीमलेस पाइप और टयूब तक सीमित है और उसमें ईआरडब्ल्यू पाइप और टयूब को शामिल नहीं किया जा सकता है।

lix. भारतीय प्रयोगकर्ताओं द्वारा सभी निविदाएं स्पष्ट रुप से सीमलेस पाइपों या ईआरडब्ल्यू पाइपों की जरुरतों को अलग-अलग विनिर्दिष्ट करती है। सभी भारतीय प्रयोगकर्ताओं जैसे ओएनजीसी, गेल, आईओसीएल, वीपीसीएल द्वारा निकाली गई निवादाओं और बोलियों में सीमलेस पाइपों के स्थान पर ईआरडब्ल्यू पाइपों की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं है और भारत में इनके अनुप्रयोग को केवल सीमलेस पाइप या केवल ईआरडब्ल्यू पाइप के रुप में स्पष्ट रुप से परिभाषित किया है।

lx. मैसर्स ओएएनजीसी द्वारा निकाले गये कुछ टेंडरों की प्रतियां दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 के लिखित प्रस्तुतिकरणों के साथ संलग्न की गई है जो स्पष्टत दर्शाता है कि टेंडर विनिर्देशनों में स्पष्ट रुप केवल सीमलेस पाइपों का प्रापण करने का प्रावधान किया गया है और बेलडेड या ईआरडब्ल्यू पाइपों की आपूर्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है।

lxi. ईआरडब्ल्यू और सीमलेस पाइप के संबंध में निकाली गई अलग-अलग निविदाओं की प्रतियां अनुबंध 2-गोपनीय पर संलग्न है जो स्थापित करती है कि ईआरडब्ल्यू पाइप और सीमलेस पाइप भारत में समान वस्तु नहीं है।

lxii. भारतीय उपयोगकर्ता उद्योग सीमलेस पाइपों और ईआरडब्ल्यू पाइपों का अदल-बदल कर प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता है और वे समान वस्तु नहीं है। इसलिए ईआरडब्ल्यू पाइपों को जांच के दायरे में शामिल करना गलत होगा।

ट्रायल और विकास निविदाओं में प्रतिभागिता

lxiii. घरेलू उद्योग ने विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे का खंडन कर दिया कि वे कुछ उत्पादों का विनिर्माण करने के योग्य नहीं है क्योंकि वे ट्रायल और विकास निविदाओं में प्रतिभागिता करते है।

lxiv. घरेलू उद्योग में प्रस्तुत किया है कि ओएनजी द्वारा निकाली गई बोली दस्तावेज के अनुबंध-4 में बोली मूल्यांकन मापदंड का प्रावधान है इसमें स्पष्टत यह उल्लेख किया गया है कि प्रदायक ने विनिर्माण प्रोसेस या ग्रेड किया गया हो और उस सामग्री की न्यूतनम मात्रा ओएनजीसी या अन्य तेल खोजी कंपनी को की हो। ओएनजीसी के वैश्विक अधिप्रापण के लिए मानक निबंधन एवं शर्ते मानक पुस्तिका -1 पैराग्राफ 51 में प्रावधान है कि घरेलू बोलीदाता जिसने ओएनजीसी को प्रदाय नहीं किया है। उसे ओएनजीसी के साथ विकास आर्डर प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

घरेलू उद्योग की कथित अनर्हता

lxv. घरेलू उदद्योग ने क्षति अवधि में ओएनजीसी को भारी मात्रा में प्रदाय किया है और यह स्थापित करने के लिए घरेलू उद्योग ने ओएनजीसी द्वारा निकाली गई निविदाओं में ना केवल बोली लगाई है बल्कि आदेशों को सफलता पूर्वक पूरा किया है और प्रदाय किया है, निम्नलिखित सूचना प्रदान की है:-

क्र.सं.	याचिकाकर्ता का नाम	संलग्नकों का विवरण
1	आईएसएमटी लिमिटेड	9-5/8" ओडी केसिंग के पाइपों की क्यू 125 ग्रेड की आपूर्ति के लिए ओएनजीसी के दिनांक 6.2.04 आदेश सं.डीजेड-पीआर0029
2	आईएसएमटी लिमिटेड	ओएनजीसी के दिनांक 26.6.2013 के अवार्ड सं. डीएलआई/सीएचएमएम/ईयूई/जेडएनटीकेसी 12003/नानपीईएल/4010071915 की अधिसूचना जो 2-7/8" ओडी टयूविंग्स और पप ज्वांइट एल-80एन-80 ग्रेड की आपूर्ति के लिए
3	जिंदल एसएडब्ल्यू लिमिटेड	क.2-7/8" ओडीबी-110 ग्रेड, ख 3-1/2" ओडी एल-80 ग्रेड और ग.3-1/2" ओडीएल-80 ग्रेड टयूविंग और पप ज्वांइट्स की आपूर्ति के लिए ओएनजीसी का दिनांक 16.10.2012 का आदेश सं.4010065915
4	जिंदल एसएडब्ल्यू लिमिटेड	5-1/2" ओडी और 7" ओडी केसिंग पाइप, एल-80, एन-80 और पी-110 ग्रेड की आपूर्ति के लिए ओएनजीसी का दिनांक 26.6.2013 का प्रदाय अधिसूचना
5	आईएसएमटी लिमिटेड	ऑयल इंडिया लिमिटेड को 7" ओडी पी-110 ग्रेड केसिंग की

		आपूर्ति के लिए दिनांक 8.2.2012 की बीजक सं.डीएजे 1147417
6	आईएसएमटी लिमिटेड	क्यू-125 ग्रेड के 9-5/8" ओडी केसिंग पाइप की आपूर्ति के लिए ओएनजीसी का दिनांक 6.2.2004 का आदेश सं.डीजेड-पीआर0029
7	जिंदल एसएडब्ल्यू लिमिटेड	114.3एमएम ओडीx x 7.9 एमएम टीएचके लाइन पाइपों की आपूर्ति के लिए ओएनजीसी के दिनांक 19.1.2011 के आदेश सं.4010055614

lxvi. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि ओएनजीसी विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा उपभोक्ता है परंतु उन्होंने निर्यात सहित अन्य उपभोक्तओं को भी आपूर्ति की है। घरेलू उद्योग ने बोली लगाने और आशित ग्रेड की आपूर्ति करने का प्रयास किया है। अत: विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया दावा कि घरेलू उद्योग द्वारा ट्रायल/विकास आर्डर में प्रतिभागिता तकनीकी अक्षमता या न्यून गुणवत्ता के उत्पादन के कारण हुई है, गलत है।

lxvii. अन्य देशों के निर्यातकों ने इस देश को संबद्ध ग्रेड की बिक्री करने के लिए उपलब्ध मुक्त क्षमताओं या अन्य क्षेत्रों से शुल्क अधिरोपण के कारण आकर्षक पाया है। इससे घरेलू उद्योग ने कुछ संविदा खो दी खासकर ओएनजीसी तथा अन्य तेल अन्वेषण कंपनियों द्वारा निकाली गयी निविदाएं और उक्त कंपनियों द्वारा इन ग्रेडों के बार-बार आदेश भी प्रभावित हुए है।

lxviii. बोली अनुरोध में कुछ ऐसी शर्ते होती है जो हितबद्ध पक्षकार को किसी आदेश के लिए बोली लगाने से रोक देता है। यह इच्छुक बोलीदाता को तकनीकी आधार पर विगत 5 वर्षों ने आपूर्ति न किये जाने के कारण भी प्रतिबंधित कर देता है।

lxix. संबद्ध वस्तु के आयातों का भारी मात्रा में अधोरदन और बोली दस्तावेज में उल्लिखित कठोर शर्ते वह अवरोध है जिन्होंने घरेलू उद्योग को सफल बोलीदाता या प्रतिस्पर्धी बनने से रोक दिया यह प्रस्तुत किया गया कि कुछ विशिष्ट ग्रेडों की आपूर्ति न करने से तकनीकी अक्षमता या उत्पादन के मानक के आधार पर अनर्हता का आधार नहीं बन जाता।

lxx. ओएनजीसी द्वारा 30 अगस्त, 2013 को दायर प्रस्तुतिकरण में यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को ओएनजीसी द्वारा अनर्ह नहीं ठहराया गया है बल्कि कम कीमत के आयातों द्वारा कीमत अधोरदन के कारण उसने आर्डर खो दिये और ट्रायल एवं विकास निविदाओं तक सीमित रह गया।

गुणवत्ता मुद्दे और ओएनजीसी तथा अन्य कंपनियों को आपूर्ति

lxxi. यह तथ्य कि ओएनजीसी ने विकास आर्डर भी स्वीकार किये है, सिद्ध करता है कि याचिकाकर्ताओं के संबंध कोई अक्षमता या उत्पादन मानक अभाव नहीं है।

lxxii. घरेलू उद्योग ने ओएनजीसी से प्राप्त टयूबिंग टेस्ट रिपोर्ट भी महानिदेशक रक्षोपाय को प्रदान की है। जो स्पष्टत स्थापित करती है कि घरेलू उद्योग पूर्ण सक्षम है और ओएनजीसी को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति कंपनियों द्वारा अपेक्षित मानक और गुण्वत्ता के आधार पर करता है। अत: कुछ विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया यह दावा कि घरेलू उद्योग ओएनजीसी की गुणवत्ता अपेक्षाओं के कारण प्रदाय करने में असमर्थ है, त्रुटिपूर्ण है।

lxxiii. आईएसएमटी, आईएसओ 14001-2004 प्रत्यायित कंपनी है और सभी गुणवत्ता शिकायतों का निपटान करने के लिए उसकी मानक प्रक्रिया है।

घरेलू उद्योग का संघटन

lxxiv. न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया से ताजे, शीतित या प्रशीतित लैम्ब मीट के आयातों पर संयुक्त राज्य- रक्षोपाय साधन मामलें में डब्लयूटीओ अपीलीय निकाय ने यह धारित किया है कि अधिकांश अनुपात का आशय उस प्रक्रिया से है जो इस साधन का अधिरोपण करने के लिए अपेक्षित है।

lxxv. यूएस ह्वीट ग्लूटेन मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह धारित किया कि केवल दो घरेलू उत्पादकों के आंकड़े घरेलू उद्योग बनने के लिए पर्याप्त है।

lxxvi. यूरोपियन कम्यूनिटी- कतिपय आयरण स्टील फासनर्स पर निर्णायक पाटनरोधी उपाय मामले में अपीलीय निकाय ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश अनुपात का आशय कुल घरेलू उत्पादन के बड़े भाग से है।

lxxvii. एल्युमीनियम फ्लैट रोल्ड उत्पाद और एल्युमीनियम फ्वाइल के भारत में चीन जन.गण से आयातों पर रक्षोपाय जांच के अंतिम जांच परिणाम ने दिनांक 29 मई, 2009 महानिदेशक रक्षोपाय ने धारित किया इंडालको, जो एल्युमीनियम फाइल के कुल घरेलू उत्पादन का 56 प्रतिशत का उत्पादन करता है इसलिए वह घरेलू उद्योग है।

lxxviii. याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन में से 50 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन करता है जो निर्विवाद रुप से बड़ा हिस्सा बनता है इसलिए याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु का घरेलू उद्योग है जैसा कि अधिनियम की धारा 8ख(6) (ख) में अपेक्षित है और इसलिए वह रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने हेतु आवेदन करने के लिए सक्षम है ।

lxxix. संबद्ध वस्तु के अन्य प्रमुख उत्पादक मैसर्स भेल, मैसर्स रेमीमेटल और मैसर्स ओसीटीएल हैं। मैसर्स ओसीटीएल और मैसर्स रेमीमेटल ने इस याचिका में भाग नहीं लिया है और जांच का कोई विरोध भी नहीं किया है।

lxxx. मैसर्स भेल सुनवाई में आया था और उसने स्वीकार किया कि वह संबद्ध वस्तु का उपयोगकर्ता है तथा संबद्ध वस्तु का ग्राही उत्पादन करता है।

lxxxi. विभिन्न अन्य घरेलू उत्पादक जिनका अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उल्लेख किया है, घरेलू उत्पादक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है और वर्तमान जांच में प्रतिभागिता नहीं की है।

- महालक्ष्मी सीमलेस लिमिटेड
- रत्नद्विप मेटलस एंड टयूब लिमिटेड
- हैवी मेटलस एवं टयूब लिमिटेड
- गांधी स्पेशल टयूब लिमिटेड
- साइनेस्ट टयूब प्रा. लिमिटेड
- पटेल एयर फ्लो लिमिटेड
- भाटिया स्टील टयूब

lxxxii. जांच शुरुआत नोटिस भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और सभी घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त नोटिस दिये गये और वर्तमान जांच में शामिल होने की जिम्मेवारी सौपी गई जिसे अन्य सभी घरेलू उत्पादक पूरा नहीं कर सके केवल महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड ने महानिदेशक रक्षोपाय को पूर्ण सहयोग दिया।

lxxxiii. कथित घरेलू उत्पादकों में से एक मैसर्स रत्न द्वीप मेटलस एवं टयूब लिमिटेड ने स्वीकार किया है कि वह संबद्ध वस्तु के आयातों के आधार पर सीमलेस पाइपों का रिड्रार है।

lxxxiv. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार ने उक्त उत्पादक के उत्पादन मात्रा को प्रदान करने का प्रयास नहीं किया और केवल यह कहा कि उसे घरेलू उद्योग के रुप में माना जाए।

lxxxv. मैसर्स महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, जो सम्बद्ध वस्तु का उत्पादक है और जिसका बाजार हिस्सा 26 प्रतिशत है, ने इस जांच का समर्थन किया और महानिदेशक रक्षोपाय के क्षेत्राधिकार के अध्यधीन हो गया।

lxxxvi. मैसर्स महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड ने महानिदेशक रक्षोपाय के साथ पूर्ण सहयोग किया और घरेलू उत्पादक प्रश्नावली प्रत्युत्तर में जांच शुरुआत पश्चात प्रत्युत्तर महानिदेशक रक्षोपाय को निर्धारित समय सीमा में दायर किया। घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका और लिखित प्रस्तुतीकरण उद्योग के आंकड़ों का विश्लेषण भी प्रदान करते है।

रक्षोपाय के अंतर्गत घरेलू उद्योग का आधार

lxxxvii. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि घरेलू उद्योग को अधिनियम की धारा 8ख और रक्षोपाय शुल्क नियमावली तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान उनपर कर का आकलन, पाटनरोधी शुल्क का संगहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 वह पैरामीटर है जो न केवल अर्थात है बल्कि वह डब्ल्यूटीओ न्याय विज्ञान से भी मेल नहीं खाते है।

lxxxviii. पाटनरोधी नियमावली की धारा 2ख में घरेलू उद्योग की परिभाषा में आयातक या निर्यातक से संबंधित कंपनी आयातक या निर्यातक को अपवर्जित करने का उल्लेख है जिसका प्रावधान अधिनियम की धारा 8ख के अंतर्गत नहीं किया गया है जिसमें समान वस्तु या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी वस्तु के उत्पादक भी शामिल है और।

lxxxix. ईसी-फार्सनर्स मामले में अपीलीय निकाय के निर्णय, रिलायंस उद्योग बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और आईएसएमटी लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में बाम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय में भरोसा जताया गया है जो पाटनरोधी नियमावली के संदर्भ में है, पूर्णतया असंगत है और इसलिए उनकी अनदेखी कर दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त इससे पहले पाटन रोधी जांच में केवल आईएसएमटी ने भाग लिया था और इसमें मैसर्स जिंदल एसएडब्ल्यू और महाराष्ट्रा सीमलेस ने भाग नहीं लिया था और निर्दिष्ट प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया था जिससे यह मामला समाप्त कर दिया गया।

xc. घरेलू उद्योग ने यह मना किया है कि एक घरेलू उत्पादक जो आयात भी है का कुल भारतीय उत्पादन का निर्धारण करते समय अपवर्जन कर दिया और यह भी मना किया कि कोई ज्ञात घरेलू उत्पादक जो आयात भी करता है का अपवर्जन भी किया गया है याचिका के अनुबंध-1 में सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों को उपलब्ध सूचना के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है।

भारत में संबद्ध वस्तु के वर्धित आयात

xci. आयातों में उत्पादन, बिक्री और मांग में क्षति अवधि के दौरान समग्र एवं संगत रुप से वृद्धि हुई है।

क. अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु आधार पर आयातों में वर्ष 2009-10 की तुलना में अप्रैल, 12-जून 13 में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो वर्ष 2011-12 में हुई वृद्धि से 38 प्रतिशत अधिक है।

ख. आयातों में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री तथा देश की मांग के अनुपात में वृद्धि हुई है।

ग. घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में आयातों के प्रतिशत में अप्रैल, 12-जून 13 में 8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

xcii. आयात स्पष्टत: जांच अवधि के दौरान बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाते है। आयातों में बढ़ने की यह प्रवृत्ति 2009-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 में 38 प्रतिशत तक बढ़ी और उसके पश्चात रक्षोपाय शुल्क द्वारा जांच प्रारंभ कर दिये जाने के कारण उसमें मामूली सी कमी आयी।

xciii. यह स्पष्ट है कि आयातों में वृद्धि हुई है और आयातों में यह वृद्धि अचानक अत्यधिक तीव्र और पर्याप्त है जो घरेलू उद्योग को न केवल क्षति पहुंचाई बल्कि क्षति की चुनौती भी उत्पन्न कर दी।

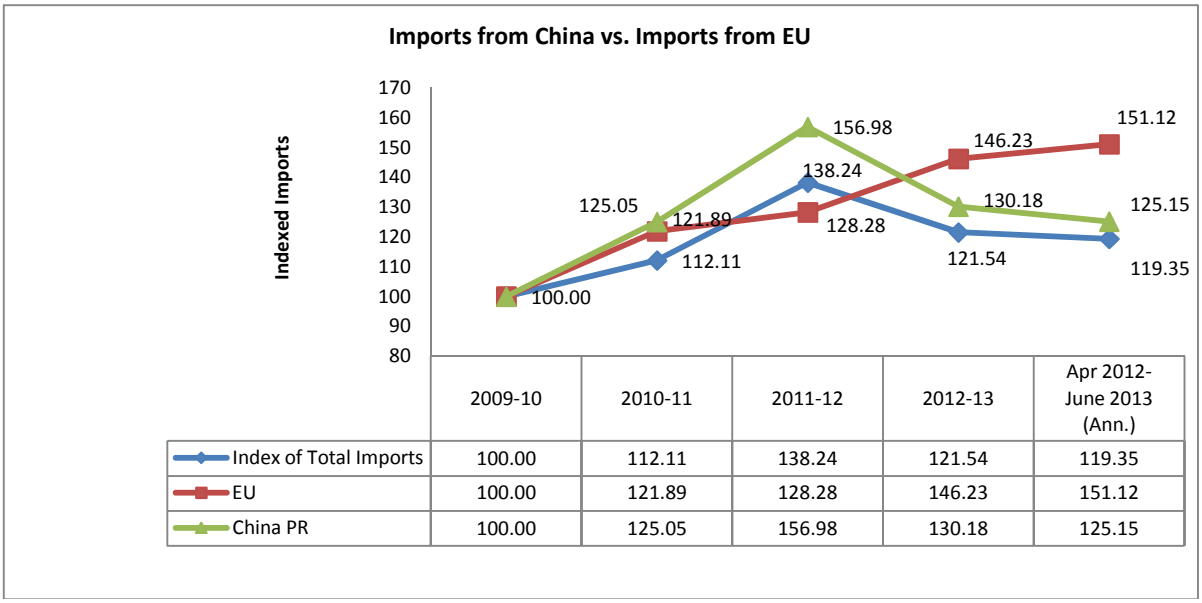
xciv. घरेलू उद्योग ने यह आवेदन पत्र नवम्बर, 2012 में दायर किया था जो उस अवधि को दर्शाता है जिसमें आयातों में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। उसके पश्चात और आवेदकों द्वारा याचिका दायर करने के पश्चात आयातों में कुछ कमी आयी परंतु उच्च स्तर पर बने रहे।

अन्य स्रोतों से आयात

xcv. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने 2 सितम्बर, 2013 को आयोजित पहली सुनवाई और 12 दिसम्बर,2013 को आयोजित दूसरी सुनवाई में तर्क दिया कि घरेलू उद्योग के आवेदन में केवल एक विशिष्ट देश (चीन से आयातों पर प्रकाश डाला गया है वैश्विक रक्षोपाय साधनों को व्यक्त नहीं किया है।

xcvi. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि यूरोपियन यूनियन से आयातों में अप्रैल, 2012 जून, 13 में चीन के आयातों से अधिक तीव्र वृद्धि हुई है और तब से उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। यूरोपीयन यूनियन से आयातों में वर्ष 2009-10 की तुलना में अप्रैल, 12 –जून, 13 में 51 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि चीन जन.गण के आयातों में वर्ष 2009-10 की तुलना में अप्रैल, 12-जून,13 में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

xcvii. भारतीय बाजार विभिन्न व्यापार उपचारी कार्यो के कारण से अन्य विभिन्न स्रोतों से भी आयात सुभेद्य है जैसे ईयू, यूएस, इंडोनेशिया, मैक्सिकों ।



	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	Apr 2012-June 2013 (Ann.)
Index of Total Imports	100.00	112.11	138.24	121.54	119.35
EU	100.00	121.89	128.28	146.23	151.12
China PR	100.00	125.05	156.98	130.18	125.15

xcviii. निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष दायर आवेदन पत्र में आयात आकड़ों पर भरोसा किये जाने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के प्रस्तुतिकरणों के बारे में यह स्वीकार नहीं किया जाता है कि उन आंकड़ों में वर्तमान मामले में कोई संगतता है यह उल्लेख किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भरोसा किये गये आयात आंकड़े पुराने है और वे विचाराधीन विभिन्न उत्पादों से संबंधित है। इसके अतिरिक्त केवल यह तथ्य कि इससे पहले वित्त वर्ष 2005-06 , 2006-07, 2007-08 और 1 अप्रैल, 2008 से 30 जून, 2009 की अवधि के दौरान पाटन का वर्तमान जांच से कोई संगतता या प्रभाव नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि वह दुभावना वश जोड़े गये है निराधार है और पाटनरोधी तथा रक्षोपाय उपायों के मूल भूत सिद्धांतों के विपरीत है।

गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती

xcix. घरेलू उद्योग के उत्पादन पर संबद्ध वस्तु के बढ़ते आयातों के कारण गंभीर प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग का उत्पादन वर्ष 2009-10 में 224216 एमटी था और वर्ष 2011-12 में बढ़कर यह 318968 एमटी हो गया तथापि वर्ष 2012-13 में इसमें गिरावट आयी और यह 254316 एमटी हो गया तथा वर्ष 2011-12 की तुलना में अप्रैल, 2012-जून 13 के दौरान 247827 एमटी हो गया जो 20 प्रतिशत अधिक है।

क्षमता उपयोग

c. आयातों में वृद्धि के कारण क्षमता उपयोग में गिरावट आयी है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग वर्ष 2009-10 में 60 प्रतिशत था घटकर वर्ष 2012-13 में 37 प्रतिशत हो गया। घरेलू उद्योग की अनप्रयुक्त क्षमता ने भी मांग में वृद्धि के बावजूद वृद्धि हुई है।

घरेलू बिक्रियां

ci. घरेलू उद्योग की बिकी वर्ष 2009-10 में 143017 एमटी थी और वर्ष 2011-12 में बढ़कर 170826 एमटी हो गयी तथापि इसमें वर्ष 2012-13 में गिरावट आयी और यह 141588 एमटी तथा अप्रैल,12-जून,13 में 138726 एमटी हो गयी।

मांग एवं बाजार हिस्सा

cii. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में 5 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। तथापि घरेलू उद्योग की बिक्री में 1 प्रतिशत की कमी आयी जबकि आयातों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अत: आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक है।

ciii. यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयातों में वृद्धि का क्षतिकारी प्रभाव न केवल घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के अन्य उत्पादकों द्वारा भी महसूस किया गया।

समर्थनकर्ता सहित घरेलू उद्योग की क्षति

civ. चूंकि व्यापक पैरामीटरों में शामिल है उत्पादन, क्षमता उपयोग, समर्थक सहित घरेलू उद्योग की बिक्रियां, यह सभी घरेलू उद्योग की तरह ही समान प्रवृत्तियां प्रदर्शित करती है। घरेलू उद्योग तथा समर्थनकर्ता का उत्पादन, बिक्री,

क्षमता उपयोग पर बढ़ते आयातों के कारण ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है अत: सम्वर्धित आयातों ने घरेलू उद्योग पर प्रभाव डाला है।

गंभीर क्षति की चुनौती

बड़ी उपभोक्ता बाजारों में व्यापार उपचारी उपाय

cv. संपूर्ण विश्व में बड़ी बाजारों में, जिनमें चीन, ईयू, यूएस, मैक्सिकों और इंडोनेशिया शामिल है, घरेलू उद्योग की रक्षा करने के लिए व्यापार उपचारी उपाय किये गये है। इससे निर्यातक देशों जैसे चीन ईयू यूएस और रुस के लिए बड़ी बाजार बंद होने लगी जबकि भारत एक कीमत आकर्षक देश बना रहा अत: यह स्पष्ट है कि भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों की चुनौती स्पष्ट एवं आसन्न है।

cvi. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में बढ़ते आयातों के कारण गिरावट आयी है। संबद्ध वस्तु के बेलगाम आयातों के संबंध में हो सकता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में और अधिक गिरावट आये।

पाटनरोधी तथा प्रतिबलनकारी जांच की शुरुआत-यूएसआईटीसी द्वारा जांच

cvii. यूएसआईटीसी ने कतिपय ऑयल कंट्री टयूबलर्स गुड्स के आयातों में पाटनरोधी जांच प्रारंभ की और यूएसआईटीसी जांच के संबद्ध देश है भारत कोरिया फिलिपिंस सऊदी अरबिया, ताईवान, थाईलैंड, तुर्की, उक्रैन, बेयतनाम ।

cviii. घरेलू उद्योग को किसी रक्षोपाय शुल्क संरक्षण के अभाव में यह स्पष्ट है कि इन स्रोतों में निर्यात को विपथित होंगे तथा घरेलू उद्योग की क्षति को और अधिक बढ़ायेंगे।

अभिनव निविदाएं प्राप्त न होना

cix. घरेलू उद्योग को अभिनव ओएनजीसी और ऑयल इंडिया निविदाओं में विदेशी प्रकार्यो के कारण भारी क्षति हुई है क्योंकि उन्हें ओएनजीसी की निविदाओं में से 80 प्रतिशत से अधिक निविदाएं और ऑयल इंडिया की 57 प्रतिशत से अधिक निविदाएं प्राप्त हुई है। संबद्ध वस्तु का यह निर्बाध आयात घरेलू उद्योग को तथा भारतीय उद्योग को समग्र रुप से क्षति और क्षति की गंभीर चुनौती उत्पन्न कर रहा है।

नई क्षमताओं का सृजन

cx. चीन जन.गण तथा यूएस में नई क्षमताएं संस्थापित की गई और ईयू में निष्क्रिय क्षमता बहुत अधिक है अत: घरेलू उद्योग को किसी रक्षोपाय शुल्क संरक्षण के अभाव में यह स्पष्ट है कि यह चुनौती और अधिक बढ़ेगी तथा भारत को निर्यात और अधिक होंगे।

बाजार आसूचना के अनुसार जर्मन कंपनी मैसर्स बेंटलर स्टील टयूब ने संयुक्त राज्य में एक नया स्टील टयूब संयंत्र स्थापित करने के लिए 900 मिलियन डालर का निवेश किया है और इसके 2015 तक चालू हो जाने की संभावना है।

टेनारिस 1.5 बिलियन डॉलर से बे सिटी अमेरिका में सीमलेस पाइप मिल स्थापित करने वाला है।

टीपीसीओ चीन कारपोस क्रिस्टी, यूएसए में एक सीमलेस पाइप मिल स्थापित करने के अग्रणी स्तर पर है।

कारणात्मक संबंध तथा अन्य कारक

cxi. घरेलू उद्योग को कारित गंभीर क्षति का भारत में संवद्ध वस्तु के बढ़ते आयातों के साथ भारी संबध है।

cxii. संबद्ध वस्तु की बिक्री आयातों के साथ प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा करके की जाती है। आयातों की अवसारित कीमत घरेलू उद्योग की तर्क संगत लागत और बिक्री कीमत से बहुत कम है जिसका निर्धारण आयात कीमत के द्वारा किया जाता है। परिमाणस्वरुप उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, लाभ, निवेश पर अर्जन और नगदी प्रवाह में कम कीमत के आयातों की उपस्थिति के कारण कमी आई है।

cxiii. विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत कम कीमतों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित कम कीमतों के बावजूद आयात लगातार बढ़ रहे है। घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बिक्री लागत से भी कम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

cxiv. संवर्धित आयातों के परिणाम स्वरुप आयातों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट का घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

cxv. कम कीमत के आयातों में बढ़ोतरी के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आयी है और उसे निग्रहित कीमतों पर बिक्री करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में कमी आई है। अत: संवद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग लाभप्रदायकता के बीच कारणात्मक संबंध है।

अतिरिक्त उत्पादन क्षमता

cxvi. घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि संवद्ध वस्तु की घरेलू मांग में वृद्धि के कारण हुई है तथापि वर्ष 2012-13 में मांग में कमी घरेलू उद्योग की बिक्रियों में तीव्र गिरावट के कारण हुई तथा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर आयातों ने कब्जा कर लिया जिसके परिणाम स्वरुप घरेलू उद्योग को निवल क्षति हुई।

cxvii. घरेलू उद्योग का क्षमता वृद्धि करने का निर्णय बढ़ती भारतीय मांग को पूरा करने के लिए था और उसे अनुउत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अत: विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि घरेलू उद्योग अधिक विस्तार के कारण स्वयं ही क्षति सृजित कर रहा है, काल्पनिक त्रुटिपूर्ण और अप्रमाणिक है इसलिए इसे तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए।

विवरण	यूनिट	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	अप्रैल, 12 से जून,13 (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग की क्षमता	एमटी	3,75,000	6,85,000	6,85,000	6,85,000	6,85,000
मांग	एमटी	5,54,233	6,13,616	6,88,396	5,84,098	5,72,965
आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि की प्रवृत्ति	%	100	101	111	115	115

कच्चे माल की उच्च कीमतें

cxviii. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि कच्चे माल की उच्च कीमतों और अस्थिरता ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित की है, निराधार असत्य और घरेलू उद्योग द्वारा झुटलाया हुआ है।

cxix. जांच की अवधि के दौरान कच्चे माल की कीमतों में सर्वत्र वृद्धि हो रही थी तथापि कच्चे माल की कीमतों में वैश्विक वृद्धि होने के बावजूद आयात कीमतों में लागत में वृद्धि के बावजूद वृद्धि नहीं हुई और विचाराधीन उत्पाद का भारत में निर्माण और बिक्री करने में भारी बढ़ोतरी हुई। भारत एक कीमत सम्मेलन शील देश है इसलिए संपूर्ण देश में कम कीमत वाले आयातों का स्वागत किया गया है।

चीन से आयात

cxx. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि केवल चीन से होने वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अन्यायोचित, त्रुटिपूर्ण है और इसलिए उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। यूरोपियन यूनियन से आयातों ने वर्ष 2012-13 में चीन से आयातों की तुलना में तीव्र वृद्धि प्रदर्शित की है और तब से यह लगातार बढ़ रही है। भारतीय बाजार में कई अन्य स्रोतो से भी आयात हो सकते है। भारतीय बाजार विभिन्न स्रोतों से आयात के लिए संवेदनशील भी है और इसलिए ईयू, यूएस, इंडोनेशिया और मैक्सिकों द्वारा लगाये गये व्यापार उपचारी कार्यो का भारत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

घरेलू उद्योग द्वारा दायर पाटन रोधी अनुप्रयोग

cxxi. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों लगातार यह आरोप रहा कि घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है जिसमें घरेलू उद्योग को कारित क्षति और पाटित आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

cxxii. केवल यह तथ्य कि वित्त वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 01 अप्रैल, 2008 से 30 जून, 2009 में भी कथित पाटन हुआ था जिसमें वर्तमान अवधि के 3 माह साझा है उनकी जांच से कोई संगतता नहीं है।

cxxiii. उक्त अवधि में वास्तविक पाटन से संबंधित जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नही की गई थी और उक्त जांच को पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किये बिना समाप्त कर दिया गया।

cxxiv. पाटनरोधी और रक्षोपाय उपचार दोनों को बिना किसी पूर्वाग्रह के लगाया जा सकता है और पाटनरोधी तथा रक्षोपाय शुल्क साथ-साथ लगाये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह तथ्य भारत में कास्टिक सोडा के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच के दिनांक 9 अप्रैल, 2010 के अंतिम जांच परिणाम तथा थैलिक इनहाइड्राइड के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच-अंतिम जांच परिणाम दिनांक 29 मार्च, 2012 सहित विभिन्न जांचों में भारित किया गया है।

समायोजन योजना

cxxv. दिनांक 29.8.2013 के पत्र के तहत घरेलू उद्योग ने विभिन्न कंपनियों के लिए समायोजन योजना उपलब्ध करायी। घरेलू उद्योग ने सकारात्मक समायोजन सुलभ बनाने के उद्देश्य से विशिष्ट लागत कमी साधन के संबंध में विशिष्ट कार्य प्रदान कराये है और अधिनियम के अंतर्गत तथा रक्षोपाय शुल्क नियमावली के अंतर्गत जरुरत का पूरा अनुपालन किया है।

cxxvi. यह प्रस्तुतिकरण कि समायोजन योजना केवल ढांचागत परिवर्तन के लिए है, सही नहीं है। सोसिंग में सुधार करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत उपाय स्पष्टत: सकारात्मक समायोजन सुलभ बनायेंगे तथा संबद्ध वस्तु के आयातों से प्रतिस्पर्धा करेंगे।

cxxvii. रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग द्वारा सहन की जा रही गंभीर क्षति का उपचार करना और संबद्ध वस्तु के आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सकारात्मक समायोजन सुलभ बनाने हेतु प्रयास करना है। अत: यह दावा कि सकारात्मक समायोजन सुलभ बनाने के लिए प्रस्तावित उपाय स्वयं पैदा की गई क्षति के संकेतक है और यह न केवल अतारिक है और संपूर्ण रक्षोपाय जांच प्रक्रिया का गलत प्रतिनिधित्व करती है परंतु इसमें रक्षोपाय विधि के एक महत्वपूर्ण भाग का अभाव इंगित होता है।

cxxviii. कतिपय दुग्ध उत्पदों के आयात पर निर्णायक रक्षोपाय शुल्क-कोरिया में पैंनल ने अपनी रिपोर्ट में यह धारित किया है कि

7.108 हम यहां यह स्पष्ट कर देना चाहते है कि हम अनुच्छेद 5.1 की वयाख्या प्रदान नहीं करते है जिसमें प्राधिकारियों द्वारा समयोजन योजना पर विचार करना आवश्यक होता है जैसा कि यूरापिय समुदाय द्वारा स्पष्ट किया गया है। पैनल को ऐसी कोई जरुरत प्राप्त नहीं होती है कि समायोजन योजना को पुटअप करना चाहिए और उस पर रक्षोपाय करार के पाठ के अनुरुप विचार करना चाहिए। यद्यपि दो या अधिक प्रावधानों में उद्योग समायोजन का उल्लेख है परंतु रक्षोपाय करार के पाठ में ऐसा कोई उल्लेख नहीं दिया गया है कि समायोजन योजना को अंगीकार किया जाना चाहिए। बल्कि हमारा विश्वास है कि समायोजन का प्रश्न तथा उसके साथ-साथ गंभीर क्षति का निर्वारण करने या उपचार करना प्राधिकारियों के तर्क संगत स्पष्टीकरण का पाठ होना चाहिए।

जनहित

cxxix. घरेलू उद्योग ने घरेलू उपयोगकर्ता सेक्टर की सहायता करने की क्षमता विकसित कर ली है और यह तकनीकी उन्नयन और मानव संसाधन विकास पर भारी निवेश से संभव हुआ है। घरेलू उद्योग नाजुक स्तर पर है और उसे अक्रामिक विपणन तथा कम कीमत के आयातों के कारण होने वाले पतन से बचाने के लिए तत्काल राहत की जरुरत है।

cxxx. कम कीमत वाले आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग को निम्नलिखित रुप में अपूर्णीय क्षति होगी

क.रोजगार को नुकसान घरेलू उत्पादक निर्यातों की तुलना में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह का रोजगार प्रदान कराते है। यदि कोई रक्षोपाय संरक्षण नहीं लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग के पास भारी पैमाने पर छटनी के करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता है।

ख. करों के कारण सरकार को राजस्व घाटा: संबद्ध वस्तु के बढ़ते आयातों द्वारा कारित घरेलू उद्योग के लाभप्रदायकता में गिरावट और कम वित्तीय निष्पादन हुआ है इसके कारण कंपनी द्वारा प्रदान किये जाने वाले कर पर प्रभाव पड़ा है और सरकार को वित्तीय घाटा हुआ है।

ग. बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का बढ़ता हुआ आउटफ्लो सरकार को राजस्व घाटा और विदेशी मुद्रा का आउटफ्लो वह दुधारी तलवार की तरह है जिससे जनता के हितों को दीर्घकालिक अहित होगा।

cxxxi. घरेलू उद्योग विद्युत एवं तेल अन्वेषण का आधार स्तंभ है और यह स्वदेशी रुप से मान को पूरा करता है।

ओएनजीसी पर प्रभाव

cxxxii. अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है कि सीमलेस उत्पादों का आयात वार्षिकीकृत आधार पर केवल 2.3 प्रतिशत है और इसका समग्र प्रभाव नगण्य रहेगा खासकर इसकी लाभप्रदायकता पर जो इस समय 209 विलियन है।

बैरिंग उद्योग पर प्रभाव

cxxxiii. बैरिंग उद्योग पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा है- एसकेएफ को, भारत में सबसे बड़ी कंपनी होने के नाते आदर्श के रुप में माना गया है। बैरिंग उद्योग लाभदायक है और रक्षोपाय शुल्क के कारण इसे और भी लाभ होने की संभावना है।

cxxxiv. सोडियम नाइट्राइट के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच के मामले में अंतिम जांच परिणाम में दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को महानिदेशक रक्षोपाय ने यह जांच कि इससे जनहित होगा और इस कारण उन्होंने रक्षोपाय शुल्क लगाने की सिफारिश कर दी। घरेलू उद्योग द्वारा भी समान विश्लेषण प्रस्तुत किया गया जो स्पष्टत दर्शाता है कि रक्षोपाय

शुल्क का अंतिम प्रयोक्ता और उपभोक्ता पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा और इससे प्रयोक्ता उद्योग को ज्यादा नुकसान नहीं होगा।

cxxxv. ऐसा ज्ञात है कि एनईआई अपने उत्पादों का कीमत निर्धारण करने, और अपना बाजार हिस्सा बनाये रखने तथा अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने की जरुरत है। अपने दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 के पत्र के बिंदु 2 पर एनईआई ने अपने ग्राहकों के लिए बड़े चुनिंदा रुप से सूचना प्रदान करायी इसलिए मैसर्स एनईआई द्वारा 18 दिसम्बर, 2013 के उक्त पत्राचार पर भरोसा कर लिया जाना चाहिए।

cxxxvi. एक अन्य भारतीय बैंरिंग कंपनी की कीमत सूची यह दर्शाती है कि वही बैरिंग, जिसकी बिक्री एनईआई द्वारा की जाती है, मैसर्स एनईआई द्वारा प्रकट की गई कीमत मैसर्स एनईआई द्वारा उदृत कीमत से तीन गुना ज्यादा है। उसे अनुबंध-1 (गोपनीय) के रुप में संलग्न किया जा रहा है। उपयुक्त तथ्य मैसर्स एनईआई द्वारा प्रदान करायी गई सूचना की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लगा देता है।

cxxxvii. घरेलू उद्योग ने मैसर्स एसकेएफ की कीमत सूची पर भरोसा किया है। उपयुक्त कीमत सूची बाजार अनुकूल कीमत सूची है। स्पष्टत: एनईआई द्वारा प्रदान करायी गई सूचना भरोसेमंद नहीं है और उसे नकार देना चाहिए।

cxxxviii. समस्त संगत विश्लेषण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो स्पष्टत: यह उल्लेख करता है कि रक्षोपाय शुल्क का अंतिम प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा तथा अन्य उद्योगों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा तथापि तत्काल रक्षोपाय शुल्क संरक्षण के अभाव में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति सहन करनी पड़ेगी।

जांच एवं जांच परिणाम

15. मैने इस मामले के रिकार्डो और घरेलू उत्पादकों, प्रयोक्ताओं/आयातकों, निर्यातकों और निर्यातक सरकार द्वारा दायर उत्तरों, की जांच की है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरणों और उनसे उत्पन्न मुद्दों का इस जांच परिणाम में उचित स्थानों पर निराकरण किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध की जांच घरेलू विधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय विधियों के संदर्भ में की गई। तदनुसार जांच परिणाम निकाले गये।

16. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का विवरण देती है। धारा8ख (1) ने केन्द्र सकार द्वारा किसी वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का प्रावधान है यदि उस वस्तु का भारत में आयात ऐसे संदर्भित मात्रा और ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाता है जिससे कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही हो।

17. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की जांच और आकलन) नियमावली, 1997 में जांच की शासित करने वाले सिद्धांत और ढंग का प्रावधान है। यह नियम सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के अंतर्गत बनाये गये है। मुझे इन नियमों के अंतर्गत विधि के अनुसार रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है।

रक्षोपाय करार के प्रावधान और डब्ल्यूटीओ निकायो के निर्णय पर उचित स्थानों पर चर्चा की गई है/उल्लेख किया गया है। यह जांच उक्त नियमों के अनुसार की गई है और अंतिम जांच परिणाम इस अधिसूचना में रिकार्ड किया गया है।

18. रक्षोपाय अवधि का विस्तार सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 11(1) के अनुसार महानिदेशक रक्षोपाय जांच प्रारंभ होने के 8 माह के अंदर या ऐसे संवर्धित अवधि के अंदर जिसकी केन्द्रीय सरकार अनुमति दे अंतिम जांच परिणाम जारी करेंगे। इस मामले में जांच शुरुआत का नोटिस 22.4.2012 को जारी किया गया था और इस प्रकार अंतिम जांच परिणाम जारी करने कि अंतिम तारीख 21.12.2013 या उससे पहले थी । तथापि निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन होने के कारण 12.12.2013 को द्वितीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। चूंकि सभी विचारो और प्रतिविचारों पर शेष समयावधि के अंतर्गत जांच करना संभव नहीं था इसलिए केन्द्रीय सरकार से 3 महीनों का अर्थात इस 21.3.2014 तक का समय विस्तार करने की केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है।

कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि ना तो उन्हें और ना ही उनके भारत स्थित विधिक प्रतिनिधि ने इस मामले में अंतिम जांच परिणाम जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय विस्तार प्रदान करने के संबंध में कोई पत्राचार प्राप्त हुआ है और उक्त 8 महीने के अंदर अंतिम जांच परिणाम जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये समय विस्तार की अनुपस्थिति में यह जांच समयबाधित हो जाती है और महानिदेशक रक्षोपाय को यह जांच जारी रखने का कोई अधिकार या संस्थिति नहीं है।

यह नोट किया जाए कि समय अवधि का विस्तार करना केन्द्रीय सरकार का एक प्रशासनिक निर्णय है और रक्षोपाय नियमावली के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो केन्द्रीय सरकार को ऐसे विस्तार की अधिसूचना व्यक्तिगत पक्षकारों को देने के लिए विधिक रुप से बाध्य करता हो। यह तथ्य कि 8 महीनों की अवधि के अंदर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय विस्तार की अनुमति दे दी गई थी और उसके पश्चात इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई थी और उसे सीबीईसी की व्यवसाइट पर अपलोड कर दिया था जो रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 11 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और इसलिए इस तर्क में कोई गुण नहीं है कि वर्तमान जांच समयबाधित हो गई है।

19. क्रियापद्धति और सूचना का स्रोत

वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद से संबंधित आयात आंकड़े लेनदेन वार आंकड़े डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त किये गये थे और अप्रैल, 2013 से जून, 2013-14 (उत्पादन और बिक्री) के आंकड़े आवेदक द्वारा प्रदान कराये गये है। आयात आंकड़ों का स्रोत डीजीसीआई एंड एस है। वर्ष 2012-13 तक वार्षिक आयात आंकड़ों के लिए डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों पर भरोसा किया गया। वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए लेनदेन वार आयात आंकड़े आवेदनकर्ता द्वारा प्रदान कराये गये। आवेदक ने दावा किया कि संबद्ध वस्तु का आयात कई अन्य वर्गीकरणों के अंतर्गत ही किया जाता है। घरेलू उद्योग ने क्रियाविधि और प्रतिरुप संव्यवहार का पूर्ण प्रकटन अपने आवेदन पत्र के अनुबंध-5 में विचाराधीन उत्पाद के आयात आंकड़ों के एक भाग के रुप में संव्यवहार पर विचार करने की एक प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009-10 से 2012-13 (दिसम्बर) की अवधि के लिए अन्य रक्षोपाय आर्थिक पैरामीटरों से संबंधित आंकड़े का सत्यापन याचिकाकर्ता के केन्द्रीय उत्पाद कर रिकार्डो से जरुरी समझी गई सीमा तक किया गया और आवेदक की यूनिट का स्थल सत्यापन किया गया तथा जांच की अवधि के लिए इस तरह सत्यापित आंकड़ों पर क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया गया। वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही और 2013-14 की पहली तिमाही के लिए आंकड़े आवेदक द्वारा पहली जन सुनवाई के पश्चात यथा प्रस्तुत के रुप में लिये गये। 3 वर्षों या उससे अधिक के आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 के नियम 5 (2) और व्यापार नोटिस सं. एसजी/टीएन/1/97, दिनांक 6.9.1997 के अंतर्गत प्रदान कराये गये स्वरुप और ढंग में दिये गये। सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ सभी संबंधितों के लिए सार्वजनिक फाइल में रख दिया गया।

जहां तक एनईआई के इस दावे का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़े अध्याय शीर्षक 73.06, 73.04 और 98.01 के अंतर्गत दिये गये आंकड़े बाह्य है, इस बारे में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के आयातों की प्रवृष्टियों को अध्याय शीर्षक 73.06, 98.01 और 73.04 के अंतर्गत भी जांच की गई। अत: इन सभी प्रविष्टियों को आयात आंकड़ों में शामिल कर लिया गया। जांच शुरुआत नोटिस और याचिका में स्पष्टत: और निश्चित रुप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे का उल्लेख है और जांच शुरुआत नोटिस और याचिका में प्रदान कराये गये विभिन्न अध्याय शीर्षक केवल विभिन्न शीर्षकों के संकात्मक है जिनके अंतर्गत उस वस्तु का आयात किया जा सकता है और वे किसी भी रुप में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

20. जांच की अवधि

सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997, रक्षोपाय करार और जीएटीटी के संगत अनुच्छेद-19 में विशेष रुप से यह उल्लेख नहीं किया गया है कि जांच की अवधि क्या होनी चाहिए। मेरा विचार है कि भारत में विधि सक्षम प्राधिकारी को यह विवेक प्रदान करती है कि वह अवधि उस लंबाई का निर्णय करें जिसके अंतर्गत वह संवर्धित आयातों और अन्य कारकों जिनसे गंभीर क्षति हुई है के बारे में उचित तुलना कर सके। वास्तव में इस विवेक का सोच समझ कर प्रयोग किया जाना चाहिए।

जांच के अवधि के मुद्दे को अर्जेंटिना फूटवीयर मामलें में पैनल रिपोर्ट द्वारा व्यापक ढंग से निपटाया गया है जो निम्नलिखित है।

अर्जेंटिना-फूटवियर के आयातों पर रक्षोपाय साधन; पैनल की रिपोर्ट (डब्ल्यूटी/डीएस121/आर दिनांक 25.6.1999)

8.216 "जांच के संबंध में उद्योग की स्थिति में परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु की तुलना पर अन्न भरोसा किया जाए, हमारी भी संवर्धित आयातों का विश्लेषण करने के संबंध में चिंता वही थी जो ऊपर नोट की गई। यहां हम विशेष रुप से यह नोट करते है कि यदि अंत:स्थ प्रवृत्तियों पर व्यवस्थित रुप से विचार नहीं किया गया और विश्लेषण में ऊपर अलग-अलग नहीं विचार किया गया तो सक्षम प्राधिकारी सभी संगत कारकों का विश्लेषण करने की अनुच्छेद 4.2 में दी गई अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है और इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग की स्थिति का पूर्णतया निर्धारण नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए घरेलू उद्योग की स्थिति इसका उत्पादन 1 वर्ष के अंदर कम हो गया औ उसके बाद उसमें धीरे-धीरे सुधार

हुआ यद्यपि यह सुधार शुरुआती अवसर से अभी कम है तो यह स्थिति उद्योग की उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होगी जिसका उत्पादन विस्तार अवधि के अंदर निरंतर गिरता रहा है। हो सकता है कि इन दोनों मामलों में अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु का विश्लेषण समान हो परंतु वर्ष दर वर्ष परिवर्तनों और प्रवृत्तियों से हो सकता है बिल्कुल भिन्न निष्कर्ष निकले।

8.217 हमारा विश्वास है कि जांच अवधि के दौरान विभिन्न क्षतिकारकों में परिवर्तन पर विचार करना यह निर्धारण करने के लिए अनिवार्य है कि क्या किसी उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या गंभीर क्षति की चुनौती आसन्न है। अंत:स्थ परिस्थितियों पर विचार किये बिना अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु की तुलना करने पर हो सकता है कि सभी अपेक्षित कारकों का पूर्ण मूल्यांकन न हो सके।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि रक्षोपाय करार के प्रावधानों में जांच की अवधि के संबंध में कोई विशिष्ट दिशा निर्देश नहीं है। अपीलीय निकाय ने अपना निर्णय निश्छल रुप से दिया कि संगत जांच अवधि ना केवल अत्यधिक अभिनव विगत में समाप्त होनी चाहिए बल्कि जांच अवधि में अभिनव विगत भी शामिल होना चाहिए।

वर्तमान मामले में जांच शुरुआत का नोटिस 22.4.2013 को जारी किया गया इसमें प्राथमिकता वर्ष 2012-13 (दिसम्बर) तक के आंकड़े शामिल थे। तदुपरांत पहली सार्वजनिक सुनवाई के बाद घरेलू उद्योग से कहा गया कि वह वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही और वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही के आंकड़े भी प्रदान करेंगे। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों को सभी हितबद्ध पक्षकारों में परिचालित किया गया और उन्हें सार्वजनिक फाइल में भी रखा गया। इस तरह प्राप्त सभी सूचना, जिसमें सर्वाधिक अभिनव सूचना भी शामिल थी, पर विश्लेषण के लिए विचार किया जा रहा है।

सीजनल परिवर्तनों को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से पर्याप्त दीर्घ अवधि के आंकड़े अर्थात वित्त वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक के आंकड़ों का क्षति विश्लेषण के लिए जांच की अवधि के रुप में विचार किया गया है।

उपर्युक्त को देखते हुए मैं अनुभव करता हूं कि जांच की अवधि घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त दीर्घ है।

21. विचाराधीन उत्पाद

विचारधीन उत्पाद है 'लौह, अलाय या गैर अलाय स्टील (ढलवा लोहा और स्टेनलेस स्टील के अलावा) के ट्यूब, पाइप और हालो प्रोफाइल, सीमलेस, हाट फिनिस्ड या कोल्ड ड्रान या कोल्ड रोल्ड जिनका बाह्य व्यास 273.1 एमएम (ओडी) से अधिक न हो और जिनकी क्षमता संगत मानकों के अंतर्गत यथानिर्धारित हो (जिसे एतद्पश्चात सीमलेस पाइप और ट्यूब कहा गया है) परंतु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है।

1. सीमलेस स्टील अलाय पाइप, टयूब और हालो प्रोफाइल एएसटीएम ए213/एएसएमई एसए 213 और एएसटीएम ए355/एएसएमई एसए 335 विनिर्देशन या समकक्ष बीआईएस/डीआईएन/बीएस/ईएन या कोई अन्य समकक्ष विनिर्दिशन ।

2. नान एपीआई और पेटेंटेड प्रीमियम ज्वाइंट/प्रीमियम कनेक्शन / प्रीमियम थ्रेडेड टयूब और पाइप जिनका ग्रेड क्यू-125, 13सीआर, एल-80, पी-110, सी-90, सी-95,टी-90 और टी-95 को।

3. 13 क्रोमियम (13सीआर) ग्रेडों के सभी टयूब और पाइप जो उपर्युक्त (2) में शामिल न हो।

4. ड्रिल कालर

विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क उपशीर्षक सं.73.04 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न वर्गीकरणों की एक संकेतात्मक सूची जिसके अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद को संभवत: वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित दी गई है जैसाकि 8 अंकीय स्तर वर्गीकरण के अंतर्गत आयातित हो:-

73041910; 73041920; 73041990; 73042310; 73042390; 73042910; 73042990; 73043111; 73043119; 73043121; 73043129; 73043131; 73043139; 73043911; 73043919; 73043921; 73043929; 73043931; 73043939; 73045110; 73045120; 73045130; 73045910;73045920; 73045930; 73049000.

सीमलेस ट्यूब स्टील बार्स/बिलेट के हालो सेक्शन होते है और उनका उत्पादन हाट रोलिंग टेक्नॉलाजी और कोल्ड डान टेक्नालाजी से किया जाता है। टयूब और पाइपों का विनिर्माण विभिन्न प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विनिदेशन जैसे

एपीआई/एएसटीएम/एएसएमई/बीएस/जेआईएस/डीआईएन/ईएन आदि की संपुष्टि में किया जाता है। यह विनिर्देशन उत्पाद में अंतरग्रस्त रसायन और यांत्रिक गुणधर्मो का विनिर्देशन करते है। विनिर्माण प्रक्रिया जैसे हाट फिनिस्ड या कोल्ड फिनिस्ड/कोल्ड ड्रान का प्रयोग विनिर्देशनों द्वारा अपेक्षित अंतिम गुणधर्म पर पहुंचने के लिए किया जाता है।

(क) विचाराधीन उत्पाद का दायरा व्यापक/दीर्घ है:

कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा बहुत व्यापक/दीर्घ है और यह कि इन उत्पादों का भिन्न अंतिम प्रयोग होता है और डीआई ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पाद दायरे में कई ऐस उत्पादों को शामिल कर रखा है जिन्हें उनके द्वारा विनिर्मित/उत्पादित नहीं किया जाता है। उत्पाद के वह सभी प्रकार जिनके लिए हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन की मांग की है, को अधोलिखित अपवर्जन तालिका में एक साथ दर्शाया गया है।

निम्नलिखित ग्रेडों का जांच के दायरे से अपवर्जन करने के दावे के संबंध में मुद्दे का विश्लेषण किया गया। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मांगे गये विभिन्न प्रकार के अपवर्जन के बारे में सूचना युक्त अपवर्जन तालिका और घरेलू उद्योग द्वारा मूर्त साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत को निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

वह ग्रेड जिनके लिए विभिन्न पक्षकारों द्वारा जांच के दौरान अपवर्जन की मांग की गई है।

अपवर्जन तालिका-क

अपवर्जन के लिए उद्योग अनुरोध	वह ग्रेड जिसके लिए अपवर्जन की मांग की गई	घरेलू उद्योग द्वारा ग्रेडों के संबंध में प्रदान किया गया साक्ष्य
बीएचईएल	राइफल्ड टयूब	बीएचईएल को की गई बिक्री का बीजक सं.***** 16.01.2011
एनईआई, निप्पन स्टील, जेएफई स्टील कारपोरेशन और शैन्यों स्पेशल सूटील	एसएई5210	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 14.12.2013
	एसएई 8720	सैम्पल बीजक सं.****** दिनांक 30.4.2013 तथापि पिछले चार वर्षों में प्रस्तुत नहीं किया गया।
	एसयूजे3	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 31.3.2013
सीआईएसए रामा सिलेण्डर	गैस सिलेण्डर 34सीआरएमओ4	दिनांक 26.3.2013 का क्रय आदेश और सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 24.5.2012
मर्टेक्स यू के लिमिटेड	4-1/2" टयूबिंग	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 14.5.2013
	एल-80	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 26.8.2012
	एन-80	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 20.1.2013
	पी-110	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 8.2.2012
	सी-95	दावा किया गया कि उनके पास इस ग्रेड का उत्पादन करने की क्षमता और सक्षमता है। परंतु पिछले 4 वर्षों

		में उसका उत्पादन नहीं किया।
	क्यू-125	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 21.7.2012
	जे-55	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 28.2.2013
निप्पन स्टील, जेएफई स्टील कारपोरेशन और शैन्यों स्पेशल स्टील	9-5/8" केसिंग पाइपों के उच्चतर ग्रेड	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 10.6.2013, 30.11.2012
मैसर्स रत्नद्वीप लिमिटेड	सभी एचएस कोडों में 42 एमएम से नीचे के सभी आकार	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 30.1.2013
निप्पन स्टील, जेएफई स्टील कारपोरेशन और शैन्यों स्पेशल स्टील	नीडल रोलर बैंरिंग ग्रेड जेआईएस जी-3441, एससीएम 415टीके	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 30.12.2012/18.5.2013
निप्पन स्टील, जेएफई स्टील कारपोरेशन और शैन्यों स्पेशल स्टील	क्रेन एसएम-एसटीआर 80-क्यूए, एसएम-एसटीआर 80-क्यूसी के लिए यांत्रिक टयूब जिनका ओडी 42.7 एमएम से 406.4 एमएम हो	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 13.3.2013
बैलोर्स मनेंसमान टयूब्स निप्पन स्टील, जेएफई स्टील कारपोरेशन और शैन्यों स्पेशल स्टील	अभितटीय अनुप्रयोगों के लिए स्टेनलेस स्टील पाइप (परियोजना लाइन पाइप)	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 7.3.2012
	ओसीटीजी टयूब	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 6.8.2011
	ड्रिल पाइप	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 29.10.2013
	बायलर टयूब	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 8.12.2013/ 19.4.2013
	लाइन पाइप	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 14.9.2009/ 8.11.2012
	बैरिंग के लिए यांत्रिक टयूब	सैम्पल बीजक सं.**** दिनांक 25.4.2012

*** गोपनीयता का दावा किया गया

उपर्युक्त को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग ने बैंरिंग ग्रेडों के बीजक (एसएई-52100, एसएई 8720, एसयूजे3), एल-80 एन-80, पी-110, क्यू-125,जे-55, 34सीआरएमओ4, राफल्ड टयूब के रुप में साक्ष्य प्रस्तुत किया है और गैस सिलेण्डर के परीक्षण आदेश के बीजक जिनसे यह संकेत मिलता है कि वे विभिन्न ग्रेडों और आकारों में आयात की जा रही पीयूसी का उत्पादन करने की क्षमता रखते है। मैसर्स रामा सिलेण्डर (हितबद्ध पक्षकार) ने दिनांक 23.5.2013 के विस्फोटक, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के उपमुख्य नियंत्रक से प्राप्त पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया कि घरेलू उद्योग उच्च दाव गैस सिलेण्डरों का उत्पादन करने में सक्ष्म नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों यह भी उल्लेख किया कि कोई भी इंडियन टयूब मिल सीमलेस स्टील टयूब का प्रस्ताव करने या अलाय स्टील के स्टील ग्रेड जैसे 34सीआरएमओ4 और सिलेण्डर-टयूब के लिए उस तकनीकी विनिर्देशन जिसके लिए भारतीय मानक ब्यूरों और मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है का विनिर्माण नहीं करते हैं। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत बीजक से यह ज्ञात हुआ कि घरेलू उद्योग न केवल 34सीआरएमओ4 का उत्पादन किया बल्कि उन्होंने 37एमएन ग्रेड के गैस सिलेण्डरों के लिए

परीक्षण ऑडर भी प्राप्त किया। जहां तक एसएई 8720 और सी-95 का संबंध है, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उनके पास उन ग्रेडों का उत्पादन करने की क्षमता है परंतु उन्होंने पिछले 4 वर्षों से इन ग्रेडों का उत्पादन नहीं किया है। तथापि यह इंगित किया गयाकि ग्रेडों से संबंधित आंकड़ों पर उत्पाद के दायरे के अंतर्गत विचार नहीं किया गया है। जहां तक 42एमएम ओडी, सभी एचएस कोड से कम आकार का अपवर्जन करने का संबंध है, मैसर्स रत्नद्वीप लिमिटेड ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता प्रदाय में दीर्घ समय लेता है और इसलिए इन सभी आकारों का अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए। तथापि उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया याचिकाकर्ता के पास इस आकार के सीमलेस पाइप और टयूब का उत्पादन करने की क्षमता नहीं है अथवा वे उक्त वस्तु उत्पादित करने में असफल रहे है।

अत:, ऐसा प्रतित होता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई विशिष्ट साक्ष्य नहीं दिया है जो यह दर्शाता हो कि किसी विशिष्ट प्रकार के पीयूसी का जिसका आयात किया जा रहा है घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता है इसलिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे में कमी करने के हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का समर्थन किसी मूर्त तथ्य/साक्ष्य से नहीं होता है और यह स्वीकार नहीं है जबकि घरेलू उद्योग ने पीयूसी के विभिन्न प्रयोक्ताओं को इन उतपादों की आपूर्ति करने और उनका उत्पादन करने का साक्ष्य दिये है।

ख. समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद

इस तर्क के विपरित की विचाराधीन के उत्पाद उत्पादों का एक समूह है और क्या आयातित उत्पादों का समूह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों के समूह के समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी है, यह सिद्ध करना जरुरी नहीं है कि ग्रुप का प्रत्येक उत्पाद ग्रुप के अन्य सभी उत्पादों के समान या प्रतिस्पर्धी उत्पाद को। इसके विपरीत यह देखा जाना चाहिए कि क्या प्रत्येक आयातित उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद है।

यह देखा गया कि पीयूसी में समान प्रकृति और समान मूल के कई उत्पाद है। इन शीर्षकों के अंतर्गत आने वाले आयातित उत्पाद 8 अंकीय स्तर के है और वे तकनीकी विर्निदेशन, रसायनिक संघठन और अन्य मूल तत्वों के रुप में एक समान है। इन सभी उत्पादों का प्रयोग भी समान है। यह आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ऐसे उत्पादों से प्रत्यक्षत प्रतिस्पर्धा करते है अथवा उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की उनमें क्षमता है। गुणवत्ता और कीमत के रुप में इनमें कुछ लघु अंतर भी हो सकता है परंतु इन उत्पादों के समान आधारभूत भौतिक गुणधर्म और समान अंतिम प्रयोग है। तदनुसार हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के विपरीत कि विचाराधीन उत्पाद एक उत्पाद समूह है जिसमें विभिन्न ग्रेडों और आकार के सीमलेस पाइप और टयूब शामिल है, यह पाया गया कि हितबद्ध पक्षकारों की चिंता पीयूसी से बने अंतिम उत्पादों के संबंध में है न कि पीयूसी के संबंध। इसके अतिरिक्त चूंकि घरेलू उद्योग लगभग समान ग्रेड और आकार के सीमलेस पाइप और टयूब का उत्पादन करता है इसलिए वे रक्षोपाय जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद है।

ग. एक देश से अल्पमात्रा में आयातित होने के कारण अपवर्जन

जहां तक सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख (1) के परंतुक के अंतर्गत जापान की वस्तुओं का अपवर्जन करने के लिए की गई मांग का संबंध है, यह नोट किया जाना चाहिए कि रक्षोपाय नियमों के अंतर्गत मात्रा प्रतिबंधों को विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 की धारा 9क के अंतर्गत विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) संशोधित अधिनियम, 2010 के तहत अधिसूचित किया गया है। अत: जापान से वस्तुओं का सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनिमय, 1975 की धारा 8ख (1) के परंतुक के अंतर्गत अपवर्जन करने के लिए की गई मांग रक्षोपाय सामान्य नियमावली के अंतर्गत स्वीकार नहीं है और उसे रक्षोपाय साधन (परिमाणात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 के अंतर्गत पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है जिसके लिए सक्षम निर्दिष्ट प्राधिकारी अपर महानिदेशक विदेश व्यापार हैं।

घ. ग्रेड/प्रयोग के अनुसार पीयूसी का क्षति विश्लेषण

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि उत्पाद की प्रत्येक श्रेणी का विश्लेषण किया जाना चाहिए। इस मुद्दे की जांच की गई है। इस जांच में भरोसा किये गये लेनदेन वार डीजीसीआईएस आयात आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि पीयूसी अध्याय शीर्षकों के अंतर्गत कई प्रविष्टियां ऐसी है जहां उत्पाद का विवरण बिना किसी ग्रेड के किया गया है जैसे सीमलेस पाइप/टयूब या बैरिंग ग्रेड टयूब का केवल उल्लेख कर दिया गया है। अत: केवल उन ग्रेडों को शामिल करना जहां विशिष्ट ग्रेड या उत्पाद नाम का उल्लेख है से सीमलेस पाइप और टयूबों के आयात की प्रमात्रा की स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आयेगी और इस कारण आंशिक सूचना के आधार पर किया गया कोई विश्लेषण रक्षोपाय जांच के प्रयोजनार्थ गलत होगा।

ड. ईआरडब्ल्यू पाइपों का पीयूसी में समावेशन

एक हितबद्ध पक्षकार ने यह दावा किया है कि संपूर्ण विश्व में इलैक्टिकल अवरोध बेलडिंग का प्रयोग करके विनिर्मित बेलडेड टयूब और पाइप का प्रयोग अंतपरिवर्तनीय रुप से सीमलेस टयूब और पाइपों के लिए किया जाता है जैसे कि तेल और गैस अन्वेषण और परिवहन। उन्होंने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरु की गई जांच का भी उल्लेख किया है जहां यूएस ने बेलडड टयूब और पाइप को सीमलेस टयूब और पाइप के समान माना है।

इस मुद्दे की जांच की गई। ईआरडब्ल्यू तथा सीमलेस पाइप और टयूब की विनिर्माण प्रक्रिया भिन्न है। ईआरडब्ल्यू पाइप का निर्माण रोलिंग मेटल द्वारा किया जाता है जबकि सीमलेस पाइप का निर्माण मेटल का वांछित लम्बाई में विस्तार करके किया जाता है। ईआरडब्ल्यू पाइप में इसके क्रास-सेक्शन में बेलडेड ज्वांइट होता है जबकि सीमलेस पाइप में इसकी लम्बाई में कहीं भी जोर नहीं होता है। सीमलेस और ईआरडब्ल्यू पाइप का विनिर्माण करने के लिए अपेक्षित आधार भूत कच्ची सामग्री भी भिन्न होती है। सीमलेस पाइप में सीमलेस पाइप का निर्माण करने के लिए स्टील राउंड बिलेट की जरुरत पड़ती है जबकि ईआरडब्ल्यू का निर्माण करने के लिए स्ट्रीप/प्लेट/क्वायल की जरुरत पड़ती है इसके अतिरिक्त दोनों मामलों में पीयूसी अलग-अलग है।

सीमलेस पाइप का प्रयोग मुख्यत: उच्चदाव अनुप्रयोगों के लिए होता है जैसे तेल एवं गैस खोज और ड्रिलिंग, तेल एवं गैस परिवहन, हाइड्रोकार्बन उद्योग और रिफाइनरी तथा एयर और हाइड्रोलिक सिलेण्डर बैरिंग, बायलर, आटोमोबाइल आदि। ईआरडब्ल्यू पाइप का प्रयोग न्यून/मध्यम दाब अनुप्रयोगों के लिए होता है जैसे पानी/तेल का परिवहन।

यह नोटिस किया जाता है कि अनुप्रयोगों के आधार पर पाइप का चयन किया जाता है। सामान्यत: ईआरडब्लू और एसएडब्लू पाइपों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तथापि कुछ ऐसे अनुप्रयोग है जहां सीमलेस पाइपों को ईआरडब्ल्यू पाइपों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अनुप्रयोग में सीमलेस पाइप के स्थान पर ईआरडब्ल्यू पाइप का प्रयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त सामान्यत: भी सीमलेस पाइप ईआरडब्लू पाइप को सामान्य नहीं माना जाता है। घरेलू उद्योग ने ऐसे साक्ष्य दिये है जहां निविदाओं में साफ-साफ स्पष्ट कर दिया कि सीमलेस पाइप या ईआरडब्ल्यू पाइप अपेक्षित है।

यह भी नोटिस किया जाता है कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग ने केवल सीमलेस पाइप और टयूब पर रक्षोपाय शुल्क पर अधिरोपित करने के लिए याचिकादायर की है और किसी भी भारतीय प्रयोक्ता उद्योग जैसे भेल, ओएनजीसी, बैरिंग उद्योग ने सीआईएसए के तर्क का समर्थन नहीं किया है। इसलिए ऐसी मद पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना जिसकी याचिका में मांग नहीं की गई है ईआरडब्ल्यू पाइप के आयातकों/प्रयोगकर्ता उद्योगों के लिए अनुचित होगा।

इस तथ्य के आलोक में कि ईआरडब्ल्यू पाइप और सीमलेस पाइप का उत्पादन करने की विनिर्माण प्रक्रिया भिन्न है, उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री भिन्न है, वे वर्गीकरण के लिए भिन्न प्रशुल्क शीर्षकों के अंतर्गत आते है और यह कि ईआरडब्ल्यू पाइप को प्रत्येक अनुप्रयोग के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। जहां सीमलेस पाइप का प्रयोग होता है, वहां सीमलेस पाइप और टयूब को इस जांच के प्रयोजनार्थ अलग उत्पाद माना गया है। इस मामले में ईआरडब्ल्यू पाइप सीमलेस पाइप के ना तो समान है न ही प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी।

(च) गुणवत्ता मुद्दा, ओएनजीसी एवं अन्य कंपनियों को आपूर्ति

यह रिकार्ड में है कि ओएनजीसी ने ना तो सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया न ही सुनवाई पश्चात कोई प्रस्तुतिकरण या प्रोक्ति की। तथापि कई हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के विपरीत कि घरेलू उद्योग ओएनजीसी की अपेक्षाओं के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति में असफल रहा है, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए साक्ष्य दिये है कि उनके पास विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने की क्षमता है। ओएनजीसी का 30 अगस्त, 2013 का पत्र स्पष्ट दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को ओएनजीसी द्वारा अनर्ह नहीं ठहराया गया है। इसमें यह भी उल्लेख है कि ओएनजीसी द्वारा निकाली गई लगभग सभी निविदाओं में कुछ घरेलू बोलीदाताओं ने अर्हता प्राप्त की। इन बोलीदाताओं को टीए/टीसी के रुप में सूचीबद्ध किया गया। अत: वे कीमत प्रतिस्पधात्मकता के कारण संविदा प्राप्त नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने ओएनजीसी से टयूबिंग टेस्ट रिपोर्ट के रुप में साक्ष्य प्रदान किया है जिसमें 2-7/8 ओडी टयूबिंग, एल-80 ग्रेट नियमित आपूर्ति के लिए आईएसएमटी को प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि घरेलू उद्योग राइफल्ड ट्यूब की आपूर्ति भेल को तथा बैरिंग ग्रेड ट्यूब की आपूर्ति मैसर्स एनईआई तथा कई अन्य घरेलू विनिर्माताओं को कर रहा है। घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करने के लिए बीजक दिये है कि वे घरेलू उपयोगकर्ता उद्योग को राइफल्ड ट्यूब और बेरिंग ग्रेड ट्यूब का उत्पादन एवं बिक्री करते है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग ओएनजीसी, अन्य तेल खोजी कंपनियों और अन्य घरेलू उद्योगों को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति इन कंपनियों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के लिए अपेक्षित गुणवत्ता और मानको के अनुरुप करने में पूरी तरह से सक्षम है।

22. याचिका और जांच शुरुआत नोटिस के आंकड़ों में विसंगति

जहां तक याचिका और जांच शुरुआत नोटिस के आंकड़ों में विसंगति का सवाल है यह नोटिस किया गया कि याचिका में प्रस्तुत किये गये पीयूसी से संबंधित आयात आंकड़ों की संवीक्षा की गई और उन सभी प्रविष्टियों को जांच के दायरे से बाहर माना गया याचिका में प्रदान कराये गये आंकड़ों से निरसन कर दिया गया। इसी तरह घरेलू आंकड़ों पर भी विश्लेषण के लिए विचार किया गया और केवल वही आंकड़े अनुरक्षित रखे गये जो घरेलू उत्पादकों के संयंत्र का स्थल दौरा करने के बाद केन्द्रीय उत्पाद कर रिकार्डो के आधार पर प्रमाणित पाये गये। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि रक्षोपाय जांच प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया या अपीलीय प्रक्रिया से भिन्न है। रक्षोपाय जांच के दौरान नये तथ्यों और साक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है। यदि आवेदन में उल्लिखित तथ्यों पर ही भरोसा किया जाता है तो जांच का यह उद्देश्य निरर्थक हो जायेगा कि केवल संगत सूचना ही प्रस्तुत की जाए और बाजार स्थिति का विश्लेषण किया जाए। अत: या आवश्यक है कि जांच के दौरान लाये गये सभी तथ्यों पर विचार किया जाय। जांच शुरुआत नोटिस में ऐसी प्रारंभ जांच के दौरान निगमित आंकड़ों/सूचना को संग्रहित/सत्यापित किया गया था और इसलिए जांच शुरुआत में नोटिस में दिये गये आंकड़ों को सही माना जाए। तथापि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह अपेक्षा करता है कि हितबद्ध पक्षकारों को नये तथ्यों (अगोपनीय) से उन्हें सार्वजनिक फाइल में रख कर कराया जाए और अद्यतन सूचना सहित सभी सूचनाएं सार्वजनिक फाइल में रखी गयी और उन पर विचार किया जा रहा है।

23. प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता

सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 7 और रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद-3.2 में निश्चित सूचना की गोपनीयता के लिए प्रावधान है। नियम में प्रावधान है कि कोई हितबद्ध पक्षकार ऐसी सूचना का वास्तविक आधार पर प्रकटन नहीं करेगा जो उस कंपनी के लिए गोपनीय सूचना हो और जिसका प्रकटन करना उस पक्षकार के व्यापारिक हित में नहीं होगा और जिसका याचिकाकर्ता ने विगत में सार्वजनिक रुप से प्रकटन ना किया गया हो।

घरेलू उद्योग ने कुछ जानकारी गोपनीय आधार पर प्रदान करायी है और उस सूचना/डाटा की गोपनीयता की मांग की है जिसके लिए उसने एनसीबी प्रदान की है। घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय नियमावली, 1997 और दिनांक 6.9.1997 के व्यापार नोटिस सं. एजी/टीएन/1/97 के प्रावधानों के अनुसार आवेदन पत्र का अगोपनीय पाठ प्रदान कराया है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने आवेदन पत्र दायर करते समय तथा बाद में जहां कहीं उचित लगा गोपनीयता की मांग करने के कारणों का उल्लेख किया है इस लिए इसे स्वीकार कर लिया गया है।

24. घरेलू उद्योग

वर्तमान जांच मैसर्स जिंदल एसएडब्लू लिमिटेड, जिंदल सेंटर, 12 भिकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-110066 और मैसर्स आईएसएमटी लूंकाड टावर्स, विमान नगर पूणे-411014 द्वारा दायर आवेदन पत्र के संदर्भ में शुरु की गई है। मैसर्स एमएसएल लिमिटेड ने इस आवेदन का दावा किया है। विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादन में याचिकाकर्ता और समर्थक कंपनियों का हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादन में घरेलू उद्योग का हिस्सा

कंपनी	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-2013**
	हिस्सा	हिस्सा	हिस्सा	हिस्सा
आईएसएमटी	31	31	31	31

जिंदल एसएडब्ल्यू	22	22	24	24
एमएसएल	34	31	31	30
अन्य	13	16	14	15
कुल	100	100	100	100

मैसर्स एमएसएल को छोड़कर (जो समर्थक कंपनी है) आवेदकों का हिस्सा भारत के कुल उत्पादन का 54 प्रतिशत है। एमएसएल का हिस्सा लगभग 32 प्रतिशत है जो आवेदकों के बाजार हिस्से से कम है।

सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के खंड 6(ख) की धारा 8ख में घरेलू उद्योग का आशय उन उत्पादकों से है जो:

(i) भारत में समान वस्तु या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पधी वस्तु का संपूर्ण रुप से उत्पादन करते है; या

(ii) समान वस्तु या प्रत्यक्ष: प्रतिस्पर्धी वस्तु का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त उत्पाद के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है।

यह नोटिस किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों के तर्क पर विचार करने के पश्चात कि चूंकि समर्थक का अपवर्जन करने के पश्चात भी घरेलू उत्पाद का हिस्सा भारत में सीमलेस पाइप्स और टयूब्स का कुल उत्पादन 50 प्रतिशत से अधिक है इसलिए मैसर्स आईएसएमटी लिमिटेड और मैसर्स जिंदल एसएडब्ल्यू लिमिटेड अनिवार्यत: सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 के खंड ख के उपखंड (6) की धारा 8ख में उल्लिखित शर्तो के अनुरुप हर हाल में घरेलू उद्योग है।

कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए इस तर्क के अनुसार कि कई उत्पादकों पर विचार नहीं किया गया है, यह नोटिस किया जाता है कि जांच शुरुआत का नोटिस अन्य घरेलू उद्योगों जैसे भेल, रतनद्वीप मेटल्स एंड टयूब्स, रेमी मेटल्स, आयल कंट्री टयूबलर लिमिटेड को भी भेजा गया था। उनमें से कुछ ने जांच शुरुआत नोटिस का प्रत्युत्तर दिया जबकि अन्यों ने इसका उत्तर नहीं दिया, परंतु किसी ने भी यह तर्क नहीं दिया है कि आवेदनकर्ता घरेलू उद्योग नहीं बनते है। अत: इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों का तर्क संघार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के एक संघटक अर्थात मैसर्स आईएसएमटी द्वारा दायर पाटनरोधी मामले में, यह मामला इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया कि उक्त कंपनी नियमों के अंतर्गत अकेले घरेलू उद्योग नहीं है। वर्तमान मामले की स्थिति ऐसी नहीं है।

उपलब्ध साक्ष्य के मद्देनजर में पाता हूं कि आवेदक नियमों के अनुसार ''घरेलू उद्योग'' हैं।

25. आंकड़ों का विश्लेषण

आंकड़ों का विश्लेषण प्राथमिकत: घरेलू उद्योग के संबंध में ही किया गया है। कुछ स्थानों पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का निराकरण करने के उद्देश्य से मैसर्स एमएसएल (समर्थक) के आंकड़ों का भी विश्लेषण किया गया। तथापि, आयातों के बाजार हिस्से का विश्लेषण करने के उद्देश्य से संपूर्ण आंकड़ों अर्थात समर्थनकर्ता कंपनी के आंकड़ों को शामिल करके, पर विश्वास किया गया।

26. वर्धित आयात

सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख करती है और निम्नलिखित प्रावधान करती है:

''(1) यदि केन्द्रीय सरकार यथोचित समझी गई जानकारी का आयोजन करने के पश्चात संतुष्ट है कि किसी वस्तु का भारत को आयात इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जिससे कि उससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही हो तो यह, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस वस्तु पर पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकती है'' इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 में 'संवर्धित मात्रा' को निम्नवत परिभाषित किया गया है:

''संवर्धित मात्रा में आयातों में वृद्धि को शामिल किया जाता है, वह वृद्धि चाहे निरपेक्ष रुप से हो या संगत रुप से''

उपर्युक्त से यह देखा जाता है कि धारा 8ख और नियम रक्षोपाय जांच का अनुप्रयोग करने के लिए आयातों में वृद्धि को को आधारभूत पूर्वापेक्षा के रुप में माना गया है। अत: यह निर्धारित करने के लिए कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयात इतनी अधिक मात्रा में हुए है कि उनपर रक्षोपाय शुल्क का प्रयोग किया जा सकता है, नियम में आयातों में समग्र रुप से या घरेलू उत्पादन के संबंध में हुई वृद्धि का विश्लेषण करना अपेक्षित होता है। यह भी देखा जाता है कि अभिव्यक्ति संवर्धित मात्रा को समावेशी रुप में परिभाषित किया गया है और इस परिभाषा में दो पैरामीटर अर्थात आयातों में समग्र रुप से वृद्धि और आयातों में घरेलू उत्पादन के संगत रुप में वृद्धि को शामिल किया गया है। यह भी देखा जाता है कि यह दोनों पैरामीटर मौजूद होना चाहिए। संवर्धित मात्रा को समग्र रुप से या घरेलू उत्पादन के संगत रुप से मापा जाए। एक पैरा मीटर की मौजूदगी इस विधिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ।

डब्ल्यूटीओ पैनल और अपीलीय निकाय ने इस मुद्दे के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्पष्टीकरण दिया है और इन निकार्यो के संगत निर्णय संक्षेप में निम्नलिखित हैं।

I अर्जेंटिना फूटवियर (ईसी) (डब्ल्यूटी/डीएस/आर दिनांक 25.6.1999) में पैनल ने जांच की कि क्या किसी जांच अवधि के प्रारंभ में आयातों की मात्रा और उस अवधि के अंत में आयातों की मात्रा (अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु की तुलना) की तुलना के आधार पर संवर्धित आयात प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 2.1 और 4.2 (क) से संगतता हैं। पैनल ने बाद में अपीलीय निकाय द्वारा किये गये निर्णय पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

8.156 [i]''एन यह आकलन करते हुए कि क्या अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु तक आयातों में वृद्धि अनुच्छेद 2.1 में अपेक्षित आयात वृद्धि को पूरा करती है, अंतिम बिंदु के रुप में प्रयोग किये गये विशिष्ट वर्षों की तुलना की संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट शुरुआत निष्कर्ष की पुष्टि कर सकती है या उसे बदल सकती है। यदि जांच अवधि का शुरुआती बिंदु और/या अंतिम बिंदु में परिवर्तन केवल एक वर्ष होता है तो इसका इसका आशय यह है कि इस तुलना में वृद्धि के बजाय आयातों में गिरावट दर्शायी गई है। यह अनिवार्यत निर्यातों में हस्तक्षेपी कमी जो कम से कम शुरुआती वृद्धि के समान है को दर्शाती है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आयातों में वृद्धि हुई है।''

8.157 दूसरे शब्दों में आयातों में वृद्धि वास्तव में है तो यह अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच तुलना करने पर और उस अवधि की हस्तक्षेपी प्रवृति का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होना चाहिए। अर्थात दोनो विश्लेषण परस्पर संबलनकारी होना चाहिए। जबकि जहां परिणाम में परिवर्तन आता है वहां यह संदेह होता है कि क्या आयातों में अनुच्छेद 2.1 के अनुसार वृद्धि हुई है।

इसकी पुन: जांच अर्जेंटिना फूटवियर पैनल द्वारा एक जांच परिणाम में, अपीलीय निकाय द्वारा संपुष्ट, पर विचार करके की गई कि आयातों की हस्तक्षेपी प्रवृत्तियों की विश्लेषण करना अनिवार्य है।

8.159 यह प्रश्न कि क्या आयातों में कोई गिरावट अस्थायी है यह आकलन करने के लिए संगत है कि क्या संवर्धित आयातों के लिए अनुच्छेद 2.1 की अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है। इस संदर्भ में अनुच्छेद 4.2 (क) की अपेक्षाओं का उल्लेख किया जा सकता है कि आयातों में दर और राशि में वृद्धि का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हमारे विचार से जांच की अवधि के लिए आयातों की हस्तक्षेपी प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। हम नोट करते है कि वाक्यांश दर में गति और दिशा तथा हस्तक्षेपी प्रवृत्तियों (उतार या चढ़ाव) पर पूर्णतया विचार करना चाहिए। जहां जांच की अवधि में इन प्रवृत्तियों को मिला दिया जाता है वहां यह निर्णय करने के लिए निर्णायक हो जाती है कि क्या आयातों में वृद्धि अनुच्छेद 2.1 के अनुरुप हुई है। व्यावहारिक रुप से हम यह विचार करते है कि आयातों में ऐसी किसी मिलीजुली प्रवृत्ति के महत्व का आकलन करने का सर्वोत्तम तरीका यह मूल्यांकन करना है कि क्या आयातों में कोई गिरावट अस्थायी रुप से या अन्यथा दीर्घावधिक परिवर्तन व्यक्त करती है।

अर्जेंटिना फूटवियर में पैनल ने पुन: यह पाया कि आयातों की मात्रा में गिरावट को आयातों की मात्रा में वृद्धि के विपरीत अस्थायी गुणधर्म के रुप नहीं देखा जा सकता है। इसमें उल्लेख किया कि:

8.161 करार में आयातों में केवल वृद्धि (अर्थात ऐसी वृद्धि) की कल्पना नहीं की जाती है बल्कि यह वृद्धि इतनी अधिक मात्रा में हो उससे घरेलू उद्योग को क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो जाए..... आयातों में वृद्धि को पूर्ण संदभ के रुप में माना जाय खासकर इसकी दर और राशि को जैसा कि अनुच्छेद 4.2(क) के रुप में अपेक्षा की गई है। अत: आयात स्तर में परिवर्तन पर विचार करते हुए, यह निर्धारण करने के लिए अनिवार्य प्रतीत होता है कि आयातों में वृद्धि अनुच्छेद 2.1 के अनुसार इतनी अधिक मात्रा में हुई है।

II अर्जेंटिना फूटवियर मामले में अपीलीय निकाय ने धारित किया है कि आयातों में यह वृद्धि अभिनव, अचानक, तीव्र और इतनी अधिक हो कि उससे घरेलू उद्योग को क्षति या क्षति की चुनौती उत्पन्न हो जाए। संगत सार निम्नलिखित है:

131. यह निर्धारण कि क्या इतनी अधिक मात्रा में आयातों की जरुरत को पूरा कर लिया गया है केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में किसी जांच को साधारणत: यह दर्शाना पर्याप्त नहीं होता है कि इस वर्ष इस उत्पाद के आयात पिछले वर्ष या 5 वर्ष पहले से अधिक हुए। पुन: केवल आयातों की संवर्धित मात्रा की पर्याप्त नहीं होगी। इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए कि उससे घरेलू उद्योग को क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पनन हो जाए जो रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए पूर्वापेक्षा है। और रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 तथा जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद 19:1(क) में यह अपेक्षा की जाती है कि आयातों में यह वृद्धि परिणात्मक और गुणात्मक दोनों रुपों में अभिनव अचानक, तीव्र और बहुत अधिक मात्रा में होनी चाहिए। जिससे की गंभीर क्षति हो सके या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके।

III यूएस ह्वीट ग्लूटेन (डब्ल्यूटी/डीएस/166/आर दिनांक 31.7.200) में वाक्यांश इतनी अधिक मात्रा को निम्नवत निर्वचन किया गया है:

8.3.1 रक्षोपाय संबंधि करार के अनुच्छेद 2.1 और गाट 1994 के अनुच्छेद 19:1(क) आयातों में केवल वृद्धि की बात नहीं करते है बल्कि संबंधित उत्पाद के आयातों में वृद्धि की परिणात्मक और गुणात्मक प्रकृति के बारे में विशिष्ट अपेक्षाएं होती है। गाट 1994 के अनुच्छेद 19:1(क) और एसएके 2.1 में यह अपेक्षा की जाती है कि किसी उत्पाद का आयात सदस्य से संबंधित भू-भाग में इतनी अधिक मात्रा में(घरेलू उत्पादन के समग्र और संगत रुप से) हो कि उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो जाए। अत: केवल कोई वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी बल्कि हम यह मानते में यह वृद्धि अचानक अभिनव तीव्र, परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों रुपों में इतनी अधिक हो कि उससे क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती बंद हो जाए।

IV यूएस-लाइन पाइप मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह पाया कि यह निर्धारण करने की जरुरत नहीं है कि आयातों में अभी भी वृद्धि हो रही है। बल्कि आयातों में अभिनव वृद्धि होनी चाहिए परंतु यह जरुरी नहीं है कि जांच की अवधि के अंत तक होती रहे या निर्धारण से ठीक पहले तक होती रहे।

7.207 प्रश्न बना रहता है कि क्या संवर्धित आयातों का निष्कर्ष वर्ष 1998 के प्रथम सेमस्टर से वर्ष 1999 के प्रथम सेमस्टर तक आयातों में समग्र गिरावट के आलोक में किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम अभिनव के आशय के संबंध में हुई चर्चा और हम अपने इस निष्कर्ष की अभिनव का आशय वर्तमान का विश्लेषण करने से नहीं है। हमारा यह भी विचार है कि आयातों में वृद्धि अभिनव रुप से हुई हो का आशय यह नहीं है कि यह वृद्धि प्राधिकारी के निर्धारण के लिए जांच से पहले की अवधि तक हुई हो अथवा जांच की अवधि की पूर्ण समाप्ति हुई हो अपने इस विचार के लिए हमें अनुच्छेद 2.1 से बल मिलता है जिसमें प्रावधान है कि यह उत्पाद इतनी अधिक मात्रा में आयात किया जा रहा है। इस करार ने विशेषन संवर्धित का प्रयोग किया गया है। संवर्धित शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि यह निर्धारण करने की जरुरत नहीं है कि आयातों में अभी भी वृद्धि हो रही है। परंतु आयातों में वृद्धि अभिनव विगत तक हुई हो न कि जांच की अवधि से ठीक पहले या निर्धारण से तत्काल पहले तक हुई हो। परंतु यह कि उत्पाद का आयात जांच की अवधि के अंत तक इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में हो रहा हो जिससे कि अनुच्छेद 2.1 की जरुरतें पूरी हो जाती हों।

V यूएस-स्टील रक्षोपाय (डब्ल्यूटी/डीएस/248/आर, डब्ल्यूटी/डीएस/249/आर, डब्ल्यू/डीएस/251/आर, डब्ल्यूटी/डीएस/252/आर,डब्ल्यूटी/डीएस/253/आर,डब्ल्यूटी/डीएस/254/आर, डब्ल्यूटी/डीएस/258/आर, डब्ल्यूटी/डीएस/259/आर, दिनांक 11.07.2003 में पैनल ने अपने निष्कर्ष में अपीलीय निकाय द्वारा धारित जांच परिणाम के इस निष्कर्ष का समाधान किया कि आयातों में अभिनव वृद्धि कितनी होनी चाहिए और यूएस-लाइन पाइप मामलें में पैनल से निम्नवत अपनी सहमति व्यक्त की।

10.161 जैसा कि यूएस-लाइन पाइप में पैनल ने कहा है कि रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 में एक ऐसे उत्पाद के बारे में बताया गया है " जिसका आयात इतनी अधिक बढ़ी हुई मात्रा में किया जा रहा है" इस प्रकार, निर्धारण के समय आयातों को बढ़ते रहने की जरुरत नहीं है जो आवश्यक है वह है यदि उत्पाद की इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में आयात किया है तो उसके आयातों में वृद्धि हुई हो। इसलिए यह पैनल यूएस-लाइन पाइप पैनल के विचारों से सहमत है कि यह तथ्य कि आयातों में वृद्धि "अभिनव हो का आशय यह नहीं है कि यह वृद्धि जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा निर्धारण से तत्काल पहले की अवधि तक जारी रहना चाहिए न कि जांच की अवधि की समाप्ति तक। यूएस-लाइन पाइप मामले में पैनल द्वारा इंगित किए गए के अनुसार सर्वाधिक अभिनव आंकड़े फोकस में होना चाहिए परंतु उनपर जांच की अवधि के कम अभिनव पोर्शन से संबंधित आंकड़ों से अलग करके विचार नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, जैसा कि वर्तमान सतत ''आर बीइंग" द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, कि एक ऐसा निहितार्थ है कि वर्तमान में उच्चतर स्तर (अर्थात संवर्धित) बना रहना चाहिए।

10.163 "क्या जांच की अवधि की समाप्ति पर, किसी मामले में, आयातों में वृद्धि संवर्धित आयातों की जांच को वारित रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 के अंतर्गत, करेगी, इसलिए इस बात पर निर्भर करेगी कि बाद में कमी के बावजूद विगत वृद्धि; ऐसा होते हुए भी (अभी भी) "ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में आयात किया जाता रहेगा"। इस मूल्यांकन में जिन कारकों को ध्यान में रखे जाने की जरुरत है वे है जांच की संगत अवधि की समाप्ति तक इस न्यूता की मत्रा और कालावधि तथा वृद्धि की प्रकृति, उदाहरणार्थ तीव्रता और सीमा जिसने पहले से हस्तक्षेप किया हो।"

10.164 एक चरम उदाहरण देने के लिए एक अल्प एवं अभिनव न्यूनता समग्र वृद्धि का कम नहीं करेगी, यदि आयातों में कई वर्षों में पहले से ही दस गुना वृद्धि हुई हो। प्रतिलोमत:, एक विपरीत चरम उदाहरण देने के लिए किसी को ऐसे उत्पाद के बारे में अधिक समय तक चर्चा नहीं करनी चाहिए, जिसका आयात ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में अथवा वस्तुत: किसी भी संवर्धित मात्रा में किया जा रहा है, यदि निर्धारण के समय आयात संख्या को लगभग शून्य तक या किसी ऐसे स्तर से नीचे तक पहुंचा दिया हो जो विगत में जांच की अवधि में कमी न हुआ।"

VI यूएस-स्टीलरक्षोपायमें(डब्ल्यूटी/डीएस/248/एबी/आर,डब्ल्यूटी/डीएस/249/एबी/आर,डब्ल्यू/डीएस/251/एबी/आर, डब्ल्यूटी/डीएस/252/एबी/आर,डब्ल्यूटी/डीएस/253/एबी/आर,डब्ल्यूटी/डीएस/254/एबी/आर,डब्ल्यूटी/डीएस/258/एबी/आर, डब्ल्यूटी/डीएस/259/एबी/आर, दिनांक 11.07.2003 में अपीलीय निकाय ने यह सुम्पुष्ट किया है कि निर्धारण के समय आयातों को बढ़ने की जरुरत नहीं है और जांचकर्ता प्राधिकारी के दायित्व पर छोड़ दिया कि वह जांच की संपूर्ण अवधि के लिए आयातों की प्रवृत्ति की जांच करें।

367. "हम यूनाइटेड स्टेटस से सहमत है कि अनुच्छेद 2.1 में यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि निर्धारण के समय के समय आयातों के बढ़ते रहने की जरुरत है। बल्कि इस शब्दबंध कि "ऐसी सम्वर्धित मात्रा में आयात किया जा रहा है" का सामान्य अर्थ यह सुझाव देता है कि आयातों में वृद्धि होनी चाहिए और यह कि संगत उत्पाद इतनी बढ़ी हुई मात्रा में आयात होते रहना चाहिए। हम यह विश्वास नहीं करते है कि जांच की अवधि की समाप्ति पर आयातों में कमी अनिवार्यत जांचकर्ता अधिकारी को निष्कर्ष निकालने से वाधित करेगी कि परंतु उत्पादों का आयात "बढ़ी हुई मात्रा में होते रहना चाहिए"।

यूएस-सटील रक्षोपाय में अपीलीय निकाय ने अर्जेंटिना-फूटवियर (ईसी) में दिये गये अपने निर्णय को पुन: दोहराया और जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद 19:1(क) तथा रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 के संदर्भ में "इतनी बढ़ी हुई मात्रा में" के महत्व पर बल दिया है जो यह संपुष्टि करता है कि यह संवर्धित आयात संगत संवर्धित आयातों की इस योग्यता से जुड़े हो कि वे गंभीर क्षति कर रहे हो या गंभीर क्षति की चुनौती दे रहे हो।

346. हम पुन: इस परिणाम की संपुष्टी करते हैं [अर्जेंटिना-फूटवियर (ईसी)]। उस अपील में हमने ऐसी बढ़ी हुई मात्रा की जरुरत के पाठन के महत्व को बताया जिस संदर्भ में इनका प्रयोग जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद 19:1(क) तथा रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 के संदर्भ में किया गया है। इस संदर्भ में गंभीर क्षति कारित करने या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न करने शब्दों को शामिल किया गया है। इस संदर्भ में पढ़ने से यह स्पष्ट है कि आयातों में वृद्धि इतनी अधिक मात्रा में होनी चाहिए जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके जिससे कि रक्षोपाय साधन का प्रयोग करने की अपेक्षा पूरी हो सके। वास्तव में हमारे दृष्टिकोण से वाक्यांश 'इतना' जो शब्द बंद इतनी अधिक मात्रा में प्रयोग होता है उसका संबंध उन संवर्धित संगत आयातों से है जिनमें गंभीर क्षति कारित करने अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न करने की योग्यता हो। तदनुसार हम संयुक्त राज्य से सहमत है कि अर्जेंटिना-फूटवियर (ईसी) के हमारे अभिकथन में कि आयातों में यह वृद्धि अभिनव, अचानक, तीव्र और भारी होनी चाहिए..... जिससे कि गंभीर क्षति हो सके या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके, यह अभी कथन रक्षोपाय करार के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी की संपूर्ण जांच उत्तरदायित्व के बारे में था।

27. संवर्धित आयातों के बारे में विधि की उपर्युक्त जरुरतों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य और परिमाणनीय आंकड़ों पर आधारित है।

(क) आयातों में समग्र रूप से वृद्धि

निम्नलिखित तालिका सीमलेस पाइप और ट्यूब के संबंध में आयात सांख्यिकी दर्शाती है:-

वित्त वर्ष	कुल आयात (एमटी)	कुल आयात (अनुक्रमित वर्षवार)
2009-10	307581	100
2010-11	344829	112
2011-12	425194	138
2012-13 तिमाही I	99880	
2012-13 तिमाही 2	76118	
2012-13 तिमाही 3	104335	
2012-13 तिमाही 4	93515	
2012-13	373848	122

सीमलेस पाइप और ट्यूब के वर्ष 2012-13 में कुल आयात 37388 एमटी था जिसमें पिछले वर्ष हुए 425194 एमटी के आयातों की तुलना में 5136 एमटी की कमी हुई है अर्थात प्रतिशत रुप में यह कमी लगभग 12 प्रतिशत है। अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु की तुलना दर्शाती है कि आधार वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2012-13 में आयातों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 को छोड़कर आयातों में लगातार वृद्धि हो रही है। अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु की तुलना यह भी दर्शाती है कि आयातों में यह वृद्धि समग्र रुप से हुई है परंतु वर्ष 2012-13 में, तत्काल पिछले वर्ष के साथ इसकी तुलना करने पर इसमें, समग्र रुप में वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) उत्पादन के संबंध में आयातों का हिस्सा

निम्नलिखित तालिका उत्पादन के संबंध में आयातों के आंकड़े दर्शाती है। आयातों की हिस्सा जांच की अवधि के दौरान तक और अत्यधिक अभिनव अवधि में अर्थात 2012-13 में आधार वर्ष और विगत वर्ष दोनो से तुलना करने पर वृद्धि हुई है।

	2009-10	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
आयात (एमटी)	307581	344829	425194	373848
कुल उत्पादन (एमटी)	422820	538554	583780	429454
आयातों का हिस्सा (%)	73	64	73	87

अत: यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2012-13 में उत्पादन के संबंध में आयात में आधार वर्ष और विगत वर्ष दोनों में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में इस मामले में उत्पादन के संबंध में भारी वृद्धि हुई है और यह वृद्धि अभिनव अवधि में हो रही है और मेरे विचार से यह भारी, तीव्र और अचानक है जिससे यह रक्षोपाय शुल्क से संबंधित विधि के अंतर्गत संवर्धित आयातों के कारण हुई गंभीर क्षति के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाने की शर्त को पूरा करती है।

28. गंभीर क्षति और उसके कारण

(i) सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(6)(ग) में गंभीर क्षति की अभिव्यक्ति को दोहराया गया है। गंभीर क्षति का आशय ऐसी क्षति से होता है जिसके कारण घरेलू उद्योग की स्थिति समग्र रुप से निष्क्रिय हो जाए।

(ii) रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.2 (क) और सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली 1997 के नियम 8 के अनुबंध के अनुसार अपेक्षा की गई है कि गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के लिए कुछ सूचीबद्ध कारकों तथा अन्य संगत कारको का मूल्यांकन करना चाहिए। तथापि यह प्रावधान ऐसा विनिर्दिष्ट नहीं करते है कि इस मूल्यांकन में क्या प्रदर्शित होना चाहिए। तथापि ऐसा किया गया कोई भी मूल्यांकन विशिष्ट मामले के तथ्यों और संबंधित उद्योग की स्थिति के आधार पर भिन्न मामलों में भिन्न उद्योगों के लिए भिन्न होगा। प्रत्येक सूचीबद्ध कारक का मूल्यांकन अनिवार्यत यह प्रदर्शित नहीं करेगा कि ऐसे प्रत्येक कारक में गिरावट आ रही है। उदाहरण के लिए, किसी एक मामले में बिक्री, रोजगार और उत्पादकता में भारी कमी आ सकती है जो उद्योग के स्थिति में "भारी समग्र परिक्षयण दर्शायेगा और इसलिए गंभीर क्षति के निष्कर्ष को न्यायोचित ठहरायेगा। वही दूसरे मामले में किसी निश्चित कारक में कमी न आ रही हो बल्कि ऐसा होते हुए भी उद्योग की स्थिति में भारी समग्र अवक्षयण प्रदर्शित हो रहा हो। अत: सभी सूचीबद्ध कारको और किसी अन्य संगत कारक की तकनीकी जांच करने के अलावा यह अनिवार्य है कि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन उन सभी संगत कारकों के आलोक में करना चाहिए जिनका उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही पर्यवेक्षण अर्जेंटिना फूटवियर मामले में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट (डब्ल्यूटी/डीएस/121/एबी/आर दिनांक 14.12.1999) के पैरा 139 में डब्ल्यू टी ओ पैनल द्वारा किया गया है।

(iii) सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली 1997 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है।

"यह निर्धारण करने के लिए की गई जांच में कि क्या वर्धित आयात क्षति कारित कर रहे है या गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती का उद्योग को प्रदर्शन कर रहे है, महानिदेशक उन सभी संगत कारकों का उद्देश्य परक एवं परिमाणीय मूल्यांकन करेंगे जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, खासकर संबंधित मद के आयातों में समग्र रुप से और संगत रुप से वृद्धि की दर एवं राशि, संवर्धित आयातों द्वारा अधिग्रहित घरेलू बाजार का हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ एवं हानि और रोजगार के स्तर में परिवर्तन के संबंध में।

29. तदनुसार गंभीर क्षति का विश्लेषण करने में उन सभी कारकों जिनका नियमावली में उल्लेख है तथा उन अन्य कारकों जो संगत है, पर विचार किया गया। किसी भी एक कारक को उपनतिकारी नहीं माना गया। संगत व्यवसाय चक्र और प्रतिस्पर्धा की स्थिति जो उद्योग को प्रभावित करने में संगत है के संदर्भ में सभी संगत कारको पर घरेलू उद्योग की माली हालत का मूल्यांकन करने के लिए विचार किया गया।

(क) बाजार हिस्सा : जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आयी है। इस संबंध में आंकड़े निम्नलिखित है:-

वित्त वर्ष	कुल आयात (एमटी)	घरेलू उद्योग की बिक्री (एमटी)	अन्य भारतीय उत्पादकों (एमएसएल सहित) की बिक्री (एमटी)	कुल मांग सहित (एमटी)	% बाजार हिस्सा		
					घरेलू उद्योग	अन्य (एमएसएल सहित)	आयात
2009-10	307581	143017	104823	555420	25.75	18.87	55.38
2010-11	344829	168740	101020	614589	27.46	16.43	56.11
2011-12	425194	170826	93386	689406	24.78	13.54	61.68
2012- 13	373848	141558	68692	584098	24.24	11.75	64.01

यह देखा जाता है कि आवेदकों का वर्ष 2009-10 में बाजार हिस्सा 25.25 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2010-11 में 27.46 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2011-12 के दौरान आवेदकों के बाजार हिस्से में गिरावट आयी और यह 24.78 प्रतिशत हो गया तथा

वर्ष 2012-13 में यह घटकर 24.24 प्रतिशत हो गया। अत: यद्यपि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वर्ष 2012-13 की अभिनव अवधि में गिरावट आयी है परंतु जब इसकी तुलना विगत वर्ष से की जाती है तो यह बिल्कुल मामूली सी है अर्थात 0.54 प्रतिशत है। आधार वर्ष से (2009-10) तुलना करने पर घरेलू उद्योग का बाजार हिस्से में पिछले 4 वर्षों में 1.51 प्रतिशत की गिरावट आयी है। यह इस तथ्य के बावजूद हुआ है कि मांग अत्यधिक अभिनव अवधि में गिरावट आयी है। एक ओर आयातों के बाजार हिस्से में जो वर्ष 2009-10 में 55.38 प्रतिशत था, बढ़कर वर्ष 2012-13 में 64.01 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार यह 8.63 प्रतिशत की वृद्धि है। अत: यह देखा जाता है कि आयातों ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के हिस्से की कीमत पर बाजार पर अपना कब्जा कर लिया।

(ख) उत्पादन: अधोलिखित तालिका घरेलू उद्योग तथा अखिल भारतीय उत्पादकों, एमएसएल सहित, के संचयी घरेलू उत्पादन से संबंधित संगत आंकड़े प्रदर्शित करती है:

वर्ष	**2009-10**	**2010-2011**	**2011-12**	**2012-13**
घरेलू उद्योग का उत्पादन (एमटी)	224216	283619	318968	254316
अनुक्रमित	100	126.49	142.25	113.42
एमएसएल सहित अखिल भारतीय उत्पादकों का संचयी उत्पादन	422820	538554	583780	429454
अनुक्रमित	100	127.37	138.06	101.56

घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन में वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक वृद्धि हुई। तथापि वर्ष 2012-13 में घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन में वर्ष 2011-12 की तुलना में 64652 एमटी की गिरावट आयी है। यह गिरावट 20 प्रतिशत है। अखिल भारतीय उत्पादकों द्वारा कुल उत्पादन की प्रवृत्ति भी घरेलू उद्योग के समान ही रही जहां यह वर्ष 2009-10 से तुलना करने पर वर्ष 2012-13 में समान स्तर पर ही बना रहा परंतु विगत वर्ष 2011-12 में इसमें गिरावट आयी जो बहुत तीव्र थी जिसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई।

(ग) घरेलू बिक्री के स्तर में परिवर्तन: अधोलिखित तालिका घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों से संबंधित संगत आंकड़े दर्शाती है:

वर्ष	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री (एमटी)	143017	168740	170826	141558
अनुक्रमित	100	118	119	99

घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक ऊपर बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है परंतु उसके पश्चात वर्ष 2012-13 में इसमें गिरावट आयी। अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु तक तुलना भी घरेलू उद्योग की बिक्री में मामूली सी कमी प्रदर्शित होती है। बिक्री में यह कमी विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में आयी कमी के अनुरुप थी। तथापि बिक्री में 17.13 प्रतिशत की गिरावट वर्ष 2012-13 में मांग में विगत वर्ष 2011-12 की तुलना में 15.28 प्रतिशत की गिरावट से कम है मांग के संबंध में आयात हिस्से में बढ़ोतरी से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

(घ) क्षमता उपयोग: अधोलिखित तालिका घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग से संबंधित संगत आंकड़े प्रदान करती है:

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता (एमटी)	375000	685000	685000	685000
घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग (%)	60	41	47	37

घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वर्ष 2009-10 से ही निरंतर गिरने की प्रवृत्ति दर्शायी है। वर्ष 2011-12 इसका अपवाद रहा जब विगत वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में 6 प्रतिशत का मामूली सा सुधार हुआ। यह देखा जाता है कि वर्ष 2010-11 में घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता बढ़ाकर 310000 एमटी कर ली जिसके परिणामस्वरुप वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में क्षमता उपयोग में 19 प्रतिशत की गिरावट आयी। यह गिरावट इस तथ्य के बावजूद भी कि घरेलू उद्योग ने उक्त अवधि के दौरान अपने उत्पादन में 26 प्रतिशत सुधार कर लिया था। घरेलू उद्योग की स्थिति में वर्ष 2011-12 में कुछ सुधार हुआ परंतु वर्ष 2012-13 में क्षमता उपयोग में पुन: गिरावट आ गयी है।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये इस आशय के प्रस्तुतिकरणों से कि न्यूनतर उपयोग क्षमता में वृद्धि के कारण आयात और इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में वर्ष 2010-11 में सुधार करके 310000 एमटी कर ली। यह विचार करना विवेकपूर्ण प्रतीत होता है कि क्या क्षमता उपयोग में यह गिरावट क्षमता में वृद्धि के कारण आई है।

वर्ष	**2009-10**	**2010-11***	**2011-12***	**2012-13***
घरेलू उद्योग की विगत संस्थापित क्षमता (एमटी)	375000	375000*	375000*	375000*
घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग (%)	60	76	85	68

*वर्ष 2009-10 अर्थात क्षमता संवर्धन से पहले समान प्रकल्पित

यदि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं की होती तो इसका उपयोग, जैसा कि उत्पादन आंकड़ों से स्पष्ट है, वर्ष 2009-10 के 60 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 68 प्रतिशत हो गया होता। तथापि यदि इसकी तुलना विगत वर्ष से की जाए तो वर्ष 2012-13 में इसमें तेजी गिरावट आयी है। चूंकि आयातों में वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक की संपूर्ण अवधि में वृद्धि हो रही थी इसी लिए घरेलू उद्योग ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने क्षमता संवर्धन में निवेश किया। तथापि वर्ष 2012-13 में जब में मांग भारी कमी आई तो घरेलू उद्योग के इस क्षमता विस्तार में अत्यधिक अभिनव अवधि में वेशी क्षमता की स्थिति उत्पन्न कर दी।

(ड.) लाभ एवं हानि: अधोलिखित तालिका में सीमलेस पाइप और ट्यूब के कारोबार के संबंध में घरेलू उद्योग के लाभ और हानि से संबंधित संगत जानकारी दी गई है यह जानकारी द्वितीय सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात प्रस्तुत की गई।

वर्ष (इकाई)	लाभ(रुपये/एमटी)(अनुक्रमित)
2009-10	100
2010-11	86
2011-12	64
2012-13	43

ऐसा प्रतीत होता कि घरेलू उद्योग संपूर्ण जांच की अवधि में फायदा में रहा हो। तथापि आधार वर्ष से वर्ष 2012-13 की अवधि में लाभ प्रदायकता में तीव्र गिरावट आयी। इसी तरह विगत वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में भी गिरावट आयी।

(च) **रोजगार:** आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि अभिनव अवधि के दौरान रोजगार के स्तर में कोई भारी परिवर्तन नहीं आया है। कर्मचारियों की सं.(औसतन) 2245 (2009-10) से बढ़कर 2645 (2012-13) को हो गई। जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है:-

वर्ष	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
घरेलू उद्योग में कर्मचारियों की औसत सं.	2245	2388	2567	2645
अनुक्रमित	100	106	114	117

यह नोट किया जाता है कि यदि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही होती या गंभीर क्षति की चुनौती हुई होती तो घरेलू उद्योग ने रोजगार में वृद्धि सामान्यत: नहीं की होती परंतु विचाराधीन उत्पाद की मांग और बिक्री में गिरावट के बावजूद घरेलू उद्योग ने वर्ष 2012-13 की अत्यधिक अभिनव में भी रोजगार की बढ़ती दर को बनाये रखा है।

(छ) **उत्पादकता:** घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वर्ष 2011-12 और आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 की अत्यधिक अभिनव अवधि में गिरावट आयी है।

वर्ष	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
घरेलू उद्योग की उत्पादकता/कर्मचारी (एमटी/कर्मचारी)	100	118	124	96

यह भी स्पष्ट है कि बढ़ती उत्पादकता घरेलू उद्योग के रोजगार में बढ़ोतरी की संपुष्टता में है परंतु इसने वर्ष 2012-13 के अत्यधिक अभिनव अवधि में इसके विपरीत प्रवृत्ति दर्शायी है।

(ज) मालसूची: वस्तु की माल सूची में संपूर्ण क्षति अवधि में और अधिक महत्वपूर्ण ढंग से वर्ष 2012-13 की अत्यधिक अभिनव अवधि में 3888 एमटी तक वृद्धि हुई है अर्थात वर्ष 2011-12 से 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मालसूची का यह संचयन इस तथ्य के बावजूद आया कि घरेलू बिक्रियों में वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक लगातार वृद्धि हुई है इसके साथ-साथ ही उत्पादन में वृद्धि हुई जो बिक्री से अधिक हो गया। इस स्थिति में इस तथ्य से और भी ज्यादा गिरावट आयी कि मालसूची का यह संचयन ऐसी स्थिति में हुआ जब स्वयं उत्पादन में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 की अत्यधिक अभिनव अवधि में घरेलू बिक्री में गिरावट आयी है। वर्ष 2012-13 की इस अत्यधिक अभिनव अवधि में इस हलात में और अधिक गिरावट आयी जहां ऐसा प्रतीत होता है कि यह विचाराधीन उत्पाद की समग्र मांग में गिरावट और निर्यात में गिरावट के परिणामस्वरुप आयी है:-

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
मालसूची(एमटी)	5691	8805	9583	13471

30. अन्य कारक

(क) मांग के संबंध में आयात

वित्त वर्ष	कुल आयात (एमटी)	कुल मांग(एमटी)	मांग के संबंध में आयात का %
2009-10	307581	555420	55.38 %
2010-11	344829	614589	56.11%
2011-12	425194	689406	61.68 %
2012-13	373848	584098	64.01%

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद की खपत या मांग का निर्धारण विभिन्न देशों से भारत को इस उत्पाद के कुल आयात, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और अन्य घरेलू उत्पादकों (एमएसएल सहित) की घरेलू बिक्रियों के योग्य के रुप में किया गया है। उक्त अवधि के दौरान इस तरह निर्धारित मांग/खपत में परिवर्तन की तुलना विभिन्न स्रोतों से आयात में परिवर्तन से की गई जिससे कि यह निर्धारित किया जा सके क्या भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में देश में इस उत्पाद की मांग या खपत के संबंध में भारी वृद्धि हुई है। उपर्युक्त तालिका में यह नोट किया जाता है कि मांग की तुलना में आयातों में वर्ष 2009-10 में 55.38 प्रतिशत से वृद्धि हो कर वर्ष 2012-13 में आयात 64.01 प्रतिशत हो गये अर्थात पिछले 4 वर्षों के दौरान इनमें 8.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह भी नोट किया जाता है कि इस उत्पाद की मांग में वृद्धि होने पर इसके आयातों में भी वृद्धि हुई और वर्ष 2012-13 में जब मांग में गिरावट आयी तो आयातों में भी गिरावट आयी। तथापि यह नोट करना संगत है कि इस स्थिति में भी जांच की अवधि के दौरान मांग के संबंध में आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है।

हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि चीन से आयातों में वृद्धि हुई है, विचाराधीन उत्पाद के चीन से भारत को आयात तथा चीन के अलावा अन्य देशों से भारत को आयात के आंकड़े निम्नलिखित है:-

वर्ष	**चीन से आयात**	**अन्य देशों से आयात**	**कुल आयात**	**चीन से आयातों का %**
	मात्रा (एमटी)	मात्रा (एमटी)	मात्रा(एमटी)	
2009-10	198464	109117	307581	65
2010-11	248174	96655	344829	72
2011-12	311547	113647	425194	73
2012-13	258351	115497	373848	69

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

हितबद्ध पक्षकारों खासकर यूरोप से हितबद्ध पक्षकारों ने यह मुद्दा उठाया कि वर्तमान जांच केवल चीन के विरुद्ध की जानी चाहिए क्योंकि अन्य देशों से आयात न्यूनतम स्तर पर है। चीन विशिष्ट रक्षोपाय साधन का प्रयोग सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ग और सीमाशुल्क (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियमावली, 2002 के अंतर्गत किया जा सकता है। इनका अधिनियमन चीन के डब्ल्यूटीओ अधिग्रहण प्रोटोकोल की धारा 16 के अनुसरण में किया गया था जिसमें चीन से आयातों के संबंध में परिवर्ति उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय तंत्र की अनुमति है। उक्त अधिग्रहण प्रोटोकोल के पैरा 16.9 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि धारा 16 का अनुप्रयोग अधिग्रहण की तारीख से 12 वर्षों के पश्चात समाप्त हो जायेगा। यह नोट किया जाता है कि यह मामला अप्रैल, 2012 में शुरू किया गया था और इसलिए चीन विशिष्ट रक्षोपाय साधन के अंतर्गत जांच करना निरर्थक हो जाता क्योंकि चीन का डब्ल्यूटीओ अधिग्रहण प्रोटोकोल 10 दिसम्बर, 2013 को समाप्त हो गया था। इस संबंध में जांच की अवधि में आयातों की प्रमात्रा की जांच की गई और यह पाया गया कि विगत 4 वर्षों में समग्र आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है और इनमें जांच की अवधि के दौरान चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयातों का हिस्सा औसतन 70 प्रतिशत था और अन्य देशों से आयात का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत था। केवल इस तथ्य के कारण कि चीन से

आयात का प्रतिशत अन्य देशों से आयात के प्रतिशत से अधिक है भारत में विचाराधीन उत्पाद के समग्र आयातों पर रक्षोपाय जांच करना वारित नहीं हो जाता है।

मेरा विचार है कि घरेलू उद्योग द्वारा की गई यह याचिका सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के अंतर्गत की गई है और जांच भी उसी के आलोक में आयोजित की गई। यह नोट किया जाता है कि सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की उक्त धारा 8ख के अंतर्गत सामान्य लक्ष्यों पाय जांच में सभी देशों से होने वाले आयातों की बिना किसी भेदभाव के, विकासशील देशों को छोड़कर, जांच की गई जहां आयात न्यूनतम स्तर से ऊपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस तथ्य की जांच की गई है।

जहां तक इस तर्क का संबंध है कि यह मामला रक्षोपाय मामलें की तुलना में पाटनरोधी मामला अधिक बनता है, मेरा विचार है कि पाटनरोधी शुल्क एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत और विधिक रूप से संधारणीय व्यापार उपचार साधन है जिसका प्रयोग पाटित आयातों के दुष्प्रभावों का मुकाबला करने और उन्हें प्रशुल्क अवरोधों के जरिए निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है जबकि रक्षोपाय शुल्क घरेलू उद्योग की बढ़ते आयातों के क्षतिकारी प्रभाव से प्रशुल्क अवरोध बढ़ाकर रक्षा करना है। दोनों ही शुल्को का एक समान कार्य है अर्थात आयातों के क्षतिकारी प्रभावों को निष्क्रिय करना। घरेलू उद्योग वर्तमान याचिका दायर करने के लिए न्यायोचित ठहराया जा सकता है क्योकि उन्होंने आयातों में वृद्धि के कारण क्षति का दावा किया था। डब्ल्यूटीओ कानून भी इसकी अनुमति देते हैं। किसी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन का मामला प्रस्तुत नहीं किया है। यह जांच भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की बढ़ती प्रमात्रा के परिणामस्वरूप न कि विचाराधीन उत्पाद के पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के लिए की गई थी। इसलिए इन हितबद्ध पक्षकारों का तर्क समझ से पहले है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(ख) निर्यात: निम्नलिखित तालिका घरेलू उद्योग द्वारा किये गये निर्यातों के संबंध में प्रदान करती है-

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात (एमटी)	87361	113437	147735	109579
अनुक्रमित	100	130	169	125

घरेलू उद्योग द्वारा किये गये निर्यातों में वर्ष 2011-12 के पश्चात वर्ष 2012-13 में गिरावट आयी है जबकि वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक इनमें लगातार वृद्धि हुई।

यह भी नोट किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में अपने उत्पादन का क्रमश: 38.9 प्रतिशत, 39.9 प्रतिशत 46.3 प्रतिशत और 43.08 प्रतिशत निर्यात किया है। यह दर्शाता है कि सीमलेस पाइप और ट्यूब का निर्यात घरेलू उद्योग का एक बड़ा व्यवसाय है। वर्ष 2012-13 में निर्यात में 38156एमटी की गिरावट आयी जिसके कारण घरेलू बाजार को बेशी क्षमता उपलब्ध हुई। भारतीय उद्योग द्वारा वर्ष 2012-13 में खोये निर्यात बाजार की पूर्ति घरेलू बाजार में बढ़ती हुई मांग के कारण नहीं हो सकी और इसमें 15.2 प्रतिशत की गिरावट आई। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की कुल घरेलू बिक्री में भी वर्ष 2012-13 में कमी आई। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2012-13 में मालसूची में वृद्धि का यह एक बड़ा कारक था।

(ग) घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति:

उपर्युक्त के रूप में किये गये समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच अवधि के दौरान गिरावट आयी। घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन में 2009-10 से 2011-12 तक वृद्धि हुई। तथापि घरेलू उद्योग का वर्ष 2012-13 में कुल उत्पादन वर्ष 2011-12 की तुलना में घटा है। घरेलू उद्योग की बिक्रियों में भी वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक में वृद्धि प्रदर्शित हुई है परंतु उसके पश्चात वर्ष 2012-13 में इसमें गिरावट आ गई। 2011-12 अपवाद रहा जब विगत वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में 6 प्रतिशत का मामूली सा सुधार हुआ। आधार वर्ष से तुलना करने पर वर्ष 2012-13 की अभिनव अवधि और वर्ष 2011-12 से तुलना करने पर वर्ष 2012-13 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में तीव्र गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वर्ष 2012-13 की अत्यधिक अभिनव अवधि में, वर्ष 2011-12 और आधार वर्ष से तुलना करने पर गिरावट आयी है। घरेलू उद्योग की माल सूची में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग

द्वारा भारत से किये गये निर्यातों में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2012-13 तक गिरावट आयी है और इससे पहले वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक इसमें निरंतर वृद्धि हुई थी।

अत: लगभग उन सभी कारकों के आलोक में जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि भारी समग्र अवक्षयण हुआ है। अत: यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के बढ़ते आयात के कारण गंभीर क्षति हुई है।

31. कारणात्मक संबंध

सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1977 के नियम 5(3)(ग) में यह उल्लेख है कि संवर्धित आयातों और कथित क्षति या क्षति की गंभीर चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध अपेक्षित है।

कारणात्मक संबंध का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन सभी संगत कारकों का उद्देश्य परक और परिणात्मक प्रकृति का अध्ययन किया गया जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

चूंकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वर्ष 2011-12 के 24.78 प्रतिशत से कमी होकर वर्ष 2012-13 में 24.4 प्रतिशत हो गया इस प्रकार इसमें 0.54 प्रतिशत की कमी आई और बाजार हिस्सा जो वित्त वर्ष 2009-10 में 25.75 प्रतिशत था घटकर वित्त वर्ष 2012-13 में 24.24 प्रतिशत रह गया अर्थात इसमें 1.51 प्रतिशत की कमी आई जबकि आयातों के बाजार हिस्से में समनुरूपी वृद्धि हुई। आयातों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2009-10 में 55.38 प्रतिशत था वर्ष 2012-13 में बढ़कर 64.01 प्रतिशत हो गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कारणात्मक संबंध मौजूद है। इसके अतिरिक्त यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट की प्रमात्रा वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान आयात मात्रा में गिरावट से कम थी। घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट के अनुरूप ही आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

वर्तमान मामलें में यद्यपि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में 2011-12 तक वृद्धि हुई और उसके पश्चात वर्ष 2012-13 में इसमें गिरावट आयी है। उसी अवधि के दौरान उद्योग के उत्पादन, बिक्री, निर्यात, उत्पादकता और रोजगार में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। यहां मैं पाता हूं कि जब आयातों में वृद्धि हुई तो घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में भी सुधार हुआ और वर्ष 2012-13 में जब आयातों में गिरावट आयी तो घरेलू उद्योग के निष्पादन में भी गिरावट आयी। तथापि यह भी देखा जाता है कि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता में बढ़ोतरी और क्षमता वृद्धि से पूर्व न्यून क्षमता उपयोग के कारण क्षति सहन कर रहा है। उत्पादकता में अत्यधिक अभिनव अवधि में गिरावट आयी है हालांकि घरेलू उद्योग ने संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान वर्ष दर वर्ष के आधार पर, इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि आयात बढ़ रहे है या घट रहे है। रोजगार के स्तर में बढ़ोतरी की है। मालसूची की स्थिति उत्पादन में गिरावट आने के बावजूद और अधिक बदतर हो गयी। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वर्ष 2011-12 तक इस उत्पाद की बढ़ती मांग के कारण आयातों, उत्पादन, बिक्रियों, उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि हुई है तथा 2012-13 में मांग में कमी आने के परिणामस्वरुप आयातों, उत्पादन, बिक्री, उत्पादकता और रोजगार में कमी आयी है। तथापि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया यह सरल निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर सही नहीं है जहां वर्ष 2012-13 की अत्यधिक अभिनव अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग और आयात दोनो में गिरावट आने के बावजूद मांग में आयातों का हिस्सा तथा वर्ष 2012-13 में इसके आयात हिस्से में वृद्धि हुई है। इसका इस तथ्य से भी समर्थन होता है कि घरेलू उद्योग को संपूर्ण जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदायकता में गिरावट का सामना करना पड़ा है। इससे संवर्धित आयातों और अत्यधिक अभिनव अवधि तथा जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।

रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2 (ख) में संवर्धित आयातों तथा गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने का प्रावधान है और यह उद्देश्य परक साक्ष्य के आधार पर स्थापित हो चुका है। कारणात्मक संबंध के मुद्दे की जांच कोरिया-डेरी (डब्ल्यूटी/डीएस98/आर, दिनांक 21.2.1999) के संबंध में डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा की गई जांच के अनुरुप की गई है और इस पैनल ने कारणात्मक संबंध का निर्धारण करने के लिए आधारभूत अधिगम स्थापित किया है।

7.89 कारणात्मक संबंधों का आकलन करते समय, यह हमारा विचार है कि, राष्ट्रीय प्राधिकारी को यह विश्लेषण करने और यह निर्धारित करने की जरूरत होती है कि क्या उद्योग में हुए विकास, गंभीर क्षति का प्रदर्शन करने के लिए जिन पर राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया, बढ़ते हुए आयातों के कारण हुए है। कारणात्मक संबंधों का आकलन करते समय राष्ट्रीय

प्राधिकारी को उन सभी कारकों का उद्देश्य परक एवं गणनीय प्रकृति का मूल्यांकन करना होता है जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रीय प्राधिकारी ने संवर्धित आयातों के अलावा कुछ ऐसे अन्य कारक अभिज्ञात कर लिये है जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है तो यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए यह न माना जाए कि वह क्षति संवर्धित आयातों द्वारा कारित की गई है।

7.90 कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए कोरिया को यह अभिव्यक्त करना पड़ा कि उसके घरेलू उद्योग को क्षति संवर्धित आयातों के कारण हुई है। दूसरे शब्दों में कोरिया को यह दर्शाना पड़ा कि एसएमपीपी के आयातों के कारण उसके मिल्क पाउडर और कच्चे दूध का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने पर कोरिया के प्राधिकारी ने अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया।

हमने सभी सूचीबद्ध तथा अन्य संगत कारकों का उद्देश्य परक एवं परिकलनीय मूल्यांकन किया है जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है और उनका ऊपर वर्णन किया गया और गंभीर क्षति का निर्धारण इन्हीं कारकों के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। ऊपर किये गये विश्लेषण से यह देखा जा सकता है कि आयातों की उपरीगामी प्रवृति क्षति कारकों की अधोगामी प्रवृति से जुड़ी हुई है। लगभग सभी कारको का व्यक्तिगत रुप से सामूहिक रुप से किय गया मूल्यांकन यह दर्शाता है कि संवर्धित आयातों और इन आयातों द्वारा कारित गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है और इसलिए मैं यह उपपादित करता हूं कि इस मामले में कारणात्मक संबंध स्थापित हो गया है।

32. गंभीर क्षति की चुनौती

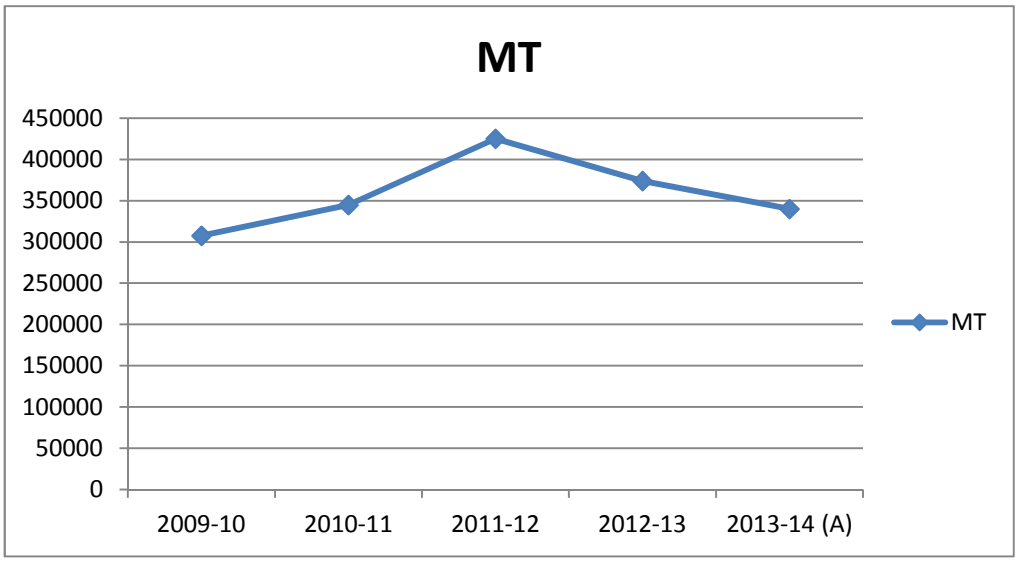
आवेदकों ने उल्लेख किया है कि संपूर्ण विश्व में बड़ी बाजारों द्वारा विभिन्न व्यापार उपचारी कार्रवाईयों के कारण और चीन जन.गण तथा यूएस में क्षमताओं में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की चुनौती का स्पष्ट एवं आसन्न खतरा है। इसके अतिरिक्त ओएनजीसी के 80 प्रतिशत से अधिक टेंडर और ऑयल इंडिया के 57 प्रतिशत से अधिक टेंडर विदेशी प्रदायकों को प्रदान किये जाने के परिणामस्वरुव संबद्ध वस्तु का निर्वाध आयात होगा जिससे घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग को समग्र रुप से गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न होगी।

सार्वजनिक सुनवाई के दौरान पीओआई से परे के आयात आंकड़ों के बारे में यह जांच करने के लिए पूछा गया कि क्या संवर्धित आयातों की प्रवृत्ति है या नहीं और क्या इससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है या नहीं। घरेलू उद्योग ने वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही के आयात आंकड़े प्रस्तुत किये है जो निम्नलिखित है:-

वित्त वर्ष	कुल आयात (एमटी)	कुल आयात वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक रुप से अनुक्रमित
2013-14 (तिमाही 1)	85011	
2013-14	340044 (वार्षिकीकृत)	111

अधोलिखित ग्राफ आधार वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 (वार्षिकीकृत) की प्रथम तिमाही के आयातों की प्रवृति की प्रकृति दर्शाता है। वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 (वार्षिकीकृत) तक अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु की तुलना करने पर यह संकेत मिलता है कि आयातों में समग्र रुप से 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है परंतु वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 से 2013-14 (वार्षिकीकृत) तक कम होने की प्रवृति प्रदर्शित होती है।

ग्राफ-1



वर्ष 2013-14 की प्रथम तिमाही के आंकड़ों का जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए विश्लेषण करने पर यह संकेत मिलता है कि आयातों में यह गिरावट चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में भी बनी रही अर्थात वर्ष 2012-13 में हुए 373848 एमटी आयात की तुलना में वर्ष 2013-14 में 340044 एमटी के आयात हुए जो आयातों में 11 प्रतिशत की कमी है। इसलिए यह देखा जाता है कि आयातों में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई परंतु विगत की वर्ष की तुलना में 2012-13 के अत्यधिक अभिनव अवधि में या वर्ष 2012-13 या 2011-12 से 2013-14 (वार्षिकीकृत) में यह प्रवृत्ति स्थिर नहीं रही।

इस संबंध में यह देखा जाता है कि यद्यपि चीन जन.गण और ईयू द्वारा क्षमताओं में वृद्धि घरेलू उद्योग को दीर्घकालिक चुनौती उत्पन्न कर सकती है और जांच की अवधि के पश्चात की अवधि अप्रैल, 2013 से जून, 2013 तक के आंकड़ों का विश्लेषण यह व्यक्त करता है कि घरेलू उद्योग का उक्त चुनौती अववोधन अवांछित है। इसके अतिरिक्त निविदाएं प्रदान करना/प्राप्त करना या प्राप्त न होना घरेलू उद्योग के लिए चुनौती का एक कारण नहीं हो सकता है क्योंकि ओएनजीसी जैसी कंपनियों द्वारा ऑयल पाइप और बायलर पाइप की श्रेणी में प्रमुख निर्यात अंतरर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया द्वारा किये जाते है जहां घरेलू बोलीदाताओं को निविदा में प्रतिभागिता करने का समान अवसर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बोली की स्थिति में सभी प्रतिभागीगण निविदा बोली दस्तावेजों में निर्धारित शर्तो एवं निवंधनों के अनुसार परियोजना के लिए क्रेता द्वारा चयनित न्यूनतम कीमत पर बोली लगाते है और निर्यातकों का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। अत: विशिष्ट उत्पाद के लिए यह एक खुला प्रापण है। यदि उक्त उत्पाद की आपूर्ति की जाती है तो वह प्रतिस्पर्धी लागत पर होती है चाहे वह घरेलू उद्योग द्वारा की जाए या आयात द्वारा।

इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग का तर्क स्वीकार नहीं है जहां तथ्य यह संकेत करते है कि वर्ष 2012-13 की विगत तिमाही में हुए आयातों की तुलना में वर्ष 2013-14 की प्रथम तिमाही में आयातों में गिरावट आयी है। वर्ष 2013-14 की प्रथम तिमाही के आयात आंकड़ों का वार्षिकीकरण यह सुझाता है कि वर्ष 2013-14 में आयातों में पिछले वर्ष हुए 373848 एमटी के आयातों की तुलना में गिरावट होकर 340044 एमटी आयात होने की उम्मीद है। 2013-14 की प्रथम तिमाही के उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों का वार्षिकरण यह दर्शाता है कि वर्ष 2013-14 (वार्षिकीकृत) का उत्पादन आधार वर्ष 2009-10 की तुलना में 1 प्रतिशत घटा है जबकि वर्ष 2013-14 वार्षिकीकृत की बिक्री आधार वर्ष की तुलना में लगभग समान स्तर पर बनी रही है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा वर्ष 2013-14 में (वार्षिकीकृत) आधार वर्ष की तुलना में तथा 2012-13 के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में बढ़ा है वर्ष 2012-13 और 2013-14 (वार्षिकीकृत) में आयातों का बाजार हिस्सा लगभग एक समान बना रहा। अत: रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाता हो कि व्यापार उपचारी साधनों तथा चीन द्वारा नई क्षमताओं में वृद्धि किये जाने से इन स्रोतों से निर्यात भारत की ओर इतनी अधिक मात्रा में विपथित होगे कि उनसे घरेलू उद्योग

को गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए यह स्पष्ट है कि भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों की निरंतरता से घरेलू उद्योग को क्षति का कोई आसन्न खतरा नहीं है।

वित्त वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (तिमाही 1)	2013-14 (वार्षिकीकृत)
कुल आयात (एमटी)	307581	344829	425194	373848	85011	340044
घरेलू उद्योग का उत्पादन (एमटी)	224216	283619	318968	254316	55468	221872
घरेलू उद्योग की बिक्री	143017	168740	170826	141558	35785	143140
अन्यों की बिक्री	104823	101020	93386	68662		45246
खपत/मांग	555421	614589	689406	584064		528430
मांग में बाजार हिस्सा						
खपत के संदर्भ में आयात (%)	55	56	62	64		64
घरेलू उद्योग की बिक्री	26	27	25	24		27

33. समायोजन योजना

सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5(2) में यह अपेक्षा की जाती है कि आयात प्रतिस्पर्धा से सकारात्मक समायोजन करने के लिए किये जा रहे या किये जाने के लिए योजित या दोनों के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटी करार में भी प्रावधान है कि कोई सदस्य रक्षोपाय साधन का प्रयोग गंभीर क्षति का निवारण करने या उसका उपचार करने के लिए आवश्यक सीमा तक करेगा और समायोजन सुलभ बनायेगा।

निर्णायक रक्षोपाय साधन का प्रयोजन घरेलू उत्पादकों को सीमित समयावधि के लिए ऐसे साधन प्रदान करना है जिससे वह पुन क्षमता प्राप्त कर सके और आयातों से प्रभावशाली ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सके। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख (4) और सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 के नियम 16(2) में प्रावधान है कि यदि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उत्पादक समायोजन कर रहे है तो उस उपाय के विस्तार का निषेध किया जा सकता है।

इस मामले में घरेलू उत्पादकों ने समायोजन योजना निर्धारित की है जो मुख्यत: निम्नलिखित सेक्टरों में कीमत कम करने पर बल देती है:-

(i) कच्चा माल

(ii) विद्युत एवं उपयोगी वस्तुएं

(iii) मालसूची, कार्मिक और वित्त का प्रबंधन

मैसर्स आईएसएमटी ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने डीआरआई स्पंज आयरन का आयात करना प्रारंभ कर दिया है जो बिलेट की लागत को कम कर देगा। मैसर्स आईएसएमटी ने अभी हाल ही में एक ग्राही संयंत्र स्थापित किया है जिसने वर्ष 2013 में उत्पादन प्रारंभ कर दिया है और इससे विद्युत लागत में बचत होगी। उन्होंने उत्पादन में सुधार करके, ईंधन के प्रकार में परिवर्तन करके, मिल फरनेश की सुनियोजित बंदी, बेहतर भंडार और स्पेयस, मालसूची प्रबंधन, प्रशासनिक लागत और वित्त लागत में कटौती करने की योजना भी बनाई है।

मैसर्स जिंदल एसएडब्ल्यू ने उल्लेख किया है कि वे उच्चतर वजन वाली बिलेट का इनपुट कच्चे माल के रुप में प्रयोग करने की योजना बना रहे है जिसका अंतिम उत्पाद और लागत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विद्युत लागत में कमी करने के लिए मैसर्स जिंदल एसएडब्ल्यू का इरादा तेल के स्थान पर कोयला का प्रयोग करना है जिससे ऊर्जा लागत में कमी हो। मैसर्स जिंदल एसएडब्ल्यू का इरादा अगले तीन वर्षों में कच्चे माल तथा तैयार वस्तु की माल सूची में कमी लाने का है। वे कतिपय बाजारों के लिए नये उत्पादों का विकास भी कर रहे है।

कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने अपेक्षित समायोजन योजना प्रदान नहीं करायी है अर्थात कोई ठोस विवरण नहीं दिया है और यह कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समायोजन योजना के लिए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित पुनर्गठन योजना दर्शाती है कि वह घरेलू उद्योग द्वारा संसाधनों के कुशल प्रबंधन पर आधारित है जैसे कच्चे माल विद्युत एवं ऊर्जा तथा कार्मिको का बेहतर उपयोग और बेहतर मालसूची प्रबंधन, उत्पादन और प्रसंकरण लागत में कमी। इसमें किसी वास्तविक समायोजन का सुनिश्चय नहीं किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी प्रस्तुत किया है कि प्रस्तावित पुनर्गठन योजना में उस तरीके का प्रकटन नहीं किया गया है जिसका प्रयोग करके याचिकाकर्ता उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। जहां तक याचिका में समायोजन योजना का अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करने में भारी गोपनीयता बरतने के हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के संबंध में कहा जा सकता है कि इस मुद्दे की जांच की गई है।

मैने पाया है कि सीमलेस पाइप और टयूब के आयातों की जांच करने के लिए वर्तमान याचिका ऐसा मामला नहीं है जिसमें आवेदको ने समायोजन योजना प्रस्तुत ही नहीं की है। मामले का तथ्य यह है कि घरेलू उद्योग ने समायोजन योजना याचिका के गोपनीय पाठ के रुप में प्रस्तुत की है परंतु उन्होंने समायोजन योजना का अगोपनीय पाठ याचिका में व्यवसाय उपयुक्तता का दावा करते हुए प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि जांच के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आईएसएमटी लिमिटेड और मैसर्स जिंदल एसएडब्ल्यू लिमिटेड दोनों के लिए दिनांक 29.8.2013 को समायोजन योजना का अगोपनीय पाठ प्रस्तुत कर दिया। तत्पश्चात समायोजन योजना के इस अगोपनीय पाठ को सभी हितबद्ध पक्षकारों ने परिचालित किया गया और उसे सार्वजनिक फाइल में भी रखा गया। हितबद्ध पक्षकारों ने इस समायोजन योजना के संबंध में अपने प्रस्तुतिकरणों/प्रोक्तियों में टिप्पणियां भी की है। तथापि उनमें से किसी ने भी इस आशय का ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि घरेलू उद्योग की समायोजन योजना उन्हें प्रदान नहीं कराई गयी है और/या वह अर्थक्षम नहीं है। अत: हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि घरेलू उद्योग ने समायोजन योजना प्रस्तुत न करके सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5 (2) का उल्लंघन किया है, धारणीय नहीं है।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समायोजन योजना से ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग ने यह सभी सकारात्मक समायोजन पहले से ही करना शुरु कर दिया है और उनमें से कुछ की योजना 2-3 वर्षों की अवधि के लिए की गई है जिसके परिणाम स्वरुप कुल समग्र बचत होगी और वह आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हो जाएंगे। अत: मैं पाता हूं कि घरेलू उद्योग की समायोजन योजना तर्क संगत और भरोसेमंद है।

34. अन्य विकासशील देशों से वित्त वर्ष 2012-13 में विचाराधीन उत्पाद का आयात

क्र.सं.	देश का नाम	आयात मात्रा(एमटी)
1.	बहरीन	299
2.	चिली	88
3.	कांगो	37
4.	मिश्र	32
5.	भूमध्यरेखीय गिनी	79
6.	इंडोनेशिया	3934
7.	कुवैत	1454
8.	मलेशिया	1029
9.	मयान्मार	97

10.	ओमान	687
11.	पाकिस्तान	125
12	कतर	262
13.	रोमानियां	1162
14.	सऊदी अरेबिया	1359
15.	दक्षिण अफ्रीका	163
16.	श्रीलंका	27
17.	थाईलैंड	829
18.	टोगो	0.46
19	ट्रिनिदाद	232
20.	संयुक्त अरब अमीरात	6124
21.	वियतनाम	122
23.	कुल (विकासशील देश)	18141.46
24.	सभी देशों का कुल आयात	373848

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

उपर्युक्त आंकड़ों से मैं पाता हूं कि विचाराधीन उत्पाद के भारत को विकासशील राष्ट्रो, चीन जन.गण को छोड़कर, से कुल आयात व्यक्तिगत रुप से 3 प्रतिशत और सामूहिक रुप से 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है। अत: चीन को छोड़कर अन्य सभी विकासशील देशों के मूल के विचाराधीन उत्पाद के आयात पर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख (1) और रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 9 में उल्लिखित शर्तो के अनुसार रक्षोपाय शुल्क नहीं लगेगा।

35. अनपेक्षित विकास

यह नोट किया जाता है कि अनपेक्षित परिस्थितियों का विश्लेषण करने का महानिदेशक रक्षोपाय का कोई दायित्व/अपेक्षा नहीं हैं क्योंकि क्रियापद्धति संबंधी भारतीय नियमों जिनका अनपेक्षित विकास का विश्लेषण करते समय अनुपालन किया जाए या रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में भी अपनाई जाने वाली क्रियापद्धति के संबंध में कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसे अपनाया जाए या कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसका अनपेक्षित विकास का निर्धारण करते समय अनुपालन किया जाए। जीएटीटी के अनुच्छेद-19 के साथ पठित रक्षोपाय करार राष्ट्रीय प्राधिकारी को उस अनपेक्षित विकास का परीक्षण करने का यह दायित्व सौंपता है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। यह स्पष्ट है कि निदेशालय अपनी जांच में अनपेक्षित विकास के मुद्दे की जांच करता रहा है। अत: उस अनपेक्षित विकास या उन परिस्थितियों की जांच करना महत्वपूर्ण माना जाता है जिसकी बजह से आयातों में वृद्धि हुई।

अर्जेंटिना फूटवियर (ईसी मामला) में अपीलीय निकाय ने धारित किया है कि शब्दबंध अनपेक्षित विकास का आशय उस विकास से होता है जो अप्रत्याशित है। अनपेक्षित विकास वह विकास होता है जिससे उत्पाद का आयात इतनी अधिक मात्रा में होना प्रारंभ हो गया और ऐसी परिस्थितियों में होने लगा जिससे घरेलू उत्पादकों को अप्रत्याशित रूप से गंभीर क्षति हुई या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गयी। कोरिया डेरी मामलों में अपीलीय निकाय में धारित किया कि अनपेक्षित विकास वे विकास होते है जो पेक्षित या प्रत्याशित न हो।

अर्जेंटिना फूटवियर मामलें में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि अनपेक्षित कि अपेक्षा रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए कोई प्रथक शर्त स्थापित नहीं करता है परंतु यह परिस्थितियों एक निश्चित सेट का वर्णन करता है।

घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि विभिन्न बाजारों में व्यापार उपचारी कार्रवाई को पहले ही इंडोनेशियाई रक्षोपाय अधिकारियों ने समान विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अनपेक्षित विकास को अवरोधक के रुप में माना है (जी/एसजी/एन/81आईडीएन114, जी/एसजी/एन/10/आईडीएन/14)।

विश्व स्टील एसोसिएशन –सांख्यिकी वार्षिकी 2011 के अनुसार संबद्ध वस्तु के वैश्विक उत्पादन में तेल एवं गैस खोज द्वारा मांग में बढ़ोतरी के साथ-साथ वृद्धि हुई है। तथापि विभिन्न बड़ी बाजारों में किये गये व्यापार उपचारी साधनों से, जो अपेक्षित नहीं थे व्यापार अपवंचन शुरु हुआ जिससे इंडोनेशिया को भारी वृद्धि हुई।

(क) घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनपेक्षित कारकों का उल्लेख किया है जिनसे उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई है:

(i) अनपेक्षित व्यापार उपचारी कार्य

घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि बड़े उपभोक्ता स्रोतों जैसे यूएस और ईयू द्वारा आयातों, खासकर चीन से आयातों के विरुद्ध अनपेक्षित व्यापार उपचारी कार्य किये है इससे आयातों का विपथन भारत की ओर होने लगा है इस कारण से भारत में आयातों में भारी वृद्धि हुई।

घरेलू उद्योग ने अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किये है:

यूएसए को चीन से निर्यात

अवधि	निवल भार (एमटी)	अनुक्रमित मात्रा	वृद्धि/कमी (एमटी में)
2009	4,06,502	100.00	
2010	1,09,362	26.90	(2,97,140)
2011	1,52,576	37.53	(2,53,927)
2012	1,41,026	34.69	(2,65,477)

चीन से भारत को निर्यात

	निवल भार (एमटी)	अनुक्रमित मात्रा	वृद्धि/कमी (एमटी में)
2009	2,73,612	100.00	**Period**
2010	4,48,586	163.95	1,74,974
2011	5,35,140	195.58	2,61,528
2012	4,32,113	157.93	1,58,501

चीन को ईयू के निर्यात

अवधि	निवल भार (एमटी)	अनुक्रमित मात्रा	वृद्धि/कमी (एमटी में)
2009	1,20,301	100.00	
2010	86,411	71.83	(33,890)
2011	1,03,499	86.03	(16,802)
2012	78,159	64.97	(42,142)

भारत को ईयू के निर्यात

अवधि	निवल भार (एमटी)	अनुक्रमित मात्रा	वृद्धि/कमी (एमटी में)
2009	49,230	100.00	
2010	60,005	121.89	10,775
2011	63,153	128.28	13,923
2012	71,988	146.23	22,758

हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित व्यापार उपाचारी साधन अनपेक्षित नहीं माने जा सकते है क्योंकि इनमें से अधिकांश उपाय 2008-2009 से प्रभावी है। यह भी तर्क दिया जाता है कि सुझाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि ईयू के खिलाफ चीन द्वारा वर्ष 2012 में पाटनरोधी शुल्क अधिरोपण करने से उन आयातों का विपथन हुआ है जांच की अवधि में ईयू से भारत को आयात में हुई वृद्धि अचानक तीव्र और बहुत अधिक है। यह भी तर्क दिया जाता है कि सीमलेस टयूब और पाइपों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत वर्तमान आवेदक की ओर से की गई पहल के कारण की गई है। घरेलू उत्पादक सुझाव देते है कि घरेलू उद्योग चीन जन.गण से बढ़ते आयातों के प्रति जागरुक था।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत आंकड़े दर्शाते है कि चीन के आयातों में वर्ष 2011 से 2012 में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आई है । इसी तरह भारत में ईयू के आयात वर्ष 2010 से लगातार 14 से 20 प्रतिशत तक बढ़े है। चीन को ईयू के निर्यात वर्ष 2010 में घटकर 33890 टन रह गये वर्ष 2009 के स्तर से वर्ष 2010 में भारत को ईयू के आयात बढ़कर 10770 एमटी हो गये।

मैंने यह पाया कि विगत 4 वर्षों के दौरान आयातों की प्रवृत्ति दर्शाती है कि वर्ष 2009-10 की तुलना में चीन से आयातों में वर्ष 2012-13 में 59887 एमटी की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त मैने पाया कि वर्ष 2009-10 से पहले भारत को आयात यह दर्शाते है कि आयातों में लगातार भारी वृद्धि हुई है। चूंकि अधिकांश साधन 2008-09 से प्रभावी है इसलिए जांच की अवधि के दौरान भारत को आयातों में वृद्धि हुई है इससे घरेलू उद्योग के इस तर्क की संपुष्टि होती है कि ईयू द्वारा चीन और अन्य राष्ट्रों के विरुद्ध लगाये गये उपचारी उपायों से आयातों का भारत की ओर विपथन हुआ।

वर्ष	चीन जन.गण से आयात मात्रा (एमटी)	यूरोपियन यूनियन से आयात मात्रा (एमटी)	कुल आयात मात्रा (एमटी
2009-10	198464	49230	307581

2010-11	248174	60005	344829
2011-12	311547	63153	425194
2012-13	258351	71988	373848

स्रोत:डीजीसीआईएस

(ii) यूरोप की बाजारों में खपत में अप्रत्याशित कमी

घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि यूरोप की बाजारों में मांग में अप्रत्याशित कमी की सूचना दी गई है संबद्ध वस्तु की विदेशों में भारी क्षमता के परिणामस्वरूप और विदेशी उत्पादक अपना माल भारत को निर्यात करने लगे है।

हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में वर्ष 2010-11 से दो वर्षो का समय बीत चुका है। वर्ष 2008-09 तथा 2010-11 के बीच ईसी में खपत में स्पष्ट गिरावट को अनपेक्षित के रूप में या वर्तमान रक्षोपाय जांच के लिए संगत के रुप में नहीं माना जा सकता है जिसमें बाजार परिस्थितियों, 2012-13 में विद्यमान और उसके बाद की परिस्थितियों की जांच करने की जरुरत है। यह भी तर्क दिया गया कि ऐसा संकेत करने वाला कुछ भी नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वर्ष 2008 से 2011 की 4 वर्षों की अवधि में ईयू में चीन से आयातों में भारी वृद्धि हुई है। ईयू से भारत को निर्यात में वर्ष 2009 से लगातार वृद्धि हुई है और इस विकास के संबंध में अनपेक्षित कुछ भी नहीं है। यह भी तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनके आरोप का आधार क्या है कि न ही उन्होंने आरोप की सूचना के स्रोत की जानकारी दी है यह कि चीन को ईयू के निर्यातों में वर्ष 2012 के अंत में 90 मिलियन से कमी होकर 20 मिलियन यूरो रह गये। आपूर्ति में 2009-2012 के बीच 35 प्रतिशत की गिरावट आयी जिससे बिक्री में 78 प्रतिशत की कमी हुई। यह भी उल्लेख किया गया है कि सीमलेस उत्पादों की बाजार से यह संकेत मिलता है कि इस बाजार में खपत में उतार-चढ़ाव चक्रीय प्रकृति का रहा है। याचिकाककर्ताओं ने इस तर्क का ना तो कोई स्पष्टीकरण दिया कि खपत में उतार चढ़ाव से वर्ष 2009 में अनपेक्षित कमी और फिर उसमें सुधार कैसे और क्यों हो गया।

जहां तक घरेलू उद्योग के उपर्युक्त प्रस्तुतिकरण और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये तर्कों के संबंध में मैने पाया कि यूरोप की बाजार में मांग में अप्रत्याशित गिरावट विदेशों में संबद्ध वस्तु की क्षमताओं में वृद्धि के परिणामस्वरुप आयी है और विदेशी उत्पादकों ने इसका निर्यात भारत को करना शुरु कर दिया। इस संबंध में आंकड़ों का विश्लेषण निम्नवत किया गया है:-

	यूरोपियन यूनियन से आयात	कुल आयात
वर्ष	मात्रा (एमटी)	मात्रा (एमटी)
2009-10	49230	307581
2010-11	60005	344829
2011-12	63153	425194
2012-13	71988	373848

यह देखा जा सकता है कि यूरोप से आयातों में पिछले 4 वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10 में यह कुल आयातों का 16 प्रतिशत था और वर्ष 2013 में यह कुल आयातों में बढ़कर 19 प्रतिशत हो गया। 4 वर्षों की अवधि में संगत और निरुपाधि रुप से 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और ईयू से आयातों की संवर्धित मात्रा वर्ष 2009-10 की तुलना में बढ़कर वर्ष 2012-13 में 46 प्रतिशत हो गयी अर्थात यह स्पष्ट वृद्धि है जो मेरे विचार से घरेलू उद्योग द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण का समर्थन करती है।

(iii) चीन जन.गण में अतिरिक्त क्षमताएं तथा संयुक्त राज्य में नियोजित नई क्षमताएं।

घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि चीन और यूएस के उत्पादक बड़ी बाजारों में प्रतिबंध के बावजूद अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहे है जिसके कारण भारत के आयातों का और अधिक विपथन हुआ है। चीन जन.गण ने अतिरिक्त क्षमताओं तथा संयुक्त राज्य में नियोजित नई क्षमताओं के संबंध में घरेलू उद्योग ने अपने दावे के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया है।

(क) मैसर्स एसएमएस मीर जर्मनी ने 20 व्यास के सीमलेस ट्यूब के लिए विश्व का सबसे बड़ा पीक्यूएफ संयंत्र चीन के एक संघ को सौपा है जिसमें मैसर्स टियाजिंग पाइप कारपोरेशन और मैसर्स जियांगसु शयांग ग्रुप, मैसर्स हुईगैंग स्पेशल स्टील कंपनी शामिल है और वर्ष 2012 में इसमें उत्पादन शुरु होने की संभावना है।

(ख) मैसर्स वेलोरेक द्वारा संयुक्त राज्य में एक नया संयंत्र स्थापित किया गया जिसकी शुरूआती क्षमता 350000 एमटी (5000000 एमटी तक बढ़ने की संभावना है) हैं, इसने नवम्बर, 2012 में पाइप बनाना शुरू कर दिया।

(ग) मैसर्स वेलोरेक ने वर्ष 2011 में सऊदी अरब के मैसर्स जमील पाइप का अधिग्रहण पूरा कर लिया जिसमें 100 केटी पाइप प्रति वर्ष का हीट उपचार क्षमता और थ्रेडिंग सुविधा है।

(घ) बाजार आसूचना के अनुसार जर्मन की एक कंपनी मैसर्स बेंटीलर स्टील ट्यूब ने संयुक्त राज्य में एक स्टील ट्यूब संयंत्र स्थापित करने के लिए 900 मिलियन डालर निवेश किये है, इसके 2015 तक चलने की संभावना है।

हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि नई क्षमताओं का सृजन अपने-अपने देशों में भारी आंतरिक मांग को ध्यान में रखकर की गई है, साथ ही घरेलू उद्योग यह बताने में असफल रहा कि घरेलू उद्योग की क्षमताओं में विस्तार क्यों नहीं हुआ।

हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि भारत को चीन के निर्यात घटकर वर्ष 2012 में लगभग 20 प्रतिशत हो गये। याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान करायी गई सूचना में उल्लेख है कि कुछ रिकार्ड सेटिंग ट्यूब बनाने की संभावना है। 20 के अधिक व्यास एक रिकार्ड है। अत: पीक्यूएफ सीमलेस ट्यूब नवीन निष्पादन व्यास सृजित कर रहे है और 20 ट्यूब के लिए एसएमएस मिर ने विश्व का सबसे बड़ा कोन टाइप पीयरसर 1700 एमएम व्यास का विकसित किया है। वर्तमान रक्षोपाय जांच के उत्पाद का दायरा टयूब पाइप और हालो प्रोफाइल तक सीमित है जिसका बाहरी व्यास 273.1 एमएम से अधिक नहीं होता है। अत: प्रश्नाधिन संयंत्र का आउटपुट वर्तमान जांच के अधीन उत्पाद से प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। चीन का एक नया संयंत्र 508 एमएम व्यास के टयूब का उत्पादन करता है। इसलिए यह साक्ष्य याचिकाकर्ता के तर्क का समर्थन नहीं करता है।

यूएस में नवम्बर, 2012 में क्षमता विस्तार यूएस से भारत को निर्यात के लिए नहीं किया गया है और इसके विपरीत कोई साक्ष्य ही नहीं प्रदान कराया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रेस रिलिज से सुझाव मिलता है कि नयी क्षमताएं घरेलू बाजार की जरुरत को पूरा करेगी ।

सऊदी अरेबिया में मौजूदा क्षमताओं का अधिग्रहण करने के संबंध में दी गई सूचना विश्व की समग्र क्षमताओं में वृद्धि से संबंधित तर्क से असंगत है केवल स्वामित्व में होना जीएटीटी अनुच्छेद-19:1(क) के आशय के अंतर्गत अनपेक्षित विकास नहीं बनता है।

यूएस में वर्ष 2015 तक संभावित क्षमताओं में विकास से संगत कोई स्पष्टीकरण नहीं है और यह कि आयात के स्तर में वृद्धि हुई है अतार्किक है।

यह देखा जा सकता है कि उपर्युक्त सभी कारवाईयां 2011 और 2012 में शुरु की गई जिनसे यह सुझाव मिलता है कि उपयुक्त कार्रवाईयों के परिणाम स्वरुप भारत को आयात में वृद्धि 2011-12 और 2012-13 में हो जानी चाहिए थी। आयात आंकड़ों की जांच करने से यह संकेत मिलता है कि यद्यपि वर्ष 2011-12 में पिछले वर्ष की तुलना में आयात में वृद्धि हुई है परंतु उत्तरवर्ती वर्षों अर्थात वर्ष 2012-13 में आधार वर्ष की तुलना में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है।

उपर्युक्त तथ्यों से मैंने पाया कि चीन जन.गण में अतिरिक्त क्षमताएं तथा संयुक्त राज्य घरेलू उद्योग में नियोजित नई क्षमताओं से वर्ष 2011-12 में भारत में आयातों में वृद्धि हुई है परंतु यह वृद्धि अधिक अभिनव अवधि अर्थात 2012-13 और 2013-14 की पहली तिमाही में कायम नहीं रखी जा सकी। हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि विदेशों में वास्तविक क्षमता विस्तार नहीं हुआ और सृजित की गई अतिरिक्त क्षमता इस पीयूसी से संबंधित नहीं है जिससे यह संकेत मिलता है कि इस संबंध में घरेलू उद्योग की चिंता निराधार है। जहां तक यूएसए का संबंध है भविष्य के लिए योजित क्षमताओं को संभावित चुनौती नहीं माना जा सकता है। अत: घरेलू उद्योग निष्कर्षात्मक रुप से यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि चीन तथा अन्य देशों में क्षमता विस्तार के परिणाम स्वरुप भारत को इस पीयूसी का अभी हाल ही में विपथन हुआ जो अनपेक्षित विकास था।

(iv) कच्चे माल की लागत में वृद्धि के बावजूद आयात की न्यून कीमत

घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि जांच की संपूर्ण अवधि के दौरान कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है। तथापि कच्चे माल की कीमतों में वैश्विक वृद्धि के बावजूद आयात कीमतों में वृद्धि भारत में विचाराधीन उत्पाद को बनाने और उसकी बिक्री करने की लागत में हुई वृद्धि के अनुरुप नहीं थी। चूंकि भारत एक कीमत संवेदी बाजार है इसलिए कम कीमत वाले आयातों का उपभोक्ताओं ने स्वागत किया।

अपने प्रत्युत्तर में हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि यह एक प्रवृत्ति रही है जिसमें जिंदल एसएडब्ल्यू ने एमएसआई और आईएसएमटी द्वारा उदधृत कीमतों का मुकाबला करने के लिए अपनी कीमतें कम कर दी । इसलिए यह स्पष्ट है कि क्षति स्वयं सृजित की गई। इसके अतिरिक्त भारतीय बाजार में किये गये अतिरिक्त लेन-देन आईसीबी आधारित है जहां विदेशी प्रदायक और घरेलू उत्पादक अपनी कीमतें मुक्त प्रतिस्पर्धा प्रणाली के आधार पर निर्धारित करने के लिए स्व:विवेक का प्रयोग करते है परंतु वह कम कीमतें प्रस्तुत करने के लिए क्रेताओं द्वारा बाध्य किये जाते है। घरेलू उद्योग द्वारा आयातकों द्वारा दर्शायी गई कीमत में कमी विश्व व्यापी कच्चे माल की कीमतों में कमी के अनुरुप है। घरेलू उद्योग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कच्चे माल की कीमतों और निर्मित उत्पाद के कीमतों के बीच अंतर अप्रत्याशित कैसे है। यह सुझाने के लिए कुछ भी नहीं है विसंगति होते हुए भी इस विसंगति को विनिर्माता द्वारा वाणिज्यिक विकल्प द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। आयात कीमतों में कमी के आरोप को सिद्ध नहीं किया गया है क्योकि जापान से विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतें वर्ष 2009-10 से लगभग 2012-13 में 84 प्रतिशत बढ़ी है। अगर यह वृद्धि अप्रत्याशित या अनुपेक्षित रही होती तो आयात कीमतों में कमी यह प्रवृत्ति सभी आयातों में प्रदर्शित होती। यह भी तर्क दिया गया कि घरेलू उद्योग द्वारा दिये गये आंकड़े कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि को स्पष्ट नहीं करते है। थर्मल कोक और लौह अयस्क की कीमतों में जनवरी, 2010 की तुलना में जून, 2013 में कमी आई है। इसके अतिरिक्त थर्मल कोक, कोकिंग कोल, प्राकृतिक गैस और स्टील कतरन की कीमतों में वर्ष 2012 की औसत कीमतों की तुलना में वर्ष 2013 में गिरावट आयी है उदाहरण के लिए वर्ष 2012 में स्टील कतरन की औसत कीमत 390 अमरीकी डालर प्रति टन थी जो वर्ष 2013 में घटकर 382 अमरीकी डालर प्रति टन हो गयी।

हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान कराये गये आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि भारतीय बिक्री लागत वर्ष 2012-13 में 5 इंडेक्स बिंदु तक बढ़ी है। जबकि स्क्रैप की कीमत में 13.5 की कमी आई। याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये तर्क के विपरीत यह सूचना इन कीमतों के बीच संबंध का अभाव दर्शाती है अत: याचिकाकर्ताओं प्रदान कराये गये इन आंकड़ों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। याचिकाकर्ता अप्रत्याशित घटनाओं को स्पष्ट नहीं कर सके जिसके कारण वैश्विक कच्चे माल की कीमतों में अप्रत्याशित उतारचढ़ाव आया।

कच्चे माल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय रुप से वृद्धि के बावजूद आयात के कीमतों में कमी के मुद्दे पर मैं पाता हूं घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया आंकड़ा कच्चे माल की कीमतों में वैश्विक वृद्धि को निर्णायक रुप से स्पष्ट नहीं कर पायी है।

घरेलू उद्योग ने कच्चे माल/अन्य इनपुट की औसत कीमत निम्नवत प्रस्तुत की है:

	2010-11	**2011-12**	**2012-13**
थर्मल कोयला **($/टन)**	115	125	97
अनुक्रमित	**100**	**108**	**84**
कोकिंग कोयला **($/टन)**	160	189	186
अनुक्रमित	**100**	**118**	**116**
लौह अयस्क **(सी/डीएमटीयू)**	158	158	130
अनुक्रमित	**100**	**100**	**82**
प्राकृतिक गैस**($/000**एम^3**)**	310	410	422
अनुक्रमित	**100**	**132**	**136**
स्टील कतरन**($/टन)**	375	420	386
अनुक्रमित	**100**	**112**	**102**
विद्युत **(सी /केडब्ल्यूएच)**	6.81	6.84	6.7
अनुक्रमित	**100**	**100**	**98**

स्रोत: घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराये गये आंकड़े

यह पाया गया कि स्टील स्क्रैप की कीमत 2010-11 में 375 डालर थी, बढ़कर 2011-12 में 420 डालर हो गयी, इसमें पुन: कमी होकर 386 डालर हो गयी। अन्य इनपुटों जैसे थर्मल कोयला कोकिंग कोयला लौह अयस्क और विद्युत की कीमतों ने

पिछले 3 वर्षों में मिलीजुली प्रवृत्ति दर्शायी है अभी हाल ही में 2012-13 में स्टील स्क्रैप तथा अन्य इनपुटों जैसे थर्मल कोयला कोकिंग कोयला लौह अयस्क और विद्युत की कीमतों में कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। अत: मैंने पाया कि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद आयात कम कीमत संवर्धित इन पुटों के लिए एक कारक है।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु आंकड़ों (2009-10 से 2012-13) का अध्ययन यह दर्शाता है कि आयातों की अवसारित कीमत में 4 प्रतिशत बिंदु तक वृद्धि हुई जबकि घरेलू उद्योग की कीमत में 18 प्रतिशत बिंदु तक वृद्धि हुई

विवरण	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
अवसारित कीमत	100	90	99	104
बिक्री लागत	100	107	117	123
आवेदक की बिक्री कीमत	100	106	114	118
रुपये/एमटी में लाभ (अनुक्रमित)	100	86	64	43

यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत बढ़ रही है जिससे उन्हें अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा परंतु वे उसे लाभप्रद स्तर तक नहीं बढ़ा सके। कीमत निग्रहण ने उनकी लाभप्रदायकता को प्रभावित किया जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई।

उपर्युक्त आंकड़ों का अध्ययन करने से मैं घरेलू उद्योग के इस तर्क से सहमत हूं कि चीन और यूरोपियन यूनियन के उत्पादक भारतीय बाजार को लक्ष्य बना रहे है बड़े निर्यातक देशों में बेशी क्षमता मौजूद है और इस तथ्य के बावजूद भी इस विचाराधीन उत्पाद की भारतीय मांग/खपत में गिरावट आयी है फिर भी आयातों में संगत रुप से वृद्धि हुई है। अत: यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा दावाकृत अनपेक्षित यूरोपिय बाजार में व्यापार उपचारी उपाय और खपत में कमी इस मामले में अनपेक्षित विकास है।

36. जनहित

महानिदेशक रक्षोपाय का ऐसा कोई दायित्व नहीं होता है कि वे जनहित का विश्लेषण करें। तथापि रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख निम्नवत है:

कोई सदस्य रक्षोपाय साधन का प्रयोग उस सदस्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जांच के अनुकरण में जो कि गाट 1994 के अनुच्छेद 10 के अनुरुप हो, किया जा सकता है। इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सार्वजनिक नोटिस और सार्वजनिक सुनवाई या अन्य कोई साधन होता है जिसमें आयातक निर्यातक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने साक्ष्य और अपने विचार प्रस्तुत कर सकें जिसमें उनके प्रस्तुतिकरणों का अन्य पक्षकारों को प्रत्युत्तर देने का अवसर मिले और वे अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट कर सके कि रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग जनहित में होगा या नहीं। सक्षम प्राधिकारी सभी संगत तथ्यों और विधि के अनुसार अपने निष्कर्ष और जांच परिणाम की रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे।

जनहित के संबंध में अपने प्रस्तुतिकरणों में घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि उन्होंने घरेलू प्रयोक्ता सेक्टर को सहयोग करने की क्षमता विकसित कर ली है और यह तकनीकी उन्नयन और मानव संसाधन विकास में भारी निवेश से संभव हुआ है। घरेलू उद्योग विद्युत और तेल अन्वेषण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उद्योग है और यह स्वदेशी रुप से इसकी मांग को पूरा करता है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि कम कीमतों वाले आयात से घरेलू उद्योग को (1) रोजगार में क्षति (2) करों के कारण सरकारी राजस्व में घाटा (3) बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का संवर्धित आउटफ्लो के रुप में क्षति हुई है जिसके कारण रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में होगा। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि यदि विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो इन उद्योगो को विचाराधीन उत्पादों का अधिप्रापण/खपत करने में मदद मिलेगी और इससे इन उद्योगों के प्रचालनों पर प्रभाव पड़ेगा।

हितबद्ध पक्षकार जैसे ओएनजीसी ने उल्लेख किया है कि कई बार घरेलू बोलीदाता ओएनजीसी निविदा की किसी मद या समूह के लिए बोली उदधृत नहीं करते है और वे किसी विशिष्ट मद अथवा समूह के लिए ही बोली लगाते है। ओएनजीसी ने

दावा किया है कि वह अपनी प्रचालनात्मक जरुरतों को पूरा करने के लिए ओएनजीसी सीमलेस पाइप और टयूब की प्राप्ति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए करती है क्योंकि घरेलू रुप से आपूर्ति के सीमित स्रोत उपलब्ध है। इसके अतिरिकत तेल एवं गैस कंपनियां जैसे ओएनजीसी को हाइड्रोकार्बन महानिदेशक द्वारा सीमलेस पाइप और टयूब का आयात करने के लिए विशेष लाइसेंस देते है जिनपर शून्य सीमाशुल्क लगता है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पुन: यह तर्क दिया गया कि सीमलेस पाइप और टयूब पर रक्षोपाय शुल्क लगाना उनकी निविदाओं में प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करेगा क्योंकि ओएनजीसी की निविदाओं में विदेशी बोलीदाताओं की प्रतिभागिता कम हो जाएगी और कुछ मामलों में ओएनजीसी को घरेलू बोलीदाताओं द्वारा उदधृत कीमतों से तुलना करने के लिए विदेशी बोली दाताओं द्वारा संदर्भ कीमत प्राप्त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सीमलेस पाइप और टयूब पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से ओएनजीसी पर अतिरिकृत वित्तीय बोझ पड़ेगा जिससे ओएनजीसी के प्रचालन प्रभावित हो सकते है। एक अन्य पब्लिक सेक्टर कंपनी भेल ने दावा किया है कि विदेशी प्रदायकों को अधिक आर्डर मिल रहे है क्योंकि वे संपूर्ण श्रंखला के लिए बोली लगाते है जबकि भारतीय प्रदायक सीमित रेंज के लिए बोली लगाते है। मैसर्स एनईआई ने प्रस्तुत किया है कि रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव 7.5 प्रतिशत से 13.1 प्रतिशत के बीच होता है और बेरिंग ग्रेड टयूब पर रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा और बेरिंग की लागत में वृद्धि उनके प्रचालनों को अर्थक्षम नहीं रखेगी जिससे उन्हें गंभीर क्षति होगी। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि अभी तक गुणवत्ता मुद्दे पूरी तरह से हल कर दिये गये है इसलिए अनपयुक्त उत्पाद को संरक्षण प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

मेरा विचार है कि जांचाधीन उत्पाद के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने पर जनहित के संबंध में इष्टतम संतुलन बनाना होगा। इसमें ना केवल घरेलू उद्योग बल्कि अन्य प्रयोक्ता उद्योगों के उत्पाद पर भी ध्यान देना होगा जिसे यदि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है तो वह वांछित गुणवत्ता/विनिर्देशन के उत्पादों का कीमत निर्धारण करने में अक्षम रहेंगे। यदि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो यह उत्पाद भारतीय अंतिम उपयोगक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध नहीं होंगे और उन्हें भारी आयात कीमतें अदा करनी पड़ेगी।

ओएनजीसी और भेल जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण करने और नये विद्युत संयंत्रों का अवसंरचना विकास करने में लगे है इससे कि ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त कर सके। सीमलेस पाइप और टयूब पर अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क निश्चित ही इन कंपनियों पर वित्तीय बोझ बढ़ायेगा जिससे इसके प्रचालनों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा खासकर तब जबकि घरेलू बोलीदाता मदों की संपूर्ण श्रृंखला के लिए बोली नहीं लगाते है। तथापि सुदृढ़ घरेलू उद्योग भी आवश्यक है जो घरेलू बाजार की जरुरत को पूरा कर सके और विदेशी प्रदायकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। यह नोटिस किया गया कि घरेलू उद्योग इस पीयूसी के ग्रेडों के सभी प्रकार की आपूर्ति करने में सक्षम है और यह निर्यात भी कर सकता है। उन्होंने बिक्री बीजकों के रुप में मूर्त साक्ष्य प्रदर्शित किये है कि उनके पास पीयूसी की संपूर्ण श्रृंखला का विनिर्माण करने की पूरी क्षमता और विशेषज्ञता है। यह घरेलू उद्योग ने अपने प्रस्तुतिकरण करते समय यह तर्क भी दिया है कि वे कम कीमतों वाले आयात के कारण ओएनजीसी की निविदाएं प्राप्त नहीं कर पाते है। इस पहलू का परीक्षण इस जांच में नहीं किया जा सकता है क्योकि यह जांच सीमाशुल्क प्रशुलक अधिनियम 1975 की धारा 8ख के प्रावधानों के अंतर्गत आयोजित की गई है।

यह भी नोटिस किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यह प्रदर्शित किया है कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का प्रमुख उपयोगकर्ता उद्योगों/सेक्टरों पर 1.94 प्रतिशत से 2.73 प्रतिशत के बीच मामूली सा प्रभाव पड़ेगा। मैसर्स एनईआई ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की कीमतों की सूचना का स्रोत नहीं बताया गया है और इसलिए उनके लिए उस पर चर्चा करना संभव नहीं है। मैसर्स एनईआई ने अपनी कीमतों के समर्थन में बीजक प्रस्तुत किये है और कहा है कि रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव केवल 7.5 प्रतिशत से 13.1 प्रतिशत के बीच होगा। तथापि मैं पाता हूं कि एनईआई के अलावा बेरिंग के किसी भी अन्य उत्पादक या निर्यातक ने हितबद्ध पक्षकार के रुप में प्रतिभागिता नहीं की है और न ही रक्षोपाय शुल्क के न्यूनतम प्रभाव के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के विरुद्ध सार्वजनिक सुनवाई के दौरान कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सीमलेस पाइप और टयूब की कुल मांग की तुलना में मैसर्स एनईआई द्वारा सीमलेस पाइप और टयूब के प्रयोग का अनुपात बहुत कम है और यह तथ्य कि मैसर्स एनईआई फायदे में है और इसलिए रक्षोपाय शुल्क का बोझ उठा सकता है, मैं महसूस करता हूं कि विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में होगा।

37. निष्कर्ष

उत्पादन की तुलना में आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। जांच की कालावधि के दौरान शुरू से अंत तक देखा जाए तो, आयात में काफी अच्छी मात्रा में पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। आयात में हुई इस वृद्धि से उत्पादन, बिक्री, निर्यात, उत्पादकता, क्षमता उपयोग एवं लाभप्रदता में कमी आई है और सामान के स्टॉक में बढ़ोतरी हुई है। इस स्थिति के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है तथापी गंभीर क्षति का कोई गंभीर खतरा नहीं है। जांच की कालावधि के दौरान पाया गया कि आयात में

बढ़ोतरी और गंभीर क्षति के मध्य कारणात्मक संबंध है। घरेलू उद्योगों द्वारा एक व्यवहार्य समन्वय योजना प्रदान कि गई जिसके द्वारा उन्होने यह प्रदर्शित किया है कि वह कुछ सकारात्मक समायोजन कर रहे हैं जिससे वह वर्धित आयातों के लिए प्रतिस्पर्धी रहें और विचाराधींन उत्पाद पर लगे रक्षोपाय शुल्क से उस उत्पाद के छोर प्रयोक्ताओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़े और वह सार्वजनिक हित में हो । मुझे लगता है कि घरेलू उद्योग कि रक्षोपाय शुल्क की माँग सभी आंतरिक एवं अंतराष्ट्रीय कानूनों कि जरूरतों को पूर्ण करता है।

अतः इस स्तर पर घरेलू उद्योग को रक्षोपाय शुल्क के आपातकालीन मापदंड के अभिग्रहण द्वारा वर्धित आयात के प्रकोप से बचाना आवश्यक है।

38 सिफ़ारिश :

ऊपर दिए गए विवरण को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग के बचाव हेतु सीमा शुल्क (अभिनिर्धारण एवं मूल्यांकन) नियम 1997 के नियम 12 के तहत 'लौह, अलाय या गैर अलाय स्टील (ढलवा लोहा और स्टेनलेस स्टील के अलावा) के ट्यूब, पाइप और हालो प्रोफाइल, सीमलेस, हाट फिनिस्ड या कोल्ड ड्रान या कोल्ड रोल्ड जिनका बाह्य व्यास 273.1 एमएम (ओडी) से अधिक न हो और जिनकी क्षमता संगत मानकों के अंतर्गत यथानिर्धारित हो (जिसे एतद्पश्चात सीमलेस पाइप और ट्यूब कहा गया है) के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के आरोपण की सिफ़ारिश की जाती है और जो खंड शीर्षक (शीर्षक सिर्फ निर्देशात्मक है) 73041910; 73041920; 73041990; 73042310; 73042390; 73042910; 73042990; 73043111; 73043119; 73043121; 73043129; 73043131; 73043139; 73043911; 73043919; 73043921; 73043929; 73043931; 73043939; 73045110; 73045120; 73045130; 73045910; 73045920; 73045930; 73049000; में शामिल हों। परंतु इसमें निम्नलिखित को शामिल नहीं किया गया है-

1. सीमलेस स्टील अलाय पाइप, टयूब और हालो प्रोफाइल एएसटीएम ए213/एएसएमई एसए 213 और एएसटीएम ए355/एएसएमई एसए 335 विनिर्देशन या समकक्ष बीआईएस/डीआईएन/बीएस/ईएन या कोई अन्य समकक्ष विनिर्दिशन ।
2. नान एपीआई और पेटेंटेड प्रीमियम ज्वाइंट/प्रीमियम कनेक्शन / प्रीमियम थ्रेडेड टयूब और पाइप जिनका ग्रेड क्यू-125, 13सीआर, एल-80, पी-110, सी-90, सी-95, टी-90 और टी-95 को।
3. 13 क्रोमियम (13सीआर) ग्रेडों के सभी टयूब और पाइप जो उपर्युक्त (2) में शामिल न हो।
4. ड्रिल कालर

विचारधीन उत्पाद की बिक्री के औसतनमूल्यों को और लगाई गई पूँजी पर मुनासिब फायदे को ध्यान में रखते हुए रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना निम्नांकित तरीके से स्वीकार्य किया जाता है।

अवधि	रक्षोपाय शुल्क की दर
प्रथम वर्ष	25% यथामूल्य
द्वितीय वर्ष	15% यथामूल्य
तृतीय वर्ष (छ माह के लिए)	5% यथामूल्य

चूंकि चीन लोक गणराज्य को छोड़कर, विकासशील देशों से आयात की मात्रा पृथक-पृथक 3 प्रतिशत और सामूहिक रूप से 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है अत: चीन लोक गणराज्य को छोड़कर , सीमा शुल्क अधिनियम के अनुच्छेद 8बी के तहत किसी विकासशील देश से किए गए आयात पर रक्षोपाय शुल्क लागू नहीं किया जायेगा ।

[फा. सं. डी-22011/17/2012]

आर के सिंगला, महानिदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF SAFEGUARDS

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE)

NOTIFICATION

New Delhi, the, 11th March, 2014

Subject: Safeguard investigation concerning imports of Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel) into India

Final Findings

G.S.R. 180 (E).—Having regard to the Custom Tariff Act, 1975 and the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 thereof.

PROCEDURE

1. An application was filed under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 [hereinafter referred to as "Safeguard Rules"] by M/s. Jindal Saw Ltd., Jindal Centre, 12 BhikajiCama Place, New Delhi -110066 and M/s ISMT Ltd., Lunkad Towers, Viman Nagar, Pune 411014 seeking imposition of Safeguard Duty on imports of Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel) into India claiming that increased imports of Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel) is causing and/or threatening to cause serious injury to the domestic producers of Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel) in India. The petition is also supported by M/s Maharashtra Seamless Ltd. (MSL), Jindal Corporate Centre, Plot No.30, Institutional Sector -44, Gurgaon -122001.

2. In order to satisfy the requirements under Rule 5 of the said Safeguard Rules, the information presented by the applicant was verified by on-site visit to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. The non-confidential version of verification report is kept in the public file. On being satisfied that the requirements of Rule 5 were satisfied, the Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel) into India was issued under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 22nd April 2013 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day.

3. A copy of the Notice of Initiation dated 22nd April 2013 along with copy of non-confidential version of the application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government, in the Ministry of Commerce, and other Ministries concerned, Governments of major exporting countries through their Embassies in India, and the Interested Parties listed below, in accordance with Rule 6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997:

A. Domestic Producers

(i) M/s ISMT Limited, Lunkad Towers, Viman Nagar, Pune 411014 (Applicant)

(ii) M/s Jindal SAW Ltd., Jindal Centre, 12 Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066 (Applicant)

(iii) M/s Maharashtra Seamless Ltd, Jindal Corporate Centre, Plot No.30, Institutional Sector-44 Gurgaon -122001 (Supporter)

(iv) M/s Indian Sugar and General Engineering Corporation (ISGEC), Radaur Road Yamuna Nagar

(v) M/s Ratnadeep Metal & Tubes Ltd., Survey No. 1015/2,Village Rajpur Mehsana Highway, Tal. Kadi Pin: 382715

(vi) M/s PTC Alliance Precision Products (Asia) Pvt. Ltd., 77 Chamiers Road Raja Annamalaipuram, Chennai

(vii) M/s Tamilnadu Boilers and Components Manufacturers' and Users Association, D-99 Developed plots Estate, ThuvakudyTrichirapalli, Tamilnadu 620015

(viii) M/s. Remi Metals Gujarat Limited, Welspun House, 4th Floor Kamala Mills Compound,Senapati Bapat Marg,Lower Parel (West),Mumbai

(ix) M/s Oil Country Tubular Ltd, KAMINENI', 3rd Floor, King Kothi Hyderabad

B. Importers/User Industry

(i) M/s Maruti Koatsu Cylinders Ltd.,307, Swastik Chamber, 3rd Floor, Chembur, C S T Road, Chembur, Mumbai-400071

(ii) M/s Bharat Heavy Electricals Ltd., BHEL House, Siri Fort, New Delhi

(iii) M/s ONGC, Tel Bhavan, Dehradun , Utrakhand

(iv) M/s Metal & Stainless Steel Merchant's Association,63, Jamnadas Building, 10thKhetwadi Lane, Mumbai- 400004

(v) M/s National Engineering Industries Ltd, 9/1 R. N Mukherjee Road, Kolkata

(vi) M/s Evergreen Seamless Pipes & Tubes, Evergreen House, No.77/78.II Main, Chikkalaxmaiah Layout,DRC Post, Hosur Road, Banglore

(vii) M/s Walchandnagar Industries Ltd, 3 Walchand Terraces, Tardeo Road, Mumbai-400034

C. Exporters

(i) M/s Pangang Group Chengdu Steel & Vanadium Company Limited,No. 268 Tuanjie South Rd,QingbaijiangDist.ist. 610303 Chengdu, China

(ii) M/s Xigang Seamless Steel Pipe Company Limited, 124 Tangnan Road,Wuxi City, Jiangsu Province, China,

(iii) M/s Yantai Lubao Steel Pipe Co, No.185, Xingfu Middle Road,Yantai, China ,China

(iv) M/s Tubos,Barrio de Sagarribai , 201470 Amurrio (Alava), SpainSpain

(v) M/s. Marcegaglia, Via Bresciani,16, Gazoldodeglilppoliti Mantova, Italy

(vi) M/s ArcelorMittal, 20, VelykaZhytomirska Str,Kiev, 01025,Ukraine

(vii) M/s Tenaris,29, Avenue De La Porte-Neuve,3rd Floor, L-2227, Luxembourg

(viii) M/s Timken, 1835, Dueber Avenue, S. W. Canton, Ohio

(ix) M/s Ovako AB, SE-194 05, UpplandsVasby ,Sweden

(x) M/s Benteler, 2650B N. Opdyke Road, 48326 Auburn Hills, Michigan, USA

(xi) M/s Tenaris Silcotub, 93, Mihai Viteazul Blvd, 450131 Zalău (Sălaj County), Romania

(xii) Delegation of the European Union of India, 65, Golf Links, New Delhi

(xiii) M/s. Arcelor Mital, Stefan cel Mare 15A/1, Roman 611038 NT, Romania

(xiv) M/s. Tenaris, Pasaje Ma. Della Paolera 299, Piso 18. CP 1001, Buenos Aires, Argentina

(xv) Arab Republic of Egypt, Ministry of Industry & Foreign Trade,Al- MaleyaTowers,Tower 6, Floor 9, Ramsis St, Extension, Nasr City

(xvi) M/s Vallourec & Mannesmann, Cedex , 27, Avenue de General Leclerc, 92660 Boulogne Bilancourt Cedex ,France France

(xvii) M/s Ovako AB, SE-194 05, Upplands Vasby,Sweden

(xviii) M/s Mertex UK LTD,

(xix) European Steel Tube Association,79, bis Rue Marcel Dassault, F-92 100 Boulogne – Billancourt, France

(xx) M/s OAO TMK, 40 Bldg. 2a, Pokrovka Street, Moscow

(xxi) M/s. Dalmine SPA, Piazza Caduti 6 luglio 1944,n 1, 24044 Dalmine (BG),Italy

(xxii) China Iron & Steel Association, represented by Lakshmi Kumaran&Sridharan, 5, Jangpura Extension, link Road, New Delhi-110014

(xxiii) Japan Iron and Steel Federation, 3-2-10, Nihonbashi –Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-0025,Japan

(xxiv) M/s. Baosteel Group Corp China, Room 2005,Baosteel Tower, 370 Pudain Road, Shanghai , P.R.C

(xxv) M/s. JFE Steel Corporation, Japan, Represented by Luthra & Luthra, 9th Floor & 103, Ashoka Estate, Barakhamba Road, New Delhi- 110001

(xxvi) M/s. Nippon Steel and Sumintomo Metal Corp, Japan, Represented by Luthra & Luthra, 9th Floor & 103, Ashoka Estate, Barakhamba Road, New Delhi- 110001

(xxvii) M/s. Sanyo Special Steel Co, Ltd., Represented by Luthra & Luthra, 9th Floor & 103, Ashoka Estate, Barakhamba Road, New Delhi- 110001

(xxviii) M/s Salzgitter Mannesmann Precision, Germany.

D. <u>Exporting country Government</u>

(i) The Embassy of People's Republic of China
(ii) The Embassy of Italy
(iii) The Embassy of Egypt
(iv) The Embassy of Germany
(v) The Embassy of Germany United Arab Emirates
(vi) The Embassy of Indonesia
(vii) The U.S. Embassy
(viii) The British High Commission
(ix) The Embassy of Japan
(x) Deputy Trade Commissioner, The Trade Representation of the Russian Federation,
(xi) Arab Republic of Egypt, Ministry of Industry & Foreign Trade
(xii) Delegation of the European Union of India

4. Questionnaires were also sent, on the same day, to all known domestic producers and importers and exporters and they were asked to submit their response within 30 days.

5. Request to consider them as an interested parties were received from the following parties:

(i) M/s OAO TMK, Moscow
(ii) M/s Mertex UK LTD, Represented by AmarchandMangaldas, New Delhi
(iii) M/s DalmineSPA, Italy
(iv) European Steel Tube Association, France
(v) M/s. Tenaris, Argentina
(vi) China Iron & Steel Association, Represented by Lakshmi Kumaran&Sridharan,
(vii) (a) M/s. Salzgitter Mannesmann Precision Gmbh (b) M/s. Salzgitter Mannesmann Precision Etirage SAS, c/o Dr. Ulrike Hopping, Head of Legal Department, Mulheim, Germany
(viii) Japan Iron and Steel Federation, Japan
(ix) Director of Trade Defense, Jakarta
(x) Baosteel Group Corp China, Shanghai
(xi) Deputy Trade Commissioner, The Trade Representation of the Russian Federation, New Delhi
(xii) M/s Vallourec& Mannesmann
(xiii) JFE Steel Corporation, Japan, Represented by Luthra&Luthra
(xiv) Nippon Steel and Sumintomo Metal Corp, Japan, Represented by Luthra&Luthra
(xv) Sanyo Special Steel Co ltd, Represented by Luthra&Luthra
(xvi) National Engineering Industries Ltd, Kolkata

All the requests were accepted.

6. Request to consider them as an interested parties were also received from the following parties, but after stipulated 21 days of issue of Notice of Initiation:

(i) M/s SKF India Ltd., Mahatma Gandhi Road, Pune
(ii) M/s Reliance Industries, Thane-Belapur Road, Navi Mumbai
(iii) M/s Kirtanlal International PMCC, Dubai
(iv) Ball & Roller Bearing Manufacturers Association of India, Connaught Place, New Delhi
(v) M/s Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd., Jiangsu Province, China PR

Since these were not received within the stipulated time limit, all of these requests were rejected.

7. Besides these, representations from the following were received without any specific request to become interested parties:

i. M/s Anand Tubes Pvt, Ltd,, Mithakhali Six Roads, Ahmedabad
ii. M/ Allied Tubes,, Hauz Qazi, Delhi
iii. M/s Punjab Distribution Pvt. Ltd, Hauz Qazi, Delhi
iv. M/s Aniraj Distributors Pvt. Ltd, Hauz Qazi, Delhi
v. Bali Steel Tubes, Carnac Bunder, Mumbai
vi. Tubes India,Kumbharwada 5 th Lane, Mumbai

vii. All India Transporters Welfare Association. Jhandewalan, New Delhi
viii. Patel Airflow Ltd, Vatva, Ahmedabad
ix. M/s SNTubesPvt Ltd, Mehsana, Gujrat
x. M/s Jet Roadlines Corp, Pharganj,New Delhi
xi. M/s Vinayak Tubes, Boat Club Road,Pune
xii. M/s Vijay Sales Corp, Hauz Qazi, Delhi
xiii. M/s Standard Tubes, Hauz Qazi, Delhi
xiv. M/s Shib Das & Sons , Hauz Qazi, Delhi
xv. M/s Rasi Traders, Salem
xvi. M/s Pipes House, Pratap Nagar Road , Vadodra
xvii. M/s Tube Product Incorporate, Vadodra
xviii. M/s Nimitta Trading, Vashi, Navi Mumbai
xix. M/s Heavy Metals & Tubes Ltd, Mehsana, Gujrat
xx. M/s Raigarh Plastic Pvt Ltd, Kharghar, Navi Mumbai
xxi. M/s Vibhor Steel Tubes Pvt Ltd, Raigargh, Maharashtra
xxii. M/s Bombay Hardware Pvtl Ltd, Mumbai
xxiii. M/s R R Roadways Pvt. Ltd, Kalyan Street Mumbai
xxiv. M/s Steel Tubes Company, Sembudoss Street, Chennai
xxv. M/s Shree Mahaveer Co, Sembudoss Street, Chennai
xxvi. M/s Salasar Industries India Ltd, Raniganj, Secundrabad
xxvii. M/s Bhushan Tubes Pvt Ltd, ManjidBunder (E), Mumbai
xxviii. M/s Gajanan Tubes, Carnic Bunder, Mumbai
xxix. M/s Gratik Tubes Pvt, Ltd, Ahmedabad, Gujrart
xxx. M/s Mahalaxmi Seamless Ltd, Goregaon (E), Mumbai
xxxi. M/s Everest Kanto Cylinder Ltd, Nariman Point Mumbai
xxxii. M/s Sarvika ,Tubular Concepts Pvt, Ltd, Alwar pet, Chennai

8. Most of the issues raised by them are similar to the submissions raised by other interested parties. These have accordingly been considered at appropriate places.

9. Post-Initiation submissions, as follows, were received prior to the Public Hearing:

A. China Iron & Steel Association (CISA)

(i) The scope of the product under consideration is very wide.Seamless pipes, Tubes and Hollow profiles of iron or non—alloy steel (SPTH) do not form a single homogenous product group

(ii) The Petitioners are unable to manufacture certain products, or are not even qualified to manufacture certain grades of the PUC.

(iii) The Petitioners have neither placed trial and development orders on ONGC (one of the largest customers of Seamless Pipes in India) nor haven't bid at all on tenders floated by ONGC.

(iv) Tubes and pipes used for manufacturing of high-pressure seamless steel cylinders are not produced in India at all and that Indian users must rely on imports from, inter alia, China.

(v) None of the Indian seamless pipe mills have yet succeeded in obtaining the Chief Controller of Explosives (CCOE) of the Petroleum Explosive and Safety Organization (PESO) approval indicating that no Indian domestic seamless pipe manufacturer can supply SPT suitable for high-pressure gas cylinders.

(vi) The applicants do not satisfy the major proportion criteria and as a result, the initiation of the investigation is violation of Article 4.1(c) of AOS and section 8B (6)(b) of the Customs ACT.

(vii) The initiation notice as well as the petition filed by the domestic industry is completely silent with regard to the fact that there existed ‘unforeseen circumstances.

(viii) CISA placed reliance on WTO dispute concerning DS 178 US –Lamb wherein Appellate Body observed that the existence of "unforeseen development" is a pertinent issue of fact and law under Article 3.1 of the Agreement on Safeguards.

(ix) There is no increase in imports. The apparent increase in imports in 2012-13 compared t*o 2009-10* cannot be considered as surge in imports.

(x) The domestic industry seems to have provided a confidential version of adjustment plan to Authority, yet it has not made available a non-confidential version of adjustment plan under the pretext that it contains business sensitive data.

(xi) When the imports increased from 3,44,829 MT in 2010-11to 4,25,194 MT in 2011-12 , the profitability of the domestic industry improved from 76 indexed points to 102 indexed points whereas when the imports decreased from 4,25,194 MT in 2011-12 to 2,80,333 MT in 2012-13 (Dec),the profitability of the domestic industry also declined from 102 to 23. The causal link between the imports and profits of domestic industry is clearly absent.

(xii) Negative correlation is visible between imports and production and sales of domestic industry. When the imports increased from 3,44,829 MT in 2010-11 to 4,25,194 MT in 2011-12 ,the production and sales of the domestic industry improved from 126 indexed points to 142 indexed points and 118 to 120 indexed points respectively. Whereas when the imports decreased from 4,25,194 MT in 2011-12 to 2,80,333 MT in 2012-13 (Dec),the production and sales of the domestic industry also declined from 142 indexed points to 87 indexed points and 120 indexed points to 71 indexed points respectively. The causal link is clearly absent.

(xiii) M/s ISMT's annual report of 2011 – 2012, C1SA stated that the capacity of its tube division was almost tripled from the financial year 2009 -2010 (158000 tons) to the next year 2010 – 2011 (465000 tons). While the company's production of tubes remained relatively stable, this has an immediate effect of dragging down the capacity utilization from 85.9% to 38.5%.

B. M/s Vallource & Mannesmann Tubes, France

(i) Seamless steel pipes used for offshore applications (project line pipes) be excluded from the scope of the investigation because these pipes are only imported in India temporarily being laid offshore and should not be subject to trade defense instrument.

(ii) The Indian customers are ordering the high grades only from foreign qualified suppliers.

(iii) Vallource has not brought any damage in price nor in quantity to the Indian industry and that the use of a safeguard not the proper tool to control Chinese overcapacities and imports.

(iv) Vallource supports the comments made by the European Steel Tube Association.

C. M/s Tubos Reunidos Industrial, SLU, Spain

(i) Total exports from Spanish market share are 0.13% to 1.14% and its average of last four years is 0.53%. However, the data for the Indian Customs for Spanish supply, include 3 different mills namely; Tubos Reunidos, ProductorsTubulares, Tuaces, plus different traders with piping out of the scope(square, profile---). Hence, Tubos share will be much lower than above level.

(ii) Petition is covering various types of tubes & pipes including OCTG tube, production tubing and many other OCTG products which are not within our production program.

(iii) Real justification of serious damage to Indian pipe & tube industry cannot be done unless grade wise, size wise, product wise clarification and identification is available.

(iv) Financial year 2008 June to Sept. was peak period economically and all over world several economy were on the peak of their capacity and sales. Due to peak economy situation in mid-2008, several Indian pipe & tube producers went for substantial expansions of their capacity with probably in-correct assessment of market demand, which ultimately caused a situation of excessive capacities & limited demand.

(v) Due to lack of demand their capacity are underutilized. Hence Spanish tubes & pipes industry have not caused any serious damage to the Indian producers.

(vi) As a basic sales policy Tubos Reunidos never sell product with loss or under cost price as TubosReunidos are not assisted either by Spanish government or European Union.

(vii) If overseas supplier have seriously under quoted below cost price and this has caused serious damage to the industry which ultimately cause serious losses & bad debts to the whole industry they are obliged to either close down their plant or stop selling or reduce production or make losses by selling at prevailing market price but it is not so.

(viii) M/s ISMT Ltd has increased in sales turnover in 4 years. They have increased their production of tubes division quantity in 4 years. They have been showing profit figures during the said 4 years period. Same is the case of MSL & Others. This all facts & figures are going against the Principal of serious damage to the Pipes & Tubes Industry in India.

(ix) No case of any serious damage to Indian Tubes & pipe industry by negligible percentage supply of Spanish Origin Material by TubosReunidos Spain.

D. M/s Mertex U.K Ltd, U.K

(i) A safeguard measure may be imposed only in special and exceptional circumstances, as an emergency action. The petition or the Notice of Initiation fails to disclose any grounds which warrant the imposition of safeguard duty on the PUC**.**

(ii) From the import statistics as provided by the petitioners, the percentage increase per year in relation to the previous year is as follows: 7.65%, 20.14% &3.365%. The import due for 2012-13, will merely register a mere 3.65% increase compared to 2011-12. Similarly, for the FY 2010-11, the growth in import was a mere 7.65% compared to FY2009-10.

(iii) The import statistics of PUC for the year 2005-06 (140032 MT), 2006-07 (147638 MT), 2007-08 (132696 MT) and 2008-09 (262432 MT) in conjunction with the data for the time period would show that imports of the PUC have increased progressively and cannot be said to be sudden and unforeseen.

(iv) For FY 2005-06, 2006-07, 2007-2008, the same petitioners while filing a petition seeking imposition of anti-dumping on PUC had stated in their petition that imports apart from China are either *de minimis* or at higher prices. The petition was consequently terminated by the DGAD, Ministry of Commerce and Industry. In light of the admission/concession made by the same petitioners before the DGAD, it is incomprehensible as to how subsequently the petitioners are claiming imposition of safeguard measures on the import of the PUC.

(v) Product under consideration has been defined very broadly so as to include even those products which are not manufactured by the petitioners.

(vi) It is submitted that the petitioners have not offered certain grades as they do not manufacture the same and even if they have offered, the same appears to be only for development order apart from few actual offers for supply.

(vii) The petitioners even while bidding for Tenders floated by ONGC stands disqualified for not being able to meet the requirements as prescribed by the Tenderer.

(viii) In the absence of the capacity of the petitioners to produces grades of PUC as per requirements of ONGC cannot be a ground to seek levy of safeguard duty which would have the detrimental effect of eroding fair completion in the market.

(ix) Positive adjustment plan has not been provided at all and has been claimed as confidential. The purpose to furnish meaningful non –confidential summaries is to provide and to inform other interested parties with information and/or data to enable them to obtain basic understanding of the allegations and supporting data contained in the petition with a view to presenting useful arguments.

(x) Petitioners have severely curtailed the list of the known producers/exporters.

(xi) Domestic sales have increased over by 100-106-112-96 for the FY's 2009-10, 2010-11, 2011-12 & 2012-13. The decline in sales for the FY 2012-13 is in consonance with the decline in imports for the said F.Y.

(xii) Market share in demand for the petitioners has remained more or less the same over FY's 2009-10, 2010-11, 2011-12 & 2012-13 as 47-46-43-38.

(xiii) Minute dip in market share is on account of the fact that the Petitioners are unable to meet the demands for certain grades of PUC and it is natural that for the requirements, imports will have to fill in vacuum.

(xiv) Accumulation of inventories are on account of the fact that developmental orders are being placed and further that the petitioners are manufacturing substandard products which fail to meet the requirements of the Tenderers like ONGC and others.

(xv) Petitioners have installed capacity in excess of the demand of the domestic market and thus factoring in the exports made by them, it is but natural that there would be accumulation of inventories.

(xvi) Employment of the petitioners have increased in the following sequence for the FY'S 2009-10,2010-11,2011-12 & 2012-13 (3588-4010-4380-4884). It is submitted that recruitment of new employees is one of the vital indications that petitioners are doing well.

(xvii) Perusal of Annual Report of Maharashtra Seamless Ltd. reveals that the company achieved arecord net profit of Rs.341.66 Crores.

(xviii) Regarding low export price to India, export sales were made to the Indian market through the process of International Competitive bidding.The overseas supplier and the domestic producers do not really enjoy much discretion to fix their process in an open competitive system but are primarily impelled by the buyer to offer low process independently of any pricing policy that may be pursued by the supplier in the free market.

(xix) Reading of the petition suggests that it is case being made out for dumping rather than imposition of safeguard measures.

(xx) Annual reports for ISMT & MSL suggest that dumping from China is the cause of injury to domestic Industry for which the petitioners have remedies available under law.

(xxi) The Global recession was further a factor for the drop in the petitioners sales as admitted by ISMT in their annual report for FY2009-10

(xxii) The factors that domestic industry claimed are responsible for the alleged injuries are to be considered by the DGAD in the ambit of anti- dumping investigation.

(xxiii) From the year 2000 till 2004 there were Anti-Dumping duties levied for seamless pipes/tubes and for the said period the Domestic Industry enjoyed artificial protection and failed to expand their product range as they were getting orders very easily due to lack of competition.

(xxiv) Injury caused to the petitioners is self-inflicted on account of the internal price war between the constituents of the domestic industries during bidding for various tenders floated by companies like ONGC.

(xxv) It is submitted that the allegations leveled that the Petitioners are not able to meet the price offered by foreign manufacturers/exporters do not hold good in as much as it has been a trend wherein Jindal SAW has often reduced price to match the price quoted by MSL or ISMT and vice versa.

(xxvi) Oil and gas companies like ONGC have been given special license by Director General of Hydrocarbons to import seamless pipes and tubes on which "nil" custom duty is applicable when imported into specific areas.

(xxvii) It safeguard duty is levied on tubes and pipes imported by ONGC and other oil and gas exploration companies, then it would have the effect of increasing the cost of such products to end users and will lead to shortage of such products.

(xxviii) Since oil and gas exploration companies are serving the needs of the public at large, imposition of safeguard duty will only be against public interest.

E. M/s National Engineering Industries Ltd, Kolkata

(i) The company is a domestic manufacturer of Bearings and an importer of seamless tubes (upto 114.03 mm dia)

(ii) The company imports SAE 52100, SAE 8720 and SUJ3 bearing grade alloy steel tubes or manufacture of ball and roller bearings

(iii) Initiation of investigation is on broad definition of products and scope of investigation shoulbe restricted to only those products which pertains to the Applicants

(iv) SAE52100, SAE8720 and SUJ3 bearing grade SPT are NON-API grade being presently imported by NEIL and therefore, if this grade, being NON-API, is excluded from the present investigation, the company would no longer be an interested party in the present investigation.

(v) The application has grouped together all kinds of SPTs as a single article. Bearing tubes are not 'like articles' to SPTs of other applications. OCTG tubes cannot be used as bearing tubes and vice versa.

(vi) Bearing tubes are significantly more expensive. Even if it is assumed that bearing tubes and OCTG/boiler tubes have same chemical and physical properties, cost of bearing tubes is much higher than the average cost of tubes under the investigation, and therefore, these tubes are not interchangeable with OCTG/Boiler tubes.

(vii) M/s JindalSaw is an interested party for OCTG only. It is not a domestic manufacturer for bearing tubes.

(viii) M/s ISMT manufacturers seamless tubes of a large number of grades API 5L Grade B/X42/X46/X52/X65/X70, NACE MR01-75,SRL/DRL/EL ASTMA106 Grade/A/B/C, ASTM A53 Grade Low Temperature ASTM a 333 Grade 6, including that of SAE 52100

(ix) It is submitted that although M/s MSL manufacturers SAE 52100 grades, it is not known or established supplier of bearing tubes.

(x) As per information available in public domain, customers of M/s JindalSaw and M/s MSL belong to oil & gas structural, civil construction, water utility and engineering sector and don't have any clients in the bearings industry.

(xi) As per the Technology Study Report on Bearing Industry prepared by MSME- Development Institute, Government of India none of the major manufacturers of bearing in India is figuring in the list of Customers of M/s JindalSaw and M/s MSL. It is also reported in the said report that domestic supplier of bearing tubes is only M/s ISMT.

(xii) Out of the two Applicants and one supporter, only one applicant is engaged in manufacture of bearing tubes and therefore, the instant Application cannot be said to have been filed by the domestic industry of bearing tubes.

(xiii) The company submitted complaints have provided inaccurate and misleading data to the authorities about installed capacity.

(xiv) As per the Notice, the domestic production of SPT during the year 2011-12 was 318968 MT which is lower that the reported production of SPT during the same period of the production figures determined on the basis of sales (both domestic and exports) adjusted with change of inventory.

(xv) As information available in the Notice reveals that there is decline in the volume of import, in absolute terms, during the year 2012-13.

(xvi) M/s ISMT is the only domestic manufacturer complaint of the product namely SAE 52100 bearing grade SPT.

(xvii) The quantity of bearing grade SAE 52100 imported is negligible compared to import of products for which the Applicants have sought the levy of safeguard duty.

(xviii) SPT segment of ISMT is profitable for last three years including 2011-12. Massive increase in the installed capacity has not dented the profitability of the company.

(xix) Exports as percentage of total sales have increased. While these manufacturers have been able to export in the overseas market competing with countries from where Indian imports have been sourced, they are seeking protection in domestic market.

(xx) Both the applicants import considerable quantities of raw materials from offshore vendors. Due to the volatile forex environment during the investigation period, both applicants have suffered an increase in costs.

(xxi) As the pipe and seamless tubes industry is extremely energy intensive, increase in energy costs have also impacted the margins.

(xxii) A comparison between the increase in sales with respect to the energy costs would signify that while net sales increased by 16.45% between FY 2010-11 and FY 2011-12, the power cost rose by 22.29% in comparison.

(xxiii) Both the applicants in their Annual report for FY 2011-12 have indicated that they have invested significantly in capital assets. This has had a noticeable impact on its financial costs.

(xxiv) Decline in profitability , if any, of the complainants is not linked to increase in the quantum of import but due to factors like massive increase in the capacity leading to higher depreciation and financial charges, increase in fuel costs etc.

F. Dalmine SPA, Italy

(i) Present in the India seamless tubes market since many years with their highly qualified products.

(ii) The real problem in the market is given by the Chinese seamless tubes exporters that massively increased sales in India with low prices.

(iii) Chinese seamless tubes exporters sell almost exclusively in India to the stockholder channel badly influencing the general level of prices.

(iv) In last three years Dalmine SPA decreased its sales of the product involved in India from 7.000 ton to 2.900 with a decrease of 59%.

(v) Indian seamless tubes producers are not yet capable to guarantee the required quality level of the high quality hydraulic cylinders supplied by them.

(vi) Sales are linked to the trend of the market and the decrease of the last year is in line with the reduction of the demand.

(vii) In the boiler sector, Dalmine SPA never caused any type of injury to the Indian seamless tubes industry, but on the contrary suffered the competition of Chinese import.

(viii) Chinese imports should have been restricted before by a strong anti-dumping action than now by a safeguard action involving all exporting countries

G. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp, Japan (b) JFE Steel Corp, Japan (c) Sanyo Special Steel Co., Japan

(i) Neither the initiation notification nor the petition of the DI provides any information with respect to the unforeseen circumstances or events which has led to increase in imports in such quantities so as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry.

(ii) A non-confidential version ("NCV") of such adjustment plan has not been provided to the other interested parties to comment

(iii) Some of the products under consideration such as Crane Tube, Mechanical Tube for Needle Roller Bearing (NRB Tube), and Mechanical Tube for Bearing (Bearing Tube) are not manufactured by the domestic industry. Thus if the product is not manufactured by the DI, the same cannot be part of the product under consideration as the domestic industry cannot claim injury on products not manufactured by them due to any alleged increase in imports.

(iv) The Indian end user for some of these products which are used in highly technological sensitive sectors, such as NRB tube used in automotive industry, Boiler Tube used in power plants and Line pipe used in transportation of oil and gas have not approved the purchase of these products from Indian manufacturers and have only approved the foreign manufacturers including exporters from Japan.

(v) There is no sudden, sharp & significant increase in imports.

(vi) The sales of the applicants have increased in 2012- 13 as compared to the 2009-10 while the sale of the supported company has shown a minor decline.

(vii) A decline in sale of supporters while increase in sales of the applicants clearly illustrate that any decline in sales cannot be attributed to the alleged increase in imports as both the applicants as well as the supporter companies are competing in the same market.

(viii) There has been an increase in import prices. Thus the import prices have increased by 11% in the POI.

(ix) The market share of the applicants has seen a marginal decline of 0.87% in 2012-13 as compared to 2011-12 which cannot be termed as serious injury to the applicants.

(x) The imports have declined on absolute basis and have seen a marginal increase of 1% on relative terms. Further there has been an increase in domestic sales of the applicants in 2012-13 as compared to 2009-10. The market share of the applicants has seen a decline of mere 0.87 in 2012-13 as compared to 2011-12. All these factors do not indicate that the DI is suffering any serious injury

(xi) DI has not provided any evidence that the loss in the tenders was on account of increased imports. Further DI has not provided any evidence with respect to massive capacities of the foreign producers.

H. European Commission

(i) Commission noted some important discrepancies between the application and the notice of initiation in respect of import, sales, production & capacity.

(ii) Import increased significantly in the financial year 2011-12, but decreased in the subsequent period.

(iii) Safeguard measures can only be taken if there has been, amongst other elements, a recent, sudden, sharp and significant increase of imports.

(iv) The increase of imports is mainly attributed to one single country i.e China. The Section III of the complaint which concerns the factors causing increased imports also clearly refers exclusively to the exports from China.

(v) There are no indications that the domestic injury is suffering from an injury that can be considered as serious. During the overall period considered, the sales volume of the domestic industry decreased only by 5%, correspondingly to a negligible market share loss of not even 3%, production increased by 16%, employment increased by 10% and productivity by 5%.

(vi) India decided to initiate a safeguard investigation which may lead measures against all countries of origin, while the source of the problem have been clearly identified as being one single source of imports.

(vii) The decrease in capacity utilization is due to the fact that the installed capacity almost doubled in 2010-2011, from 375000 MT to 685000 MT.

(viii) The level of the installed capacity actually exceeds the total demand on the Indian Market.

(ix) Despite significant investments the domestic industry managed to increase its profits by 25% in the period 2011-12 and this took place exactly when import increased.It is only in the subsequent period that the profitability significantly dropped. But the imports also dropped significantly during the same period.

(x) Data suggests that if the domestic industry was suffering from any serious injury, this was caused by reasons other than imports.

(xi) Low capacity utilization rate is caused by the conjunction of the two factors i.e excess in capacity and decrease in demand rather than any increase of imports.

(xii) If the production capacity had remained stable at the 2009-10 level (i.e 375000 MT), the utilization rate would have increased from 60% to 70% in 2012-13.

(xiii) Imports decreased in the most recent period, there is no indication of serious injury and it is obvious that the domestic industry has been affected by problems of over capacity created by the industry itself, in the context of a decreasing demand.

I. M/s Ratandeep Metals and Tubes Ltd.

(i) Manufacturer (Redrawers) of seamless cold drawn carbon steel/Alloy steel tubes in SME sector.

(ii) Their product size range between 6mm OD to 168 OD

(iii) Deliveries for their sizes from petitioners is completely uncertain

(iv) If safeguard duty is considered on sizes even below 42 mm OD, supply of raw material to their type of industries will be severely blocked causing much more injury and threat to them.

(v) If they depend on Indian source (ISMT, JINDAL SAW, and MSL) for their raw material, their inventory will shoot up because of higher delivery time.

(vi) All sizes below 42 mm OD in all HS codes specified in application should be excluded from the purview of examination.

J. European Steel Tube Association (ESTA)

(i) The imports originating in the EU cannot be causally liked to the injury referred in the petition.

(ii) Imports from EU may have grown last year however this increase is mainly due to steel pipes delivered for offshore pipelines, product which is ordered mainly by ONGC from qualified foreign suppliers only.

(iii) Product which is ordered by ONGC from qualified foreign suppliers only should be excluded from PUC.

(iv) Imports from EU are not undercutting domestic prices.

(v) China is undercutting domestic prices. EU import prices are superior to all other actors of the market.

(vi) EU imports cannot be qualified of practicing predatory pricing, as there is no undercutting margin. The hardship for Indian producers to increase prices to match their costs or loss of business/projects cannot be attributed to EU imports which are actually the highest priced in the market.

(vii) In Annexure 12 to petitioner, list of lost tenders only mentioning Chinese competitors and importers.

(viii) Normally goods delivered for offshore applications are not subject to trade defense instrument.

(ix) Offshore application pipes mainly ordered by ONGC are only of foreign qualified pipes.

K. ISGEC Heavy Engineering Ltd.

(i) There are serious problems in quality of tubes supplied by domestic industry.

(ii) No manufacturer in India is having long/rich experience in manufacture of High Alloy Steels like SA213 T91/92, SA213T92 &P92, SA213 T13, SA213 TP 347 H. Therefore alloy steel tubes should be excluded from this investigation.

(iii) Indian manufacturer are unable to supply large bore and heavy thickness pipes.

(iv) Variation in sizes is very high in case of Indian manufactured tubes and pipes which creates problem in manufacturing of the components.

(v) There are delays in delivery of tubes beyond the contracted delivery dates which should not happen if the domestic industry is short of orders.

L. EEPC INDIA (Engineering Export Promotion Council)

One of their members M/s Everest Kanto Cylinder Ltd, has informed that they are importing the seamless pipes and tubes which is completely different from General Steel Tubes, This category is not available in India. Engineering Export Promotion Council requested to take an appropriate action in the investigation in a manner which does not hamper the user industry for manufacturing the High pressure Seamless Gas Cylinders.

M. M/s TMK, Russia

(i) The Petition is deficient of the analysis of the market situation prior to 2009 and therefore the DG Safeguards cannot adequately and objectively examine the allegation on the part of the Indian industry with regard to increased imports, gauged to have been caused injury to the Petitioners.

(ii) The Petitioners also did not provide evidence showing that as a result of unforeseen developmentsthe product under investigation was imported in such increased quantitiesas to cause or threaten to cause "serious" injury to the Indian industry

(iii) The Petitioners in the current proceedings are not suffering serious injury nor are they under any threat of suffering serious injury from allegedly increased imports.

(iv) The Petitioners' convenient choice of a reference period from 2009 to 2013 is inherently biased and was chosen to show a particular result. As such, analysis of the factors and conditions for imposition of safeguard measures during the proposed period of investigation, including whether or not there was an increase in imports, could not be objective because it ignores critical circumstances of that period, specifically the global financial crisis of 2008-2009.

(v) The petitioners also did not provide credible evidence showing that the product under investigation was imported in such increased quantities in absolute terms that the surge in imports was sudden, significant and sharp.

(vi) The production volumes of the Indian domestic industry have increased during the reference period.

(vii) Highly successful export performing industry, and not an industry suffering from serious injury.

(viii) A sizeable capacity increase took place between 2009-2010 and 2010-2011. Whatever the industry and production, this kind of change, i.e., a change to near double capacity, would necessarily involves considerable additional costs and would always have a bearing on the industry's injury indicators

(ix) Sales volumes of the domestic industry have increased during the reference period. This significant increase in sales could not possibly be occurring if the industry were suffering serious injury or threat thereof

(x) There was no significant change in the level of employment and wages over the reference period.

(xi) Both, workforce number and wages have gone up during the reference on the year-on-year basis. The industry and the Petitioners would not be increasing employment if the industry were suffering serious injury or threat of serious injury.

(xii) The Petitioners as well as the domestic industry as a whole increased their installed capacity to near double level in 2010-2011, which, in turn, led to accumulation of stocks.

(xiii) Regarding decline in profitability, an objective assessment of the industry's profitability cannot ignore the business decisions of that industry, especially if one such decision to double production capacity would inevitably affect the industry's fixed costs.

(xiv) The Petitioner and the industry suffering serious injury or threatened to suffer serious injury, they would not have increasing their installed capacity during the reference period.

(xv) The Petitioners incorrectly stated that the prices of imports have not increased in proportion to the increased input prices. On the contrary, in 2011-2012 average prices of all imports of the product under consideration have increased by over 10 per cent as compared to 2010-2011. The Petition contains no credible evidence of price suppression/depression on account of imports of the product

(xvi) It is not clear how large production capacity elsewhere is capable of showing serious injury to Indian industry, when Indian industry itself has been increasing its capacity in response to an increase in demand on its domestic market. The nexus between the two is especially doubtful in light of the dominant presence on the Indian market of Chinese, as well as the geographical proximity of China to India.

(xvii) The global steel market is characterized by a certain degree of volatility. If volatility of the market were a true concern, Indian industry's efforts would likely be directed at reducing stock and improving producers' overall efficiency, rather than embarking on a major cost increasing activity such as capacity increase by 50 per cent.

(xviii) An increase in capacity necessarily results in a self-inflicted rise of fixed costs of the Indian industry, and consequently, in losses of profitability, small return on investments, etc

(xix) Had the Indian industry, at the time of reference period, maintained capacity at least at the initial capacity level of 100, it might not have had adverse injury factors with any of the injury indices which it now blames on increased imports.

(xx) The share of Chinese imports in all imports of the product under consideration in 2009- 2010 was 51 per cent, while in 2010-2011 this share increased to 58 per cent. The next year the share of Chinese imports increased to 61 per cent.The prices of Chinese imports have decreased as compared to all imports and that on average, Chinese prices are USD 1000 lower on per ton basis. The only possible source of grievance for the Petitioners may stem from the presence on the Indian market of imports of certain seamless pipes and tubes from China.

(xxi) From the figures in the Injury statement at Annexure 10 that the Indian industry has not suffered any injury from imports during the reference period. The Petitioners simply failed to take into account the fact that the domestic industry doubled its production at the beginning of the reference period, which had over-spilling effects on the industry's productivity, market share, wages and salaries.

(xxii) Any injury aspects of decline during the reference period appear inconsistent with overall situation during the period, which indicates that they are only due to increase in capacity and therefore fixed costs, but will pick up very fast. Thus, there is no threat of serious injury to Indian domestic industry.

(xxiii) Imposing safeguard measures on the product under investigation would dramatically affect down-stream products produced by the Indian user industry to the benefit of non-Indian producers of these products. This is because it would erode the cost effectiveness and the competitiveness of the Indian user industry against importation of finished products.

N. SilcotubS.A ,Romania

(i) Silcotub has not exported a significant amount (less than 3% of the total imports in India) during the period of investigation.

(ii) Romania's share of Indian imports is well below 3%, so as a developing country it should be excluded from the safeguard measure.

O. TAMSA, Mexico

(i) TAMSA has not exported a significant amount (less than 3% of the total imports in India) during the period of investigation.

(ii) Mexico's share of Indian imports is well below 3%, so as a developing country it should be excluded from the safeguard measure.

P. Siderca (Tenaris S A), Argentina

(i) Siderca has not exported a significant amount (less than 3% of the total imports in India) during the period of investigation.

(ii) Argentina's share of Indian imports is well below 3%, so as a developing country it should be excluded from the safeguard measure.

Q. Timken, U.S A

(i) Sales are made to bearing companies and to the automotive and truck, forging, construction equipment, industrial equipment, aircraft and oil and gas drilling industries as well as to steel service centers

(ii) Timken have no current orders for seamless mechanical tube in India However, they desire to continue to serve BEML and other customers in India for niche seamless tubular needs not produced by the domestic steel industry.

R. M/s ONGC Ltd.

(i) ONGC is engaged in exploration and exploitation of hydrocarbons with the objective of achieving energy security of Nation.

(ii) To meet its operational requirement, ONGC is procuring Seamless Pipes and tubes through International Competitive bidding process as limited sources of supply are available domestically

(iii) It is not true that Indian manufacturers of Seamless Line Pipes and tubes are disqualified from bidding for not being able to meet the requirements as prescribed by ONGC and that ONGC has been ordering the high grades seamless pipes and tubes only from foreign qualified suppliers.

(iv) ONGC procures its seamless line pipes and tubes on international competitive bidding and there is no restriction on domestic as well as overseas bidders. In almost all the tenders floated by ONGC, some or the other domestic bidders have qualified. These bidders were short listed as TA/CA hence they could not win the contract due to price competitiveness. Therefore, there is no merit in the claim of domestic industry.

(v) Many a times domestic bidders are not quoting for the entire quantity of any item or groups of ONGC tender and they are evaluated and considered only for the particular items/ groups they have quoted The reason for not quoting in all the items/groups or requirements of ONGC would be best known to the domestic industry but certainly it is not related to any restriction imposed by ONGC.

(vi) Goods imported for use under eligible Petroleum Exploration licence/Mining lease(PEL/ML) areas attract Zero rate of Custom duty as per the guidelines of Government of India.

(vii) Levy of safeguard duty on seamless pipes and tubes shall adversely affect competition in their tenders, as participation by foreign bidder in ONGC's tenders would reduce considerably and in some case, may even deprive ONGC of the foreign bidder's reference price for comparison with the prices quoted by domestic bidder.

(viii) Levy of safeguard duty on seamless pipes and tubes etc would result in extra financial burden to ONGC which may adversely affect ONGC's operations.

S. EMBASSY OF JAPAN, NEW DELHI

Should safeguard duty be introduced on the imports of seamless pipes and tubes, Indian as well as Japanese manufacturing industry, which uses those high quality products in their processes, would be adversely affected on a large scale.

T. EMBASSY OF MEXICO, NEW DELHI

It was requested to exclude the Mexican exports of seamless pipes and tubes and hollow profiles of iron or non-alloy steel to India from application of any safeguard measures, since the imports of the PUC from Mexico do not exceed 3% of India's total imports, in accordance with Article 9.1 of the Agreement on Safeguards of the World Trade Organization.

U. MINISTRY OF ECONOMY, UNITED ARAB EMIRATES

Requested to determine whether the United Arab Emirates exports of the PUC to India are under or above de-minimis level set out in Article 9.1 of the Agreement on Safeguards.

V. TAIPEI ECONOMIC AND CULTURE CENTER, NEW DELHI

The total amount of importation from Taiwan (Chinese Taipei) is less than 3%. Therefore, requested to exclude imports from Taiwan (Chinese Taipei).

W. GOVERNMENT OF ROMANIA

De Minimis imports:

(i) Silcotub SA is a steel pipes manufacturer based in Romania, controlled by Tenaris Group.

(ii) Silcotub SA has exported to India seamless pipes not on a regular basis and not in significant amount, much less than 3% of total imports in India.

(iii) As per the WTO regulation, Art.9.1 of the Safeguard Agreement a measure shall not be applied against a product originating in a developing country member, as long as its share of imports does not exceed 3 percent.

(iv) Romania is a developing country; therefore the imports from the Romania Company should be exempted from the safeguard measures.

X. EMBASSY OF EGYPT.

De Minimis imports:

Exports from Egypt account for less than 3% of total imports into India during POI. Therefore, the Egyptian exports should be excluded from any safeguard measures.

10. A public hearing was held on 02.09.2013, notice for which was sent to all interested parties on 14-08-2013. In response to this notice, interested parties attended the public hearing and made their written submissions, which was circulated amongst all different interested parties in order to enable them to file rejoinders, if any. However, on their own volition, the petitioners had filed additional submissions on 21.10.2013. These additional submissions were then circulated to all interested parties and they were asked to file their comments by 27.10.2013. The comments received from the interested parties were forwarded to the domestic industry for their rejoinder by 04.11.2013, all of which was taken on record and the non-confidential version had been kept in the Public File.

However, due to change in the Designated Authority, i.e., the Director General (Safeguards) and in order to fulfill the requirements of natural justice and legal propriety, a second Public Hearing was held before the new DG (Safeguards) on 12-12-2013, notice for which was sent to all interested parties on 02-12-2013. All interested parties who participated in the public hearing were requested to file a written submission of the views presented orally in terms of sub rule (6) of rule 6 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 and also file submissions on the updated data submitted by Domestic Industry by 20.12.2013. Copies of written submission filed by all interested party were made available to all other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file the rejoinder, if any, to the written submissions of other interested parties by 31.12.2013.

The individual submissions made by the domestic Industry and interested parties after 1st Public hearing are recorded in a consolidated manner along with the submissions made during the 2nd Public Hearing in the Final Findings, individually, in brief. However, written submission of those interested parties who had filed written submissions during the first and/or second Public Hearing have been taken on record and are being dealt with herein below:

11. Views of exporting country governments during 1st public hearing:

A. Government of China

(i) **Scope of the product:**

The scope of the product under consideration is overbroad. The petitioners are unable to manufacture certain products, or are not even qualified to manufacture certain grades of the PUC.

(ii) **Increased Imports**:

As per the total imports between 2011-2012 and 2012-2013, the more recent statistics even show a decreasing trend in absolute terms.

(iii) **Unforeseen Developments**:

Neither the Petition nor the Notice of Initiation offers any explanation or evidence demonstrating that certain "unforeseen developments" resulted in increased imports of the PUC.

(iv) **Interest of User Industry:**

The safeguard measures will impose extra burden on the Indian downstream users.

B. EUROPEAN COMMISSION

Discrepancy in Data:

(i) Significant differences between the figures in the complaint and in the notice of initiation.

(ii) With respect to the production, installed capacity, profitability, employment or inventory figure, the notice of initiation takes into account only data for the two applicants companies disregarding figures of the supporting company.

Increased Imports:

(iii) Imports increased significantly in the financial year2011-12, but decreased in the subsequent and most recent period. Thus increase in imports is not recent enough, sudden enough, sharp enough and significant enough to fulfill the most essential WTO standard.

(iv) Increase in import until 2011-12 can be mainly attributed to one single country, which in 2011-12 represented the 73% of the share of imports into India.

(v) No indication to conclude that the domestic industry is in a position of significant overall impairment.

Injury & Causality:

(vi) During overall period considered, the sales volume of the domestic industry decreased only by 5%, corresponding to a negligible market share loss of not even 3%, production increased by 16%, employment raised by 10% and productivity by 5% .

(vii) Even after having done with considerable investments to almost double the production capacity the domestic industry managed to increase profitability in 2011-12 by more than 25% as compared to the previous year.

(viii) Significant increase in profitability took place exactly when imports increased. Profitability dropped in the subsequent period, but this took place when imports dropped as well.

(ix) It appears that the significant decrease of the domestic demand (-25%) and excessive capacity building, which exceeds the domestic demand, is the factors and not the increase of imports influenced in the industry's situation in the financial year 2012-13.

(x) The low capacity utilization rate is caused by the conjunction of an excess capacity when demand is decreasing rather than any increase of imports.

(xi) If the production capacity had remained stable at the 2009-10 level, the utilization rate would have increased from 60% to 70% in 2012-13.

C. EMBASSY OF ITALY

They would submit the written submission by 06.09.2013. However, they failed to make any submission.

D. Director of Trade Defense, Indonesia.

De Minimis imports:

Indonesia as developing country's member of the WTO has privileges to be excluded from the imposition of safeguard measure if the export shares does not exceeds 3% of the India's total import share of the investigated products.

E. DEPARTMENT FOR CO-ORDINATION, DEVELOPMENT AND REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY, MOSCOW.

Import Volume:

(i) UnderArticle 2.1 of the WTO Safeguards Agreement special safeguard measure may be implemented only under such conditions when the product is being imported into its territory in such increased quantities as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products.

(ii) The Notification shows decline in the import volume. The decision of the Appellate body in Argentina-Footwear argument (EC) says that "even if in the course of the year, under the investigation, there is a decline in import, not the increase, it necessarily means decline in import despite its primary growth.

Import mainly from China:

(iii) Country-wise import of seamless tubes, pipes and hollows shows that the major and significant share of import accounts for the goods from China.It is clear that in the specified period, there is a significant growth of import of goods, under investigation, only in case of Chinese importers. Whereas, the import from other countries cannot be characterized as suddenly increased or as increased at all. Besides, it needs to be noted that progressive increase of import volumes cannot be treated as "sharp" or "sudden".

(iv) The loss of market by Indian national manufacturers can be explained by the high volume of import from China that not only took away the part of the market from the national manufacturers but also occupied the part of the market that earlier belonged to the importers from other countries.

No proof of Serious Injury:

(v) In the course of special safeguard investigation, it is the serious damage to the branch of the national industry that needs to be proved as contrasted with the antidumping investigation where the financial damage needs to be proved. The Russian side has not seen any sufficient prove to the serious damage to the branch of the national industry.

(vi) Russia has noticed a significant positive dynamics in the development of the national brunch of India in manufacture of seamless tubes, pipes and hollows. It can be seen in the growth of volume of sales (2010-2011 by 18%, 2011-2012 by 1,2%), employment (in 2012-2013 it increased by 10% to compare with 2009-2010) and profit (in 2011-2012 it increased by 25% in comparison with the previous year).

(vii) In the situation of decline of some financial indicators of the national brunch and the production level in 2012-2013, the import volume (under investigation) also decreased by 12% in 2012-2013. Hence, the conclusion that the increased import causes damage to the national brunch is not fully correct

Injury due to Excess capacity:

(viii) The Russian side is of the view that the reason for the loss suffered by the Indian national industry is not caused by the increased import but by the excessive capacity. That is why the production capacity of the national manufacturers cannot be used to the full extent.

12. The following interested parties have made the following written submissions during the 2nd Public Hearing, which are being discussed herein below:

Domestic Industry:

A. M/s ISMT Ltd and M/s Jindal SAW (Domestic industry) and M/s Maharashtra Seamless Limited (Supporter) (Represented by M/s ELP)

Import Data Methodology

i) The import quantities and values considered in the Petition were on the basis of the transaction-wise import data collected from the Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S) located in Kolkata. The data was firstly identified on the basis of parameters of ITC-HS Classification, Description and Outer diameter (O.D) size. The following descriptions were excluded from the import data and the remaining transactions were held to be Product under Consideration.

a. OD diameter sizes above 273.1mm (Including ITC-HS

b. Stainless Steel, ASTM A213/ASME SA 213 and ASTM A335/ ASME SA 335 (or equivalent BIS/DIN/BS/EN or any other equivalent specifications)

c. Drill Collars,

d. 13 Chromium Grade and Premium casings/tubing

(ii) Imports made under units such as Nos, Pcs, Bgs were excluded from being considered for the relevant import data. For those entries, where the O.D Size were provided in the Item Description, the following methodology was applied to ascertain the Volume in MT: ((OD–THK)*THK*0.02467)*quantity in meters /1000 = MT

(iii) The Petitioners had provided complete disclosure of the methodology along with sample transactions to explain the process of consideration of transactions as part of the import data of the product under consideration at Annexure 5 of the Application.

(iv) M/s. NEI and the CISA at the Public Hearing claimed that import data submitted by the Domestic Industry contains extraneous data under chapter headings 73.04, 73.06 and 98.01. It is respectfully submitted that the entries of the imports of the subject goods were observed under the other alleged extraneous chapters of 73.04, 73.06 and 98.01 which were collated in the manner prescribed above from the DGCI&S data. The same have been provided in Annexure 6 of the Petition

Product under Consideration and 'Like Article'

(v) The opposing Interested Parties have claimed that the scope of the product under consideration is too broad. In the case of *Dominican Republic - Bag and Fabric Safeguards* (WT/DS415/R, WT/DS416/R, WT/DS417/R, WT/DS418/R dated 31 January, 2012) the WTO Panel held that there is no provision in the Agreement on Safeguards that governs or mandates the selection, description, analysis or determination of the product under consideration.

(vi) In the recently initiated investigation by the *United States International Trade Commission (USITC) into imports ofCertain Oil Country Tubular Goods* (includes certain subject goods) (Inv. Nos. 701-TA-499-500 and 731-TA-1215-1223) the product under consideration is defined as

"The merchandise covered by the investigations is certain oil country tubular goods ("OCTG"), which are hollow steel products of circular cross-section, including oil well casing and tubing, of iron (other than cast iron) or steel (both carbon and alloy), whether seamless or welded, regardless of end finish (e.g., whether or not plain end, threaded, or threaded and coupled) whether or not conforming to American Petroleum Institute ("API") or non-API specifications, whether finished (including limited service OCTG products) or unfinished (including green tubes and limited service OCTG products), whether or not thread protectors are attached. The scope of the investigations also covers OCTG coupling stock. Excluded from the scope of the investigations are: casing or tubing containing 10.5 percent or more by weight of chromium; drill pipe; unattached couplings; and unattached thread protectors.

The HTSUS subheadings above are provided for convenience and customs purposes only. The written description of the scope of the investigations is dispositive"

The product under consideration was defined as "oil country tubular goods" which are not classified under a single specific HS-Classification.

(vii) The scope of the product under consideration has been specifically defined to include those products and their "like articles" specifically manufactured by the Petitioners and is not vague in any manner and adequately covers the range of the products sought to be included in the investigation.

(viii) The Notice of Initiation as well as the Petition clearly and definitively provide the scope of the product under consideration and the various chapter headings provided in the Notice of Initiation are only indicative of the different headings under which the goods can be imported, however, it does not tantamount to being a distinct or different product merely on the ground of different types and uses, as claimed by the opposing Interested Parties.

(ix) The other Interested Parties have not placed on record any evidence to establish that the subject goods are not capable of being imported simultaneously under different chapter headings noted in the Notice of Initiation.

Allegation on Wider Scope Definition leading to incorrect Product Definition

(x) The Domestic Industry not only has the capacity to manufacture and sell the complete range of the product under consideration, it has actually manufactured and sold all the goods for which the Interested Parties have unfairly sought exclusion from the scope of the product under consideration. The petitioner relied on the following cases on the issue of like or directly competitive article:

(a) *United States- Transitional Safeguard Measure on Combed Cotton Yarn from Pakistan* (WT/DS192/AB/R)
(b) *US – Lamb Safeguards,* (WT/DS177/AB/R and WT/DS178/AB/R)
(c) *Safeguard Investigation Concerning Imports of Electrical Insulators into India from Peoples Republic of China* - Final Findings dated 27th September, 2012*,*

(xi) The details of the capacity, production and sales have been verified by the Director General (Safeguards) and the production process followed for the manufacture of the different types and grades is similar and the subject goods are manufactured in the same plant.

(xii) The product produced by the Domestic Industry and imported products are like in all essential aspects. The standards prescribed for the imports and the subject goods manufactured by the Domestic Industry are the same.

(xiii) The petitioners have provided the manufacturing process of the Domestic Industry and claimed it is similar to the manufacturing process of the exporters. The API Licenses of the Domestic Industry were also provided to establish that all the grades manufactured by the Exporters are manufactured by the Domestic Industry.

(xiv) The Domestic Industry and the foreign exporters from other countries compete for a common customer base in India such as ONGC, BHEL, NEI. The technology and equipment utilized by the Domestic Industry is state of the art and regarded to be of high global standards. The Domestic Industry has been at the forefront of providing the latest technology and the highest quality output to the Indian user industry. Hence, the claims of inferior quality made be the Interested Parties is baseless and unsubstantiated and is liable to be ignored.

(xv) The imports are technically and commercially substitutable with subject goods manufactured by the Domestic Industry and are directly competitive with subject goods manufactured by the Domestic Industry.

Claim of Exclusion of certain grades from scope of investigation

(xvi) The Domestic Industry outrightly denied the claims made for the exclusion of certain grades and respectfully submits that the Domestic Industry is engaged in and can manufacture all the grades and types impugned by the Interested Parties.

(xvii) The Domestic Industry has provided information relating to production and sales of the following grades mentioned below along with relevant evidence in the form of invoices for sample sales to examine the production and sales capacity of the Domestic Industry.

- 34CrMo4
- SAE52100
- SAE8720
- SUJ3
- C-95
- J-55 / K-55
- L-80
- N-80
- P-110
- Q-125
- 9-5/8” OD Casing
- Higher Grades of 9-5/8" Casing Pipes
- Onshore and Offshore Applications

- Mechanical Tube for Needle Roller Bearings (NRB Tube) with grade JISG-3441, SCM 415TK having OD 20 mm to 50 mm
- 42 mm OD
- OCTG Tubes
- 4-1/2 Tubing
- Drill Pipes
- OCTG Grade with N80Q and L80 having an OD of 9-5/8" or 7inches
- Line Pipe of OD not exceeding 273.1 mm
- Boiler Tube of OD not exceeding 273.1 mm
- Mechanical Tube for Crane (Crane Tube)
- Mechanical Tube for Needle Roller Bearings (NRB Tube)
- Mechanical Tube for bearing tubes
- Rifle Tube
- High Pressure Cylinder Tubes

Manufacture of High Pressure Cylinders

(xviii) The Domestic Industry has submitted that the Indian Industry have the capability to manufacture the high pressure seamless steel gas cylinder pipes and tubes. The standard sizes of seamless tubes used for manufacturing high pressure gas cylinders (OD x THK): 108 x 3.2, 139.8 x 4.2, 165.1 x 4.4, 232 x 5.4, 267 x 6/7.5, 273 x 7.6

(xix) The Domestic Industry has provided evidence, such as the purchase order placed on one of the constituents of Indian Industry for supply of High Pressure Cylinder Tubes to establish that production capability of the Indian Industry to manufacture the said high pressure cylinders.

(xx) The Domestic Industry reiterated that the import prices of the said high pressure seamless steel gas cylinder pipes and tubes are much lower than the reasonably expected selling price of the Indian industry and the Industry is not even able to recover its costs because of pressure from low import prices.

(xxi) The Domestic Industry submitted that owing to under-cutting by the low priced imports of the high pressure seamless steel gas cylinder pipes and tubes into India, the imported prices have prohibited the Petitioners from making any commercial sales to gas cylinder manufacturers of the high pressure seamless steel gas cylinder pipes and tubes at reasonable prices including profits.

(xxii) It is submitted by Domestic Industry that as producing high pressure seamless steel gas cylinder pipes and tubes is commercially unviable, it would be imprudent on the part of Petitioners to seek required approvals from Chief Controller Of Explosives and Petroleum and Explosive Safety Organisation and once the same have been obtained to hold the same for future orders. Once the safeguard duty is levied, the Petitioners will be in a position to supply at profitable prices to the gas cylinder manufacturers and obtain the necessary approvals.

Exclusion of Rifled Tubes

(xxiii) The Domestic Industry denied that M/s ISMT Ltd. is not engaged in the manufacture of *Rifled Tubes.*

(xxiv) The Domestic Industry submitted that *Rifled tubes* are a type of boiler tubes, itself manufactured and sold by the Domestic Industry. M/s BHEL has not only bought but also, used rifled tubes manufactured and sold by M/s ISMT close to the tune of 1200 tonnes in 2010-11 and about 2741 tonnes in the entire injury period from 2009-10 till the Q1-2013-14. It had merely temporarily put on hold further procurement for some techno-commercial reasons. The domestic Industry has submitted the Invoices of purchases made by M/s BHEL of *Rifle tubes* from M/s ISMT Ltd.

(xxv) The Domestic Industry submitted that credible boiler manufacturers in the country have continued buying rifled tubes from the Domestic Industry. M/s ISMT has sold about 3354 tonnes of Rifled Tubes in India in the entire Injury period from 2009-10 till Q1-2013-14 which includes sales to Indian users apart from M/s BHEL.

(xxvi) The Domestic Industry submitted the recent invoices for sale made to other boiler manufacturers

Supply to NEI Ltd

(xxvii) As regards the claim made by M/s NEI Ltd concerning alleged supply and quality constraints the Domestic Industry denied that there is any regular supply or quality constraints with the subject goods supplied by the Domestic Industry.

(xxviii) M/s NEI Ltd. has been regularly procuring the subject goods from the Domestic Industry and in 2012-13 has procured about 219 MT for a total value of about Rs. lacs 190 and in Q1-2013-14 has procured about 175MT for a total value of about Rs. lacs 144

(xxix) There are several other domestic manufacturers of bearings which have larger domestic share of production than M/s NEI and M/s NEI cannot claim to be a representative of the entire Indian Bearings Industry. The Domestic Industry submitted the recent invoices for sale made to other bearing manufacturers.

(xxx) As regards the allegations concerning quality issues with the supply of the subject goods. M/s NEI has not provided an iota of evidence, in the form of a test report concerning the defective quality of the subject goods supplied by the Domestic Industry. No evidence has been placed on record by M/s NEI to establish any such regular or continuous defective supply by the Domestic Industry. The Domestic Industry submitted that M/s NEI presently continues to procure the subject goods from the Domestic Industry, despite all the alleged defective supply constraints, which clearly establishes that the claim made by M/s NEI is misconceived and fallacious.

Submissions made on behalf of Exporters from Japan

(xxxi) The Exporters from Japan have also submitted that the subject goods being imported by them to India are not *like articles* and are liable to be excluded. The Domestic Industry submitted that there is no evidence placed on record to establish that the subject goods exported to India by the Japanese Exporters are of superior quality or are dissimilar from the subject goods manufactured by the Domestic Industry.

(xxxii) No disclosure has been made by the Exporters on the precise standards or the manufacturing process and the absence of such disclosure clearly establishes that there is no real difference and the claim of the Japanese Exporters to the contrary is false and uncorroborated.

(xxxiii) The Domestic Industry submitted that the instant case is that of safeguards investigation and not an anti-dumping investigation, whereby the duties are levied on imports of all products, the exclusion of exports from Japan on the alleged grounds of quality as claimed by the Exporters is contrary to the basic principles of non-discrimination enshrined in the WTO law on Safeguards.

(xxxiv) The Japanese Exporters have merely made claims of some alleged “cutting edge technology”. In the case of *Safeguard investigation concerning imports of Carbon Black – Final Findings* dated 31st July, 2012, while examining the production process in China for the manufacture of carbon black, which depended upon Coal Tar Oil was different and even less costly as compared to the production process of the Indian industry, which relied upon Carbon Black Feed Stock, the Director General (Safeguards) considered the same as like articles and imposed the safeguard duties.

(xxxv) The Domestic Industry submitted that the mere fact of higher price cannot be the sole determinant factor for exclusion of the articles, and the alleged higher prices can be on the basis of varied reasons included favourable contracts or high freight costs for transport.

(xxxvi) The Domestic Industry manufactures the entire range of products in the scope of the Product under Consideration and the imports from Japan are technically and commercially substitutable with the subject goods manufactured by the Domestic Industry, and are directly competing with the customers of the Domestic Industry.

(xxxvii) As regards the submission that price injury can be addressed only in an anti-dumping investigation. It is reiterated by the Domestic Industry that such a claim is baseless and against the basic tenet that anti-dumping and safeguards remedies can be applied without prejudice to each other and there is no restriction on even the simultaneous application of safeguard and anti-dumping duty.

(xxxviii) The exporters from Japan have also claimed that the data concerning the subject goods was liable to be segregated in accordance with end uses or grades and hence have questioned the manner in which the Domestic Industry has submitted the data. Pertinently, the Exporters have not segregated the data pertaining to their exports to India in accordance with end uses or grades in the Exporters Questionnaire.

Inclusion of Non-Seamless Pipes and Tubes

(xxxix) As regards the claim of the opposing Interested Parties concerning inclusion of welded pipes and tubes using electrical resistance welding ("ERW pipes") to be included within the scope of the investigation as 'like articles'. The Domestic Industry submitted thatthese Interested Parties have themselves submitted that the product scope is too wide, hence, inclusion of ERW pipes would definitely amount to widening the scope of the product under consideration and the same is contradictory to the submission of the opposing Interested Parties themselves.

(xl) The Domestic Industry submitted that the claim of the opposing Interested Parties is based on the Finding of the USITC concerning "oil country tubular goods" wherein the product scope specifically included ERW Pipes and Tubes as "Oil Country Tubular Goods". Further, the USITC held that Welded and Seamless products are interchangeable for oil exploration applications. The opposing Interested Parties have also admitted to the limited common inter-changeability of ERW and Seamless Pipes and have not been held to be *like articles* otherwise. The finding of the USITC for ERW Pipes and Seamless Pipes to be *like articles* in the said investigation is on account of the goods being specifically included in the scope of the product under consideration, which in the instant case is limited to Seamless pipes and Tubes and cannot include the ERW pipes or tubes. Hence, the expansion sought by the opposing Interested Parties at such a belated stage is ill-founded and unjustified. Relied upon following cases (a) United States – final dumping determination on Softwood Lumber from Canada (WT/DS264/R) (b) Korea- Taxes on Alcohalic Beverages [WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R dated 18 January 1999],

(xli) It is submitted by the domestic industry that all tenders by Indian Users clearly specify the requirement of "Seamless Pipes" or "ERW Pipes" *separately*. Tenders and Bids floated by all Indian users such as ONGC,GAIL, IOCL, BPCL do not permit alternative supply of "ERW" pipes in place of "Seamless" pipes and the application in India are clearly defined as "only" seamless or "only" ERW which is different from the other jurisdictions.

(xlii) A copy of a recent tender floated by M/s ONGC submitted by the Domestic Industry shows that the tender specifications clearly and unambiguously provide for procurement of "Seamless pipes only" and there is no permission to alternatively supply welded or ERW pipes.

(xliii) The Indian User Industry does not permit the use of seamless pipes and ERW pipes interchangeablyand they are not 'like articles' Hence, the inclusion of "ERW" pipes within the scope of the investigation is erroneous.

Confidentiality and Violation of Principles of Natural Justice

(xliv) The Petitioners denied that the Domestic Industry had not filed the Adjustment Plan and the Questionnaire Response till after the Public Hearing. The Domestic Industry has filed the individual Adjustment Plan for each company prior to the public hearing vide communication dated 29th August, 2013.

(xlv) These Interested Parties appear to be relying upon the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of *Automotive Tyre Manufacturers Association vs. Designated Authority* reported at 2011 (263) ELT 481 (SC), which is reference to the Hon'ble Designated Authority of the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties, which is concerned with the imposition of anti-dumping duties and has no significant, in fact not even a passing reference to the Director General (Safeguards).

(xlvi) As per the provisions of confidentiality the parties providing information on confidential basis are required to furnish non confidential summary thereof and if, in the opinion of the party providing such information, such information cannot be summarized, such party may submit a statement of reasons why summarization is not possible.The Petitioners submitted that the Domestic Industry has provided the complete information to the Director General (Safeguards) and has requested proprietary information that is not available in the public domain to be kept confidential, as the disclosure will be harmful to the interests of the company. The Domestic Industry has, *suomoto,* provided all the mandated as well additional information to the Director General (Safeguards) with reasonable non-confidential summaries.

Non-Provision of Data of the Supporter

(xlvii) M/s. Maharashtra Seamless Limited, who is a producer of the subject goods has expressly supported the petition. In "Annexure 10" of the Petition clearly provides the injury data for the supporter which has been provided at the time of initiation itself.

(xlviii) M/s. ISMT Limited, M/s. Jindal SAW Limited are held to be majority under the definition of the Domestic Industry and therefore have complied with the Section 8B(6)(b) of the Act.

(xlix) M/s. Maharashtra Seamless Ltd. has chosen to be a "Supporter" and therefore under the consistent practice of the office of the Director General (Safeguards) they have filed also the requisite data which they ought to provide i.e. production and sales data etc.

(l) M/s. Maharashtra Seamless Ltd. has fully co-operated with the DirectorGeneral(Safeguards) and has also filed the post-initiation Domestic Producer Questionnaire Response with the Director General (Safeguards) within the prescribed time limit. The Petition, the written submissions as well as the rejoinder filed by the Domestic Industry also provides an analysis of the data for the industry as a whole, including the data of the supporter.

(li) The submission of the Interested Parties that in case the relevant costing data of M/s Maharashtra Seamless Ltd. is also considered, there would be no injury is fallacious, misconceived and unsubstantiated. It is reiterated by the Domestic Industry that the injurious effects of increased imports is not only felt by the Domestic Industry but also by the other major producer of the Product under Consideration as well.

Increased Imports of Subject Goods into India

(lii) The imports have increased in absolute terms as well as in relation to the production, sales and demand, during the injury period:

a. On an end-point to end point-basis, the imports have increased by 19% in Apr'12-Jun'13 as compared to 2009-10, with highest increase by 38% intermittently in 2011-12.

b. Further the imports have increased in proportion to the production and sales of the Domestic Industry as well as the demand in the country.

c. The percentage of imports as compared to the production of the Domestic Industry has increased by 8% in Apr'12-Jun'13 and,

(liii) The imports indicate an increasing trend from 2009-10 to 2011-12 which increased by 38% and thereafter marginally declined owing to the initiation of the safeguard investigation. The domestic Industry placed reliance on the following cases (a)Argentina – Footwear (WT/DS121/AB/R dated 14th December, 1999) (b)US — Line Pipe(WT/DS202/R dated 29 October 2001)(c) Argentina — Footwear (EC)(WT/DS121/R dated25 June 1999) to establish a significant surge in imports and the imports have increased suddenly enough, sharply enough, recently enough to not just cause serious injury to the Domestic Industry but also threaten to continue causing such injury

(liv) The Domestic Industry had filed the application in November, 2012, which coincided with the period that reflects the highest surge in the increase in imports. It is submitted by the Domestic Industry that it was only after the filing of the application by the Domestic Industry that the imports have

marginally reduced, but have yet remained at very high levels, in absolute terms as well as in relation to the production, sales and demand in India. The Domestic Industry submitted that it is apparent that exporters are resorting to delay their shipments to India to mislead the investigation.

Imports from Other Sources

(lv) The imports from the European Union in Apr'12-Jun'13(annualized) have shown a sharper increase than Chinese imports and have been constantly on a rise. Imports from European Union have increased by 51% in Apr'12-Jun'13 as compared to 2009-10 whereas imports from China PR have increased by 25% in Apr'12-Jun'13 as compared to 2009-10.

(lvi) The Indian market will also be susceptible to imports from various other sources in light of various trade remedial actions resorted by major user countries around the world such as EU, US, Indonesia, Mexico.

Unforeseen Developments

(lvii) The Domestic Industry submitted the list of several of trade remedial actions by various countries, which are either under investigation or whereby measures are in force.

Trade Remedies Instruments	Imposing Countries	Affected Countries	Range of Duties
Anti-Dumping	US	China	48.99% – 98.74%
Subsidies	US	China	13.66% – 53.65%
Anti-Dumping	Canada	China	39.00% – 166.9%
		USA	13.85%
Subsidies	Canada	China	91.26 – 4,070.00 RMB/Metric Ton
Anti-Dumping	EU	China(Now terminated)	48.3% – 71.9%
Anti-Dumping	China	EU and Japan	9.2% – 14.4%
Safeguard (4 years)	Indonesia	Global Measure (excluding developing country exceptions)	Rp 28,429 per kg –Rp 27,126 per kg (on a reducing scale year on year)
Anti-Dumping	US	India, Korea, Philippines, Saudi Arabia, Taiwan, Thailand, Turkey, Ukraine, and Vietnam	Ongoing Investigation
Subsidies	US	India and Turkey	Ongoing Investigation

(lviii) As a result of the unforeseen trade remedial actions on imports by major consuming sources such as US and EU, especially against imports from China, resulted in diversion of these imports to India, leading to a surge in imports into India.

a. Chinese exports to USA have decreased by 65% and at the same time the Chinese exports to India have increased by about 60%. This is clearly attributable to the imposition of trade remedial measures on exports from China PR

b. Owing to trade remedial actions by EU against China, the exports to India have increased by 46%.

China exports to USA

Period	Net Weight (MT)	Indexed Quantity	Increase/ (Decrease) in MT
2009	4,06,502	100.00	
2010	1,09,362	26.90	(2,97,140)
2011	1,52,576	37.53	(2,53,927)
2012	1,41,026	34.69	(2,65,477)

China exports to India

Period	Net Weight (MT)	Indexed Quantity	Increase/ (Decrease) in MT
2009	2,73,612	100.00	
2010	4,48,586	163.95	1,74,974
2011	5,35,140	195.58	2,61,528
2012	4,32,113	157.93	1,58,501

EU exports to China

Period	Net Weight (MT)	Indexed Quantity	Increase/ (Decrease) in MT
2009	1,20,301	100.00	
2010	86,411	71.83	(33,890)
2011	1,03,499	86.03	(16,802)
2012	78,159	64.97	(42,142)

EU exports to India

Period	Net Weight (MT)	Indexed Quantity	Increase/ (Decrease) in MT
2009	49,230	100.00	
2010	60,005	121.89	10,775

2011	63,153	128.28	13,923
2012	71,988	146.23	22,758

(lix) The Domestic Industry submitted that trade remedial actions in various markets have been considered as a determinant of 'Unforeseen Development' by the Indonesian Safeguards Authority. The relevant excerpt in Notification of a *Proposal to Impose a Measure Under Article 12.1(B) of The Agreement on Safeguards*on a similar product under consideration (G/SG/N/8/IDN/14; G/SG/N/10/IDN/14) on finding a Serious Injury or Threat thereof caused by Increased Imports dated 19th March 2013 reproduced below:

> *"According to World Steel Association-Statistical Year Book 2011, global production of the Subject Good has increased in line with demand underpinned by oil and gas exploration. However, trade measures taken in several major markets, that could not have been foreseen, has resulted in trade deflection accounting for the significant increase in imports to Indonesia."*

Unexpected drop in consumption in European Markets

(lx) The European markets have reported an unexpected drop in demand as a result of the massive capacities of the subject goods in foreign countries and the foreign producers have resorted to increased exports to India.

"On the basis of those data, it was found that the Union consumption decreased by 34% from 2,597,110 tonnes to 1,724,743 tonnes between 2008 and the RIP (April 10-March 11)."

(lxi) The Domestic Industry quoted the *PRWeb Report* dated December, 16, 2013 and *MetalBulletien Research Report* - January 2012 to indicate the slowdown in the EU market

(lxii) Eurozone was in a state of recession throughout 2012 and first quarter of 2013:

EUROZONE GDP (Source:Eurostat)



(lxiii) The Domestic Industry submitted that as a result of the unexpected slow-down in the EU markets, the consumption in EU declined and producers from EU became export-centric and have resorted to focus on large-scale exports to growing markets such as India and China.

Additional Capacities in China PR and new capacities planned in United States

(lxiv) It is submitted by the Domestic Industry that the Chinese have been increasing capacities despite sanctions from various major markets which is leading to further diversion of imports to India. M/s SMS Meer Germany had delivered the world's largest PQF plant for seamless tubes with diameters up to 20 to a Chinese consortium consisting of the M/s Tianjin Pipe Corporation and the M/s Jiangsu Shagang Group, M/s Huaigang Special Steel Company and production was due to start in the beginning of 2012. The capacity of the new PQF plant in China was 500,000 tonnes of seamless tubes per year and the project was said to represent the largest production facility for seamless tubes in China.

(lxv) There have also been new plants set up in United States by M/s Vallourec with initial capacities as high as 350,000 MT (expected to go upto 500,0000 MT), which have started producing pipes since November 2012.

(lxvi) In Saudi Arabia, M/s Vallourec has completed the acquisition of M/s Zamil Pipes in 2011 which provides M/s Vallourec with ready-to-run heat treatment capacity and threading facilities of up to 100 kt of pipe per year.

(lxvii) German company M/s Benteler Steel Tube has invested $900 million to set up a new steel tube plant in the United States which is expected to be running by 2015.

Unforeseeably low pricing of imports despite increase in raw material costs

(lxviii) It is submitted that the raw material prices were increasing throughout the course of the Period of Investigation, however, despite the global increase in raw material prices, the import prices do not commensurate with the increase in cost of to make and sell product under consideration in India.

	2009-10	**2010-11**	**2011-12**	**21012-13**	**Apr 12-Jun13(Ann)**
Indexed cost of sales	100.0	107.2	116.8	122.5	124.0
Indexed import price	100.0	90.0	99.1	104.4	104.5

Serious Injury and Threat of Serious Injury

Production:

(lxix) The production of the Domestic Industry has been severely impacted by imports of the subject goods in the due to increasing imports. The production of Domestic Industry in 2009-10 was 224216 MT and increased upto 318968 MT in 2011-12. However, it has significantly declined in 2012-13 to 254316 MT and in Apr'12-Jun'13 (Annualised) to 2,47,827 MT by more than 20% as compared to 2011-12

Capacity Utilisation:

(lxx) The Capacity Utilisation shows a significant decline due to increased imports. The capacity utilisation of Domestic Industry. In 2009-10, it was 60% and in 2012-13 it is dropped to 37%. Idle Capacity of the Domestic Industry has significantly increased despite increase in demand.

Domestic Sales:

(lxxi) The domestic sales of the Domestic Industry have been grossly affected due to imports of the subject goods into India. The Domestic Industry sales in 2009-10 were 143,017 MT and increased up to 170,826 MT in 2011-12, however, it has declined steeply in 2012-13 to 141,588 MT and 1,38,726 MT for Apr 12-Jun 13 (Annualised).

Demand and Market Share:

(lxxii) The demand of the subject goods has increased over the period of investigation upto 24%. However, the sales of the Domestic Industry have increased only by 16%, whereas the imports have increased by 28%. Hence, the increase in imports is at a greater rate than the increase in demand. On a year-on-year basis, in 2012-13, the demand increased by 13%, however, the sales of the Domestic Industry declined by 24% and the imports increased by 42%.

Injury to Domestic Industry including Supporter:

(lxxiii) All the vital parameters including production, capacity utilization, sales of Domestic Industry including supporter have also been undertaken and clearly reveal similar trends as that of the Domestic Industry.

Profit and Loss:

(lxxiv) The increased imports at significantly low prices into India has caused a decline in profits of the Domestic Industry, so much so that it has not recovered a reasonable margin based on capital employed. Although the cost of sales of the Domestic Industry increased by 22% in 2012-13, the selling price of the Domestic Industry increased by merely 17%. This situation is bound to get worse in 2013-14 as recent tenders have been awarded to foreign suppliers at extremely low prices, which are even lower than the cost of Domestic Industry.

Particulars	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	Apr 12--- Jun13(Ann.)
Applicant Selling Price (Rs./MT)	****	****	****	****	****
Trend in Applicant Selling Price	100	106	114	118	117
Cost of Sales (Rs./MT)	****	****	****	****	****
Trend in Cost of Sales (Rs./MT)	100	107	117	123	124
Landed Price of Imports(Rs./MT)	66,580	59,934	65,964	69,503	69,632
Index of Landed Price	100	90	99	104	105
Landed Price of Imports (USD/MT)	1378	1297	1369	1271	1262
Trend in Landed Price	100	94	99	92	92
Profit/(Loss) (Rs./MT)	****	****	****	****	****
Trend in Profit/(Loss) (Rs./MT)	100	86	64	43	51
Underselling %					25-35%

Price Effect:

(lxxv) The cost of sales has increased by 24% in the period of investigation, in line with the increase in raw material prices, In order to compete with the suppressed landed price of the imports, the Domestic Industry could increase the selling prices by only 17%. The analysis of the landed values in USD terms, clearly delineates that the prices of imports have drastically declined by about 10% despite the 24% increase in costs.

(lxxvi) Although there is minimal under-cutting, there is significant under-selling and the Domestic Industry is being forced to sell even below the cost of sales.

Annual Reports of Domestic Producers:

(lxxvii) ISMT Ltd. & Maharashtra Seamless Ltd Annual Reports for FY 2012-13 indicated that their operations were adversely affected due to voluminous imports at lower prices from China and other countries

Threat of Serious Injury:

Trade Remedial Measures in Major Consuming Markets:

(lxxviii) It is submitted by the Domestic Industry there are various trade remedial actions taken by major markets across the globe including China, EU, US, Mexico and Indonesia to protect its domestic industry. This has lead to closure of markets for exporting countries such as China, EU, US and Russia, whereas India remains to be a price-attractive market. Hence, there is a clear and imminent threat of continuation of imports of the subject goods into India.

(lxxix) The market share of the Domestic Industry has already been retarded by the increased imports of the subject goods. In light of the unabated imports of the subject goods, it is likely to lead to a further decline in the market share of the Domestic Industry.

Recent Initiation of Anti-dumping and Countervailing Duty Investigation by USITC:

(lxxx) The USITC has initiated an antidumping investigation into imports of Certain Oil Country Tubular Goods(which includes certain subject goods) and the subject countries of the USTIC investigation are India, Korea, Philippines, Saudi Arabia, Taiwan, Thailand, Turkey, Ukraine, and Vietnam. It is submitted by the Domestic Industry that in the absence of any safeguard duty protection to the Domestic Industry it is certain that exports from these sources would be diverted to India, thereby further aggravating injury to the Domestic Industry.

Loss of Recent Tenders:

(lxxxi) The Domestic Industry has lost the substantial quantities in recent ONGC and OIL India tenders to foreign suppliers, which have been granted more than 80% of ONGC tenders and more than 57% OIL India tenders. Such unabated imports of the subject goods are causes and threaten to cause serious injury to the Domestic Industry and Indian Industry as a whole.

Addition of New Capacities:

(lxxxii) New capacities have been installed in China PR as well as US and Brazil. Further, there is significant idle capacity in EU. Hence, in the absence of any safeguard duty protection to the Domestic Industry, there is a clear threat of further exports from these sources into India leading to continued injury to the Domestic Industry.

Causal link:

(lxxxiii) There is a direct causal nexus between the increased imports and the serious injury to the Domestic Industry. The landed price of imports is significantly lower than reasonable costs and the selling prices of the Domestic Industry are determined by the import prices.Consequently, production, capacity utilization, sales, profits, return on investment and cash flow is declining due to continued presence of low price imports.

(lxxxiv) Given the low prices offered by the foreign producers, the imports are surging further despite low prices offered by the Domestic Industry. The Domestic Industry is forced to reduce its prices at lower than cost of sales. As a result of the increased imports, there is a substantial increase in the market share of imports and reduction in market share of the Domestic Industry.

(lxxxv) Decline in market share of the Domestic Industry has adversely impacted the production and capacity utilization of the Domestic Industry. It is thus evident that injury to the Domestic Industry has been caused by the increased imports.

(lxxxvi) The Domestic Industry relied on the WTO Panel in Argentina – Footwear (EC) and the WTO Appellate Body in its Report in Wheat Gluten (WT/DS166/AB/R dated 22 December 2000)

Adjustment Plan:

(lxxxvii) The Domestic Industry had submitted an adjustment plan along with the Petition, detailing the efforts planned to be taken to make a positive adjustment to import competition, which the Domestic Industry plans to effectuate over a period of 2-3 years. The Domestic Industry has provided specific steps regarding particular cost-reduction measures that it plans to undertake to facilitate the positive adjustment and has duly complied with the requirement under the Act and the Safeguard Duty Rules.

Public Interest:

(lxxxviii) The Domestic Industry have over the years, developed the capability to support the domestic user sector and this has been made possible through huge investments in technology up-gradation and human resource development. The Domestic Industry is at a critical stage and requires immediate relief to prevent deterioration due to aggressive marketing and low priced imports by foreign producers as India is a price attractive market.

(lxxxix) The surge in low priced imports will lead to irreparable damage to the industry in the form of:

a. Loss of employment: The Domestic Producers provide much larger employment, both direct and indirect, as compared to the exports. In case no safeguard duty protection is granted to the Domestic Industry, the Domestic Industry would have no option but to resort to wise-scale retrenchment to reduce the losses.

b. Loss of revenue to the Government on account of taxes: The poor financial performance and decline in profitability of the domestic producers, caused by the increased imports of the subject goods has impacted the taxes paid by the companies, which has resulted in a loss of revenue to the Government.

c. Increased outflow of precious Foreign Exchange: Loss of revenue to the Government and outflow of Foreign Exchange is a double edged sword which is ought to hurt the public interest of India in a longer run.

(xc) The domestic industry is a vital pillar for India's strategic growth in power and oil exploration and indigenously caters to the demand.

Impact on ONGC:

(xci) imports of seamless products on an annualized basis is only about 2.3% of total imports of ONGC and its overall impact on its operations will be negligible, especially its profitability which is Rs. 209 billion.

Particulars	**Value in Million Rs.**	**Source**
Regular Casing	4890.08	RTI Reply
EUE Tubing	1789.51	RTI Reply
Total Procurement for 18 months (Apr 11 - Sept 12)	6679.59	RTI Reply
Annualised Imports of Seamless Products	4453.06	Computed
Total Imports by ONGC (2012-13 Annual Report)	193863.19	Page 104 of Annual Report
	%	
% of Seamless products in overall imports by ONGC	2.30	Computed

Impact on Bearings Industry:

(xcii) There is minimal impact on the bearing industry – SKF is taken as sample being one of the largest companies in India. It should be noted that the bearing industry is profitable (SKF's pre-tax net profitability was about 13% in 2012) and can absorb the incremental cost on account of Safeguard Duty – which does not affect all its products anyways – without burdening its customers.

Bearing Symbol	Ring Type	Input Weight	Current Tube Price	Ring Price	Bearing Price*	Difference as a % of Bearing Price @ 35% Safeguard Duty (Year 1)	Difference as a % of Bearing Price @ 25% Safeguard Duty (Year 2)	Difference as a % of Bearing Price @ 15% Safeguard Duty (Year 3)
		Kgs	Rs/Kg	Rs/No	Rs/No	%	%	%
6205	Outer	0.103	91.85	9.46				
	Inner	0.074	91.85	6.80				
	Total			16.26	294.00	1.94	1.38	0.83
6206	Outer	0.17	91.85	15.71				
	Inner	0.11	91.85	9.92				
	Total			25.63	441.00	2.03	1.45	0.87
6304	Outer	0.13	91.85	11.48				
	Inner	0.07	100.67	6.85				
	Total			18.33	295.00	2.17	1.55	0.93
6305	Outer	0.18	91.85	16.81				
	Inner	0.10	91.85	9.37				
	Total			26.18	336.00	2.73	1.95	1.17

(xciii) It is in larger public interest to impose safeguard duty on the imports of the subject goods into India and afford immediate protection to the nascent Domestic Industry and protect the safeguard the growth and direct and indirect employment opportunities created by the Domestic Industry.

B. M/s Vallourec Tubes, M/sTubosReunidos Industrial SLU, Spain and M/s Mertex U.K Limited.(Represented by Amarchand&Mangaldas& Suresh A. Shroff & Co)

Petitioners are trying to abuse the provisions of Safeguard Measures

(i) It is submitted that recourse to imposition of safeguard measures may be taken only as an emergency action, in special and exceptional circumstances, as it is intended to give the domestic industry temporary and short term protection against the imports, in order to enable it to adjust itself to the increased imports. Respondents relied upon the ruling of the Appellate Body in the case of Argentina – Safeguard measures on imports of footwear

(ii) There has to be increased imports of the Seamless Pipes, Tubes and Hollow profile of iron or non alloy steel into India under such conditions so as to cause serious injury i.e. to have an overall impairment in the position of the domestic industry or threaten to cause serious injury i.e. a clear and imminent danger posed by the imports.

(iii) It is submitted that contrary to the levy of anti dumping duty that is imposed to rectify the trade distortive effect of dumping and re-establish fair trade, a safeguard measure amounts to restriction

of fair trade and thus should be used as a temporary measure only in very rare and extraordinary circumstances.

(iv) From the import statistics as provided by the Petitioners in the Petition as well as the updated statistics till June, 2013 in pursuance of the instructions of the DGS after the public hearing, the % increase or decrease per year in relation to the previous year is as follows: 7.65%, 20.14% & (-20.23%). Therefore, a perusal of the aforesaid analysis would reveal that though imports had increased by merely 20.14% and 7.65% in the FY 2011-12 as compared to 2010-11 and in the FY 2010-11 as compared to 2009-10 respectively, imports due for FY 2012-13 in fact registers a decrease of 20.23% as compared to FY 2011-12. An analysis of the data reveals a trend of decrease in imports for current year let alone an increase, or a drastic or serious increase in imports.

(v) It is further submitted that for the FYs 2005-06, 2006-07 and 2007-08, the same Petitioners filed a petition seeking imposition of anti dumping duties on the PUC stating that imports of the PUC from countries apart from China P.R. were either de minimus or at higher prices. The said investigation was terminated by the DGAD.

(vi) It is submitted that had the Petitioners not been aware of the progressive increase in imports, they would have preferred to file a petition seeking imposition of safeguard duties earlier itself, instead of first filing a petition seeking imposition of anti dumping duty. Therefore it is maintained that the imports have neither been sudden nor has it been unforeseen.

(vii) The Domestic Industry's own averment show that in most of the countries wherein the PUC is being subject to trade remedy action concerns either anti dumping actions or subsidy actions which are source specific and not against the world at large like a safeguard investigation.

(viii) With regards to unforeseen trade remedial measures in the communication dated 21.10.2013 by the Petitioner it is submitted that the data presented by the Petitioner gives a complete different presentation of the facts as it can be noted that in most of the cases mentioned, a very narrow scope of welded and seamless OCTG are concerned and further that most of the subsidy cases are linked to an AD investigation and should not be looked at separately. It is further stated that but for the exception of two cases, it is only concerning AD and CVD investigation against China.

(ix) The products involved in the following referenced investigation has little bearing on the present investigation pending before the DGS.

Trade Remedies Instruments	Imposing Countries	Affected Countries	Range of Duties	Product scope	Comments
Anti-Dumping	United States (US)	China	48.99% – 98.74%	Case from 2009 Standard line and pressure pipe	Old case only partial identical scope as this investigation
Subsidies	US	China	13.66% – 53.65%		
Anti-Dumping	Canada	China	39.00% – 166.9%	Case from 2009 Welded and seamless carbon and alloy OCTG cases	Old case only very limited identical scope as this investigation
Subsidies	Canada	China	91.26 – 4,070.00 RMB/Metric Ton		
Anti-Dumping	European Union (EU)	China	48.3% – 71.9%	Case from 2011 Stainless seamless pipe	Scope fully different from the one of investigation

Anti-Dumping	EU	Russia, Ukraine	12.3% – 35.8%	Case from 2006 reviewed Pipe with OD up to 406,4mm	Very old case with different scope
Anti-Dumping	China	EU and Japan	9.2% – 14.4%	High performance stainless pipe	Scope fully different from the one of investigation
Safeguard (4 years)	Indonesia	Global Measure (excluding developing country exceptions)	Rp 28,429 per kg –Rp 27,126 per kg (on a reducing scale year on year)	Case from 2012 OCTG up to 14" with a yield strengh equal or above 750000psi	Very limited identical scope as this investigation
Anti-Dumping	US	India, Korea, Philippines, Saudi Arabia, Taiwan, Thailand, Turkey, Ukraine, and Vietnam	Ongoing Investigation	New case from July 2013 welded and seamless OCTG	Case started after opening of the present investigation and very limited identical scope as this investigation
Subsidies	US	India and Turkey	Ongoing Investigation		

(x) The very thrust of the Petitioner's argument regarding "*Unforeseen Trade Remedial Actions*" is also misleading as most measures are in force since 2008-2009. It is further submitted that only the Indonesia- Safeguard measures are new and the US anti-dumping investigations against nine countries (India, Korea, Philippines, Saudi Arabia, Taiwan, Thailand, Turkey, Ukraine, and Vietnam) as well as countervailing investigations against two countries (India and Turkey) have been opened in August 2013 after start of the present investigation.

(xi) The data on exports from EU to India is grossly erroneous.
Errors in Volume: According to the annex "*Import data - Jan to Mar 2013 (DGCIS).xls*" provided by the Petitioner 30% of imported volumes would come from line 52 of Tab PUC cat. 73041910 tubes originating from Spain (27.315 kt out of 93.515kt). But according to statistics from the European Customs database, total exports to India of the cat. 73041910 for Q4 2012 and Q1 2013 reach only 109t;
Errors in Prices: The unit price of this 27.3kt of couplings would be 655Rs/t (which would be equivalent to ~ 10$/t). For imports of cat. 73041990 tubes originating from the European Union, the file reports a volume of 4.3kt at a price between 900 and 1300 $/t (depending on the exchange rate used). But according to statistics from the European Customs database, exports to India of the cat. 73041990 for Q4 2012 + Q1 2013 have an average price of 5500$/t.
Errors regarding Classification: The Petitioner appears to have wrongly classified certain heads under the PUC. In this regard, Vallourec states that Cat.7341910 and cat. 7341990 should cover only Line Pipes. But in the data presented by the Domestic Industry, descriptions of some items from those categories are not at all related to Line Pipes (example: Drill tube, Alloy Steel, Tubes for Bearings).

(xii) The Petitioner have presented information to solely suit their needs and present a make believe fact scenario in seeking levy of duties. The referenced year of 2009 by the Petitioner was the time of the global recession which itself belies any claim of injury.

(xiii) If the reference year was taken to be 2008 to 2010, it would be evident that there is absolutely no increase in exports from the EU to India. The anti dumping measures levied by China concerns only certain products of high performance stainless tube which concerns a very limited tonnage

(Chrome above 16%). It is submitted that the product subject to duties in China are not even included in the scope of the present investigation before the DGS and thus the averment of the Petitioner that exports have been diverted from the Chinese market to India on account of anti-dumping duties is also misplaced

(xiv) The total imports from the EU are decreasing continuously according the Eurostat statistics and even reach a very low level over the first 6 months 2013. it is submitted that without the PLP (Vallourec claims that pipeline offshore should be excluded from the PUC) the exports to India from EU has decreased constantly since 2010 after the "crisis year" contrary to what it is being indicated by the Domestic Industry.

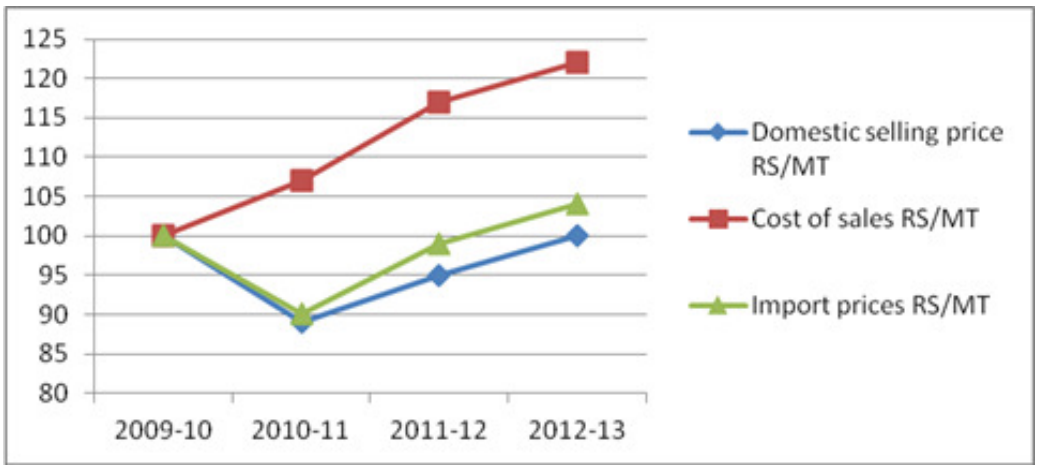
Export EU-India

in metric tons	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (Jan. To May.)	2013 annualized
Total export UE-India	130132	86079	136665	120435	98510	21593	51823
Without line pipe	84286	53840	107598	96977	66812	15817	37961

Source Eurostat

(xv) The Petitioner submission that new capacities planned in USA have a bearing on the present investigation is without any merit because those investments are only made for the US market for the development of the shale gas. In relation to the plans of expansion in USA, the same is towards meeting the demand of the US Market. Regarding the Chinese over capacities Vallourec reiterated that the said concern of the domestic industry also shows that at best a case for dumping can be made out against China for which DGS is not the appropriate authority. Furthermore, Zamil Pipes already existed before its acquisition by Vallourec and thus it is incorrect for the Petitioner to submit that there has been creation of additional capacities from this transaction as the objective of the transaction was to strengthen the local offer to the Saudi Arabian Companies.

(xvi) As the allegation regarding low prices of import despite the rising raw material prices is concerned, Vallourec/ Tubos submitted that putting together the figures provided by the Petitioner in their original submission and the graphic representation provided in their communication dated 21.10.2013, the following graph can be drawn.



(xvii) The Indian industry even if its costs have been going higher has reduced its prices in 2010-11 more than the pricing of the imports. Furthermore the Petitioner has less increased in 2011-12 and 2012-13 its prices in index compared with the imports showing once again that injury if any is a self inflicted one.

(xviii) The decrease of the prices by the importers shown by the Domestic Industry is in consonance with the world wide decrease in the raw material costs up to the 3rd quarter 2009 which has had an effect of the costs of the pipes produced in the year 2010-2011. There is consequently no reason as to why the Indian cost have increased in the same period and further that it is not a consequence of the raw material evolution.

Product under consideration has been defined very broadly so as to include even those products which are not manufactured by the Petitioners

(xix) It is submitted that the PUC has defined very broadly for the purposes of the present investigation and certain products below mentioned ought to be excluded from the scope of the investigation as the Petitioners are unable to manufacture and/or the manufactured products do not meet the technical specifications of the Indian customers of such PUC/tenderers:

- Oil Country Tubular Goods like Line Pipes, Casing Pipes, Production tubing, etc. as the Domestic Industry has qualified to supply the same to ONGC.
- High pressure cylinder pipes because they are not approved by the Director of Explosives.
- Quantity of PUC that is imported by BHEL for power plant where the Indian producers have either not been qualified, or have been put on hold due to problems with the quality of the Rifle tubes for Boilers.

(xx) Vallourec/ Tubos stated that seamless steel pipes used for offshore application (project line pipes) should be excluded from the scope of the investigation because the product is either not manufactured by the Petitioners or they cannot meet the requirement of the tenderers.

(xxi) The Indian customers are ordering these pipes only from foreign qualified suppliers because no local suppliers can meet these products specifications technically and they are not listed in the customers vendor list.

(xxii) Jindal SAW can supply only SAW pipes, and Man Industries do not have any seamless pipes producing plants. The annexed vendor list states as follows:

"SAW pipes means Submerged Arc Welded and this means that the only two Indian producers noted in the list of approved producers of Linepipe (NACE & Non-NACE)-(API Monogram) Jindal and Man Industry are only qualified for welded pipes and not seamless pipes.

The Indian producers are qualified for seamless piping carbon steel non NACE (not resistant to sour gas) see page 5 item 13 and they are also not qualified for seamless piping carbon steel NACE (see Page 3 item 7)".

(xxiii) Indian producers are not qualified for supplying premium pipes like X52Q and they cannot produce higher grades such as X60Q and which grade is the most required in the offshore line pipe business and thus the aforesaid product should be excluded from the scope of the present investigation.

(xxiv) It is also submitted that line pipes for offshore application must further be excluded as they are usually delivered outside the Indian territorial waters.

(xxv) If Safeguard duty is levied on tubes and pipes imported by Indian companies, then it would have the effect of increasing the cost of such products to the end users and will lead to shortage of such products. Therefore it is submitted that since companies such as Oil and Gas Exploration Companies are serving the needs of the public at large, imposition of safeguard duty will only be against public interest.

(xxvi) Tubos stated that import of cold drawn boilers for heat exchangers pipes and petrochemical tubes (carbon and alloy material) should be excluded from the purview of the present investigation as import of the said product does not impact the Indian manufacturers as the European market share is minimal or negligible.

(xxvii) Mertex has submitted that out of the product which have been included in the scope of the PUC for the present investigation, the petitioners are unable to manufacture the following:

4-1/2" tubing: Tubing is a pipe of a smaller diameter than a casing and ranges between 1.050 and 4.500 inches in O.D. Tubing is installed inside the casing and is used to conduct oil or gas to the surface either through natural flow or through pumping. Tubing must be strong enough to support its own weight, that of the oil or gas and that of any equipment suspended on the string. For tubing ONGC had invited bids specifically for L-80, N80, and P110 etc. to be supplied with API certification. Tubing is supplied with a particular type of threading–EUE or NUR, Premium Connection. None of the Indian companies including ISMT are technically qualified for manufacturing of this product.

Drill pipes: None of the petitioners/supporters including ISMT are technically qualified for manufacturing of this product.

Higher Grades of 9-5/8" Casing Pipes other than grades N-80 & J-55: ISMT is not capable of producing higher grades. Furthermore ISMT also cannot produce L80, P110, C95, Q125 Grade and casing tube with premium grade.

Tubings: ISMT Ltd had requested for development/trial order and post supply there has been rejection of the same.

(xxviii) The items which are covered under the scope of PUC and as mentioned below in the following table appear to have been placed as development order by ISMT Tender No. ZNCRC12004 dated 18.12.2012 issued by ONGC.

Item No..	Description
09	9-5/8",L-8047#,BTC
10	9-5/8",P-110, 47PPFBTC
11	9-5/8",Q-125, 53.5 PPF BTC
12	7",L-80,26PPF BTC
13	7" 29PPF L-80 BTC
14	7"P-110,29PPF BTC
17	5-1/2"20PPF P-110 BTC
18	5-1/2"17PPF L-80 BTC
24	9-5/8" L-8047# BTC
26	9-5/8" P-110, 47 PPF BTC
27	7" L-80,26 PPF BTC
28	7" 29PPF L-80 BTC
31	5-1/2" 20PPF P-110 BTC

(xxix) Mertex submitted that in the aforesaid Tender, ISMT, one of the Petitioners appears to have placed 31248.56 MT as development /trial order. When the petitioners are placing development orders as late as 2013, it is indeed beyond the comprehension of Mertex as to how they can allege and claim to suffer injury.

(xxx) It is submitted that the petitioners have not offered certain grades as they do not manufacture the same and even if they have offered, the same appears to be only for development order apart from few actual offers for supply.

(xxxi) The petitioners even while bidding for Tenders floated by ONGC stands disqualified for not being able to meet the requirements as prescribed by the Tenderer. In the absence of the

capacity of the petitioners to produces grades of PUC as per requirements of ONGC cannot be a ground to seek levy of safeguard duty which would have the detrimental effect of eroding fair completion in the market.

Procedural Issues Relating to Insufficient Evidence, Information and Non-Confidential Summary of the Petition

(xxxii) The Petitioners had failed to disclose in their Petition any information in relation to the efforts and measures being taken by the Domestic Industry to make positive adjustments with details of progressive liberalization claiming it to be "business proprietary information and not amenable to summarization.

(xxxiii) The difference in the facts and figures in relation to imports, domestic production, domestic sales and market share in the Petition and the Notice of Initiation questions the credibility and accuracy of the information furnished by the Petitioners.

(xxxiv) The failure to disclose information in relation to the efforts and measures being taken by the Domestic Industry to make positive adjustments with details of progressive liberalization is in violation of Rule 5(2)(b) of the Safeguard Duty Rules which state as under:

"*a statement on the efforts being taken, or planned to be taken, or both, to make a positive adjustment to import competition.*"

(xxxv) In absence of provision of such information and upon representations made before the DGS at the public hearing, the DGS instructed the Petitioners to provide non-confidential versions of the information to all interested parties by 06.09.2013. In furtherance of the said instruction of the DGS, the Petitioners have provided non-confidential versions of the restructuring plans for their respective companies.

(xxxvi) Vallourec,Tubos and Mertex submitted that , the restructuring plans dealing with the steps being taken for positive readjustment do not disclose any data or statistics, claiming the same to be "Business Proprietary information, not amenable to summarisation". It is thus submitted that the Petitioners have failed to effectively disclose any information regarding the steps being taken for positive adjustment.

(xxxvii) Vallourec,Tubos and Mertex relied upon the holding of the Hon'ble Supreme Court of India in the case of Sterlite Industries (India) Ltd. v. Designated Authority & Orswhereinwhile dealing with the provisions of Section 9A of the Act and the related Anti-Dumping Rules, the Hon'ble Apex Court expressly ruled that confidential information should be accompanied by the non-confidential summary of the same.

(xxxviii) In absence of any effective disclosure of the data by the Petitioners even after the express instructions of the DGS, the capabilities of Vallourec,Tubos and Mertex to properly defend its interests in a legal proceeding have been substantially diminished.

Petitioners' have not disclosed a viable adjustment plan

(xxxix) The limited disclosure of the proposed restructuring plan submitted by the Domestic Industry, shows that the same is based on efficient management of resources by the Domestic Industry, such as better utilization of raw materials, power and energy, and personnel, as well as better inventory management, reduction of production and processing costs, etc., rather than ensuring any real structural adjustments.

(xl) The proposed restructuring plan does not disclose the methods that will be used by the Petitioners in order to achieve the goals stated therein. In absence of disclosure of such methodology, it is incomprehensible how such plans for increasing efficiencies would practically translate into ground realities. Moreover, by claiming the data corresponding to the proposed readjustment and also not disclosing the abovementioned methodology, the Petitioners have impaired Vallourec and Tubos ability to effectively defend itself in the present investigation.It is submitted that the restructuring plan cannot be adjudged to be viable.

Petitioners have not suffered any serious injury and injury (if any) is on account of other factors

(xli) As per the information submitted by the Petitioners themselves, domestic sales have increased over by 100-106-112-96 for the FY's 2009-10, 2010-11, 2011-12 &2012-13. The decline in sale for the FY 2012-13 is in consonance with the decline in imports for the said FY. Therefore, in light of the fact that the sales have been increasing, the Petitioners cannot claim injury.

(xlii) As regards market share in demand for the Petitioners, the same has actually remained more or less the same over the FY's 2009-10, 2010-11, 2011-12 & 2012-13 as 47-46-43-38.

(xliii) The minute dip in market share is on account of the fact that the Petitioners are unable to meet the demands for certain grades of PUC as has been detailed above and it is but natural that for such requirements, imports will have to fill in the vacuum. The analysis of the import figures should be adapted in order to exclude these products and will lead to a different conclusion.

(xliv) Employment of the Petitioners have increased in the following sequence for the FY's 2009-10, 2010-11, 2011-12 & 2012-13 (3588-4010-4380-4884). It is submitted that recruitment of new employees is one of the vital indications that the Petitioners are doing well.

(xlv) Mertex Submitted that Accumulation of inventories are on account of the fact that developmental orders are being placed and further that the petitioners are manufacturing substandard products which fail to meet the requirements of the Tenderers like ONGC and others.

(xlvi) Petitioners have installed capacity in excess of the demand of the domestic market and thus factoring in the exports made by them, it is but natural that there would be accumulation of inventories.

(xlvii) Maharashtra Seamless Ltd.'s ("MSL") Annual Report for the FY 2010-11 which stated that the Company achieved a record net profit of Rs. 341.66 Crores belied any claim of Injury

(xlviii) As regards to the issue of allegedly low export price to India, the export transactions to the Indian market operate through the process of International Competitive Bidding ("ICB"). This means that all the participants bid for the projects in accordance with strict terms and conditions that are specified in the Tender Bidding Documents.

(xlix) The price determination for any given product for which tenders / offers are invited through an ICB process is dictated by the logic of competing price bids being offered by suppliers through sealed tenders. The prospective suppliers file their respective price bids on the basis of their own costing and reasonable margins and the authority inviting the tenders accepts the lowest price (called the 'L1 price'). This is a methodology which is designed to drive prices down by inducing the bidders to quote their lowest price without knowing the prices of the other bidders.

(l) The ICB process caters to the interest of the buyer and establishes what may be called a "buyer's market" in which a buyer occupies the position of a monopolistic buyer who is able to extract the lowest/best price from prospective bidders. Thus, buyers use the ICB methodology to get the best price and the successful bidder is one who in such a market offers the lowest among the competing price bids. In such a market, the bidders are driven by the buyer to offer the lowest price.

(li) A conjoint reading of the Petition suggests that a case is being made out for dumping rather than imposition of safeguard measures. In this regard, the attention of the DGS is drawn to the following extracts from the Petition:

- "*the global prices of the raw materials have been increasing throughout the period under investigation, which has led to a global increase in the prices of the product under consideration. However, the foreign producers have not increased to the extent of rise in raw material, thus resulting in the subject goods being cheaper as compared to the Domestic Industry and other countries.*"

- "*The price difference between the imports and the sales of the domestic industry is very high and is likely to increase. Thus, the imports of the subject goods from are likely to remain lucrative.*"

(lii) Respondents quoted the following from the Annual Report of ISMT for the FY 2011-12.
"any slowdown in the consuming sectors and increased level of dumping from Chinese manufacturers do pose a threat on your Company's margins. Your Company continues to actively lobby the Indian Government to take action to protect the domestic market from Chinese dumping"

(liii) The Annual Report of ISMT for the FY 2009-10 stated the following:

"--Faced with mounting duties in the developed markets China is now dumping seamless tubes in the remaining parts of the world including the Middle East, North Africa, South-East, and India with renewed, unbridled aggression—"

(liv) Respondents also quoted the Annual Report of MSL for the FY 2009-10 and 2010-11 to suggest that a case is being made out for dumping rather than imposition of safeguard measures.

(lv) According to The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 ("Safeguard Rules") Annexure to Rule 8, when factors other than increased imports are causing injury (for instance, dumping), then such injury is not to be attributed to increased imports and accordingly the Director General should refer the matter to the Authority of anti dumping or countervailing duties.

(lvi) The alleged injuries claimed by the Petitioners within the Petition seeking imposition of a safeguard duty are as under:

- Share of the domestic industry has allegedly decreased.
- The prices of the imported products are allegedly lower than the prices of the local industry.
- The capacity utilization of the domestic industry has allegedly deteriorated.
- The profitability of the domestic industry allegedly declined.
- The inventories of the domestic industry allegedly increased

(lvii) Respondents submitted that these are factors that are to be considered by the DGAD in the ambit of anti dumping investigations as can be inferred from Annexure to Rule 8.

(lviii) The injury caused by the alleged dumping as is evident from the Annual Reports and admissions in the Petition cannot be separated and singled out from the injuries allegedly caused by the increase in the imports, and therefore this application for safeguard measure cannot be sustained

(lix) Safeguard Investigation on Styrene Butadiene Rubber which was suspended on 26.02.1998 and finally terminated on 01.05.1998 due to the anti dumping investigation initiated by the DGAD on 07.04.1998.

(lx) Respondents submitted that injury caused to the Petitioners is self inflicted and that the injury occasioned (if any) is on account of the internal price war between the constituents of the Domestic Industry during the bidding for various tenders floated by companies like ONGC.

(lxi) The Petitioners are not able to meet the price offered by foreign manufacturers/exporters do not hold good in as much as it has been a trend wherein Jindal Saw has often reduced price to match the price quoted by MSL or ISMT and vice versa.

(lxii) During the bidding process, it was found that the petitioners and the domestic industry offered prices lowers than the most of the foreign producers/exporters which negates the claim of injury. For example, with respect to Tender No. NOZNCJC07008 Casing with BTC dated 01.02.2008 invited by ONGC, it is seen that the prices offered byMertex UK was Rs.276 over and above the prices offered by L1 andL2, wherein ISMT was the second bidder.

No evidence of Causation

(lxiii) No safeguard duty may be imposed or extended, unless there is evidence that the increased quantities of imports "cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products."

(lxiv) Respondents submitted a distinct causal link must be present between the alleged increased imports and serious injury caused to the domestic industry. In the present investigation the indicators of alleged injury pertain to alleged decrease in the share of domestic industry, alleged lower prices of the imported products as compared to the local industry, alleged deterioration of the capacity utilization of the domestic industry, alleged decline in the profitability of the domestic industry and alleged increased in the inventories of the domestic industry. It is submitted that the causal link between increased imports and injury to the domestic industry has been broken in the instant case as the abovementioned reasons for alleged injury can be linked to dumping for which proper investigation by the DGAD should be undertaken.

Standing of the Domestic Industry

(lxv) The Petitioners do not satisfy the requirement of representing a 'major proportion' of the domestic industry. In a trade remedy investigation such as safeguard investigation or dumping investigation, merely having more than 50% of the total production is not sufficient to claim 'major proportion' of the total production thereby entitling the petitioners to file as the domestic industry. Vallourec and Tubos relied upon the Appellate Body decision in DS 397 – EC Steel Fasteners wherein while interpreting Article 4.1 of the WTO Agreement on Anti-Dumping which is pari-materia with Article 4.1(c) of the WTO Agreement on Safeguards

C. National Engineering Industries Ltd, Kolkata

(i) National Engineering Industries Ltd. (NBC) is a leading manufacturer of ball & roller bearings and Produces over 100 million bearings each year in more than 1000 sizes to serve a host of varied customers across India and 21 other countries in 5 continents.

(ii) For bearing industry, a main raw material is bearing grade seamless steel tubes of Tariff Item 73045110 (SAE 52100, SAE8720 and SUJ3) and steel balls.

(iii) Company imports almost entire requirement of bearing grade seamless steel tubes.

(iv) ISMT is unable to supply tubes to our specification (wall thickness) leading to excessive wastages upto7%(in our production) and increasing our additional processing cost on account of effort spent to reduce the thickness.

(v) There are serious delivery issues with ISMT. Delay in fulfillment of orders within stipulated time is hampering our production schedule.

(vi) Recently, ISMT has supplied TMB 6007 Outer & TMB6306/25 Inner bearing tubes vide Invoice No. DAL 1304509 dated 30 September 2013. Tubes failed to meet stringent quality norms and the Company has lodged quality complaint No. CMPL001929 dated 30 October 2013.

(vii) Due to the sub-standard quality of products from ISMT, we are unable to source bearing grade tubes from ISMT and have to rely on imports.

(viii) During Public hearing domestic industry has portrayed quality issue as commercial disputes and therefore irreverent for the present investigation. It is submitted by NEI that 'customer perception ' is one of the recognized criteria to determine 'like article or directly competitive article' and if in the customer's perception , quality of the domestic goods is not up to the prescribed standards, same could not be considered as like article or directly competitive article to imported goods.

(ix) Levy of safeguard duty on the bearing grade steel tubes would have a significant adverse impact on the bearing industry.

(x) Complainants have defined the product under consideration ("PUC") to include all types of seamless steel tubes of all grades for all applications.

(xi) Prima facie, bearing grade seamless steel tubes (SAE 52100, SAE8720 and SUJ3) is included within the scope of PUC.

(xii) DGS laid down following parameters to evaluate like article or 'directly competitive article' in Aluminum Flat Rolled Products and Aluminum Foil - PRC:

⁻In case of 'like' article, whether the two articles under comparison are identical or alike in all respects

⁻Technical Characteristics

⁻Interchangeability & Uses

⁻Potential uses

⁻Marketing Channel

⁻Price etc.

(xiii) DGS has refused to impose safeguard duty where claim of 'like or directly competitive' was disputed based on facts and law.NEI placed on following finds of Director General (Safeguards) and WTO Appellate findings:

- Plain Particle Board (para 57-60)
- Hot Rolled Coils / Sheets / Strips (Para 66-69)
- Oxo Alcohols
- Carbon black
- USA-Lamb
- USA - Steel products (Para 319)
- Korea- Alcoholic Beverage (Para 142-145)

(xiv) All seamless tubes are not same.There is huge difference in price between different classifications which clearly establishes that tubes of different headings are not substitutable. The same logic continues during the financial year 2013-14 for imports made for the period of first five months.

	HS 73045110 (April –August,2013)		
Year	Imports (MT)	Value of imports (Rs. In lacs)	Rate per MT(Rs)
China PRP	3630.10	2547.2998	70172
Finland	5500	8.75982	159269
Germany	9.949	15.75368	158344
Italy	4.14	19.55856	472429
Japan	3.862	16.52759	427954
Spain	34.269	82.39855	240446
Sweden	1.871	19.25848	1029315
Taiwan	5.440	13.78522	253405
Thailand	6.116	25.05924	409733
U.S.A	0.520	0.55026	105819
Total	3701.770	2748.9512	74260

(xv) The end-user of complainants are mainly customers in the energy sector using OCTG, construction & engineering customers which use structural and boiler pipes. Loss of tenders

cited by the complaints pertains to ONGC, OIL, and BHEL who uses OCTG and boiler pipes.

(xvi) Bearing grade tubes have different physical and chemical properties in comparison to line, boiler and other tubes. These tubes are not used as conduits of liquid or gas and therefore, cannot be substituted for OCTG or Boiler pipes or vice versa.

(xvii) DI has not been able to establish any threat of injury on account of import of bearing grade steel tubes.

(xviii) All three complainants have sizable presence in OCTG and boiler segment. ISMT is the only known and established domestic manufacturer but is suffering with some serious quality issues.

(xix) Individual product examination would produce a totally different outcome, and therefore, present investigation based on flawed grouping of products will result in flawed result severely hurting the bearing industry.

(xx) The analysis of trend on the basis of year 2009-10 vis-a- vis 2010-11 provided contradictory results. The year 210-11 should be adopted as base year for indexing and not the year 2009-10 which was taken at the time of initiation of notice. The year 2009-10 is now too remote to be discarded.

The product of the company viz bearings requiring quality tubes is covered by HS73045110 and therefore , details are furnished based on HS73045110 separately and for HS 73.04 on total basis.

Based on imports in 2009-10, annualized current imports during the year 2013-14 is only 77.31%, a negative annual compounded growth of 6.23%

Based on imports in 2010-11, annualized current imports during the year 2013-14 is only 64.15%, a negative annual compounded growth of 13.76%. Imports of all years are lower than base year of 2010-11

	HS 7304		
Year	Imports (MT)	Indexed Base 2009-10	Indexed Base 2010-11
2009-10	329606	100	
2010-11	354821	107.65	100
2011-12	426290	129.33	1201.14
2012-13	408324	123.88	115.08
2013-14			
April-Aug,2013	107876.275		
Annualised	258903.06	78.55	72.97

Based on imports in 2009-10, annualized current imports during the year 2013-14 is only 78.55%, a negative annual compounded growth of 5.86%

Based on imports in 2010-11, annualized current imports during the year 2013-14 is only 72.97%, a negative annual compounded growth of 9.97%.

(xxi) Complainants are engaged in manufacture and sale of unlike seamless steel pipes and welded pipes, ductile pipes, steel ingots, bars & profiles.

(xxii) Audited performance & financial data for Bearing grade seamless steel tubes is not available, and therefore, any analysis of import trends, and causal injury, if any, on account of surge in the import of bearing grade seamless steel tubes is not possible.

(xxiii) It is mandatory to examine each product to as held by Hon'ble Tribunal in Andhra Petrochemicals Ltd. vs Designated Authority.

(xxiv) Details of import furnished by DI contain imports of welded and other than seamless tubes also, therefore the information is unreliable.

(xxv) There is no surge in import of seamless tubes and pipes. Quantitative increase is commensurate with the increase in the domestic production. Increase is gradual and not sudden enough, sharp enough, and significant enough warranting imposition of safeguard duty. Also safeguard duty can be imposed only there is surge in the import due to unforeseen developments.NEI placed reliance on Argentina – Footwear and US – Fur Felt Hats cases.

(xxvi) There is no recent surge in import of the Bearing grades tubes, rather there is sharp decline in the import due to rupee depreciation.

(xxvii) Imposition of anti-dumping duty or safeguard duty has been cited as the reasons for surge in imports as a result of unforeseen developments. Anti-dumping duty was imposed by EU on import of seamless steel pipes and tubes since 1997 and therefore same cannot be considered as unforeseen development.

(xxviii) No country in the world imposes any kind of protective duty on bearing tubes.

(xxix) Massive loss on account of FOREX loss cannot be attributed to the injury caused by the imaginary surge in import.

(xxx) Safeguard duty is not a tool to provide protection to the domestic industry manufacturing sub-standard goods, or processing loss.

(xxxi) During the course of public hearing, the Domestic Industry has brought as a if impact of levy of safeguard duty of 35% in the first year, 25% in second year and 15% in third year will have negligible effect on the price on bearings.

(xxxii) Prices taken by Domestic Industry are not a price prevailing for the product. Source of such price has not been explained and therefore, it is not possible to verify the figures.

(xxxiii) 98% of the products of the company are sold to original equipment manufacturers and sale in replacement market is only about 2%

(xxxiv) Prices charged by the Company to its customers and the effect of imposition of safeguard duty shall be as follows:

Bearing symbol	Ring Price (Rs./No.)	Customers Bearing Price	Difference of Safeguard duty (Year1)	Difference of Safeguard duty (Year2)	Difference of Safeguard duty (Year3)
		(Rs./No)	35%	25%	15%
6205	14.28	67.00	7.46%	5.33%	3.20%
6206	22.22	94.00	8.27%	5.91%	3.55%
6304	15.47	41.53	13.04%	9.31%	5.59%
6305	25.41	69.00	12.89%	9.21%	5.52%

The impact of safeguard duty as aforesaid ranges between 7.5% to 13.1%

The impact difference as percentage of selling price of bearings is mainly arising because of vast difference in the price of the product shown by the domestic industry as compared to actual price.

Bearing symbol	Customer Bearing Price as per D I	Customers Bearing Price of NEI
	(Rs./No.)	(Rs./No)
6205	294.00	67.00
6206	441.00	94.00
6304	295.00	41.53
6305	336.00	69.00

NEI has submitted invoices in support of their prices and stated that the source of information of the prices of domestic industry has not been communicated and therefore, it is not possible for them to discuss the same.

(xxxv) Imposition of safeguard duty on bearing grade tubes would be against public interest. Domestic Industry justifies levy of Safeguard duty on bearing tubes saying that imposition of duty will fractionally increase the cost of bearing. Any increase in cost of bearing would render our operation commercially unviable and will lead to a serious injury to us.

(xxxvi) Till such time as quality issues, which are basic for a highly precision product are full resolved, the question of granting protection to unsuitable product by safeguard measure does not arise.

D. EUROPEAN UNION

(i) The safeguard instrument should be reserved to truly exceptional circumstances as it affects fairly traded imports, irrespective of their country of origin and whether or not they individually cause any injury to the domestic industry. For these reasons the WTO jurisprudence has clearly set very high standards for the application of the measures.

(ii) There are significant differences between the figures in the complaint and in the notice of initiation. For example import data for the year 2012-2013 differ by almost 20% (441 kilotons in the complaint, 373 kilotons in the notice of initiation). Furthermore sales of domestic industry in the notice of initiation do not match at all with sales given by the industry (a difference for 2012-2013 of more than 100%). With respect to the production, installed capacity, profitability, employment or inventory figures, the notice of initiation takes into account only data for the two applicant companies (representing the 53% of the total production) disregarding figures of the supporting company also given in the industry application (which covers at least 87% of the national production) without any explanation.

(iii) Given the -unexplained- discrepancies, the analysis below is based on the notice of initiation.

Increased imports

(iv) According to the notice of initiation, imports increased significantly in the financial year 2011-2012, but decreased in the subsequent and most recent period. Consequently, the Commission strongly questions the fulfillment of the most essential WTO standard by this case.

(v) The increase in imports until 2011-2012 can be mainly attributed to one single country**,** which in 2011-2012 represented the 73% of the share of imports into India. Furthermore, the industry application exclusively mentions the exports from that specific country as a factor that may have caused increase imports and provides examples of other countries which have applied anti-dumping/countervailing against these exports. Under these circumstances, the initiation of an anti-dumping investigation would have been appropriate.

Injury and causality

(vi) The Commission would like to recall to the investigating authority that in safeguards it is required to demonstrate a serious injury (or threat thereof) which, as confirmed by WTO jurisprudence [Appellate Body Report, US - Lamb, paras. 124] should be higher than the level of "material injury" necessary to impose an anti-dumping measure. Hence it needs to be proven through the evaluation

of different injury factors that the domestic industry is in a situation of a significant overall impairment due to any surge of imports.

(vii) No indication to conclude that the domestic industry is in a position of "significant overall impairment"(nor that such situation is clearly imminent), hence not finding itself in a situation of serious injury or threat thereof. During the overall period considered, the sales volume of the domestic industry decreased by only 5%, corresponding to a negligible market share loss of not even 3%, production increased by 16%, employment raised by 10% and productivity by 5%. Even after having done considerable investments to almost double the production capacity the domestic industry managed to increase profitability in 2011-2012 by more than 25% as compared to the previous year.

(viii) The significant increase in profitability took place exactly when imports increased. Profitability indeed dropped in the subsequent period, but this took place when imports dropped as well. In other words, all seems to suggest that there is no causality between the any eventual serious injury to the domestic injury -which is more than contestable- and the increase of imports.

(ix) It appears to be more than likely that the following factors and not the increase of imports influenced in the industry's situation in the financial year 2012-2013:

- The significant decrease of the domestic demand (-25%), and
- Excessive capacity building, which even exceeds the domestic demand.

As far as the second element is concerned, the petitioner is claiming that the main purpose of seeking the imposition of safeguard duty is to enable the industry to improve its capacity utilisation. It is however obvious clear that the low capacity utilisation rate is caused by the conjunction of an excess in capacity when demand is decreasing rather than any increase of imports (which actually decreased in the most recent period). If the production capacity had remained stable at the 2009-2010 level (i.e. 375.000 MT) the utilisation rate would have increased from 60% to 70% in 2012-2013. Under these circumstances it is clear that safeguard measures cannot be justified.

E. Trade Representation of the Russian Federation in India

Application of Unforeseen measures of market's protection.

(i) EU began to apply anti- dumping measures concerning tube production from 1979 and the USA – from 1981. In the present situation these measures apply to several counties therefore the submission of argument about "unforeseen measures of trade protection" is not correct.

Unforeseen additional capacities in China and planned capacities in USA.

(ii) Internet site which was used for reference by the Indian producers informs that the new plant in China oriented at production of tubes with external diameter of 508 mm, though the subject of the special safeguard investigation are tubes with external diameter not more than 273.1mm. Such plant cannot compete with production which is the subject of safeguard investigation because the diameter of these tubes is different.

(iii) In respect of the American plant, the Indian producers did not submit any evidence that American plants launched production of tubes in November 2012 are going to export of this products to India.

(iv) In the petition of the Indian national producers (clause4.d) the growth capacities in China and EU is given as a factor for increasing import but there is no mentioning of the USA.

Change of source of import statistics.

(v) When presenting import statistics, the national Indian manufactures use the data from different statistics agencies. In the petition data of DGCIS was used whereas in additional comments data of UNCOMTRADE was used.

(vi) Export data of the two statistics recourses from China to India are significantly different. According to one statistics seamless pipes' delivery from China to India is growing but according to another it is decreasing.

(vii) Data presented in additional comments, the Chinese export to India in 2012 fell by 19.3% as compared with 2011, and was below the level of 2010. Concerning imports of European

production, it increased by 5.2% in 2011 and by 14% in 2012. Such deliveries from the two countries could not be considered as threatening to damage to the national tubes industry of India.

(viii) Russian Federation cited the decision of the Appellate body in dispute of Argentina –Footwear on interpretation of Article 2.1 of the Agreement on special protective measures of WTO to examine "recent imports".

(ix) Neither Chinese, nor European, nor a total import to India meets any criterion specified by the Appellate body. The requirement of Article 2.1 of the Agreement on special protective measures of WTO, which is necessary for application of the special protective measures, is not fulfilled.

Unforeseen low prices on import.

(x) The low price competitiveness of the Indian production is considered to be caused by the recent investments in development of the new technologies and personnel management. Such decisions, as a rule, affect the increase of the costs of the sales of the production and as a result the national production is becoming less attractive from the point of price criterion.

(xi) If the Indian industry insists on the facts of understating of the prices by the importers, such case should be considered in the frame of anti-dumping or compensation investigation.

F. JFE STEEL CORPORATION; NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION; AND SANYO SPECIAL STEEL CO., LTD. (Represented by Luthra and Luthra)

The petition is not maintainable

(i) Section 8B of Custom Tariff Act, 1975 ('Act') provides that a SG duty can only be imposed, if pursuant to an investigation, the Central Government is satisfied that an article is being imported in such increased quantities which is causing or threatens to cause serious injury to the "Domestic Industry". However both the initiation notification and the petition of the "Domestic Industry" clearly provide that there has a decline in imports in 2012-13.

(ii) At the public hearing it was stated that price undercutting is also an issue which is considered in a SG investigation. While the issue of price undercutting is indeed analyzed under the broader context of serious injury to the "Domestic Industry", the issue of price undercutting is not the threshold issue based upon which a SG investigation can be initiated.

(iii) The contention made by the "Domestic Industry" is relevant in an anti dumping investigation wherein the threshold issue is low priced imports and not the volume of imports.

(iv) This investigation does not meet the threshold criteria of a SG investigation and thus should be terminated

The case presented by the DI is based on low priced imports and not volume of imports

(v) "Domestic Industry" till date and even in the public hearing has clearly stated that it is the increase in low priced imports which is the cause of concern for them. This is further reflected in their statement wherein they have argued that several tenders which have been awarded by the end users in India are to the foreign manufacturers on account of low pricing and which the "Domestic Industry" cannot match.

(vi) The issue before the Hon'ble DGS is of low priced imports and not increase in volume of imports. However it is the submission of the Exporters that in such a scenario, the appropriate forum is the DGAD and not DGS.

(vii) The "Domestic Industry" has constantly argued that it is the low priced imports especially from China PR and EU which is the cause of concern for them. However, they filed a SG investigation targeting import of seamless pipes and tubes from all countries when the issue is of low priced imports only from China PR and EU.

(viii) The fact that the DI had filed an anti dumping investigation before DGAD for the same PUC against import from China PR which was initiated in 2010. However the investigation was subsequently terminated by DGAD on account of non submission of data by the applicants. Thus after failing to get a favorable order from DGAD, the same DI has now filed this petition before the Hon'ble DGS even though the ground is of low priced imports.

Imports from Japan are a miniscule part of overall import and therefore should be excluded from scope of the present investigation.

(ix) The Exporters submitted that import of products which are part of PUC from Japan constitutes only 1.19% of the total imports of PUC into India and is therefore has a miniscule share in the overall import of these products into India and the prices at which these products are being imported from Japan are much higher than the DI prices and the same has been the case since 2011.

(x) The Hon'ble DGS is authorized to exclude products imported from a country from the scope of the SG investigation. Section 8B(1) provides as follows:

Provided further that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, exempt such quantity of any article as it may specify in the notification, when imported from ***any country or territory*** *into India , from payment of the whole or part of the safeguard duty leviable thereon.*

(xi) The Exporters believe that the import of the products from Japan does not compete with the products of the DI and neither is the same injuring the DI. Further these products form a miniscule part of the overall import data and are priced much higher than the DI prices and thus should be excluded from the scope of the present investigation.

(xii) The statement made by the DI at the 2nd public hearing stating that import volumes have decreased and import prices have increased post the filing of the petition of the DI is nothing but complete misrepresentation of facts.

(xiii) The DI filed this application in November 2012. It is to be noted that interested parties were not aware of the filing of the petition till its initiation. Even assuming that the interested parties become aware of the filing of the petition in November 2012, the Hon'ble DGS should note that as per Annexure 4 of the DI petition, the import volumes started decreasing and import prices started increasing from April 2012 onwards.

(xiv) Annexure 4 clearly establishes that the decline in import volumes started from April 2012 onwards which was at least 7 months before the DI filed its petition. Further table 2 in previous submission by the Exporters clearly establishes that import prices from Japan have been higher than the DI prices since 2011 onwards and which was more than 2 years before the DI filed its petition. Therefore the question of decrease in import volumes and increase in import prices taking place as a result of DI's filing its petition does not arise at all.

Injury analysis has to be done for each category of the product

(xv) The PUC contains various types of seamless pipes and tubes, the function of usage of which differs from each other and none can substitute for the other product. Since each product included in the PUC has different usage and cannot be substituted, the Exporters request to establish serious injury for each of product included within the scope of the PUC.

(xvi) The Exporters placed reliance on the final findings in *anti-Dumping duty investigation concerning imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel from China PR, Japan, Korea, European Union, South Africa, Taiwan (Chinese Taipei), Thailand and USA* wherein each category of cold rolled steel was separately analyzed for the purpose of establishing material injury.

(xvii) In the recent initiation of *Sunset Review investigation against import of certain rubber chemicals, namely MBT, CBS, TDQ, PVI and TMT imported from China PR and PX 13 (6PPD) imported from China PR and Korea R,* the DGAD is conducting separate material injury analysis for all the products. Therefore the requirement of volume and value impact as per the AD rules is being made for all the products.

Domestic Industry does not have the capability to manufacture certain products

(xviii) The Exporters have submitted that the DI is not able to manufacture several product grades and sizes and for many of the products covered within the scope of the PUC, the DI has not been approved as a vendor by the end user.

(xix) The Exporters have highlighted the submission by NBC bearing and BHEL which are user industry for the PUC. NBC bearing very categorically stated at the public hearing that the PUC supplied by the DI was full of defects and none of the Indian manufacturers has the ability to manufacture goods as per the thickness requirement of NBC Bearing. Similarly BHEL also stated that the domestic manufacturers do not have the ability to manufacture several products and therefore BHEL procures nearly 90% of its requirement from foreign producers.

(xx) In view of the claim by the DI at the public hearing that they have sold some of the products contested by other interested parties, the Exporters have requested to conduct an on-site verification of the production facilities of the DI. The verification is critical as this will establish whether the DI can manufacture products contested by other interested parties and whether it can cater to the product specific requirements of the Indian user industry. Based upon the verification, such products can be excluded from the scope of the PUC which are not manufactured by the DI but which at present have been wrongly included within the scope of the PUC.

(xxi) The list of the products which are excluded from the scope of the PUC should be clearly specified in the final findings. Given the fact that the PUC contains a number of distinct products which are imported under the same tariff classification, if the final finding does not explicitly mention products which have been excluded from the scope of the PUC, the same could likely lead to confusion and wrongful imposition of SG duty by customs.

The requirement of unforeseen circumstances has not been fulfilled

(xxii) The requirement of Article XIX of GATT 1994 is a prerequisite before initiating a SG investigation and the same has not been fulfilled while initiating this SG investigation. The Appellate Body ("**AB**") has observed in this respect that "*any safeguard measure imposed after the entry into force of the WTO Agreement must comply with the provisions of both the Agreement on Safeguards and Article XIX of the GATT 1994*".

(xxiii) The DI has not been able to fulfill this requirement. Firstly neither the initiation notification and nor the DI petition contained any information with respect to unforeseen circumstances. Thus there was no explanation by the DI the basis on which there was alleged increase in imports. However when the issue was raised by the interested parties, the DI for the first time made a statement at the public hearing dated 02 September, 2013 which was again countered by the other interested parties.

(xxiv) In the final findings issued *against imports of Methyl Acetoacetate* the Hon'ble DGS rejected the DI argument with respect to unforeseen development and public interest and therefore did not recommended imposition of SG duty even though the Hon'ble DGS found increases in imports and serious injury.

(xxv) The new submission is nothing but a post facto realization on part of the DI that their petition does not fulfills the requirement of unforeseen development and is an attempt by the DI to justify their petition which cannot be permitted. Furthermore the reasons provided by the DI in this new submission also does not hold any ground and the same has been effectively rebutted by the submission made by the Exporters.

(xxvi) The DI till date has not even provided any arguments with respect to fulfilling requirement of unforeseen development for each of the product covered within the PUC. This argument is supported by the ruling of the AB in the matter of *US Steel Products* wherein the AB observed "unforeseen developments" must be performed for each product subject to a safeguard measure.

There is a break in of causal link

(xxvii) The causal link between import of the PUC and the claim of serious injury (if any) is broken due to the following factors:

a) As per the data provided by the DI the DI performed exceedingly well on almost all of the economic parameters when there was an increase in imports but the slight decline in production and domestic sales took place in 2012-13 when the imports declined and there was an increase in the import price. Thus the slight decline in production and domestic sales in 2012-13 cannot be attributed to imports as the same has decreased in volume with a simultaneous increase in import price.

b) Secondly the causal link between imports and serious injury (if any) to the DI is broken on account of injury suffered by the DI due to dumping from China PR. The same has also been admitted by the DI.

(xxviii) As per the Annexure to the Indian SG Rules, when factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports. Thus if the DI has suffered injury on account of dumping, it is the responsibility of the DI to segregate the injury suffered on account of dumping and injury suffered on account of injury, However the DI has not fulfilled this obligation.

(xxix) The final finding in the *Safeguard Investigation against import of Front Axle Beam from China* dated 23 September 2009 wherein the Hon'ble DGS refused to levy SG duty on the ground that there was no segregation of injury by the DI caused due to dumped imports and one caused due to surged imports. As per the Hon'ble DGS, the non segregation of the injury led to the break in of the causal link between surged imports and market disruption.

(xxx) The DI has not provided any segregation of injury caused due to the dumped imports and injury caused due to increase in imports. In view of this non segregation, the non attribution requirement under Annexure to the Indian SG Rules cannot be fulfilled and therefore no SG duty can be imposed.

The requirement of public interest has not been fulfilled

(xxxi) Article 3(1) of the Agreement on Safeguard provides that a safeguard measure should be in public interest. In this respect, it is the submission of the Exporters that the levy of a SG duty in the present investigation against export of products from Japan would not be in the public interest.

(xxxii) In the Methyl Acetoacetate investigation, the Authority deliberated upon the issue of public interest and noted that the pharmaceutical industry was an important user of the subject product. In concluding that levy of duty would not be in public interest it was observed that "*DI has not been able to give evidence as to how imposition of safeguard duty on the PUC will not affect these consumers, a few of whom are in sensitive pharma sector, and that the impact would be minimal so as to be in public interest.*

(xxxiii) The PUC in this investigation is the backbone of several sectors which are critical and sensitive for purposes of India's energy security. The DI has not established that imposition of SG duty would have minimal impact on these sectors and would not lead to escalation in project costs.

(xxxiv) The Exporters submitted that the SG duties would also not be in public interest because specialized grades of the PUC are not manufactured by the DI, and even if they are manufactured the DI has been found lacking in quality, leaving the users with no choice but to import from countries which have the ability to manufacture high end specialized products.

G. TMK Group, Russia (Represented By Advocate Mr. M.N Jha)

(i) The Petition does not meet the standard imposed by GATT Article XIX and the WTO Agreement on Safeguards as it falls short of meeting the requirements in Articles 2, 4 and 6 thereof:

a) The Petitioners did not provide evidence showing that as a result of *unforeseen developments* the product under investigation was imported in *such increased quantities* as to cause or threaten to cause "serious" injury to the Indian industry.

b) The purported evidence addressed in the Petitioners' additional submission on the matter are irrelevant to showing of "unforeseen developments", factually inaccurate and altogether misleading.

c) The Petitioners are not suffering *serious* injury nor are they under any *threat of suffering serious injury* from allegedly increased imports. If the Petitioners are suffering injury then their problems are evidently caused by reasons other than the existence of imports;

d) It would not be in the wider public interests of India to introduce and maintain the measures for the above reasons and others.

(ii) Countries are divided into developed or developing according to their Gross National Income (GNI) per capita per year. Countries with a GNI of US$ 11,905 and less, such as the Russian Federation, are defined as developing by the World Bank

(iii) By virtue of Article 9 of the WTO Agreement on Safeguards and in light of the low volume of imports, the Russian Federation as a developing country has to be excluded from the scope of application of the safeguard measure, should such a measure be imposed, because imports from Russia account for no more than 3 per cent of the total imports of the product concerned and the imports from developing countries collectively do not exceed 9 percent of all imports.

Assessment of increased imports

(iv) There is no credible evidence showing increased import in absolute terms that the surge in imports was *sudden, significant and sharp.* The increase in imports if at all was gradual and measured

(v) There is also no correlation whatsoever in the dynamics of the EU trade flows to China, on one hand, and India, on the other. While in their additional submission the Petitioners suggest that "it is clear from the table that exports from EU to China have been diverted to India", the figures do not support this assertion. Most notably, a 25,340 Mt decrease in EU exports to China in 2012 does not correlate with an 8,835 Mt increase in EU exports to India.

(vi) The Petitioners do not explain how the alleged drop in supply from the EU to China by 35% between 2009 and 2012 has led to a decrease in sales value by 78%. There isn't any correlation between these figures, the sources for which (incidentally) remain unknown. Furthermore, the anti-dumping duties applied by China to imports from the EU ranging between 9.2% -14.4% could not have displaced 25,340 Mt of the EU products on the Chinese market.

(vii) As regards the imports from China, the figures provided by the Petitioners also do not support their assertion of the existence of a sudden increase in imports. Specifically, China's exports to India in 2012 have in fact dropped by 19.3% as compared to 2011. Also, the 2012 exports were lower than they were in 2010.

Assessment of injury

(viii) The Indian domestic industry as a whole enjoyed a solid increase in their production volumes. Volume of sales on the domestic and export markets have increased during the reference period, too. Furthermore, the data also indicates that during the reference period the size of the domestic market of the product concerned in India has increased.

(ix) There was a sizeable capacity increase of 42.8 per cent between 2009- 2010 and 2010-2011 and which would have necessarily had a bearing on the industry's injury indicators.

(x) The remarkable feature of inventories as an injury indicator is that it cannot be considered in isolation from other injury factors, specifically from the installed capacity and the production figures.

(xi) The Petitioners attempted to divert attention to an increase in export sales because of excess stock.

(xii) The low inventories levels at the beginning of the reference period could not have remained as such because the Petitioners as well as the domestic industry as a whole increased their installed capacity to near double level in 2010-2011, which, in turn, led to accumulation of stocks.

(xiii) There has been no loss of employment and that there is no credible evidence of price suppression/depression on account of imports of the product under consideration.

(xiv) The Petitioners offer a slew of anecdotal evidence and arguments like loss of Government tenders in India, anti-dumping and countervailing measures in place elsewhere, massive capacities of the subject goods in foreign countries, price difference, alleged undercutting and profitability, as showing threat of serious injury. In fact the Petitioners also lost their market share to their domestic competitors.

Unforeseen developments

(xv) In Appellate Body Report, *Korea — Dairy*, para. 88, the provisions of GATT Article XIX:1(a) read cumulatively with the Agreement on Safeguards has been interpreted to mean that a safeguard measure may not be applied unless the injury to a domestic industry was caused by developments that were not foreseen at the time of the latest trade negotiations.

(xvi) The Appellate Body in *United States- Lamb Safeguard* (para.72) interpreted "unforeseen developments" to be part of circumstances in which a sharp increase of imports occurs in such a way as to cause a serious injury to a domestic industry. It was further concluded that it is necessary for investigating authorities to make findings that *unforeseen developments* exist and that a logical connection exists between the conditions set forth in Article XIX:1(a) and the circumstances such as "unforeseen developments".

(xvii) M/s TMK submitted that even if there was an increase in imports, such an increase in imports was not caused by "unforeseen developments".

(xviii) The additional submission of the Petitioners failed to meet the WTO standard for establishing "unforeseen developments on the following ground:

- The Petitioners provided no explanation as to why and how the cited trade remedy measures have been unforeseen;
- The Petitioners have demonstrated no "resulting increase in imports";
- The Petitioners have failed to demonstrate that each of the products subject to the present safeguards investigation have been affected by the "unforeseen developments";
- The Petitioners made deliberately erroneous conclusions about the consumptions in the European market;
- The Petitioners provided no explanation as to why and how additional capacities in China and planned new capacities in the United States (''US'') have been unexpected; and
- The Petitioners mischaracterize their argument about "unforeseeably low pricing of imports despite increase in raw material costs" as relating to "unforeseen developments".

(xix) The cited trade remedy measures confirm their "foreseeability. Some of the anti-dumping and countervailing measures referenced by the Petitioners have been in place for 20 years. This circumstance creates a global regulatory milieu in the market, characterised by predictability and regularity. Thus, no "unforeseen developments" could ensue therefrom.

(xx) Certain trade defence measures by Indonesia and Canada referred by petitioner do not support an argument about the existence of "unforeseen developments" because the Indonesian and Canadian investigations dealt with one and three product codes respectively, while the scope of the present investigation covers some 26 product codes.

(xxi) TMK Group fails to see how the EU trade remedies for example against Ukraine or Russia which have effectively been in place since 1990s, could have caused a sudden increase of imports in India in 2013. Similarly, the Canadian measures have been in place already since 2008, while the Petitioners only refer to a later-in day investigation of 2010. Likewise, the measures in the EU have been in place since 2009, while the Petitioners conveniently refer to the 2011 investigation only. Lastly in the US, measures have been in place since 2009, while the Petitioners refer to the 2010 investigation only.

(xxii) The Petitioners in the case fail to explain if there is a link between the alleged "unforeseen developments" and the purportedly existing sudden increase of imports of the subject product into India.

(xxiii) The Petitioners referred to the trade remedy actions and to the resulting increase in imports from China and EU to India. These investigations safeguard domestic competitiveness of the EU products in question, and improve Chinese and EU producers' competitive position in the EU and US markets. That could be a reason why import statistics indicates that fewer imports are entering India as compared last year. Similarly a one 10 digit code, which was subject to the safeguard investigation in Indonesia, cannot have a meaningful effect on Indian imports reported on 4 digit bases.

(xxiv) As regards the imports from the EU, the Petitioners appear to be making erroneous conclusions from the statistics they provided:

- There seems to be no correlation whatsoever in the dynamics of the EU trade flows to China, on one hand, and India, on the other. While the Petitioners suggested that exports from EU to China have been diverted to India, the figures do not support this assertion. Most notably, a 25,340 Mt decrease in EU exports to China in 2012 does not correlate with a 8,835 Mt increase in EU exports to India.
- The Petitioners do not explain what the basis for their allegation is, nor do they provide references for the sources of information alleging, that the EU exports to China fell from 90 million to 20 million EUR at the end of 2012. A purported drop in supply by 35% between 2009 and 2012 couldn't have led to a decrease in sales value by 78%;
- The anti-dumping duties applied by China to imports from the EU range between 9.2% -14.4%. It goes without saying that these values are marginal and could not have displaced 25,340 Mt of the EU products on the Chinese market.

(xxv) As regards the imports from China, the figures provided by the Petitioners do not support their assertion of the existence of a sudden increase in imports. Specifically, China's exports to India in 2012 have in fact dropped by 19.3% as compared to 2011. Moreover, the 2012 exports were lower than they were in 2010.

(xxvi) The Petition is deficient of the evidence showing that all of the products subject to the present safeguards investigation have been affected by the "unforeseen developments.

(xxvii) Given that a broad range of seamless pipes and tubes falls within the scope of the present investigation, WTO jurisprudence requires DG Safeguards to not merely demonstrate that "unforeseen developments" resulted in increased imports of broad range of seamless pipes and tubes, but that "unforeseen developments" resulted in increased imports of specific products covered by product defined by the Petitioners in the current investigation.

(xxviii) The Petitioners listed some 10 trade remedy actions to demonstrate diversion of the imports of the subject product to India. However, the product scope of the listed trade remedy actions does not correlate with that in the present safeguards investigation.

(xxix) Review of all the cases referred to by the Petitioners indicates that:

- The US anti-dumping and CVD investigation covered 5 out of 8 product codes at the 6 digit level mentioned by the Petitioners in the case at hand.
- The US OCTG case (mentioned in the text but not referred to in the Petitioners' table) covered 1-3 out of 8 product codes at the 6 digit level mentioned by the Petitioners in the case at hand.
- The Canadian case covered 3 (with 2 having only one 10 digit code) out of 8 product codes at the 6 digit level mentioned by the Petitioners in the case at hand.
- One of the EU investigations covered 1 out of 8 product codes at the 6 digit level mentioned by the Petitioners in the case at hand, while another investigation covered 7 out of 8 product codes at the 6 digit level mentioned by the Petitioners.
- Indonesian investigation covered only 1 code.

(xxx) The EU Regulation No 585/2012 imposed a definitive anti-dumping duty on imports of certain seamless pipes and tubes, of iron or steel, originating in Russia and Ukraine. In its analysis of a temporary increase in consumption in 2008, the EU investigating authority confirmed a cyclical nature of the market and regular fluctuation of consumption in the EU.

(xxxi) The Petitioners do not discuss or offer any explanation as to why or how fluctuation of consumption in the EU is linked and correlates with an increase of imports of the subject product into India.

(xxxii) The Petitioners' reference to new capacities in China and in the US is irrelevant for three reasons: *first*, there is no evidence that output of the plant in China would compete with products subject to the present investigation; *second*, the US press release cited by the Petitioners suggests that the new capacities will serve the domestic market and sales in the US; and, *third*, increasing capacity in a competitive market over time is 'business as usual' and cannot be regarded as an "unforeseen development" within the meaning of the WTO disciplines on a safeguard measures.

(xxxiii) The Petitioners mischaracterize their argument about "unforeseeably low pricing of imports despite increase in raw material costs".The data provided by the Petitioners in section D appears to indicate that the Indian costs of sales increased by 5 index points in 2012-2013 while the costs of scrap dropped by 13.5.

(xxxiv) In their additional submission, the Petitioners argued that the imports are cheaper and are therefore being purchased more. However, the Petitioners do not explain what is the unexpected event, which seemingly allows all other importers to be unaffected by global raw material prices while Indian producers are.

National interest

(xxxv) Imposing safeguard measures in this case would dramatically affect down-stream products produced by the Indian user industry to the benefit of non-Indian producers of these products. It would erode the cost effectiveness and the competitiveness of the Indian user industry against importation of finished products. Thus, imposition of measures is not in national interests.

Causal link

(xxxvi) Indian domestic industry, apart from any allegedly increased imports, has been subject to the combined, parallel and interdependent effect of the following relevant factors: (a) the effect of the capacity increase and increase in wages by the Indian industry; (b) imports from China; (c) the rise of raw material and production costs of the Indian industry. These factors would have caused, either in isolation, or taken together, inability to win a larger market share, or the loss of profitability of the Indian industry, which our client does not observe.

Procedural rights

(xxxvii) Our client would like to repeat its protest that DG Safeguards had given the parties only four working days to comment on the Petitioners' additional submission field after the post-hearing briefs. This constitutes a clear breach of due procedure. TMK Group reserves all rights on this issue.

(xxxviii) Comments submitted on 29 May 2013 in response to the notice of initiation of the safeguard investigation, as well as to the comments made during the oral hearings in New Delhi on 2 September and 12 December 2013, and our client's post-hearing brief dated 13 September 2013 and comments on the Petitioners' additional submission. All comments made in these documents, as regards injury and public interest, remain equally valid for the purposes of the present document. Similarly, all comments herein as regards injury and public interest are equally valid for all of the submissions made to date in the present proceedings.

H. Chemical & Petrochemical Manufacturers Association (CPMA) (Represented by Advocate Ms. ReenaKhair)

Pre-requisites for initiation or levy of duties absent

(i) In terms of Section 8B of the Act, the imports must be in increased quantities, the conditions of import should be such that serious injury is caused or threatened to be caused to domestic industry as a consequence of the imports.

(ii) The initiation notification itself reflects that there is no increase in the imports in the financial year 2012-13 as compared to the previous year. The so called increase in imports is not of recent origin, but gradual over a period of 3 to 4 years. The increase is neither sudden, sharp nor significant. In absolute terms, there is absolutely no increase in imports.

(iii) It is stated in the notice of initiation that the imports have increased based on a comparison of 2012-13 with 2009-10. It is submitted that the increase, is marginal and has taken place over a period of 4 years. It is submitted that the increase in imports should not be judged merely on an "end point to end point" comparison, ignoring the most recent trends, which reflects a decline in imports, in absolute terms.

(iv) CPMA placed reliance on the case of Argentina – Footwear (EC) "If an increase in imports in fact is present, this should be evident both in an end-point-to-end-point comparison and in an analysis of intervening trends over the period. That is, the two analyses should be mutually reinforcing."

No significant increase in imports relative to consumption

(v) The imports relative to consumption do not also reflect an increase in imports, having a certain degree of recentness, suddenness, sharpness and significance.

(vi) In terms of the figures provided in the Notice of Initiation, the market share of imports was 55% in 2009-10, which increased to 64% in 2012-13. The increase of 9% in the market share over a period of 4 years is neither sudden nor sharp nor significant. It merely reflects a very gradual shift in the market shares. This may have occurred for other reasons such as non-availability of specialized grades for special applications in India or inconsistent quality of the domestic product.

(vii) The change in market shares in 2012 -13 as compared to the immediately preceding year reflects a mere increase of 2% i.e., from 62% to 64%, which is not significant.

(viii) The most recent period reflects a decline in imports in absolute terms and a negligible increase in market shares.

Absence of injury to Domestic Industry

(ix) The Sections and the Rules require that there must be serious injury or threat of serious injury to "domestic industry", as a consequence of increased import of an article into India.

(x) One of the major producers of the subject goods has not provided data to the DG Safeguards, due to which the injury analysis cannot be carried out in a meaningful manner.

(xi) The definition of "domestic industry" under the Anti-Dumping law is para materia to that in the safeguard provisions. In relation to the Anti-Dumping investigations concerning seamless tubes and hollow profiles imported from China. The Designated Authority has considered Maharashtra Seamless Limited (MSL) a 'major producer' and in the absence of complete information from MSL, it has held that the injury analysis cannot be carried out for purposes of levy of anti-dumping duty. In the present investigation, MSL has not provided complete information nor has filed a questionnaire response for domestic producers. Analysis of injury parameters based on incomplete information would not reflect the true condition of Indian Industry. The findings of the Designated Authority, have been affirmed by the Hon'ble Bombay High Court.

(xii) If for purposes of evaluation of injury in an anti-dumping investigation, data of MSL is critical, and without which determination of injury is not possible, no similar determinations can be made, unless complete information is provided by MSL.

MSL data does not reflect injury

(xiii) The Annual report of MSL, mentions that the total capacity for manufacture of the subject goods has been increased by 2,00,000 metric tonnes per annum, indicating that MSL envisages bright outlook for the seamless pipes and has adequate surplus funds to invest in growth.

(xiv) The Chairman's statement indicates that injury, if any, is on account of delay in infrastructure projects and dumping by Chinese companies. CPMA submitted that more than 70% of the imports are from China and the prices at which such imports are being made, is lower than that from other countries.

In such a scenario, it is for the petitioner to approach the Anti-Dumping Directorate to examine whether there is a case for levy of anti dumping duties.

(xv) The domestic producers are consciously withholding the information relating to MSL, since it reflects an improvement in the conditions of MSL and the injury, claimed by the other producers, is on account of factors other than the imports, including the competition, inter se between the different producers due to creation of excess capacities.

No injury faced by either ISMT or Jindal SAW Ltd.

(xvi) The Annual report of ISMT which reflects that ISMT's production has increased significantly i.e., from 145429 metric tonnes per annum in 2008-09 to 185976 MT in 2011-12. The sales have also shown a substantial increase over the same period. In the statement of the CEO, it is mentioned that there is a 17% increase in the sales of the company and the tubes sales have also increased by 21.5%.

(xvii) The Annual report of Jindal SAW highlights various factors due to which, the company is facing difficulty. The Company's financial position has been affected adversely due to various factors including increase in input prices, slow domestic demand and bleak global economic and not on account of the imports

Causation

(xviii) During the period when the imports were increasing, the injury factors reflected an improvement this shows that there is no causation between the quantum of imports and injury, if any to the domestic producers.

a) **Increase in capacity**. If there would have been injury, capacity would not have increased.
 i. Capacity of petitioner almost doubled from just 3.75 Lac MT to 6.85 Lac MT
 ii. Capacity of MSL increased from just 3.5 Lac MT to 5.5 Lac MT

b) **Production** of petitioner increased from 2.24 Lac MT to 2.93 Lac MT showing increase of almost 25%.
 i. Production of supporters also increased from 1.41 Lac MT to 1.5 Lac MT

c) **Capacity utilization** declined
 i. The decline was due to abnormal increase in the capacity. Demand increased by just 2%, whereas capacity was increased by 80% by the petitioners.
 ii. Even MSL's capacity has increased by 55% against 2% increase in demand
 iii. In fact, the applicants and supporters were not able to utilize their earlier capacity, hence addition made in capacity was not required.
 iv. The decline in capacity utilization is due to unwarranted increase in capacity.

d) **Domestic sales** increased from 1.97 Lac MT to 2.2 Lac MT in line with the increase in the demand. Demand increased by 2% and sales by 11%. Hence, there is no injury.
 i. Regarding possible claim of applicant that sales declined compared to 2011-12, is because there was a decline in demand in 2012-13 over 2011-12.
 ii. There is a decline in sales of supporters, however, considering that the capacity of supporters in base year was 3.5 Lac MT, production was just 1.4 Lac MT, domestic sales was less than 1 LAC MT. There are other reasons for injury to MSL.

e) There is no decline in sale price

f) **Inventory** increased, however, inventory position is to be seen having regard to the fact that the product has a lot of grades, sizes, types and one grade, size type cannot replace other grades. Further, if the producer is selling in various market segments, it has to keep minimum inventory levels.

g) **Employment** level increased

h) **Market share** of applicant is almost the same – decline of less than 1% can not be said to be a decline.

i) Injury is due to recession in US and Europe

j) **Excess capacity:** Petitioner claimed idle capacity of 7.91 Lac MT. Capacity in India is claimed to be 12.35 Lac MT against a demand of 7.7 Lac MT. There is excess capacity of 5 Lac MT in India. Clearly capacity has been created considering export markets. It is a well known fact that since last year, US and European economy is in a very bad situation (which are their main markets – which is evident from the fact that in these two regions, one of the petitioner has a subsidiary to cater to that market), hence they were not able to export the product for selling idle capacity utilization.

k) **No undercutting**

i. Undercutting is determined for seamless pipes/tubes as a whole which leads as nowhere. The product is produced in various grades, size, types. Price differences from one grade to another can be huge. Further, there can be drill pipes, line pipe, casing, tubing (used in oil exploration), bearing grade pipe, Automobile grade pipe, high precision pipes etc. There would be significant difference in the price of the different grades.

ii. This is also important in view of the fact that most of the imports are in the oil exploration sector.

l) **No loss**It is stated that companies are making significant financial losses. Which is wrong. Petitioners are in profits which is evident from the injury statement.

m) There are different figures in different tables
 i. Imports in table 5 do not match with injury statement given
 ii. Demand in table 5 is 741117, it is 767398 in injury statement
 iii. Market share do not match in different tables
 iv. Imports in table 5 and price undercutting table enclosed

Decline in imports contemporaneous to worsening of condition of the petitioners

(xix) In the first quarter of 2012 -13, the imports have declined. The injury parameters also show a worsening. The conclusion which follows is that, when the imports increased the performance of the domestic industry improved, whereas when the imports declined their performance also declined.

(xx) The injury is mainly a result of creation of excess capacities in India, far in excess of the demand for the product in India resulting in significant internal competition

Rehabilitation Plan

(xxi) In terms of the Safeguard Rules, duties can be imposed for a period in excess of one year, if the domestic producers have a restructuring plan As regards the proposed restructuring plan, we submit that the non confidential version suggests that at present raw materials are not being sourced at competitive price by ISMT, which it will endeavour to do in the future. The other measures also seem to suggest that the company is operating inefficiently and the rehabilitation plan is to basically reduce inefficiencies. The restructuring plan of Jindal SAW Ltd also reflects a similar position. It is submitted that if the domestic producers are operating inefficiently, there is certainly no cause to impose duties to subside the effect of such inefficiencies and the costs should be normatted for a fair analysis.

I. China Iron & Steel Association (CISA) & M/s Rama Cylinders. (Represented by Lakshmi Kumaran&Sridharan)

Failure to provide mandated information :—

(i) Domestic Industry neither provided complete, accurate and adequate information at the time of initiation of investigation but it desisted from filing the necessary information (including adjustment plan) during the course of investigation as well.

(ii) The non-confidential version of information provided contains virtually nothing for interested parties to make comments upon. Without having sufficient information at perusal, Respondent has been denied its right to defend its interests in an effective manner. Such an act violates the principles of natural justice.

Incorrect definition of product under consideration and like article:

(iii) DG Safeguards has failed to define a precise product under investigation and like article by considering the whole basket of seamless tubes as one single product. DG Safeguards has not even ventured into an examination of whether the grades included in the product under investigation are manufactured by the domestic producers, whether among different grades, there was similarity in terms of usage, characteristics and prices. Further no examination has been made at the time of initiation, whether ERW Tubes and Pipes are like articles when such tubes and pipes are like or competing with the seamless tubes and pipes.

Non-examination of unforeseen circumstances and surge in imports:

(iv) Neither the initiation notice nor the petition of the Domestic Industry makes a mention of 'unforeseen developments' existing, which lead to an increase in imports. The imports data provided in the application as well as in the initiation notice does not indicate increased imports, leave alone sudden, significant, recent and sharp increase in imports due to such unforeseen developments.

Non-Identification of an Obligation under GATT 1994

(v) There is an additional obligation under Article XIX:1(a) of GATT 1994 to identify an "obligation incurred under GATT 1994" and further link such an obligation to the increase in imports as alleged by the Domestic Industry. In the present investigation, no such obligation has been identified by the petitioners and no link has also been drawn.

(vi) The "bound rate" of import duty (Basic Customs Duty) is the obligation incurred by India in 1994. Any increase in imports due to further reduction in import duty on its own volition to the present level at the rate of 10% should be considered separately and that increase cannot be attributed towards increase in imports due to India's obligation incurred in 1994.

Standing of Domestic Industry:

(vii) Only two producers out of many producers in India have filed the petition for safeguard duty. Supporters to the petition have failed to provide relevant information as mandated in the prescribed questionnaire. Injury determination by DG Safeguards should be made for the domestic producers as a whole.

Significant inaccuracies and inconsistencies in the petition

(viii) Import statistics as provided by the petitioners were only updated until the first quarter of the financial year 2012-2013, namely June 2012. However, the current investigation was initiated in April 2013. It is obvious that the data provided in the Petition is significantly outdated.

(ix) There are serious discrepancies, inaccuracies and inconsistencies between the Petition and the notice of initiation in relation to the import statistics.

(x) Analysis of the updated import statistics covering the period APR.2012 – DEC.2012 revealed significant discrepancies. When comparing the data of the original statistics with the updated version, it appears that for the overlapping period APR.2012-JUN.2012 the data is not consistent. The new statistics show that the total imports from China of the product concerned into India are lower by some 20% in quantity.

No Unforeseen Development

(xi) The initiation notice as well as the petition filed by the Domestic Industry is completely silent with regard to the fact that there existed 'unforeseen developments', which resulted in increase in imports.

It is mandatory to show 'Unforeseen Developments'

(xii) The Appellate Body in WTO dispute concerning *DS 178 US – Lamb* observed that the existence of "unforeseen developments" is a "pertinent issue of fact and law" under Article 3.1 of the Agreement on Safeguards.

(xiii) Unforeseen developments describe a circumstance or a set of circumstances which must be demonstrated *as a* matter of factwhich resulted into increase in imports for justifying the imposition of safeguard measure.

(xiv) Increased quantities of imports should not be equated with unforeseen developments. Respondent placed Reliance on the panel report in *DS-238Argentina — Preserved Peaches.*

(xv) The Applicant Domestic Producer subsequently filed a letter enumerating some events as unforeseen developments. It is submitted that mere enumeration of some events as "unforeseen developments" is insufficient in light of the requirement in Article XIX: 1(a). The correct requirement is that it must be explained *as to why the developments in question were unforeseeable* and *how it led to an increase in imports*.

It is mandatory to articulate the "effect of obligations incurred" on increase in imports:

(xvi) Article XIX: 1(a) of GATT 1994 places a two-fold requirement on the investigating authority. The requirements are as follows:

a) identify as a matter of fact, the specificobligation incurred including tariff concessions under GATT 1994 related to the subject product; and

b) establish the link of that obligation to increase in imports of the subject product

(xvii) The Panel in Dominican Republic - Safeguard Measures on Imports of Polypropylene Bags and Tubular Fabric, WT/DS415/R, WT/DS416/R, WT/DS417/R, WT/DS418/R (23 February 2012) held that the meaning of the phrase "of the effect of obligations incurred by a Member under this Agreement, including tariff concessions" is that "as a matter of fact the importing Member must have incurred obligations under the GATT 1994, for example, tariff concessions, with respect to the product in question."

(xviii) In Appellate Body Report, Korea - Definitive Safeguard Measure on Imports of Certain Dairy Products, WT/DS98/AB/R (12 January 2000) and Appellate Body Report, Argentina - Safeguard Measures on Imports of Footwear, WT/DS121/AB/R (12 January 2000) it has also been articulated that the Member is required to demonstrate, in addition to "unforeseen developments", an obligation incurred under GATT 1994 as well as establish a "link" between the obligation incurred and the increase in imports.

(xix) Any claim without establishing the "effect of obligations incurred under GATT 1994 and the imposition of safeguard measure by an investigating authority without due consideration to the requirement in Article XIX:1(a) is a clear violation of Article XIX:1(a).

Increase in imports due to reduction of import duty (BCD) in own volition

(xx) The Members incurred an obligation by way of concession in Tariff, i.e., the particular member takes an obligation that it will not increase the import duty (BCD) beyond a particular rate. Such rate is termed as “Bound Rate”. For the product under investigation, India agreed 40% as bound rate in 1994. Thereafter, India reduced the import duty rate below bound rate on its own volition and present import duty rate is 10%. The safeguard duty can be imposed only when imports increased due to reduction of import duty upto bound rate only. Safeguard duty cannot be imposed on account of increase in imports due to reduction of import duty bellow bound rate. Therefore, any increase in imports due to further reduction in import duty on its own volition to the present level at the rate of 10% should be considered separately and that increase cannot be attributed towards increase in imports due to India’s obligation incurred in 1994.

Excessive Confidentiality and violation of principles of natural justice

(xxi) There was no individual response to questionnaire and adjustment plan (non-confidential version) filed by the Domestic Industry till public hearing held on September 2, 2013. Only after the first public hearing was over did the Applicant Domestic producers file the non-confidential version of the individual response to questionnaire and adjustment plan.

(xxii) The quantitative data is required to be disclosed whether it is total or monthly. Though total for quantitative data has been disclosed for many parameters, however, monthly figures have been kept confidential. Such a claim is incorrect and is required to be rejected.

(xxiii) In response to questionnaire for domestic producers filed, installed capacity and capacity utilisation has been claimed as confidential without giving any reason for the claim of confidentiality. It is submitted that there is no reason for claiming confidentiality of installed capacity and capacity utilization.

(xxiv) No shut down details (annex-5) have been provided by them. If they are claiming that they had to shut down plants during the reference period, then they shall provide shut down details for the last three years.

(xxv) No detail of subsidy has been provided by them claiming it to be business proprietary information not available in the public domain.

Incorrect Product Definition

Products covered are not homogeneous

(xxvi) The scope of the product under consideration is very wide. Seamless pipes, Tubes and Hollow profiles of iron or non –alloy steel (SPTH) do not form a single homogenous product group. It is submitted that there are a large number of types and/or grades of SPTH that significantly differ from one another.

Significant differences in usages

(xxvii) Significantly different usage of seamless pipes and tubes-Seamless pipes and tubes is used in various user industries.

i. Oil and Gas Exploration
ii. Refineries and Petrochemicals
iii. Fertilizer Plants
iv. Steel Plants
v. Bearing Industry
vi. Automobile Industry
vii. Railways Sector
viii. Defence Sector
ix. Power Sector

(xxviii) The DGAD in its final findings dated 19th May 2000 concerning same product under investigation held that PUC grades to be analyzed by examining the following:

- Basic manufacturing process
- Physical Characteristics
- Chemical composition
- Tensile strength
- Yield resistance
- Special operations (viz.,heat treatment)
- End-usage
- Interchangeability of the products
- Perception of customers
- Tariff classifications.

(xxix) Respondent submitted that there is a substantial difference in the cost, selling price, usage, markets etc. of various grades of the product concerned. Because of such vast differences in product scope the determination of effect of import on Applicant Domestic Producers would be incorrect.

Bundling of Products in product scope is incorrect:

(xxx) Product under investigation is required to be an article i.e. a single product. Similarly like article shall also be a single product. While conducting a comparison of the product under consideration with the Like Article, one should do so on a product to product basis and not from a basket of products to another basket of products. Respondent has placed reliance on WTO: DSB Panel Report in DS-54/55/59/64 Indonesia-Certain Measures Affecting the Automobile Industry, wherein WTO: Dispute Settlement Body interpreted the meaning of the term 'like article'

Product scope cannot include those products like article to which is not produced by the Applicant Domestic producers

(xxxi) The Applicant Domestic producers admitted during public hearing that for many of the products included in the product scope are not manufactured by them or for some of them, they are not qualified to participate in bids as per standard fixed by ONGC. Therefore, those products should be excluded from the product scope.

(xxxii) In the letter dated 23.05.2013 of the Petroleum and Explosives Safety Organization to M/s Rama Cylinders Pvt. Ltd, an importer of the subject goods, it is stated that "as per office records so far no Indian seamless steel pipes/tubes manufacturer for manufacture of high pressure seamless steel gas cylinders is approved under the Gas Cylinders Rules, 2004

(xxxiii) The Applicant Domestic Producers during public hearing admitted that one of the Applicant Domestic Producers has moved an application for testing its goods to check its eligibility. It proves the point that the Applicant Domestic Producers were prohibited under law to manufacture such products and because of that the manufacturers of cylinders were forced to import such products into India from manufacturers approved by the Government of India. When the Applicant Domestic Producers were not manufacturing such product, then import of the same during the period under investigation could not cause any injury to them.

Significant differences in prices or alternatively incorrect import data and value

(xxxiv) The import statistics provided by the Applicant Domestic Producers shows a significant difference in prices of various grades of the PUC

CN Code	Average Price (Rs/MT)
73069011	24,376
73043129	29,416
73045930	169,841
73041120	170,318

The minimum average price per ton of CN code 73069011 is Rs.24,376/- and maximum average price per ton of CN code 73041120 is Rs 170,318/-, so the maximum average price is 7 times the minimum average price. This is clear that there is significant difference in prices of various product grades. Alternatively, it is submitted that the product codes mentioned above like 73069011 or 73041120 though do not exist were representing some different product but were incorrectly included in import statistics to inflate the data.

Like Article and standing of the Applicant Domestic Producers as Domestic Industry: Welded Tubes and Pipes (ERW)

(xxxv) World over Welded tubes and Pipes manufactured using Electrical resistance welding are used interchangeably with the Seamless tubes and pipes for the same use, i.e., in oil and gas exploration and transportation.

(xxxvi) In investigation initiated by United States against India alongwith other countries [Investigation Nos. 701-TA-428 and 731-TA-992-994 and 996-1105 (preliminary)], US treated welded tubes and pipes as like article to seamless tubes and pipes. Respondent has attached the copy of initiation notice.

(xxxvii) The argument that only initial stages of production process makes the two products shall not make any difference as both are serving the same end-use. Therefore, Welded tubes and pipes (ERW) is not only a competing product but also a like product on each and every criterion with the seamless tubes and pipes.

(xxxviii) Respondent has submitted list of some of the known producers not included in the present investigation and stated that in India various domestic producers other than the Applicant Domestic Producers manufacture welded tubes and pipes used for the same end use world over. Therefore, production of these Domestic Producers shall be included to determine the standing of the Applicant Domestic Producers who moved the application on behalf of the Domestic Industry producing the likeproduct which includes welded tubes and pipes also.

(xxxix) In the Safeguard Duty Investigation against imports of Aluminium Flat Rolled Products and Aluminium Foil into India from People's Republic of India-Final Findings dated 29th May, 2009, DG Safeguards examined the below listed factors, to exclude products which were not manufactured by the domestic industry:

i) Technical Characteristics
ii) Interchangeability and uses
iii) Potential uses
iv) Marketing Channel
v) Price etc.

(xl) Considering the total production of all the Domestic Producers (including those who produce Welded tubes and pipes by ERW method) and the Applicant Domestic Producers, it is apparent that the Applicant Domestic Producers do not produce major proportion of the total production of the like article and therefore, the Applicant Domestic Producers do not have standing to apply on behalf as Domestic Industry.

Petitioner- Whether representative of Entire Indian Domestic Industry?

(xli) In a trade remedy investigation such as safeguard investigation or dumping investigation, merely having more than 50% of total production is not sufficient to claim 'major proportion' of total production. Article 4.1(c) of AoS,

(xlii) Respondents have attached details of more than 50 domestic producers of the seamless tubes and pipes in India and while relying upon WTO: Appellate Body Report in DS 397 – EC Steel Fasteners for definition of domestic industry stated that DG Safeguards is duty bound to collect information from other domestic producers and seek information with respect to injury from them as well. It would also be incorrect, if DG Safeguards relies only upon one other domestic producer (Maharashtra Seamless Ltd), who has also not provided complete information, to make its determination.

(xliii) In the Safeguard Duty Investigation against imports of Aluminium Flat Rolled Products and Aluminium Foil into India from People's Republic of India-Final Findings dated 29th May, 2009, DG Safeguards held that the definition of the domestic industry must be product-oriented and not producer-oriented, and that the definition must be based on the products produced by the domestic industry which are to be compared with the imported product in terms of their being like or directly competitive.

(xliv) The Applicant Domestic Producers in para 19 of its written submission pursuant to first public hearing tried to justify the exclusion of BHEL and OCTL on the ground that these producers imported the products.

(xlv) The Respondents submitted that domestic industry is defined differently in Anti-dumping agreement as well as Indian Rules in comparison to in AoS and Indian Safeguards legal provisions. Whereas Anti-dumping provision provides discretion to the Authority to exclude such producers who imports or related to exporters or importers, no such discretion has been granted to the DG Safeguards.

(xlvi) The following producers have not been considered in the present investigation, who are known producers of the product under consideration. These producers should have been included in the present investigation:

- Mahalaxmi seamless limited
- Ratnadeep Metal & Tubes Pvt Ltd
- Heavy Metals & Tubes Ltd
- Gandhi Special Tubes Ltd
- Anand Seamless Tubes Pvt Ltd
- Sainest Tubes Pvt Ltd
- Patels Airflow Ltd
- Bhatia Steel Tubes

(xlvii) If these producers are considered in the present investigation by the authority, then percentage share of total production held by Domestic Industry will fall significantly. It will affect the standing of Domestic Industry.

No Surge in Imports

(xlviii) The facts of the present case indicate that compared to previous year, there is no increase in imports. Imports have declined from 425194 MT in 2011-12 to 373777 MT in 2012-13(Annualized). Respondent relied upon WTO Dispute in DS121-Argentina Safeguards measures on imports of Footwear.

(xlix) Authority is required to investigate whether imports came into the country in 'such increased quantities' by examining whether imports were recent enough, sudden enough, sharp enough and significant enough. Examination of increase in imports and resultant imports without having regard to above determination would be in violation of Article 2.1 of AoS as well as Section 8B(1) of Customs Tariff Act 1975.

Injury Analysis

(l) At the outset the Respondent wishes to reiterate all submissions relating to injury factors in its Injury Submissions. In terms of production and sales of domestic industry, there is a marginal drop in both production and sales during 2012-13 in comparison to 2011-12. Such drop in performance is not visible throughout the injury period of last 4 years but is a one-off incident during POI. Even then, compared to base year, the production of domestic industry has gone up by 13 percent points, whereas sales have declined just by 1 indexed point. Therefore, there is no significant decline in the level of domestic sales over the reference period.

(li) It would be incorrect to blame foreign suppliers for domestic industry's inability to effectively bid in tenders and compete with foreign suppliers. The basic premise of a safeguard investigation is the fact that the imports come into India at fair prices.

(lii) It is conceded by the domestic industry at the time of making the application that it is suffering due to its own inherent problems. This is evidenced by its failure to compete with foreign suppliers in bidding process, wherein its bids got rejected either on the ground of non-production or on other technical reason.

(liii) In terms of the alleged loss of employment, Respondent notices that there was no significant loss in the level of employment and wages over the reference period. To the contrary, both workforce number and wages have gone up during the reference period by an average of 6 per cent on a year-on-year basis. Indian Domestic Industry and the petitioners would not be increasing employment if the industry were suffering any injury.

(liv) Certain excluded products such as STP of specifications SA 335, SA 213, L-80 etc are included in injury analysis. These excluded products consists approximately 6 % of total imports. The authority has to exclude these excluded products from injury analysis.

Absence of Causal Link

(lv) As per the facts presented in the application by the Domestic Industry, there does not seem to be any causal link between the imports and performance of Domestic Industry.

(lvi) When the imports increased from 3,44,829 MT in 2010-11 to 4,25,194 MT in 2011-12 ,the profitability of the Domestic Industry improved from 76 indexed points to 102 indexed points whereas when the imports decreased from 4,25,194 MT in 2011-12 to 2,80,333 MT in 2012-13 (Dec) the profitability of the Domestic Industry also declined from 102 to 23. The causal link between the imports and profits of Domestic Industry is clearly absent.

(lvii) Negative correlation is visible between imports and production and sales of Domestic Industry. When the imports increased from 3,44,829 MT in 2010-11 to 4,25,194 MT in 2011-12 ,the production and sales of the Domestic Industry improved from 126 indexed points to 142 indexed points and 118 to 120 indexed points respectively. Whereas when the imports decreased from 4,25,194 MT in 2011-12 to 2,80,333 MT in 2012-13 (Dec) the production and sales of the Domestic Industry also declined from 142 indexed points to 87 indexed points and 120 indexed points to 71 indexed points respectively. The causal link is clearly absent.

(lviii) As per Annual report 2011-12.The capacity of M/s. ISMT tube division was almost tripled from the financial year 2009 -2010 (158000 tons) to the next year 2010 – 2011 (465000 tons). While the company's production of tubes remained relatively stable, this has an immediate effect of dragging down the capacity utilization from 85.9% to 38.5%. This is more than obvious that the real reason to cause the alleged injury is the sudden increase of ISMT production capacity. This further breaks the causal link between the alleged injury and the imports.

(lix) The Panel report on *Korea — Dairy,* WT/DS98/R read with facts of the present case submitted clearly shows that there is no link between the imports and the performance of Domestic Industry. Thus, it is submitted that there does not exist any causal link and any recommendation of duty, without establishing causal relationship between imports and its adverse effect on Domestic Industry would tantamount to violation of Article 4.2(b) of AoS and also Section 8B(1) of the Customs Tariff Act.

(lx) Applicant Domestic Producers admitted during public hearing that for many of the products included in the product scope are not manufactured by them or for some of them they are not qualified to participate in bids as per standard fixed by ONGC. The most important reasons cited for disqualification is that the Applicant Domestic Producers were not treated as supplied the products because they supply it in other countries in name of some other entities. If because of this reason they could not supply the material and it is imported it cannot be argued that the Applicant Domestic Producers suffered injury due to imported goods.

(lxi) The Applicant Domestic Producers in their adjustment plan in brief stated that they are adopting the methods which will reduce the cost of production such as (i) improve efficiency of raw materials, (ii) planned to reduce its power and fuel costs through the efficient use of energy, (iii) working on rationalization of steel grades to achieve higher prime grade production and improve product yield, (iv) aggressive cost cutting is adopted, etc.The adjustment plan of the Applicant Domestic Producers shows that the cause of injury, if any, is the inefficiency in the production method, which is evident from the adjustment plan. Therefore, the cause of injury is not the imported products.

Adjustment Plan

(lxii) Respondent submitted that safeguard duties are only a temporary relief to a non-competitive Domestic Industry and trade remedy under safeguards is a mechanism to protect the Domestic Industry for a temporary period in order for it to adjust and become competitive with foreign producers. Article 5 of AoS also provides that a member may apply safeguard measures only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment.

(lxiii) Structural adjustment forms the core of safeguard investigations under AoS as has been recognized in the preamble of AoSalso.The measure which the Applicant Domestic Producers projecting as adjustment plan cannot be called at any standard as structural changes. For example, ISMT stated that "sourcing of the key material from multiple viable sources to ensure competitive pricing". This

means that ISMT is currently procuring raw material from unviable sources which is adding to its raw material cost and consequently an injury, if any, is caused to it is by its own reasons. This proposed plan cannot be termed as a structural change and satisfy the requirement of adjustment plan. Since, the Applicant Domestic Producers failed to provide any viable adjustment plan which may result into making them competitive with imports, therefore, the investigation may be terminated with immediate effect.

Public Interest

(lxiv) BHEL, one of the domestic producers and importer of the subject goods, appeared and opposed the imposition of safeguard duty. It was submitted by BHEL that the total annual requirement of BHEL is 50,000-60,000(MT), out of which 40-50% is met by in house production. Balance 50-60 % is quantity being procured through competitive route from the registered suppliers of BHEL. Foreign suppliers are getting orders approx. 23,000 MT (Rs. 160Cr) and for 8,500 MT (Rs. 50 Cr.).

(lxv) It has been specifically been held by BHEL that foreign suppliers are getting more orders due to entire range available vis-à-vis Indian suppliers who have limited range available with them.

(lxvi) It has also been pointed by user industry –BHEL that two of the indigenous suppliers had serious quality issues including leakage of tubes in hydraulic testing. Such kind of leakage may lead to some misfortune which may affect the public at large.

(lxvii) As per BHEL, one Indian supplier is still kept at 'hold' for the subject items. With limited quality and quantity being supplied by domestic industry, there is a possibility that any safeguard duties will erode its competitiveness and severely affect utilization of its installed manufacturing capacity.

(lxviii) It has also been stated by the domestic industry at para 72(b) of its written submission that there may be a loss of revenue to the government on account of taxes because of decline in profitability of the domestic industry.

(lxix) Respondent submitted that the purpose of safeguard duty or any trade remedy measure for that matter is not to increase the revenue of a Government. Instead the purpose is to create a level playing field for the domestic industry, so that it is in a position to compete with foreign suppliers. In any case, Government would still be earning revenues on account of custom duties being paid upon imports of subject goods, which according to domestic industry is increasing. Thus, revenue of government is secure.

(lxx) At para 74 of the first written submission, wherein domestic industry has claimed itself to be a 'nascent' industry. Respondents submitted that in the present case, domestic industry is represented by M/s ISMT, which came into existence in 1977 and M/s JSW Ltd, which came into existence in 1984

(lxxi) The domestic industry has further stated at para 72(c) of its first written submission that the increased outflow of precious foreign exchange hurt the public interest of India in a longer run. Respondents submitted that the claim of domestic industry regarding increased outflow of foreign exchange is completely vague and without any justification.

J. M/s BHEL

M/s BHEL presented their oral submissions during public hearing wherein they have repeated their earlier submissions made during 1st Public Hearing.

(i) M/s BHEL requirements are highly critical as these Tubes & Pipes are used for High Pressure boiler applications.

(ii) Quality and testing requirements very stringent as safety of power plant is prime concern**.**

(iii) Total average annual requirement of BHEL in this category of the order of 50-60,000MT.40-50% requirement being met by in-house production. Balance 50- 60% quantity being procured through competitive route from the registered suppliers of BHEL.

(iv) Foreign Suppliers are getting more orders due to entire range available vis-à-vis Indian Suppliers who have limited range.

(v) M/s BHEL procures from registered suppliers meeting its quality requirements.

(vi) M/s BHEL has total 23 registered suppliers (including 4 indigenous suppliers) in this category.

(vii) Only one indigenous supplier can meet the full range. Thus not enough competition for Indian production. Most of the foreign suppliers can supply full range.

(viii) Two of the indigenous suppliers had serious quality issues including leakage of tubes in hydraulic testing. One Indigenous supplier still under 'HOLD' for the subject items.

(ix) No indigenous supplier for 'Rifled' tubes other than M/s ISMT Ltd which is under 'HOLD' for this item. For 'Rifled' tubes entire dependence on imports at present.

(x) Sample study of one indigenous supplier shows proportionate movement in raw material cost vis-à-vis realization per metric ton.

(xi) Power & fuel, employee cost, manufacturing expenses of the indigenous supplier has gone up. Need to enhance productivity and cost control measures.

(xii) Thus quality issues coupled with low productivity leading to erosion of competitiveness of indigenous suppliers.

(xiii) Indigenous suppliers to improve quality and benchmark productivity and efficiency vis-à-vis overseas suppliers.

(xiv) Companies like M/s BHEL have to compete against stiff international competition with no domestic preference. Hence any safeguard duties will erode its competitiveness and severely affect utilization of its installed manufacturing capacity.

(xv) With average annual import of Rs.160cr (approx.) any safeguard duty on these items will cause a serious injury to M/s BHEL's operations.

(xvi) Any safeguard duty on these products will go against Power Equipment Manufacturers mainly M/s BHEL, causing serious negative impact in terms of competitiveness and hence business prospects.

K. Dalmine SPA, Italy (Reprented by Seth &Dua Associates)

Dalmine SPA presented their oral submission during public hearing but they failed to submit their written submission.

L. The Japan Iron and Steel Federation.

They did not attend the second Public Hearings but submitted their written submissions, which is as follows:

(i) The scope of the PUC is very broad as the products exported by the Japanese steel manufacturers are not like or competitive article to the products manufactured by the Indian steel manufacturers.

(ii) The products manufactured by the Japanese steel manufactured are technologically much superior to those of the DI

(iii) The Japanese steel manufacturers maintain both upstream and downstream manufacturing processes, an area in which the Indian steel manufacturers are still lacking and which allows the Japanese steel manufacturer to maintain quality control over their production process.

(iv) The products manufactured by the Japanese steel manufacturers should not be included within the scope of the PUC.

(v) Due to the superior quality of the products, the Indian end users have approved the products manufactured by the Japanese steel manufacturers in technological sensitive sectors such as automobile, oil and gas exploration, transportation of oil and gas, thermal power plants and chemical industry.

(vi) Import of the PUC from Japan has been in the range of 1.19%-3% of the overall demand. This clearly establishes that import of PUC from Japan caters to a market which requires application of high technology and quality control.

(vii) As per the DI petition itself, imports from Japan are not leading to price undercutting at all.

(viii) Import price from Japan has been consistently higher than the domestic selling price at least by 27% to 84%.

(ix) Article 3.1 of the Agreement on safeguards requires assessing as to whether imposition of a safeguard measure would be in Public interest or not.

(x) Japan Iron and Steel Federation submit that initiation of this safeguard investigation is not in public interest as imposition of a safeguard investigation would be prejudicial to the interest of the end users in India.

(xi) The Indian end users would be impacted as Japanese steel manufacturers have been approved by such Indian end user as a supplier in various sensitive sectors. Since technological sensitive sectors are such where the end users cannot compromise on the quality and the technology of the input product, if the safeguard duty is imposed these products would not be available to the Indian end user at a competitive price and would be forced to bear the brunt of the high cost of import.

(xii) The causal link is broken. When there was a marginal increase in import in 2011-12, the DI performed exceedingly well on the economic parameters. However, when there has been a decline in imports and increase in import price in 2012-13, the production and profit of DI declined slightly.

(xiii) There has been a decline in demand. This decline in demand and the above factors severs the causal link between the claim of serious injury (if any) and the imports. Even in case DGS decides to take a safeguard measure, DSG will not apply a safeguard measure against PUC imported from Japan.

13. Following rejoinders have been received wherein the interested parties have interalia stated that:

(A) TMK Group, Russia (Represent by Advocate Shri M.N Jha)

(i) TMK comments dated 29 May 2013 made in response to the Notice of Initiation of the safeguard investigation, as well as to the comments made during the oral hearings on 2 September and 12 December 2013, to TMK's post-hearing briefs dated 13 September and 16 December 2013, as well as to the submission on unforeseen development made on 27 October 2013. All comments made in these documents, as regards the injury and public interest remain equally valid for the purposes of the present document.

Increase in Imports

(ii) In the most recent period of 2012-2013 level of imports saw a decline by 16 points. This was likely in response to the drop in demand by 19 points. The Petitioners perceived a 16 per cent decline in imports as a 42 per cent increase in imports. A 16 per cent decline in imports contradicts the very requirement for initiating a safeguard proceeding, i.e. that imports are 'being imported---in such increased quantities'

Absence of Serious Injury or Threat of Serious Injury to the domestic industry

Petitioners' production has increased

(iii) The domestic industry's production increased by 42 per cent in the period of 2009-2010 and of 2011-2012, incurring a much smaller decrease of 20 per cent in 2012-13, finally leading up to a noticeable stabilisation in the domestic production. The fluctuating trend is attributable to factors

other than imports. During the investigation period the domestic industry's production increased by some 13 per cent.

Petitioners increased their installed capacity during the reference period

(iv) There is no nexus between the drop in capacity utilization and presence of imports on the Indian market. The capacity utilization dropped from 60 per cent to 41 per cent in 2010-2011 only as a result of the capacity increase by 83 per cent during the same period. While Petitioners capacity utilization decreased by 19 per cent in one year (2010-2011), their production increased by 26 per cent during the same year. As for imports, during the same year imports increased by 12 per cent.

Petitioners' assessment of domestic sales trends is incomplete and inaccurate

(v) The Petitioners observed that their domestic sales have steeply declined between 2012-2013 from 170,826 MT to 141,588 MT. However, TMK submitted that the domestic sales in 2012-2013 were essentially at the level of domestic sales in 2009-2010. Moreover, domestic sales post 2012-2013 period remain stable. TMK Group submitted that 1 per cent decline in domestic sales over the period of 4 years period certainly didn't justify imposition of safeguard measures in the case at hand.

Erroneous analysis of the level of demand and the market shares by the Petitioners

(vi) With respect to the level of demand and the market share during the reference period, the Petitioners submitted that sales of the domestic industry have increased by only 16 per cent. Which is more, in the periods of 2009-2010 and 2011-2012, domestic sales have in fact increased by 19 per cent.

The Petitioners relied on the figures that cannot be derived from the table the Petitioners themselves supply. For example, the Petitioners submitted that ''in 2012-2013, the demand increased by 13 per cent, however, sales of the domestic industry declined by 24 per cent and imports increased by 42 per cent''. In fact, according to the Petitioners' own data in the table, the demand increased in 2011-2012 by 13 per cent when the sales of the domestic industry also increased. Thus, there was no drop by 24 per cent, which the Petitioners asserted.

As for imports, they also increased (by 26 per cent), but not by 42 per cent as the Petitioners suggested In the following period of 2012-2013, however, the demand fell by 19 points and so did the imports, which actually saw a decline by 16 points. The fact that the Petitioner perceived a 16 per cent decline in imports as a 42 per cent increase in imports would explain why the Petitioner continue to request that the safeguard measures be imposed.

The data referred to by the Petitioners also indicates that in 2012-2013 the imports as a share of domestic sales have increased over the period of four years with an annual increase rate of 2.1 per cent per year, which - by any measure - constitutes a gradual increase.

The market share of the domestic industry has decreased only marginally, by 2 per cent lower as compared to their share 4 years earlier. Furthermore, the domestic industry's market share in 2012-2013 was only 3 per cent lower than it has ever been during the investigation period. Between 2011-2012 and 2012-2013 the domestic industry lost a market share of 1 per cent.

The level of injury is conceivable for the purposes of a material injury analysis in the context of an anti-dumping investigation, it falls drastically short of meeting the serious injury standard in a safeguards investigation.

Absence of causation

Alleged correlation between imports and sales of domestic industry does not exist

(vii) The submission of petitioners confirmed that there is no correlation between increased imports and decreased domestic sales. The data shows that imports and domestic sales are responding to the same market signals and are moving in a synchronised fashion. Instead of showing a sharp increase in imports coupled with a sharp decline in domestic sales, the data shows that imports and domestic sales increase and decline in parallel, following the same market trends. The difficulties, if any, experienced by the domestic industry are attributable to factors other than increase in imports.

Argument about the other Indian producers of the product concerned has not been addressed

(viii) The data of the two Petitioners representing only 54 per cent of the total industry is not representative of the domestic industry as a whole as it doesn't take into consideration the data of other Indian producers that did not support the investigation

Petitioners' arguments with respect to profits of the domestic industry and price effects are inaccurate

(ix) The Petitioners' submission refers to profit and loss data that is inconsistent with the information contained in the Notice of Initiation.

(x) The profit index reported for 2011-2012 is 64 index points, while the Notice of Initiation reports 102 index points. This discrepancy cannot go unexplained.

(xi) The Petitioners have been able to increase their selling price by 4 points in 2012-2013, the increase of the landed price of the imports in Rs. has been even greater, i.e. by 5 points. A similar trend continues post 2012-2013 period showing that the price charged by the Petitioner did not fall on account of the ever-decreasing price of imports. In other words, import prices do not drive domestic prices of product concerned downwards.

(xii) If the import prices were indeed responsible for driving down the Petitioners' domestic selling price, it would have been outright impossible for the Petitioners to increase their domestic prices.

(xiii) A remarkable 18 per cent increase in the Petitioners' selling price within the period of 4 years suggests that competition with imports is not at all a problem for the Petitioners and that their prices are not affected by imports.

(xiv) The Petitioners' cost of sales increased by 23 per cent within the period of 4 years could explain some of the Petitioners' grievances.

(xv) TMK submitted that the Petitioners assertion that there is an existence of threat of serious injury is in fact based on mere allegation and conjecture in violation of Article 4(1) (b) of the Safeguards Agreement. Given the stability of the domestic sales in the later periods and decline in imports, there are no facts that are capable of supporting Petitioners' assertions.

(xvi) TMK observed that in their Second Brief, the Petitioners failed to make any further progress with argument that trade defence measures in other countries have led to significant increase in imports (or will lead in the case of threat of serious injury),. An abstract reference to cited trade remedy investigations, some of which may well reach their completion without imposition of measures and which, in turn, hardly relate to the product scope in the present proceeding, does not give strength to the Petitioners' case, but weakens it even further confirming the counter-arguments made by the interested parties and TMK group.

(xvii) The Petitioners reference to recently lost tenders claiming that there is evidence of sudden increase of imports due to unforeseen development causing serious injury to the Indian domestic industry. Moreover, it is clear from the data provided that at least one of the tenders lost, was lost to another Indian producer.

(xviii) TMK Group submitted that the Petitioners failed to explain how the increased capacities in China, United States and elsewhere will affect the Indian domestic industry or how these capacities are capable of contributing to the Petitioners' threat of serious injury argument. TMK added that some of the referenced capacity increases will cater to domestic markets in the foreign countries and/ or will not produce product under investigation.

Causation

(ix) There is no causal link between the level of imports and the domestic industry's performance. The domestic industry's performance is affected by a sharp increase in capacity, investments and employment, as well as an increase in sales costs and fall in demand. Against the background of these injury factors, domestic industry's market share remained virtually unchanged, while their prices have increased by 18 per cent. The Petitioners have failed to explain why these factors have

no bearing on the state of industry, nor have they explained a decline in imports and how this decline caused serious injury to the Indian domestic industry, which feels so badly injured that it managed to doubles its installed capacity, increase prices and costs of sales, while losing only 1 per cent of their market share during the reference period. Thus, the Indian domestic industry represented by the Petitioners failed to demonstrate that it experiences "significant overall impairment" that could warrant imposition of safeguards measures on imports of seamless pipes and tubes into India.

(xx) Given that the Petitioners have increased their capacity by 83 per cent, while making 'huge investments in technology up-gradation and human resource development', and sourcing their materials at non-competitive prices as follows from the Rehabilitation plan's (for ISMT), the injury, if any, that the Petitioners alleged to exist is self-inflicted

B. JFE Steel Corporation; Nippon Steel &Sumitomo Metal Corporation; and Sanyo Special Steel Co Ltd. (Represented by Luthra&luthra)

The Petition is not maintainable

(i) The Domestic Industry in their Post Public Hearing written submission did not address the issues raised by the Exporters that Domestic Industry has not met the threshold issue of *recent, sudden, sharp and significant* increase in imports.

(ii) The submission of Domestic Industry that the 'Japanese Exporters have argued that the price effect is not relevant in a safeguard investigation and price injury can only be addressed in an anti dumpinginvestigationis incorrect and misleading.

(iii) The Exporters had argued that while price undercutting is an issue to be analyzed in the context of serious injury to the Domestic Industry, price undercutting *per se* does not lead to initiation of a SG investigation as the threshold issue in a SG investigation is of *recent, sudden, sharp and significant* increase in imports. This issue has not been addressed by the Domestic Industry in their Post Public Hearing written submission.

(iv) The import of the PUC in the most recent period of the POI, i.e. 2012-13 has decreased by 51,346 MT as compared to the previous year. This significant decline in import clearly rebuts the presumption of *recent, sudden, sharp and significant* increase in imports.

(v) The Domestic Industry argument that imports have declined after the filing of the petition by the Domestic Industry is rebutted by the exporters. The Exporters submitted that the DI petition was filed in November 2012. The import data established that at the time of the filing of the petition itself there was a decline in import of the PUC. Thus the argument of the Domestic Industry that there was a decline in import after filing the petition is incorrect and misleading and should be rejected.

(vi) The Exporters argued that based upon the representations made by the Domestic Industry, the injury to the Domestic Industry seems to be on account of import of the PUC from the European Union and China PR and not from any other country.

(vii) The issue of the Domestic Industry getting injured (if any) on account of import from the European Union and China PR has to be examined in light of the submission made by the Domestic Industry that it is the increase in low priced imports which is the cause of concern for them. Thus it would mean that the Domestic Industry is getting injured due to low priced imports which are mainly from the European Union and China PR. Therefore the appropriate remedy in such circumstances lies before DGAD and not before the DGS.

(viii) The Exporters had argued that in view of the fact that import from Japan are not injuring the Domestic Industry as import share from Japan is miniscule and import price from Japan is 84% higher than the price of the Domestic Industry, the DGS is empowered under Section 8(B) to exclude the import of the PUC from Japan from the scope of the Safeguard duty.

(ix) The Domestic Industry in response has not contested the scope provided to the DGS under Section 8B but instead has simply stated that the mere fact that the import price is higher cannot be the reason for excluding import of the PUC from the scope of the SG duty.

(x) The Exporters in their Post Public Hearing written submission have stated that in view of the broad range of the PUC and wherein the function and usage differs from each other and none can substitute for the other product, the serious injury should be established for each of product included within the scope of the PUC. The Exporters had also provided past investigations wherein a similar analysis was done.

(xi) The Domestic Industry in its response has not countered the argument of the Exporters but has instead simply stated that since the Exporters have not segregated the goods as per the usage in their questionnaire response, they cannot seek such segregation from the Domestic Industry This argument is without any basis and should be rejected. It is the Domestic Industry which has formulated the scope of the PUC and is also claiming serious injury. Thus the Domestic Industry is liable to establish serious injury for each of the product included within the scope of the PUC.

DI has not rebutted the arguments of the other interested parties with respect to the wide scope of the PUC

(xii) The Exporters have upstream manufacturing process for raw materials such as billets which is used in the manufacturing of the PUC and which ensures that the Exporters have total quality control and management over their own upstream and downstream manufacturing process.

(xiii) The DI till the 2nd public hearing did not contest the above claim of the Exporters. Even the exhibit 1A produced for the first time after the 2nd public hearing which provides the manufacturing process employed by the DI does not establish that the DI has complete control over the upstream and downstream manufacturing process of the Exporters.

(xiv) The lack of complete quality control over the upstream and the downstream manufacturing process of the Domestic Industry clearly establish the difference in the manufacturing process of the Exporters and the Domestic Industry which explains the reason behind the non inclusion of the Domestic Industry in the vendor list of the Indian user industry while at the same, the Exporters have been included within the list.

(xv) The Exporters in their previous submissions have also highlighted the broad scope of the PUC and the fact that the DI was not able to manufacture products of certain grades and sizes. The contention of the Domestic Industry in their Post Public Hearing written submission that the Exporters have not provided any evidence to support their arguments is incorrect and should be rejected.

(xvi) The Exporters had also provided evidence that certain products as manufactured by the Domestic Industry are not accepted by the user industry in India. The user industry in India also stated in their submission that the Domestic Industry is not able to manufacture products of certain grades, sizes and thickness.

(xvii) The Domestic Industry in their Post Public Hearing written submission with respect to the PUC have not provided any evidence to establish that the products covered under the scope of the PUC are like articles to the products manufactured by the Domestic Industry.

(xviii) The Domestic Industry has not produced any evidence to support its claim that it has manufactured and supplied in commercial quantities to the products to the user industry in India.

(xix) The Domestic Industry has tried to circumvent the issue by arguing that there is no restriction under the law with respect to the definition of the scope of the PUC. The argument is misleading as the real issue which is whether the products covered under the scope of the PUC are like article to the products manufactured by the Domestic Industry.

(xx) The past rulings of the Hon'ble DGS as well as of the Hon'ble Directorate General of Anti Dumping outline the factors which need to be taken into consideration while making the determination with respect to 'like article'.

(xxi) The Exporters submitted that given the fact that the PUC contains a number of distinct products which are imported under the same tariff classification, if the final finding does not explicitly mention

products which have been excluded from the scope of the PUC, the same could likely lead to confusion and wrongful imposition of SG duty by customs.

The criteria of unforeseen circumstances has not been fulfilled

(xxii) The Domestic Industry has not been able to fulfill the requirement to establish that the increase in imports was as a result of some unforeseen circumstances.

(xxiii) The Domestic Industry till the first hearing did not present any arguments and evidence with respect to unforeseen circumstances.

(xxiv) The final findings in *Safeguard investigation against imports of Methyl Acetoacetate* wherein the Hon'ble DGS rejected the Domestic Industry argument with respect to unforeseen development and public interest prompted the Domestic Industry to make additional submission with respect to unforeseen development and public interest which is nothing but a post facto realization on part of the Domestic Industry.

(xxv) The Exporters have already effectively rebutted the additional submission made by the Domestic Industry with respect to unforeseen development in their comments dated 29 October 2013 to the Domestic Industry's letter and relied on the same as the Domestic Industry has not presented any new arguments in its Post Public Hearing written submission dated 20 December 2013.

(xxvi) The Domestic Industry till date has not even provided any arguments with respect to fulfilling requirement of unforeseen development for each of the product covered within the PUC. This argument is supported by the ruling of the Appellate Body in the matter of US Steel Products WT/DS248/AB/R, paragraph 319 of the report wherein the AB observed as follows:

For this reason, when an importing Member wishes to apply safeguard measures on imports of several products, it is not sufficient merely to demonstrate that "unforeseen developments" resulted in increased imports of a broad category of products that included the specific products subject to the respective determinations by the competent authority. If that could be done, a Member could make a determination and apply a safeguard measure to a broad category of products even if imports of one or more of those products did not increase and did not result from the "unforeseen developments" at issue. Accordingly, we agree with the Panel that such an approach does not meet the requirements of Article XIX: 1(a), and that the demonstration of "unforeseen developments" must be performed for each product subject to a safeguard measure.

No serious injury or threat of serious injury to the Domestic Industry

(xxvii) **Production and domestic sale** of the Applicants increased in 2011-12 as comparedto 2010-11. However for the same period and under the same market conditions, the domestic sales of the Supporters declined in 2011-12 as compared to 2010-11. Thus a decline in domestic sales of Supporter company in 2010-11 while increase in production and domestic sales of the Applicants for the same period clearly illustrate that any decline in domestic sales of the Supporter cannot be attributed to the alleged increase in imports as both the Applicants as well as the Supporter companies are competing in the same market.

(xxviii) Production and domestic sales of Applicants declined marginally in 2012-13 as compared to 2011-12 while the domestic sales of the Supporter continue to decline in 2012-13 as well. It should however be noted that there has been an increase in production and domestic sales of the Applicants in 2012-13 as compared to 2011-12.In this case even if the Applicant may have suffered an injury in 2012-13, the same cannot be attributed to imports as requirement under Article 2.1 of the AOS has not been fulfilled

(xxix) **Increase in import price-** The above submission of the Exporters stating that the DIhas not suffered any injury on account of increase in imports is further substantiated by thefact that there has been an increase in import prices.Thus while the import prices have increased by 11% in the POI and in the samecorresponding period, there has been a decline in imports in absolute terms. In view of theabove, the claim of the domestic industry with respect to the serious injury due to importscannot be sustained.

(xxx) Market Share-The market share of the Applicants has seen a marginal decline of0.87% in 2009-10 as compared to 2012-13 which cannot be termed as serious injury to theApplicants.The imports have declined on absolute basis and have seen a marginalincrease of 1% on relative terms. Further there has been an increase in domestic sales of the Applicants in 2012-13 as compared to 2009-10. The market share of the Applicantshas seen a decline of mere 0.87 in 2012-13 as compared to 2009-10. All these factors donot indicate that the DI is suffering any serious injury, the requirements for which are verystringent and have been explained above.

(xxxi) DI is in profit – The DI in their petition has stated that their profitability has declinedin 2012-13. However, an analysis of EBITDA figures of the DI revealsthat there is a slight decline in profit which is on account of volatility in the FOREXmarkets.

(xxxii) The annual report of ISMT for 2012-13 provides information that the EBITDA of the company is INR 172 crore in 2012-13 as compared to 265 crore in 2011-12. Thus ISMT is still in profit. However the decline in profit is on account of a FOREX loss of INR 77crore and which cannot be attributed to imports.

(xxxiii) The finance cost of ISMT has also increased. As per the annual report 2012-13, t*he increase in Interest cost was partially attributable to capitalisation of 40 MW CaptivePower Plant which does not add up to the topline, since being captive*

(xxxiv) The decrease in profit on account of FOREX loss is not limited to 2012-13 but is also responsible for decrease in profit for previous years. The annual report of ISMT for 2011-12 provides as follows: '*Despite the challenging economic environment, the Company was able to sustain EBITDA which dropped marginally to Rs. 265 Crore. However,Profitability was impacted largely on account of FCCB redemption premium provisioningand foreign exchange volatility.*

(xxxv) The same situation is applicable with respect to the other Applicant, i.e. Jindal Saw. As per the annual report for 2012-13, the profit before tax was INR 264.92 crore as compared to INR 322.97 crore in 2011-12. Thus there is a decline in profit by 18%. However theannual report also provides us the information that payment of the interest by the companyhas increased from INR 113.93 crore in 2011-12 to INR 150.08 crore in 2012-13 andwhich is an increase of 31%.

(xxxvi) The Exporters has also submitted that as per theavailable financial result for 2012-13 the Jindal has suffered losses on account of FOREXand long term borrowings of the company has increased from INR 969 crore in 2011-12 toINR 1481 crore which is an increase of 33%. Thus it is clear that factors other than imports are attributable only to the slight decline in profits of the applicants and the same cannot be attributed to imports.

There is a break in of causal link and public interest has not been established by the Domestic Industry

(xxxvii) The exporters submitted that the grounds taken by the Domestic Industry with respectcausal link in its Post Public Hearing written submission is same as it was in their previous submission and therefore for the sake of brevity did not repeat their arguments and relied upon the submission made in their Post Public Hearing written submission of Exporters dated 13 September 2013, page 24-26 and Post PH WS of Exporters dated 20 December 2013, page 09-10.

(xxxviii) The DI has not suffered any injury on account of increase in imports. Thus the DI performed exceedingly well when there was an increase in imports but the slight decline in production and domestic sales took place in 2012-13 when the imports declined and there was an increase in the import price. Thus injury suffered by the DI is not on account of imports.

(xxxix) The causal link between imports and injury (if any) to the DI is broken because injury suffered by the DI is on account of dumping from China.

(xl) The above Annual reports of ISMT are for last 4 years has reiterated that it is the dumping of the PUC from China which is causinginjury to the DI and not any sudden increase in import of the PUC.

(xli) The grounds taken by the Domestic Industry with respect public interest in its Post Public Hearing written submission is same as it was in their previous submission and therefore the Exporters for the sake of brevity did not repeat their arguments and relied upon their previous submission dated 29 October 2013 and Post Public Hearing written submission of Exporters dated 20 December 2013, page 10-11.

C. M/S VALLOUREC TUBES, M/S MERTEX UK AND M/STUBOSREUNIDOS INDUSTRIAL SLU, SPAIN (REPRESENTED BY AMARCHANDMANGALDAS)

(i) Repeated and relied upon all the arguments detailed in their response to exporter's questionnaire previously submitted by them, their Written Submissions filed on 13.09.2013, Rejoinder Submissions filed on 20.09.2013, additional submissions dated 29.10.2013 and Written Submissions dated 20.12.2013 which are to be treated as a part and parcel of the present submissions including the annexures thereto.

(ii) Most of the issued dealt with by the Domestic Industry in their 2nd Written Submissions have been analyzed by Vallourec, Mertex and Tubos in their Written Submissions and Rejoinder Submissions dated 13.09.2013 & 20.09.2013 respectively and therefore such issues do not require any additional response save as indicated hereinafter. However, Vallourec, Mertex and Tubossought to refer and relied upon their earlier submissions which are to be read as a part and parcel of the present Rejoinder Submissions.

Preliminary Objection

(iii) Vallourec, Mertex and Tubos submitted that neither they nor their legal representatives in India have received any communication from the Hon'ble DGS regarding any extension provided by the Central Government

(iv) Respondents submitted that the in the absence of any extension for the time period of 8 months within the 8 months period by the Central Government, the present investigation is time barred as per the law and ought to be terminated on this sole count alone.

(v) The legislature being aware of the importance of time bound investigations in relation to safeguard measures has used the word '*shall*' which indicates beyond any doubt that the provision for rendering a time bound final finding within 8 months from the date of initiation is a mandatory requirement and cannot be waived.

Rejoinder on merits to the Written Submission filed by the Petitioners

(vi) Without prejudice to the preliminary objections and without adverting to a repetition of what has been earlier submitted by them, the present rejoinder submissions would touch upon the required headings in the Written Submissions filed by the Petitioners.

Product under Consideration and Like Article

(vii) Respondents maintained that the Product under Consideration ("**PUC**") and Like Article has been defined very broadly for the purposes of the present investigation and ought to be redefined to exclude those products which are not being manufactured by the Domestic Industry. In this regard, respondents reiterated the submissions made previously and which is not repeated herein for the sake of brevity.

(viii) Respondents submitted that certain products which have been mentioned in greater detail of the Written Submissions filed by them on 20.12.2013 ought to be excluded from the scope of the investigation as the Domestic Industry are unable to manufacture and/or the manufactured products do not meet the technical specifications of the Indian customers of such PUC/tenderers.

(ix) Respondents relied upon United States- Transitional Safeguard Measure onCombed Cotton Yarn from Pakistan (WT/DS192/AB/R), wherein the Appellate Body held that the definition of the domestic industry must be product-oriented and not producer oriented, and that the definition must be based on the products produced by the domestic industry which are to be compared with the imported products in terms of their being alike or directly competitive.

(x) The Domestic Industry has failed to place on record any data to rebut the submissions made by respondents regarding the exclusion of certain products from the ambit of the PUC. Therefore, such products may be excluded from the scope of the PUC.

(xi) The Domestic Industry's reliance on USITC Investigation regarding *Certain Oil Country Tubular Goods* is misplaced in as much as it fails to appreciate that the said investigation is no way connected to the investigation being carried by the DGS in India.

(xii) The reliance of the Domestic Industry on the Panel Report in the case of *Dominican Republic – Bag and Fabric Safeguards* supports the pleadings of respondents in as much as the said Panel Report also maintains that the competent authority must define the product under consideration.

(xiii) It is submitted that when the Domestic Industry is unable to manufacture a product that is being imported or even if it is manufactured, they differ in technical specifications, such products cannot be said to be like or competitive products and hence the same will have to be excluded from the purview of the PUC.

(xiv) The Petitioners submission that they have led cogent and clear evidence regarding their ability to produce products as named in Page 13 of its written submissions is unfounded and misplaced as no evidence is provided to the interested parties.

(xv) The manufacturing process has been disclosed in the Annexure 1A (confidential) to the Written Submissions filed by the Petitioners. In view of the contrary pleadings being made by the Petitioners, respondents doubted the integrity of the data being furnished by the Petitioners.

(xvi) Respondents disagreed with the submission of the Petitioners that the manufacturing process employed by it is similar in nature to those of the Exporters same as being incorrect. The Petitioner's attempt to use this process to justify a wide scope of products as being under investigation does not warrant consideration in as much as quality control and installations, rejection rate, data evaluation, references, qualification of the personnel are also important parts which are evaluated by customers of seamless pipes and tubes in the oil and gas business, in particular for offshore application.

(xvii) The Petitioner's reference to the API license also does not support the plea of the Petitioner. Respondents have mentioned that customers establish and maintain their own list of qualified suppliers depending on the usage of the pipes therefore the Petitioners are not qualified and/or unable to deliver the quality requested for the product described in Paras. 36-39 of the Written Submissions dated 20.12.2013.

Constitution of the Domestic Industry

(xviii) In the present investigation the Petitioners do not satisfy the requirement of representing a '*major proportion*' of the domestic industry. In a trade remedy investigation such as safeguard investigation or dumping investigation, merely having more than 50% of the total production is not sufficient to claim '*major proportion*' of the total production thereby entitling the petitioners to file as the domestic industry.

(xix) Respondents relied upon their earlier submissions made in its Written Submissions and which are not repeated herein for the sake of brevity.

(xx) Respondents relied upon the Appellate Body decision in DS 397 – EC Steel Fasteners wherein while interpreting Article 4.1 of the WTO Agreement on Anti-Dumping which is pari-materia with Article 4.1(c) of the WTO Agreement on Safeguards held that *"The absence of a specific proportion does not mean, however, that any percentage, no matter how low, could automatically qualify as "a major proportion". Rather, the context in which the term "a major proportion" is situated indicated that "a major proportion" should be properly understood as a relatively high proportion of the total*

domestic production. Specifically, when read in the light of the phrase "the domestic producers as a whole", the term "those of them" in the second method for defining the domestic industry clearly refers to those producers among "domestic producers as a whole".

(xxi) The ruling in the case of *European Communities – Definitive Anti Dumping Measures on certain Iron or Steel Fasteners from China relied upon by the Domestic Industry* is in favour of the submissions advanced by respondents. The quoted portion by the Domestic Industry reveals that major proportion should be properly understood as a relatively high proportion of the total domestic production.

Confidentiality and violation of Principles of Natural Justice

(xxii) Respondents submitted that pursuant to the judgment of Hon'ble Supreme Court of India in *Automotive Tyre Manufacturer's Association v Designated Authority*, relevant authorities for anti dumping and safeguard investigations provides for fresh public hearings with the change in the authority. Therefore submissions of the petitioner that the judgment has no applicability in relation to the present investigation in itself contrary to the fact that a second public hearing has been held and therefore deserves no consideration whatsoever.

Increased Imports to India

(xxiii) Respondents reiterated the submissions made in their Written Submissions dated 13.09.2013 & 20.12.2013 and also referred to their additional submissions dated 29.10.2013 regarding the trend of decrease in imports for current year.

(xxiv) As per the indexation provided by the Petitioners, it is absolutely clear that for the years (2009-10::2010-11::2011-12::2012-13::Ann. Apr,12-Jun 13), the figures for imports are (100-112-138-122-119). Therefore, the Petitioner's own data as put forth in the written submissions shows a decrease in imports in absolute terms.

(xxv) The Domestic Industry's own averment regarding Imports as percentage of demand shows an increase from 62% to 64% i.e. a mere 2% increase which definitely cannot be a condition for imposition of a safeguard duty.

(xxvi) The annualized figure for the FY 2013-14 would show that imports are further expected to decrease. It is submitted that as imports show a decrease in trend, the very basis of seeking a safeguard measure falls flat.

(xxvii) Respondents submitted that the figures presented by the Petitioners as the Indian production figures are only that of the complainant and the supporter not the Indian production. Reference is drawn to Para. 6 (page 21) and Para. 5 (page 44) of the Written Submissions filed by the Petitioners. The total figures when taken into account would reveal a different picture and would show that imports as percentage of Indian Production has also shown a decrease.

(xxviii) It is submitted by the respondents that even for Import as percentage production there is a drop in the same when compared for the years 2011-12 & 2012-13. Given the fact that imports (annualized) for the year 2013-14 is also showing a drop, the import as percentage of production will further drop.

(xxix) The Domestic Industry's allegation regarding increase in imports from EU is grossly erroneous. Respondents pointed out the error in data in respect to volume, price and classification in their written submission.

(xxx) Respondents submitted that total imports from the EU are decreasing continuously according the Eurostat statistics and even reach a very low level over the first 6 months 2013.

(xxxi) Respondents noted that the Petitioners continued to use the reference to the same statistics even after the claim of respondents regarding the incoherence between the Indian and European statistics.

(xxxii) Vallourec and Tubos stated that as per the claim of the Petitioner as constituting the domestic industry in India and having major proportion, the Petitioners ought to have considered the data

provided by them as facts and they should have admitted that the tonnage and prices could not be possible for such quantities. In the absence of any consideration or response to the data presented by them shows that the Petitioners are not keen to address the facts as it evident.

Low pricing of imports despite increase in raw material prices

(xxxiii) As regards to low prices of import despite the rising raw material prices is concerned, respondents reiterated their post hearing submissions and additional submission dated 29.10.2013

(xxxiv) Respondents submitted that there is no reason as to why the Indian cost have increased in the same period and further that it is not a consequence of the raw material evolution.

(xxxv) As regard to low export price to India is concerned, export sales were made to the Indian market through the process of International Competitive Bidding ("**ICB**"). This means that under bidding all the participants bid for the projects in accordance with strict terms and conditions that are specified in the Tender Bidding Documents. The overseas suppliers and the domestic producers do not really enjoy much discretion to fix their prices in an open competitive system, but are primarily impelled by the buyer to offer low prices independently of any pricing policy that may be pursued by the suppliers in a free market. Therefore the supply and export product for consumers like ONGC and the volumes are driven by the demand for the subject goods by ONGC only.

Unforeseen Developments

(xxxvi) Respondents maintained that the Domestic Industry has failed to show any unforeseen developments that necessitate the levy of a safeguard measure. They relied upon their earlier written submissions.

Serious Injury and Threat of Serious Injury

(xxxvii) Respondents submitted that the Petitioners not suffered any serious injury and relied upon their earlier submissions which address the claims of injury and threat of injury of the Domestic Industry under each of the heads stated by the Petitioners.

(xxxviii) As per the information submitted by the Petitioners themselves, domestic sales have increased over by 100-106-112-96 for the FY's 2009-10, 2010-11, 2011-12 & 2012-13. The decline in sale for the FY 2012-13 is in consonance with the decline in imports for the said FY.

(xxxix) As regards market share in demand for the Petitioners, the same has actually remained more or less the same over the FY's 2009-10, 2010-11, 2011-12 & 2012-13 as 47-46-43-38. The minute dip in market share is on account of the fact that the Petitioners are unable to meet the demands for certain grades of PUC and it is but natural that for such requirements, imports will have to fill in the vacuum.

(xl) Perusal of Annexure 10 reveals that employment of the Petitioners have increased in the following sequence for the FY's 2009-10, 2010-11, 2011-12 & 2012-13 (3588-4010-4380-4884). It is submitted that recruitment of new employees is one of the vital indications that the Petitioners are doing well.

(xli) Maharashtra Seamless Ltd.'s ("MSL") Annual Report for the FY 2010-11 reveals that t*he Company achieved a record net profit of Rs. 341.66 Crores*

(xlii) A conjoint reading of the Petition suggests that a case is being made out for dumping rather than imposition of safeguard measures.

(xliii) Annual Report of ISMT and MSL for the FY2009-10 and 2011-12 revealed dumping of the goods from China at low price.

(xliv) According to the Annexure to Rule 8 of Safeguard Rules, when factors other than increased imports are causing injury (for instance, dumping), then such injury is not to be attributed to increased imports and accordingly the Director General should refer the matter to the Authority of anti dumping or countervailing duties.

Causal Link

(xlv) Respondents reiterated their post public hearing written submissions.

Adjustment plan

(xlvi) The Petitioners have failed to disclose in their Petition any information in relation to the efforts and measures being taken by the Domestic Industry to make positive adjustments with details of progressive liberalization claiming it to be "business proprietary information and not amenable to summarization".

(xlvii) The failure to disclose information in relation to the efforts and measures being taken by the Domestic Industry to make positive adjustments with details of progressive liberalization is in violation of Rule 5(2)(b) of the Safeguard Duty Rules.

(xlviii) On instruction of Director General of Safeguard the petitioners provided the restructuring plan. The said restructuring plan does not disclose any data or statistics, claiming the same to be "Business Proprietary information, not amenable to summarisation.

(xlix) The limited disclosure of the proposed restructuring plan submitted by the Domestic Industry, shows that the same is based on efficient management of resources by the Domestic Industry, such as better utilization of raw materials, power and energy, and personnel, as well as better inventory management, reduction of production and processing costs, etc., rather than ensuring any real structural adjustments.

(l) The proposed restructuring plan does not disclose the methods that will be used by the Petitioners in order to achieve the goals stated therein. In absence of disclosure of such methodology, it is incomprehensible how such plans for increasing efficiencies would practically translate into ground realities.

Public Interest

(li) The Petitioner admitted that low price of imports as being a cause of alleged injury and thus Director General Safeguards is not the competent body.

(lii) The claim regarding drop in employment is also misplaced in as much as the Petitioner's own data in the Petition show substantial rise in employment levels.

(liii) The repetitive averments made under in respect of public interest had been earlier addressed in the submissions and the Petitioners have not provided new fact or figures that can possibly support its claim for levy of duties

D. CHINA IRON AND STEEL ASSOCIATION (CISA) & *M/S RAMA CYLINDERS PRIVATE LTD (REPRESENTED BY LAKSHMI KUMARAN & SRIDHARAN)*

(i) The submissions made earlier in preliminary injury submissions, additional injury submission, written submission pursuant to first or second public hearing or rejoinder are reiterated and not reproduced for the sake for brevity.

(ii) Respondents submitted that even after getting so many opportunities the Applicant Domestic Producers have failed to clarify why the specific instances cited by respondents have been included in the import statistics though those were relating to excluded grades.

(iii) Despite exclusion of some of the grades by the Applicant Domestic Producers, same are appearing in the revised import statistics so filed. List of some of the product grades are listed below:

i. ASME SA 213,
ii. ASME A 213
iii. L-80

Inclusion of such excluded product types has marred the entire injury analysis. Unless correct import data and revised injury factors are made available to the interested parties including Respondents, it would not be possible to file an effective rejoinder and make comments.

Product under consideration" and 'like article'

(iv) Product under Consideration" ("PUC") and "Like Article" are two different aspects of a safeguard investigation though linked with each other. No explanation has been given by the Applicant Domestic Producers with respect to items excluded from the product under investigation so defined. Reasons for exclusions are not known such as whether the exclusion of such grades was due to

the fact that these were not manufactured by the domestic industry or because the same products were imported by the Applicant Domestic Producers or no import of such grade is taking place. To oppose the exclusion where valid reasons are provided is not only unwarranted but also illogical.

(v) Respondents submitted that merely because domestic industry has the capacity to produce wide range of dissimilar products does not mean that all such products can be bundled together.

(vi) Applicant Domestic Producers have sought to cover pipes used in oil and gas exploration and pipes used in ball bearing industry together. It is an undisputed fact that such products cannot be used interchangeably. There exists a lot of difference with respect to tensile strength, special operation, end usage, perception of customers between the two products. Thus, bundling of such dissimilar products is unwarranted.

(vii) Respondents have relied upon the WTO: DSB Panel Report in DS-54/55/59/64 Indonesia-Certain Measures affecting the Automobile Industry, wherein Panel refused to accept lumping of all such products together where the differences among the products are so dramatic.

(viii) The safeguards measures can be applied only in respect of those products which are imported and causing injury to the Domestic Industry. Appellate Body Report in the US-Lamb Safeguards investigation, which was also relied upon by domestic industry in its written submission it was held that the legal basis for imposing a safeguard measure existsonly when imports of a specific product have prejudicial effects on domestic producers of products that are like or directly competitive with that imported product.

(ix) Safeguard measure may be resorted to only in situations where imports of a specific product have prejudicial effects on domestic producers of like articles Respondents reiterated that in the present investigation, domestic industry is incapable of producing certain products or cannot compete for such products due to technical reasons (as admitted by domestic industry during oral hearing), which rendered them disqualified from ONGC Tender process.

(x) Letter from Petroleum and Explosives Safety Organization Letter No. G.3(42)515/VI dated 23.05.2013 dated 23.05.2013 proves that there are no Indian producers for high pressure seamless steel gas cylinders.

(xi) Once the Government of India confirmed this fact, no contrary finding can be made. Therefore, it must be deemed under the law that no Indian manufacturer can manufacture and supply such goods in India.

(xii) The Applicant Domestic Producers have admitted that they do not have the required approval to manufacture tubes and pipes for high pressure gas cylinders. It is further stated by them that due to low priced imports it was imprudent for them to obtain the required approval. It is an illogical submission by the Applicant Domestic Producers.

(xiii) The approval from the concerned government agency is not dependent on the pricing of the goods; it is dependent on the capacity and capabilities of the producer to manufacture such tubes and pipes. Because of incapability, the Applicant Domestic Producers have not sought and got the approval to manufacture such goods.

(xiv) Wherever any product is excluded from the PUC, the volume and value of the same must also be excluded from the total import volume and value to arrive at correct volume and value of the PUC.

Like Article

(xv) The Domestic industry has submitted that the finding of the United States International Trade Commission (USITC) with regard to the investigation into imports of Certain Oil Country Goods(Inv. Nos. 701-TA-499-500 and 731-TA-1215-1223) that ERW Pipes and Seamless Pipes were like articles was on account of the goods being specifically included in the scope of the product under consideration. This is an incorrect claim. The USITC has specifically carried out an examination whether ERW pipes and tubes are “like” article to the Seamless pipes and tubes. The examination

was not based on the fact that ERW pipes and Seamless pipes were included in the PUC, but this examination was an independent examination for determining the like article.

(xvi) An article may be included in the "like" article even if the same article is not included by the Domestic Industry in the "product under consideration" for one or other reasons such as no import of that article. "PUC" and "like article" are two different aspects of an investigation. "PUC" and "like article" are not co-extensive.

(xvii) The Designated Authority in Final Findings No. 14/1/96/Anti-dumping Duty dated March 19, 1998 held that though PUC is only Pure Terephthalic Acid (PTA), however, like article included DMT also.

(xviii) The claim that at such belated stage the scope of the product and investigation cannot be enlarged. It is submitted that the interested parties have not claimed any enlargement of the product scope. The product scope has been defined based on the volume and prices of the import of such product. Based on such product scope, interested parties such as importers/exporter/users participated in the investigation.

(xix) It is never necessary that like article is limited to and equal to product under investigation. If both are one and the same then there is no need for any definition of like article and to make a determination a separate determination for "PUC" and "Like Article" accordingly. All articles which satisfy the criteria of 'like' article are to be included in the investigation for the purpose to correctly determine the standing of the Applicant Domestic Producers as Domestic Industry and injury, if any.

(xx) Investigation is a continuous process. The DG Safeguards is required to make a determination about the like article during the investigation till the end of the investigation. It is not the requirement of law that if once the DG Safeguards made an incorrect determination of like article on the basis of the submission of the domestic industry that will not be changed during final decision. The DG Safeguards will take a final decision on like article only in its Final Findings.

(xxi) The claim of the domestic industry at para B.6 of written submission that the domestic industry has been at the forefront of providing the latest technology and the highest quality output to the Indian user industry is factually incorrect. In fact BHEL made a presentation during the public hearing claiming that it has serious quality concerns on the products supplied by the domestic industry. Also Domestic industry has lost tender bids to foreign suppliers due to low quality of its products as compared to good quality products supplied by the foreign suppliers.

(xxii) In Safeguard Duty Investigation against imports of Aluminium Flat Rolled Products and Aluminium Foil into India from People's Republic of India-Final Findings dated 29th May, 2009, DG Safeguards while holding that definition of domestic industry should be product based and not producer based, excluded various products, which were not manufactured by applicants and did not treat such applicants as domestic industry for such excluded products.

(xxiii) As claimed by the domestic industry at para B.5 of its written submission that all tenders by Indian users clearly specify the requirement of "Seamless Pipes" or "ERW Pipes" separately. Tenders and Bids floated by all Indian users such as ONGC, GAIL, IOCL, BPCL do not permit alternative supply of "ERW" pipes in place of "Seamless pipes" and the application in India are clearly defined as "only" seamless or "only" ERW *which is different from the other jurisdictions*. It is submitted that the claim of the domestic industry is illogical. Simply because tenders are floated by the Indian users such as ONGC, GAIL, IOCL, BPCL for supply of seamless pipes or ERW separately, it does not in any way imply that the two products are not like products. Further, it also supported the fact that in other countries the "ERW" and "Seamless" pipes and tubes are treated alike. However, it may be noted that though separate tenders are issued but for the same application. It is not the submission of the Applicant Domestic Producers that the goods are used also at different places. The DG Safeguards is requested to seek information from the buyers who are Central Government Public Undertakings only such as ONGC, GAIL, IOCL, BPCL what are the substantiated technical and commercial considerations to seek tenders separately for "ERW" and "Seamless" tubes and pipes.

(xxiv) During hearing an issue raised by the Respondents that the Applicant Domestic Producers have not demonstrated in response to which specific obligation that India incurred during 1994 imports of

the subject goods increased. The silence of the Applicant Domestic Producers is an admission that they failed on that count.

(xxv) Respondents submitted that there are no increasing imports due to existence any unforeseen developments and India's obligation incurred during 1994, no causal nexus exists between assumed increased imports and injury to domestic industry, which are the pre-requisites before any safeguard measure can be imposed. Also, imposition of safeguard measure will not be in public interest since domestic industry neither has capability to cater to wide range of demand that user industries have nor the quality of products sold is good quality.

14. Rejoinder Submission by the DI.

A. M/S ISMT LTD, M/S JINDAL SAW LTD (M/S MAHARASHTRA SEAMLES LTD AS SUPPORTER)

Failure to provide mandated information:

(i) The petitioners submitted that the Domestic Industry has fully complied with the direction of the Hon'ble Director General (Safeguards) and has filed all the requisite data upto the most recent period of Q1- 2013-14(FY) in the formats of the Hon'ble Director General (Safeguards) and has also provided the import data for the period of Q1- 2013-14(FY).

(ii) The non-confidential version of the data has not only been filed with the Hon'ble Director General (Safeguards) to be placed in the public file but has also been circulated to all the known opposing interested parties, within the limitation prescribed by the Hon'ble Director General (Safeguards) on 9thSeptember, 2013 the communication dated 29th August, 2013 . The opposing interested parties have been granted sufficient opportunity to comment upon the same and any claim to the contrary is unjustified.

Unforeseen Developments

(iii) There is not an iota of evidence placed on record by the opposing interested parties to establish that the requirement of unforeseen circumstances prior to initiation is a mandatory requirement.

(iv) There is no provision under the WTO or the Indian legislations requiring unforeseen developments to be established at the stage of initiation and in fact, even the questionnaire format prescribed by the Hon'ble Director General (Safeguards) does not require the applicant to provide the same.

(v) The WTO Appellate Body in *Argentina – Footwear(WT/DS121/AB/R dated 14th December, 1999)* held that the requirement of "unforeseen developments" did not establish a separate "condition" for the imposition of safeguard measures, but described a certain set of "circumstances.

(vi) The jurisprudence regarding 'unforeseen developments' stipulates that it is a criterion required at the time of imposition of the measure. The same is also evidenced by the fact that none of the Initiation Notifications issued by the Hon'ble Director General (Safeguards) in previous investigations expounds upon unforeseen circumstances and there has been no challenge to the same at the Hon'ble Director General (Safeguards).

(vii) The Domestic Industry has also provided adequate evidence regarding unforeseen circumstances in the Petition at Pages 13 -14 clearly submitting the unforeseen developments that have attributed to the increased imports. Hence, the claim of the opposing Interested Parties that there is no information on unforeseen circumstances is baseless and factually incorrect.

(viii) An Additional Communication dated 21st October, 2013 on Unforeseen Developments and Public Interest was filed by the Domestic Industry which was not only received by the interested parties but the Interested Parties made their comments to the said Additional Communication on Unforeseen Developments and Public Interest.

Unforeseen Trade Remedial Actions

(ix) The Domestic Industry has demonstrated the manner in which, as a result of the unforeseen trade remedial actions on imports by major consuming sources such as US and EU, especially against

imports from China, resulted in diversion of these imports to India, leading to a surge in imports into India.

(x) Trade remedial actions in various markets have already been considered as a determinant of 'Unforeseen Development' by the Indonesian Safeguards Authority(G/SG/N/8/IDN/14; G/SG/N/10/IDN/14).

Unexpected drop in consumption in European Markets

(xi) The drop in consumption in the EU markets was unexpected and as a result of the unexpected slow-down in the EU markets, the consumption in EU declined and producers from EU became export-centric and have resorted to focus on large-scale exports to growing markets such as India and China.

Additional Capacities in China PR and new capacities planned in EU

(xii) The Chinese have been increasing capacities despite sanctions from various major markets which are leading to further diversion of imports to India.

(xiii) The sudden decline in consumption in major markets such as EU and the trade remedial actions by other consuming markers was unforeseen and the increase in capacities was utilized for exports, leading to the increased imports of the subject goods into India. The same has been demonstrated at paragraph F(9-19) of the Written Submissions dated 12th December, 2013.

(xiv) The submission that new capacities are not capable of producing the product under consideration, however, the interested parties have not provided an iota of evidence to substantiate the claim.

Unforeseeably low pricing of imports despite increase in raw material costs

(xv) The raw material prices were increasing throughout the course of the Period of Investigation, however, despite the global increase in raw material prices, the import prices do not commensurate with the increase in cost of to make and sell product under consideration in India. As India is a price sensitive market, the low priced imports were well received by the consumers.

Violation of Principles of Natural Justice and Confidentiality

(xvi) It is denied by the Domestic Industry that they had not filed the Adjustment Plan and the Questionnaire Response till after the Public Hearing.

(xvii) The Domestic Industry has filed the individual Adjustment Plan for each company prior to the public hearing vide communication dated 29th August, 2013.

(xviii) As per the provisions of confidentiality under Rule 7 of the Safeguard Duty Rules, the Domestic Industry has provided the complete information and has requested proprietary information that is not available in the public domain to be kept confidential, as the disclosure will be harmful to the interests of the company.

Import Data Methodology and Variation

(xix) The import quantities and values considered in the Petition were on the basis of the transaction-wise import data collected from the Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics ("DGCI&S") located in Kolkata. The Domestic Industry had provided complete disclosure of the methodology along with sample transactions to explain the process of consideration of transactions as part of the import data of the product under consideration at Annexure 5 of the Application. It is submitted that the import data has been collected in an accurate manner.

(xx) The consideration of EU Data does not arise in light of the transaction-wise import data being available with the Hon'ble Director General (Safeguards) and the submission of the Interested Parties is liable to be ignored.

(xxi) M/s. NEI has claimed that import data submitted by the Domestic Industry contains extraneous data under chapter headings 73.04, 73.06 and 98.01. It is submitted that the entries of the imports of the subject goods were observed under the other so-called extraneous chapters of 73.04, 73.06 and 98.01 which were collated from the DGCI&S data.

(xxii) As regards to the variation between the sales figures in the Petition and the Verification Report, the Hon'ble Director General (Safeguards) has appropriately considered the data of the Domestic Industry and has re-evaluated the sales as per its consistent practice. The same has also been clearly provided in the Notice of Initiation and appropriately provided to all opposing Interested Parties. Hence, the claim of the opposing Interested Parties pertaining to the discrepancy in the figures is appropriately and adequately explained and full disclosure has been made to the opposing Interested Parties.

Product under Consideration and 'Like Article'

(xxiii) The Domestic Industry submitted that in the case of Dominican Republic - Bag and Fabric Safeguards (WT/DS415/R, WT/DS416/R, WT/DS417/R, WT/DS418/R dated 31 January, 2012) the WTO Panel held that there is no provision in the Agreement on Safeguards that governs or mandates the selection, description, analysis or determination of the product under consideration.

(xxiv) In the recently initiated investigation by the United States International Trade Commission (USITC) into imports of Certain Oil Country Tubular Goods the product under consideration was defined as "oil country tubular goods" which are not classified under a single specific HS-Classification.

(xxv) In the instant case, the scope of the product under consideration has been specifically defined to include those products and their "like articles" specifically manufactured by the Petitioners and is not vague in any manner and adequately covers the range of the products sought to be included in the investigation.

(xxvi) The Domestic Industry has provided in detail the methodology defining the scope of the product under consideration in the Petition itself. It is submitted that the Notice of Initiation as well as the Petition clearly and definitively provide the scope of the product under consideration and the various chapter headings provided in the Notice of Initiation are only indicative of the different headings under which the goods can be imported, however, it does not tantamount to being a distinct or different product merely on the ground of different types and uses, as claimed by the opposing Interested Parties.

(xxvii) The other Interested Parties have not placed on record any evidence to establish that the subject goods are not capable of being imported simultaneously under different chapter headings noted in the Notice of Initiation.

Allegation on Wider Scope Definition leading to incorrect Product Definition

(xxviii) It is an established fact that the Domestic Industry not only has the capacity to manufacture and sell the complete range of the product under consideration, it has actually manufactured and sold all the goods for which the Interested Parties have unfairly sought exclusion from the scope of the product under consideration.

(xxix) The production process followed for the manufacture of the different types and grades is similar and the subject goods are manufactured in the same plant. It is submitted by the Domestic Industry that the chapter headings for different grades are not distinct or separate due to the grade or application of the pipe or tube.

Claim of Exclusion of certain grades from scope of investigation

(xxx) The Domestic Industry has clearly provided information relating to production and sales of the said grades along with relevant evidence in the form of invoices for sample sales to examine the production and sales capacity of the Domestic Industry.

Manufacture of High Pressure Cylinders

(xxxi) It is submitted that the Indian Industry have the capability to manufacture the high pressure seamless steel gas cylinder pipes and tubes. The standard sizes of seamless tubes used for manufacturing high pressure gas cylinders (OD x THK): 108 x 3.2, 139.8 x 4.2, 165.1 x 4.4, 232 x 5.4, 267 x 6/7.5, 273 x 7.6. The Domestic Industry has provided ample evidence, such as the enclosed test certificates for the purchase order placed on producer attached at Annexure 1 – Confidential**,** for supply of High Pressure Cylinder Tubes to establish that production capability of the Indian Industry to manufacture the said high pressure cylinders

Exclusion of Rifled Tubes

(xxxii) *Rifled tubes* are a type of boiler tubes, itself manufactured and sold by the Domestic Industry. M/s BHEL has not only bought but also, used rifled tubes manufactured and sold by M/s ISMT close to the tune of 1200 tonnes in 2010-11 and about 2741 tonnes in the entire injury period from 2009-10 till the Q1-2013-14.

(xxxiii) It had merely temporarily put on hold further procurement for some techno-commercial reasons. The Invoices of purchases made by M/s BHEL of *Rifle tubes* from M/s ISMT Ltd and other credible boiler manufacturers in the country have continued buying rifled tubes from the Domestic Industry have been provided to the Director General (Safeguards) vide Rejoinder Submissions dated 20th September, 2013

Supply to NEI Ltd

(xxxiv) It is denied that there is any regular supply or quality constraints with the subject goods supplied by the Domestic Industry. M/s NEI Ltd. has been regularly procuring the subject goods from the Domestic Industry and in 2012-13 has procured about 219 MT for a total value of about Rs. lacs 190 and in Q1-2013-14 has procured about 175MT for a total value of about Rs. lacs 144. Out of total procurement, M/s NEI has returned a small quantity valued at about 8 lacs, *which is about 1.2% of the total value procured by M/s NEI.*

(xxxv) There are several other domestic manufacturers of bearings which have larger domestic share of production than M/s NEI and M/s NEI cannot claim to be a representative of the entire Indian Bearings Industry. The recent invoices for sale made to other bearing manufacturers have been provided to the Director General (Safeguards) vide Written Submissions dated 21st December, 2013.

(xxxvi) It is also to be noted from the information provided by M/s NEI as regards impact on certain allegedly lower prices for the symbols/ grades relied upon by the Domestic Industry. It is submitted that the Domestic Industry has relied upon the price-lists of M/s SKF and the evidence in this regard has already been submitted to the Director General (Safeguards)

(xxxvii) The pricelist is a wide market driven prices which are reflective of the competitive pricing market. Further, as regards the invoices of M/s NEI are concerned, the commercial consideration between the said parties and NEI are not known therefore they cannot be relied upon.

(xxxviii) It remains unanswered as to why M/s NEI is attaining such lower prices, when other domestic producers are reporting significantly higher prices for the same grades. Clearly, the information provided by M/s NEI is not reliable and is liable to be disregarded.

Submissions made on behalf of Exporters from Japan Alleged Superior Quality

(xxxix) There is no evidence placed on record to establish that the subject goods exported to India by the Japanese Exporters are of superior quality or are dissimilar from the subject goods manufactured by the Domestic Industry.

(xl) No disclosure has been made by the Exporters on the precise standards or the manufacturing process and the absence of such disclosure clearly establishes that there is no real difference and the claim of the Japanese Exporters to the contrary is false and uncorroborated.

Exclusion on Grounds of Higher Price and Quality

(xli) The instant case is that of safeguards investigation and not an anti-dumping investigation, whereby the duties are levied on imports of all products, the exclusion of exports from Japan on the alleged grounds of quality as claimed by the Exporters is contrary to the basic principles of non-discrimination enshrined in the WTO law on Safeguards

(xlii) The Japanese Exporters have merely made claims of some alleged "cutting edge technology". In the case of *Safeguard investigation concerning imports of Carbon Black – Final Findings* dated 31st July, 2012, the Director General (Safeguards) examined that the production process in China for the manufacture of carbon black, which depended upon Coal Tar Oil was different and even less costly as compared to the production process of the Indian industry, which relied upon Carbon Black Feed Stock, however, the Director General (Safeguards) considered the same as like articles and imposed the safeguard duties.

(xliii) The mere fact of higher price cannot be the sole determinant factor for exclusion of the articles, and the alleged higher prices can be on the basis of varied reasons included favourable contracts or high freight costs for transport.

(xliv) The Domestic Industry manufactures the entire range of products in the scope of the Product under Consideration and the imports from Japan are technically and commercially substitutable with the subject goods manufactured by the Domestic Industry, and are directly competing with the customers of the Domestic Industry.

(xlv) As regards the reliance placed on the submissions of M/s BHEL and M/s NEI, the Domestic Industry has already submitted its rejoinder to the same at appropriate sections in the present submissions and the Exporters from Japan have no real locus to submit the issues of M/s BHEL and M/s NEI.

Price Effect relevance in Safeguards

(xlvi) The submission of the Japanese Exporters that price effect on the Domestic Industry is not relevant in a safeguard investigation is directly contradictory to the earlier submission claiming exclusion of Japanese exports on the ground that they are high priced imports.

(xlvii) The claim that price injury can be addressed only in an anti-dumping investigation is against the basic tenet that anti-dumping and safeguards remedies can be applied without prejudice to each other and there is no restriction on even the simultaneous application of safeguard and anti-dumping duty.

Claim for Segregation of PUC on Application/End-Use

(xlviii) The Exporters have not segregated the data pertaining to their exports to India in accordance with end uses or grades in the Exporters Questionnaire submitted to the Director General (Safeguards). It is settled position of law that one who seeks equity must do equity and the Exporters have not approached the Director General (Safeguards) with clean hands and are unfairly attempting to cast aspersions on the data submitted by the Domestic Industry.

Exclusion of Japanese Exports from Levy

(xlix) The Interested Parties, including exporters from Japan have repeatedly sought exclusion of the imports from the imposition of safeguard duty on the basis of Section 8B(1).

(l) It is respectfully submitted that the contention of the Interested Parties is wholly untenable and against the basic principles of safeguards, which is enshrined in Article 2 of the WTO-Agreement on Safeguards which mandates that the safeguard duty is to be applied irrespective of source.

(li) The exemption of levy of safeguard duties is applicable only in the case of a "developing country" and is not available for developed countries such as Japan.

(lii) The exclusion of "such quantity" from the levy of duty is only applicable in case of the recommendation or imposition of safeguard duties on the basis of a quota.

Inclusion of Non-Seamless Pipes and Tubes

(liii) The claim for inclusion of welded pipes and tubes using electrical resistance welding ("ERW pipes") within the scope of the investigation as *'like articles'* is liable to be rejected as fictitious and baseless.

(liv) The Interested Parties have themselves submitted that the product scope is too wide, hence, inclusion of ERW pipes would definitely amount to widening the scope of the product under consideration and the same is contradictory to the submission of the opposing Interested Parties themselves.

(lv) In the context of Anti Dumping, in United States – final dumping determination on Softwood Lumber from Canada (WT/DS264/R), the WTO Panel considered that the "like product" to the product under consideration has to be determined on the basis of Article 2.6, but that this provision does not provide any guidance on the way in which the "product under investigation" is to be determined.

(lvi) The claim of the opposing Interested Parties is based on the Finding of the USITC concerning "oil country tubular goods". The product scope in the said investigation, specifically included ERW Pipes and Tubes as "Oil Country Tubular Goods".

(lvii) The USITC held that Welded and Seamless products are interchangeable for oil exploration applications. The opposing Interested Parties have also admitted to the limited common inter-changeability of ERW and Seamless Pipes and have not been held to be *like articles* otherwise.

(lviii) The finding of the USITC for ERW Pipes and Seamless Pipes to be *like articles* in the said investigation is on account of the goods being specifically included in the scope of the product under consideration, which in the instant case is limited to Seamless pipes and Tubes and cannot include the ERW pipes or tubes.

(lix) All tenders by Indian Users clearly specify the requirement of "Seamless Pipes" or "ERW Pipes" *separately*. Tenders and Bids floated by all Indian users such as ONGC,GAIL, IOCL, BPCL do not permit alternative supply of "ERW" pipes in place of "Seamless" pipes and the application in India are clearly defined as "only" seamless or "only" ERW which is different from the other jurisdictions.

(lx) A copy of a recent tender floated by M/s ONGC attached with the Written Submissions dated 21st December, 2013 which clearly shows that the tender specifications clearly and unambiguously provide for procurement of "Seamless pipes only" and there is no permission to alternatively supply welded or ERW pipes.

(lxi) At Annexure 2 – Confidential copies of separate tenders raised on ERW and Seamless line pipe are attached which clearly establish that ERW pipes and Seamless Pipes are not "like articles" in India.

(lxii) The Indian User Industry does not permit the use of seamless pipes and ERW pipes *interchangeably* and they are not 'like articles' Hence, the inclusion of "ERW" pipes within the scope of the investigation is erroneous.

Participation in Trial and Development Tenders

(lxiii) The Domestic Industry denied the claim of the opposing Interested Parties that they are not qualified to manufacture certain products as it is participating in trial and development tender.

(lxiv) The Domestic Industry submitted that Annexure IV of the Bid Documents floated by ONGC provides for the "Bid Evaluation Criteria" (BEC) clearly provides that suppliers should have

manufactured/processed/threaded and ultimately supplied material of a minimum quantity to ONGC or other oil exploration companies. The Standard Booklet 1: Standard terms & conditions for global procurement of goods" of ONGC at Paragraph 51 provides that domestic bidders who have not supplied to ONGC are required to place "development orders" with ONGC.

Alleged Disqualification of Domestic Industry

(lxv) The Domestic Industry has been suppliers of large quantities to ONGC in the injury period and provided the following information to establish that the domestic industry has not only bid on tenders floated by ONGC but has also successfully supplied and completed the orders.

Sr. No.	Name of the Petitioner	Details of Enclosure
1	ISMT Ltd.	ONGC order no. DZ-PR0029 dated 6.2.04 towards supply of 9-5/8" OD Casing Pipes of Q-125 grade
2	ISMT Ltd.	Notification of Award no. DLI/CHMM/EUE/ZNTKC 12003/Non-PEL/4010071915 dated 26.6.13 from ONGC towards supply of 2-7/8" OD Tubings and Pup Joints of L-80 & N-80 grades
3	Jindal Saw Ltd.	ONGC order no. 4010065915 dated 16.10.12 towards supply of a) 2-7/8" OD P-110 grade, b) 3-1/2" OD L-80 grade and c) 3-1/2" OD L-80 grade Tubing and Pup Joints
4	Jindal Saw Ltd.	Notification of Award dated 26.6.13 from ONGC towards supply of 5-1/2" OD and 7" OD Casing Pipes of L-80, N-80 and P-110 grades
5	ISMT Ltd.	Invoice no. DAJ1147417 dated 8.2.12 towards supply of 7" OD P-110 grade Casing Pipe to Oil India Ltd.
6	ISMT Ltd.	ONGC order no. DZ-PR0029 dated 6.2.04 towards supply of 9-5/8" OD Casing Pipes of Q-125 grade
7	Jindal Saw Ltd.	ONGC order no. 4010055614 dated 19.1.11 towards supply of 114.3MM OD x 7.9MM THK Line Pipes of X-46 grade

(lxvi) The Domestic Industry submitted that although ONGC is a major consumer of the product under consideration, they have also made supplies to other consumers including exports. The Domestic Industry has made all efforts to bid and consequently supply them the intended grades. Hence, the claims made by the opposing Interested Parties that the participation by the Domestic Industry in Trial/Development Order is due to technical incapacity or and lower quality production is fallacious and misrepresentative.

(lxvii) The exporters in other countries have found this country to be attractive to sell the subject goods due to free capacities available or due to imposition of duties from other jurisdictions. This has led the Domestic Industry to have lost contracts on certain grades particularly sourced by ONGC and other domestic oil exploration companies and has also affected the repeated orders of some of these grades sourced by the said companies.

(lxviii) There are certain conditions placed in the bidding request which prevents an interested party to bid for an order. This essentially restricts the interested bidder from placing a regular bid on technical grounds due to non-supply in the last five years.

(lxix) There have been impediments both from the voluminous undercutting of imports of subject goods from imported sources as well as strenuous conditions placed in the bidding document which has not permitted the Domestic Industry to be successful bidders vis-a-vis competitors for the supply of certain grades to certain tenders floated by ONGC. It was submitted that non supply of some specific grades does not tantamount to any deficiency or disqualification on grounds of technical capability or standards of production.

(lxx) The submission filed by ONGC dated 30th August, 2013 clearly explains that the Domestic Industry has not been disqualified by ONGC but has lost out to imports due to sever price under-cutting by the extremely low priced imports and has been forced to resort to Trial and Development Tenders.

Quality Issues and Supply to ONGC and Other Companies

(lxxi) The fact that ONGC has accepted even development orders also proves that there is no incapacity or production standards deficiency as regards the petitioners.

(lxxii) The Domestic Industry has also provided the Director General (Safeguards) with Tubing Test Report from ONGC towards approval of 2-7/8" OD Tubings of L-80 grade for regular supplies provided to ISMT Ltd. which clearly establishes that the Domestic Industry is fully capable of, and has been, supplying the product under consideration to ONGC and other Oil Exploration companies as per the quality and standards required by the said Companies. Hence, the claim made by certain opposing interested parties that the domestic industry is incapable of supplying as per the quality requirements of ONGC is false and misrepresentative.

(lxxiii) ISMT is an accreditedISO 14001:2004 company and has a standard procedure for handling all quality complaints and the complaint by M/s NEI is presently under evaluation and therefore debit note issued by M/s NEI has not even been accounted for in the books of ISMT.

Constitution of the Domestic Industry

(lxxiv) In the case of United States – Safeguard Measures On imports Of Fresh, Chilled Or Frozen Lamb Meat From New Zealand And Australia(WT/DS177/AB/R and WT/DS178/AB/R dated 1st May, 2001) it was held by the Appellate Body of the WTO that the term "major proportion" implies the representative nature of producers making up the domestic industry which is required for imposition of the measure.

(lxxv) In the case of in *US — Wheat Gluten (*WT/DS166/R dated 31 July 2000) the WTO Panel held that data for only two domestic producers was also sufficient for constituting the 'domestic industry'

(lxxvi) In fact, in the case of European Communities – Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China (WT/DS397/AB/R dated 15 July 2011) the Appellate Body explained the major proportion to mean a relatively high proportion of the total domestic production.

(lxxvii) In the Final Finding of Safeguard Duty investigation against imports of Aluminum Flat Rolled Products and Aluminum Foil in to India from People's Republic of China dated 29th May, 2009, the Director General (Safeguards) had held Hindalco which constituted 56% of total domestic production of Aluminum Foil constitutes and represent the domestic industry.

(lxxviii) The Petitioners account for more than 50% of the total production of the subject goods in India and indisputably constitute a *major proportion* Hence, the Petitioners clearly constitute the *'Domestic Industry'* in India for the subject goods as required by Section 8B(6)(b) of the Act and are fully competent to submit the Application for levy of Safeguard duty.

(lxxix) The other known prominent producers of the subject goods M/s BHEL, M/s Remi Metals and M/s OCTL –M/s OCTL and M/s Remi Metals have not participated in the investigation and have not expressed any opposition to the investigation.

(lxxx) M/s BHEL appeared at the hearing and has clearly admitted that it is in fact a user of the subject goods and is involved only in the captive production of the subject goods.

(lxxxi) The various other alleged domestic producers of the subject goods referred by the opposing Interested Parties mentioned below have not filed any Domestic Producer Questionnaire Response, and have not participated whatsoever in the present investigation.

- Mahalaxmi Seamless Ltd.
- Ratandeep Metal & Tubes Pvt. Ltd.
- Heavy Metals & Tubes Ltd.
- Gandhi Special Tubes Ltd.
- Sainest Tubes Pvt. Ltd.
- Patel Airflow Ltd.
- Bhatia Steel Tubes

(lxxxii) The Notice of Initiation is published in the Gazette of India and sufficient notice has been provided to all domestic producers of the subject goods and the onus was upon them to participate in the present investigation, which all other domestic producers have failed to do so, except M/s Maharashtra Seamless Ltd., that has fully co-operated and participated with the Hon'ble Director General (Safeguards).

(lxxxiii) One of the alleged domestic producers "M/s Ratandeep Metal and Tubes Ltd. has admitted to being redrawers of seamless pipes, depending upon the imports of the subject goods and are not engaged in the manufacture the subject goods.

(lxxxiv) The opposing Interested Parties have not even considered providing the production quantities of the said producers and have merely averred that the said producers ought to have been considered as "Domestic Industry".

(lxxxv) M/s Maharashtra Seamless Limited, who is a producer of the subject goods with a market share of approximately 26% also supports the petition and has subjected itself to the jurisdiction of the Director General (Safeguards).

(lxxxvi) M/s Maharashtra Seamless Ltd. has fully co- operated with the Director General (Safeguards) and has also filed the post-initiation Domestic Producer Questionnaire Response with the Director General (Safeguards) within the prescribed time-limit. The Petition as well as the written submissions filed by the Domestic Industry also provides an analysis of the data for the industry *as a whole,* including the data of the supporter.

Standard of 'Domestic Industry' under Safeguards

(lxxxvii) The claim of the opposing Interested Parties the "domestic industry" defined under the Section 8B of the Act and Safeguard Duty Rules and the Customs Tariff (Identification, Assessment And Collection Of Anti-Dumping Duty On Dumped Articles And For Determination Of Injury) Rules, 1995 ("Anti-Dumping Rules") is *parimateria*is not only inaccurate but also irreconcilable with the WTO jurisprudence.

(lxxxviii) Under Section 2(b) of the Anti-dumping Rules the definition of 'domestic requires the express exclusion of importers or exporters or companies related to importers or exporters, which is not provided under the Section 8B of the Act, which includes domestic producers of the "like article or a directly competitive article and also provides for those producers whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share.

(lxxxix) The reliance placed on the decision of the Appellate Body in the case of *EC - Fasteners*, the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of *Reliance Industries vs. Designated Authority* reported at 2006 (202) ELT 23 (SC) and the judgment of the Bombay High Court in the case of *ISMT Ltd vs Union of India* reported at 2011 (270) ELT 19 (Bom), which are in the context of the Anti-dumping Rules is wholly irrelevant and is liable to be ignored. Further, in the earlier

Anti-dumping investigation, only M/s ISMT had participated and whereas M/s Jindal SAW and M/s Maharashtra Seamless had not participated and had not co-operated with the Hon'ble Designated Authority, leading to the termination.

(xc) The Domestic Industry denied that one of the domestic producers that is an importer was excluded in the determination of the total Indian production and also denied that any known domestic producer, which is importing the subject goods has been excluded. The Annexure -1 of the Petition clearly enlists the production of all known domestic producers, on the basis of the public domain information available and no producer has been excluded.

Increased Imports of Subject Goods into India

(xci) The imports have increased in absolute terms as well as in relation to the production, sales and demand, during the injury period:

a. On an end-point to end point-basis, the imports have increased by 19% in Apr'12-Jun'13 as compared to 2009-10, with highest increase by 38% intermittently in 2011-12.
b. Further the imports have increased in proportion to the production and sales of the Domestic Industry as well as the demand in the country.
c. The percentage of imports as compared to the production of the Domestic Industry has increased by 8% in Apr'12-Jun'13 and,

(xcii) The imports clearly show an increased trend in the intervening periods of the Period of Investigation. The imports indicated an increasing trend from 2009-10 to 2011-12 which increased by 38% and thereafter marginally declined owing to the initiation of the investigation by the Director General (Safeguards).

(xciii) It is clearly established that there is a significant surge in imports and the imports have increased suddenly enough, sharply enough, recently enough to not just cause serious injury to the Domestic Industry but also threaten to continue causing such injury.

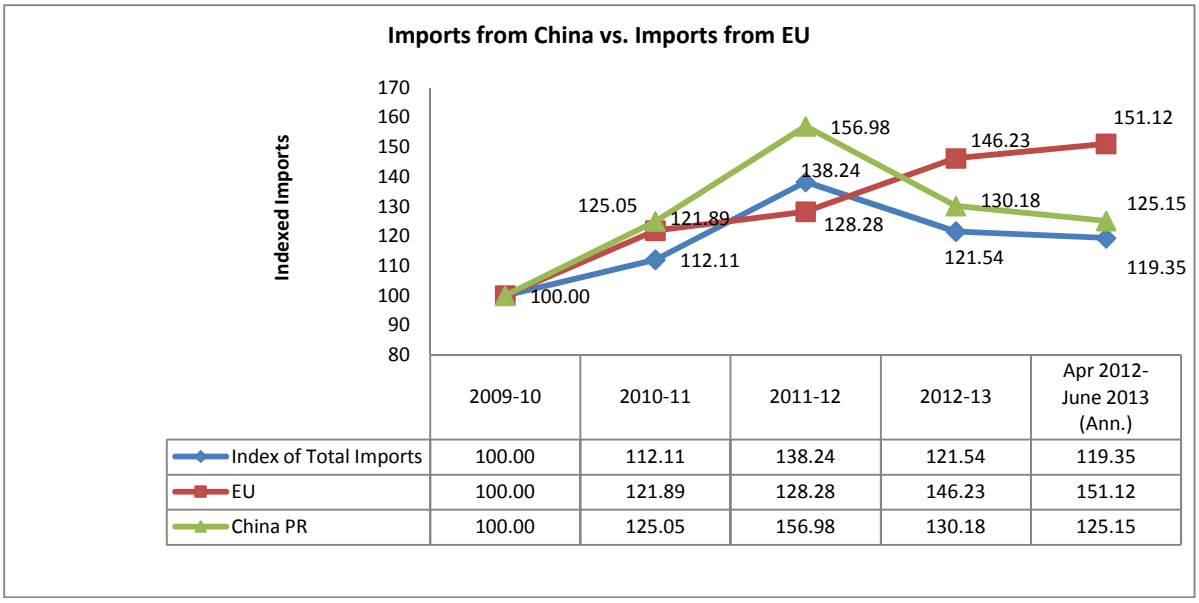
(xciv) The Domestic Industry had filed the application in November, 2012, which coincides with the period that reflects the highest surge in the increase in imports. It was only after and as a consequence of the filing of the application by the Domestic Industry that the imports had marginally reduced, but yet remained at very high levels, in absolute terms as well as in relation to the production, sales and demand in India.

Imports from Other Sources

(xcv) The opposing interested parties in the course of the earlier Public Hearing held on 2nd September, 2013 and the 2nd Public Hearing held on 12th December, 2013 vehemently argued that the Domestic Industry's application was focused on imports from a specific country (i.e. China) and did not warrant a global safeguard measure.

(xcvi) The Domestic Industry submitted that the imports from the European Union in Apr'12-Jun'13(annualized) have shown a sharper increase than Chinese imports and has been constantly on a rise. Imports from European Union have increased by 51% in Apr'12-Jun'13 as compared to 2009-10 whereas imports from China PR have increased by .25% in Apr'12-Jun'13 as compared to 2009-10.

(xcvii) The Indian market would also be susceptible to imports from various other sources in light of various trade remedial actions resorted by major user countries around the world such as EU, US, Indonesia, Mexico.



	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	Apr 2012-June 2013 (Ann.)
Index of Total Imports	100.00	112.11	138.24	121.54	119.35
EU	100.00	121.89	128.28	146.23	151.12
China PR	100.00	125.05	156.98	130.18	125.15

(xcviii) As regards the submission of the Interested Parties concerning the reliance placed on the import data in the application filed before the Hon'ble Designated Authority, it is denied that such data is of any relevance in the instant case. It is respectfully submitted that the import data relied upon by the Interested Parties is dated and pertains to a different product under consideration. Further, the mere fact that there was an alleged dumping in the earlier periods of Financial Years 2005-06, 2006-07, 2007-08 and 1st April, 2008 to 30th June, 2009, in which only 3 months are common with the present injury period, has no relevance or bearing on the present investigation. The claim of the Interested Parties that the same is indicative of any malafides is baseless and against the basic tenet that anti-dumping and safeguards remedies can be applied without prejudice to each other and there is no restriction on even the simultaneous application of safeguard and anti-dumping duty.

Serious Injury and Threat of Serious Injury Production

(xcix) The production of the Domestic Industry has been severely impacted by imports of the subject goods in the due to increasing imports. The production of Domestic Industry in 2009-10 was 224216 MT and increased upto 318968 MT in 2011-12. However, it has significantly declined in 2012-13 to 254316 MT and in Apr'12-Jun'13 (Annualised) to 2,47,827 MT by more than 20% as compared to 2011-12.

Capacity Utilisation

(c) The Capacity Utilisation shows a significant decline due to increased imports. The capacity utilisation of Domestic Industry. In 2009-10, it was 60% and in 2012-13 it is dropped to 37%. Idle Capacity of the Domestic Industry has significantly increased despite increase in demand.

Domestic Sales

(ci) The Domestic Industry sales in 2009-10 were 143,017 MT and increased up to 170,826 MT in 2011-12, however, it has declined steeply in 2012-13 to 141,588 MT and 1,38,726 MT for Apr 12-Jun 13(Annualised).

Demand and Market Share

(cii) The demand of the subject goods has increased over the period of investigation upto 5%. However, the sales of the Domestic Industry have decreased by 1%, whereas the imports have increased by 22%. Hence, the increase in imports is at a greater rate than the increase in demand.

(ciii) It is respectfully submitted that the injurious effects of surge in imports is not only felt by the Domestic Industry but other major producer of the Product under Consideration as well.

Injury to Domestic Industry including Supporter

(civ) All the vital parameters including production, capacity utilization, sales of Domestic Industry including supporter have clearly reveal similar trends as that of the Domestic Industry. The production, sales, capacity utilization, of the Supporter and Domestic Industry has been negatively impacted due to the increased imports. Hence, the increased imports has cumulatively impacted the Indian industry as a whole

Threat of Serious Injury

Trade Remedial Measures in Major Consuming Markets

(cv) There are various trade remedial actions taken by major markets across the globe including China, EU, US, Mexico and Indonesia to protect its domestic industry. This has lead to closure of markets for exporting countries such as China, EU, US and Russia, whereas India remains to be a price-attractive market. Hence, there is a clear and imminent threat of continuation of imports of the subject goods into India.

(cvi) The market share of the Domestic Industry has already been retarded by the increased imports of the subject goods. In light of the unabated imports of the subject goods, it is likely to lead to a further decline in the market share of the Domestic Industry

Recent Initiation of Anti-dumping and Countervailing Duty Investigation by USITC

(cvii) The USITC has initiated an antidumping investigation into imports of *Certain Oil Country Tubular Goods* (which includes certain subject goods) and the subject countries of the USTIC investigation are India, Korea, Philippines, Saudi Arabia, Taiwan, Thailand, Turkey, Ukraine, and Vietnam.

(cviii) In the absence of any safeguard duty protection to the Domestic Industry it is certain that exports from these sources will be diverted to India, thereby further aggravating injury to the Domestic Industry.

Loss of Recent Tenders

(cix) The Domestic Industry has lost the substantial quantities in recent ONGC and OIL India tenders to foreign suppliers, which have been granted more than 80% of ONGC tenders and more than 57% OIL India tenders. Such unabated imports of the subject goods are causes and threatens to cause serious injury to the Domestic Industry and Indian Industry as a whole.

Addition of New Capacities

(cx) New capacities have been installed in China PR as well as US and there is significant idle capacity in EU. Hence, in the absence of any safeguard duty protection to the Domestic Industry, there is a clear threat of further exports from these sources into India leading to continued injury to the Domestic Industry.

As per market intelligence, German company M/s. Benteler Steel Tube has invested $900 million to set up a new steel tube plant in the United States which is expected to be running by 2015

Tenaris has also announced plans to set up a $1.5 billion new seamless pipe mill in Bay City, USA

TPCO, China is also in an advanced stage of setting up a seamless pipe mill in Corpus Christi, USA

Baoshan Iron and Steel to establish seamless steel pipe unit in Thailand

Valloure& Sumitomo Tubos Establishes New Steelworks II-50

Xinxing Pipes Commences Production at Handan Pipe Plant

Causal link and Other Factors

(cxi) The serious injury caused to the Domestic Industry bears a direct causal nexus with the increased imports of the subject goods into India.

(cxii) The subject goods are sold in direct competition with the imports. The landed price of imports is significantly lower than reasonable costs and the selling prices of the Domestic Industry are determined by the import prices. Consequently, production, capacity utilization, sales, profits, return on investment and cash flow is declining due to continued presence of low price imports.

(cxiii) Given the low prices offered by the foreign producers, the imports are surging further despite low prices offered by the Domestic Industry. The Domestic Industry is forced to reduce its prices at lower than cost of sales.

(cxiv) As a result of the increased imports, there is a substantial increase in the market share of imports and reduction in market share of the Domestic Industry. Decline in market share of the Domestic Industry has adversely impacted the production and capacity utilization of the Domestic Industry.

(cxv) The sales of the Domestic Industry declined with the increase in low priced imports and was forced to continue sales at depressed prices causing the decline in the profitability of the Domestic Industry Hence, there is a direct causal nexus between the decline in profitability and the increased imports of the subject goods

Excessive Production Capacity

(cxvi) The growth in the capacity has been in line with the growth in the domestic demand of the subject goods. However, in 2012-13, the demand has declined to the rapid decline in the sales of the Domestic Industry and market share of the Domestic Industry being captured by the Imports, causing gross injury to the Domestic Industry.

(cxvii) The decision of the Domestic Industry to increase capacity was clearly to cater to the growing Indian Demand and cannot be categorized as irresponsible or misconceived. Hence, the claim of the opposing Interested Parties that the injury to the Domestic Industry is self-inflicted on account of over-expansion is frivolous and unsubstantiated and liable to be dismissed.

Particulars	**Unit**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**Apr'12 – Jun'13 (Ann.)**
Capacity of Domestic Industry	MT	3,75,000	6,85,000	6,85,000	6,85,000	6,85,000
Demand	MT	5,54,233	6,13,616	6,88,396	5,84,098	5,72,965
Trend in increase in Market Share of Imports	%	100	101	111	115	115

High Prices of Raw Materials and Volatility

(cxviii) The claim of the opposing Interested Parties that the high prices of raw materials and volatility have caused the injury to the Domestic Industry is baseless, untrue and denied by the Domestic Industry.

(cxix) The raw material prices were increasing throughout the course of the Period of Investigation, however, despite the global increase in raw material prices, the import prices do not commensurate with the increase in cost of to make and sell product under consideration in India. As India is a price sensitive market, the low priced imports were well received by the consumers.

Imports from China

(cxx) The claim of the opposing Interested Parties that solely the imports from China have caused injury to the Domestic Industry is unjustified, erroneous and is liable to be dismissed. The imports from the European Union in 2012-13 have shown a sharper increase than Chinese imports and have been constantly increasing. The Indian market will also be susceptible to imports from various other sources in light of various trade remedial actions resorted by major user countries around the world such as EU, US, Indonesia, Mexico.

Anti-dumping Application filed by the Domestic Industry

(cxxi) It has been the repeated allegation of the opposing Interested Parties that the fact that the Domestic Industry had filed an application with the Hon'ble Designated Authority is tantamount to a break in causal link and injury caused to the Domestic Industry is attributable to dumped imports

(cxxii) The mere fact that there was an alleged dumping in the earlier periods of Financial Years 2005-06, 2006-07, 2007-08 and 1st April, 2008 to 30th June, 2009, in which only 3 months are common with the present injury period, has no relevance or bearing on the present investigation.

(cxxiii) There has been no finding made by the Hon'ble Designated Authority concerning actual dumping in the aforesaid period and the said investigation was terminated without imposition of any anti-dumping duties.

(cxxiv) The anti-dumping and safeguards remedies can be applied without prejudice to each other and there is no restriction on even the simultaneous application of safeguard and anti-dumping duty. This has been held in several investigations including *Safeguard Duty investigation against imports of Caustic Soda in to India -Final Findings* dated 9th April, 2010 and *Safeguard investigation concerning imports of Phthalic Anhydride (PAN) – Final findings* dated 29th March, 2012.

Adjustment Plan

(cxxv) vide communication dated 29.08.2013, the Domestic Industry provided the adjustment plans set out for the individual companies. The Domestic Industry has provided specific steps regarding particular cost-reduction measures that it plans to undertake to facilitate the positive adjustment and has duly complied with the requirement under the Act and the Safeguard Duty Rules

(cxxvi) The submission that an adjustment plan is only for “structural changes” is not only erroneous and unsubstantiated but also fanciful. The step submitted by the Petitioners to improve sourcing, which is one of the several steps, shall clearly facilitate a positive adjustment and compete with the imports of the subject goods

(cxxvii) The object of safeguard duties is to remedy the serious injury suffered by the Domestic Industry and allow the Domestic Industry to undertake steps to facilitate positive adjustment to compete with the imports of the subject goods. Hence, to even claim that the proposed steps for facilitating the positive adjustment is an indicator of self-inflicted injury is not only illogical and misrepresentative of the entire safeguards process but appears to indicate a lack of the basic tenets of the Safeguards law.

(cxxviii) In the Report of the Panel in *Korea – Definitive Safeguard Measure On Imports Of Certain Dairy Products* (WT/DS98/R – 21 June 1999)it was held

"7.108 We wish to make it clear that we do not interpret Article 5.1 as requiring the consideration of an adjustment plan by the authorities, as the European Communities asserts. The Panel finds no specific requirement that an adjustment plan as such must be requested and considered in the text of the Agreement on Safeguards. Although there are references to industry adjustment in two of its provisions, nothing in the text of the Agreement on Safeguards suggests that consideration of a specific adjustment plan is required before a measure can be adopted. Rather, we believe that the question of adjustment, along with the question of preventing or remedying serious injury, must be a part of the authorities' reasoned explanation of the measure it has chosen to apply. Nonetheless, we note that examination of an adjustment plan, within the context of the application of a safeguard measure, would be strong evidence that the authorities considered whether the measure was commensurate with the objective of preventing or remedying serious injury and facilitating adjustment."

Public Interest

(cxxix) The Domestic Industry has, over the years, developed the capability to support the domestic user sector and this has been made possible through huge investments in technology up-gradation and human resource development. The Domestic Industry is at a critical stage and requires immediate relief to prevent deterioration due to aggressive marketing and low priced imports by foreign producers as India is a price attractive market.

(cxxx) The surge in low priced imports will lead to irreparable damage to the industry in the form of:

a. Loss of employment: The Domestic Producers provide much larger employment, both direct and indirect, as compared to the exports. In case no safeguard duty protection is granted to the Domestic Industry, the Domestic Industry would have no option but to resort to wise-scale retrenchment to reduce the losses.
b. Loss of revenue to the Government on account of taxes: The poor financial performance and decline in profitability of the domestic producers, caused by the increased imports of the subject goods has impacted the taxes paid by the companies, which has resulted in a loss of revenue to the Government.
c. Increased outflow of precious Foreign Exchange. Loss of revenue to the Government and outflow of Foreign Exchange is a double edged sword which is ought to hurt the public interest of India in a longer run.

(cxxxi) The domestic industry is a vital pillar for India's strategic growth in power and oil exploration and indigenously caters to the demand.

Impact on ONGC

(cxxxii) As can be seen from the table below, imports of seamless products on an annualized basis is only about 2.3% of total imports of ONGC and its overall impact on its operations will be negligible, especially its profitability which is Rs. 209 billion.

Impact on Bearings Industry

(cxxxiii) There is minimal impact on the bearing industry – SKF is taken as sample being one of the largest companies in India. The bearing industry is profitable (SKF's pre-tax net profitability was about 13% in 2012) and can absorb the incremental cost on account of Safeguard Duty – which does not affect all its products anyways – without burdening its customers..

(cxxxiv) In the case of *Safeguard investigation concerning imports of Sodium Nitrite – Final Findings* dated 17th September, 2013 the Hon'ble Director General (Safeguards) examined the public interest as under and proceeded with recommendation of the safeguard duty. The same analysis has been presented by the Domestic Industry, which clearly illustrates that the impact of the safeguard duty

on end-users and consumers would be minimal and no harm would be caused to the user industry.

(cxxxv) M/s NEI is known to be very aggressive with the pricing of its products to retain its market share and compete with other multinational companies At point no. 2 of its communication dated 18 December 2013, M/s NEI has presented the supply information very selectively for some of its customers which are likely to be "Original Equipment Manufacturers" (OEM) with whom the contractual and commercial considerations that affect the price may exist and have not been disclosed. Therefore, the prices claimed by M/s NEI in its said Communication dated 18 December, 2013 cannot be relied upon.

(cxxxvi) The price list of another Indian bearing company shows that the same bearings as sold by M/s NEI are quoted at 3 times the price disclosed by M/s NEI. The same is being attached at Annexure 1 (Confidential). The said fact by itself spells doubt over the accuracy and credibility of the information provided by M/s NEI.

(cxxxvii) The Domestic Industry has relied upon the price-lists of M/s SKF. The said pricelist is reflective of the competitive market driven pricing. Clearly, the information provided by M/s NEI is not reliable and is liable to be disregarded.

(cxxxviii) All the relevant the analysis have been presented by the Domestic Industry, which clearly illustrates that the impact of the safeguard duty on end-users and consumers would be minimal and no harm would be caused to the user industry. However, in the absence of immediate safeguard duty protection, the Domestic Industry shall continue to suffer serious injury.

EXAMINATION AND FINDINGS:

15. I have carefully gone through the case records and the replies filed by the domestic producers, users/importers, exporters and exporting government. Submissions made by various parties and the issues arising there from are dealt with at appropriate places in the findings below. The request of the DI for imposition of safeguard duty on the import of product under consideration has been examined with reference to the domestic law as well as international law. The findings have been given accordingly.

16. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Safeguard Duty on imports. Section 8B(1) provides for imposition of Safeguard Duty by the Central Government on an article if the article is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry.

17. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provide the manner and principles governing investigation. These Rules have been made under section 8B of the Customs Tariff Act, 1975. I have been conferred powers under these Rules to make recommendations for imposition of safeguard duty in terms of law.

The provisions of Agreement on Safeguards and the decisions of the WTO bodies have been stated/discussed at appropriate places below. The investigation has been conducted in accordance with the said Rules and the Final Findings are recorded through this notification.

18. Extension of Safeguard period:

As per the Rule 11(1) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, the Director General shall issue the final finding within 8 months of initiation of the safeguard investigation or within such extended period as the Central Government may allow. The Notice of Initiation in the case was issued on 22.04.2012 and thus the last date for issuance of final recommendation was on or before 21.12.2013. However, due to change in the Designated Authority a second Public Hearing was held on 12.12.2013. Since it was not possible to examine all the views and counter views in the remaining time period, the Central Government allowed the extension of time period by further three months i.e till 21.03.2014.

Some of the interested parties have submitted that neither they nor their legal representatives in India have received any communication regarding any extension provided by the Central Government to issue a final finding in the case and in the absence of any time extension given by the Central Government within the said 8 months for rendering the final finding, the present investigation stands

time barred and the Hon'ble Director General of Safeguards does not have the jurisdiction and locus to continue with the present investigation.

It may be noted that extension of time period is an administrative decision of the Central Government and there is no provision under Safeguard Rules which legally binds the Central Government to notify such extension to individual interested parties. The very fact that the extension was granted by the Central Government within eight months and notification to that effect was subsequently issued and uploaded on the CBEC official website is sufficient to meet the requirement of Rule 11 of Safeguard Duty Rules and therefore there is no merit in the argument that the present investigation stands time barred.

19. Methodology and Source of Information:

The transaction-wise DGCI&S import data for the product under consideration for the period from 2009-10 to 2012-13 and also from April 2013 to June 2013-14 (for production and sale) has been provided by the applicant. The source of Import data is DGCI&S. Reliance has been placed on DGCI&S data for the annual import figures up to 2012-13. The transaction- wise import data for the period 2009-10, 2010-11, 2011-2012 and 2012-2013 has been provided by the applicants. The applicant has claimed that the subject goods are being imported under various other classifications as well. The Domestic Industry has also provided complete disclosure of the methodology along with sample transactions to explain the process of consideration of transactions as part of the import data of the product under consideration at Annexure 5 of the Application. Further, the data pertaining to other safeguard economic parameters for the period from 2009-10 to 2012-13(December) has been got verified on the basis of Central Excise records of the petitioner to the extent considered necessary, through on-site verification of the unit of the applicant and such verified data for the POI (Period of Investigation) has been taken into consideration for injury analysis. The data for the fourth quarter of 2012-13 and first quarter of 2013-14 has been taken as furnished post 1st Public Hearing by the applicant. The data for three years or longer has been provided by the Domestic Industry in the form and manner provided under Rule 5(2) of Safeguard Duty Rules 1997 and Trade Notice No SG/TN/1/97 dated 06/09/1997. The non-confidential version of the verification report has been placed in the public file for all concerned.

As regards to M/s. NEI claim that import data submitted by the Domestic Industry contains extraneous data under chapter headings 73.06 73.04 and 98.01, it may be noted that the entries of the imports of the subject goods were observed under other chapter headings of 73.06, 98.01 and 73.04 also. Therefore, all such entries have been included in the import data. The Notice of Initiation as well as the Petition clearly and definitively provides the scope of the product under consideration, and the various chapter headings provided in the Notice of Initiation and in the petition are only indicative of the different headings under which the goods can be imported and are in no way binding to the scope of the Product under Consideration.

20. Period of Investigation:

The Customs Tariff Act, 1975, the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997, the Agreement on Safeguard and the relevant Article XIX of GATT do not specifically define what the Period of Investigation should be. I am of the view that law in India provides discretion to the Competent Authority to decide upon the length of period which may be able to give fair amount of comparison in respect of increased imports and other factors leading to serious injury. Of course, such discretion has to be exercised judiciously.

The issue of period of investigation has been dealt with extensively in the panel's report on Argentina Footwear on Argentina Footwear, which is being reproduced below:

ARGENTINA– SAFEGUARD MEASURES ON IMPORTS OF FOOTWEAR; Report of the Panel (WT/DS121/R dated 25.06.1999)

8.216 "Regarding the investigation's almost exclusive reliance on end-point-to-end-point comparisons in its analysis of the changes in the situation of the industry, we have the same concerns as were noted above with regard to the "increased imports" analysis. Here we note in particular that if intervening trends are not systematically considered and factored into the analysis, the competent authorities are not fulfilling Article 4.2(a)'s requirement to analyse "all relevant factors", and in addition, the situation of the domestic

industry is not ascertained in full. For example, the situation of an industry whose production drops drastically in one year, but then recovers steadily thereafter, although to a level still somewhat below the starting level, arguably would be quite different from the situation of an industry whose production drops continuously over an extended period. An end-point-to-end-point analysis might be quite similar in the two cases, whereas consideration of the year-to-year changes and trends might lead to entirely opposite conclusions."

8.217 "We believe that consideration of changes over the course of the investigation period in the various injury factors is indispensable for determining whether an industry is seriously injured or imminently threatened with serious injury. An end-point-to-end-point comparison, without consideration of intervening trends, is very unlikely to provide a full evaluation of all relevant factors as required."

From the above, it is clear that the provisions of Agreement on Safeguard do not provide for specific guidelines on the period of investigation. The Appellate Body Report has given its finding in unequivocal terms that the relevant investigation period should not only end in the very recent past; the investigation period should be the recent past.

In the instant case, the Notice of Initiation was issued on 22.04.2013, which primarily contains the data up to the year 2012-13 (Dec). Subsequently, post 1st public hearing, the domestic industry was asked to provide data for quarter 4 of 2012-13 and quarter 1 of 2013-14. All data submitted by the domestic industry was circulated to all interested parties and the same was also kept in the public file. All information so received, including the most recent information, is being considered for analysis.

In order to neutralize seasonal variation, if any, sufficiently longer sample size i.e annual data from FY 2009-10 to 2012-13 has been considered as the POI, for injury analysis.

In view of the above, I feel period of investigation is sufficiently long for the purpose of determination of injury to Domestic Industry.

21. Product under Investigation:

The product under investigation (PUC) is "Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless of iron, alloy or non-alloy steel(other than cast iron and stainless steel) whether hot finished or cold drawn or cold rolled, of external diameter not exceeding 273.1 mm (O.D) with the tolerance as specified under relevant standards (herein after referred to as Seamless Pipes and Tubes) excluding:

1. Seamless alloy–steel pipes, tubes and hollow profiles of specification ASTM A213/ASME SA 213 and ASTM A335 /ASME SA 335 or equivalent BIS/DIN/BS/EN or any other equivalent specifications.
2. Non API and Patented Premium Joints/Premium Connections/Premium Threaded Tubes & Pipes of grades Q-125, 13CR,L-80,P110,C-90,C-95,T-90 &T-95
3. All 13 Chromium (13CR) Grades Tubes and Pipes not included in(2) above and
4. Drill Collars.

The product under consideration is classified under Customs sub-heading 73.04 of the Customs Tariff Act, 1975. An indicative list of the various classifications under which the product under consideration may possibly be classified is provided below as is imported under 8 digit level classification:-

73041910; 73041920; 73041990; 73042310; 73042390; 73042910; 73042990; 73043111; 73043119; 73043121; 73043129; 73043131; 73043139; 73043911; 73043919; 73043921; 73043929; 73043931: 73043939; 73045110; 73045120; 73045130; 73045910; 73045920; 73045930; 73049000:

Seamless tubes are hollow sections made of steel bars/billets and are produced by hot rolling technology and cold drawn technology, The tubes and pipes are manufactured conforming to various reputed international standards and specifications like API /ASTM /ASME /BS /JIS /DIN/EN etc. These specifications specify chemistry involved and mechanical properties of the product. The manufacturing route such as hot finished or cold finished / cold drawn is used to arrive at the final properties required by the specifications.

(a) Scope of PUC is broad/large:

Several Interested parties have contended that the scope of the PUC is very broad/large and that these products have different end uses and the DI has included several products in the product basket of the

PUC which are not being manufactured/produced by them. All the types of the product for which the Interested parties have sought exclusion from the scope of the PUC, have been clubbed together in the exclusion table A, given below.

The issue regarding claim of exclusion of following grades from the scope of the investigation has been analyzed. The exclusion table containing information about the various types of exclusion sought by different interested parties and the counter submitted by the Domestic Industry in form of tangible evidence is given below:

Grades for which exclusion is sought during investigations by various interested parties

Exclusion Table A.

Industry request for exclusion	**Grade for which exclusion sought**	**Evidence on the grades supplied by the Domestic Industry**
BHEL	Rifled Tubes	Invoice of sale made to BHEL No*****/16.01.2011
NEI , Nippon Steel, JFE Steel Corp and Sanyo Special Steel.	SAE 5210	Sample Invoice. No. ****/ dated14.12.2013
	SAE 8720	Sample Invoice. No. ****/ dated 30.04.2013 (However, not produced in last four years)
	SUJ3	Sample Invoice. No. ****/ dated 31.03.2013
CISA, Rama Cylinders	Gas Cylinder, 34CrMO4	Purchase order dated 26.03.2013 & Sample Invoice. No. ****/ dated 24.05.2012
Mertex UK Ltd.	4-1/2" Tubing	Sample Invoice. No. ****/ dated14.05.2013
	L-80	Sample Invoice. No. ****/ dated 26.08.2012
	N-80	Sample Invoice. No. ****/ dated 20.01.2013
	P-110	Sample Invoice. No. ****/ dated 08.02.2012
	C-95	Claimed that they have capacity and capability to produce the grade. But not produced in last four years
	Q125	Sample Invoice. No. ****/ dated 21.07.2012
Nippon Steel, JFE Steel Corp and Sanyo Special Steel.	J-55	Sample Invoice. No. ****/ dated 28.02.2013
	Higher Grades of 9-5/8" Casing pipes.	Sample Invoice. No. ****/ dated 10.06.2013, 30.11.2012
M/s Ratandeep Ltd.	All sizes below 42 mm OD in all HS Code.	Sample Invoice. No. ****/ dated 30.01.2013

Nippon Steel, JFE Steel Corp and Sanyo Special Steel	Mechanical Tube for Needle Roller Bearing Grade JIS G3441,SCM415TK	Sample Invoice. No. ****/ dated 30.12.2012/18.05.2013
Nippon Steel, JFE Steel Corp and Sanyo Special Steel	Mechanical Tube for Crane SM-STR80-QA,SM-STR80-QC having OD from 42.7mm to 406.4 mm	Sample Invoice. No. ****/ dated 13.03.2013
Vallource& Mannesmann Tubes, Nippon Steel, JFE Steel Corp and Sanyo Special Steel.	Seamless steel pipes for off shore application (Project line pipes)	Sample P.O. No. ****/ dated 07.03.2012
	OCTG Tubes	Sample Invoice. No. ****/ dated 06.08.2011
	Drill pipes	Sample Invoice. No. ****/ dated 29.10.2013
	Boiler Tubes.	Sample Invoice. No. ****/ dated 08.12.2013/19.04.2013
	Line pipe	Sample Invoice. No. ****/ dated 14.09.2009/08.11.2012
	Mechanical Tubes for bearing	Sample Invoice. No. ****/ dated 25.04.2012

**** Confidentiality claimed

In view of the above, it appears that the domestic industry have submitted the evidence in the form of invoices of bearing grades (SAE52100, SAE8720, SUJ3), L-80, N-80, P-110, Q125, J-55, 34CrMO4, rifled tubes and the invoice for trial order of Gas cylinder indicating that they have the capacity and capability to produce the PUC imported in various grades and sizes. It has been pointed by M/s Rama Cylinder (Interested Party) in the letter dated 23-05-2013 received from the Deputy Chief Controller of Explosives, Petroleum and Explosives Safety Organisation indicating that domestic industry is not capable of producing high pressure gas cylinder. Interested parties have also stated that none of the Indian tube mills are either in a position to offer them seamless steel tubes or manufacture the steel grade of alloy steel such as 34CRM04 and dimensional sizes of cylinders –tubes as per the technical specifications which require the intensive approval process laid by the Bureau of Indian Standards and Chief Controller of Explosives. It may be noted that from the invoice submitted by Domestic Industry it is found that the domestic industry has not only produced the grade 34CRM04 but they have also been placed the trial order for gas cylinder for 37Mn grade. As regard to grade SAE 8720 and C-95, Domestic Industry has claimed that they have capacity and capability to produce these grades but in the last four years, they have not produced these grades. However, it is pointed out that data of these grades have not been considered under the scope of the product. As regard to exclusion of all sizes below 42 mm OD in all HS Code, M/s Ratandeep Ltd have stated that petitioners take long time to deliver and, therefore, all such sizes should be excluded. However, they have not stated that petitioners don't have capacity to produce these sizes of seamless pipes and tubes or that they have failed to produce the said goods.

Thus, it appears that no categorical evidence has been produced by the interested parties, which shows that any particular type of PUC, which is being imported into India is not produced by the domestic industry. Therefore, the contention of the Interested Parties for pruning of the scope of the PUC is not supported by any tangible facts/evidence and thus, is not acceptable when the Domestic Industry has provided actual evidence of production and supply of those products to different users of the PUC.

(b) Like or directly competitive product:

As against the contention that the product under consideration is a group of products and whether the group of imported products is 'like or directly competitive' to the group of products produced by domestic industry or not, it is not necessary to prove that each of the products of the group are 'like or directly competitive' to all the other products of the group. Instead, it is to be seen whether there exists a corresponding 'like or directly competitive' product of each of the imported products, produced by the Domestic Industry.

It is observed that the PUC consists of large number of products of similar nature and similar origin. The imported products falling under these headings at the eight digit level are similar as far as their technical characteristics, chemical composition and other basic features are concerned. These products also have similar uses. These imported products are directly competing or have potential to compete with such products produced by domestic industry. Despite possible minor superficial differences, in terms of quality, and therefore may be price, these products have similar basic physical characteristics and similar end uses. Accordingly therefore, as gainst the contention of the interested parties that the PUC is a product basket consisting of various grades and sizes of seamless pipes and tubes it is found that the concern of interested parties are more on the end product made out of the PUC, rather than the PUC itself. Moreover, since the domestic industry is producing almost identical /similar grades & sizes of seamless pipes and tubes, therefore they are the 'product under consideration' for the purposes of safeguard investigation

(c) Exclusion due to small quantity imported from a country:

With regard to exclusion of goods from Japan sought under Section 8B (I) proviso of the Customs Tariff Act, 1975 is concerned, it may be noted that it refer to quantity restriction under safeguards rules which has been notified under 9A of Foreign Trade(Development and Regulation) Act,1992 vide Foreign Trade(Development and Regulation) Amendment Act,2010. Thus, the submissions for exclusion of goods from Japan sought under Section 8B (I) proviso of the Customs Tariff Act, 1975 is not acceptable under General Safeguard Rules as the Safeguard Measure (Quantitative Restriction)Rules,2012have already been notified for which proper designated authority is Additional Director General Foreign Trade.

(d) Injury analysis of PUC as per grade/use:

The issue raised by the interested parties that Injury analysis has to be done for each category of the product has also been examined. Transaction wise import data of DGCI&S data relied in this investigation indicates that there are number of entries under PUC chapter headings where description of the product for instance is simply mentioned as seamless pipe/tubes or bearing grade tubes without any grade. Thus, to include only those entries where specific grade or product name is indicated would not have given clear picture of quantum of import of seamless pipes and tubes and therefore any analysis on the basis of a part-information would have been incorrect for the purpose of safeguard investigation**.**

(e) Inclusion of ERW pipes in the PUC:

An Interested Party has claimed that world over welded tubes and Pipes manufactured using Electrical resistance welding are used interchangeably with the Seamless tubes and pipes for the same use, i.e., in oil and gas exploration and transportation. They have also quoted the investigation initiated by the United States in the matter where US treated welded tubes and pipes as like article to seamless tubes and pipes.

The issue has been examined. The manufacturing process of ERW and Seamless pipes and tubes is different.ERW (Electric Resistance Welding) pipe is manufactured by rolling metal and then welding it longitudinally across its length whereas Seamless pipe is manufactured by extruding the metal to the desired length. ERW pipe has a welded joint in its cross-section, while seamless pipe does not have any joint in its cross-section through-out its length. The basic Raw material required for manufacturing Seamless & ERW is also different. In Seamless pipe, Steel Round Billets are required to manufacture Seamless Pipe while Strip/plates/ Coils are required to manufacture ERW Pipes. Moreover, the PUC is both the cases are different.

Seamless pipes are mainly used for High-pressure applications such as Oil & Gas Exploration & Drilling, Oil & Gas Transportation, Hydrocarbon Industries & Refineries and Air and Hydraulic cylinders, Bearings,

Boilers, Automobiles etc. ERW pipes are mainly used for low/ medium pressure applications such as transportation of water / oil.

It is noticed that depending upon the application pipes are selected. Generally it is found that ERW & SAW (Submerged Arc Welded) pipes can be substituted. However, there are some applications where seamless pipes could be substituted by ERW pipes but it is not the case that in each and every application seamless pipes can be substituted by ERW pipes. Further, in common market parlance seamless pipes and ERW pipes are not considered as the same. The domestic Industry has provided the evidence where tenders clearly specify the requirement of "Seamless Pipes" or "ERW Pipes" separately.

It may also be noticed that in the instant case the Domestic Industry has filed the petition for imposition of safeguard duty only on import of seamless pipes and tubes and none of the Indian user industry like BHEL, ONGC bearing industry etc has supported the contention of CISA. Therefore to impose safeguard duty on the item which was not even demanded in the petition would be unfair to the importers/user industry of ERW pipes.

In view of the fact that manufacturing process of production of ERW pipes and Seamless pipes is different, the raw material required for the production is different, their falling under the different tariff heading for classification and the fact that ERW pipes cannot be substituted for each and every application where seamless pipes are used, the Seamless pipes and tubes are considered as separate and distinct product for the purpose of this investigation. Thus ERW pipes are neither like nor directly competitive with seamless pipes in this case.

(f) Quality Issues and Supply to ONGC and Other Companies:

This is on record that ONGC has neither attended the Public Hearing nor have they submitted any Post-Hearing submission or rejoinder. However, as against the claim of several interested parties that the DI has failed to qualify for supply to the requirements of ONGC, the domestic industry has provided the evidence indicating that they have capacity and capability to manufacture the product under consideration. The ONGC's letter dated 30th August, 2013 clearly indicates that the Domestic Industry has not been disqualified by ONGC. It further states that in almost all the tenders floated by the ONGC, some or the other domestic bidders have qualified. These bidders were short listed as TA/CA. Hence they could not win the contract due to price competitiveness. Moreover, the Domestic Industry has also provided the evidence in the form of Tubing Test Report from ONGC towards approval of 2-7/8" OD Tubings of L-80 grade for regular supplies provided to ISMT Ltd.

Further, it is also observed that the domestic industry is supplying rifled tubes to M/s BHEL and bearing grade tubes to M/s NEI and several other domestic manufacturers of bearings. The domestic Industry has provided the invoices to establish that they are producing and selling the rifled tubes and bearing grade tubes to the domestic user industry.

In view of facts above it is clearly established that the Domestic Industry is fully capable of, and has been supplying the product under consideration to ONGC, other Oil Exploration companies and other domestic industries as per the quality and standards required by the said Companies of the products falling under the PUC.

22. Discrepancy in data in petition and Notice of Initiation:

So far as discrepancies in data in Petition and Notice of Initiation is concerned, it is noticed that import data in respect to PUC presented in the petition was further scrutinized and all those entries which were found to be outside the scope of investigation were deleted from the data provided in the petition. Similarly, domestic data was considered for analysis only after the data was got verified by on-site visits to the plants of the domestic producers on the basis of central excise records. In this respect, it may be noted that the Safeguard Investigation proceedings are different from the judicial proceedings or appellate proceedings. During the Safeguard Investigation, new facts and evidences are brought up and analyzed. In case reliance is placed only on the facts mentioned in the application, the investigation, purpose of which is to bring forth relevant information and analyze the market condition, will become meaningless. Hence, it is necessary that all the facts brought in light during investigation are taken into account. Notice of Initiation incorporates data/information collected/verified during such preliminary enquiries and therefore data in the Notice of Initiation shall prevail over the data provided in the petition. However, principles of natural justice requires that new facts (non confidential) are made available to the Interested Parties by keeping the same in the Public File and all the information, including the recent information was placed in the Public File and is being considered.

23. Confidentiality of information submitted:

Rule 7 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 and Article. 3.2 of WTO Agreement on Safeguards provides for confidentiality treatment to certain information. The rules provide that an Interested Party is not required to disclose such information on actual basis which is confidential information of the company and disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of such party, which is not in public domain and which the petitioner has not disclosed before public at large in the past.

The Domestic Industry has provided some information on confidential basis and sought confidentiality on the information /data submitted by providing NCV of the said information.. The Domestic Industry provided non- confidential version of the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997. Further, the Domestic Industry has submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing the application and subsequently alsowhich appears to be reasonable and, therefore, has been accepted, wherever claimed.

24. Domestic Industry:

The present investigations are taken up pursuant to an application made by M/s. Jindal Saw Ltd, Jindal Centre, 12BhikajiCama Place, New Delhi -110066 and M/s ISMT, Lunkad Towers, Viman Nagar, Pune 411014. M/s MSL Ltd., has supported the application. The shares of petitioner and the supporter companies in the domestic production of the PUC are as mentioned in the following table:

Share of DI in Domestic Production of the PUC

Company	2009-10	2010-11	2011-12	2012-2013
	Share	Share	Share	Share
ISMT	31	31	31	31
JindalSAW	22	22	24	24
MSL	34	31	31	30
Others	13	16	14	15
Total	100	100	100	100

The share of the applicants excluding M/s MSL (who is supporting), is around 54% of the total production in India. The share of M/s MSL is around 32%, which is less than the market share of the applicants.

Clause (6) (b) of Section 8B of the Customs Tariff Act .1975 states that “domestic Industry” means the producers-

(i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or

(ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India

It is noticed that even after considering the contention of the interested parties, since share of domestic industry even after excluding the supporter is more than 50% of the total production of the seamless pipes and tubes in India, M/s ISMT Ltd. and M/s Jindal Saw Ltd. in all circumstances, constitute ‘domestic industry’, and definitely in terms of clause (b) of subsection (6) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

As contended by some Interested Parties that several producers have not been considered, it is noticed that Notice of Initiation was also sent to other domestic Industries like BHEL, Ratandeep Metals & tubes, Remi Metals, Oil Country Tubular Ltd. as mentioned by the Interested Parties. Some of them responded to the Notice of Initiation while others did not, but none of them has contested that the applicants do not constitute domestic Industry. Therefore, the contention of the Interested Parties, in this regard, is not tenable.

Furthermore, in the anti-dumping case filed by one of the constituents of the Domestic Industry, i.e., M/s ISMT Ltd., it was rejected on the grounds that the said company alone does not constitute domestic Industry under the said rules. This is not the situation in the present case.

In view of the evidence available, I find that the applicants constitute the 'Domestic Industry" as per the rules.

25. Data analysis:

The analysis of data has been done primarily in relation to the domestic industry only. At some places the data of M/s MSL (supporter) has also been analyzed in order to deal with the issues raised by the interested parties. However, in order to analyze market share of imports, complete data, i.e, the data including that of the supporting entity, i.e., M/s MSL, has been relied upon.

26. Increased Imports:

Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose safeguard duty and provides as follows:

"(1) If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to Domestic Industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article :"

Further, Rule 2 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 defines 'increased quantity' as follows:

"increased quantity" includes increase in imports whether in ***absolute terms or relative to domestic production."***

From the above, it is seen that law i.e. Section 8B and the Rules mandate increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have "increased in such quantities" for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in imports, in absolute terms or in relation to domestic production. It is also seen the expression "increased quantity "has been defined in inclusive terms and the definition includes two parameters i.e. increase of imports in absolute terms and increase of imports in relative terms to domestic production. It is also seen that both these parameters need not exist together. The increased quantity is to be measured either in absolute terms or in relative to domestic production. The satisfaction/existence of one parameter is sufficient to fulfill the legal requirement.

The WTO Panels and Appellate bodies have further explained the international law on this issue and some of the relevant decisions of these bodies are narrated below:

I. The Panel in *Argentina — Footwear (EC)(WT/DS/R dated 25.06.1999)* further examined whether there is consistency with Articles 2.1 and 4.2(a) in making a finding of increased imports on the basis of a comparison between the volume of imports at the starting-point of an investigation period and the volume of imports at the end of that period ("endpoint-to-end-point-comparison"). The Panel, later upheld in this respect by the Appellate Body, came to the conclusion that:

8.156 "[I]n assessing whether an end-point-to-end-point increase in imports satisfies the increased imports requirement of Article 2.1, the sensitivity of the comparison to the specific years used as the end-points is important as it might confirm or reverse the apparent initial conclusion. If changing the starting-point and/or ending-point of the investigation period by just one year means that the comparison shows a decline in imports rather than an increase, this necessarily signifies an intervening decrease in imports at least equal to the initial increase, thus calling into question the conclusion that there are increased imports."

8.157 "In other words, if an increase in imports in fact is present, this should be evident both in an end-point-to-end-point comparison and in an analysis of intervening trends over the period. That is, the two analyses should be mutually reinforcing. Whereas here their results diverge, this at least raises doubts as to whether imports have increased in the sense of Article 2.1."

It was further examined by the Panel in *Argentina — Footwear (EC)*, in a finding subsequently confirmed by the Appellate Body, considered, in this connection, that an analysis of intervening trends of imports was indispensable:

8.159 "[T]he question of whether any decline in imports is 'temporary' is relevant in assessing whether the 'increased imports' requirement of Article 2.1 has been met. In this context, we recall Article 4.2(a)'s requirement that 'the rate and amount of the increase in imports' be evaluated. In our view this constitutes a requirement that the intervening *trends* of imports over the period of investigation be analysed. We note that the term 'rate' connotes both speed and direction, and thus intervening trends (up or down) must be fully taken into consideration. Where these trends are mixed over a period of investigation, this may be decisive in determining whether an increase in imports in the sense of Article 2.1 has occurred. In practical terms, we consider that the best way to assess the significance of any such mixed trends in imports is by evaluating whether any downturn in imports is simply temporary, or instead reflects a longer-term change."

The Panel in *Argentina — Footwear (EC)* further found that in the case before it the decline in the volume of imports could not be characterized as a temporary reversal of an increase in the volume of imports. It then stated that:

8.161 "[T]he Agreement requires not just an increase (i.e., any increase) in imports, but an increase in 'such … quantities' as to cause or threaten to cause serious injury. … the increase in imports must be judged in its full context, in particular with regard to its 'rate and amount' as required by Article 4.2(a). Thus, considering the changes in import levels over the entire period of investigation, as discussed above, seems unavoidable when making a determination of whether there has been an increase in imports 'in such quantities' in the sense of Article 2.1

II. The Appellate Body in Argentina-Footwear (EC) (WT/DS/121/AB/R dated14.12.1999 held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extract there from is as follows:

"131. [T]he determination of whether the requirement of imports 'in such increased quantities' is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year— or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be 'such increased quantities' as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry in order to fulfill this requirement for applying a Safeguard measure. And this language in both Article 2.1of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a)of the GATT1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause 'serious injury'."

III. The Panel on US-Wheat Gluten(WT/DS/166/R dated 31.07.2000, interpreted the phrase "in such increased quantities" as follows:

8.31 " [A]rticle XIX:1 (a) of the GATT 1994 and Article 2.1 [of the Agreement on Safeguards ("SA")] do not speak only of an 'increase' in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the quantitative and qualitative nature of the 'increase' in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and ***Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury****. Thus, not just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body's finding in Argentina— Footwear Safeguard that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury."*

IV. Further, the WTO panel in the case of *US — Line Pipe (WT/DS 202/R/29.10.2001)*, found that "there is no need for a determination that imports are presently still increasing. Rather, imports could have

'increased' in the recent past, but not necessarily be increasing up to the end of the period of investigation or immediately preceding the determination".

7.207 "[T]here remains the question of whether the finding of increased imports can be maintained in light of the decline in absolute imports from the first semester of 1998 to the first semester of 1999. In order to answer this question we recall our discussion regarding the meaning of 'recent', and our finding that 'recent' does not imply an analysis of the present. We are also of the view that the fact that the increase in imports must be 'recent' does not mean that it must continue up to the period immediately preceding the investigating authority's determination, nor up to the very end of the period of investigation. We find support for our view in Article 2.1, which provides 'that such product is being imported … in such increased quantities'. The Agreement uses the adjective 'increas**ed**', as opposed to 'increas**ing**'. The use of the word 'increas**ed**' indicates to us that there is no need for a determination that imports are presently still increas**ing**. Rather, imports could have 'increas**ed**' in the recent past, but not necessarily be increasing up to the end of the period of investigation or immediately preceding the determination. Provided the investigated product 'is being imported' at such increas**ed** quantities at the end of the period of investigation, the requirements of Article 2.1 are met."

V. In *US—Steel Safeguards (WT/DS/248/R*, *WT/DS/249/R*, *WT/DS/251/R*,*WT/DS/252/R*, *WT/DS/253/R*, *WT/DS/254/R*, *WT/DS/258/R*, *WT/DS/259/R*, dated 11.07.2003 the Panel, in findings upheld by the Appellate Body, addressed the question of how recently the imports must have increased and concurred with the Panel's view in *US — Line Pipe* in stating as follows:

10.161 "As the Panel in *US — Line Pipe* did that Article 2.1 of the Agreement on Safeguards speaks of a product that 'is being imported … in such increased quantities'. Thus, imports need not be increas*ing* at the time of the determination; what is necessary is that imports *have* increas*ed*, if the products continue 'being imported' in (such) increased quantities. The Panel, therefore, agrees with the *US — Line Pipe* Panel's view that the fact that the increase in imports must be 'recent' does not mean that it must continue up to the period immediately preceding the investigating authority's determination, nor up to the very end of the period of investigation. As pointed out by the Panel in *US — Line Pipe*, the most recent data must be the focus, but should not be considered *in isolation* from the data pertaining to the less recent portion of the period of investigation. However, as indicated by the present continuous 'are being', there is an implication that imports, in the present, remain at higher (i.e. increased) levels."

10.163 "Whether a decrease in imports at the end of the period of investigation, in the individual case, prevents a finding of increased imports in the sense of Article 2.1 of the Agreement on Safeguards will, therefore, depend on whether, despite the later decrease, a previous increase nevertheless results in the product (still) 'being imported in (such) increased quantities'. In this evaluation, factors that must be taken into account are the duration and the degree of the decrease at the end of the relevant period of investigation, as well as the nature, for instance the sharpness and the extent, of the increase that intervened beforehand."

10.164 "To give an extreme example, a short and very recent slight decrease would not detract from an overall increase if imports have increased tenfold over the several years beforehand. Conversely, to give an opposite extreme example, one could no longer talk about a product that 'is being imported in (such) increased quantities' or in fact in *any* increased quantities at all, if, at the time of the determination, import numbers have plummeted nearly to zero or to a level below any past point in the period of investigation."

VI. The Appellate body In *US — Steel Safeguards (WT/DS 248/AB/R*, *WT/DS 249/AB/R*, *WT/DS 251/AB/R*, *WT/DS 252/AB/R*, *WT/DS 253AB/R*, *WT/DS 254/AB/R*, *WT/DS 258/AB/R*, *WT/DS 259/AB/R*, dated 10.11.2003) confirmed that imports need not be increas*ing* at the time of the determination and insisted on the investigating authority's obligation to examine the trends of imports over the entire period of investigation:

367 "We agree with the United States that Article 2.1 does *not* require that imports need to be increas**ing** at the time of the determination. Rather, the plain meaning of the phrase 'is being imported

in such increased quantities' suggests merely that imports must *have* increas**ed**, and that the relevant products continue 'being imported' in (such) increas**ed** quantities. We also do *not* believe that a decrease in imports at the end of the period of investigation would necessarily prevent an investigating authority from finding that; nevertheless, products continue to be imported 'in such increased quantities."

The Appellate Body in *US — Steel Safeguards*, further reiterated its ruling made in *Argentina — Footwear (EC)* and emphasized the importance of reading "such increased quantities" in the context of Article XIX: 1(a) of the *GATT 1994* and Article 2.1 of the Agreement on Safeguards which confirm that such increased imports must be linked to the ability of the relevant increased imports to cause serious injury or threat thereof:

346 "We reaffirm this finding [*Argentina — Footwear (EC)*]. In that appeal, we underlined the importance of reading the requirement of 'such increased quantities' in the context in which it appears in both Article XIX:1(a) of the GATT 1994and Article 2.1 of the *Agreement on Safeguards*. That context includes the words 'to cause or threaten to cause serious injury'. Read in context, it is apparent that 'there must be 'such increased quantities' as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry in order to fulfill this requirement for applying a safeguard measure.' Indeed, in our view, the term 'such', which appears in the phrase 'such increased quantities' in Articles XIX:1(a) and 2.1, clearly links the relevant increased imports to their ability to cause serious injury or the threat thereof. Accordingly, we agree with the United States that our statement in *Argentina — Footwear (EC)* that the 'increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough and significant enough … to cause or threaten to cause serious injury', was a statement about 'the entire investigative responsibility of the competent authorities under the Safeguards Agreement', and that '[w]hether an increase in imports is recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten serious injury are questions that are answered as the competent authorities proceed with the remainder of their analysis (i.e., their consideration of serious injury/threat and causation)."

27. Keeping in view the above requirements of law with regard to 'increased imports', analysis has been done as below on the basis of objective and quantifiable data:

(a) Increased Imports in absolute Terms:

The following table shows the import statistics relating to Seamless pipes and Tubes:

Financial Year	**Total Import (MT)**	**Total Import (indexed Yearly)**
2009-10	307581	100
2010-11	344829	112
2011-12	425194	138
2012-13 QI	99880	
2012-13 Q2	76118	
2012-13 Q3	104335	
2012-13 Q4	93515	
2012-13	373848	122

Source: DGCI & S

The total import of Seamless pipes and tubes in 2012-13 has been 373848 MT showing decrease of 51346 MT over previous year's Import of 425194 MT, i.e., the decrease is about 12% in percentage term. End-point to end-point comparison indicates that there is an increase in imports by 22% in 2012-2013 as compared to base year 2009-10. Except in the year 2012-13, there has been continuous increase in imports. End-point to end point comparison also indicates

that import has increased in absolute terms but imports in 2012-13 when compared with immediate preceding year have not increased in absolute terms.

(b) Share of Imports relative to production: The table below gives statistics of imports relative to the production. The share of imports has gone up during period of investigation and in the most recent period, i.e., 2012-13, both from the base year as well as from the preceding year**.**

	2009-10	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
Import (MT)	307581	344829	425194	373848
Total production (MT)	422820	538554	583780	429454
Share of Imports (%)	73	64	73	87

Therefore, it is noted that there is an increase in import in relative terms, in relation to production in 2012-13 both from the base period and preceding year by about 14%.

From the above analysis, It is clear that there is substantial increase in imports of product under consideration in this case in relation to production and such increase is also happening in recent period and in my view is significant, sharp and sudden which satisfies the condition of levy of safeguard duty due to serious injury caused due to 'increased imports' under the law related to Safeguard duty.

28. Serious Injury and Causes Thereof:

(i) Section 8B (6) (C) of the Customs Tariff Act, 1975 defines the expression of serious injury. "Serious injury" means as an injury causing significant overall impairment in the position of a domestic industry.

(ii) Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 technically require that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. However, these provisions do not specify what such an evaluation must demonstrate. Any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, there may be significant decline in sales, employment and productivity which will show "significant overall impairment" in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall *position* of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry. Similar observation have been made by WTO Panel in Para 139 of Argentina footwear Case Appellate Body Report (WT/ DS 121/AB/R dated 14.12.1999)

(iii) The Annex (1) to the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 provides as follows:

"In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a demonstrate industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment."

29. Accordingly, in analyzing serious injury, all factors which are mentioned in the rules as well as other factors, which are relevant, have been considered. No single factor has been considered as dispositive. All relevant factors within the context of the relevant business cycle and conditions of competition, which are relevant to the affected industry, have been considered to evaluate the overall position of the domestic industry as below:

(a) Market Share: Market share of domestic producers has fallen during the investigation period. The data in this regard is given in the table below:

Financial Year	Total Import (MT)	Sales of DI (MT)	Sales of other Indian Producers (including MSL) (MT)	Total Demand including (MT)	% of Market Share		
					DI	Others (including MSL)	Import
2009-10	307581	143017	104823	555420	25.75	18.87	55.38
2010-11	344829	168740	101020	614589	27.46	16.43	56.11
2011-12	425194	170826	93386	689406	24.78	13.54	61.68
2012- 13	373848	141558	68692	584098	24.24	11.75	64.01

It is seen that the Applicants had a market share of 25.25 % in 2009-10 which increased to 27.46% in 2010-11. The market share of the applicants fell to 24.78% during 2011-12 and further declined to 24.24% in 2012-13. Thus, though the market share of DI declined in the recent period of 2012-13, it is very marginal when compared to the preceding year, i.e., only 0.54%. When compared with base year (2009-10) market share of the Domestic Industry declined by 1.51% in last four years. This is despite the fact that demand has declined in the most recent period. On the other hand, the market share of import increased from 55.38% in 2009-10 to 64.01/% in 2012-13, i.e, by 8.63/%. Thus, it is seen that imports have captured the market at the cost of the DI's share over the POI.

(b) Production: The table below gives relevant statistics relating to cumulative domestic production of 'domestic industry' and of all Indian Producers including MSL.

Year	2009-10	2010-2011	2011-12	2012-13
Production by 'domestic industry' (MT)	224216	283619	318968	254316
Indexed	100	126.49	142.25	113.42
Cumulative production by all Indian producers including MSL(MT)	422820	538554	583780	429454
Indexed	100	127.37	138.06	101.56

The total production of domestic industry has increased since 2009-10 till 2011-12. However, the total production of 'domestic industry' in 2012-13 fell by 64652 MT compared to the year 2011-12, i.e., by 20%. The total production by all Indian producers show trend similar to the Domestic Industry, where however, almost at the same level in 2012-13 as compared to the base year 2009-10 is noticed but the decline from the preceding year 2011-12 is very sharp, causing injury to the DI.

(c) Change in level of domestic sales: The table below gives relevant statistics relating to domestic sales of the domestic industry.

Year	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Domestic sales by 'domestic industry' (MT)	143017	168740	170826	141558
Indexed	100	118	119	99

The sales of DI have shown an upward ward trend from 2009-10 to 2011-12 but declined thereafter in 2012-13. End point to end point comparison also indicates marginal dip in sales of the DI. The drop in sales is in tandem to the decline in demand for the PUC. However, the drop in sales of 17.13% is sharper than the decline in demand of 15.28% in 2012-13 as compared to the preceding year 2011-12, with a rise in import share in relation to demand, causing injury to the DI.

(d) **Capacity Utilization**: The table below gives relevant statistics relating to capacity utilization of the domestic industry.

Year	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Installed capacity of 'domestic industry' (MT)	375000	685000	685000	685000
Capacity utilization of 'domestic industry' (%)	60	41	47	37

The capacity utilization of the DI has shown continuous declining trend since 2009-10. Exception being 2011-12 when there was marginal improvement of 6% in capacity utilization as compared to previous year. It is seen that in year 2010-11 the domestic industry has increased its capacity by 310000 MT which resulted a fall in capacity utilization by 19% in 2010-11 compared to 2009-10, despite improvement in production by 26% during the same period. The domestic Industry managed to recover in 2011-12 but again capacity utilization fell in 2012-13.

In view of the submissions made by an Interested Party that lower utilization is due to the increased capacity and given the fact that the Domestic Industry enhanced its capacity in 2010-11 by 310000 MT, it was considered prudent to examine whether the decline in capacity utilization was due to increase in capacity.

Year	2009-10	2010-11*	2011-12*	2012-13*
Previous Installed capacity of 'domestic industry' (MT)	375000	375000*	375000*	375000*
Assumed Capacity utilization of 'domestic industry' (%)	60	76	85	68

*Presumed to be same as in 2009-10, i.e. prior to capacity enhancement

Had the Domestic Industry not enhanced its capacity, its utilization as seen from production data, would have increased from 60% in 2009-10 to 68% in 2012-13 . However, it would have had declined sharply in 2012-13, if compared with the preceding year. As the import was increasing throughout 2009-10 to 2011-12, the DI invested in enhancement of capacity to take on the rising demand. However, in year 2012-13 when demand declined substantially this expansion of the capacity of domestic industry caused a situation of excessive capacities in the most recent period.

(e) **Profits and losses**: The table below gives relevant statistics relating to profit and loss of the domestic industry relating to business of seamless pipes and tubes as submitted in submission post 2nd public hearing

Year (Unit)	Profit (Rs./MT)(Indexed)
2009-10	100
2010-11	86
2011-12	64
2012-13	43

The Domestic Industry seems to be in profit throughout the Period of Investigation. However, their profitability has declined drastically in the recent period of 2012-13 from the base year as well as when compared in 2012-13 from the preceding year of 2011-12.

(f) Employment: The applicants have submitted that there is no significant change in the level of employment over the recent period. The number of employees (on average) increased from 2245 (2009-10) to 2645 (2012-13) as is apparent from the table below.

Year	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Avg. number of employees in 'domestic industry' (NO.)	2245	2388	2567	2645
Indexed	100	106	114	117

It may be noted that normally domestic industry would not be increasing employment if the industry were suffering serious injury or threat of serious injury, but the increasing rate of employment has been sustained by the DI even in the most recent of 2012-13 despite decline in demand of the PUC, as well as declining sale.

(g) Productivity: The productivity of domestic industry has declined in the most recent period of 2012-13 when compared to 2011-12 and also when compared from the base year.

Year	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Productivity/employee 'domestic industry' (MT/Employee)	100	118	124	96

It is also clear that increasing productivity was in conformity to the increase in employment of the DI, which, however, has shown reverse result in the most recent period of 2012-13.

(h) Inventory:

Inventory of the goods has increased throughout the injury period and more significantly in the recent period of 2012-13 by 3888 MT., i.e., by 41% from 2011-12. This piling up of the inventory is despite the fact that domestic sales have continuously increased from 2009-10 to 2011-12 with a corresponding rise in production, which has outpaced sales. This situation is further aggravated by the fact that this piling up of inventory is in a situation when the production itself has declined more than the domestic sale in the most recent period of 2012-13 than the preceding year. This situation has worsened in the most recent period of 2012-13 where it appears to be the result of declining exports as well as decline in overall demand for the PUC.

Year	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Inventory(MT)	5691	8805	9583	13471

30. Other factors:

(a) Import in relation to Demand:

Financial Year	Total Imports (MT)	Total Demand (MT)	% of import with respect to Demand
2009-10	307581	555420	55.38 %
2010-11	344829	614589	56.11%
2011-12	425194	689406	61.68 %
2012-13	373848	584098	64.01%

For the purpose of the present investigations, the consumption or demand for the product under consideration is determined as the total of imports of product into India from different countries, domestic sales of the Domestic Industry (DI) and domestic sales of other domestic producers (including MSL). Changes in demand/consumption so determined over the period have been compared with the changes in the imports from various sources in order to determine whether imports of product under consideration in India have increased significantly in relation to consumption or demand for the product in the country. It is noticed in the table above that the import with respect to demand increased from 55.38% in 2009-10 to 64.01% in 2012-13, i.e., by 8.63%, continuously during last four years. It may also be noted here that when the demand of the product has increased, imports have increased and when the demand declined in 2012-13, imports have also declined. However, it is pertinent to note that even in this condition, the share of imports has risen in relation to demand during the POI.

On the contention of the Interested Parties regarding increase in import only from China, the data of imports of the PUC into India from China and countries other than China is as follows:

Year	Import from China	Import from other countries	Total Import.	% of Import from China
	Qty(MT)	Qty(MT)	Qty(MT)	
2009-10	198464	109117	307581	65
2010-11	248174	96655	344829	72
2011-12	311547	113647	425194	73
2012-13	258351	115497	373848	69

Source: DGCI&S.

Number of interested parties especially from Europe raised the issue that the present investigations should only have been conducted against China as import from other countries is at *de-minimis*level. A China-specific Safeguard measure can only be applied under Section 8C of the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002. These have been enacted in pursuance of Section 16 of China's WTO Accession Protocol which allows for a transitional product-specific safeguard mechanism with respect to imports from China. Paragraph 16.9 of the said Accession Protocol specifies that the application of Section 16 will terminate twelve years from the date of accession. It may be noted here that the current case was initiated in April 2012 and therefore any investigation under China-specific Safeguard measure would have been meaningless as China's WTO Accession Protocol was to expire on 10 December, 2013. In this regard, the quantum of import in the POI was examined and it was found that overall imports have been increasing in last four years in absolute terms and wherein share of imports of the PUC from China during the POI was on average 70 % and from the other countries is around 30%. Merely

because percentage of import from China is more than other countries it does not bar safeguard investigation on overall import of PUC into India.

I am of the view that the subject petition by the Domestic Industry has been filed under Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 and investigation has also been conducted in the same light. It is noted that in a General Safeguard investigation under the said Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975, imports from all countries are to be examined on a non-discriminatory basis, except for developing nations, where the imports, whether or not entering at above *de-minimis* levels are examined.

As regard to contention that this is more an antidumping case than safeguard case, my view is that anti-dumping duty is an internationally accepted and legally sustainable trade remedy measure to counter and neutralize the ill effects of dumped imports through tariff barrier whereas Safeguard duty is a measure to protect the Domestic Industry from injurious effects of increased imports by raising tariff barrier. Both the duties have one function in common, i.e., neutralizing injurious effects of imports, besides other functions. The Domestic Industry is legally justified for filing the present application as they claimed injury due to increase in imports. WTO laws also permit the same. No violation of either domestic or international law has been pointed out by any of the interested parties. This investigation has been conducted for determination of serious injury or threat of serious injury to domestic industry as a result of increase in quantum of imports of PUC into India and not as a result of dumping of PUC. Therefore, the arguments of the interested parties on the above counts cannot be accepted.

(b) Exports: The table below gives information on exports by the domestic industries.

Year	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Exports by 'domestic industry'(MT)	87361	113437	147735	109579
Indexed	100	130	169	125

The exports from India by the DI has declined in 2012-13 from 2011-12, after a continuous rise till 2011-12 from 2009-10.

It may also be noted that Domestic Industry exported 38.9%, 39.9%, 46.3% and 43.08% of its production in 2009-10, 2010-11, 2011-12 and 2012-13 respectively. This shows that export of Seamless pipes and tubes is an important business of domestic Industries. The year 2012-13, witnessed fall in exports by 38156 MT, which made surplus capacity available for domestic market. The loss of export market by the Indian Industry in 2012-13 could not be compensated by the corresponding gain in domestic market as demand during the period has also decreased by 15.2%.This is evident from the fact that total domestic sales of the domestic industry also decreased in 2012-13.This appears to be one of the factor that contributed to rise in inventory in year 2012-13.

(c) Overall Position of the DI:

From the entire analysis made as above, it is seen that the market share of domestic producers has fallen during the investigation period. The total production of domestic industry has increased since 2009-10 till 2011-12. However, the total production of 'domestic industry' in 2012-13 fell as compared to the year 2011-12. The sales of DI have shown an upward ward trend from 2009-10 to 2011-12 but declined thereafter in 2012-13. The capacity utilization of the DI has shown continuous declining trend since 2009-10. Exception being 2011-12 when there was marginal improvement of 6% in capacity utilization as compared to previous year. Profitability has declined drastically in the recent period of 2012-13 from the base year as well as when compared in 2012-13 from the preceding year of 2011-12. The productivity of domestic industry has declined in the most recent period of 2012-13 when compared to 2011-12 and also when compared from the base year. The Inventory of the goods has increased throughout the injury period. The exports from India by the DI has declined in 2012-13 from 2011-12, after a continuous rise till 2011-12 from 2009-10.

Thus, an evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of almost all the relevant factors having a bearing on the situation of the Domestic Industry, shows a significant overall impairment. It is thus concluded that Domestic Industry has suffered serious injury as a result of increased imports of the product under consideration.

31. Causal link:

Rule 5(3)(c) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules,1977 states the requirement of a causal link between increased imports and alleged injury or threat of serious injury.

For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of the industry have been evaluated.

As the market share of DI has declined from 24.78% in FY 2011-12 to 24.24% in FY 2012-13 i.e. by 0.54% and from 25.75% in FY 2009-10 (base year) to 24.24% in FY 2012-13 i.e by 1.51% with the corresponding increase in the share of imports from 55.38% in FY 2009-10 to 64.01% in 2012-13, the causal link appears to be established. Moreover, even though the quantum of decline in sales of the DI is lower than the fall in imports volume during 2012-13 as compared to 2011-12, there has been an increase in the market share of imports with a corresponding decline in the share of the DI.

In the instant case however, some interested parties have claimed that the import of the PUC has increased till 2011-12, thereafter it has decreased in the year 2012-13. During the same period production, sales, exports, productivity and employment of the industry have followed the trend of increased import. Here I find that when imports increased, the performance of the domestic industry improved and when import decreased in 2012-13, the performance of the domestic industry also suffered. However, it is also seen that the DI is suffering on account of lower capacity utilization even on enhanced as well as pre-enhanced capacities. The productivity has declined only in the most recent period even though the domestic industry has increased the employment throughout the injury period year-on-year basis irrespective of the fact whether import has increased or decreased. The inventory position has also worsened even when production has declined. It has been contended by the Interested parties that increased demand of the product till 2011-12 resulted in increase in imports, production, sales, productivity and employment and decreased in demand in 2012-13 resulted in decrease in imports, production, sales productivity and employment. However, this simple conclusion by the Interested Parties does not hold true on the facts, where despite a decline in import and demand of the PUC in the most recent period of 2012-13, the share of imports to demand as well as its market share has increased in 2012-13. It also gets supported by the fact that the DI continues to suffer from declining profitability throughout the POI. This shows a link between increased imports and the injury caused to the DI in the most recent period, as well as over the POI.

Article 4.2(b) of the Safeguard Agreement provides for establishment of causal link between the increased imports and serious injury and the same has to establish on the basis of objective evidence. The issue of causal link was also examined by the WTO Panel on Korea-Dairy (WT/DS98/R dated 21.02.1999 and this Panel has set forth the basic approach for determining "causation" :

7.89 "In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the Domestic Industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports."

7.90 "To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its Domestic Industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the Domestic Industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the Domestic Industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors."

I have evaluated all the listed and other relevant factors of an objective and quantifiable nature and these have been discussed above and the determination of serious injury is based on evaluation of these factors. It is seen from the analysis done above that upward trend in imports coincides with downward trend in injury factors. The evaluation of almost all the factors individually and in totality suggests causal link between increased imports and serious injury caused by such imports and therefore I hold that the causal link is established in this case.

32. Threat of Serious Injury:

The applicants have stated that there is a clear and imminent threat of serious injury to the Domestic Industry on account of various trade remedial actions taken by major markets across the globe and new addition of capacities in China PR as well as US. Further, recent grant of more than 80% of ONGC

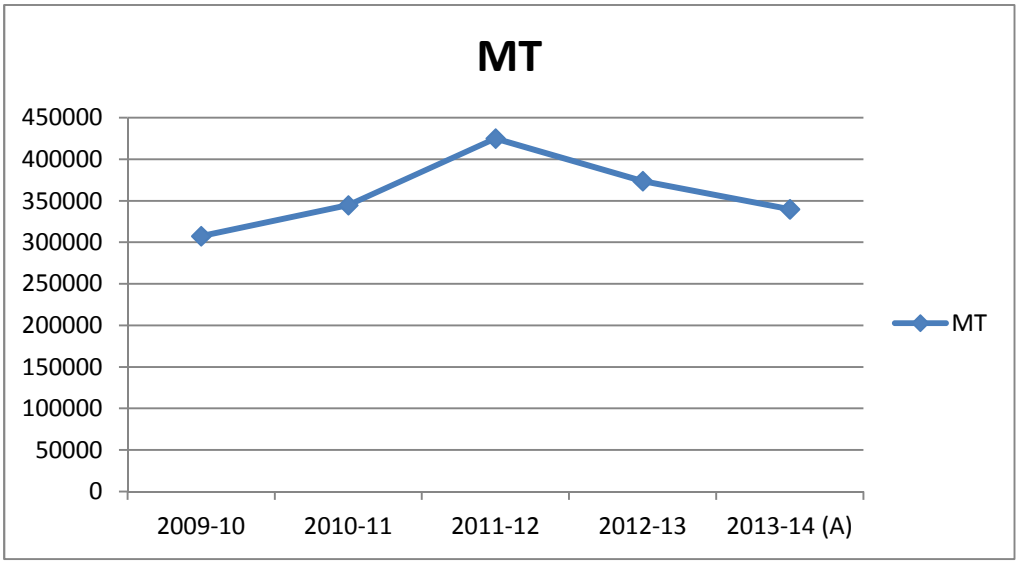
tenders and more than 57% Oil India tenders to foreign suppliers will result in unabated imports of the subject goods causing threat of serious injury to the Domestic Industry and Indian Industry as a whole.

During the Public Hearing, data of import beyond POI was asked in order to examine whether there is a trend of increased import or not and whether it poses any serious threat to the DI or not. The DI furnished import data for the first quarter of 2013-14, which is shown below:

Financial Year	**Total Import (MT)**	**Total Import (indexed Yearly on 2009-10)**
2013-14 (Q1)	85011	
2013-14	340044 (Annualized)	111

Graph 1 below shows the nature of trend of imports from the base year 2009-10 to Q1 of 2013-14 Annualised. End-point to end-point comparison from 2009-10 to 2013-14 (A) indicates that there is an increase in imports by 11% in absolute terms, but shows a decreasing trend from 2012-13 to 2013-14 (A) as compared to 2011-12.

Graph 1



The post-POI analysis of Quarter 1 data for year 2013-14 also indicates that the decline in imports continued further in the Q1of the current financial year 2013-14, i.e., decrease by 11 % in F Y 2013-14 to 340044 MTS as compared to 373848 MTS in 2012-13. Therefore, it is seen that even though there is an increase in imports during the Period of Investigation, but this trend is not sustained in the most recent period of 2012-13 from the preceding year or in 2013-14 (annualized) from 2012-13 or 2011-12.

In this regard, it is noticed that though an increase in capacities by China PR and in EU may pose a long term threat to the DI, analysis of the Post-POI data of April'2013 to June'2013 reveals that the said threat perception of the DI is largely unwarranted. Further, awarding/getting tenders or otherwise may not form a reason for threat to the DI because the major import in category of oil pipes and boiler pipes by the companies like ONGC is through the process of International Competitive bidding where domestic bidders are also given equal opportunity to participate in the tenders. Under the condition of International bidding, all the participants bid for the projects in accordance with strict terms and conditions that are specified in the tender bidding documents and bids at lowest price are selected by the buyer and

exporters have no control over the price. Thus, it is an open procurement for a specific product. If the said product is to be supplied, it has to be at a competitive cost, whether by DI or by import.

Moreover, the contention of domestic industry is unacceptable when facts indicate that imports in Q1 2013-14 have further declined as compared to imports in previous quarter of 2012-13. The import data of Q1 2013-14 when annualized suggests that imports in 2013-14 would further expected to decline to 340044 MT as compared to previous year import of 373848 MT. Q1 data for 2013-14 for production and sales when annualized indicates that production 2013-14(annualized) would decrease by 1% as compared to the base year 2009-10, whereas sales 2013-14(annualized) would almost remain at the same level as the base year. The market share of DI 2013-14 (Annualised) would increase as compared to base year as well as immediate preceding year 2012-13. The market share of import would remain same in 2012-13 and 2013-14 (Annualised). Thus, there is no evidence on record to suggest that as a result of trade remedial action and addition of new capacity in China, exports from these sources will be diverted to India at such a large scale that it will threaten to cause serious injury to domestic industry. Therefore, it is clear that there is no imminent threat to the domestic industry from continuation of imports of the subject goods into India.

Financial Year	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (Q1)	2013-14 (Annualized)
Total Import (MT)	307581	344829	425194	373848	85011	340044
Production of DI(MT)	224216	283619	318968	254316	55468	221872
Sales DI	143017	168740	170826	141558	35785	143140
Sale of others(MT)	104823	101020	93386	68662		45246
Consumption/demand	555421	614589	689406	584064		528430
Market share in demand						
Import (%) w.r.t consumption	55	56	62	64		64
DI Sales	26	27	25	24		27

33. Adjustment Plan:

Rule 5(2) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 requires submission of a statement on "efforts being taken or planned to be taken or both to make positive adjustment to import competition". The WTO Agreement on Safeguard provides that a member shall apply safeguard measure only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and facilitate adjustment.

The purpose of definitive safeguard measure is to provide the domestic producers with a limited period of time in which to restructure so as to more effectively compete with the imports. Section 8B (4) of Customs Tariff Act 1975 and Rule 16(2) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 prohibits any possible extension of measure if there is no evidence that the domestic producers are adjusting.

The domestic producers in this case have laid down adjustment plan which mainly focuses on cost reduction in the following sectors:

(i) Raw Material

(ii) Power & Utilities

(iii) Management of inventory and personnel and finances.

The M/s ISMT has submitted that they have started importing the DRI sponge iron which will bring down their cost of billets. M/s ISMT has recently set up a captive power plant which has commenced production in year 2013 and this would translate into power cost saving.They have also planned cost cutting by improvement in yield, change in type of fuel, planned shutdown of mill furnace, better stores and spares inventory management administrative cost and finance cost.

M/s Jindal SAW have stated that they are planning to use higher weight billets as input raw material , which will have positive impact on final yield and cost. In order to reduce the power cost M/s Jindal SAW intend to replace oil with that of coal to reduce energy cost. M/s Jindal SAW has also intended to bring down the both raw material and finish goods inventory over next 3 years. They are also in the process of developing new products for certain market.

Some of the interested parties have contended that the DI has not provided the requisite adjustment plan, i.e., without any concrete details and that the adjustment plan submitted by the DI has been claimed to be excessively confidential. The interested parties also stated that the proposed restructuring plan submitted by the Domestic Industry, shows that the same is based on efficient management of resources by the Domestic Industry, such as better utilization of raw materials, power and energy, and personnel, as well as better inventory management, reduction of production and processing costs, etc., rather than ensuring any real structural adjustments. Interested parties also submitted that the proposed restructuring plan does not disclose the methods that will be used by the Petitioners in order to achieve the goals stated therein. Against the contention of the Interested Parties regarding excessive confidentiality in the submission of NCV of adjustment plan in the petition is concerned, the issue has been examined.

I find that the present petition for investigation of import of seamless pipes and tubes is not a case where applicant has not submitted the adjustment plan at all. The fact of the matter is that the domestic industry has submitted the adjustment plan in the confidential version of petition but they did not submit the adjustment plan in the non-confidential version of the petition claiming business propriety. However, during the course of the investigation, the applicants have submitted the non-confidential version of the adjustment plan on 29.08.2013 for both M/s ISMT Ltd. and M/s Jindal Saw Ltd.. The non-confidential version of the adjustment plan was thereafter circulated to all the interested parties and was also kept in the Public file. The interested parties have made their comments on the adjustment plan in their submissions/rejoinder. However none of them have submitted any concrete evidence that the adjustment plan of the DI is not provided to them and/or is not viable. Thus, contention of the interested parties that the domestic industry has violated Rule 5(2) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by not submitting the adjustment plan is not tenable.

It appears from the adjustment plan submitted by the domestic industry that the DI has already started these positive adjustments and some of them are planned for over a period of 2-3 years which will result into total overall saving to enable them to adjust to heightened competition from import. Therefore, I find the adjustment plan of the Domestic Industry as reasonable and reliable.

34. Imports of PUC from other developing countries in year FY 2012-13:

Sr.No	Name of the country	Import Volume (MT)
1.	Bahrain	299
2.	Chile	88
3.	Congo	37
4.	Egypt	32
5.	Equatorial Guinea	79
6.	Indonesia	3934
7.	Kuwait	1454
8.	Malaysia	1029
9.	Myanmar	97
10.	Oman	687
11.	Pakistan	125
12	Qatar	262
13.	Romania	1162

14.	Saudi Arabia	1359
15.	South Africa	163
16.	Sri Lanka	27
17.	Thailand	829
18.	Togo	0.46
19	Trinidad	232
20.	United Arab Emirates	6124
21.	Vietnam	122
23.	Total (developing countries)	18141.46
24.	Total import all country.	373848

Source: DGCI&S.

From the above data I find that the total import of PUC into India from developing nation except China PR do not exceed 3% individually and 9% collectively. Thus, the import of product under consideration originating from developing nations except China PR would not attract safeguards duty in terms of Section 8B(1) of the Customs Tariff Act 1975 and Article 9 of WTO Agreement on Safeguards .

35. Unforeseen Circumstances:

It is noted that there is no express obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyse unforeseen circumstances as there is no specific requirement either in Indian Rules on the methodology that should be followed for analyzing unforeseen developments or the WTO Agreement on Safeguards which also does not make any prescription with regard to the methodology that should be followed or the parameters that must be met in deciding unforeseen developments. The Agreement on Safeguards read with Article XIX of GATT, however, obligates the national authorities to examine the "unforeseen developments" which led to the serious injury to the Domestic Industry. It is understood that this Directorate has consistently been examining the issue of "unforeseen developments" in its investigations. It is, therefore, considered important to examine the unforeseen developments or circumstances which have led to increased imports.

The Appellate Body in Argentina-Footwear (EC case) held that the phrase "Unforeseen Developments" means the developments which were unexpected. 'Unforeseen developments' requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been 'unexpected'. The Appellate Body in Korea-Dairy case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation.

The Appellate Body, in Argentina-Footwear (EC), then held that the requirement of "unforeseen developments" did not establish a separate "condition" for the imposition of safeguard measures, but described a certain set of "circumstances"

The domestic industry has submitted that Trade remedial actions in various markets have already been considered as a determinant of 'Unforeseen Development' by the Indonesian Safeguards Authority on a similar product under consideration (G/SG/N/81IDN114. G/SG/N/10/IDN/14)

"According to World Steel Association-Statistical Year Book 2011, global production of the Subject Good has increased in line with demand underpinned by oil and gas exploration. However trade measures taken in several major markets, that could not have been foreseen, have resulted in trade deflection accounting for the significant increase in imports to Indonesia."

(a) The Domestic Industry has pointed out the following unforeseen factors that have led to the increased imports of the product:

(i) **Unforeseen Trade Remedial Actions:**

The DI submitted that unforeseen Trade Remedial Actions on imports by major consuming sources such as US and EU, especially against imports from China, resulted in diversion of these imports to India, leading to a surge in imports into India. The domestic industry has submitted the following data in support of their claim:

China exports to USA

Period	Net Weight (MT)	Indexed Quantity	Increase/ (Decrease) in MT
2009	4,06,502	100.00	
2010	1,09,362	26.90	(2,97,140)
2011	1,52,576	37.53	(2,53,927)
2012	1,41,026	34.69	(2,65,477)

China exports to India

Period	Net Weight (MT)	Indexed Quantity	Increase/ (Decrease) in MT
2009	2,73,612	100.00	
2010	4,48,586	163.95	1,74,974
2011	5,35,140	195.58	2,61,528
2012	4,32,113	157.93	1,58,501

EU exports to China

Period	Net Weight (MT)	Indexed Quantity	Increase/ (Decrease) in MT
2009	1,20,301	100.00	
2010	86,411	71.83	(33,890)
2011	1,03,499	86.03	(16,802)
2012	78,159	64.97	(42,142)

EU exports to India

Period	Net Weight (MT)	Indexed Quantity	Increase/ (Decrease) in MT
2009	49,230	100.00	

2010	60,005	121.89	10,775
2011	63,153	128.28	13,923
2012	71,988	146.23	22,758

Interested parties contended that trade remedial actions mentioned by the domestic industry cannot be considered as unforeseen as most of the measures are in force since 2008-2009. It is also contended that there is nothing to suggest that levy of antidumping duty by China in 2012 against the EU lead to a diversion of imports and a *sudden*, *sharp* and *significant* increase in imports from EU into India in the POI. It is also contended that initiation of anti-dumping investigation concerning seamless tubes and pipes, initiated at the behest of the present applicant-domestic producers suggests that the domestic industry was aware of increasing imports from China PR

It is also contended by interested parties that the data submitted by the Domestic Industry in the additional submission of which shows that Chinese imports have fallen by almost 20% from 2011 to 2012. Likewise, EU imports into India have consistently increased since 2010 by about 14 -20%. EU exports to China in 2010 decreased by 33,890 tonnes from 2009 levels, the increase of imports into India in 2010 from the EU was 10,770 tonnes from its 2009 level.

I find that trend of imports during last four years indicates that import from China in year 2012-13 has increased by 59887 MT as compare to base year 2009-10. Further I find that import into India post 2009-10 indicates that the import has consistently showing significant increase. Since most of the measures are in force since 2008-2009, these measures led to increase in import to India during POI confirming the contention of the DI that trade remedy measures against China by EU and other Nations has diverted the import to India.

Year	Import from China PR Qty(MT)	Import from European Union.Qty (MT)	Total Import. Qty (MT)
2009-10	198464	49230	307581
2010-11	248174	60005	344829
2011-12	311547	63153	425194
2012-13	258351	71988	373848

Source: DGCI&S

(ii) Unexpected Drop in Consumption in European Markets

The domestic industry has submitted that the European markets have reported an unexpected drop in demand as a result of the massive capacities of the subject goods in foreign countries and the foreign producers have resorted to increased exports to India.

The interested parties have contended that more than 2 entire financial years have passed in the present case since 2010-11. An apparent drop in consumption in EC between 2008-09 and 2010-11 cannot be considered as 'unforeseen' or even relevant for the present safeguard investigation wherein market conditions as existing in 2012-13 or later needs to be examined. It is also contended that there is nothing to indicate that an alleged fall in demand in the EU over a 4 year period from 2008 -2011 lead to a sudden or sharp increase in imports form EU to India in 2013. EU imports to India have increased consistently since 2009 and there is nothing "unforeseen" about this development. It is also contended that the Petitioners do not explain what the basis for their allegation is, nor do they provide references for the sources of information alleging, that the EU exports to China fell from 90 million to 20 million EUR at the end of 2012. A purported drop in supply by 35% between 2009 and 2012 couldn't have led to a decrease in sales value by 78%. It has also been stated that the history of cases in the seamless products market indicated that the fluctuation of consumption in this market has been cyclical in nature. The Petitioners did not discuss or offer any explanation as towhy or how fluctuation of

consumption, i.e. the alleged unforeseen fall in 2009 and a subsequent recovery, in the EU is linked and correlates with an increase of imports of the subject product into India

As regard to the above submission of the DI and contentions made by the interested parties, I find that European markets have reported an unexpected drop in demand as a result of the massive capacities of the subject goods in foreign countries and the foreign producers have resorted to increased exports to India. The data in this regard has been analysed as below:

	Import from European Union.	Total Import
Year.	Qty (MT)	Qty (MT)
2009-10	49230	307581
2010-11	60005	344829
2011-12	63153	425194
2012-13	71988	373848

Source: DGCI & S

It may be seen that import from Europe has been consistently increasing in last four years. In 2009-10 it was 16% of the total imports and it has increased to 19% of the total imports in 2013. An increase of 3% over a period of four years in relative terms and in absolute terms, the increased quantum of imports from EU has risen by 46% in 2012-13 over 2009-10, i.e., a clear surge which is in my view is unforeseen and supports the submissions made by the DI.

(iii) Additional Capacities in China PR and new capacities planned in United States

The domestic industry has submitted that Chinese and US producers have been increasing capacities despite sanctions from various major markets which are leading to further diversion of imports to India. In support of their claim regarding additional capacities in China PR and new capacities planned in United States DI has submitted the following:

(a) M/s. SMS Meer Germany had delivered the world's largest PQF plant for seamless tubes with diameters up to 20 to a Chinese consortium consisting of the M/s Tianjin Pipe Corporation and the M/s. Jiangsu Shagang Group, M/s Huaigang Special Steel Company and production was due to start in the beginning of 2012.

(b) New plants set up in United States by M/s. Vallourecwith initial capacities as high as 350,000 MT (expected to go upto 500,0000MT) which have started producing pipes since November 2012.

(c) M/s. Vallourec has completed the acquisition of M/s. Zamil Pipes in 2011in Saudi Arabia which provides M/s. Vallourec with ready-to-run heat treatment capacity and threading facilities of up to 100 kt of pipe per year.

(d) As per market intelligence German company M/s Benteler Steel Tube has invested $900 million to set up a new steel tube plant in the United States which is expected to be running by 2015.

The interested parties have contended that the new facilities are being created owing to a huge internal demand within the respective countries at the same time Domestic Industry has failed to indicate the simultaneous substantial increase in capacity of the Domestic Industry.

The interested parties also contended that Chinese exports to India shrunk by almost 20% in 2012. The information supplied by the Petitioners mentioned that there is potential to make some record setting tubes: 'The maximum diameter of 20 is a record. PQF seamless tubes are thus breaking into a new performance dimension" and 'For the 20-tubes SMS Meer has developed the world's largest cone type piercer with a roll diameter of 1700 mm'. The product scope of the present safeguard investigation is limited to tubes, pipes and hollow profiles of external diameter not exceeding 273.1 mm. Therefore,

output of the plant in question might not even compete with products subject to the present investigation. As reported, this new plant in China can produce tubes up to 508mm diameters. Therefore, this piece of evidence does not support the Petitioners' argument.

The capacity increase in November 2012 in the US is not geared for exports from US to India and no evidence to the contrary has been provided by the Petitioners. The press release cited by the Petitioners suggests that the new capacities will serve the domestic market and sales

Information about the acquisition of already existing capacities in the Saudi Arabia is irrelevant to the argument regarding an increase of overall capacities world-wide. Which is more, a change in ownership cannot amount to "unforeseeable developments" within the meaning of GATT Article XIX: 1(a).

There is no explanation about the relevance of the expected capacity increase in the US in 2015 and the current level of imports, which the Petitioners allege to have increased.

It may be seen that all the above action were initiated in year 2011 and 2012 suggesting that as a result of the above actions, imports in India should have increased in the years 2011-12 and 2012-13. Examination of import data indicates that though imports have increased in 2011-12 as compared to previous years, they have not increased in the subsequent period, i.e., 2012-13 but as compared to base year the imports have increased significantly.

From the facts above, I find that the additional capacities in China PR and new capacities planned in United States domestic industry have resulted in increase of imports in India in 2011-12, but the trend could not be sustained in the most recent period, i.e., 2012-13 and Q1 of 2013-14. In view of the contention of the interested parties, it appears that there is no actual increase in capacity abroad and also the additional capacity created do not pertain to PUC which indicates that the concern of the domestic industry in this regard is totally unfounded. As regards to USA, the capacities planned in future may be considered a potential threat. Thus, Domestic Industry has failed to conclusively establish that enhancement of capacities in China and other countries have resulted in the diversion of PUC into India in the recent years, which had been unforeseen.

(iv) Unforeseeably low pricing of imports despite increase in raw material cost

The domestic industry submitted that raw material prices were increasing throughout the course of the Period of Investigation. However, despite the global increase in raw material prices, the import prices have not been commensurate with the increase in cost to make and sell product under consideration in India. As India is a price sensitive market, the low priced imports were well received by the consumers.

In their response interested parties contended that it has been a trend wherein Jindal Saw has often reduced price to match the price quoted by MSI, or ISMT and vice versa. Therefore, it is but obvious that injury is self inflicted. Moreover, most of the transactions in the Indian market are on the basis of ICB where the overseas suppliers and the domestic producers do not really enjoy much discretion to fix their prices in an open competitive system, but are primarily impelled by the buyer to offer low prices independently of any pricing policy that may be pursued by the suppliers in a free market. The decrease of the prices by the importers shown by the Domestic Industry is in consonance with the world wide decrease in the raw material costs up to 3rd quarter 2009 which has had an effect of the costs of the pipes produced in the year 2010-11. The DI has not explained why the alleged disparity in raw material prices and finished products is “unforeseeable”. There is nothing to suggest that even if this disparity existed, that such disparity cannot be explained by natural commercial choices made by manufacturers and is somehow “unforeseeable”. The allegation of decreased imports prices is not made out because import prices of the PUC from Japan have seen a huge increase of about 84% from 2009-10 to 2012-2013. If there had indeed been an “unexpected” or “unforeseeable” reduction of import prices this trend should have been reflected in all imports. It is also contended that the data submitted by the DI does not establish rising raw material prices. The prices of thermal coke and iron ore have decreased in June 2013 as compared to January 2010. Further average 2013 prices of thermal coke, coking coal, natural gas and steel scrap have all decreased from 2012 average prices For instance average 2012 price of steel scrap was USD 390/ton which has decreased to USD 382/ton in 2013.

The interested parties also contended that data provided by the Petitioners appears to indicate that the Indian costs of sales increased by 5 index points in 2012-2013 while the costs of scrap dropped by 13.5. In contrast to the argument made by the Petitioners themselves, this information shows absence of correlation between these cost items. It thus follows that no conclusions can be drawn from this data as

interpreted by the Petitioners, or its nexus with a purportedly sudden increase in imports. The Petitioners do not explain what is the unexpected event, which seemingly allows all other importers to be unaffected by global raw material prices while Indian producers are.

On the issue of low pricing of import despite increase in raw material internationally I find that the data submitted by the DI does not conclusively establish global rise in raw material prices. The Domestic Industry has submitted the following average raw material/other inputs prices:

	2010-11	**2011-12**	**2012-13**
Thermal coal($/ton)	115	125	97
Indexed	**100**	**108**	**84**
Coking coal($/ton)	160	189	186
Indexed	**100**	**118**	**116**
Iron ore(C/dmtu)	158	158	130
Indexed	**100**	**100**	**82**
Natural gas($/000m^3)	310	410	422
Indexed	**100**	**132**	**136**
Steel scrap($/ton)	375	420	386
Indexed	**100**	**112**	**102**
Electricity(C/KwH)	6.81	6.84	6.7
Indexed	**100**	**100**	**98**

Source: Data provided by the Domestic Industry

For instance it is observed that price of steel scrap increased from $375 in 2010-11 to $420 in 2011-12 and in the year 2012-13, it has again decreased to $ 386. The prices of other inputs like thermal coal, coking coal, iron ore, and electricity have also shown mixed trend in last three years. In fact in recent year 2012-13, raw material prices of steel scrap and other inputs like thermal coal, coking coal, iron ore, and electricity have shown decreasing trend. The only exception is natural gas where prices have shown increasing trend. Therefore, I find that the contention of the domestic industry that unforeseeably low pricing of imports despite increase in raw material cost is one of the reason for increased inputs is not substantiated by the facts/data submitted by the domestic industry themselves.

It is further observed from the examination of end-to-end point data (2009-10 to 2012-13) submitted by the domestic industry in the table below that landed price of import has increased by 4 percentage points as against 18 percentage point rise in selling price of the DI with a corresponding increase of 23 percentage points in cost of sales of the DI.

Particular	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
Landed price	100	90	99	104
Cost of sales	100	107	117	123
Applicant's selling price	100	106	114	118
Profit in Rs./MT.(Indexed)	100	86	64	43

This shows that the DI's cost of sales had been increasing, which has forced them to increase their selling price, but not to a level where they can be profitable. This price suppression appears to have affected their profitability, leading to serious injury to the DI, also caused in view of cheap imports.

On examining the above data, I agree with the contention of DI that producers in China and European Union in particular are targeting the Indian market. Excess capacities are present in the major exporting countries and it has been found that even when Indian demand/apparent consumption of the PUC has declined in the most recent period after a continuous increasing trend from 2009-10 to 2011-12, imports have increased in relative terms, both in relation to production and demand. It is, therefore, seen that out of the claimed unforeseen by the Domestic Industry only trade remedial action and drop in consumption in European market appears to constitute unforeseen development in the case.

36. Public Interest:

There is no express obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyse Public Interest under domestic safeguard law. However, Article 3 of the Agreement on Safeguards states as follows:

"A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all Interested Parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other Interested Parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law."

In their written submissions regarding the question of public interest, the domestic industry have stated that they have over the years, developed the capability to support the domestic user sector and this has been made possible through huge investments in technology up-gradation and human resource development. The domestic industry is a vital pillar for India's strategic growth in power and oil exploration and indigenously caters to the demand. The DI has contended that surge in low priced imports will lead to irreparable damage to the industry in the form of (1) loss of employment, (2) loss of revenue to the Government on account of taxes, and (3) increased outflow of precious Foreign Exchange as the main reason for imposition of safeguard duty in the Public Interest. The domestic industry has provided the data and submitted that the impact of safeguard duty, if levied on product under consideration on these industries will be minimal as the procurement/consumption of product under consideration is miniscule to impact the operations of these industries.

Interested parties like M/s ONGC countered that many a times domestic bidders are not quoting for the entire quantity of any item or groups of ONGC tender and they are evaluated and considered only for the particular items/ groups they have quoted. ONGC have claimed that to meet its operational requirement, ONGC is procuring Seamless Pipes and tubes through International Competitive bidding process as limited sources of supply are available domestically. Further, Oil and gas companies like ONGC have been given special license by Director General of Hydrocarbons to import seamless pipes and tubes on which "nil" custom duty is applicable when imported into specific areas. It is further contended by the Interested Parties that levy of safeguard duty on seamless pipes and tubes shall adversely affect competition in their tenders, as participation by foreign bidder in ONGC's tenders would reduce considerably and in some case, may even deprive ONGC of the foreign bidder's reference price for comparison with the prices quoted by domestic bidder. Also levy of safeguard duty on seamless pipes and tubes etc would result in extra financial burden to ONGC which may adversely affect ONGC's operations. Other public sector company, BHEL, claimed that foreign suppliers are getting more orders due to entire range available vis-à-vis Indian Suppliers who have limited range. M/s NEI submitted that the impact of safeguard duty is between 7.5% to 13.1% and imposition of safeguard duty on bearing grade tubes would be against public interest and any increase in cost of bearing would render their operation commercially unviable and will lead to a serious injury to them. They have also submitted that till such time as quality issues, which are basic for a highly precision product are full resolved, the question of granting protection to unsuitable product by safeguard measure does not arise.

I am of the view that a decision concerning the public interest in applying safeguard measures to the imports of the product under investigation involves striking an optimal balance between, not only the industry represented by the Petitioners, but also encompasses other user industries of the product concerned, which all will be heavily disadvantaged if a decision to impose a safeguard measure is taken because it would deprive them of reasonably priced product of desired quality/specifications. This would, in turn, have adverse effects on the competitive ability of Indian users. If the safeguard duty is imposed, these products would not be available to the Indian end user at a competitive price and they would be forced to bear the brunt of the high cost of import.

I appreciate that ONGC and BHEL which are public sector undertakings are engaged in exploration and exploitation of hydrocarbons and development of power plants infrastructure with the objective of achieving energy security for the Nation. Any safeguard duty imposed on seamless pipes and tubes would certainly result in a financial burden on these public sector companies which would adversely affect its operations especially when domestic bidders are not quoting for the entire quantity of any item or have limited range of the products. However, a strong and robust domestic industry is also a requirement which can fulfill the need of the domestic market and can grow in tandem and in competition to foreign suppliers. It has been noticed that the DI has been able to provide/offer almost all the types of grades of the PUC to the buyers domestically and has also healthy exports. They have demonstrated through tangible evidence in form of sales invoices that they have sufficient capacity and the expertise to manufacture a range of PUC. It has also been contended by the DI during their submissions that they are losing major selling opportunity in the form of lost tenders of M/s ONGC due to low priced imports, which is mainly on the price front. This aspect could not be examined in this investigation as because this investigation has been conducted under the provisions of Section 8B of the Customs Tariff Act' 1975.

It is also noticed that the DI has been demonstrated that imposition of safeguard duty will have minimal impact on the major user industries/sectors between 1.94% to 2.73 percent. M/s NEI has contended that the source of information of the prices of DI has not been communicated and therefore, it is not possible for them to discuss the same. M/s NEI also produced invoices in support of their prices and stated that the impact of safeguard duty would be in range between 7.5% to 13.1%. However, I find that except M/s NEI, no other producer or exporter of bearings have participated as interested parties or have submitted data during public hearing as against the evidence produced by the domestic industry with regard to minimal impact of safeguard duty. Considering that the proportion of use of seamless pipes and tubes by M/s NEI is insignificant as compared to total demand of seamless pipes and tubes and also the fact that M/s NEI is running in profits and therefore can afford to take burden of safeguard duty, I feel the imposition of safeguard duty on the PUC would be in Public interest.

37. Conclusion:

There has been a significant increase in imports in relation to production. There is also substantial increase in imports in absolute terms when seen from end to end point of the POI. This increase in import has resulted in decrease in production, sales, export and productivity, capacity utilization and profitability and increase in inventory of the product. This has resulted into causing serious injury to the Domestic Industry, though there may not be a serious threat of serious injury. There is a causal link between increase in import and serious injury caused to the Domestic Industry during the POI. The DI has also provided a viable adjustment plan showing they are making positive adjustments to become competitive to rising imports and that imposition of safeguard duty on the PUC will have minimal impact on the end users of the PUC and therefore are in Public Interest. I feel that the request of the DI for imposition of safeguard duty meets all the requirements of both domestic as well as international law.

Therefore, the DI deserves to be protected at this stage from the onslaughts of increased imports by adoption of emergency measure of safeguard duty.

38. Recommendations:

In view of the above, to protect the interest of domestic industry, it is recommended that safeguard duty may be imposed for two and a half years in terms of Rule 12 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules 1997 on the import of Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel) whether hot finished or

cold drawn or cold rolled, of external diameter not exceeding 273.1 mm (O.D) with the tolerance as specified under relevant standards (herein after referred to as Seamless Pipes and Tubes) falling under chapter headings(the headings are indicative only) 73041910; 73041920; 73041990; 73042310; 73042390; 73042910; 73042990; 73043111; 73043119; 73043121; 73043129; 73043131; 73043139; 73043911; 73043919; 73043921; 73043929; 73043931: 73043939; 73045110; 73045120; 73045130; 73045910; 73045920; 73045930; 73049000:

excluding:

i Seamless alloy–steel pipes, tubes and hollow profiles of specification ASTM A213/ASME SA 213 and ASTM A335 /ASME SA 335 or equivalent BIS/DIN/BS/EN or any other equivalent specifications.

ii. Non API and Patented Premium Joints/Premium Connections/Premium Threaded Tubes & Pipes of grades Q-125, 13CR,L-80,P110,C-90,C-95,T-90 &T-95

iii. All 13 Chromium (13CR) Grades Tubes and Pipes not included in(2) above and

iv. Drill Collars.

Considering the average cost of sales of the product under consideration, after allowing reasonable return on capital employed, it is recommended to impose safeguard duty as shown below:

Period	Rate of Safeguard Duty
First year	25% ad valorem
Second Year	15% ad valorem
Third year (for six months only)	5% ad valorem

As the imports from developing nations except China PR, do not exceed 3% individually and 9% collectively, the import of product under consideration originating from developing nations except China PR, will not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

[F.No. D-22011/17/2012]
R. K. SINGLA,Director General

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.